

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2014-15



EPFO
Government of India



62वीं वार्षिक रिपोर्ट

2014-15

सांख्यिकीय सार (2014-15)					
क्र.	सेवा क्षेत्र	वर्गीय	(लाखों में)		
			2014-15	2013-14	2012-13
भविष्य निधि बचत	अंशित निपटारा	निपटार कार्यालय	61.09	58.86	52.37
		निपटार पर बचत	60.72	57.90	51.20
		अंशित बचत	0.37	0.97	1.17
	अंशित प्रत्याहारण	निपटार कार्यालय	4.43	3.89	3.19
		निपटार पर बचत	4.41	3.84	3.13
		अंशित बचत	0.02	0.06	0.06
	अंतरण बचत	निपटार कार्यालय	8.22	7.28	6.70
		निपटार पर बचत	8.13	7.08	6.46
		अंशित बचत	0.09	0.20	0.24
	कुल	निपटार कार्यालय	73.74	70.03	64.28
		निपटार पर बचत	73.28	69.82	62.78
		अंशित बचत	0.46	1.21	1.47
पैशन बचत	मासिक पैशन	निपटार कार्यालय	3.91	4.04	3.96
		निपटार पर बचत	3.82	3.88	3.76
		अंशित बचत	0.09	0.16	0.20
	मासिक पैशन के अतिरिक्त	निपटार कार्यालय	53.21	51.32	45.67
		निपटार पर बचत	52.83	50.38	44.61
		अंशित बचत	0.38	0.94	1.06
	कुल	निपटार कार्यालय	57.12	55.36	49.63
		निपटार पर बचत	56.65	54.26	48.37
		अंशित बचत	0.47	1.10	1.26
बीमा बचत		निपटार कार्यालय	0.30	0.29	0.27
		निपटार पर बचत	0.30	0.28	0.26
		अंशित बचत	0.00	0.01	0.01
कुल बीमा		निपटार कार्यालय	131.16	125.69	114.16
		निपटार पर बचत	130.21	123.36	111.42
		अंशित बचत	0.95	2.32	2.74

भविष्य निधि भवन
14, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

62ND ANNUAL REPORT

2014-15

Summary of Statistical Abstract (2014-15)						
A. SERVICE AREA		ALL CLAIMS				
		(In lac)				
			2014-15	2013-14	2012-13	
PROVIDENT FUND CLAIMS	FINAL SETTLEMENT	NET WORKLOAD	61.09	58.86	52.37	
		CLAIMS SETTLED	60.72	57.90	51.20	
		CLAIMS PENDING	0.37	0.97	1.17	
	PARTIAL WITHDRAWAL	NET WORKLOAD	4.43	3.89	3.19	
		CLAIMS SETTLED	4.41	3.84	3.13	
		CLAIMS PENDING	0.02	0.06	0.06	
	TRANSFER CASES	NET WORKLOAD	8.22	7.28	8.70	
		CLAIMS SETTLED	8.13	7.08	8.46	
		CLAIMS PENDING	0.09	0.20	0.24	
	TOTAL	NET WORKLOAD	73.74	70.03	64.26	
		CLAIMS SETTLED	73.26	68.82	62.79	
		CLAIMS PENDING	0.48	1.21	1.47	
PENSION CLAIMS	MONTHLY PENSION	NET WORKLOAD	3.91	4.04	3.96	
		CLAIMS SETTLED	3.82	3.88	3.76	
		CLAIMS PENDING	0.09	0.16	0.20	
	OTHER THAN MONTHLY PENSION	NET WORKLOAD	53.21	51.32	45.67	
		CLAIMS SETTLED	52.83	50.38	44.61	
		CLAIMS PENDING	0.38	0.94	1.06	
	TOTAL	NET WORKLOAD	57.12	55.36	49.63	
		CLAIMS SETTLED	56.65	54.26	48.37	
		CLAIMS PENDING	0.47	1.10	1.26	
INSURANCE CLAIMS		NET WORKLOAD	0.30	0.29	0.27	
		CLAIMS SETTLED	0.30	0.28	0.26	
		CLAIMS PENDING	0.00	0.01	0.01	
GRAND TOTAL		NET WORKLOAD	131.16	125.68	114.16	
		CLAIMS SETTLED	130.21	123.36	111.42	
		CLAIMS PENDING	0.95	2.32	2.74	

Bhavishya Nidhi Bhawan

14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066

62वीं वार्षिक रिपोर्ट - 2014-15

विषयसूची

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ सं.
अध्याय – 1	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन	1-11
	• ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य	1-2
	• उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण	2-4
	• कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत निर्मित योजनाएं	4-5
	• केन्द्रीय न्यासी बोर्ड	5-8
	• कार्यकारी समिति	8-10
	• क्षेत्रीय समिति	10-11
अध्याय – 2	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में निष्पादन प्रबंधन	12-16
	• सेवा क्षेत्र	12
	• वित्तीय क्षेत्र	12
	• अनुपालन क्षेत्र	12-13
	• परिणाम रूपरेखा दस्तावेज (आर.एफ.डी.)	13
	• लक्ष्य	13
	• ध्येय	13
	• सेवा मानदंड	14
	• सदस्यों के अधिकार	14
	• नियोक्ताओं के अधिकार	15
	• शिकायत निवारण प्रणाली	15
	• शिकायत निवारण की समय-सीमा 20 दिन	15
	• स्टैक होल्डर्स/ग्राहक	15
	• सेवा पाने वालों से निर्देशात्मक अपेक्षाएं	15-16
अध्याय – 3	कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 और उसके अंतर्गत रचित योजनाएं	17-30
	• अधिनियम को लागू करना	17
	• उद्योगों / स्थापना वर्गों की अनुसूची	17-18
	• क.भ.नि.योजना, 1952 की सदस्यता के लिए पात्रता	18

62nd Annual Report- 2014-15

CONTENTS

CHAPTER	TITLE	PAGE NO.
CHAPTER – 1	EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION	1-11
	• Historical Perspective	1-2
	• Statement of Objects and Reasons	2-4
	• Schemes framed under the EPF & MP Act,1952	4-5
	• Central Board	5-8
	• Executive Committee	8-10
	• Regional Committees	10-11
CHAPTER – 2	PERFORMANCE MANAGEMENT IN EPFO	12-16
	• Service Area	12
	• Financial Area	12
	• Compliance Area	12-13
	• Results Framework Documents (RFD)	13
	• Vision	13
	• Mission	13
	• Service Standards	14
	• Right of Members	14
	• Right of Employers	15
	• Grievance Redressal Mechanism	15
	• Timeline for Redress 20 Days	15
	• Stakeholders/Clients	15
	• Indicative Expectations from the Service Recipients	15-16
CHAPTER – 3	EMPLOYEES' PROVIDENT FUNDS & MISCELLANEOUS PROVISIONS ACT, 1952 AND SCHEMES FRAMED THEREUNDER	17-30
	• Application of the Act	17
	• Schedule of Industries/Classes of Establishments	17-18

	•कर्मचारी पेंशन योजना, 1995	19
	•संक्षिप्त ऐतिहासिक टिप्पणी	19
	•प्रयोज्यता	19
	•लाभ	19-21
	•पात्रता	20
	•मूल परिचालन आंकड़े	21-23
	•क.पें.यों. निधि प्राप्तियां, भुगतान एवं राशि संग्रह	22-24
	•न्यूनतम पेंशन उपबंध का कार्यान्वयन	25-26
	•कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 का बीमांकक मूल्यांकन	26-27
	•पेंशन संवितरण	27-28
	•कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में प्रमुख बदलाव / संशोधन	28-29
	•कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना	29
	•लागू होना तथा कवरेज	29
	•योजना के अंतर्गत लाभ	29-30
अध्याय – 4	अंतर्राष्ट्रीय कामगारों के लिए उपबंध	31-34
	•अंतर्राष्ट्रीय कामगारों के संबंध में विशेष उपबंध	31
	•अंतर्राष्ट्रीय कामगार की परिभाषा	32
	•अपवर्जित कर्मचारी	32
	•सदस्यता	32
	•अंशदान	32
	•सामाजिक सुरक्षा करार (एस.एस.ए.)	33-34
	•कवरेज प्रमाणपत्र (सी.ओ.सी.)	34
अध्याय – 5	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अनुपालन प्रबंधन	35-44
	•अनुपालन की भूमिका	35
	•चूककर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई	35-36
	•चूककर्ताओं के विरुद्ध कठोर उपाय	36
	•बकाया की वसूली	36-37
	•भविष्य निधि देयों की प्राथमिकता	37
	•(अछूट प्राप्त क्षेत्र)में बकाया प्रबंधन	37
	•अंशदान के बकाया का विभाजन (सभी योजनाएँ)	38
	•अन्य बकाया (प्रशासनिक लेखे) सभी योजनाएँ	39
	•चूक रोकने हेतु कृत कार्रवाई	39-40
	•बकाया की वसूली के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा की गई अन्य कार्यवाहियां	40

	• Eligibility for membership Employees' Provident Funds Scheme, 1952	18
	• Employees' Pension Scheme, 1995	19
	• Brief historical note	19
	• Applicability	19
	• Benefits	19-20
	• Eligibility	20
	• Basic Operational Statistics	21-22
	• EPS Fund Receipts, Payments and Corpus	22
	• Implementation of Minimum Pension Provision	22-25
	• Actuarial Valuation of the Employees' Pension Scheme, 1995	26-27
	• Pension Disbursement	27-28
	• Major Modifications/Amendments in the EPS, 1995	28-29
	• Employees' Deposit Linked Insurance Scheme	29
	• Application and Coverage	29
	• Benefits under the Scheme	29-30
CHAPTER – 4	INTERNATIONAL WORKERS	31-34
	• Special Provisions in respect of International Worker	31
	• Definition of International Worker	32
	• Excluded Employee	32
	• Membership	32
	• Contribution	32
	• Social Security Agreement (SSA)	33-34
	• Certificate of Coverage (COC)	34
CHAPTER – 5	COMPLIANCE MANAGEMENT IN EPFO	35-44
	• Role of Compliance	35
	• Action against Defaulters	35-36
	• Coercive Actions against Defaulters	36
	• Recovery of Arrears	36-37
	• Priority of Provident Fund dues	37
	• Arrear Management (Un-exempted Sector)	37
	• Bifurcation of Arrears of Contribution (All Schemes)	38
	• Other Arrears (Administration Accounts) All Schemes	39
	• Action Taken to Arrest the Default	39-40

	• छूट	40-41
	• छूट प्राप्त स्थापनाएं एवं सदस्य	41
	• स्थापनाओं एवं सदस्यों का राज्यवार संकेन्द्रण	41
	• अंशदान	41
	• निरीक्षण प्रभार	41
	• ब्याज दर	41
	• कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत छूट	42
	• कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 से छूट	42
	• छूट प्राप्त क्षेत्र में बकाया का प्रबंधन	42-43
	• बकाया का विभाजन – सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की स्थापनाएं	43
	• बकाया की स्थिति (छूट प्राप्त क्षेत्र)	43-44
	• छूट प्राप्त क्षेत्र में अनिवेशित निधि	44
	• छूट प्राप्त क्षेत्र में चूककर्ताओं के विरुद्ध की गई कार्रवाई	44
अध्याय – 6	विधि मामले	45-47
	• विधि डैशबोर्ड की शुरुआत	46-47
अध्याय – 7	निवेश एवं लेखा	48-58
	• अंशदान की दर	48-49
	• प्राप्त अंशदान भविष्य निधि	50
	• प्राप्त अंशदान पेंशन निधि	50
	• प्राप्त अंशदान बीमा निधि	50-51
	• प्रशासनिक तथा निरीक्षण प्रभार	51-52
	• आय-व्यय लेखा	52
	• संगठन का राजस्व	53
	• निवेश का पैटर्न	53-54
	• पेंशन निधि का निवेश	55
	• बीमा निधि का निवेश	55
	• पोर्टफोलियो प्रबंधन	55-56
	• पोर्टफोलियो प्रबंधकों के निष्पादन के संबंध में मुख्य बिन्दु	56
	• परिसंपत्ति निर्धारण	56-57
	• भविष्य निधि के निवेश (छूट प्राप्त क्षेत्र)	57-58
	• सदस्यों को ब्याज दर	58
अध्याय – 8	लेखापरीक्षा	59-62
	• सांविधिक लेखापरीक्षा एवं आंतरिक लेखापरीक्षा	59

	• Other action taken by EPFO for Recovery of Arrears	40
	• Exemption	40-41
	• Exempted Establishment and Members	41
	• State wise concentration of Establishment and Members	41
	• Contributions	41
	• Inspection Charges	41
	• Rate of Interest	41-42
	• Exemption under EPS,1995	42
	• Exemption from the Employees' Deposit linked Insurance Scheme,1976	42
	• Arrear Management in the Exempted Sector	42-43
	• Bifurcation of Arrears- Public and Private Sector Establishments	43
	• Status of Arrears(Exempted Sector)	43-44
	• Un-Invested funds in the Exempted Sector	44
	• Action taken against defaulters in the Exempted Sector	44
CHAPTER – 6	LEGAL MATTERS	45-47
	• Launch of Legal Dashboard	45-47
CHAPTER – 7	INVESTMENTS AND ACCOUNTS	48-58
	• Rate of Contribution	48-49
	• Contribution received Provident fund	50
	• Contribution received Pension fund	50
	• Contribution received Insurance fund	50-51
	• Administrative and Inspection Charges	51-52
	• Income & Expenditure Account	52
	• Revenue of the Organisation	53
	• Pattern of Investment	53-54
	• Investment of Pension fund	55
	• Investment of Insurance fund	55
	• Portfolio Management	55-56
	• Salient points on performance of the Portfolio Managers	56
	• Asset Allocation	56-57
	• Investment of Provident Fund (Exempted Sector)	57-58
	• Rate of Interest to Members	58

	●लेखापरीक्षा पार्टियां	59-60
	●आंतरिक लेखापरीक्षा	60-61
	●सांविधिक लेखापरीक्षा	62
अध्याय – 9	ग्राहक सेवा	63-69
	●शिकायतें कम करने के लिए किए गए प्रयास	63-64
	●प्राप्त शिकायतें एवं निवारण	64
	●शिकयते दर्ज करना	64-65
	●यूनिवर्सल खाता संख्या के लिए हेल्पडेस्क आउट सोर्सिंग	65
	●भविष्य निधि अदालतें	65-66
	●शिकायतों के ऑनलाइन पंजीकरण एवं निपटान की सुविधा	66
	●कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय में जन शिकायतों के संबंध में निर्धारित दिशा-निर्देश	67
	●समीक्षा तंत्र	67
	●नई पहल	67-68
	●प्रचार	68
	●मुख्य लक्ष्य	68
	●वर्ष के दौरान हुई गतिविधियां	68
	●प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार	68-69
	●कैलेंडरों के माध्यम से प्रचार	69
	●सूचना का अधिकार	69
अध्याय – 10	सूचना प्रौद्योगिकी पहल	70-72
	●स्थापनाओं का ऑनलाइन पंजीकरण	70
	●यूनिवर्सल खाता संख्या	70
	●नई पास बुक (यू.ए.एन. आधारित)	71
	●मासिक लेन-देन के लिए नियोक्ताओं और सदस्यों को एस.एम.एस.	71
	●निष्क्रिय खाते संबंधी हेल्पडेस्क	71
	●ई-बिज पोर्टल के साथ समाकलन	71
	●शार्ट कोड एस.एम.एस. सेवाएं	72
	●सदस्य खातों का अद्यतन करना	72

CHAPTER – 8	AUDIT	59-62
	• Statutory Audit and Internal Audit	59-60
	• Audit Parties	60
	• Internal Audit	60-61
	• Statutory Audit	62
CHAPTER – 9	CUSTOMER SERVICE	63-69
	• Efforts taken to Minimize Grievances	63-64
	• Grievances received and redressed	64
	• Lodging of Grievances	64-65
	• Helpdesk outsourcing for Universal Account Number	65
	• Bhavishya Nidhi Adalats	65-66
	• Facility of online registration of Grievances and Redressal	66
	• Guidelines prescribed for handling of Public Grievances in EPFO Offices	67
	• Review Mechanisms	67
	• New Initiatives	67-68
	• Publicity	68
	• Main Objective	68
	• Activities carried out during the year	68
	• Publicity through Print Media	68-69
	• Publicity through Calendars	69
	• Right to Information	69

अध्याय – 11	मानव संसाधन प्रबंधन	73-82
	• मानव शक्ति	73
	• पदोन्नतियां / भर्तियां	74
	• वरिष्ठ समय मान	74
	• विशेष राज्य कार्यालयों का आरंभ होना	74
	• लीज़ पर आवास	74
	• सेवा पुस्तिकाओं में आधार संख्या	75
	• आरक्षण नीतियों का कार्यान्वयन	75
	• मानव संसाधन विकास (मा.सं.वि.)	75-76
	• परीक्षा अनुभाग	76
	• हिंदी का प्रगामी प्रयोग	76-78
	• क.नि.भ.स्टाफ पेंशनभोक्ता	78
	• स्टाफ कल्याण गतिविधियां	78
	• खेलकूद की गतिविधियां	78-79
	• स्टाफ कल्याण	79-80
	• विशेष उपलब्धि	80
	• भौतिक सुविधा प्रभाग (कार्यालय आवास)	80-81
	• बजट	81
	• प्रशासनिक सतर्कता (ए.वी.एस.) विंग	81-82
	• अन्य गतिविधियां	82
	• नई पहल	82
	• स्टाफ शिकायत नियंत्रण प्रणाली	82
अध्याय – 12	राष्ट्रीय एवं प्रशिक्षण	83-87
	• प्रशिक्षण के उद्देश्य	83
	• प्रशिक्षण के प्रकार	83
	• रणनीति	84
	• कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में प्रशिक्षण संरचना	84-85
	• नाटरस के लिए लक्ष्य समूह	85
	• आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए लक्ष्य समूह	85
	• आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण	85
	• आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण गतिविधियां	85-86
	• नाटरस का भौतिक ढांचा तथा सुविधाएं	86
	• होस्टल ब्लॉक	87
	• मेस	87

CHAPTER – 10	INFORMATION TECHNOLOGY FOR INITIATIVES	70-72
	• Online Registration of Establishments	70
	• Universal Account Number	70-71
	• New Passbook (UAN Based)	71
	• SMS to the Member & Employers for monthly transaction	71
	• Inoperative Accounts Online Helpdesk	71
	• Integration with E-Biz Portal	71
	• Short Code SMS Services	72
	• Updation of Member Accounts	72
CHAPTER – 11	HUMAN RESOURCE MANAGEMENT	73-82
	• Manpower	73
	• Promotions/Recruitments	74
	• Senior Time Scale	74
	• Opening of Special Offices	74
	• Leased Accommodation	74
	• Aadhaar Number in Service Book	75
	• Implementation of Reservation Policies	75
	• Human Resources Development (HRD)	75-76
	• Examination Section	76
	• Progressive use of Hindi	76-78
	• EPF Staff Pensioners	78
	• Staff Welfare Activities	78
	• Sports Activities	78-79
	• Staff Welfare	79-80
	• Special Achievement	80
	• Physical Facility Division (Office Accommodation)	80
	• Budget	81
	• Administrative Vigilance Wing	81
	• Other Activities	82
	• New Initiatives	82
	• Staff Grievance Handling System	82
CHAPTER – 12	NATIONAL & TRAINING	83-87
	• Objective of Training	83
	• Types of Training	83
	• Strategy	84
	• Training Architecture in EPFO	84-85

	• खेलकूद	87
	• आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों में भौतिक सुविधाएं तथा आधारभूत ढांचा	87
अध्याय – 13	सतर्कता	88-90
	• पृष्ठभूमि	88
	• वर्ष के दौरान निष्पादन	88-90
परिशिष्ट		91-213
परिशिष्ट ए-1	सांख्यिकीय सार	92-97
परिशिष्ट ए -2 (i)	केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (क.भ.नि.) के सदस्य	98-100
परिशिष्ट ए -2 (ii)	कार्यकारी समिति, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (क.भ.नि.) के सदस्य	101
परिशिष्ट ए -2 (iii)	वित्त निवेश और लेखा परीक्षा समिति	102
परिशिष्ट ए -2 (iv)	पेंशन एवं क.नि.स.बी. कार्यान्वयन समिति	103
परिशिष्ट ए -2 (v)	छूट प्राप्त स्थापनाओं की समिति	104
परिशिष्ट ए -2 (vi)	निर्माण कामगारों पर उप-समिति	105
परिशिष्ट ए -2 (vii)	ठेका कामगारों पर उप-समिति	106
परिशिष्ट ए -2 (viii)	सूचना सेवा सुधारों की समिति	107
परिशिष्ट ए -2 (ix)	भवन एवं निर्माण पर समिति	108
परिशिष्ट ए -2 (x)	राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए क्षेत्रीय समितियां (क.भ.नि.)	109-110
परिशिष्ट ए -3 (i)	मूल्यांकन के परिणामों का सार	111
परिशिष्ट ए -3 (ii)	क.पें.यो. -1995 के अंतर्गत पेंशन संवितरण एजेंसियों की सूची	112
परिशिष्ट ए -3 (iii)	पेंशनभोक्ताओं का वर्गीकरण	113
परिशिष्ट ए -4(i)	दावे – भविष्य निधि	114
परिशिष्ट ए -4(ii)	दावे - आंशिक प्रत्याहरण	115
परिशिष्ट ए -4(iii)	दावे – अंतरण मामले	116
परिशिष्ट ए -4(iv)	दावे - कर्मचारी पेंशन योजना 1995 मासिक पेंशन	117
परिशिष्ट ए -4 (v)	दावे - कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (मासिक पेंशन दावों को छोड़कर)	118
परिशिष्ट ए -4(vi)	दावे - कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना 1976	119
परिशिष्ट ए -4(vii)	सभी दावे	120
परिशिष्ट ए -5(i)	उद्योगवार स्थापनाएं एवं सदस्य (अछूट एवं छूट प्राप्त)	121-125
परिशिष्ट ए -5(ii)	अंचलवार (क्षेत्रवार) सदस्यों एवं स्थापनाओं का संकेन्द्रण	126
परिशिष्ट ए -5(iii)	स्थापनाओं एवं सदस्यों का संकेन्द्रण (राज्यवार)	127
परिशिष्ट ए -5(iv)	सदस्यों का उद्योगवार संकेन्द्रण	128
परिशिष्ट ए -5(v)	अंचलवार (क्षेत्रवार) स्थिति एवं संकेन्द्रण – छूट प्राप्त स्थापनाएं	129
परिशिष्ट ए -5(vi)	स्थापनाओं एवं सदस्यों का (छूट प्राप्त क्षेत्र) में संकेन्द्रण	130

	• Target group for NATRSS	85
	• Target group for ZTIs	85
	• Trainings in ZTIs	85
	• Training Activities in ZTIs	85-86
	• Physical Infrastructure and Facilities at NATRSS	86
	• Hostel block	87
	• Mess	87
	• Sports	87
	• Physical Facilities & Infrastructure at ZTIs	87
CHAPTER – 13	VIGILANCE	88-90
	• Background	88
	• Performance during the year	88-90
APPENDICES		92-213
Appendix A-1	Summary of Statistical Abstract	92-97
Appendix A-2 (i)	Members of Central Board of Trustees, (EPF)	98-100
Appendix A-2 (ii)	Members of Executive Committee, CBT (EPF)	101
Appendix A-2 (iii)	Finance Investment and Audit Committee	102
Appendix A-2 (iv)	Pension and EDLI Implementation Committee	103
Appendix A-2 (v)	Exempted Establishments Committee	104
Appendix A-2 (vi)	Sub-committee on Construction Workers	105
Appendix A-2 (vii)	Sub-committee on Contract Workers	106
Appendix A-2 (viii)	Committee on IT Reforms	107
Appendix A-2 (ix)	Committee on Building & Construction	108
Appendix A-2 (x)	Regional Committees (EPF) for the States/Union Territories	109-110
Appendix A-3 (i)	Summary Result of Valuation	111
Appendix A-3 (ii)	List of Pension disbursing Agencies under EPS-1995	112
Appendix A-3 (iii)	Classification of Pensioners	113
Appendix A-4(i)	Claims – Provident fund	114
AppendixA-4(ii)	Claims - Partial withdrawals	115
AppendixA-4(iii)	Claims - Transfer cases	116
Appendix A-4(iv)	Claims - EPS'1995 Monthly Pension	117
Appendix A-4 (v)	Claims - EPS'1995 (other than monthly pension claims)	118
Appendix A-4(vi)	Claims - EDLI'1976	119
AppendixA-4(vii)	All Claims	120
Appendix A-5(i)	Industry wise Establishment & Members (Unexempted & Exempted Sector)	121-125
AppendixA-5(ii)	Zone-wise (Region-Wise) position and concentration of Establishments & Members	126
AppendixA-5(iii)	Concentration of Establishment & Members (state-wise)	127
Appendix A-5(iv)	Concentration of Members Industry-Wise	128

परिशिष्ट ए -6 (i)	(अछूट प्राप्त क्षेत्र) में क.भ.नि. योजना के अंतर्गत निर्धारित बकाया	131
परिशिष्ट ए -6 (ii)	(अछूट प्राप्त क्षेत्र) में क.पें.योजना'95 के अंतर्गत निर्धारित बकाया	132
परिशिष्ट ए -6 (iii)	(अछूट प्राप्त क्षेत्र) में क.नि.स.बी. योजना के अंतर्गत निर्धारित बकाया	133
परिशिष्ट ए -6 (iv)	सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्र में मांग का विभाजन (अछूट प्राप्त) (सभी योजनाएं)	134
परिशिष्ट ए -7 (i)	रु. 50 लाख या इससे अधिक वाली चूककर्ता स्थापनाओं का विवरण (अछूट प्राप्त)	135
परिशिष्ट ए -7 (ii)	रु. एक करोड़ तथा अधिक की चूककर्ता स्थापनाओं की सूची (अछूट प्राप्त क्षेत्र)	136-157
परिशिष्ट ए -8 (i)	अधिनियम की धारा 7ए के अंतर्गत निर्धारण मामलों का प्रारंभ एवं निपटान	158
परिशिष्ट ए -8 (ii)	लंबित 7ए मामलों की आवधिकता	159
परिशिष्ट ए - 9	अधिनियम की धारा 7 क्यू के अंतर्गत देयों पर अर्जित ब्याज	160
परिशिष्ट ए -10	धारा 14 बी के अंतर्गत तीनों योजनाओं में लगाई गई नुकसानी (अछूट प्राप्त)	161
परिशिष्ट ए -11(i)	कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अंतर्गत क.भ.नि.देयों हेतु (खाता संख्या 1) राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (अछूट प्राप्त)	162
परिशिष्ट ए -11(ii)	कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत (खाता संख्या 10) राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (अछूट प्राप्त)	163
परिशिष्ट ए -11(iii)	कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 के अंतर्गत (खाता संख्या 21) राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (अछूट प्राप्त)	164
परिशिष्ट ए -12 (i)	अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत (क.भ.नि. योजना) अभियोजन मामले (अछूट प्राप्त क्षेत्र)	165
परिशिष्ट ए -12 (ii)	अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत (पेंशन योजना) अभियोजन मामले (अछूट प्राप्त क्षेत्र)	166
परिशिष्ट ए -12 (iii)	अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत (क.नि.स.बी.यो.) अभियोजन मामले (अछूट प्राप्त क्षेत्र)	167
परिशिष्ट ए -13 (i)	भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत पुलिस प्राधिकारियों के समक्ष मामले (अछूट प्राप्त)	168
परिशिष्ट ए -13 (ii)	भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत विभिन्न न्यायालयों के समक्ष मामले (अछूट प्राप्त)	169
परिशिष्ट ए -14	संपत्ति का अटैचमेंट – चूकदारों की गिरफ्तारी की स्थिति / अछूट प्राप्त क्षेत्र	170
परिशिष्ट ए -15 (i)	छूट प्राप्त क्षेत्र में कुल बकाया	171
परिशिष्ट ए -15 (ii)	छूट प्राप्त क्षेत्र में कुल बकाया का बड़ा भाग	172
परिशिष्ट ए -16	सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में बकाया का विभाजन (छूट प्राप्त)	173
परिशिष्ट ए -17 (i)	चूकदार स्थापनाओं का विवरण - ₹ 50 लाख या उससे अधिक (छूट प्राप्त)	174
परिशिष्ट ए -17 (ii)	₹ एक करोड़ तथा अधिक की चूककर्ता स्थापनाओं की सूची (छूट प्राप्त क्षेत्र)	175-178

Appendix A-5(v)	Zone wise (Region-wise) position and concentration - Exempted establishment	129
Appendix A-5(vi)	Concentration of Establishment & Members (Exempted Sector)	130
Appendix A-6 (i)	Assessed Arrears under EPF Scheme (Unexempted Sector)	131
Appendix A-6 (ii)	Assessed Arrears under EPS'95 (Unexempted Sector)	132
Appendix A-6 (iii)	Assessed Arrears under EDLI scheme (Unexempted Sector)	133
Appendix A-6 (iv)	Bifurcation of demand in Public, Private and Cooperative Sector- Unexempted-Sector (all three Scheme)	134
Appendix A-7 (i)	Summary of Defaulting Establishments - ₹ 50 lac and above (Unexempted - Sector)	135
Appendix A-7 (ii)	List of Defaulting Establishments above ₹ one cr. (Unexempted Sector)	136-157
Appendix A-8 (i)	Initiation and disposal of Assessment Cases under section 7A of the Act	158
Appendix A-8 (ii)	Periodicity of the pending 7A cases	159
Appendix A- 9	Interest accrued on dues under section 7Q of the Act	160
Appendix A-10	Levy of damages u/s 14 B in respect of all three Schemes (Unexempted Sector)	161
Appendix A-11(i)	Recovery Certificates in respect of (A/C no.1) under Employees' Provident Fund Scheme, 1952 (Unexempted Sector)	162
Appendix A-11(ii)	Recovery Certificates in respect of (A/C no.10) under Employees' Pension Scheme, 1995 (Unexempted Sector)	163
Appendix A-11(iii)	Recovery Certificates in respect of (A/C no.21) under Employees Deposit Linked Insurance Scheme-1976 (Unexempted Sector)	164
Appendix A-12 (i)	Prosecution Cases under section 14 of the Act (EPF Scheme) - Unexempted Sector	165
Appendix A-12 (ii)	Prosecution Cases under section 14 of the Act (Pension Scheme)-Unexempted Sector	166
Appendix A-12 (iii)	Prosecution Cases under section 14 of the Act(EDLI Scheme) -Unexempted Sector	167
Appendix A-13 (i)	Cases before the Police Authorities under section 406/409 of IPC (Unexempted Sector)	168
Appendix A-13 (ii)	Cases before various Courts under section 406/409 of IPC (Unexempted Sector)	169
Appendix A-14	Status of Attachment of Property/ Arrest of Defaulters (Unexempted Sector)	170
Appendix A-15 (i)	Total Arrears (Exempted Sector)	171
Appendix A -15 (ii)	Major portion of Arrears (Exempted Sector)	172
Appendix A-16	Bifurcation of Arrears in Public and Private Sector (Exempted)	173
Appendix A-17 (i)	Summary of Defaulting Establishments - ₹ 50 lac and above (Exempted)	174
Appendix A-17 (ii)	List of Defaulting Establishment above ₹ 1 cr. (Exempted Sector)	175-178

परिशिष्ट ए -18	अनिवेशित राशि (छूट प्राप्त स्थापनाएं)	179
परिशिष्ट ए -19 (i)	सर्वोच्च न्यायालय के मामलों की स्थिति	180
परिशिष्ट ए -19 (ii)	उच्च न्यायालयों के मामलों की स्थिति	181
परिशिष्ट ए -19 (iii)	जिला न्यायालयों के मामलों की स्थिति	182
परिशिष्ट ए -19 (iv)	राष्ट्रीय आयोग के मामलों की स्थिति	183
परिशिष्ट ए -19 (v)	राज्य आयोग के मामलों की स्थिति	184
परिशिष्ट ए -19 (vi)	जिला उपभोक्ता फोरम के मामलों की स्थिति	185
परिशिष्ट ए -19 (vii)	कैट मामलों की स्थिति	186
परिशिष्ट ए -19 (viii)	क.भ.नि.सं. अपीलीय अधिकरण मामलों की स्थिति	187
परिशिष्ट ए -20 (i)	तीनों योजनाओं में अंशदान एवं भुगतान (2014-15)	188
परिशिष्ट ए -20 (ii)	तीनों योजनाओं में अंशदान एवं भुगतान (2013-14)	189
परिशिष्ट ए -20 (iii)	तीनों योजनाओं में अंशदान एवं भुगतान (2012-13)	190
परिशिष्ट ए -21	वर्ष 1952 से क.भ.नि. मासिक चालू शेष पर ब्याज की दर	191
Appendix A-22	क्षेत्रीय कार्यालय, उप क्षेत्रीय कार्यालय, जिला कार्यालय तथा सेवा केन्द्रों की सूची	192-196
परिशिष्ट ए -23 (i)	नाटरस में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण	197
परिशिष्ट ए -23 (ii)	आंचलिक तथा उप आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण	198
परिशिष्ट ए -24 (i)	ग्रुप 'ए' अधिकारियों की स्वीकृत एवं वर्तमान संख्या	199
परिशिष्ट ए -24 (ii)	ग्रुप 'बी' अधिकारियों की स्वीकृत एवं वर्तमान संख्या	200
परिशिष्ट ए -24 (iii)	ग्रुप 'सी' एवं 'डी' कर्मचारियों की स्वीकृत एवं वर्तमान संख्या	201
परिशिष्ट ए -24 (iv)	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के स्टाफ पेंशनभोक्ताओं तथा परिवार पेंशनभोक्ताओं की संख्या	202
परिशिष्ट ए -24 (v)	आयोजित परीक्षाएं/की गई - अनुवर्ती कार्रवाई	203
परिशिष्ट ए -24 (vi)	ग्रुप - "ए" अधिकारी (क.भ.नि.सं.) के पदनाम	204
परिशिष्ट ए -24 (vii)	ग्रुप - "बी" अधिकारी (क.भ.नि.सं.) के पदनाम	205
परिशिष्ट ए -24 (viii)	ग्रुप - "सी" स्टाफ (क.भ.नि.सं.) के पदनाम	206
परिशिष्ट ए -25	वर्ष 2013-2014 के लिए उत्पादकता सहबद्ध बोनस	207
परिशिष्ट ए -26	जन सूचना	208
परिशिष्ट ए -27(i)	आंतरिक लेखापरीक्षा दलों के लंबित पैरा का विवरण	209
परिशिष्ट ए -27(ii)	लेखा परीक्षकों (ए.जी.) के लंबित पैरा	210

Appendix A-18	Amount remaining Un-invested (Exempted Establishment)	179
Appendix A-19 (i)	Status of Supreme Court Cases	180
Appendix A-19 (ii)	Status of High Court Cases	181
Appendix A-19 (iii)	Status of District Court Cases	182
Appendix A-19 (iv)	Status of National Commission Cases	183
Appendix A-19 (v)	Status of State Commission Cases	184
Appendix A-19 (vi)	Status of District Consumer Forum Cases	185
Appendix A-19 (vii)	Status of CAT Cases	186
Appendix A-19 (viii)	Status of EPFO Appellate Tribunal Cases	187
Appendix A-20 (i)	Contribution and Payment of all three Schemes (2014-15)	188
Appendix A-20 (ii)	Contribution and Payment of all three Schemes (2013-14)	189
Appendix A-20 (iii)	Contribution and Payment of all three Schemes (2012-13)	190
Appendix A-21	Rate of interest on EPF balances on monthly running balance since 1952 onwards	191
Appendix A-22	List of Regional Offices, Sub- Regional Offices, District Offices and Service Centres	192-196
Appendix A-23 (i)	Details of training programmes conducted by National Academy	197
Appendix A-23 (ii)	Detail of the Training Programmes conducted by the ZTIs and sub-ZTI	198
Appendix A-24 (i)	Sanctioned and In-position strength of Group A Officers	199
Appendix A-24 (ii)	Sactioned and In-position strength of Group B Officers	200
Appendix A-24 (iii)	Sanctioned and In-position strength of Group C & D Official	201
Appendix A-24 (iv)	Staff Pensioners and Family Pensioners of EPFO	202
Appendix A-24 (v)	Exams held/ follow – up action taken	203
Appendix A-24 (vi)	Designation of Group - "A" Officer (EPFO)	204
Appendix A-24 (vii)	Designation of Group - "B" Officer (EPFO)	205
Appendix A-24 (viii)	Designation of Group - "C" Staff (EPFO)	206
Appendix A-25	Productivity linked bonus for the year 2013-2014	207
Appendix A-26	Public Information	208
Appendix A-27(i)	Outstanding Paras of Internal Audit Parties	209
Appendix A-27(ii)	Outstanding Paras of A.G	210

परिशिष्ट ए -28(i)	निवेश के लिए अंकित मूल्य पर श्रेणीवार निवेश एवं ब्याज अर्जन क.भ.नि. (कर्मचारी भविष्य निधि) लेखा संख्या – 5	211
परिशिष्ट ए -28(ii)	निवेश के लिए अंकित मूल्य पर श्रेणीवार निवेश एवं ब्याज अर्जन क.पें.यो (कर्मचारी पेंशन योजना) लेखा संख्या – 11	212
परिशिष्ट ए -28(iii)	निवेश के लिए अंकित मूल्य पर श्रेणीवार निवेश एवं ब्याज अर्जन (क.सह.नि.बी.यो.) लेखा संख्या – 25	213

Appendix A-28(i)	Category-wise Investment at face value & interest earnings EPF(Employees Provident Fund) A/C -5	211
Appendix A-28(ii)	Category-wise Investment at face value & interest earnings EPS(Employees Pension Scheme) A/C -11	212
Appendix A-28(iii)	Category-wise Investment at face value & interest earning EDLI(Employees Deposit Linked Insurance Scheme) A/C.-25	213

संक्षिप्त रूप

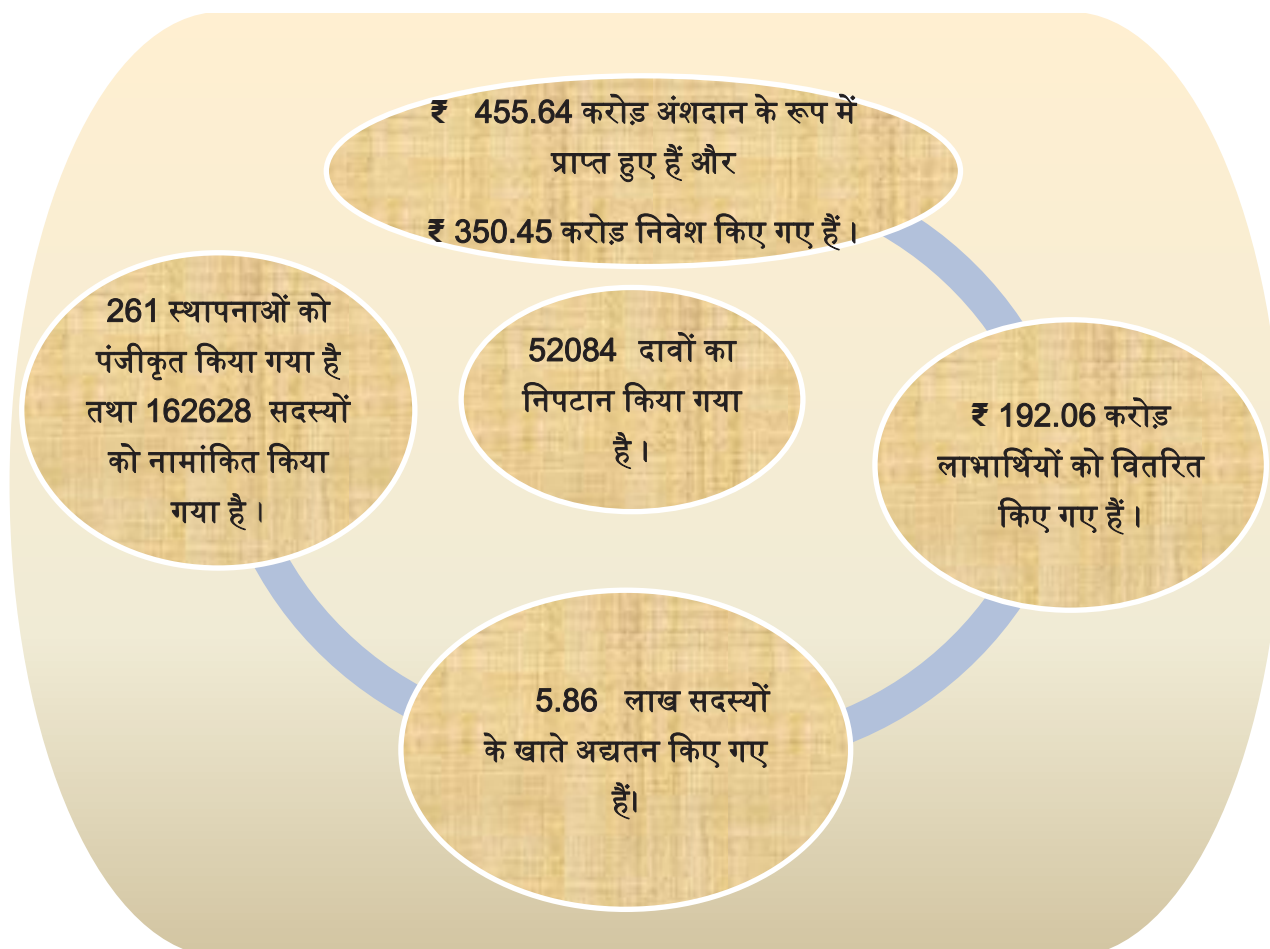
संक्षिप्त रूप	शब्द
अधिनियम	कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952
अ.के.भ.नि.आ.	अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त
स.नि.	सहायक निदेशक
स.भ.नि.आ.	सहायक भविष्य निधि आयुक्त
के.सरकार	केन्द्रीय सरकार
बोर्ड	केन्द्रीय न्यासी बोर्ड
के.भ.नि.आ.	केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त
करोड़.	करोड़
ग्रा.से.प्र.	ग्राहक सेवा प्रभाग
सी.ई.सी.ए.	व्यापक आर्थिक सहकारी करार
डी.ई.	चूककर्ता स्थापना
डी.ए.	महंगाई भत्ता
उ.नि.	उप निदेशक
क.भ.नि.सं.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
क.भ.नि.अपी.अधि.	कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय अधिकरण
छूट	छूट
वि. एवं ले.	वित्त एवं लेखा
वि.ले. एवं मु.ले.अधि.	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी
परिवार पेंशन योजना	कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971
भा.स.	भारत सरकार
मुख्या.	मुख्यालय
आई.एम.सी.	निवेश की निगरानी प्रकोष्ठ
बीमा निधि	कर्मचारी सहबद्ध बीमा निधि
बीमा योजना	कर्मचारी सहबद्ध बीमा योजना, 1976
आई.आर.	तत्काल वसूलनीय
आई.डब्ल्यू.	अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक
ला.	लाख
श्र. एवं. रो.मंत्रा.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
नाटरस	राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण अकादमी
एन.आई.आर.	तत्काल अवसूलनीय
लो.शि.	लोक शिकायत
पेंशन निधि	कर्मचारी पेंशन निधि
पेंशन योजना	कर्मचारी पेंशन योजना, 1995
ज.स.अधि.	जनसंपर्क अधिकारी
भविष्य निधि	कर्मचारी भविष्य निधि
पी.एस.एफ.आई.	सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान
आर.एफ.डी.	परिणाम रूपरेखा दस्तावेज
क्षे.का.	क्षेत्रीय कार्यालय
क्षे.भ.नि.आ.-I/ क्षे.भ.नि.आ.-II	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त
आर.आर.सी.	राजस्व वसूली प्रमाण पत्र
एस.सी.	अनुसूचित जातियों
योजना	कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952
एस.डी.एस.	विशेष जमा योजना
उ.क्षे.का.	उप क्षेत्रीय कार्यालय
सा.सु.स.	सामाजिक सुरक्षा सहायक
अछूट	अछूट प्राप्त
यू./एस.	धारा के अंतर्गत
सत.	सतर्कता
आं.का.	आंचलिक कार्यालय
आं.प्र.सं.	आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान

ABBREVIATIONS

Abbreviations	Words
Act	Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952
Addl CPFC	Additional Central Provident Fund Commissioner
AD	Assistant Director
APFC	Assistant Provident Fund Commissioner
AVS	Administrative Vigilance Section
CG	Central Government
Board	Central Board of Trustees
BIFR	Board for Industrial and Financial Reconstruction
CPFC	Central Provident Fund Commissioner
CR	Crore
CSD	Customer Service Division
CECA	Comprehensive Economic Co-operative Agreement
DE	Defaulting Establishments
DA	Dearness Allowance
Dir (Vig.)	Director (Vigilance)
DD	Deputy Director
Asstt. Dir (Vig.)	Assistant Director (Vigilance)
EPFO	Employees' Provident Fund Organisation
EPFAT	Employees' Provident Fund Appellate Tribunal
EX	Exempted
F & A	Finance and Accounts
FA & CAO	Financial Advisor & Chief Accounts Officer
Family Pension Scheme	Employees' Family Pension Scheme, 1971
GOI	Government of India
HQ	Headquarters
IMC	Investment Monitoring Cell
Insurance Fund	Employees' Deposit Linked Insurance Fund
Insurance Scheme	Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976
IR	Immediately Realisable
IW	International Workers
LAC	Lakh
MoL&E	Ministry of Labour & Employment
NATRSS	National Academy for Training and Research in Social Security
NIR	Not Immediately Realisable
PG	Public Grievances
Pension Fund	Employees' Pension Fund
Pension Scheme	Employees' Pension Scheme, 1995
PRO	Public Relations Officer
Provident Fund	Employees' Provident Fund
PSFI	Public Sector Financial Institutions
RFD	Results- Framework Document
RO	Regional Office
RPFC-I	Regional Provident Fund Commissioner, Grade-I
RPFC-II	Regional Provident Fund Commissioner, Grade-II
RRC	Revenue Recovery Certificate
SC	Scheduled Castes
Scheme	Employees' Provident Fund Scheme, 1952
SDS	Special Deposit Scheme
SRO	Sub- Regional Office
SSA	Social Security Assistant
UN-EX	Unexempted
U/S	Under Section
VIG	Vigilance
ZO	Zonal Office
ZTI	Zonal Training Institute

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में एक औसत दिन *

{* वर्ष 2014-15 के आंकड़ों पर आधारित एक दिन का औसत - (250 कार्य दिवस)}



• प्राप्त जनशिकायतें *

720

• जनशिकायतें प्रतिदिन निपटाई गई **

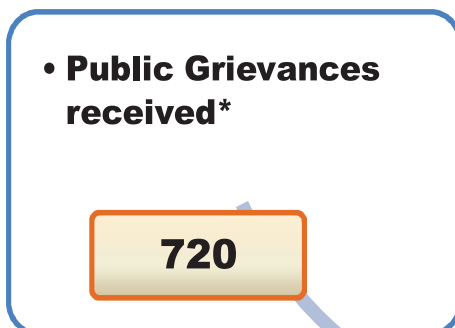
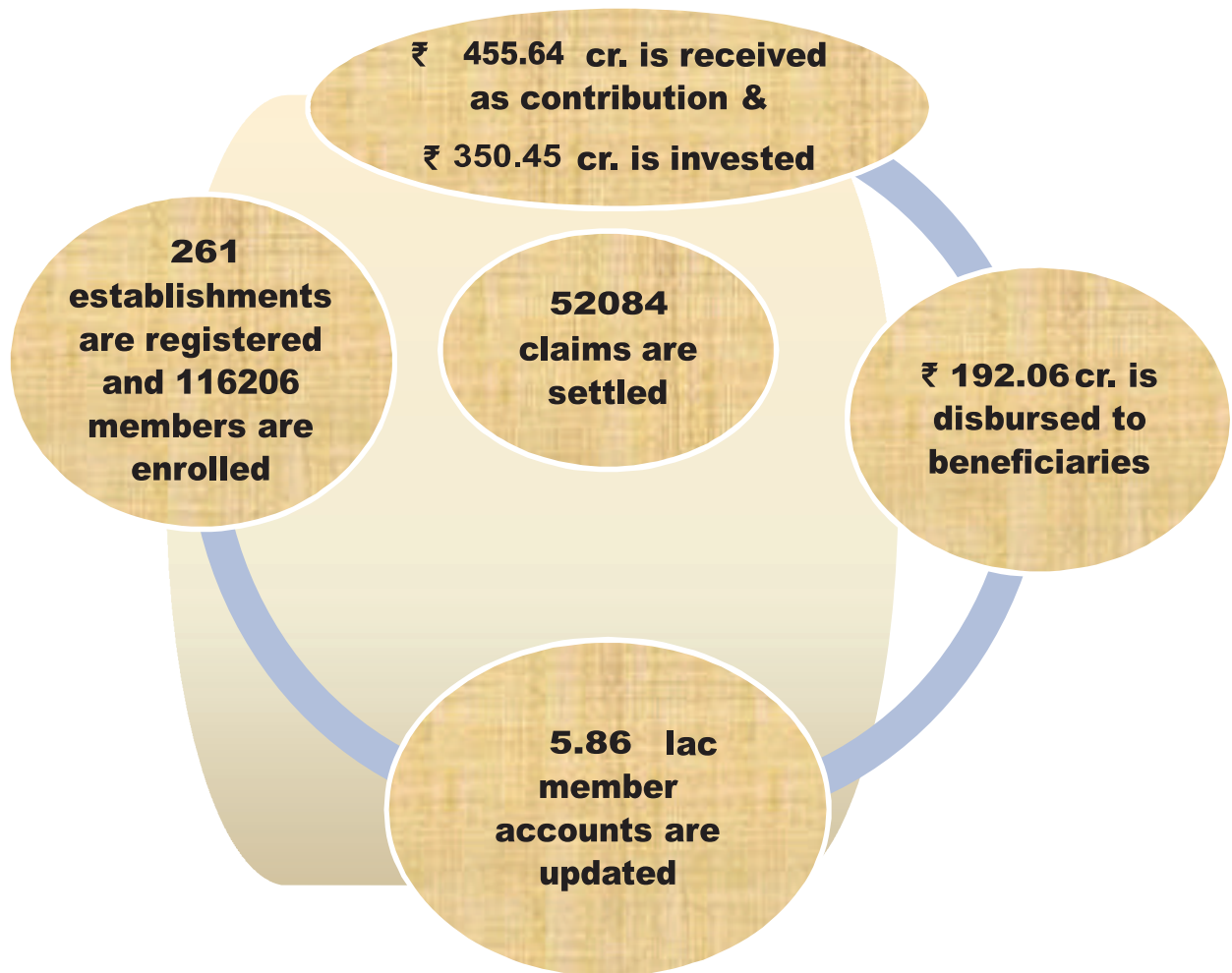
729

* वर्ष के दौरान

** पिछले वर्ष की लंबित शिकायतों के अंत शेष सहित।

AN AVERAGE DAY IN EPFO*

{* One day average based on the figures for the year 2014-15 - (250 working days)}



*During the year

**including Closing Balance of pending grievance of previous year

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

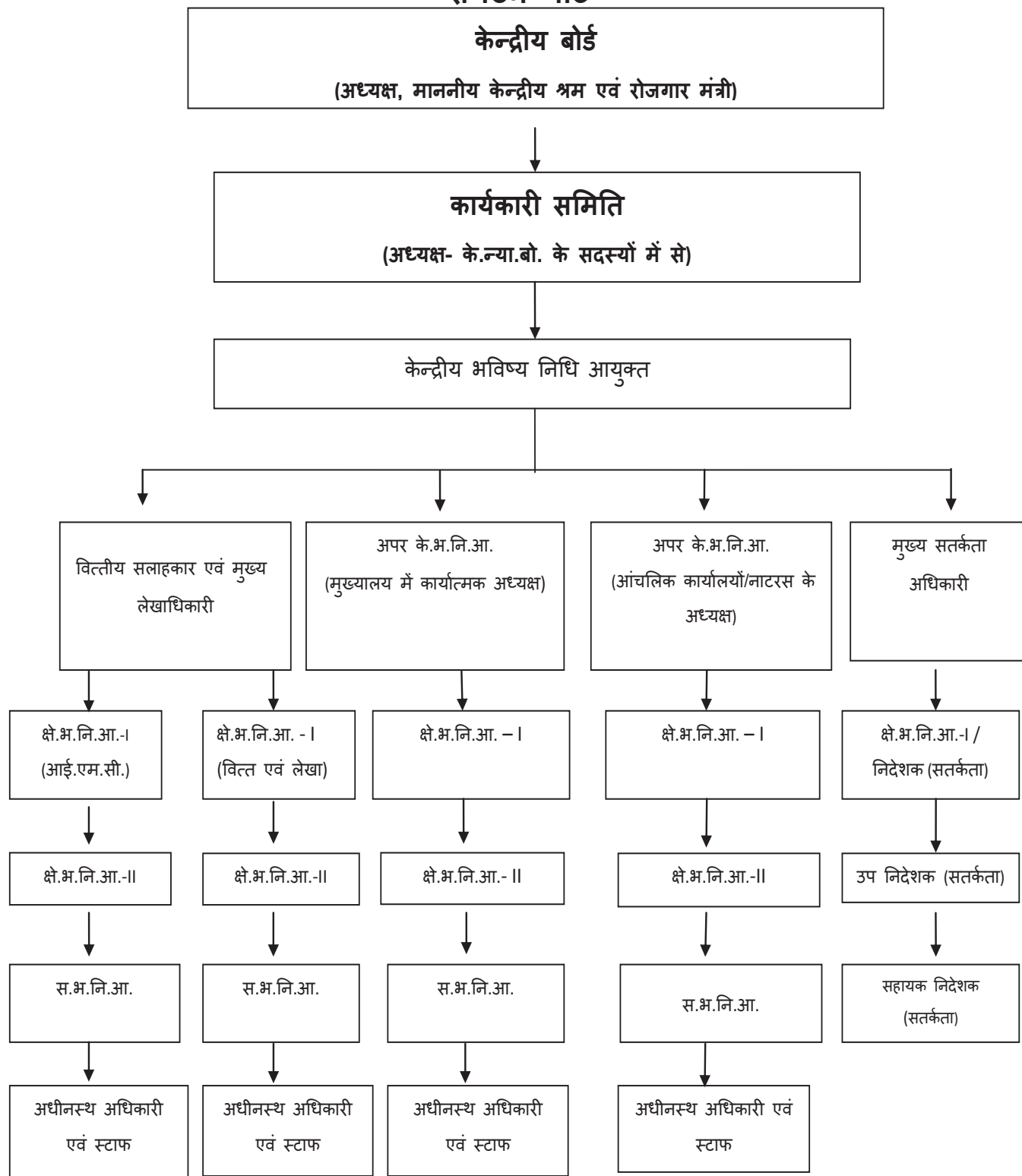
- ❖ कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 का प्रशासन करता है।
- ❖ क.भ.नि.सं. विश्व के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा प्रदानकर्त्ताओं में से एक है।
- ❖ अधिनियम उन परिभाषित उद्योगों पर लागू है, जिनमें 20 अथवा अधिक कर्मचारी नियोजित हैं।
- ❖ क.भ.नि.सं. द्वारा चलाई जा रही तीन योजनाएं भविष्य निधि, पेंशन एवं बीमा हैं।
- ❖ स्थापनाओं को वैधानिक रूप से उन सभी कर्मचारियों के संबंध में अनुपालन करना होता है, जो ₹ 15,000 प्रतिमाह (01.09.2014 से प्रभावी) तक वेतन प्राप्त कर रहे हैं।
- ❖ भविष्य निधि एक परिभाषित अंशदान योजना है, जिसमें नियोक्ता एवं कर्मचारी दोनों अनिवार्यतः अपना-अपना अंशदान करते हैं।
- ❖ “परिभाषित अंशदान” एवं “परिभाषित लाभ” से पेंशन योजना बनी है। कर्मचारियों को इस योजना में अंशदान नहीं देना होता है।
- ❖ बीमा एक निक्षेप सहबद्ध योजना है, जो कर्मचारियों को बिना किसी अंशदान के ₹ 3,60,000/- (01.09.2014 से प्रभावी) तक के लाभ प्रदान करती है।

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

- ❖ **Administers the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952**
- ❖ **EPFO is one of the world's largest social security providers.**
- ❖ **The Act applies to defined class of industries employing 20 or more employees.**
- ❖ **Three Schemes run by EPFO are related to Provident Fund, Pension, and Insurance.**
- ❖ **The establishments are required to statutorily comply in respect of all their employees drawing wages upto ₹ 15,000 per month (w.e.f 01.09.2014).**
- ❖ **Provident Fund is based on a defined contribution scheme where both the employees and the employers contribute their mandated share.**
- ❖ **A mix of "defined contribution" and "defined benefit" forms the Pension Scheme. The employees do not have to contribute to this scheme.**
- ❖ **Insurance Scheme is a deposit linked Scheme that provides for benefits up to ₹ 3,60,000/- (w.e.f 01.09.2014) without any contribution from employees.**

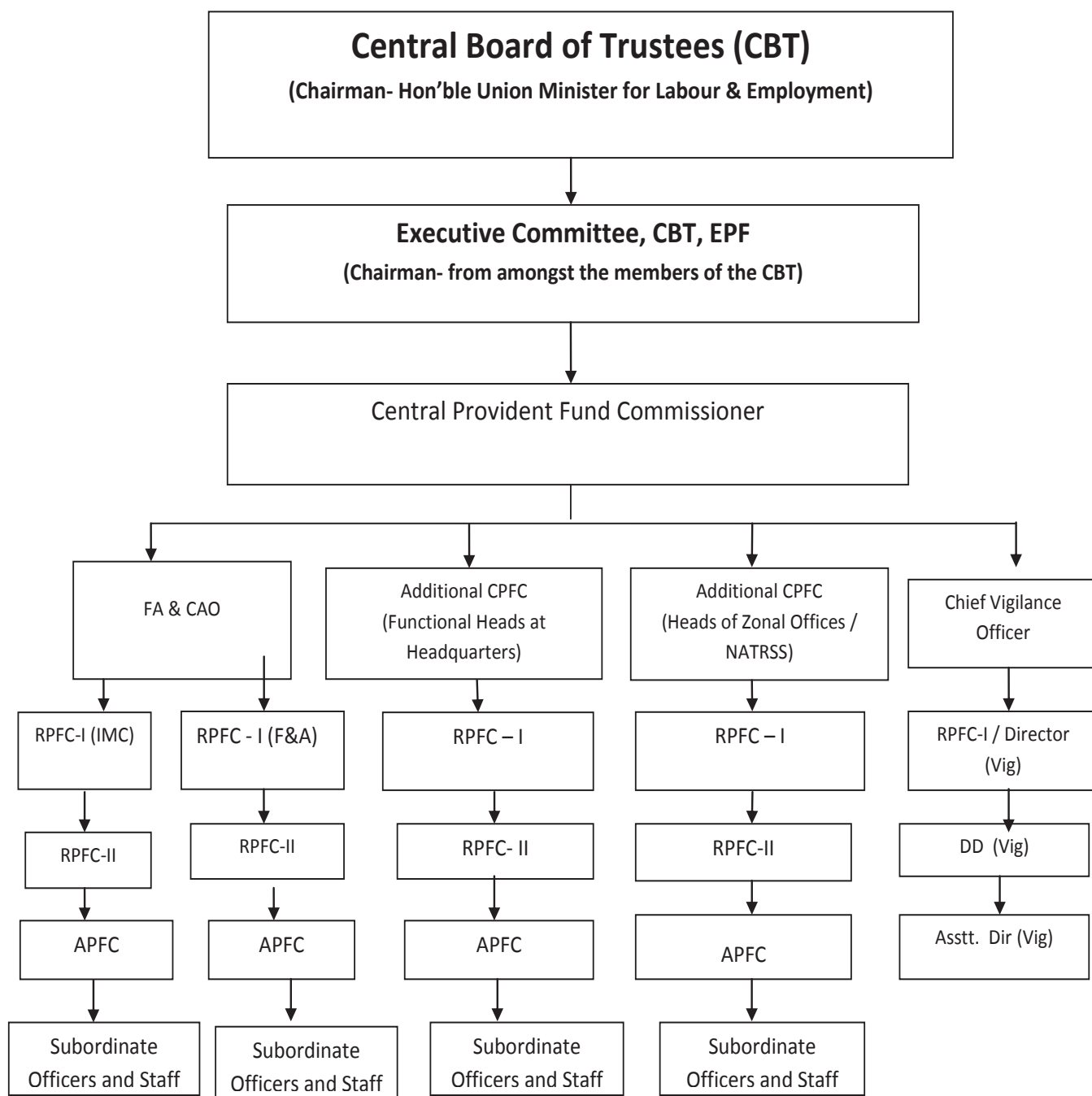
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

संगठन चार्ट



EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

ORGANISATION CHART



अध्याय 1

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

1.1 औद्योगिक कामगारों को उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् भविष्य के लिए अथवा उनकी असामयिक मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रितों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार प्रयासरत रही है। कुछ निजी कंपनियों के भविष्य निधि को विनियमित करने के लिए वर्ष 1925 में पारित किए गए प्रथम भविष्य निधि अधिनियम का कार्यक्षेत्र सीमित था। वर्ष 1929 में, श्रम मामलों पर रॉयल कमीशन द्वारा औद्योगिक कामगारों के लिए भविष्य निधि स्थापित करने के लिए योजनाएं बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। 13 वर्षों के उपरांत, इस विषय पर श्रम मंत्रियों के तीसरे सम्मेलन में चर्चा की गई जहां इस मामले पर पुनर्विचार किया गया तथा इस प्रस्ताव को सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया गया। यह सिफारिश की गई कि इस प्रकार की निधि को स्वैच्छिक आधार पर स्थापित किया जाए। बाद में केन्द्र सरकार से यह सिफारिश की गई कि वह इसके प्रबंध के लिए मॉडल नियम बनाए तथा नियोक्ता इन्हें अपनाकर भविष्य निधि स्थापित करें। ये मॉडल नियम औद्योगिक स्थापनाओं में नियोक्ताओं में 1945 में परिचालित किए गए। कुछ प्रगतिशील नियोक्ताओं ने आगे बढ़कर तीन लाख कामगारों के लाभ हेतु स्वैच्छिक भविष्य निधियां स्थापित कीं, जबकि सामान्य तौर पर प्रतिक्रिया निराशाजनक रही।

1.2 वर्ष 1947 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन में इस मामले की समीक्षा की गई। यह दोहराया गया कि भारत में वित्तीय एवं प्रशासनिक परिस्थितियों को देखते हुए, पेंशन योजना अथवा ग्रेच्युटी भुगतान जैसा कि औद्योगिक रूप से उन्नत देशों में वृद्धावस्था पेंशन योजना अपनाई गई थी जो कि उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए, भारत में प्रारंभ करना संभव नहीं था, के स्थान पर अंशदायी भविष्य निधि योजना अपनाई जा सकती है। ग्रेच्युटी योजना में प्रमुख कठिनाई यह महसूस की गई कि इसमें कामगार अथवा आश्रितों को दी जाने वाली बहुत कम राशि देखते हुए, सबसे उचित हल अनिवार्य अंशदायी भविष्य निधि को स्थापित करना माना गया, जिसमें कामगार तथा नियोक्ता दोनों अंशदान करेंगे। इस प्रकार की योजना के अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित लाभ होंगे :-

- i) इससे कामगारों में बचत की भावना उत्पन्न होगी।
- ii) इससे श्रम शक्ति के स्थिरीकरण में मदद मिलेगी।

1.3 एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार मामले पर वर्ष 1948 में संपन्न भारतीय श्रम सम्मेलन के 10 वें सत्र में विचार-विमर्श किया गया। सामान्य रूप में इस पर सहमति बनी कि औद्योगिक कामगारों के लिए एक सांविधिक भविष्य निधि योजना को आरंभ किया जाए।

1.4 सीमित क्षेत्र में इस प्रकार की योजना का परीक्षण करने के लिए वर्ष 1948 में कोयला खान भविष्य निधि योजना प्रारंभ की गई। इस योजना की सफलता से इसे अन्य उद्योगों में विस्तारित किए जाने की मांग की गई। वर्ष 1949 में जब अन्य औद्योगिक कामगारों के लिए भविष्य निधि स्थापित करने के लिए एक गैर आधिकारिक विधेयक केन्द्रीय विधानसभा में प्रस्तुत किया गया, तो तत्कालीन केन्द्रीय श्रम मंत्री ने एक शपथपत्र दिया कि इस विषय पर सदन में एक व्यापक विधेयक लाया जाएगा। नवम्बर, 1950, में श्रम मामलों की स्थायी समिति में इस विषय पर गहन चर्चा हुई जहां विशेषतः राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के मध्य, सामान्य रूप से यह सहमति थी, कि औद्योगिक निकायों में भविष्य निधि की स्थापना हेतु एक विधान लाया जाए। इस विचार का जनवरी, 1951 में श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में भी समर्थन किया गया।

Chapter 1

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND

ORGANISATION

HISTORICAL PERSPECTIVE

1.1 It has been endeavour of Central Government to provide Social Security to the industrial workers after their superannuation or to their dependents in the event of their pre-mature death. The first Provident Fund Act passed in 1925 to regulate the Provident Fund of some private concerns was limited in its scope. In 1929 the Royal Commission of Labour stressed the need for formulating Scheme to establish to Provident Fund for Industrial Workers. Thirteen years later in the Third Conference of labour ministers, the issue was considered again. The proposal to establish Provident Funds was generally accepted. It was recommended that such fund should be established on the basis of voluntary participation. It was further recommended that the Central Government may frame a model set of rules for management of Provident Fund which may in turn be adopted by the employers for establishing Provident Fund. The model rules were circulated to employers in 1945 for adoption in industrial concerns. Some progressive employers took the initiative to establish voluntary Provident Funds for the benefit of about 3 lac workers but the general response was not encouraging.

1.2 In 1947 the question was reviewed at the Asian Regional Conference of the International Labour Organisation. It was reiterated that in view of the financial and administrative conditions in India, a contributory provident fund scheme was preferable to a scheme of pension or gratuity payments as it would not be possible to introduce the same in India, as adopted in the other industrially advanced countries. The main difficulty felt in a gratuity scheme was that the amount paid to a worker or his dependents would be small as the worker would not himself be making any contribution to the fund. Taking into account the various difficulties, financial and administrative, the most appropriate course considered to be adopted was the institution of compulsory contributory provident fund, in which both workers and employers would contribute. Such a Scheme would have *inter-alia* the following benefits:-

- i) It would inculcate a spirit of thrift among workers
- ii) It would help in stabilisation of the labour force.

1.3 In accordance with the recommendation of the Asian Regional Conference, the matter was discussed at the 10th session of the Indian Labour Conference held in 1948. It was generally agreed that the introduction of a statutory provident fund scheme for industrial workers must be undertaken.

1.4 To test such a scheme in a restricted field, the Coal Mines Provident Fund Scheme was launched in 1948. The success of this Scheme led to the demand for its expansion to other industries was well. In 1949, when a non-official Bill for setting up of provident funds for other industrial workers was introduced in the Central Legislature, the then Union Labour Minister gave an undertaking that a comprehensive Bill on the subject would be placed before the House. The subject was exhaustively discussed at the meeting of the Standing Labour Committee held in November, 1950, where there was general agreement, particularly among the representatives of the State Governments, that a Legislation should be undertaken for instituting provident funds in industrial undertakings. This view was endorsed by the conference of Labour Ministers held in January, 1951.

1.5 इसके कारण, फैक्ट्रियों तथा अन्य स्थापनाओं के लिए भविष्य निधियों का संस्थापन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 नवम्बर, 1951 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा क.भ.नि. अध्यादेश लाया गया जो कि तत्काल प्रभाव में आ गया। यह अध्यादेश जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है।

1.6 कर्मचारी भविष्य निधि विधेयक, 1952 में यथा समाविष्ट उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण नीचे प्रस्तुत है :

- फैक्ट्रियों तथा अन्य स्थापनाओं में कर्मचारियों के लिए भविष्य निधियों की स्थापना का प्रावधान करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि विधेयक, 1952 (1952 का विधेयक संख्या 15) भारतीय संसद में पेश किया गया तथा उसके द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम (इसके पश्चात् अधिनियम) का निर्माण किया गया। उक्त अधिनियम जम्मू तथा कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू था। औद्योगिक कर्मचारी के सेवानिवृत्त हो जाने के पश्चात् उसके अथवा उसकी अकाल मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसके आश्रितों के भविष्य के लिए कुछ व्यवस्थाएं करने का प्रश्न काफी समय से विचाराधीन था। आदर्श तरीका वृद्धावस्था पेंशन अथवा उत्तरजीवी पेंशन के माध्यम से व्यवस्था करना होता, जैसा कि औद्योगिक दृष्टि से उन्नत देशों में किया गया था। परंतु भारत में वर्तमान दशा में पेंशन योजना की स्थापना की कल्पना निकट भविष्य में नहीं की जा सकती। एक और विकल्प निर्धारित सेवावधि के पश्चात् ग्रेच्युटी का प्रावधान हो सकता है तथापि, ग्रेच्युटी योजना की मुख्य खामी कर्मचारी अथवा उसके आश्रितों को छोटी सी राशि मिलना है, क्योंकि कर्मचारी स्वयं तो निधि में कोई अंशदान नहीं कर रहा होगा। विभिन्न वित्तीय एवं प्रशासकीय कठिनाईयों पर विचार करते हुए सबसे अधिक उपयुक्त मार्ग अनिवार्य अंशदायी भविष्य निधियों की स्थापना प्रतीत होता है, जिसमें कर्मचारी व नियोक्ता दोनों ही अंशदान करेंगे। अन्य फायदों के अतिरिक्त, कर्मचारियों के बीच नियमित रूप से कुछ बचाने की भावना विकसित करना सुस्पष्ट है। इस प्रकार की भविष्य निधि की स्थापना से औद्योगिक केन्द्रों में स्थिर श्रम शक्ति के सुदृढ़ होने को बढ़ावा मिलेगा।
- औद्योगिक उपक्रमों में अनिवार्य अंशदायी भविष्य निधि की स्थापना के लिए कानून निर्माण के विषय पर कई बार त्रिपक्षीय बैठकों में चर्चा हुई, जिनमें केन्द्र तथा राज्य सरकारों के तथा नियोक्ताओं व कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बात पर व्यापक सहमति बनी कि ऐसा कानून होना चाहिए। आगे, इस विषय पर एक गैर सरकारी विधेयक 1948 में केन्द्रीय विधानमंडल में पेश किया गया, जिसे इस आश्वासन पर वापस ले लिया गया कि सरकार स्वयं एक व्यापक विधेयक पेश करने पर जल्दी ही विचार करेगी। इस मत का, कि प्रस्तावित कानून बनाया जाना चाहिए, समर्थन अंत में जनवरी, 1951 में संपन्न प्रांतीय श्रम मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा कर दिया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय होगा कि कोयला खदानों के कर्मचारियों के लिए, जिनमें 8,00,000 व्यक्ति सम्मिलित हैं एक सांविधिक अंशदायी भविष्य निधि पहले से ही अस्तित्व में है। यह लगभग पांच वर्षों से लागू है तथा संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है।
- विधेयक में पहले तो अधिनियम की अनुसूची में वर्णित छः प्रमुख संगठित उद्योगों में, जिनमें केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय अधिकरण के स्वामित्व वाले उपक्रम शामिल नहीं हैं, अंशदायी भविष्य निधियों की स्थापना का प्रावधान है। इस बात का भी प्रावधान है जिससे केन्द्र सरकार को अधिसूचना द्वारा इस अनुसूची में अन्य उद्योगों को शामिल करने का तथा पचास से कम कर्मचारियों वाले औद्योगिक उपक्रमों पर इस अधिनियम को लागू करने का अधिकार प्राप्त है।

1.5 This led to the promulgation of the Employees' Provident Funds Ordinance, 1951 by the President of India on the 15th November, 1951 with a view to provide for the institution of provident funds for employees in factories and other establishments. The ordinance which came to force at once, was to extend to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.

1.6 THE STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS AS CONTAINED ARE VERBATIM IN THE EMPLOYEES' PROVIDENT FUNDS BILL, 1952:

- *The Employees' Provident Funds Bill, 1952 (Bill No. 15 of 1952) was introduced in Parliament of India to provide for the institution of provident funds for employees in factories and other establishments and thereby the Employees' Provident Fund Act, 1952 (Act, hereinafter) was enacted. The extent of the said Act was whole of India except the State of Jammu and Kashmir. The question of making some provisions for the future of industrial worker after he retires or for his dependents, in case of his early death had been under consideration for some years. The ideal way would have been provision through old age and survivors pensions as had been done in the industrially advanced countries. But in the prevailing condition in India, the institution of a pension scheme cannot be visualised in the near future. Another alternative may be for provision of gratuities after a prescribed period of service. The main defect of the gratuity scheme, however, is that the amount paid to a worker or his dependents would be small, as the worker would not himself be making any contribution to the fund. Taking into account the various difficulties, financial and administrative, the most appropriate course appears to be the institution of compulsory contributory provident funds in which both worker and the employer would contribute. Apart from other advantages, there is the obvious one of cultivating among the workers a spirit of saving something regularly. The institution of a provident fund of this type would also encourage the stabilization of a steady labour force in industrial centres.*
- *The subject of legislation for institution of compulsorily contributory provident funds in industrial undertakings was discussed several times at tripartite meetings in which representatives of the Central and State Governments and of employers and workers took part. A large measure of agreement was reached that there should be such legislation. Further, a non-official Bill on this subject was introduced in the Central Legislature in 1948 and was withdrawn only on an assurance given that Government itself would soon consider the introduction of a comprehensive Bill. The view that the proposed legislation should be under taken was lastly endorsed by the Conference of Provincial Labour Minister held in January, 1951. It may be added that a statutory Contributory Provident Fund already exists for workers in coal mines, covering about 8,00,000 persons. This has been in operation for about five years and is working very satisfactorily.*
- *The Bill provides for institution, in the first instance, of contributory provident funds in the six major organised industries named in Schedule I of the Act, except undertakings owned by the Central or a State Government or by a local authority. There is also a provision empowering the Central Government to add, by notification, other industries to the Schedule or to apply the Act to industrial undertakings employing less than fifty persons.*

- नई स्थापनाओं को कठिनाई से बचाने के लिए उन्हें तीन वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करने का उपबंध बनाया गया तथा यही छूट तीन वर्ष से कम पुरानी अन्य स्थापनाओं को भी प्रदान की गई जब तक कि उनके प्रचालन को तीन वर्ष न हो जाएं। अंशदान की दर श्रमिक की कुल परिलब्धियों का 6 ¼ प्रतिशत होगी। श्रमिक तथा नियोक्ता दोनों इस राशि का अंशदान करेंगे। आगे, योजना में श्रमिकों को, उनके मतानुसार अधिक अंशदान के भुगतान के लिए समर्थ किया गया।
- जहां निजी उद्योगों में भविष्य निधि विद्यमान था वहां प्रायः मूल वेतन का कुछ प्रतिशत अंशदान किया जाता था। सरकारी विभागों को देखते हुए निजी उद्योगों में वेतन इतने नहीं है तथापि समझदारी से देखा जाए तो एक ही उद्योग की अलग-अलग यूनिटों में भी मूल वेतन के स्तर में भारी अंतर है। यदि अंशदान की गिनती केवल मूल वेतन के आधार पर की जाती तो प्राप्त लाभ की मात्रा में भारी अंतर देखने को मिलता। यह श्रमिकों के साथ विश्वासघात होता तथा उनके नियोक्ताओं के लिए भी सजा होता जो वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप मूल वेतन दे रहे हैं। सरकार ने माना की डी.ए. परिवर्तनीय कारक है जो रहन-सहन की लागत पर निर्भर करता है। इन बताए गए कारणों के बावजूद, सरकार संतुष्ट है कि भविष्य निधि में मूल वेतन जमा डी.ए. के आधार पर अंशदान किया जाए। इससे किसी भी रूप में यह नहीं माना जाना चाहिए कि वर्तमान दरों पर दिया जा रहा डी.ए. स्थायी उपाय के रूप में जाना जाए।
- निधि से संबंधित ज्यादातर विवरण योजना के अनुरूप निपटाए जाएंगे जिनका केन्द्र सरकार द्वारा एकरूपता की दृष्टि से निधिकरण किया जाएगा। इनका प्रशासन, विशाल मात्रा को देखते हुए राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले उपक्रमों के संबंध में विकेन्द्रित किया जाएगा।
- जहां भविष्य निधि एक समान अथवा ज्यादा लाभदायी है, वहां कामगारों के हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ सुरक्षा उपाय के उपबंध किए गए हैं।
- यह विधेयक जब 15 नवम्बर, 1951 को उसी रीति से अध्यादेश के रूप में प्रवर्तित किया जाएगा तब इसे निरस्त करके पुनः बनाया जाएगा।

1.7 15 नवम्बर, 1951 को लागू हुए अध्यादेश के स्थान पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 4 मार्च, 1952 लागू हुआ। अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत निर्मित योजना कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के विभिन्न चरणों में लाई गई तथा इसे संपूर्ण रूप में 1 नवम्बर, 1952 को लागू किया गया। योजना के निर्माण से अधिनियम की कई कमियां सामने आईं जैसे कि :-

- i) छूट प्राप्त स्थापनाओं के निरीक्षण के प्रावधान का अभाव ,
- ii) इस प्रकार की स्थापनाओं से देयों की वसूली ,
- iii) नुकसानी का भुगतान आदि।

इनमें सुधार हेतु, 14 सितम्बर, 1952 को राज्यों की परिषद में संशोधित बिल प्रस्तुत किया गया। चूंकि कुछ संशोधनों को तुरंत क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता थी और क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) बिल संसद के उस सत्र के दौरान पारित नहीं किया जा सका, एक संशोधित अध्यादेश लागू किया गया जिसके स्थान पर बाद में कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) अधिनियम, 1953 लाया गया जिसे 12 दिसम्बर, 1953 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई।

1.8 औद्योगिक वातावरण तथा आवश्यकताओं में हुए परिवर्तनों को देखते हुए, इस अधिनियम में कई परिवर्तन किए गए। विभिन्न वर्षों के दौरान निम्नलिखित संशोधन अधिनियम बनाए गए हैं :-

- ***To avoid any hardship to new establishments, a provision has been made for exempting them for a period of three years and similar exemptions are given to other establishments which are less than three years old till they have been in operation for period of three years in all. The rate of contribution will be 6 ¼ per cent of the total emoluments of the worker, the worker and the employer each contributing these amounts. Further, the scheme would empower payment of a higher contribution by the workers at their option.***
- ***Where provident funds exist in private industry, contributions are usually a percentage of the basic wage. Unlike Government Departments, wages in the private industry have not, however, been rationalised and there are very great variations in the level of basic wages in private industry even in different units in the same industry. If contributions are reckoned on the basis of basic wages only, there will, therefore, be wide changes in the degree of benefits received. This will be unfair to the workers and may also penalise those employers who have brought the level of basic wages in accord with current requirements. Government appreciates that DA is a variable factor depending on the cost of living. Nevertheless, for the reasons explained, Government is satisfied that contributions to the Provident Fund should be on the basis of basic wages plus DA. This should not be construed as in any way implying that DAs on the existing rates are to be recognised as a permanent measure.***
- ***Most of the details relating to the Fund will be settled in accordance with a Scheme which, in the interest of uniformity, will be funded by the Central Government. The administration will, to a large extent, be decentralised in regard to undertakings falling within the sphere of State Governments.***
- ***Where provident funds offering equal or more advantageous terms are operating efficiently, provision has been made for them to continue subject to certain safeguards in the interest of works.***
- ***This Bill, when enacted, will repeal and re-enact an Ordinance promulgated on the same lines on the 15th November, 1951.***

1.7 The Ordinance promulgated on the 15th November, 1951 was replaced by the EPF Act, on 4th March 1952. The Scheme framed under section 5 of the Act was brought into force by stages and was enforced in its entirety by the 1st November, 1952. The working of the Scheme brought out certain defects in the Act such as:-

- i) lack of provision for inspection of exempted factories,
- ii) recovery of dues from such factories,
- iii) payment of damages etc.

In order to rectify these defects an amendment Bill was introduced in the Council of States on 14th September, 1952. As some of the amendments necessitated urgent implementation and since the EPF (Amendment) Bill could not be passed during that session of Parliament, an amending Ordinance was promulgated, which was subsequently replaced by the EPF (Amendment) Act, 1953 which received the assent of the President on 12th December, 1953.

1.8 The Act has undergone a number of changes over the years in view of the changing industrial environment and requirements. The following Amendment Acts have been enacted over the years:-

1. कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) अधिनियम, 1953 (1953 का 37 वां)
2. कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) अधिनियम, 1956 (1956 का 94 वां)
3. निरस्तीकरण एवं संशोधी अधिनियम, 1957 (1957 का 36 वां)
4. कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) अधिनियम, 1958 (1958 का 22 वां)
5. कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) अधिनियम, 1960 (1960 का 46 वां)
6. कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) अधिनियम, 1963 (1963 का 28 वां)
7. कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) अधिनियम, 1965 (1965 का 22 वां)
8. श्रम भविष्य निधि कानून (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 का 16 वां)
9. कर्मचारी भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि (संशोधन) अधिनियम, 1973 (1973 का 40 वां अधिनियम)
10. श्रम भविष्य निधि कानून (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 99 वां)
11. प्रदत्त विधायी उपबंध (संशोधन) अधिनियम, 1985 (1986 का चौथा अधिनियम)
12. कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1988 का 33 वां अधिनियम)
13. कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अधिनियम, 1996 (1996 का 25 वां)
14. कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अधिनियम, 1998 (1998 का 10 वां)
15. निरस्तीकरण एवं संशोधन अधिनियम, 2001 (2001 का 30 वां)

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत निर्मित योजनाएं

1.9 अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित तीन योजनाओं का निर्माण किया गया है :-

- (i) कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (क.भ.नि.) – (1 नवम्बर, 1952 से)
- (ii) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (क.पें.यो.) (16 नवम्बर, 1995 से) {परिवार पेंशन योजना, 1971 के स्थान पर}
- (iii) कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 (क.नि.स.बी.यो.) – (1 अगस्त, 1976 से)

1.10 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है, जो कि अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाई गई योजनाओं का प्रशासन करता है।

1.11 तीनों योजनाओं से प्राप्त होने वाले लाभों को नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है :

भविष्य निधि योजना	पेंशन योजना	बीमा योजना
- सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु पर संचय के साथ व्याज। - विनिर्दिष्ट खर्चों, जैसे गृह निर्माण, उच्च शिक्षा, विवाह, बीमारी पर आंशिक निकासी की अनुमति।	- अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति, विकलांगता, पर मासिक पेंशन। - मृतक सदस्य पर आश्रित यथा विधवा/विधुर, बच्चों, माता-पिता/नामिति को मासिक पेंशन। - पूर्व की परिवार पेंशन योजना, 1971 के भागीदारों को पूर्व सेवा लाभ।	- किसी ऐसे कर्मचारी की मृत्यु के मामले में, जो मृत्यु के समय योजना का सदस्य था, को प्रदान किए गए - लाभों में परिवार को पूर्ववर्ती 12 महीनों के दौरान भविष्य निधि खाते के औसत शेष से संबद्ध राशि अथवा सदस्य के अंतिम 12 महीने के ₹ 15000/- ₹ के औसत वेतन का 20 गुणा अथवा अधिकतम ₹ 3,60,000/-, जो भी अधिक हो दिया जाता है।

1. The Employees' Provident Funds (Amendment) Act, 1953 (37 of 1953).
2. The Employees' Provident Funds (Amendment) Act, 1956 (94 of 1956).
3. The Repealing and Amending Act, 1957 (36 of 1957).
4. The Employees' Provident Funds (Amendment) Act, 1958 (22 of 1958).
5. The Employees' Provident Funds (Amendment) Act, 1960 (46 of 1960).
6. The Employees' Provident Funds (Amendment) Act, 1963 (28 of 1963).
7. The Employees' Provident Funds (Amendment) Act, 1965 (22 of 1965).
8. The Labour Provident Fund Laws (Amendment) Act, 1971 (16 of 1971).
9. The Employees' Provident Funds and Family Pension Fund (Amendment) Act, 1973 (Act 40 of 1973).
10. The Labour Provident Fund Laws (Amendment) Act, 1976 (Act 99 of 1976).
11. The Delegated Legislation Provisions (Amendment) Act, 1985 (Act 4 of 1986).
12. The Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions (Amendment) Act, 1988 (Act 33 of 1988).
13. The Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions (Amendment) Act, 1996 (25 of 1996).
14. The Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions (Amendment) Act, 1998 (10 of 1998).
15. The Repealing and Amendment Act, 2001 (30 of 2001).

SCHEMES FRAMED UNDER THE EPF & MP ACT 1952

1.9 Following three Schemes have been framed under the Act:-

- (i) The Employees' Provident Funds Scheme 1952 (EPF) – (w.e.f 1st November, 1952)
- (ii) The Employees' Pension Scheme 1995 (EPS) (w.e.f 16th November, 1995) *{replacing the Employees' Family Pension Scheme 1971}*
- (iii) The Employees' Deposit Linked Insurance Scheme 1976 (EDLI) – (w.e.f. 1st August, 1976)

1.10 The Employees' Provident Fund Organisation, an autonomous body under the MoL&E, Government of India, administers the Act and the Schemes framed thereunder.

1.11 The benefits admissible under each of the three schemes are indicated in the table below:

Provident Fund Scheme	Pension Scheme	Insurance Scheme
Accumulation plus interest upon retirement, resignation, death.	Monthly pension for members on superannuation/retirement, disability.	The benefit provided in case of death of an employee who was member of the scheme at the time of the death.
Partial withdrawals allowed for specific expenses such as house construction, higher education, marriage, illness etc	- Monthly pension for dependants of deceased member viz. widow(er), children, parent/nominee. - Past service benefit to participants of erstwhile Family Pension Scheme, 1971.	The family will get an amount linked to either the average balance in PF account during preceding 12 months or 20 times of the average wages of ₹ 15,000/- of the last 12 months of the member subject to a maximum of ₹ 3,60,000/-, whichever is higher

1.12 क.भ.नि. एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत लाभों के वित्त पोषण तथा प्रशासन के लिए अंशदान की दर (वेतन का %) नीचे दी गई है :-

	अंशदायी लेखे			प्रशासन लेखे		कुल
	क.भ.नि.	क.पें.यो.	क.नि.स.बी.यो.	क.भ.नि.	क.नि.स.बी.यो.	
नियोक्ता	3.67	8.33	0.5	1.10	0.01	13.61
कर्मचारी	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
केन्द्रीय सरकार	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	1.16
कुल	15.67	9.49	0.5	1.10	0.01	26.77

1.13 अतः नियोक्ता एवं कर्मचारी दोनों ही अंशदान खाते में वेतन के 12% की दर से अंशदान करते हैं। पुनः नियोक्ता अधिनियम के अंतर्गत योजना के प्रशासन के लिए भी अंशदान करते हैं।

कुछ श्रेणी की स्थापनाओं के लिए अंशदान की दर 10% है। ये हैं :-

- कोई भी ऐसी स्थापना, जिसमें 20 से कम कर्मचारी कार्यरत हों।
- कोई बीमार औद्योगिक कंपनी जिसे औद्योगिक एवं वित्तीय पुर्ननिमाण बोर्ड द्वारा बीमार घोषित किया गया हो।
- कोई स्थापना जिसने किसी वित्तीय वर्ष के अंत में अपने संपूर्ण शुद्ध मूल्य के बराबर अथवा उससे अधिक घाटा उठाया हो।
- निम्नलिखित उद्योगों में कोई स्थापना :-

(क) जूट (ख) बीड़ी (ग) ईट (घ) कोयर तथा (ङ.) गौर-गम

केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (क.भ.नि.)

गठन

1.14 केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि., कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (वर्ष 1952 का अधिनियम 19) की धारा 5ए के उपबंधों के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय है। यह अधिनियम के तहत रचित तीन योजनाओं को प्रशासित करने वाला त्रिपक्षीय निकाय है। वर्तमान में, माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, भारत सरकार बोर्ड के अध्यक्ष हैं। बोर्ड का कार्यकाल 5 वर्ष है। अधिनियम की धारा 5ए के अनुसार बोर्ड का गठन निम्नानुसार है।

• अध्यक्ष	01
• उपाध्यक्ष	01
• केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त	- 01 सदस्य सचिव (पदेन)
• केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि	- 05
• राज्य सरकार के प्रतिनिधि	- 15
• नियोक्ता के प्रतिनिधि	- 10
• कर्मचारियों के प्रतिनिधि	- 10

1.12 The contribution rates (% of wages) for financing and administering the benefits under the EPF & MP Act, 1952 are given below:-

	CONTRIBUTION ACCOUNTS			ADMINISTRATION ACCOUNTS		TOTAL
	EPF	EPS	EDLI	EPF	EDLI	
EMPLOYER	3.67	8.33	0.50	0.85	0.01	13.36
EMPLOYEE	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
CENTRAL GOVERNMENT	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	1.16
TOTAL	15.67	9.49	0.50	0.85	0.01	26.52

1.13 The employers and employees both contribute @ 12% of wages to the contributory accounts. Further, the employers also contribute towards administration of the Schemes under the Act.

The rate of contribution for certain category of establishments is 10%. These are:-

- Any establishment in which less than 20 employees' are employed.
- Any sick industrial company and which has been declared as such by the Board for Industrial and Financial Reconstruction.
- Any establishment which, at the end of any financial year, has accumulated losses equal to or exceeding its entire net worth and
- Any establishment in following industries:-
(a) Jute (b) Beedi (c) Brick (d) Coir and (e) Guar gum.

CENTRAL BOARD OF TRUSTEES (CBT)

CONSTITUTION

1.14 The Central Board EPF [commonly known as Central Board of Trustees', Employees' Provident Fund or CBT,EPF] is a statutory body constituted by the Central Government under the provisions of section 5A of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act- 1952 (Act 19 of 1952). It is a tripartite body administering the three Schemes framed under the Act. Hon'ble Union Minister of Labour & Employment, Government of India is the Chairman of the Board. The tenure of the Board is for five years. The constitution of the Board as per section 5A of the Act is as under-]

- | | | | |
|---------------------------------------|---|----|-------------------------------|
| • Chairman | | 01 | |
| • Vice Chairman | | 01 | |
| • Central Provident Fund Commissioner | - | 01 | Member Secretary (ex-officio) |
| • Central Government representatives | - | 05 | |
| • State Governments representatives | - | 15 | |
| • Employers' representatives | - | 10 | |
| • Employees' representatives | - | 10 | |

केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के मुख्य कार्य हैं :

- बोर्ड के साथ सृजित एवं निहित निधियों का प्रशासन तथा उससे संबंधित अन्य आनुषंगिक कार्यों का निष्पादन करना ।
- योजनाओं के कुशल प्रशासन के लिए आवश्यक प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन करना ।
- अधिकारियों एवं स्टाफ की नियुक्ति ।
- निर्धारित फार्म एवं पद्धति में आय एवं व्यय के लेखों का रखरखाव ।
- संगठन के कार्यनिष्पादन पर सरकार को (सी.ए.जी. की टिप्पणियों सहित) लेखा परीक्षित लेखा और वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।

1.15 वर्तमान बोर्ड का गठन केन्द्र सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 23.05.2013 को किया गया तथा इसमें समय-समय पर संशोधन किया गया ।

1.16 वर्ष के दौरान केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (क.भ.नि.) में क्रम सं. 1 एवं 2 तथा 25 में कुछ प्रतिस्थापन किए गए तथा वे इस प्रकार हैं :-

- i) अध्यक्ष – श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भारत सरकार, नई दिल्ली
- ii) उपाध्यक्ष – सचिव, श्रम एवं रोजगार, भारत सरकार
- iii) सदस्य - श्री राजिन्दर सिंह माकड़, भारतीय नियोक्ता फेडरेशन (नियोक्ताओं के प्रतिनिधि)

(जारी सं. 2350 एवं 2534 के अंतर्गत गजट अधिसूचना सं. V.20012/1/2013-एस.एस.॥ दिनांक 18.11.2014 एवं 12.12.2014 (भाग -II-धारा 3- उप धारा (ii) - असाधारण)

1.17 वर्ष 2014-15 के दौरान, बोर्ड की चार (4) बैठकें आयोजित हुईं । बोर्ड की इन बैठकों में निम्नलिखित द्वारा अध्यक्षता की गई ।

- i) श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, भारत सरकार
- ii) श्री बंडारू दत्तात्रेय, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार

1.18 2014-15 के दौरान बोर्ड के निम्नलिखित उपाध्यक्ष थे :

- क) श्री विष्णु देव साय, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री, नई दिल्ली
- ख) श्री शंकर अग्रवाल, सचिव (श्रम एवं रोजगार) , श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली

1.19 31.3.2015 तक बोर्ड के सदस्यों की सूची परिशिष्ट ए-2 (i) पर संलग्न है ।

Main functions of the Central Board are:

- Administration of the funds created and vested with the Board and performing other works incidental thereto.
- Delegation of Administrative & Financial powers as it may deem necessary for efficient administration of the Schemes.
- Appointment of officers and staff.
- Maintenance of accounts of income & expenditure in prescribed form and manner.
- Submission of Audited Accounts (with comments of CAG) and Annual Report on performance of EPFO to the Government.

1.15 The present Board was constituted by the Central Government, Ministry of Labour & Employment, New Delhi on 23.05.2013 and modified from time to time.

1.16 During the year some replacements were made at Sl. No. 1 & 2 and 25 in the Central Board of Trustees (EPF) and same are as under:-

- i) Chairman - Minister of State for Labour & Employment (Independent charge) Government of India, New Delhi.
- ii) Vice – Chairman- Secretary, Labour & Employment, and Government of India.
- iii) Member - Shri Rajinder Singh Maker, Employers' Federation of (Employer representative) India.

(Vide Gazette Notification No. V.20012/1/2013-SS.II dated 18.11.2014 and 12.12.2014 (Part –II- Section 3- Sub-section (ii) - Extraordinary) under issue no. 2350 and 2534.)

1.17 During the year 2014-15, four (4) meetings of the Board were held. The following Chairpersons presided over these meetings of the Board.

- i) Shri Narendra Singh Tomar, Union Minister for Labour & Employment, Government of India.
- ii) Sh. Bandaru Dattatreya, Union Minister for State (I/C) Labour & Employment, Government of India.

1.18 The Board had following Vice Chairmen during 2014-15:

- a) Shri Vishnu Deo Sai, Minister of State for Labour & Employment, Government of India.
- b) Shri Shankar Aggarwal, Secretary (L&E), Ministry of Labour & Employment, New Delhi
Secretary (L&E), Ministry of Labour & Employment, Government of India.

1.19 The list of members of the Board as on 31.3.2015 is given in **Appendix A-2 (i).**

केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की उप-समितियां

1.20 केन्द्रीय बोर्ड की उप-समितियों (जिसमें नियोक्ताओं, कर्मचारियों, सरकार तथा डोमेन विशेषज्ञ होते हैं) का विशिष्ट उद्देश्यों हेतु बोर्ड को सहायता एवं सुझाव देने के लिए गठन किया जाता है। उप समितियों के नाम निम्नलिखित हैं।

क. वित्त निवेश एवं लेखा परीक्षा समिति

1.21 समिति के सदस्यों की सूची परिशिष्ट ए – 2(iii) पर संलग्न है।

वित्त निवेश एवं लेखा परीक्षा समिति (एफ.आई.ए.सी.) के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं :

- i) पोर्टफोलियो प्रबंधकों द्वारा किए गए निवेश का निरीक्षण करना
- ii) अधिकतम रिटर्न प्राप्त करने हेतु न्यास राशि का समय पर निवेश करने पर नजर रखना
- iii) निर्धारित निवेश पद्धति एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार पोर्टफोलियो प्रबंधकों क्षतिपूर्ति राशि, व्याज आदि के निवेश – पुनः-निवेश के संबंध में पोर्टफोलियो प्रबंधकों को, जहां भी आवश्यक हो, निदेश देना।
- iv) निधि के सदस्यों के लिए व्याज दर की सिफारिश करना
- v) विशेष आरक्षित निधि के उपयोग हेतु दिशा-निर्देश बनाने तथा विशेष आरक्षित निधि के प्रयोग की आवधिक समीक्षा आयोजित करने की सिफारिश करना।
- vi) बोर्ड द्वारा दिया गया कोई अन्य कार्य/दायित्व
- vii) लेखा परीक्षा संबंधी मामले

1.22 वर्ष 2014-15 के दौरान, समिति की आठ (8) बैठकें आयोजित की गईं।

ख. पेंशन एवं क.नि.स. बीमा कार्यान्वयन समिति

1.23 समिति के सदस्यों की सूची परिशिष्ट ए – 2(iv) पर संलग्न है।

पेंशन एवं क.नि.स. बीमा कार्यान्वयन समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :

- i) संगठन के कंप्यूटरीकरण तथा पेंशन के वितरण सहित क.पें.यो.,1995 के क्रियान्वयन की समीक्षा; तथा
- ii) क.पें.यो.,1995 में संशोधन /सुधार के लिए सुझाव/प्रस्तावों पर विचार करना; तथा
- iii) क.नि.स.बीमा योजना, 1976 के क्रियान्वयन की समीक्षा तथा क.नि.स.बीमा यो. में संशोधन /सुधार के लिए सुझावों/प्रस्तावों पर विचार करना

1.24 वर्ष 2014-15 के दौरान, समिति की तीन (3) बैठकों का आयोजन हुआ।

ग. छूट प्राप्त स्थापनाएं समिति

1.25 समिति के सदस्यों की सूची परिशिष्ट ए – 2(v) पर संलग्न है।

छूट प्राप्त स्थापनाओं की समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :

- i) छूट प्राप्त स्थापनाओं के कार्य का हर प्रकार से निरीक्षण करना तथा छूट प्राप्त स्थापनाओं के कार्य में सुधार हेतु बोर्ड को विचार-विमर्श हेतु सुझाव देना

SUB – COMMITTEES OF THE CENTRAL BOARD OF TRUSTEES

1.20 The Sub-committees of Central Board (consisting of the representatives of employers, employees, Government and domain expert) exist are constituted to aid & advise the Board for specific purposes. The names of Sub-Committee are given below.

A. Finance Investment and Audit Committee

1.21 The list of the members of the Committee are shown at **Appendix A – 2(iii)**.

Main functions of the Finance Investment and Audit Committee (FIAC) are as under:

- i) To oversee the investments being done by the portfolio managers.
- ii) To watch timely investment of trust money with a view to realizing the optimum return thereon.
- iii) To issue such directions, as may be considered necessary, to the portfolio managers in regard to investment-re-investment of redemption proceeds, interest etc. in accordance with the prescribed pattern of investment & guidelines, therefore.
- iv) To recommend rate of interest for the members of the Fund.
- v) To recommend formulation of guidelines for utilization of the Special Reserve Fund & conduct periodic review of utilization of Special Reserve Fund.
- vi) Any others work/ responsibility that may be assigned by the Board.
- vii) Audit related issues.

1.22 During the year 2014-15, eight (8) meetings of the Committee were held.

B. Pension & EDLI Implementation Committee

1.23 The list of the members of the Committee are shown at **Appendix A – 2(iv)**.

The terms of reference of the PEIC are as under:

- i) To review the functioning of the EPS,1995 including computerization in the Organisation and disbursement of pension; and
- ii) To consider the suggestion/proposals for amendment/improvement in the Employees' Pension Scheme 1995; and
- iii) To review the functioning of the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 and to consider the suggestions/proposals for amendment/improvement in the EDLI Scheme.

1.24 During the year 2014-15, three (3) meetings of the Committee were held.

C. Exempted Establishments Committee

1.25 The list of the members of the Committee are shown at **Appendix A – 2(v)**.

The terms of reference of the Committee on Exempted Establishments are as under:

- i) To oversee the working of exempted establishments in all respects and to make suggestions for consideration of the Board to improve working of the exempted establishments.

- ii) छूट/रियायत देने के लिए अतिरिक्त दिशा निर्देशों पर विचार करना तथा सुझाव देना
- iii) बदलते हुए व्यावसायिक परिवेश तथा वर्तमान अनुभव के परिप्रेक्ष्य में छूट प्राप्त न्यासों के दायित्व की समीक्षा
- iv) एक ही बार किए जाने वाले उपाय के रूप में छूट प्राप्त स्थापना समिति, केन्द्रीय बोर्ड की ओर से ऐसे लंबित छूट प्रस्तावों पर विचार करती है जिन्हें 31.03.2013 से पहले रियायत दी गई तथा जिन्हें 2014-15 में प्रस्तुत किया गया तथा फिर छूट की स्वीकृति हेतु समुचित सरकार के समक्ष इसकी सिफारिश करना।

वर्ष 2014-15 के दौरान, समिति की तीन (3) बैठकों का आयोजन किया गया।

घ. निर्माण कामगार समिति

1.26 समिति के सदस्यों की सूची परिशिष्ट ए-2(vi) पर संलग्न है।

निर्माण कामगार समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :

- i) यह उप समिति, निर्माण उद्योग में कार्यरत कामगारों की कवरेज को बढ़ाने के लिए प्रक्रिया का सुझाव देगी।
- ii) इस उप समिति का कार्यकाल अध्यक्ष की इच्छानुसार होगा।

1.27 वर्ष 2014-15 के दौरान, समिति की दो बैठकें आयोजित हुईं।

ङ. ठेका कामगारों पर समिति

1.28 इस समिति के सदस्यों की सूची परिशिष्ट ए-2(vii) पर संलग्न है

ठेका कामगारों पर समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :

- i) यह उप समिति ठेका कामगारों की कवरेज को बढ़ाने के लिए प्रक्रिया का सुझाव देगी।
- ii) इस उप समिति का कार्यकाल अध्यक्ष की इच्छानुसार होगा।

1.29 वर्ष 2014-15 के दौरान, समिति की एक बैठक आयोजित हुई।

कार्यकारी समिति, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (क.भ.नि.)

1.30 कार्यकारी समिति, अधिनियम की धारा 5एए के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के सदस्यों में से गठित एक सांविधिक समिति है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक मामलों से संबंधित कार्यों के निर्वाहण में केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. की सहायता करना है। समिति का कार्यकाल 2 वर्ष तथा 6 महीने है। वर्तमान में, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, कार्यकारी समिति, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, (क.भ.नि.) के अध्यक्ष हैं। 5एए धारा के अंतर्गत समिति का गठन निम्नप्रकार है:-

• अध्यक्ष	-	01
• केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त	-	01 सदस्य सचिव (पदेन)
• केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि	-	02
• राज्य सरकार के प्रतिनिधि	-	03
• नियोक्ता के प्रतिनिधि	-	03
• कर्मचारियों के प्रतिनिधि	-	03

1.31 कार्यकारी समिति के मुख्य कार्य हैं :

- ii) To consider and suggest additional guidelines for grant of exemption/relaxation.
- iii) To review the role of exempted trusts in the context of changing business environment and current experience.
- iv) As a onetime measure the Committee on Exempted Establishments on behalf of the Central Board, also consider the pending exemption proposals where relaxation has been granted before 31.03.2013 and which have been submitted subsequently in 2014-15 and recommend the same to Appropriate Government for grant of exemption.

During the year 2014-15, three (3) meetings of the Committee were held.

D. Committee on Construction Workers

1.26 The list of the members of the Committee are shown at **Appendix A – 2(vi).**

The terms of reference of the Committee on Construction Workers are as under:

- i) The Sub-Committee will suggest mechanism for increasing the Coverage of Workers in the Construction Industry.
- ii) The tenure of Sub-Committee shall be at the pleasure of the Chairman.

1.27 During the year 2014-15, two meetings of the Committee were held.

E. Committee on Contract Workers

1.28 The list of the members of the Committee are shown at **Appendix A – 2(vii).**

The terms of reference of the Committee on Contract Workers are as under:

- i) The Sub-Committee will suggest mechanism for increasing the Coverage of Contract Workers.
- ii) The tenure of the Sub-Committee shall be at the pleasure of the Chairman.

1.29 During the year 2014-15, one meetings of the Committee were held.

EXECUTIVE COMMITTEE, CENTRAL BOARD (EPF)

1.30 The Executive Committee is a statutory Committee, which is constituted from amongst the members of the Central Board of Trustees by the Central Government under Section 5AA of the Act. Its purpose is to assist the Central Board of Trustees, EPF in the discharge of its functions relating to administrative matters. The term of the Executive Committee is two year & six months. Secretary, to the Government of India Ministry of Labour & Employment is the Chairman of Executive Committee, CBT (EPF). As per Section 5AA, the constitution of the Committee is as under:-

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| • Chairman | - 01 |
| • Central Provident Fund Commissioner | - 01 Member Secretary (ex-officio) |
| • Central Government representatives | - 02 |
| • State Governments representatives | - 03 |
| • Employees' representatives | - 03 |
| • Employers' representatives | - 03 |

- उप क्षेत्रीय कार्यालय / उप-लेखा कार्यालय खोलना ।
- कार्यालय भवन तथा स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण करने के लिए भूमि की खरीद, प्राक्कलनों का अनुमोदन करना ।
- ग्रुप 'ए' पदों का सृजन ।
- नए क्षेत्रों का सृजन / वर्तमान क्षेत्रों को अद्यतन करना ।
- 50,000/- ₹ से अधिक मासिक किराए पर कार्यालय भवनों को किराए पर लेना ।
- निवेश नीति पर विचार करना तथा बोर्ड को निवेश पैटर्न के उदारीकरण पर समुचित सिफारिशें प्रस्तुत करना ।
- संगठन के स्टाफ और अधिकारियों के लिए कार्य मानदंडों को विनिर्दिष्ट करना ।
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के स्टाफ एवं अधिकारियों की भर्ती की पद्धति, वेतन एवं भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों से संबंधित नियमों की रचना / संशोधन करना ।

1.32 केन्द्र सरकार द्वारा वर्तमान कार्यकारी समिति, के.न्या.बो. (क.भ.नि.) का गठन 13.05.2011 को क.भ.नि. एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 5एए के अंतर्गत किया गया ।

(जारी सं. 848 के अंतर्गत गजट अधिसूचना सं. V-22012/1/2006-एस.एस.॥ दिनांक 13.05.2011(भाग- II- धारा 3 – उप धारा (ii) असाधारण द्वारा)

1.33 वर्ष 2014-15 के दौरान, कार्यकारी समिति, के.न्या.बो. (क.भ.नि.) की तीन (3) बैठकें आयोजित की गईं । इन बैठकों की अध्यक्षता :-

- श्रीमती गौरी कुमार, सचिव (श्रम एवं रोजगार), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली
- श्री शंकर अग्रवाल, सचिव (श्रम एवं रोजगार), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली, द्वारा की गई ।

1.34 उप कार्यकारी के सदस्यों की सूची परिशिष्ट –ए -2(ii) पर संलग्न है ।

कार्यकारी समिति, केन्द्रीय बोर्ड (क.भ.नि.) की उप समितियां

1.35 कार्यकारी समिति को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए सहायता एवं सुझाव देने हेतु कार्यकारी समिति की उप समितियों का गठन किया जाता है । कार्यकारी समिति, के.न्या.बो., (क.भ.नि.) की उप समितियों में नियोक्ता, कर्मचारी, सरकार के प्रतिनिधि तथा डोमेन विशेषज्ञ होते हैं । इसका विवरण निम्नलिखित है :-

I. सूचना तकनीक सुधारों पर समिति

1.36 इस समिति के सदस्यों की सूची परिशिष्ट –ए – 2(viii) पर संलग्न है ।

सूचना तकनीक पर उपसमिति, कार्यकारी समिति, के.न्या.बो., क.भ.नि. के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:-

- क.भ.नि.सं. में सूचना तकनीक सुधारों के कार्यान्वयन के लिए नीति स्तर के निर्णयों की सिफारिश करना
- क.भ.नि.सं. में सूचना तकनीक सुधारों की पूरी प्रक्रिया का निरीक्षण
- अध्यक्ष, के.न्या.बो., कार्यकारी समिति अथवा के.भ.नि.आ. द्वारा संदर्भित कोई अन्य मामला

1.37 वर्ष 2014-15 के दौरान, समिति की तीन (3) बैठकें आयोजित हुईं ।

1.31 The Main functions of the Executive Committee are:

- Opening of Sub-Regional Offices/Sub-Accounts Offices.
- Approval of proposal for the purchase of land and estimates for constructing Office buildings and Staff quarters.
- Creation of Group 'A' posts.
- Creation of new regions/up-gradation of existing regions.

Hiring of office buildings on monthly rent exceeding ₹ 50, 000/-.

- Consideration of the investment policy and making appropriate recommendations to the Board on liberalization of investment pattern.
- Specifying work norms for Staff and Officers of the Organisation.
- Framing/amending of the rules relating to method of recruitment, pay and allowances and other conditions of service of the Officers and Staff of the Employees' Provident Fund Organisation.

1.32 The present Executive Committee CBT (EPF) was constituted under Section 5AA of the EPF & MP Act, 1952 by the Central Government on 13.05.2011.

(Vide Gazette Notification No. V-22012/1/2006-SS.II dated 17.02.2014(Part – II-Section 3 – Sub- section (ii) Extraordinary) under Issue No. 353).

1.33 During the year 2014-15, three (3) meetings of the Executive Committee, CBT (EPF) were held. The meetings were chaired by:-

- i) Smt Gauri Kumar, Secretary (L&E), Ministry of Labour & Employment, New Delhi.
- ii) Shri Shankar Aggarwal, Secretary (L&E), Ministry of Labour & Employment, New Delhi

1.34 The list of members of Executive Committee is given in the **Appendix –A-2(ii).**

Sub- Committees of Executive Committee, CENTRAL BOARD (EPF)

1.35 The Sub-committees of Executive Committee are constituted for specific purposes to aid and advise the Executive Committee. The Sub-Committees of the Executive Committee, CBT, (EPF) consist of the representatives of employers, employees, Government and domain experts. The details are as under:-

I. Committee on IT Reforms

1.36 The list of the members of the Committee are shown at **Appendix A – 2(viii).**

The terms of reference of the Sub-Committee on IT Reforms, Executive Committee, CBT, EPF are as under:

- i) To recommend policy level decisions for implementation of IT Reforms in EPFO.
- ii) To oversee entire process of IT Reforms in EPFO.
- iii) Any other matter referred by Chairman, CBT, Executive Committee or the Central PF Commissioner.

II. भवन एवं निर्माण समिति

1.38 समिति के सदस्यों की सूची परिशिष्ट ए – 2(ix) पर संलग्न है।

भवन एवं निर्माण उप समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :

- i) कार्यकारी समिति को भेजे गए भूमि के अधिग्रहण/खरीद तथा भवन/निर्माण के प्रस्तावों की जांच
- ii) तकनीकी औचित्य, वित्तीय व्यवहार्यता तथा नक्शे सहित भूमि/भवन/निर्माण के अधिग्रहण के प्रस्ताव की जांच करना जिसमें कार्यकारी समिति के विचार की आवश्यकता हो, इसके अलावा ऐसे प्रस्तावों की जांच जिसमें केन्द्र अथवा राज्य/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से अथवा द्वारा भूमि/भवन/निर्माण का अधिग्रहण शामिल हो।

1.39 वर्ष 2014-15 के दौरान, पांच (5) बैठकें आयोजित की गईं।

राज्य तथा संघ राज्यों के लिए क्षेत्रीय समितियां, क.भ.नि.

1.40 कर्मचारी भविष्य निधि योजना – 1952 के पैरा 4 के उपबंधों के अंतर्गत राज्य के लिए क्षेत्रीय समितियों (कर्मचारी भविष्य निधि) का गठन किया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 4 के अंतर्गत, अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (क.भ.नि.) राज्यों की क्षेत्रीय समिति का गठन/पुनर्गठन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय समिति का कार्यकाल, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष तक का होता है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 4 के उप पैरा (1) एवं (2) के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को अपने राज्य में योजना के प्रशासन से संबंधित मामलों तथा विशेष रूप से निम्नलिखित बिन्दुओं पर केन्द्रीय बोर्ड को सुझाव देने की शक्ति उपलब्ध है:-

- भविष्य निधि अंशदान एवं अन्य प्रभार की वसूली में प्रगति
- अभियोजन मामलों का तुरंत निपटान, दावों का त्वरित निपटान
- निधि के सदस्यों को वार्षिक लेखा पत्रियां जारी करना, तथा
- अग्रिम की त्वरित स्वीकृति

1.41 देश के राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए क.भ.नि. योजना के पैरा 4 के अनुसार 23 क्षेत्रीय समितियों (क.भ.नि.) का गठन किया गया है। 01.04.2014 तक, 23 क्षेत्रीय समितियों में से चौदह (14) क्षेत्रीय समितियां, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल राज्यों से संबंधित हैं।

1.42 वर्ष 2014-15 के दौरान, नौ राज्यों के लिए क्षेत्रीय समितियों (क.भ.नि.) का पुनर्गठन अपेक्षित था, यथा

- i) बिहार, गोवा, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पुद्दुचेरी (सं.शां.प्र.) तथा उ.प्र.
- ii) वर्ष 2014-15 के मध्य में, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा त्रिपुरा, चार राज्यों ने अपना सामान्य कार्यकाल पूरा कर लिया।
- iii) वर्ष 2014-15 के दौरान माननीय अध्यक्ष, के.न्या.बो. (क.भ.नि.) द्वारा दो राज्यों यथा मध्य प्रदेश तथा पुद्दुचेरी (सं.शां.प्र.) की क्षेत्रीय समितियों का पुनर्गठन किया गया तथा भारत के सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया।
- iv) उपर्युक्त लंबित राज्यों के लिए क्षेत्रीय समितियों के पुनर्गठन का मामला संबंधित राज्य सरकारों के साथ उठाया गया तथा मामले से संबंधित प्रस्ताव में तेजी लाने के लिए इस पर के.भ.नि.आ. द्वारा राज्यों/ सं.शां.प्र. के प्रधान सचिवों के साथ भी औपचारिक रूप से चर्चा की गई।

1.37 During the year 2014-15, three (3) meetings of the Committee were held.

II. Committee on Building & Construction

1.38 The list of the members of the Committee is shown at **Appendix A – 2(ix)**.

The terms of reference of the Sub-Committee on Building & Construction are as under:

- i) To examine proposals for acquiring / purchase of land and building/ construction referred to the Executive Committee.
- ii) To examine the proposal for acquiring land/building/construction including its technical feasibility, financial viability and drawings etc. which require consideration of the Executive Committee, other than those proposals involving acquiring of land / building / construction from or through the Central or State/ Public Sector Undertakings.

1.39 During the year 2014-15, five (5) meetings of the Committee were held.

Regional Committees (EPF) for the States/Union Territories

1.40 The Regional Committees (Employees' Provident Fund) for the State are constituted under the provisions of Para 4 of Employees' Provident Fund Scheme, 1952. The Chairman, Central Board, is the competent authority to constitute/reconstitute the Regional Committee (EPF) for the state under Para 4 of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952. The term of each Regional committee is three years from the date of notification in the Official Gazette. Sub-Para (1) and (2) of Para 4 of EPF Scheme, 1952 provides for each State to advise the Central Board on matters connected with the administration of the Scheme in the State and in particular on:-

- Progress of recovery of provident fund contributions and other charges
- Expeditious disposal of prosecution cases Speedy settlement of claims
- Issue of Annual Accounts slips to members of the Fund, and
- Speedy sanction of advances.

1.41 There are 23 Regional Committees (EPF) constituted in accordance with Para 4 of the EPF Scheme for the States/ Union Territories in the country. As on 01.04.2014, out of 23 Regional Committees, Fourteen(14) Regional Committees pertaining to the State of Andhra Pradesh, Assam, Chhattisgarh, Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Tripura, Uttarakhand and West Bengal were in existence.

1.42 During 2014-15, the Regional Committees (EPF) were due for reconstitution were nine states i.e.

- i) Bihar, Goa, Gujarat, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Puducherry (UT) and Uttar Pradesh.
- ii) In the middle of the year 2014-15, the normal tenure of four states Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Rajasthan and Tripura got over.
- iii) The Regional Committees for the two States namely Madhya Pradesh and Puducherry (UT) were reconstituted by the Hon'ble Chairman, CBT (EPF) during the year 2014-15 and duly notified in the Official Gazette of India.
- iv) The matter of reconstitution of the Regional Committees for the above mentioned pending states was taken up with the respective State Government and Central Provident Fund Commissioner had also formally taken up the issue with the Chief Secretaries of the States/UTs to expedite the proposal in the matter.

1.43 उपर्युक्त के साथ-साथ, पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश में बंटने के कारण, वर्ष के दौरान संबंधित राज्य सरकारों के साथ इन दोनों राज्यों के लिए अलग-अलग क्षेत्रीय समितियों के गठन के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश की राज्य सरकारों से अपेक्षित प्रस्ताव की प्रतीक्षा है।

1.44 क.भ.नि. योजना 1952 के उपबंधों के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में राज्य की क्षेत्रीय समितियों, क.भ.नि. की कम से कम दो बैठकों का आयोजन अनिवार्य है। अपेक्षित संख्या में बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करने के लिए सुझाव जारी किए गए हैं।

1.45 वर्ष 2014-15 के दौरान, विभिन्न क्षेत्रीय समितियों की स्थिति **परिशिष्ट ए-2 (x)** पर संलग्न है।



1.43 In addition to above, due to bifurcation of the erstwhile state of Andhra Pradesh in the state of Telangana and Andhra Pradesh, the proposal for constitution of separate Regional Committees for these two state was initiated with respective State Governments during the year. The requisite proposal from the State Government of Telangana and Andhra Pradesh are awaited.

1.44 The provisions of the EPF Scheme 1952 mandates that Regional committee EPF of a State should meet at least two times in a financial year. Advisories have been issued to ensure that the required numbers of meetings are held.

1.45 During the year 2014-15, the status of various Regional Committees is shown in **Appendix-A-2 (x)**.



अध्याय 2

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में निष्पादन प्रबंधन

2014-15

2.1 वर्ष के दौरान सेवा, वित्तीय एवं अनुपालन के कार्यात्मक क्षेत्रों के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की उपलब्धियां निम्न प्रकार रही :-

सेवा क्षेत्र

- ❖ वर्ष के दौरान **65,296** अतिरिक्त स्थापनाओं को भविष्य निधि कोड दिया गया जिससे 31 मार्च, 2015 तक कुल संख्या **8.61 लाख** तक हो गई है।
- ❖ वर्ष 2014-2015 के दौरान औसतन **3.60 लाख** स्थापनाओं ने **3.49 करोड़** सदस्यों के संबंध में देय राशि को जमा किया है।
- ❖ वर्ष के दौरान क.भ.नि.सं. ने **51.04 लाख** पेंशनभोक्ताओं को पेंशन का भुगतान किया।

वित्तीय क्षेत्र

- ❖ वर्ष के दौरान **₹ 1,13,910.89 करोड़** अंशदान प्राप्त किया गया
- ❖ वर्ष के दौरान **₹ 48,015.32 करोड़** के लाभ प्रदान किए गए
- ❖ वर्ष के दौरान **130.21 लाख** दावों का निपटान किया गया

अनुपालन क्षेत्र

- ❖ वर्ष के दौरान **1,50,366** जांचें पूरी की गई :-
अधिनियम की धारा 7 ए के अंतर्गत 14,625 तथा अधिनियम की धारा 14 बी के अंतर्गत 1,35,741 जांचें की गई।
- ❖ **31 मार्च 2015**, तक **1,35,948** जांचें लंबित थीं :-
अधिनियम की धारा 7ए के अंतर्गत 16,820 तथा अधिनियम की धारा 14बी के अंतर्गत 1,19,128 जांचें लंबित थी। अधिनियम की धारा 7ए के अंतर्गत 11,159 (66.34%) तथा अधिनियम की धारा 14बी के अंतर्गत 42,851 (35.97%) जांचें 6 माह से अधिक समय से लंबित थीं।
- ❖ वर्ष के दौरान चूककर्ता स्थापनाओं से **₹ 3,101.67 करोड़** रुपये की देय राशि का निर्धारण किया गया।
- ❖ वर्ष के दौरान चूककर्ता स्थापनाओं से **₹ 1812.41 करोड़** रुपये की वसूली की गई।
- ❖ अछूट प्राप्त स्थापनाओं से **₹ 4,532.39 करोड़** वसूली हेतु लंबित थे। (इसमें से **₹ 2,161.58 करोड़** रुपये शास्तिक नुकसानी एवं ब्याज से संबंधित थे)
- ❖ छूट प्राप्त स्थापनाओं से वसूली हेतु **₹ 678.84 करोड़** रुपये की राशि लंबित थी।

CHAPTER 2

PERFORMANCE MANAGEMENT IN EPFO

2014-15

2.1 During the year the achievements of the Employees Provident Fund Organisation in the functional areas of Service, Financial and Compliance were as under:-

SERVICE AREA

- ❖ **65,296** additional establishments were given PF codes during the year taking the cumulative total to **8.61 lac** on 31st March, 2015.
- ❖ **3.60** lac establishments remitted dues in respect of **3.49** crore members.
- ❖ During the year EPFO paid pension to **51.04 lac** pensioners.

FINANCIAL AREA

- ❖ Contribution received during the year was **₹ 1, 13,910.89 cr.**
- ❖ Benefits paid during the year amounting to **₹ 48,015.32 cr.**
- ❖ During the year **130.21 lac** claims were settled.

COMPLIANCE AREA

- ❖ **1,50,366 Enquiries were Concluded:-**
14,625 under Section 7A of the Act and 1, 35,741 under Section 14B of the Act.
- ❖ **1,35,948 Enquiries were Pending as on 31.03.2015:-**
16,820 under Section 7 A of the Act and 1,19,128 under Section 14B of the Act. 11,159 (66.34%) enquiries u/s 7A of the Act were pending for more than six month and 42,851(35.97%) enquiries u/s 14B were pending for more than six months.
- ❖ **₹ 3, 101.67 cr.** assessed as amount due from defaulting establishments.
- ❖ **₹ 1812.41 cr.** recovered from defaulting establishments.
- ❖ **₹ 4,532.39 cr.** remained outstanding to be recovered from unexempted establishments. (**₹ 2,161.58 cr.** being Penal Damages and Interest).
- ❖ **₹ 678.84 cr.** remained pending for recovery from exempted establishment.

- ❖ 31 मार्च, 2015 तक ₹ 5,211.23 करोड़ की राशि वसूली हेतु लंबित थी।
- ❖ न्यायालयों द्वारा स्टे के कारण ₹ 1,743 करोड़ रुपये (96.66%) का बकाया वसूल नहीं किया जा सका (अछूट प्राप्त क्षेत्र)।
- ❖ समापन कार्यवाही में ₹ 403 करोड़ रुपये (96.95%) तथा बी.आई.एफ.आर. कार्यवाही (अछूट प्राप्त क्षेत्र) के अंतर्गत ₹ 101.21 करोड़ रुपये (80.83%) की राशि वसूली नहीं जा सकी। किश्त की सुविधा प्रदान करने के कारण ₹ 80.73 करोड़ रुपये (70.59%) की राशि रुकी हुई है।

2.2 सांख्यिकीय सार (2014-15) का सारांश परिशिष्ट ए-1 में दिया गया है

परिणाम रूपरेखा दस्तावेज (आर.एफ.डी.)

2.3 वर्ष 2014-15 के लिए परिणाम रूपरेखा दस्तावेज (आर.एफ.डी.) का लक्ष्य तथा मार्च 2015 तक विशिष्ट सफलता संकेतकों के अंतर्गत उपलब्धियों को नीचे दर्शाया गया है :-

सफलता संकेतक	लक्ष्य मूल्य	उपलब्धि
20 दिनों के भीतर पेंशन दावों का निपटान	90%	92.38%
15 दिन से अधिक लंबित शिकायतों का % (15 दिन के भीतर लोक शिकायतों का निपटान)	15%	0.80%
ऐसे सदस्यों का % जिनके पास यू.ए.एन. है तथा जिनके रिकार्ड अद्यतन होने के लिए लंबित हैं	15%	12%
निष्क्रिय खातों में कमी	15%	निष्क्रिय खातों से लगभग ₹ 5,000/- करोड़ का भुगतान कर दिया गया है जो कि निष्क्रिय खाते का लगभग 19% है

2.4 क.भ.नि.सं. ने अपने स्टैकहोल्डरों के लिए दिसंबर, 2011 से नागरिक चार्टर विनिर्दिष्ट किया है। इसमें स्टैकहोल्डरों के लिए अधिकार एवं दी जाने वाली सेवा का उल्लेख है। क.भ.नि.सं. का नागरिक चार्टर निम्नलिखित है:-

लक्ष्य

2.5 क.भ.नि.सं. का लक्ष्य स्वयं को विश्वस्तरीय सेवा देने वाला विश्वस्तरीय सामाजिक सुरक्षा संगठन बनाना है :-

- दावे के निपटान में लगने वाले वर्तमान 20 दिन के समय को कम करके 3 दिन करना।
- क.भ.नि.सं. कार्यालयों से अंशदाताओं को परेशानी -मुक्त सेवा प्रदान करना।
- यह सुनिश्चित करना कि सभी कवर्ड स्थापनाएं संविधि की आवश्यकता का अनुपालन कर रहे हैं।
- स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा एवं प्रोत्साहन देना।
- सदस्य खातों को मासिक आधार पर अद्यतन करना।
- सदस्य खाते तक ऑनलाईन पहुंच।

ध्येय

2.6 हमारा ध्येय सार्वजनिक रूप से संचालित वृद्धावस्था आय सुरक्षा कार्यक्रम की पहुंच एवं गुणवत्ता का प्रसार, अनुपालन एवं लाभ प्रदान करने के एकरूप एवं निरंतर उन्नतिशील मानदंडों के माध्यम से इस रूप में करना है जिससे सदस्यों की स्वीकृति एवं विश्वास को हमारी प्रणाली, निष्पक्षता, ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा के प्रति जीता जा सके जिससे हम सदस्यों के आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण में भागीदार बनें।

- ❖ Total Amount of ₹ 5,211.23 cr. is pending for recovery as on 31st March, 2015.
- ❖ ₹ 1,743 cr. (96.66%) arrears remained unrecoverable due to court's stay orders (Unexempted sector).
- ❖ ₹ 403 cr. (96.95 %) still unrecoverable due to liquidation proceedings and ₹ 101.21 cr. (80.83%) is unrecoverable due to BIFR proceedings (unexempted sector) ₹ 80.73 cr. (70.59%) is locked up due to grant of Installment facility.

2.2 The summary of Statistical Abstract (2014-15) is given in **Appendix A- 1**.

RESULTS FRAMEWORK DOCUMENTS (RFD)

2.3 The Results Framework Documents (RFD) target for the year 2014-15 and achievements against each of the specified Success Indicator upto March,2015 is mentioned below:-

Success Indicator	Target Value	Achievement
Settlement of PFclaims within 20 day.	90%	92.38%
% of grievances pending for more than 15 days(Settlement of PG with in 15 days)	15%	0.80%
% of members having UAN whose records are pending for updation	15%	12%
Reduction in inoperative accounts.	15%	Approximately ₹ 5,000 cr. have been paid out of Inoperative Accounts which is about 19% of Inoperative Account.

2.4 EPFO has specified Citizen Charter for its stakeholder since December, 2011. It specified the right and service deliverable for stakeholder. The Citizen Charter for EPFO is given below:-

VISION

2.5 Employees' Provident Fund Organisation has a vision to reposition itself as a world class Social Security Organisation providing world class service to:-

- Reduce the time for settlement of claims from **20** days at present to 3 days.
- Provide hassle free service to the subscribers from the EPFO offices.
- Ensure that all the covered establishments are complying with the requirement of the statute.
- Encourage and promote voluntary compliance.
- Monthly updation of member accounts.
- Online access to member account.

MISSION

2.6 Our mission is to extend the reach and quality of publicly managed old age income security programs through consistent and ever-improving standards of compliance and benefit delivery in a manner that wins the approval and confidence of members in our methods, fairness, honesty and integrity, thereby contributing to the economic and social well being of members.

सेवा मानदंड

2.7 नागरिक चार्टर से संबंधित सेवा मानदंडों का विवरण निम्नलिखित है :-

क्र.सं.	मुख्य सेवाएं	मानदंड
1.	फार्म 19 का निपटान (भ.नि. – अंतिम प्रत्याहरण)	20 दिन
2.	फार्म 31 का निपटान (भ.नि.- आंशिक प्रत्याहरण)	20 दिन
3.	फार्म 13 का निपटान (भ.नि. - अंतरण)	20 दिन
4.	फार्म 14 का निपटान (भ.नि. – जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान)	20 दिन
5.	फार्म 20 का निपटान (भ.नि. – सदस्य की मृत्यु होने पर नामिति द्वारा अंतिम प्रत्याहरण)	20 दिन
6.	फार्म 10 डी का निपटान (पेंशन – मासिक पेंशन)	20 दिन
7.	फार्म 10 सी का निपटान (पेंशन – प्रत्याहरण लाभ/योजना प्रमाणपत्र)	20 दिन
8.	फार्म 5 आई एफ का निपटान (बीमा – सेवा में रहते हुए कर्मचारी की मृत्यु होने पर नामिति को भुगतान)	20 दिन
9.	वार्षिक लेखा पर्चियां जारी करना	आने वाले वर्ष की 31मई तक
10.	शिकायतों का निवारण	20 दिन

सदस्यों के अधिकार

2.8 सदस्यों के अधिकारों का विवरण निम्नलिखित है :-

- योजना के उपबंधों की शर्तों के अनुरूप कवर्ड स्थापना के प्रत्येक कर्मचारी को भविष्य निधि, पेंशन एवं कर्मचारी सहवृद्ध बीमा योजना की सदस्यता का अधिकार ।
- भविष्य निधि के वार्षिक विवरण को नियमित रूप से प्राप्त करना ।
- किसी भविष्य निधि कार्यालय से मुफ्त दावा फार्म प्राप्त करना ।
- फार्म भरने में सहायता/मार्गदर्शन प्राप्त करना ।
- दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत करना तथा पावती प्राप्त करना ।
- विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए भविष्य निधि से अधिकतम **20** दिन के भीतर आंशिक प्रत्याहरण प्राप्त करना ।
- दावा प्रस्तुत करने के **20** दिन के भीतर भविष्य निधि से अंतिम प्रत्याहरण प्राप्त करना ।
- नियोक्ता के बदल जाने पर भविष्य निधि संचित राशि का नए लेखे में आवेदन करने के **20** दिन के भीतर अंतरण प्राप्त करना ।
- भविष्य निधि संचयन पेंशन प्राप्त करने हेतु नामांकन प्रस्तुत करना ।
- शिकायत दर्ज करना तथा **20** दिन के भीतर उनका निवारण प्राप्त करना ।
- अधिकारियों से उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली स्थापनाओं (छूट प्राप्त सहित) से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए बिना पूर्व आज्ञा लिए मिलना ।
- योजना के अंतर्गत मासिक पेंशन प्राप्त करना ।
- क.भ.नि.सं. से यूनिवर्सल खाता संख्या (यू.ए.एन.) प्राप्त करना ।

SERVICE STANDARDS

2.7 The details of Service and Standards regarding Citizen Charter is given below:-

S. N.	MAIN SERVICES	STANDARDS
1.	Settlement of form-19 (PF – final withdrawal)	20 days
2.	Settlement of form 31 (PF – part withdrawal)	20 days
3.	Settlement of form 13 (PF - transfer)	20 days
4.	Settlement of form 14 (PF – payment of life insurance premium)	20 days
5.	Settlement of form 20 (PF – final withdrawal by nominee on death of member)	20 days
6.	Settlement of form 10 D (Pension – monthly pension)	20 days
7.	Settlement of form 10 C (Pension – withdrawal benefit/Scheme Certificate)	20 days
8.	Settlement of form 5 IF (Insurance – payment to nominee on death of employee while in service)	20 days
9.	Issue of annual accounts slips	By 31 st May of the following year
10.	Redressal of grievances	20 days.



RIGHTS OF MEMBERS

2.8 The details of Rights of Members is given below:-

- Right to membership of PF, Pension and EDLI schemes for every employee of covered establishment subject to scheme provisions.
- To receive annual statement of provident fund regularly.
- To obtain claim form free of cost from any Provident Fund office.
- To obtain assistance/guidance in filling up forms.
- To submit claim applications and obtain acknowledgement.
- To get partial withdrawals from provident fund settled within a maximum period of **20** days for specified purposes.
- To get final withdrawals from provident fund settled within **20** days from the date of submission of claim.
- To get provident fund accumulations transferred to members' new account within **20** days of application on change of employment.
- To execute nomination for receiving provident fund accumulations/pension.
- To register grievance and get redressal within **20** days.
- To approach any officer for redress of grievance for establishments under his jurisdiction including exempted establishments without prior appointment.
- To receive monthly payment of pension under the scheme.
- To obtain Universal Account Number (UAN) from EPFO.

नियोक्ताओं के अधिकार

2.9 नियोक्ताओं के अधिकारों का विवरण निम्नलिखित है :-

- निरीक्षण के लिए आने वाले प्रवर्तन अधिकारियों से पहचान पत्र मांगना ।
- कानून के प्रावधानों का अनुपालन करने हेतु कारोबार संख्या (भविष्य निधि संख्या) आबंटित करवाना ।
- क.भ.नि.सं. पहुंचकर भविष्य निधि मामलों के संबंध में स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन प्राप्त करना ।
- विविध प्रपत्रों (फार्म) को निःशुल्क प्राप्त करना ।

शिकायत निवारण प्रणाली

2.10 जन शिकायत अधिकारी का नाम एवं संपर्क विवरण :

अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (ग्रा.से.प्र.)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन,

भविष्य निधि भवन, 14 भीकाजी कामा प्लेस,

नई दिल्ली -110066

(http://epfindia.gov.in/epfo_directory_ho.html पर संपर्क विवरण उपलब्ध है ।)

शिकायत दर्ज करने के लिए यू.आर.एल.

www.epfigms.gov.in

शिकायत निवारण की समय-सीमा 20 दिन

2.11 क.भ.नि.सं. ने दावा निपटान के लिए 20 दिनों की सामान्य समय-सीमा निर्धारित की है । यदि शिकायत ई.पी.एफ.आई.जी.एम.एस. (epfigms) द्वारा दर्ज की गई है तो निवारण हेतु निर्धारित समय-सीमा 20 दिन है । शिकायत का निवारण न होने पर शिकायत को अगले उच्च कार्यालय को अग्रेषित कर दिया जाएगा । अगर किसी सदस्य ने अपने ई-मेल पहचान के बारे में उल्लेख किया हो तो पावती एवं उत्तर भी ई-मेल द्वारा दर्ज किया जाएगा । हार्ड कॉपी के जरिए सदस्य के पते पर भी उत्तर भेजने का प्रावधान है ।

स्टेक होल्डर्स/ग्राहक :

2.12 कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत रचित तीनों योजनाओं में उल्लिखित सेवा मानक, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के सदस्यों के निर्णयों जो कर्मचारी एवं नियोजक संघों तथा राज्य व केन्द्र दोनों सरकारों से प्रतिनिधि होते हैं, के निर्णयों के अनुसार ही हैं ।

महत्वपूर्ण केन्द्र तथा अधीनस्थ संगठन

2.13 क.भ.नि.सं. के 10 आंचलिक कार्यालय, 40 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 82 उप क्षेत्रीय कार्यालय हैं । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालयों की सूची परिशिष्ट ए – 22 पर संलग्न है ।

सेवा पाने वालों से निर्देशात्मक अपेक्षाएं :

सदस्य

- स्थापना में कार्यग्रहण के तत्काल बाद, सदस्य को निधि में अपनी पूर्व सदस्यता से संबंधित घोषणा पत्र नियोक्ता को देना चाहिए (पैरा 34, क.भ.नि. योजना 1952)
- सदस्य को फार्म 2 में अपने नामांकन को प्रमाणित करने के बाद क.भ.नि.सं. को अग्रेषित करने हेतु नियोक्ता को देना चाहिए ।
- सभी दावे, अपेक्षित अनुलग्नकों के साथ तथा नियोक्ता/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पूर्णतया सत्यापित करके प्रस्तुत किए जाएं ।

RIGHTS OF EMPLOYERS

2.9 The details of Rights of Employers are given below:-

- To demand from the visiting Enforcement Officer and Identity Card.
- To get Business Number (PF code number) allotted for complying with the provisions law.
- To approach EPFO & seek clarifications/guidance relating to provident fund matters.
- To get various forms free of cost.

GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM

2.10 Name and contact details of Public Grievance Officer

Additional Central Commissioner (CSD)
Employees' Provident Fund Organisation
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14 Bhikaiji Cama Place
New Delhi-110066
(Contact details available on http://epfindia.gov.in/epfo_directory_ho.html)

URL to lodge grievance.

www.epfigms.gov.in

TIMELINE FOR REDRESS 20 days

2.11 EPFO has notified general time limit of **20** days for settlement of claim. In case a grievance is lodged through the epfigms portal time line fixed for redress in **20** days. In case of non-redress, the grievance is escalated to next higher authority. If the member has mentioned his/her e-mail ID, acknowledgement as well as response is also reported through the mail. There is also provision to reply on the address of the member through hard copy.

STAKEHOLDERS/CLIENTS

2.12 The service standards mentioned in the three Schemes under the EPF & M.P. Act, 1952 are as per the decisions of the Central Board, Employees' Provident Fund, which has representatives from the employee and employer associations and Government, both Central as well as State.

RESPONSIBILITY CENTERS AND SUBORDINATE ORGANISATIONS

2.13 EPFO has **10** Zonal offices, **40** Regional Offices and **82** sub-Regional Offices. List of EPFO Offices is at **Annexure A- 22**.

INDICATIVE EXPECTATIONS FROM THE SERVICE RECIPIENTS

Members

- Immediately after joining an establishment, the member should submit his/her declaration regarding previous membership of Fund to the employer (Para 34, EPF Scheme 1952).
- The member should submit his/her nomination in form 2 to his/her employer for onward submission to EPFO after authenticating it.
- All claims shall be submitted with the required enclosures and duly attested by the employer/authorized officer.

नियोक्ता

- प्रतिमाह नियोक्ता को ई.सी.आर. फॉरमेट में मासिक रिटर्न तथा तदनुरूप प्रेषण इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करना होगा।
- नियोक्ता को अनिवार्य रूप से नौकरी ग्रहण करने तथा/अथवा छोड़ने वाले सदस्य के विवरण को निर्धारित फार्म में तथा तरीके से जमा करना होगा। नियोक्ता को प्रत्येक सदस्य के संबंधित नामांकन को भी निर्धारित फार्म एवं तरीके से जमा करना होगा। [पैरा 36 (2), पैरा 61, क.भ.नि. योजना 1952]
- नियोक्ता सदस्यों/लाभार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए दावा प्रपत्रों को सत्यापित करेंगे तथा योजना के उपबंधों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालयों को अविलंब अग्रेषित करेंगे।

चार्टर समीक्षा के लिए अगला माह एवं वर्ष :

एक वर्ष के बाद

नोट : (अधिनियम, योजना, लाभ, नियोक्ताओं एवं ठेकेदारों के कर्तव्यों के विवरण www.epfindia.gov.in पर उपलब्ध हैं)



Employers

- Every month the employer shall electronically submit monthly return in ECR format and the corresponding remittance.
- The employer shall compulsorily submit particulars of member joining service and/or leaving service in the prescribed form and manner. The employer shall also submit nomination form in respect of each member in the prescribed form and manner. [Para 36 (2), Para 61, EPF Scheme 1952]
- The employer shall attest the claim forms submitted by the members/beneficiaries and forward it to EPFO offices promptly as per Scheme provisions.

Month and Year for the next Review of the Charter

After one year.

Note: (Details of the Act, Scheme, benefits, duties of employers and contractors are available on www.epfindia.gov.in)



अध्याय 3

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952

और उसके अंतर्गत रचित योजनाएं

अधिनियम को लागू करना अनिवार्य कवरेज

3.1 अधिनियम, जम्मू तथा कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है। वर्तमान में अधिनियम निम्न स्थापनाओं पर लागू है :

- (क) प्रत्येक ऐसी स्थापना जो अधिनियम की अनुसूची -I में विनिर्दिष्ट उद्योगों में से एक फैक्ट्री हो, जिसमें बीस अथवा अधिक व्यक्ति कार्यरत हों।
- (ख) एवं ऐसी कोई स्थापना अथवा स्थापना वर्ग जिसमें बीस अथवा उससे अधिक व्यक्ति कार्यरत हों तथा जिसे केन्द्र सरकार ने सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया हो।

सिने - कामगारों के मामले में अधिनियम के अंतर्गत कवर करने के उद्देश्य से कर्मचारियों की संख्या पांच होनी चाहिए।

कवरेज से छूट

3.2 यह अधिनियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होता :

- (क) ऐसी किसी स्थापना पर जो सहकारी संस्था अधिनियम, 1912 (1912 का 2) के अंतर्गत अथवा ऐसे किसी अन्य कानून के अंतर्गत पंजीकृत हो, जो किसी ऐसे राज्य में लागू हो जिससे सहकारी संस्था संबंधित हो और उसमें 50 से कम व्यक्ति कार्यरत हों तथा बिजली की सहायता के बिना कार्य करते हों;
- (ख) ऐसी किसी अन्य स्थापना पर जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार से संबंधित हो अथवा उनके नियंत्रणाधीन हो तथा जिसके कर्मचारी केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम अथवा किसी योजना के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि अथवा वृद्धावस्था पेंशन के लाभ के पात्र हों; अथवा
- (ग) ऐसी किसी अन्य स्थापना पर जो केन्द्रीय, प्रांतीय अथवा राज्य अधिनियम के अंतर्गत गठित हो तथा जिसके कर्मचारी उक्त अधिनियम के अंतर्गत गठित नियम अथवा अन्य योजना के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि अथवा वृद्धावस्था पेंशन के लाभ के पात्र हों।

स्वैच्छिक कवरेज

3.3 ऐसी स्थापनाओं को, जो अधिनियम के कार्यक्षेत्र के अधीन नहीं आती हैं उन्हें स्वेच्छा के आधार पर कवर किया जा सकता है, जबकि नियोक्ता तथा अधिकांश कर्मचारी इस बात से सहमत हों कि उनकी स्थापना पर समझौते की तिथि अथवा ऐसे समझौते में उल्लिखित बाद की अन्य किसी तिथि से अधिनियम की धारा 1(4) के अंतर्गत उपबंधों को लागू कर दिया जाए। 31 मार्च, 2015 को ऐसी स्वैच्छिक रूप से कवर्ड स्थापनाओं की संख्या **35,949** थी, जो कुल स्थापनाओं का **4.17%** था।

उद्योगों / स्थापना वर्गों की अनुसूची

3.4 वर्तमान में अधिसूचना के अनुसार **187** उद्योगों / स्थापनाओं पर अधिनियम, लागू है। इनमें अर्थव्यवस्था की व्यापारिक, वाणिज्य तथा सेवा क्षेत्रों की फैक्ट्रियां/स्थापनाएं शामिल हैं।

Chapter 3

EMPLOYEES' PROVIDENT FUNDS & MISCELLANEOUS PROVISIONS ACT, 1952

AND SCHEMES FRAMED THEREUNDER

APPLICATION OF THE ACT

COMPULSORY COVERAGE

3.1 The Act extends to whole of India, except the State of Jammu and Kashmir. The Act is at present applicable:

- (a) to every establishment, which is a factory engaged in any industry specified in Schedule -I to the Act in which twenty or more persons are employed; and
- (b) to any other establishment employing twenty or more persons or class of such establishment, the Central Government notifies in the Official Gazette.

In case of Cine-Workers, the required employees strength for the purpose of coverage under the Act is five.

EXCLUSION FROM COVERAGE

3.2 The Act does not apply to:



- (a) any establishment registered under the Co-operative Societies Act, 1912 (2 of 1912), or under any other law for the time being in force in any State relating to Co-operative Societies employing less than 50 persons and working without the aid of power;
- (b) any other establishment belonging to or under the control of the Central Government or a State Government and whose employees are entitled to the benefit of contributory provident fund or old age pension in accordance with any scheme or rule framed by the Central Government or the State Government governing such benefits; or
- (c) any other establishment set up under any Central, Provincial or State Act and whose employees are entitled to the benefits of contributory provident fund or old age pension in accordance with any scheme or rule framed under that Act governing such benefits.

VOLUNTARY COVERAGE

3.3 An establishment which is not otherwise coverable under the Act can be covered voluntarily where the employer and the majority of its employees have agreed that the provisions of the Act should be made applicable to their establishment under section 1(4) of the Act from the date of agreement or from any subsequent date specified in such agreement. As on 31st March 2015, the number of such voluntarily covered establishments was **35,949** it being **4.17%** of total establishments.

SCHEDULE OF INDUSTRIES / CLASSES OF ESTABLISHMENTS

3.4 Presently, there exists notification for **187** Industries / Classes of establishments to which the Act is applicable. These include factories/ establishments engaged in Trading and Commercial activities and Service Sector of the economy.

3.5 31.03.2015 तक जिन उद्योगों पर अधिनियम लागू है, उनकी सूची स्थापनाओं तथा प्रत्येक वर्ग में सदस्यों की संख्या सहित **परिशिष्ट ए-5 (i)** में दी गई है तथा स्थापनाओं और सदस्यों की अंचलवार (क्षेत्रवार) स्थिति एवं संकेन्द्रण **परिशिष्ट ए-5 (ii)** पर दर्शाई गई है।

3.6 महाराष्ट्र राज्य तथा इसके बाद तमिलनाडु क्षेत्र में सबसे अधिक सदस्य संख्या है। यह भी देखा जा सकता है कि **59.16 %** सदस्य छः क्षेत्रों नामतः महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली तथा आंध्र प्रदेश में संकेन्द्रित हैं। सदस्यों के संकेन्द्रण से संबंधित क्षेत्रों की सूची **परिशिष्ट 5 ए-(iii)** पर दी गई है।

3.7 जिन **187** अनुसूचित उद्योगों/स्थापना वर्गों पर अधिनियम लागू होता है, उनमें से आठ अनुसूचित उद्योगों में सदस्यों के संकेन्द्रण का प्रतिशत अधिकतम है, जो कि 31.03.2015 तक **परिशिष्ट 5 ए-(iv)** में दर्शाई गई कुल सदस्यता का **71.05%** है तथा कुल स्थापनाओं का **63.61%** है। 31.03.2015 तक 18 उद्योग / स्थापना वर्गों में 10 लाख अथवा अधिक सदस्य थे।

क.भ.नि.योजना, 1952 की सदस्यता के लिए पात्रता

3.8 योजना के प्रारंभ में, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अंतर्गत निधि की सदस्यता के लिए वह कर्मचारी पात्र था, जिसका वेतन 300/- रुपये प्रतिमाह तक था तथा जिसने एक वर्ष तक की सेवा पूरी कर ली थी। योजना के अंतर्गत वेतन सीमा तथा अर्हक सेवा अवधि के संबंध में सदस्यता हेतु कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में किये गये कालानुक्रमिक परिवर्तन नीचे दिए गए हैं :

{कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 का पैरा 2(एफ) के अंतर्गत वेतनसीमा में कालानुक्रमिक परिवर्तन}	
अवधि	प्रतिमाह वेतन सीमा
01.11.1952 से 31.05.1957	₹ 300/-
01.06.1957 से 30.12.1962	₹ 500/-
31.12.1962 से 10.12.1976	₹ 1,000/-
11.12.1976 से 31.08.1985	₹ 1,600/-
01.09.1985 से 31.10.1990	₹ 2,500/-
01.11.1990 से 30.09.1994	₹ 3,500/-
01.10.1994 से 31.05.2001	₹ 5,000/-
01-06-2001 से 31.08.2014	₹ 6,500/-
01-09-2014 से आगे	₹ 15,000/-
कर्मचारी के नामांकन के लिए अर्हक सेवा अवधि (क.भ.नि. योजना 1952 का पैरा 26)	
1952 में क.भ.नि. योजना के प्रारंभ से 2 दिसंबर, 1971 तक	एक वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण करने पर या एक वर्ष या उससे कम अवधि में न्यूनतम 240 दिन का वास्तव में कार्य किया हो, जो भी पहले हो।
03.12.1971 से 09.08.1974 तक	एक वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण करने पर या एक वर्ष या उससे कम समय में कम से कम 240 दिन वास्तविक कार्य किया हो या किसी ऐसी फैक्ट्री या अन्य स्थापना में स्थायी घोषित किया गया हो, जो भी पहले हो।
10.08.1974 से 30.01.1981 तक	6 माह की लगातार सेवा पूर्ण करने पर या 6 माह या कम समय में न्यूनतम 120 दिन वास्तविक कार्य किया हो या किसी ऐसी फैक्ट्री या अन्य स्थापना में स्थायी घोषित किया गया हो, जो भी पहले हो।
31.01.1981 से 31.10.1990 तक	3 माह की लगातार सेवा पूर्ण करने पर या 3 माह में न्यूनतम 60 दिन वास्तविक कार्य किया हो या किसी ऐसी फैक्ट्री या अन्य स्थापना में स्थायी घोषित किया गया हो, जो भी पहले हो।
01.11.1990 से व इसके बाद	फैक्ट्री/स्थापना में कार्यभार संभालने की तिथि से।

3.5 The Schedule of industries to which the Act applies as on 31.03.2015 along with establishments and member accounts in each category is given in **Appendix A- 5 (i)** & zone-wise (Region-wise) position and concentration of Establishments and Members is at **Appendix A- 5 (ii)**.

3.6 Maharashtra State followed by Tamilnadu has the largest number of members. It may also be noted that **59.58%** of the members are concentrated in five states namely Maharashtra, Tamilnadu, Karnataka, Delhi, Gujarat and Andhra Pradesh. The list of the states in terms of concentration of members is at **Appendix A- 5 (iii)**.

3.7 Out of the **187** Schedule of Industries/Classes of establishments, to which the Act applies, maximum percentage of members are concentrated in eight categories indicated in **Appendix A- 5 (iv)** which account for **63.62 %** of the total establishments with **71.05 %** of the total membership as on 31.03.2015. As on 31.03.2015, there were eighteen categories of industries/ classes of establishments which have 10 lac or more members.

ELIGIBILITY FOR MEMBERSHIP OF EMPLOYEES' PROVIDENT FUNDS SCHEME, 1952

3.8 At the time of inception of the Scheme, an employee who was in receipt of pay upto **₹ 300/-** p.m. and who worked for one year was eligible for membership of the Fund. Chronological order of the change of wage ceiling and qualifying period for enrolment as member under the Scheme is given below:

CHRONOLOGICAL ORDER OF THE CHANGE OF WAGE CEILING {PARA 2(f) OF EPF SCHEME 1952}	
Period	Wage limit per month
01.11.1952 to 31.05.1957	₹ 300/-
01.06.1957 to 30.12.1962	₹ 500/-
31.12.1962 to 10.12.1976	₹ 1,000/-
11.12.1976 to 31.08.1985	₹ 1,600/-
01.09.1985 to 31.10.1990	₹ 2,500/-
01.11.1990 to 30.09.1994	₹ 3,500/-
01.10.1994 to 31.05.2001	₹ 5,000/-
01-06-2001 to 31.08.2014	₹ 6,500/-
01-09-2014 onward	₹ 15,000/-
QUALIFYING PERIOD OF SERVICE FOR ENROLMENT AN EMPLOYEE (Para 26 of the E.P.F.SCHEME, 1952)	
From the inception of the EPF Scheme, in 1952 till 2nd Dec. 1971	Completion of one year's continuous service or has actually not less than 240 working days within a period of one year or less, whichever is earlier.
From 03.12.1971 to 09.08.1974	Completion of one year's continuous service or has actually not less than 240 working days within a period of one year or less or has been declared permanent in any such factory or other establishment, whichever is the earliest.
From 10.08.1974 to 30.01.1981	Completion of six months continuous service or has actually worked for not less than 120 days within a period of six months or less or has been declared permanent in any such factory or other establishment, whichever is the earliest.
From 31.01.1981 to 31.10.1990	Completion of three months continuous service or has actually worked for not less than 60 days within a period of three months or has been declared permanent in any such factory or other establishment, whichever is the earliest.
From 01.11.1990 onwards	From the date of joining the factory/ establishment

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995

3.9 रिपोर्टाधीन वर्ष में कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां हुईं। समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा योजना के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की लंबे समय से चली आ रही मांग सरकार द्वारा सदस्य पेंशनभोक्ताओं, विधवा/ विधुर पेंशनभोक्ता एवं कुछ अन्य श्रेणी के पेंशनभोक्ताओं के लिए न्यूनतम पेंशन 1000/- रु आरंभ करने संबंधी अधिसूचना लागू करने से पूरी हुई। वर्ष के दौरान योजना के वार्षिक मूल्यांकन की कार्यवाही को भी योजना के इतिहास में संभवतः प्रथम बार अद्यतन किया गया।

3.10 संगठन ने पेंशन संवितरण बैंकों के कोर बैंकिंग सिस्टम (सी.बी.एस.) माध्यम से पेंशन क्रेडिट करने के प्रयत्नों को समेकित एवं बढ़ाकर इस प्रक्रिया के माध्यम से प्रयत्न किया है कि पेंशनभोक्ताओं के बैंक खाते में माह के प्रथम दिवस को नियमित रूप से पेंशन जमा हो जाए। पेंशन निधि की लंबी अवधि तक व्यवहार्यता को सहारा देने एवं टिकाए रखने के लिए कर्मचारी पेंशन योजना में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं

संक्षिप्त ऐतिहासिक टिप्पणी :-

3.11 कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (क.पें.यो.) दिनांक 16 नवंबर, 1995 से लागू की गई। कर्मचारी पेंशन योजना के लागू होने पर पुरानी कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 समाप्त हो गई तथा पुरानी योजना की सभी परिसंपत्तियां तथा देयताएं कर्मचारी पेंशन निधि में अंतरित व शामिल कर दी गई। लाभार्थियों को पुरानी योजना (क.प.पें.यो.) के अंतर्गत मिलने वाले लाभ तथा पात्रता क.पें.यो. 1995 के अंतर्गत सुरक्षित एवं जारी रहेंगे।

3.12 कर्मचारी पेंशन योजना को दीर्घावधि वित्तीय व्यावहारिकता सुनिश्चित करने के लिए "सुनिश्चित लाभ सुनिश्चित बीमा योजना" के सिद्धांतों के आधार पर डिज़ाइन किया गया है एवं यह बीमांकक सिद्धांतों को अंगीकार करती है। योजना का उद्देश्य सदस्य तथा उसके परिवार को वृद्धावस्था के दौरान आर्थिक सहायता तथा उत्तरजीवी लाभ देना है। कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में नियोक्ता के भाग के भविष्य निधि अंशदान से 8.33 % राशि परिवर्तित करके एवं केन्द्र सरकार द्वारा मासिक वेतन के 1.16% की दर से अंशदान से इसका वित्त पोषण किया जाता है।

प्रयोज्यता

3.13 प्रारंभ में कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 उन सभी वर्तमान भविष्य निधि सदस्यों पर अनिवार्य रूप से लागू हुई, जो पूर्व की कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 में अंशदान कर रहे थे। 16.11.1995 और उसके पश्चात् भविष्य निधि की नई सदस्यता लेने वालों ने भी अनिवार्य रूप से इस योजना में सदस्यता ग्रहण की। भविष्य निधि के 15.11.1995 तक के वर्तमान सदस्य जिन्होंने पूर्व परिवार पेंशन योजना, 1971 में शामिल होने का विकल्प नहीं दिया था, उन्हें इस योजना में शामिल होने का विकल्प दिया गया है।

3.14 यद्यपि दिनांक 16.11.1995 से लागू पेंशन योजना में प्रावधान है कि बंद की जा चुकी परिवार पेंशन योजना से बाहर जा चुके सदस्यों व उसके लाभार्थियों के दिनांक 01.04.1993 से 15.11.1995 के बीच की अवधि के दौरान चुनिंदा मामलों में दिनांक 01.04.1993 से पूर्व व्याप्ति आवेदन स्वीकृत होंगे। पुरानी योजना के सदस्यों, जिनकी मृत्यु दिनांक 01.04.1993 से 16.11.1995 के बीच हुई है, को नई योजना में शामिल माना जाए तथा उनके लाभार्थी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन लाभ के हकदार होंगे।

लाभ

3.15 कर्मचारी पेंशन योजना व्यापक पेंशन लाभों को प्रदान करती है जिसमें बहुत-सी आकस्मिकताओं को कवर किया गया है जिससे कि सदस्यों तथा उनके परिवार को वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित किया जा सके। कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत उपलब्ध पेंशन तथा प्रत्याहरण के लाभों की विभिन्न श्रेणियां इस प्रकार हैं :-

I. अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति पर सदस्य पेंशन

EMPLOYEES' PENSION SCHEME, 1995

3.9 The year under report saw some significant developments taking place in the Employees' Pension Scheme, 1995. The long standing demand from diverse quarters for enhancing the minimum pension under the scheme saw the light of day with the Central Government bringing in the Gazette Notification introducing the minimum pension of ₹ 1,000/- per month for member pensioners, widow/widower pensioners and some of the other categories of pensioners. The year also witnessed the annual valuation exercise of the scheme being brought up to date, perhaps for the first time in the scheme's history.

3.10 The Organization consolidated and enhanced the initiative for credit of pension using the Core Banking System (CBS) platforms of the pension disbursing banks, endeavoring through the process that the pension was credited to the bank accounts of pensioners on the first working day every month with more regularity. Additionally, some critical amendments were made in the EPS with a view to bolster and shore up the long term sustainability of the Pension Fund.

BRIEF HISTORICAL NOTE

3.11 The Employees' Pension Scheme, 1995 came into effect on 16th November, 1995 and with its introduction the erstwhile Employees' Family Pension Scheme, 1971 (EFPS) ceased to operate and all the assets and liabilities of the old scheme were transferred and merged with the Employees' Pension Fund. The benefits and entitlements of the beneficiaries under the old scheme (EFPS) are protected and continued under the new EPS, 1995.

3.12 The EPS has been designed on the principles of a "Defined Contribution - Defined Benefit" Social Insurance Scheme and adopts "actuarial principles" for ensuring long term financial viability. The Scheme aims at providing economic sustenance during old age and survivorship coverage to members and his families. The Employees' Pension Scheme, 1995 is funded by diversion of 8.33% from the monthly Employer's share of Provident Fund contributions as well as a contribution of 1.16% of the monthly wages by the Central Government.

APPLICABILITY

3.13 The EPS at its inception applied compulsorily to all the existing members of the Employees Provident Fund who were contributing to the Employees' Family Pension Scheme, 1971. The new entrants, as members of Provident Fund from 16.11.95 onwards also acquired membership of the Scheme on compulsory basis. The existing members of the Employees Provident Fund as on 15.11.1995 who had not opted for joining the erstwhile Employees' Family Pension Scheme, 1971 were given an option for joining this scheme.

3.14 The EPS though effective from 16.11.95 has a provision for optional retrospective application from 01.04.93 for outgoing members of the ceased Employees' Family Pension Scheme, 1971 and its beneficiaries during the period between 1.4.93 to 15.11.95. Members of the old scheme who had died between 01.04.93 and 16.11.95 were deemed to have joined the new scheme and their beneficiaries were entitled for pension benefits under EPS.

BENEFITS

3.15 The EPS provides a comprehensive set of benefits which covers a broad spectrum of contingencies ensuring social security protection in the old age of the members and their families. The different categories of pension and withdrawal benefits that are available under EPS are as under:

- (i) Member Pension upon superannuation/retirement

- II. सेवा के दौरान स्थायी एवं पूर्ण अशक्तता होने पर अशक्तता पेंशन/सदस्य पेंशन
- III. सदस्य अथवा पेंशनभोक्ता की मृत्यु होने पर विधवा / विधुर पेंशन
- IV. सदस्य की मृत्यु होने पर दो बच्चों को 25 वर्ष की आयु तक संतान पेंशन
- V. सदस्य की मृत्यु होने पर जब कोई पति- पत्नी /नहीं हैं अथवा पति-पत्नी की मृत्यु होने पर 2 बच्चों को 25 वर्ष की आयु तक अनाथ पेंशन
- VI. अशक्त संतान/अनाथ को जीवन पर्यंत अशक्त संतान/अनाथ पेंशन
- VII. सदस्य की मृत्यु होने पर कानूनी रूप से यदि उसका कोई परिवार नहीं है तो सदस्य द्वारा भली-भांति नामित व्यक्ति को नामिति पेंशन
- VIII. सदस्य की मृत्यु होने पर आश्रित माता/पिता को पेंशन बशर्ते कि सदस्य द्वारा पात्रता सेवा पूर्ण की गई हो तथा सदस्य का कोई परिवार अथवा नामिति न हो।
- IX. सेवा छोड़ने अथवा अधिवर्षिता पर दिया जाने वाला प्रत्याहरण लाभ बशर्ते कि सदस्य ने पेंशन के लिए पात्रता सेवा पूर्ण नहीं की है।

3.16 क.पें.यो. बंद की जा चुकी परिवार पेंशन योजना 1971 की अपेक्षा बेहतर है जिसके अंतर्गत गणनीय सेवा में होते हुए 60 वर्ष की आयु पूरी होने से पूर्व मृत्यु हो जाने पर ही विधवा/विधुर को पेंशन दी जाती थी। विधवा की अनुपस्थिति में अथवा विधवा पेंशन की समाप्ति पर पेंशन 25 वर्ष की आयु तक के बड़े बालक को देय होती थी। इसके बाद उससे छोटे बालक को देय होती थी, एक समय में एक को ही, जब तक वह 25 वर्ष की आयु प्राप्त न करे, दी जाती थी। सदस्य के लिए अधिवर्षिता / सेवानिवृत्ति पर पेंशन अथवा अशक्तता पेंशन का कोई प्रावधान नहीं था। सेवा छोड़ने पर कर्मचारी केवल प्रत्याहरण लाभ का ही पात्र था।

पात्रता

3.17 कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत अधिवर्षिता/समय पूर्व पेंशन निम्नलिखित शर्तों के पूर्ण होने पर देय होती है :

- (i) पात्र सेवा के न्यूनतम 10 वर्ष , और
- (ii) 58/50 वर्ष की आयु होने पर

3.18 58 वर्ष की आयु पूरी होने से पूर्व सेवा की समाप्ति पर सदस्य, समय पूर्व पेंशन का विकल्प दे सकता है। इस प्रकार की समय पूर्व पेंशन 50 वर्ष की आयु पूरी होने के पश्चात् ही प्राप्त की जा सकती है। 58 वर्ष से जितने वर्ष उम्र कम होगी, प्रतिवर्ष 4% की दर से (26.9.2008 से) उतनी पेंशन घटा दी जाएगी। 50 वर्ष की आयु पूरी होने से पूर्व सदस्य पेंशन देय नहीं होगी। तथापि सदस्य की मृत्यु अथवा अशक्तता के मामले में पेंशन की पात्रता के लिए ऐसी कोई आयु अथवा न्यूनतम पात्र सेवा का आधार लागू नहीं होगा। ऐसे मामलों में एक माह के अंशदान की सदस्यता ही पर्याप्त है।

3.19 सदस्य की अधिवर्षिता पर और/अथवा 58/50 वर्ष की आयु पूरी होने पर अथवा सेवा से निकासी होने पर सदस्य को देय पेंशन की मात्रा दो कारकों पर निर्भर होती है पहली सदस्य द्वारा की गई पेंशन योग्य सेवा की अवधि और दूसरी निकासी के समय उसके पेंशन योग्य वेतन जो सदस्य द्वारा लिए गए पिछले 60 माह के औसत वेतन पर आधारित होगी।

3.20 जो सदस्य 16.11.1995 से पूर्व सेवा में थे, उन्हें कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 में दी गई तालिका के आधार पर कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 में उनकी सदस्यता की अवधि का भी अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा।

- (ii) Disability Pension/ Member Pension on permanent and total disablement during the service.
- (iii) Widow/Widower Pension on death of member or Pensioner
- (iv) Children Pension for 2 children at a time till the age of 25 years on death of the member
- (v) Orphan Pension paid to maximum 2 orphans at a time till the age of 25 years on death of member when there is no spouse or on death of spouse.
- (vi) Disabled Children/Orphan Pension paid for entire life of the disabled child/Orphan.
- (vii) Nominee Pension paid on death of member and paid for life to a duly nominated person by the member in case there is no valid family in respect of member.
- (viii) Pension to dependent father/mother paid upon death of member provided eligible service has been rendered by member and there is no family or nominee of the member.
- (ix) Withdrawal benefit paid on exit from service or on superannuation provided member has not rendered service eligible for Pension.

3.16 The EPS was a vast improvement over the erstwhile Employees' Family Pension Scheme, 1971, under which only Widow/Widower pension was payable in case of death while in reckonable service and prior to completion of 60 yrs of age. In the absence of spouse or on cessation of spouse pension the eldest child was eligible for pension up to the age of 25 years and in turn to other children one at a time, subject to the age limit of 25 years. There was no provision for pension to members on superannuation/retirement or disablement, and the employee was entitled to withdrawal benefit only.



ELIGIBILITY

3.17 A member of the EPS becomes eligible for superannuation / early pension under the EPS on fulfilling:

- (i) Minimum 10 years of eligible service; and
- (ii) Attaining age of 58/50 years.

3.18 On cessation of employment before completing 58 years a member can opt for early pension. Such early pension can be availed only after completing 50 years of age and it will be subject to discounting factor at the rate of 4% (w.e.f. 26.9.2008) for every year falling short of 58 years. No member pension is payable before attaining the age of 50 years. However, no such age or minimum eligibility service criteria shall apply for pension entitlement in case of disablement or death of the member and even membership with one-month contribution will suffice in such cases.

3.19 The quantum of pension payable to a member on superannuation and/or exit from service on attaining the age of 58/50 years depends upon two variables; first, the period of pensionable service rendered by the member and secondly the pensionable salary which is the average wages of the preceding 60 months prior to exit.

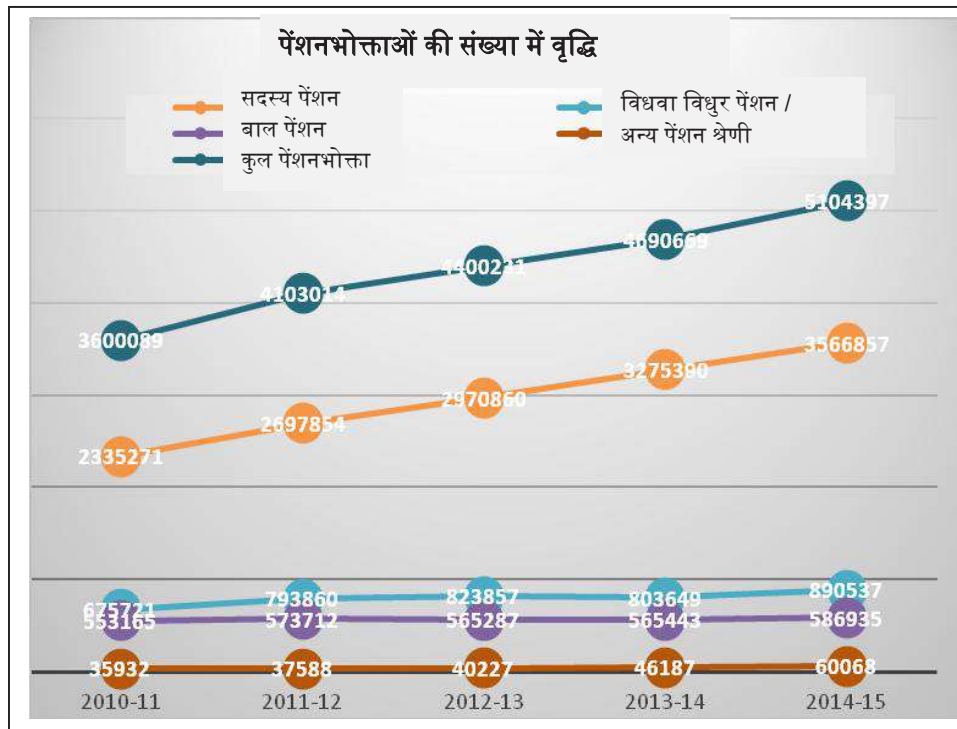
3.20 Those member having service prior to 16-11-1995, have the added benefit of past service pension for the period of their membership under the erstwhile Employees' Family Pension Scheme, 1971 as per values in the tables provided in the scheme.

मूल परिचालन आंकड़े

पेंशनभोक्ता

3.21 क.पें.यों में शुरूआत से ही लाभार्थियों के संबंध में तेज गति से वृद्धि हुई है। पिछले पांच वर्षों में योजना के द्वारा लाभान्वित होने वाले पेंशनभोक्ताओं के संदर्भ में वर्ष दर वर्ष 10% कुल वृद्धि हुई है। पिछले पांच वर्ष में पेंशनभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि को नीचे तालिका एवं ग्राफ में दिखाया गया है :-

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत पेंशन श्रेणियों का विभाजन							
वर्ष	सदस्य पेंशन	पतिपत्नी - पेंशन	बाल पेंशन	नामिति पेंशन	माता-पिता पेंशन	अनाथ पेंशन	कुल पेंशनभोक्ता
2010-11	2335271	675721	553165	8623	12264	15045	3600089
2011-12	2697854	793860	573712	8870	14277	14441	4103014
2012-13	2970860	823857	565287	8894	15663	15670	4400231
2013-14	3275390	803649	565443	9169	16743	20275	4690669
2014-15	3566857	890537	586935	10069	19884	30115	5104397

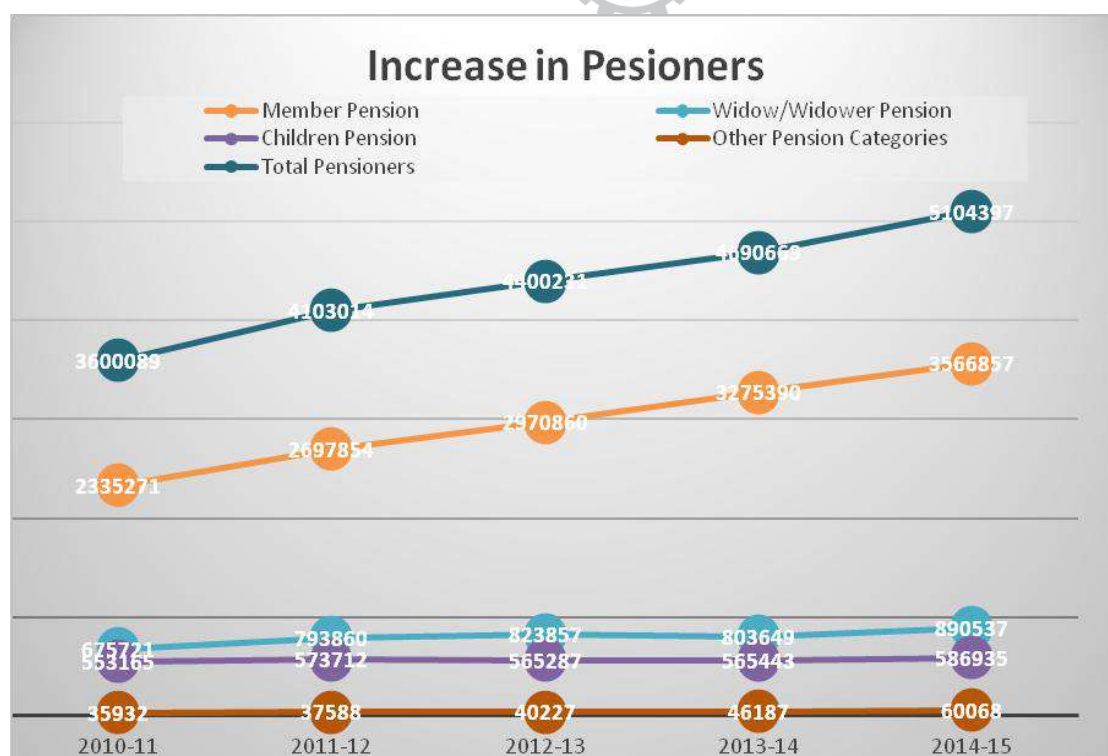


BASIC OPERATIONAL STATISTICS

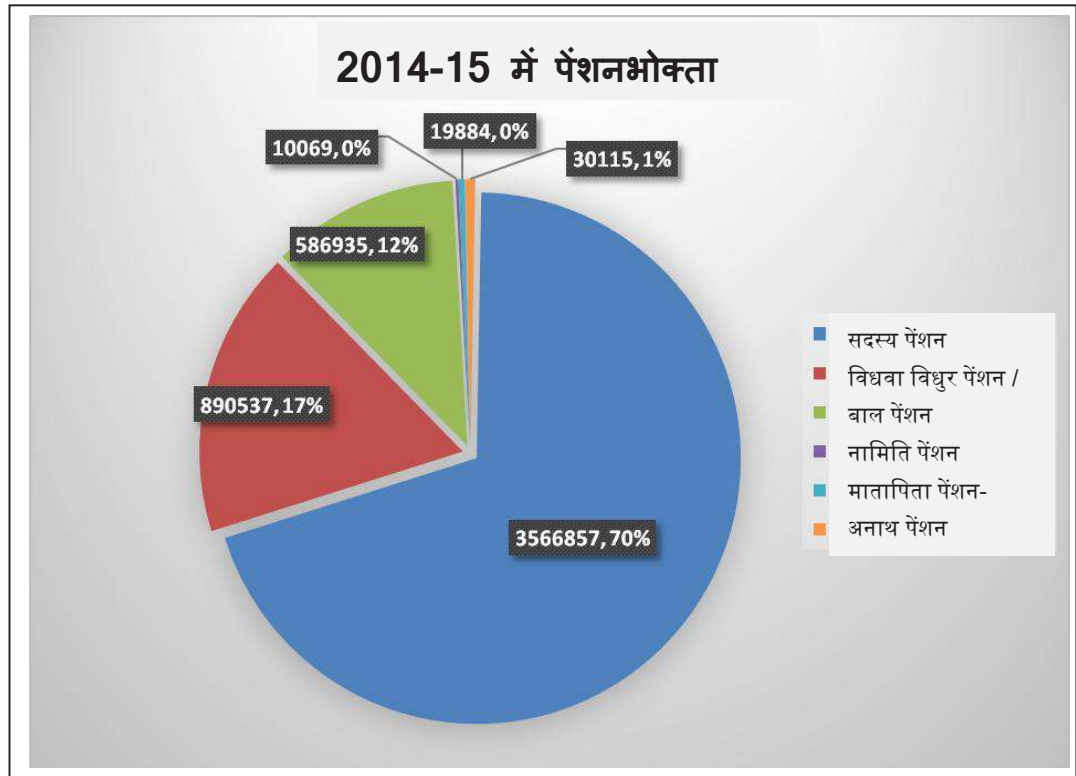
PENSIONERS

3.21 The EPS has since its inception grown in terms of the beneficiaries at a rapid pace. In the last five years the overall growth in terms of the pensioners being benefited by the scheme has increased at more than 10% year on year. The increase in the number of pensioners in the last five years are given in the table and the graph below:

Year	Member Pension	Spouse Pension	Children Pension	Nominee Pension	Parent Pension	Orphan Pension	Total Pensioner
2010-11	2335271	675721	553165	8623	12264	15045	3600089
2011-12	2697854	793860	573712	8870	14277	14441	4103014
2012-13	2970860	823857	565287	8894	15663	15670	4400231
2013-14	3275390	803649	565443	9169	16743	20275	4690669
2014-15	3566857	890537	586935	10069	19884	30115	5104397



3.22 कुल पेंशनभोक्ताओं की संख्या में सदस्य पेंशनभोक्ता 70% है एवं पति-पत्नी एवं बाल पेंशनभोक्ता की संख्या लगभग 29%। वर्ष 2014-15 में पेंशनभोक्ताओं का विभाजन नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है।

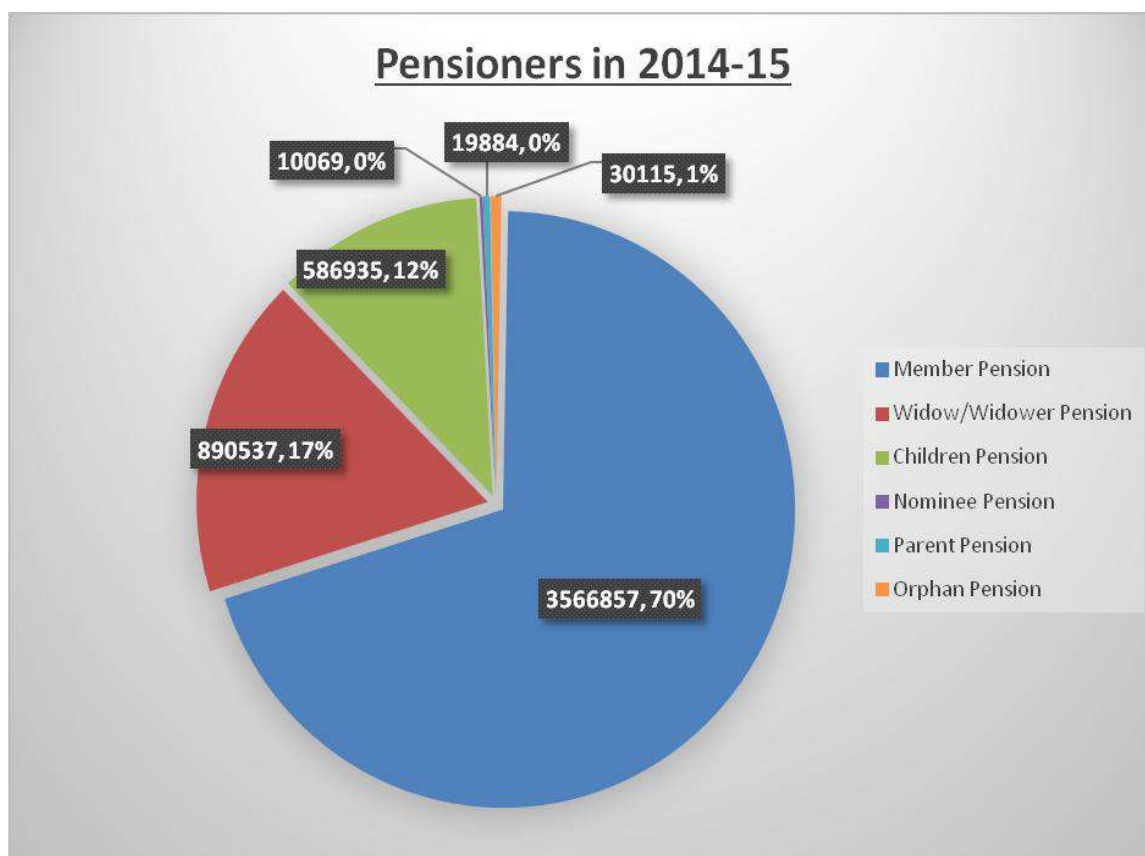


क.पें.यो. निधि प्राप्तियां, भुगतान एवं राशि संग्रह

3.23 पेंशनभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ पेंशन के रूप में निरंतर संवितरित राशि में भी वर्षों में निरंतर वृद्धि हुई है। हालांकि, निधि में रोकड़ प्रवाह की कठिनाई अब तक नहीं देखी गई है, निधि के मूल्यांकन में आकलित बीमाकंक घाटे के बावजूद शुरुआत से निधि में भुगतान की तुलना में निरंतर अधिक प्राप्तियां हो रही हैं एवं पिछले पांच वर्षों की स्थिति नीचे तालिका एवं ग्राफ में दर्शाई गई है :-

क.पें.यो. भुगतान (₹ करोड़ों में)			
वर्ष	संवितरित पेंशन	निकासी लाभ	कुल
2010-2011	3,839.48	2,093.22	5,932.70
2011-2012	4,475.46	3,165.26	7,640.72
2012-2013	5,160.61	3,877.91	9,038.52
2013-2014	5,787.36	5,112.96	10,900.32
2014-2015	7,212.53	5,388.41	12,600.94

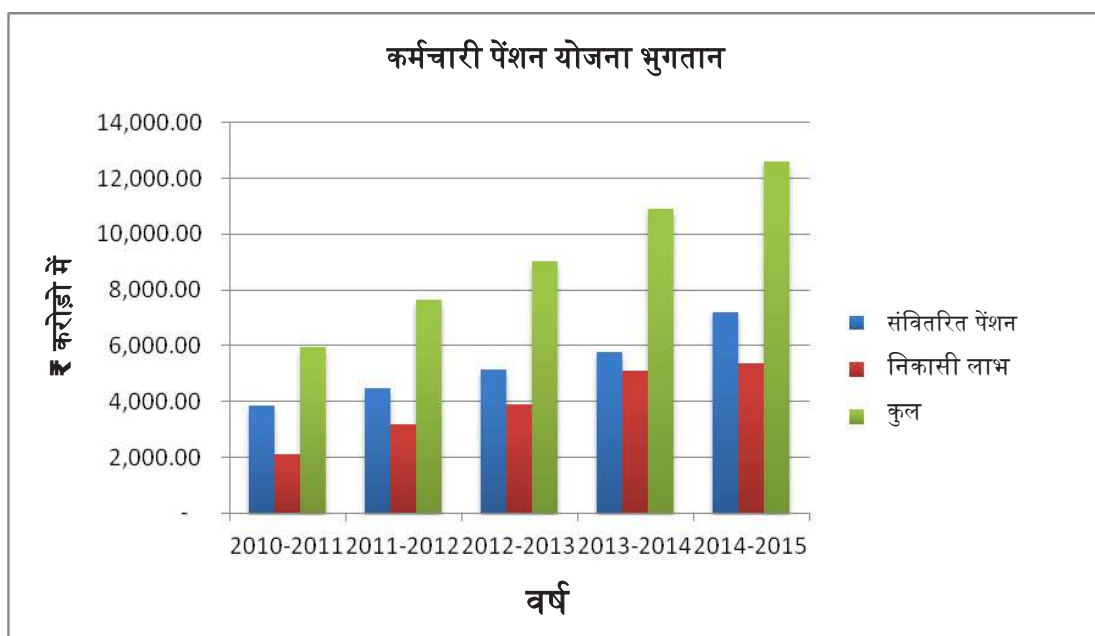
3.22 Among the pensioners, the category of member pensioners constitute almost 70% of the total number of pensioners with the spouse and children pensioners constituting about 29% of the pensioners. The distribution of pensioners in the year 2014-15 is shown in the figure below:-



EPS FUND RECEIPTS, PAYMENTS AND CORPUS

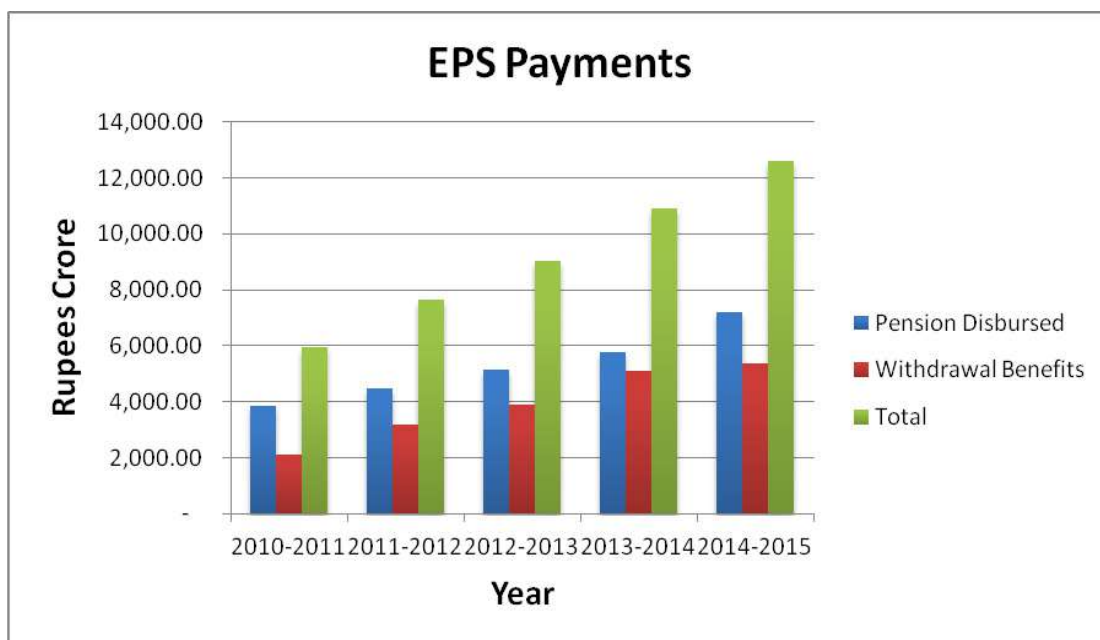
3.23 With the increase in the number of pensioners the amount disbursed as pension have also shown a steady increase over the years. However, the Fund has not witnessed any cash flow problems till now, in spite of there being a projected actuarial deficit in the valuation of the Fund. The fund has consistently had more receipts than payment outgo since inception and the position in the previous five years is depicted in the tables and figures below:

EPS Payments (₹ in crores)			
Year	Pension Disbursed	Withdrawal Benefits	Total
2010-2011	3,839.48	2,093.22	5,932.70
2011-2012	4,475.46	3,165.26	7,640.72
2012-2013	5,160.61	3,877.91	9,038.52
2013-2014	5,787.36	5,112.96	10,900.32
2014-2015	7,212.53	5,388.41	12,600.94



3.24 पेंशन एवं निकासी लाभ भुगतान में वृद्धि के साथ-साथ सदस्यता एवं वेतन में वृद्धि के चलते प्राप्तियों एवं संग्रह में लगातार वृद्धि हुई है। पिछले कुछ वर्ष में प्राप्तियों एवं संग्रह में वृद्धि नीचे तालिका एवं ग्राफ में दी गई है :-

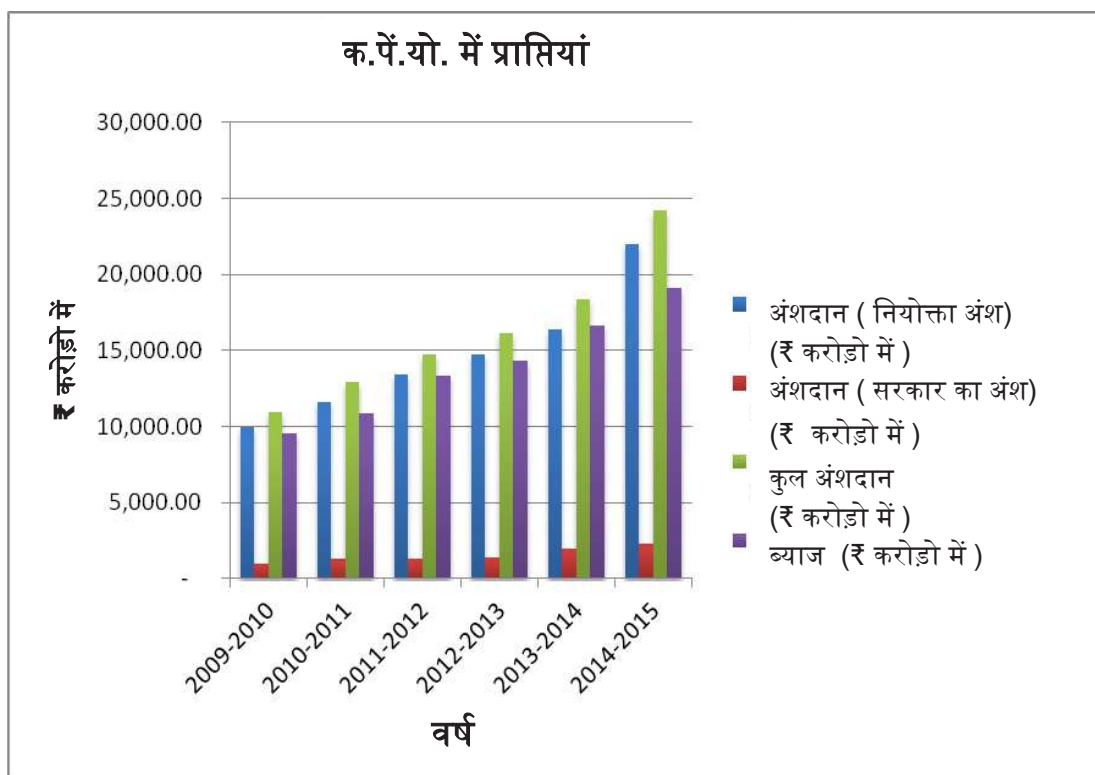
पेंशन निधि प्राप्तियां एवं संग्रह (₹ करोड़ों में)					
वर्ष	अंशदान (नियोक्ता का अंश)	अंशदान (सरकार का अंश)	वर्ष के दौरान प्राप्त कुल अंशदान,	ब्याज	वित्तीय वर्ष के अंत में संचित राशि संग्रह
2009-2010	9,930.52	994.00	10,924.52	9,532.32	1,23,790.43
2010-2011	11,587.94	1,300.00	12,887.94	10,888.50	1,42,050.82
2011-2012	13,417.47	1,350.00	14,767.47	13,315.80	1,61,780.08
2012-2013	14,724.01	1,400.00	16,124.01	14,354.68	1,83,405.36
2013-2014	16,417.74	1,943.99	18,361.73	16,657.45	2,07,685.60
2014-2015	21,951.70	2,290.00	24,241.70	19,097.28	2,38,531.84



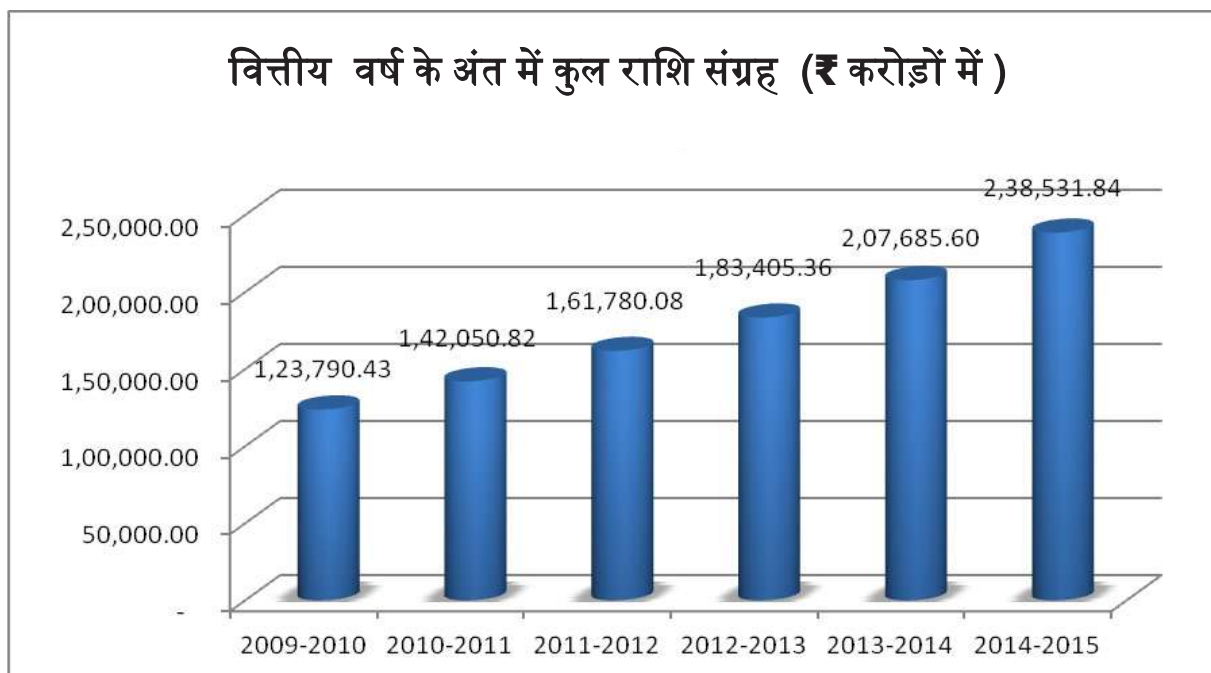
3.24 Along with the increase in the pension and withdrawal benefit payments there has been a continuous increase in the receipts and corpus given the growth in the membership as well as general increase in wages. The growth in the receipts and corpus in the previous few years is given in the table and figures below.

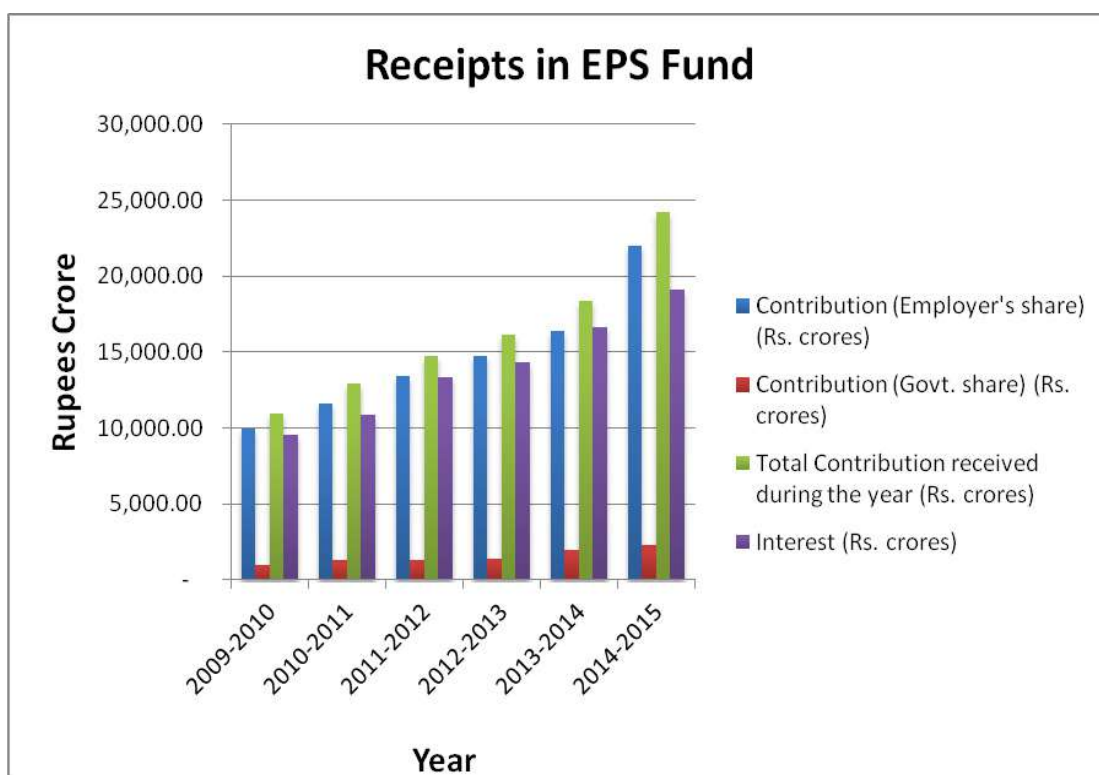


Pension Fund Receipts & Corpus					(₹ in crores)
Year	Contribution (Employer's share)	Contribution (Govt. share)	Total Contribution received during the year	Interest	Corpus as at the end of Financial Year
2009-2010	9,930.52	994.00	10,924.52	9,532.32	1,23,790.43
2010-2011	11,587.94	1,300.00	12,887.94	10,888.50	1,42,050.82
2011-2012	13,417.47	1,350.00	14,767.47	13,315.80	1,61,780.08
2012-2013	14,724.01	1,400.00	16,124.01	14,354.68	1,83,405.36
2013-2014	16,417.74	1,943.99	18,361.73	16,657.45	2,07,685.60
2014-2015	21,951.70	2,299.80	24,251.50	19,097.28	2,38,531.84

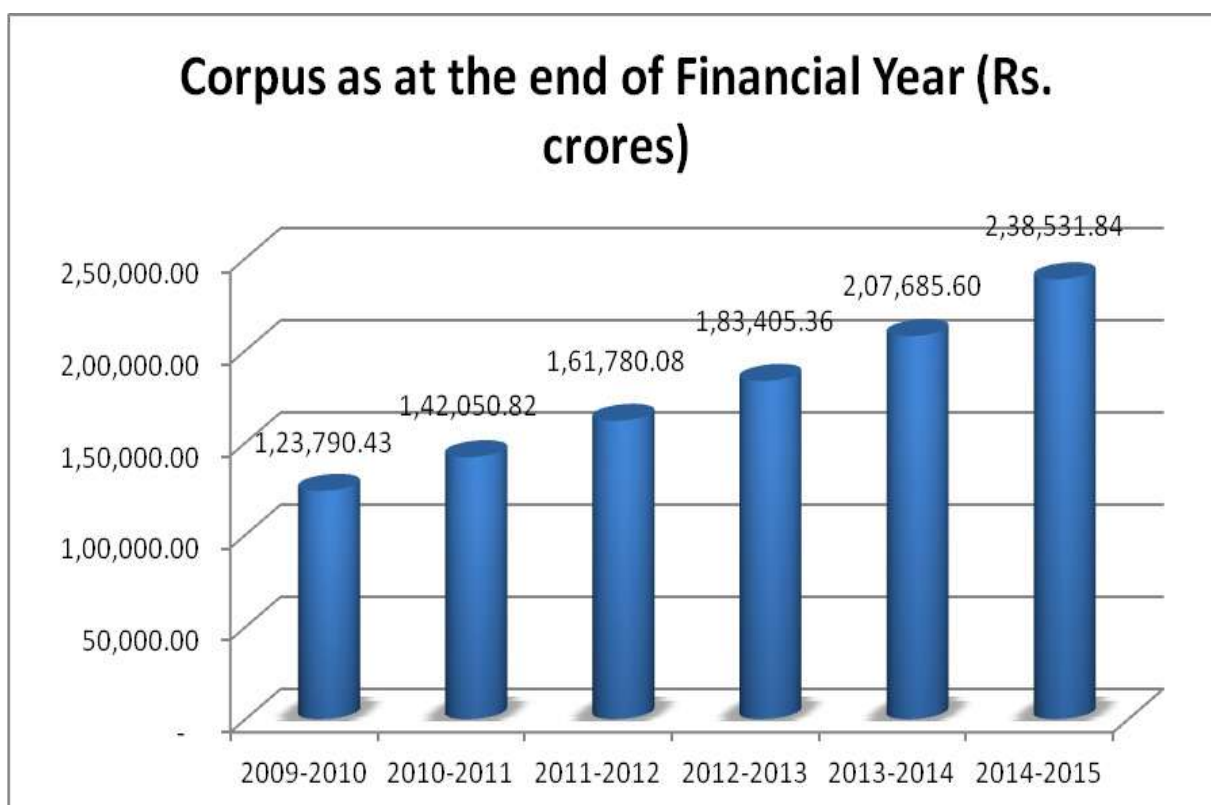


3.25 क.पें.यो. के जमा राशि संग्रह में निरंतर वृद्धि हो रही है एवं वर्ष 2009-10 से अब तक लगभग 93% वृद्धि हुई है। पिछले कुछ वर्षों में जमा हुए राशि संग्रह को नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है :-





3.25 The accumulated corpus of the EPS has grown steadily and since the year 2009-10 the corpus has increased by almost 93%. The accumulated corpus of the EPS over the previous few years is depicted in the figure below.



न्यूनतम पेंशन उपबंध का कार्यान्वयन

3.26 वर्ष के दौरान न्यूनतम पेंशन की लंबे समय से की जा रही मांग को पूरा किया गया। केन्द्र सरकार ने सदस्य/विधवा (विधुर)/अशक्तता/नामिति/आश्रित माता-पिता पेंशन भोक्ताओं को न्यूनतम ₹ 1000/- प्रतिमाह, अनाथ पेंशन भोक्ताओं के लिए ₹ 750/- प्रतिमाह तथा बाल पेंशन भोक्ताओं के लिए ₹ 250/- प्रतिमाह पेंशन उपलब्ध कराने के लिए गजट अधिसूचना संख्या 593 (ई) दिनांक 19.08.2014 जारी की थी।

3.27 अधिसूचना के तत्काल पश्चात् एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में संशोधित न्यूनतम पेंशन के भुगतान के लिए आवश्यक सुधार किए गए। सितंबर, 2014 से संशोधित न्यूनतम पेंशन का भुगतान आरंभ किया गया है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान लाभान्वित पेंशनभोक्ता के विवरण तथा उनके संबंध में वितरित राशि निम्नानुसार है :-

माह	प्रभावित पेंशनभोक्ताओं की संख्या	मूल पेंशन के अनुसार राशि (₹ करोड़ों में)	न्यूनतम पेंशन अधिसूचना के अनुसार भुगतान की गई राशि (₹ करोड़ों में)	राशि में अंतर (₹ करोड़ों में)
सितंबर -14	19,24,270	1,12,40,61,995	1,74,34,80,735	61,94,18,740
अक्तूबर -14	19,38,144	1,14,22,58,038	1,77,42,09,111	63,19,51,073
नवंबर -14	19,49,167	1,17,33,15,286	1,81,43,75,515	64,10,60,229
दिसंबर -14	19,64,295	1,24,66,18,710	1,90,53,17,099	65,86,98,389
जनवरी -15	16,62,096	1,07,68,51,239	1,67,41,35,321	59,72,84,082
फरवरी -15	17,57,142	1,14,12,76,174	1,76,69,59,107	62,56,82,933
मार्च -15	17,91,794	1,07,13,23,953	1,69,18,52,443	62,05,28,490
कुल	1,29,86,908	7,97,57,05,395	12,37,03,29,331	4,39,46,23,936

3.28 न्यूनतम पेंशन अधिसूचना के कार्यान्वयन के पश्चात् सभी सदस्य / विधवा (विधुर) / अशक्त / नामिति / आश्रित माता-पिता के लिए जिनकी न्यूनतम मासिक पेंशन ₹ 1000 / - प्रतिमाह से कम थी, उनकी न्यूनतम पेंशन ₹ 1000 / - प्रतिमाह निर्धारित की गई है। सदस्यों द्वारा दावा करते समय दिए गए विकल्प जैसे कम्प्यूटेशन, पूंजी की वापसी तथा लघुसेवा के आधार पर लिए गए लाभों के लिए न्यूनतम ₹ 1000 / - प्रतिमाह माह पेंशन पर कटौती की जाती है। न्यूनतम पेंशन अधिसूचना के कार्यान्वयन के पश्चात् कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत पेंशन का निर्धारण योजना के प्रावधानों के साथ-साथ उपर्युक्त संदर्भित न्यूनतम पेंशन अधिसूचना द्वारा किए अनुरूप है गए संशोधनों के। कम्प्यूटेशन, पूंजी की वापसी आदि के कारण की जाने वाली कटौती के बिना ₹ 1000 / - प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन स्वीकृत करना उन सदस्यों/पेंशनभोक्ताओं के प्रति अन्यायपूर्ण तथा अनुचित होगा जिन्होंने दावा करते समय इन लाभों को प्राप्ति नहीं किया तथा बिना किसी वैकल्पिक लाभ के केवल मूल पेंशन लेने का विकल्प प्रस्तुत किया।

IMPLEMENTATION OF MINIMUM PENSION PROVISION

3.26 During the year one of the long awaited demands for implementation of the minimum pension was given effect to. The Central Government had issued Gazette Notification No. **593(E)** dated 19.08.2014 providing a minimum pension of **₹ 1,000/-** per month for member / widow(er) / disabled/ nominee/ dependent parent pensioners, **₹ 750/-** per month for orphan pensioners and **₹ 250/-** per month for children pensioners.

3.27 Immediately after the notification, necessary amendments in the application software were made to commence the payment of the revised minimum. The payment of pension with the revised minimum pension applicable has been commenced from September, 2014. The details of pensioners affected and the amount disbursed in respect of them in the year under report are as follows:

Month	No. of Pensioner affected	Amount as per original pension (₹ in crores)	Amount Paid as per minimum notification (₹ in crores)	Difference amount (₹ in crores)
Sep-14	19,24,270	1,12,40,61,995	1,74,34,80,735	61,94,18,740
Oct-14	19,38,144	1,14,22,58,038	1,77,42,09,111	63,19,51,073
Nov-14	19,49,167	1,17,33,15,286	1,81,43,75,515	64,10,60,229
Dec-14	19,64,295	1,24,66,18,710	1,90,53,17,099	65,86,98,389
Jan-15	16,62,096	1,07,68,51,239	1,67,41,35,321	59,72,84,082
Feb-15	17,57,142	1,14,12,76,174	1,76,69,59,107	62,56,82,933
Mar-15	17,91,794	1,07,13,23,953	1,69,18,52,443	62,05,28,490
TOTAL	1,29,86,908	7,97,57,05,395	12,37,03,29,331	4,39,46,23,936

3.28 After implementation of the minimum pension notification the pension for all member/widow(er) /disabled/nominee/ dependent parent pensioners whose original pension were less than **₹ 1,000/-** p.m. have been fixed at the minimum of **₹ 1,000/-** p.m. Deductions on account of benefits availed by members on the basis of choice exercised at the time of making claims like commutation, Return of Capital and Short Service are applied on the minimum pension of **₹ 1,000/-** p.m. The determination of pension under EPS, 1995 after implementation of the minimum pension notification is in consonance with the provisions of the scheme as well as the amendments introduced thereto vide the minimum pension notification referred above. Allowing the minimum pension of **₹ 1,000/-** p.m. without regard to deduction on account of Commutation, Return of Capital etc. would be iniquitous and unfair vis-à-vis the members/pensioners who had not taken these benefits at the time of claim and opted to take only the original pension without any optional benefits.

कर्मचारी पेंशन योजना 1995 का बीमांकक मूल्यांकन

3.29 कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 एक निधिगत योजना है जिसमें परिभाषित लाभ एवं परिभाषित अंशदान दोनों विशेषताएं समाहित हैं। तदनुसार, योजना देय अंशदान की दर के साथ-साथ पात्र लाभों की मात्रा भी निर्धारित करती है। कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पैरा 32 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त मूल्यांकन द्वारा कर्मचारी पेंशन निधि का वार्षिक मूल्यांकन किए जाने का उपबंध है।

3.30 केन्द्र सरकार द्वारा पहले मैसर्स के.ए. पंडित, परामर्शदाता एवं बीमांकक को कर्मचारी पेंशन निधि की क्रमशः 31.3.2010, 31.03.2011 एवं 31.03.2012 की स्थिति का 14 वां, 15 वां एवं 16 वां मूल्यांकन करने हेतु मूल्यांकक के रूप में नियुक्ति की गई थी। केन्द्र सरकार ने तत्पश्चात् के.ए. पंडित, परामर्शदाता एवं बीमांकक की सेवाओं को कर्मचारी पेंशन निधि की क्रमशः 31.03.2013, 31.03.2014 एवं 31.03.2015 की स्थिति का 17वां, 18 वां एवं 19 वां मूल्यांकन करने हेतु जारी रखा है।

3.31 नियुक्त मूल्यांकक द्वारा 14 वें, 15 वें एवं 16 वें मूल्यांकन की संयुक्त रिपोर्ट 13.01.2014 को प्रस्तुत की गई जिस पर पेंशन कार्यान्वयन समिति की 02.04.2014 को हुई 33वीं बैठक एवं केन्द्रीय न्यासी बोर्ड क.भ.नि. की 26.08.2014 को हुई 204वीं बैठक में भी चर्चा की गई। के.न्या.बो. की सिफारिश पर रिपोर्टों की वित्त, निवेश एवं लेखापरीक्षा समिति (एफ.आई.ए.सी.) द्वारा 11.11.2014 को हुई 115वीं बैठक में भी समीक्षा की गई, जिसके द्वारा यह नोट किया गया कि 31.03.2012 की स्थिति के मूल्यांकन हेतु उपलब्ध कराए गए आंकड़े ज्यादा विश्वसनीय हैं एवं तुलना में बेहतर गुणवत्ता वाले हैं। अतः गुणवत्ता परिणाम ज्यादा विश्वसनीय हैं। एफ.आई.ए.सी. ने सिफारिश की कि 14 वें, 15 वें एवं 16 वें की बीमांकक रिपोर्ट बोर्ड द्वारा स्वीकार कर ली जाए।

3.32 मूल्यांकक द्वारा क्रमशः 03.03.2013 एवं 31.03.2014 को समाप्त हो रहे वर्ष की 17वीं, 18वीं मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। 19वीं मूल्यांकन (31.03.2015 की स्थिति) की प्राथमिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई जिसमें न्यूनतम पेंशन की अधिसूचना के कार्यान्वयन का बीमांकक प्रभाव एवं निर्धारण को भी ध्यान में रखा गया था।

3.33 बीमांकक रिपोर्ट निम्नानुसार मूल आंकड़ों पर आधारित हैं :-

भविष्य में वेतन वृद्धि	7.00% प्रतिवर्ष
निधि की आय	8.00%
छूट की दर	800%
मृत्यु दर तालिका	इंडियन एस्योर्ड लाईफ मोर्टेलिटि (2006-08) (आई.ए.एल.एम.)
निकासी की दर	आयु से संबंधित
वेतन सीमा	₹ 6500/- 04.09.2014 से 15000 -/
प्रशासन की लागत	अनदेखी की गई है।

3.34 पांच वर्षों के मूल्यांकन के सारांश परिणाम (पहले प्रस्तुत की गई तीन वर्षों की संयुक्त रिपोर्ट सहित) परिशिष्ट ए-3(1) में दिए गए हैं।

ACTUARIAL VALUATION OF THE EMPLOYEES' PENSION SCHEME, 1995

3.29 Employees' Pension Scheme, 1995 is a funded scheme with combined features of Defined Benefit and Defined Contribution. Accordingly, the scheme prescribes the rate of contribution payable as well as the scale of benefits admissible. A provision has been made under Para 32 of the Employees' Pension Scheme, 1995 for annual valuation of Employees' Pension Fund by a Valuer appointed by the Central Government.

3.30 The Central Government had earlier appointed M/s. K.A. Pandit, Consultants & Actuaries as Valuer for 14th, 15th & 16th Valuations of Employees' Pension Fund as on 31.3.2010, 31.03.2011 & 31.03.2012 respectively. The Central Government has subsequently continued with M/s. K.A. Pandit, Consultant & Actuaries as Valuer for the 17th, 18th and 19th Valuations of Employees' Pension Fund as on 31.03.2013, 31.03.2014 and 31.03.2015 respectively.

3.31 The appointed Valuers submitted the combined report for the 14th, 15th and 16th valuations on 13.01.2014, which was deliberated in the 33rd meeting of the Pension Implementation Committee on 02.04.2014 as well as the Central Board of Trustees, EPF's 204th meeting held on 26-08-2014. On the recommendations of the CBT the reports were also reviewed by the Finance, Investment and Audit Committee (FIAC) in its 115th meeting held on 11.11.2014, which noted that the valuation data provided for the valuation as on 31.03.2012 was more reliable and comparatively of better quality. Therefore, the qualitative result was more reliable. The FIAC recommended that combined Actuarial Report for 14th, 15th and 16th valuation may be accepted by the Board.

3.32 The Valuers subsequently submitted the 17th and 18th valuation reports for the year ending 31.03.2013 and 31.03.2014 respectively. The preliminary report for the 19th valuation (as on 31.03.2015) covering the actuarial impact and assessment of the implementation of the minimum pension notification was also submitted.

3.33 The Actuarial reports have been carried out with the following base statistics:

Future Salary Escalation	7.00% p.a.
Earning on Fund	8.00% p.a.
Rate of Discounting	8.00% p.a.
Mortality Table	Indian Assured Life Mortality (2006-08) (IALM)
Withdrawal Rate	Age Related
Salary Ceiling	₹ 6500 / Rs.15000 (wef 01.09.2014)
Cost of Administration	Ignored

3.34 The summary results of the valuation for the five years (including the 3 years' combined report submitted earlier) is given in **Appendix A-3(i)**.

3.35 31.03.2009 को हुए 13वें मूल्यांकन में दर्शाया गया घाटा ₹ 61,608 करोड़ था जबकि 31.03.2012 के 16वें मूल्यांकन में यह घाटा ₹ 10,855 करोड़ था। 13वीं मूल्यांकन रिपोर्ट की तुलना में वर्तमान रिपोर्ट में मूल्यांकन देयता में ₹ 50,753 करोड़ की कमी सामने आई है। 31.03.2013 एवं 31.03.2014 की 17वीं एवं 18वीं मूल्यांकन रिपोर्ट में घाटा क्रमशः ₹ 6,712.96 करोड़ एवं ₹ 7,832.74 करोड़ दर्शाया गया है। अतः 16वीं मूल्यांकन रिपोर्ट की तुलना में मूल्यांकन देयता में कमी आई है।

3.36 मूल्यांकन ने रिपोर्ट में रिकार्ड किया है कि वर्तमान मूल्य के संबंध में निवल देयता अथवा घाटा 31.03.2012 को ₹ 10,855 करोड़ 31.03.2013 को ₹ 6,712.96 करोड़ एवं 31.03.2014 को ₹ 7,832.74 करोड़ कुल देयता का क्रमशः 4.00%, 2.00% एवं 2.50% है जो चिंता का विषय नहीं है परंतु यह भी सिफारिश की गई है कि क.पे.यो. की निवेश आय को और ध्यानपूर्वक देखा जाए, बीमांकक के परामर्श के बिना लाभ न बढ़ाए जाएं एवं संवेदनशील विश्लेषण और कम अंतरालों पर किए जाएं।

3.37 मूल्यांकन ने न्यूनतम पेंशन कार्यान्वयन के प्रभाव को आकलित करने के लिए 31.12.2014 की स्थिति की क.पे.यो. की प्राथमिक मूल्यांकन रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है। यह सूचित किया गया है कि न्यूनतम ₹ 1000 प्रति माह पेंशन की गारंटी से निवल देयता 31.03.2014 को ₹ 9,916.20 करोड़ है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि यह देयता वर्ष वार देयता जिसका विस्तार लंबी अवधि में है, का वर्तमान मूल्य है।

3.38 पेंशन एवं इ.डी.एल.आई. कार्यान्वयन समिति (पी.ई.आई.सी.) ने 30.01.2015 को 35वीं बैठक में बीमांकक मूल्यांकन रिपोर्टों पर विचार किया। पी.ई.आई.सी. ने परिणामों में भिन्नता के कारणों पर विस्तार से चर्चा की। पी.ई.आई.सी. ने पाया कि क.पे.यो. के बीमांकक मूल्यांकन, मूल्यांकन हेतु उपलब्ध आंकड़ों को प्रतिबिंबित करते हैं। पेंशनभोक्ताओं के संबंध में संग्रह राशि एवं सक्रिय सदस्यों के संबंध में जहां आंकड़े विश्वसनीयता एवं भरोसे की उचित स्थिति प्राप्त कर चुके हैं निष्क्रिय सदस्यों के आंकड़े अभी इस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। ऐसी आशा है कि यू.ए.एन.के संबंध में चल रहे प्रयासों से आंकड़े अगले एक-दो वर्षों में विश्वसनीयता का अपेक्षित स्तर प्राप्त कर लेंगे। पी.ई.आई.सी. समिति ने सिफारिश की कि 2012-13 एवं 2013-14 की अवधि के लिए बीमांकक रिपोर्ट के.न्या.बो., क.भ.नि. के समक्ष स्वीकृत किए जाने हेतु प्रस्तुत की जाए। न्यूनतम पेंशन कार्यान्वयन के प्रभाव को आकलित करनेवाली 31.12.2014 की प्राथमिक रिपोर्ट के संबंध में, पी.ई.आई.सी. ने सिफारिश की कि इसे के.न्या.बो., क.भ.नि. के समक्ष सरकार को न्यूनतम पेंशन हेतु सहायता को अनंतकाल तक जारी करने की अनुशंसा हेतु भेजा जाए।

3.39 यह भी उल्लेख किया जाता है कि के.न्या.बो., क.भ.नि. की सिफारिश पर बीमांकक रिपोर्ट की समीक्षा अन्य समकक्ष बीमांकक द्वारा की गई थी एवं समकक्ष समीक्षा बीमांकक की रिपोर्ट पर भी 19.02.2015 को हुई के.न्या.बो., की 206वीं बैठक में विचार किया गया था। चर्चा के पश्चात् सरकार को रिपोर्ट स्वीकृत करने हेतु सिफारिश की गई।

3.40 बोर्ड की इन सिफारिशों से बीमांकक मूल्यांकन का कार्य अद्यतन किया गया।

पेंशन संवितरण

3.41 वर्तमान में पेंशन का संवितरण पेंशन संवितरण बैंकों के कोर बैंकिंग सिस्टम (सी.बी.एस.) प्लेटफार्म का प्रयोग करते हुए किया जा रहा है। फील्ड कार्यालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं कि पेंशनभोक्ताओं के खातों में पेंशन माह के प्रथम कार्यदिवस को जमा हो जाए।

3.35 The deficit as revealed in the 13th Valuation as on 31.03.2009 was ₹ 61,608 crores, whereas in the 16th Valuation Report as on 31.03.2012, the deficit had been shown as ₹ 10,855 crore. A decrease in valuation liability of ₹ 50,753 crores has been revealed in the current report as compared to 13th Valuation Report. In the 17th & 18th Valuation Report as on 31.03.2013 & 31.03.2014 the deficit has been shown as ₹ 6,712.96 crores and ₹ 7,832.74 crores respectively. Therefore, there has been a decrease in valuation liability compared to 16th valuation report.

3.36 The Valuer have recorded in the Report that net liability or deficit of ₹ 10,855 crore as on 31.03.2012, ₹ 6,712.96 crores as on 31.03.2013 and ₹ 7,832.74 crores as on 31.03.2014 in terms of present value, is less than 4.00%, 2.00% and 2.50% respectively of the total liability and is not a matter of concern, though it is recommended that, EPS should look into investment return more carefully, do not increase benefits without consulting Actuary and do sensitivity analysis more frequently.

3.37 The Valuers have also submitted a preliminary report on the valuation of the EPS as on 31.12.2014 to assess the impact of the minimum pension implementation. It has been reported that the net increase in liability due to minimum pension guarantee of ₹ 1,000 per month as on 31.03.2014 is ₹ 9,916.20 crores. It may be mentioned that this liability is the present value of the year wise liability spread over a long-term period.

3.38 The Pension & EDLI Implementation Committee (PEIC) considered the Actuarial Valuation reports in its 35th meeting held on 30.01.2015. The PEIC deliberated at length on the reasons for the variation in the results. The PEIC observed that the results of the Actuarial valuation of EPS reflect the condition of the data available for valuation. While the data in respect of pensioners, accumulated corpus and active members have attained a reasonable degree of reliability and confidence the data in respect of the inactive members are yet to achieve the same levels. It was expected that with the on-going efforts on UAN the data would achieve the required levels of reliability in the next 1-2 years. The PEIC recommended that the actuarial valuation reports for the period 2012-13 and 2013-14 may be placed before the CBT, EPF for acceptance. In respect of the preliminary report as on 31.12.2014 assessing the impact of the minimum pension implementation the PEIC recommended that the same may be placed before the CBT, EPF for recommending to the Government for continuing the minimum pension support in perpetuity.

3.39 It should also be mentioned that on the advice of the Central Board of Trustees, EPF the Actuarial Valuation reports were also peer reviewed by another Actuary and the report submitted by the Peer Review Actuary was also duly considered by the CBT, which in its 206th meeting held on 19-02-2015, after deliberations recommended the acceptance of the report to the Government.

3.40 With these recommendations of the Board the Actuarial valuation task has been brought up to date.

PENSION DISBURSEMENT

3.41 The disbursement of pension is being carried out at present using the Core Banking System (CBS) platform of the pension disbursement banks. Instructions were issued to the field offices to ensure that pension was credited to the pensioners' accounts on the first working day of the month.

3.42 मासिक पेंशन लाभों का संवितरण उन बैंकों की शाखाओं के माध्यम से किया जाता है जिनके साथ अनुबंध किया गया है, क्षेत्रीय कार्यालयों ने राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंकों आदि के साथ संवितरण की व्यवस्था की है। पेंशन और अन्य लाभों के संवितरण हेतु पूरे भारत में एच.डी.एफ.सी. बैंक, आई.सी.आई.सी. बैंक, एक्सिस बैंक और डाकघरों में केन्द्रीकृत व्यवस्था की गई है।

3.43 विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जिन बैंकों के साथ अनुबंध / व्यवस्थाएं की गई हैं, उनकी क्षेत्रवार सूची परिशिष्ट ए-3(ii) पर की गई है तथा 31.03.2015 तक पेंशनभोक्ताओं का वर्गीकरण परिशिष्ट ए 3(iii) में दिया गया है।

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में प्रमुख बदलाव / संशोधन

3.44 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में बहुत से संशोधन किए गए। योजना में सम्मिलित किए गए संशोधनों का सार नीचे दिया गया है

- I. सदस्य, विधवा / विधुर, अशक्त, नामिति एवं आश्रित माता-पिता पेंशनभोक्ताओं के संबंध में न्यूनतम ₹ 1000/- पेंशन एवं अनाथ पेंशनभोक्ताओं के लिए प्रतिमाह ₹ 750/- एवं बालक पेंशनभोक्ताओं के लिए ₹ 250/- प्रतिमाह पेंशन आरंभ की गई। सरकार ने न्यूनतम पेंशन लाभ को 2014-15 से आगे भी जारी रखा है।
 - II. कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में अंशदान हेतु वेतन सीमा को ₹ 6,500 से बढ़ाकर ₹ 15,000/- प्रतिमाह किया है।
 - III. नौकरी छोड़ने से पूर्व 60 माह के औसत के आधार पर पेंशन की गणना पहले यह 12 माह के वेतन पर थी।
 - IV. वेतन सीमा से अधिक वेतन पर अंशदान के विकल्प को समाप्त किया गया है।
 - V. वे जो वेतनसीमा से अधिक वेतन पर अंशदान कर रहे थे को नए विकल्प चुनने होंगे एवं वेतन सीमा से अधिक वेतन का 1.16% अंशदान सरकार के अंशदान के एवज में देना होगा।
 - VI. पेंशन एवं निकासी लाभों के निर्धारण के लिए प्रो राटा आधार पर 31.07.2014 तक ₹ 6,500/- की वेतन सीमा एवं तत्पश्चात् ₹ 15,000/- की वेतन सीमा पर।
 - VII. पात्रता (पात्र सेवा) का पूरी सेवा अवधि (वास्तविक सेवा) की अपेक्षा अंशदायी सेवा के आधार पर निर्धारण
- 3.45 योजना में उपर्युक्त संशोधनों के अलावा, पेंशन कार्यान्वयन समिति का नाम बदलकर पेंशन एवं ई.डी.एल.आई. कार्यान्वयन समिति रखा गया। के.न्या.बो., क.भ.नि. ने 19.12.2014 की हुई अपनी 205वीं बैठक में समिति के नए विचारार्थ विषयों का अनुमोदन किया है जिनमें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना 1976 (ई.डी.एल.आई.) के मामलों के साथ-साथ समिति के नाम बदलना भी शामिल है। उक्त समिति की बैठक 30.01.2015 को संपन्न हुई।

3.42 The disbursement of monthly pension benefits is carried out through the network of branches of banks with which agreements have been made. The Regional Offices have entered into arrangements with Nationalized Commercial Banks for this purpose. Centralized pension disbursement arrangement agreements have also been made with HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank and Post offices to disburse pension and other benefits all over India.

3.43 The region - wise list of banks with which various Regional Offices have made agreements/arrangements is given in **Appendix A – 3 (ii)** and classification of pensioners as on 31.03.2015 is shown in **Appendix A – 3(iii)**.

MAJOR MODIFICATIONS/AMENDMENTS IN THE EPS, 1995

3.44 A number of amendments in the Employees' Pension Scheme, 1995 were carried out during the year under report. A gist of the amendments that were incorporated in the scheme is given below:

- (i) Introduced provision of minimum pension of Rs. 1000/- per month in respect of member, widow/widower, disabled, nominee and dependent parent pensioners and **₹ 750/-** per month for orphan pensioners and **₹ 250/-** per month for children pensioners. The Govt. has extended the minimum pension benefit beyond 2014-15.
- (ii) Wage ceiling for contributions to EPS, 1995 enhanced from **₹ 6,500 to 15,000/-** per month.
- (iii) Determination of pension based on average of 60 month's salary prior to exit instead of 12 month's salary earlier.
- (iv) Option for contributing on salary exceeding the wage ceiling has been deleted.
- (v) Those who were contributing on salary exceeding the wage ceiling are required to prefer fresh option and contribute 1.16% of wages exceeding wage ceiling in lieu of the Government's share.
- (vi) Pension and withdrawal benefits to be determined on pro-rata basis for service at wage ceiling of **₹ 6,500/-** upto 31.08.2014 and **₹ 15,000/-** thereafter.
- (vii) Eligibility ('Eligible Service') is determined on the basis of contributory service instead of overall period of service ('Actual Service').

3.45 Apart from the amendments carried out in the scheme mentioned above, the Pension Implementation Committee was renamed as Pension and EDLI Implementation Committee. The CBT, EPF in its 205th meeting held on 19.12.2014 had approved the new Terms of Reference for the Committee which included matters related to the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976(EDLI) as well as the change in nomenclature of the Committee. The meeting of the above Committee was held on 30.01.2015.

3.46 इसके अतिरिक्त, के.न्या.बो. ने 11.03.2015 को हुई अपनी 206वीं बैठक में कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (क.पें.यो.) में संशोधन के बहुत से प्रस्तावों पर विचार किया। के.न्या.बो. ने चर्चा के पश्चात् निम्नलिखित प्रस्तावों को स्वीकृत करने एवं कार्यान्वयन हेतु सिफारिश की।

- I. पेंशन की संगठना के लिए पेंशनयोग्य वेतन का निर्धारण 60 माह के स्थान पर 30 माह के औसत पर।
- II. लघु सेवा पेंशन पात्रता आयु में 50 वर्ष से बढ़ाकर 55 वर्ष करना।
- III. सदस्य के विकल्प पर पेंशन लगाने की आयु को 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करना तथा जो 60 वर्ष की आयु पर पेंशन प्राप्त करने का विकल्प देते हैं ऐसे व्यक्तियों को प्रोत्साहन देना।
- IV. ऐसे सदस्य की मृत्यु होने पर जिसके संबंध में 36 माह की अवधि हेतु अंशदान प्राप्त नहीं हुआ है पेंशन निधि की देयता सीमित करने के लिए संशोधन।
- V. क.पें.यो.-95 के अंतर्गत पेंशन के कम्प्यूटिड मूल्य के 15 वर्ष पश्चात् एवं कम्प्यूटेशन के उपबंध के पुनः आरंभ होने पर पुनर्स्थापन।
- VI. पात्र सेवा का निर्धारण 'वास्तविक सेवा' के स्थान पर 'अंशदायी सेवा' के आधार पर होगा
- VII. अनाथ पेंशनभोक्ताओं के लिए आयु सीमा 25 वर्ष निर्धारित करना।
- VIII. न्यूनतम पेंशन 1000 ₹ के उपबंध को 2014-15 से आगे जारी करना।



कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना

3.47 बीमा योजना, 1 अगस्त, 1976 को लागू हुई। इस योजना में नियोक्ता को मामूली अंशदान करना होता है। इस बीमा सुरक्षा को प्राप्त करने हेतु कर्मचारी द्वारा कोई अंशदान नहीं दिया जाता है।

लागू होना तथा कवरेज

3.48 बीमा योजना, 1976 उन सभी फैक्ट्रियों/स्थापनाओं पर लागू होती है जिन पर अधिनियम लागू होता है। वे सभी कर्मचारी जो भविष्य निधि के सदस्य हैं, इस योजना के सदस्य हैं।

योजना के अंतर्गत लाभ

3.49 बीमा योजना के अंतर्गत लाभों को 01.09.2014 को परिशोधित किया गया था। परिशोधित योजना के अंतर्गत ऐसे सदस्य की मृत्यु के मामले में, जो मृत्यु के समय योजना का सदस्य था, के परिवार के सदस्य को पिछले 12 माह के वेतन के औसत की 20 गुणा धनराशि मिलेगी। परिशोधित योजना के अनुसार, योजना के अंतर्गत अधिकतम लाभ अब ₹ 3,60,000/- होगा, क्योंकि योजना के अनुसार अंशदान हेतु वेतन सीमा ₹ 15,000/- है।

3.46 Further, the Central Board of Trustees, Employees' Provident Fund (CBT) in its 206th Meeting held on 11.03.2015 considered a number of proposals for amendments in the Employees' Pension Scheme, 1995 (EPS). The CBT after deliberations had recommended the following proposals for acceptance and implementation:-

- (i) Determining the pensionable salary for computation of pension on the average of 30 months in place of existing 60 months.
- (ii) Increase in the short service pension entitlement age from 50 years to 55 years of age.
- (iii) Increase in the age of vesting pension from 58 to 60 years at the option of member and giving incentive to such persons who opt for drawing pension at the age of 60 years.
- (iv) Amendment to limit the liability of the pension fund in the event of death of a member in respect of whom no contribution is received for a period of 36 months.
- (v) Restoration of commuted value of pension under EPS-95 after 15 years and re-introduction of the provision of commutation .
- (vi) Eligible service is to be determined on the basis of 'contributory service' in place of 'actual service'.
- (vii) Specifying age limit for orphan pensioners to 25 years of age.
- (viii) Continuing provision of minimum pension of ₹ 1,000/- beyond 2014-15.

EMPLOYEES' DEPOSIT LINKD INSURANCE SCHEME

3.47 Insurance Scheme came into force on 1st August, 1976. This scheme is supported by a nominal contribution by the employers. No contribution is payable by the employee for availing the insurance cover.

APPLICATION AND COVERAGE

3.48 Insurance Scheme is applicable to all factories/establishments to which the Act applies. All the employees who are members of the provident fund members of this Scheme.

BENEFITS UNDER THE SCHEME

3.49 The benefits under the Insurance scheme were revised as on 01.09.2014. Under the revised scheme, the benefit provided, in case of death of an employee who was member of the scheme at the time of the death, so that the family will get 20 times of the average wages of the last 12 months of the member. According to the revised scheme, maximum benefits under the scheme will now be ₹ 3,60,000/-, as the wage ceiling up to which contribution can be paid under the scheme is ₹ 15,000/-.

3.50 कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना में अंशदान की वेतनसीमा को वर्तमान राशि ₹ 6,500 / - प्रति माह से गजट अधिसूचना जी.एस.आर. संख्या 610 (ई) दिनांक 22.08.2014 द्वारा बढ़ाकर ₹ 15,000/- किया गया है। मुख्य प्रभाव निम्नानुसार हैं।

- I. 22(4) में जोड़े गए नए उपबंध से क.नि.स.बी. योजना के पैरा 22 के अंतर्गत लाभ में 20% की वृद्धि हुई, यह पैराग्राफ 22 के उप पैराग्राफ (1), (2) एवं (3) के अंतर्गत देय लाभों के अतिरिक्त है। अधिसूचना 1 सितम्बर 2014 से प्रभावी होगी।
- II. क.नि.स.बी. योजना 1976 में उपर्युक्त संशोधनों से लाभ की मात्रा 01.09.2014 से वर्तमान ₹ 1,30,000 से बढ़कर ₹ 3,60,000 हो जाएगी।
- III. क.नि.स.बी. दावों के सभी मामलों जहां सदस्य की मृत्यु 01.09.2014 अथवा उसके पश्चात् हुई है, लाभ को ₹ 15,000/- प्रति माह की बढ़ी हुई वेतनसीमा एवं पैराग्राफ 22 के नए जोड़े गए उप पैराग्राफ (4) के अंतर्गत देय 20% वृद्धि सहित के आधार पर नियमित किया जाएगा।

ऐसे क.नि.स.बी. दावों के मामले जहां सदस्य की मृत्यु 01.09.2014 से पूर्व हुई है लाभ को वेतन सीमा ₹ 6,500 / - के आधार नियमित किया जाएगा।



3.50 The wage ceiling for contribution to EDLI has been enhanced vide Gazette Notification GSR No. 610(E) dated 22.08.2014 from the present amount of ₹ 6,500/- per month to ₹ 15,000/-. The following are the main implications.

- i. The new provision introduced in paragraph 22 (4) increased the benefits under paragraph 22 of EDLI Scheme by 20% this is in addition to the benefits admissible under sub-paragraph (1) (2) & (3) of paragraph 22. The Notification will come into effect from 1st September, 2014.
- ii. With the above amendments in the EDLI Scheme, 1976 the maximum quantum of benefits will increase to ₹ 3,60,000/- w.e.f. 01-09-2014 from the present amount of ₹ 1,30,000/-
- iii. In all cases of EDLI claims where the date of death of the member occurs on or after 01.09.2014, the benefits shall be regulated on the basis of the enhanced wage ceiling limit of ₹ 15,000/- per month along with the admissible increase of 20% under newly introduced Sub-paragraph (4) of paragraph 22.

In those cases of EDLI claims where the date of death of member has taken place prior to 01.09.2014 the benefits will be regulated on the basis of the wage ceiling limit of ₹ 6,500/- per month.



अध्याय 4

अंतर्राष्ट्रीय कामगारों के लिए उपबंध

4.1 आर्थिक उदारीकरण, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ती हुई वृद्धि, पाश्चात्य जगत में बुजुर्ग जनसंख्या तथा कुछ देशों में युवा एवं तकनीकी रूप से अर्हताप्राप्त व्यक्तियों की बड़ी संख्या के चलते विश्वभर में पेशेवरों का प्रवास हुआ है। चूंकि आई.टी., स्वास्थ्य तथा प्रबंधन इत्यादि जैसे क्षेत्रों में तकनीकी रूप से अर्हताप्राप्त जनशक्ति के अपने विशाल भंडार के कारण भारत प्रवासी पेशेवरों का एक प्रमुख स्रोत है, इसलिए हाल के वर्षों में विभिन्न देशों में भारतीय पेशेवरों का आना-जाना रहा है। विभिन्न देशों में कार्यरत भारतीय पेशेवरों को विदेश में अपने प्रवास के दौरान अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान करना होता है। तैनाती के देशों में कम से कम अर्हक अवधि की समाप्ति से पूर्व लाभ देय नहीं होने के कारण तथा स्वदेश लौट जाने की स्थिति में तो उन्हें लाभ उपलब्ध ही नहीं होने के कारण, प्रवास के दौरान उस देश में (भारतीय) पेशेवरों द्वारा किए गए अंशदान बेकार चले गए।

4.2 प्रवासी कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा के उद्देश्य से, भारत सरकार ने द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा करार (एस.एस.ए.) करने का निर्णय लिया ताकि भारतीय कामगारों को अपने तैनाती के देश में अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान करने से छूट मिल सके तथा विदेश में किए गए अंशदान, राशिकरण के रूप में मिल जाए तथा भुगतान भारत में प्राप्त हो जाए। इस प्रकार क.भ.नि.सं. बाधाओं पर पार पाने तथा लाभार्थियों को लाभ प्रदान करना सुगम बनाने के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा करार दो करारकर्ता देशों की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में समन्वयन करता है।

4.3 उपर्युक्त के संदर्भ में, द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा करारों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से योजना में पैरा 83 तथा पेंशन योजना में पैरा 43 ए अंतर्वेशित कर योजना तथा पेंशन योजना में अंतर्राष्ट्रीय कामगारों के लिए विधायी उपबंध डाले गए तथा 1 अक्टूबर, 2008 से प्रभावी किए गए। समयावधि के दौरान उत्पन्न अपेक्षाओं को देखते हुए बाद में इन विशेष उपबंधों में संशोधन किए गए।

4.4 द्विपक्षीय आधार पर सामाजिक सुरक्षा करार पर वार्ता शुरू करने के लिए समुद्रपार भारतीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार नोडल मंत्रालय है। इसके अतिरिक्त, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की भी वार्ता-प्रक्रिया में भूमिका होती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को सामाजिक सुरक्षा करारों के उपबंधों को प्रवर्तित करने के लिए तथा अधिनियम के अंतर्गत कवर की गई स्थापनाओं के कर्मचारियों को तथा सीमैन भविष्य निधि, बैंकों इत्यादि जैसे अन्य सामाजिक सुरक्षा प्रदाताओं के कर्मचारियों को कवरेज प्रमाणपत्र जारी करने के लिए नामोद्विष्ट किया गया है, जब उनकी तैनाती विदेश में किसी ऐसे देश में होती है, जिसके साथ भारत का सामाजिक सुरक्षा करार हो।

अंतर्राष्ट्रीय कामगारों के संबंध में विशेष उपबंध

4.5 ऊपर पैरा 4.3 में यथा उल्लिखित विशेष उपबंधों में अंतर्राष्ट्रीय कामगारों के संबंध में पहचान, अपवर्जन, सदस्यता तथा लाभों का प्रावधान है।

Chapter 4

INTERNATIONAL WORKERS

4.1 Economic liberalisation, rapid growth in developing economies, ageing population in western world and large pool of young and technically qualified person in certain countries have witnessed migration of professionals across the world. As India is a major source of migrant professionals due to its vast reservoir of technically qualified manpower in sectors like IT, health, and management etc. movement of Indian professionals in various countries was witnessed over the period. The Indian professionals working in various countries were required to make the mandatory social security contributions in the countries of their working. The contributions made by the professionals during their stay in the country of their posting were lost as the benefits are not payable before expiry of a minimum qualifying period and not even available in case of return to the home country.

4.2 With a view to protect the rights of migrant workers, Government of India decided to go for bilateral Social Security Agreements (SSAs) so that the Indian workers are exempted from mandatory social security contribution in the country of their posting and the benefits of contribution made abroad are received by way of totalisation and the payment is received in India. Thus an SSA coordinates the social security schemes of two contracting states in order to overcome the barriers and facilitate extension of benefits to beneficiaries.

4.3 In the context of above and in order to implement the provisions of bilateral SSAs, enabling provisions for International Worker (IW) were introduced in the EPF Scheme and Employees' Pension Scheme by inserting Para 83 of Scheme and Para 43-A of Pension Scheme and given effect from 1st October, 2008. The special provisions have been amended subsequently keeping in view the requirements arising out over the period of time.

4.4 The Ministry of Overseas Indian Affairs, Govt. of India, is the nodal ministry for initiating negotiations for SSA on bilateral basis. Besides, the MoL&E, the Ministry of Commerce and EPFO are also involved in the process of negotiations. EPFO has been designated as the Liaison Agency to operate the provisions of the SSAs and for issuing Certificates of Coverage (COC) to the employees of establishments covered under the Act as well as the employees of other social security providers like the Seamen's Provident Fund, Banks etc., when they are posted abroad in a country having SSA with India

SPECIAL PROVISIONS IN RESPECT OF INTERNATIONAL WORKER

4.5 The special provisions as mentioned in Para 4.3 above provide for identification, exclusion, membership and benefits in respect of an IW.

अंतर्राष्ट्रीय कामगार की परिभाषा

- i) वह भारतीय कर्मचारी, जो विदेश में उस देश में काम कर चुका है या करने जा रहा है, जिसके साथ भारत का सामाजिक सुरक्षा करार है तथा जो उक्त करार के अंतर्गत प्राप्त हुई अथवा प्राप्त होने वाली पात्रता की बदौलत उस देश के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है ;
- ii) भारत में किसी स्थापना में, जिस पर क.भ.नि. एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 लागू है, कार्यरत किसी भारतीय कर्मचारी से भिन्न वह कर्मचारी, जिसके पास भारत से भिन्न किसी अन्य देश का पासपोर्ट है ;

अपवर्जित कर्मचारी

- (i) वह अंतर्राष्ट्रीय कामगार, जो नागरिक या निवासी के रूप में अपने मूल देश के, जिसके साथ भारत का परस्पर आधार पर सामाजिक सुरक्षा करार है, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में अंशदान कर रहा हो तथा जिसे ऐसे किसी करार में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए तथा शर्तों पर असंबद्ध कामगार का दर्जा प्राप्त हो : अथवा
- (ii) वह अंतर्राष्ट्रीय कामगार, जो नागरिक या निवासी के रूप में अपने मूल देश के, जिसके साथ 1 अक्टूबर, 2008 से पूर्व भारत का द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक करार है, जिस में सामाजिक सुरक्षा पर कोई खंड हो, जिसकी बदौलत किसी भी देश के नैसर्गिक व्यक्तियों को मेजबान देश की सामाजिक सुरक्षा निधि में अंशदान करने से विशिष्ट छूट होती है ।

4.6 इस प्रकार, कोई अपवर्जित कर्मचारी विदेशी होता है, जो कवरेज प्रमाणपत्र के साथ भारत में किसी स्थापना में तैनात होता है तथा स्वदेश के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में अंशदान करता है तथा जिसे किसी सामाजिक सुरक्षा करार अथवा किसी द्विपक्षीय करार, जैसे 1 अक्टूबर, 2008 से पूर्व भारत के साथ हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक सहकारी करार, की दृष्टि से भारतीय सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों से छूट प्राप्त होती है । (उदाहरण के लिए, भारत तथा सिंगापुर के मध्य सी.ई.सी.ए. के अनुच्छेद 9.3 के पैरा 4 में प्रावधान है कि “ किसी भी देश के नैसर्गिक व्यक्तियों से, जिन्हें दूसरे पक्ष के क्षेत्र में अस्थायी प्रवेश मिला हो, मेजबान देश की सामाजिक सुरक्षा निधि में अंशदान करना अपेक्षित नहीं होगा ।

सदस्यता

4.7 किसी ‘अपवर्जित कर्मचारी’ से भिन्न प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय कामगार को दिनांक 1 नवम्बर, 2008 से अथवा नौकरी में प्रवेश करने की तिथि से, जो भी बाद में हो, सदस्य बनाया जाना अपेक्षित है । किसी अपवर्जित कर्मचारी को भी उस तिथि से निधि का सदस्य बनाया जाएगा, जिस तिथि से वह अपवर्जित कर्मचारी नहीं रह जाता है ।

अंशदान

4.8 दिनांक 01.11.2008 से किसी अंतर्राष्ट्रीय कामगार के संबंध में भविष्य निधि अंशदान पूर्ण वेतन अर्थात् मूल वेतन, महंगाई भत्ता (खाद्य रियायत के नकद मूल्य सहित) तथा सदस्य को देय प्रतिधारण भत्ते, यदि कोई हो, पर देय होता है । जहां तक पेंशन निधि अंशदान का संबंध है, यह भी दिनांक 11.09.2010 से पूर्ण वेतन पर देय होता है ।

सामाजिक सुरक्षा करार (एस.एस.ए.)

DEFINITION OF INTERNATIONAL WORKER

- i) an Indian employee having worked or going to work in a foreign country with which India has entered into a social security agreement and being eligible to avail the benefits under social security programme of that country, by virtue of the eligibility gained or going to gain, under the said agreement;
- ii) an employee other than an Indian employee, holding other than an Indian Passport, working for an establishment in India to which the EPF & MP Act, 1952 applies;

EXCLUDED EMPLOYEE

- (i) an IW, who is contributing to a social security programme of his country of origin, either as a citizen or resident, with whom India has entered into a social security agreement on reciprocal basis and enjoying the status of detached worker for the period and terms, as specified in such an agreement; or
- (ii) an IW, who is contributing to a social security programme of his country of origin, either as a citizen or resident, with whom India has entered in to a bilateral comprehensive economic agreement containing a clause on social security prior to 1st October, 2008, which specifically exempts natural persons of either country to contribute to the social security fund of the host country.

4.6 Thus an excluded employee is a foreigner, who is posted in an establishment in India with Certificate of Coverage and contributing to the social security programme of his home country and exempted from the provisions of the Indian social security in terms of a Social Security Agreement or a bilateral agreement e.g. Comprehensive Economic Agreement signed with India prior to 1st October, 2008 (e.g. para 4 of Article 9.3 of CECA between India and Singapore provides that "Natural persons of either Party who are granted temporary entry into the territory of the other Party shall not be required to make contributions to social security funds in the host country").

MEMBERSHIP

4.7 Every IW, other than an 'excluded employee' is required to be enrolled as a member of the Fund from 1st November, 2008 or from the date of joining, whichever is later. An excluded employee shall be enrolled as a member of the Fund from the date he ceases to be excluded employee.

CONTRIBUTION

4.8 From 01.11.2008 contribution in respect of an IW towards Provident Fund is payable on full pay i.e. basic wages, DA (including the cash value of any food concession) and retaining allowance, if any, payable to the employee. As far as the contribution towards the Pension Fund is concerned, the same is payable on full pay from 11.09.2010 onwards.

4.9 सामाजिक सुरक्षा करार कामगारों के हितों की रक्षा के लिए एक द्विपक्षीय दस्तावेज होता है। किसी सामाजिक सुरक्षा करार में तीन महत्वपूर्ण उपबंध अर्थात् “वियोजन”, “राशिकरण” तथा “सुवाह्यता” सम्मिलित होते हैं। तथापि, कुछ देशों के साथ हुए सामाजिक सुरक्षा करारों में “राशिकरण” का उपबंध नहीं होता है। इन शर्तों का विवरण नीचे दिया गया है :

वियोजन – उन देशों में, जिनके साथ भारत के सामाजिक सुरक्षा करार हैं, कार्यरत भारतीय कर्मचारियों को उन देशों की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में अंशदान करने से छूट प्राप्त होती है, बशर्ते कि वे भारतीय सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का अनुपालन कर रहे हों। यह छूट करार में उपबंधित निर्दिष्ट अवधि के लिए उपलब्ध होती है।

लाभों का राशिकरण – पेंशन हेतु पात्रता का निर्धारण करने के लिए किसी अन्य देश में की गई सेवा की अवधि की गणना की जाती है। तथापि, वास्तविक पेंशन संबंधी लाभ यथानुपात आधार पर अंशदायी सेवा-अवधि ही के लिए देय होते हैं।

पेंशन की सुवाह्यता – पेंशन लाभ बगैर किसी कटौती के सीधे स्वदेश अथवा किसी भी अन्य देश में निवास करने का निश्चय करने वाले लाभार्थियों को देय होते हैं।

4.10 मार्च, 2015 माह के अंत तक निम्नलिखित तेरह (13) करारों को प्रभावी किया जा चुका है। इसके अंतर्गत लाभों के व्यौरे नीचे दी गई सारणी में उल्लिखित हैं :

क्रम सं.	देश (से प्रभावी)	वियोजन	राशिकरण	सुवाह्यता
1	बेल्जियम (01.09.2009)	5 वर्ष	✓	✓
2	जर्मनी (01.10.2009)	4 वर्ष	×	×
3	स्विट्जरलैंड (29.01.2011)	6 वर्ष	×	✓
4	डेनमार्क (01.05.2011)	5 वर्ष (भारतीयों के लिए) 3 वर्ष (डेनमार्कवासियों के लिए)	✓	✓
5	लक्जमबर्ग (01.06.2011)	5 वर्ष	✓	✓
6	फ्रांस (01.07.2011)	5 वर्ष	✓	✓
7	दक्षिण कोरिया (01.11.2011)	5 वर्ष	✓	✓
8	नीदरलैंड्स (01.12.2011)	5 वर्ष	×	✓
9	हंगरी (01.04.2013)	5 वर्ष	✓	✓
10	फ़िनलैंड (01-08-2014)	5 वर्ष	✓	✓
11	स्वीडन (01-08-2014)	2 वर्ष	✓	✓
12	चेक रिपब्लिक (01-09-2014)	5 वर्ष	✓	✓
13	नॉर्वे (01-01-2015)	5 वर्ष	✓	✓

4.11 इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त सारणी में उल्लिखित देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा करारों पर भी उनमें से प्रत्येक देश के समक्ष उल्लिखित तिथियों को हस्ताक्षर हो गए हैं। प्रशासनिक व्यवस्था तथा प्रपत्रों को अंतिम रूप देने इत्यादि जैसी अन्य औपचारिकताओं के पूर्ण होने पर इन सामाजिक सुरक्षा करारों को कार्यान्वित किया जाएगा।

क्र.सं.	देश	हस्ताक्षर करने की तारीख
1	कनाडा	06.11.2012
2	जापान	16.11.2012

SOCIAL SECURITY AGREEMENT (SSA)

4.9 A Social Security Agreement is a bilateral instrument to protect the interests of workers. An SSA generally covers three important provisions namely, 'detachment', 'totalisation' and 'portability'. However, SSA with some countries do not provide for 'totalisation':

(i) Detachment

Indian employees working in countries with which India has Social Security Agreements are exempted from contributing to their Social Security System, provided they are complying with the Indian Social Security System. This exemption is available for a specified period stipulated in the agreement.

(ii) Totalisation of benefits

The period of service rendered in another country is counted for determining eligibility for pension. The actual pensionary benefits, however, are payable only for the period of contributory service on pro-rata basis.

(iii) Portability of Pension

Pension benefits are payable without reduction, direct to the beneficiaries choosing to reside in the home country or in any other country.

4.10 The following thirteen (13) agreements have been made effective till the end of March, 2015. The details of benefits available under them are mentioned in the table below:—

S No	Country (effective from)	Detachment	Totalisation	Portability
1	Belgium(01.09.2009)	5 years	✓	✓
2	Germany(01.10.2009)	4 years	×	×
3	Switzerland(29.01.2011)	6 years	×	✓
4	Denmark(01.05.2011)	5 years (for Indians) 3 years (for Danish)	✓	✓
5	Luxembourg(01.06.2011)	5 years	✓	✓
6	France(01.07.2011)	5 years	✓	✓
7	South Korea(01.11.2011)	5 years	✓	✓
8	Netherlands(01.12.2011)	5 years	×	✓
9	Hungary(01.04.2013)	5 years	✓	✓
10	Finland (01-08-2014)	5 Years	✓	✓
11	Sweden (01-08-2014)	2 Years	✓	✓
12	Czech Republic(01-09-2014)	5 Years	✓	✓
13	Norway (01-01-2015)	5 Years	✓	✓

4.11 Besides the SSAs with the countries indicated in the preceding table, agreements have also been signed with following countries on the dates mentioned against each of them. These SSAs would be implemented on completion of other formalities like signing of administrative arrangement and finalisation of forms etc.

Sl. No.	Country	Date of signing
1	Canada	06.11.2012
2	Japan	16.11.2012

3	ऑस्ट्रिया	04.02.2013
4	पुर्तगाल	04.03.2013
5	ऑस्ट्रेलिया	18.11.2014

4.12 इसके अतिरिक्त क्यूबेक (प्रोविन्स ऑफ कनाडा), स्पेन, रूस, श्रीलंका, थाईलैंड, यू.एस.ए. तथा यू.के. के साथ सामाजिक सुरक्षा करारों पर हस्ताक्षर करने के लिए इन देशों से वार्ताएं हो चुकी हैं।

कवरेज प्रमाणपत्र (सी.ओ.सी.)

कवरेज प्रमाणपत्र (सी.ओ.सी.) : विदेश में किसी ऐसे देश में, जिसके साथ भारत के सामाजिक सुरक्षा करार हैं, तैनात भारतीय कर्मचारियों को वियोजन प्रावधानों के अनुसार उस देश में अंशदान करने से छूट प्राप्त है। तथापि ऐसी छूट का लाभ उठाने के लिए उनसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा जारी कवरेज प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इस प्रयोजनार्थ, आधिकारिक वेबसाईट पर उपलब्ध आवेदनपत्र कर्मचारी तथा नियोक्ता द्वारा भर कर संबंधित कार्यालय को प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता होती है। मार्च, 2015 के अंत तक सामाजिक सुरक्षा समझौते के अंतर्गत कवर्ड देशों अर्थात् बेल्जियम, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, लक्ज़मबर्ग, फ्रांस, दक्षिण कोरिया नीदरलैंड्स, हंगरी, फिनलैंड, चेक-रिपब्लिक एवं स्वीडन में तैनात भारतीय कर्मचारियों को लगभग 53,676 कवरेज प्रमाणपत्र जारी किए जा चुके हैं। जारी किए गए कवरेज प्रमाणपत्र का देशवार विवरण इस प्रकार है :-

कुल सी.ओ.सी. का देशवार विवरण

क्र.सं.	देश	जारी किए गए सी.ओ.सी.
1.	बेल्जियम	9251
2.	डेनमार्क	1622
3.	फ्रांस	2243
4.	जर्मनी	24313
5.	हंगरी	222
6.	लक्ज़मबर्ग	220
7.	नीदरलैंड	6982
8.	कोरिया गणराज्य	692
9.	स्विट्ज़रलैंड	6078
10.	फिनलैंड	751
11.	चेक रिपब्लिक	15
12.	स्वीडन	1287
	कुल	53676

3	Austria	04.02.2013
4	Portugal	04.03.2013
5	Australia	18.11.2014

4.12 In addition to above, negotiations are in progress with Quebec (Province of Canada), Spain, Russia, Sri Lanka, Thailand, USA and UK for signing SSAs.

CERTIFICATE OF COVERAGE (COC)

4.13 Certificate of Coverage (COC): Indian employees posted abroad to a country having SSA with India are exempted from making contribution in the country of their posting in terms of detachment provisions. However, for claiming such exemption, they are required to produce a Certificate of Coverage issued by EPFO. For purpose, application form, available on official website, needs to be filled by the employee and the employer and submitted to the concerned office. Till the end of March, 2015, around 53676 COCs have been issued to the Indian employees posted in the countries covered under SSA, i.e. Belgium, Germany, Switzerland, Denmark, Luxembourg, France, South Korea and Netherlands and Hungary, Finland, Czech Republic and Sweden Country wise break-up of COCs issued is as hereunder:-

Country- wise breakup of total COCs

Sl. No.	Country	COCs issued
1.	Belgium	9251
2.	Denmark	1622
3.	France	2243
4.	Germany	24313
5.	Hungary	222
6.	Luxemburg	220
7.	Netherland	6982
8.	Republic of Korea	692
9.	Switzerland	6078
10.	Finland	751
11	Czech Republic	15
12	Sweden	1287
	Total	53676

अध्याय 5

अनुपालन प्रबंधन

5.1 यह अधिनियम एक सामाजिक सुरक्षा विधान है, जिसे उन उद्योगों, कारखानों तथा स्थापना-श्रेणी में काम कर रहे देश के संगठित कार्यबल को भविष्य निधि, पेंशन निधि तथा बीमा निधि के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिन पर यह कानून लागू होता है।

अनुपालन की भूमिका

5.2(i) अनुपालन की भूमिका अधिनियम की धारा 1(3)(ए), 1(3)(बी), धारा 1(4) तथा धारा 2ए के अंतर्गत स्थापनाओं की कवरेज से आरंभ होती है। कवरेज के पश्चात्, स्थापनाओं के नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को निधि का सदस्य बनाकर, उनके वेतन से भविष्य निधि अंशदान काटकर तथा उसे अपने समतुल्य अंशदान के साथ निधि में जमा कराकर अधिनियम तथा इसके अंतर्गत निर्मित योजनाओं में बनाए गए उपबंधों का अनुपालन करना होता है। नियोक्ताओं को क.नि.स.बी. योजना के लिए अपना अंशदान तथा अधिनियम के अंतर्गत निर्मित तीनों योजनाओं के लिए प्रशासनिक प्रभार जमा कराने होते हैं।

(ii) नियोक्ता निम्नलिखित प्रकार से इसका अनुपालन नहीं करते हैं :

- क) अधिनियम के लागू होने पर विवाद
- ख) भविष्य निधि तथा संबद्ध देयों का भुगतान नहीं करना ; तथा
- ग) सभी पात्र कर्मचारियों को सदस्य नहीं बनाना।

चूककर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई

5.3 अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए चूककर्ताओं के विरुद्ध अधिनियम में निम्नलिखित कार्रवाईयां दी गई हैं :-

- (i) धारा 7 ए के अंतर्गत कार्रवाई - किसी भी व्यक्ति को उपस्थिति के लिए बाध्य करने, अथवा शपथ दिलाकर उसके बयान लेने के लिए, दस्तावेजों की खोजबीन तथा उन्हें प्रस्तुत करने के आदेश देने के लिए, शपथ पत्र पर गवाही लेने के लिए तथा गवाहों के बयान लेने के लिए अर्ध-न्यायिक प्रकृति की जांच-पड़ताल करके विवादों की स्थिति में अधिनियम के लागू होने पर निर्णय करना तथा यथास्थिति इस अधिनियम के या योजना के या पेंशन योजना के या बीमा योजना के किसी भी उपबंध के अंतर्गत किसी भी नियोक्ता द्वारा देय राशियों का निर्धारण करना।
- (ii) धारा 14 बी के अंतर्गत कार्रवाई - किसी भी नियोक्ता द्वारा देय अंशदानों को देरी से जमा कराने के लिए, धारा 15 की उपधारा (2) अथवा धारा 17 की उपधारा (5) के अंतर्गत उसके स्थानांतरित करने योग्य जमा राशियों के अंतरण में चूक के लिए अथवा इस अधिनियम अथवा इसके अंतर्गत निर्मित योजनाओं के किसी भी अन्य उपबंध के अंतर्गत देय किन्हीं प्रभारों के भुगतान में चूक के लिए, नियोक्ता को सुने जाने का पर्याप्त अवसर देते हुए, उस पर जुर्माने के रूप में उस दर पर, जो योजना में विनिर्दिष्ट हो, नुकसानी लगाना।

Chapter 5

COMPLIANCE MANAGEMENT

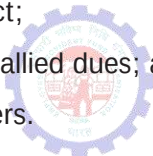
5.1 The Act is a Social Welfare Legislation enacted with a view to extend social security benefits in the form of Provident Fund, Pension Fund and Insurance Fund to the organised work force of the country engaged in the industries, factories and class of establishments to which the statute applies.

ROLE OF COMPLIANCE

5.2(i) The role of compliance begins with coverage of establishments under section 1(3) (a), 1(3)(b), Section 1(4) and under section 2A of the Act. After coverage, the employers of the establishments are required to comply the provisions envisaged under the Act and Schemes framed thereunder in enrolling their employees as members of the fund, deduct provident fund contributions from their salaries and deposit the same to the fund along with their matching contribution. The employers are also required to deposit their contribution towards the EDLI Scheme and Administrative Charges for all the three Schemes framed under the Act.

(ii) There have been the following types of non-compliance on the part of the employers:

- a) Disputes on the applicability of the Act;
- b) Non- payment of provident fund and allied dues; and
- c) Non- enrollment of all eligible members.



ACTIONS AGAINST DEFAULTERS

5.3 The following actions are provided in the Act that can be taken against defaulters to ensure compliance under the Act:

- (i) **Action under section 7A** – Deciding applicability of the Act in case of disputes and determination of amounts due from any employer under any provisions of this Act, the Scheme or the Pension Scheme or the Insurance Scheme, as the case may be, by inquiries, quasi-judicial in nature, for enforcing attendance, requiring attendance of any person or examining him on oath, requiring the discovery and production of documents, receiving evidence on affidavit and issuing commissions for examination of witnesses.
- (ii) **Action under section 14B**– Levy of damages, as penalty, for belated remittance of contributions due from any employer or transfer of accumulations required to be transferred by him under sub-section (2) of Section 15 or sub-section (5) of Section 17 or in the payment of any charges payable under any other provisions of this Act or the Schemes framed thereunder by giving reasonable opportunity of being heard, at such rate as specified in the Scheme.

(iii) धारा 7 क्यू के अंतर्गत कार्रवाई – इस अधिनियम के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा देय किसी भी राशि पर उस तारीख से, जिस पर वह देय होती है, उसके वास्तविक भुगतान की तारीख तक बारह प्रतिशत वार्षिक की दर या ऐसी उच्चतर दर पर, जिसे योजना में विनिर्दिष्ट किया जाए, साधारण ब्याज लगाना।

5.4 चूककर्ताओं के विरुद्ध कठोर उपाय

- (i) धारा 8 एफ के अंतर्गत कार्रवाई – डाकघरों, बैंकों, बीमाकर्ताओं इत्यादि सहित तीसरे पक्ष को चूककर्ताओं को देय किसी भी राशि को रोककर इसे भविष्य निधि देयों में विनियोजन हेतु निधि में जमा करने के लिए निषेधाज्ञा जारी करना।
- (ii) धारा 14 के अंतर्गत कार्रवाई – देयों के भुगतान में टालमटोल करने, सांविधिक विवरणियां प्रस्तुत नहीं करने, मिथ्या विवरण अथवा अभ्यावेदन देने अथवा दिलवाने, जिस शर्त पर छूट प्रदान की गई थी, उसका उल्लंघन करने तथा एक ही अपराध को बार-बार करने के लिए समुचित न्यायालय में चूककर्ता नियोक्ता के विरुद्ध अभियोजन मामले दायर करना।
- (iii) भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत अभियोजन – अपने कर्मचारियों के वेतन से भविष्य निधि अंशदान काटने के पश्चात् उसे भविष्य निधि में जमा नहीं कराने के लिए, जो कि 'आपराधिक विश्वास भंग' की कोटि में आता है, तथा जो कि संज्ञेय अपराध है ऐसा करने वाले नियोक्ताओं के विरुद्ध पुलिस में मामले दर्ज करना।
- (iv) अपराध दंड संहिता की धारा 110 के अंतर्गत कार्रवाई – जो नियोक्ता भविष्य निधि तथा संबंधित देयों के भुगतान न करने के आदी हैं अथवा ऐसा न करने की कोशिश करते हैं, उन्हें कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष 'अच्छे व्यवहार' के लिए जमानत सहित बाँड भरने के आदेश दिए जाते हैं।



बकाया की वसूली

5.5 नियोक्ता द्वारा देय धनराशियों की वसूली हेतु कर्मचारी भविष्य निधि अध्यादेश, 1951, कर्मचारी भविष्य निधि विधेयक, 1952 तथा अधिनियम में उपबंध अंतर्निहित थे। वसूली के लिए बनाए गए तरीकों के अनुसार, इस अधिनियम के अंतर्गत देय किसी अंशदान अथवा किसी भी योजना के अंतर्गत निधि के प्रशासन की लागत के संबंध में नियोक्ता द्वारा देय किसी भी धनराशि की वसूली समुचित सरकार द्वारा उसी तरह से की जाए, जिस तरह से भू-राजस्व के बकाया की वसूली की जाती है। इस अधिनियम के अंतर्गत देय किसी अंशदान अथवा किसी भी योजना के अंतर्गत निधि की प्रशासन-लागत के संबंध में नियोक्ता द्वारा देय किसी भी धनराशि की वसूली के लिए संबंधित राज्य सरकारों के प्रमाणपत्र अधिकारियों / राजस्व अधिकारियों को मांगपत्र भेजे जाते थे। राज्य सरकारों पर कोई नियंत्रण न होने के कारण, वसूली की गति बहुत धीमी थी। संगठन के भीतर स्वतंत्र वसूली तंत्र विकसित करने पर विचार किया गया। तदनुसार, मूल अधिनियम की धारा 8 में क.भ.नि. एवं प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अधिनियम 1988 (1988 का 33) द्वारा संशोधन किया गया तथा मूल अधिनियम में “ केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त अथवा किसी अन्य अधिकारी द्वारा, जिसे उनके द्वारा अधिकृत किया जाए, इस संबंध में सरकारी गजट में अधिसूचना के द्वारा, उसी तरह से जिस तरह से भू-राजस्व के बकाया ” शब्दों के स्थान पर “ धारा 8 बी से 8 जी में विनिर्दिष्ट रीति से ” शब्द, अंक व वर्ण रखे गए। वसूली अधिकारी की परिभाषा व भूमिका अधिनियम में दिनांक 1 अगस्त 1988 से प्रभावी वर्ष 1988 के उक्त संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित किए गए। इसके परिणामस्वरूप, स्वतंत्र वसूली तंत्र दिनांक 1 जुलाई, 1990 से अस्तित्व में आ गया तथा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों को नाम से वसूली अधिकारियों के रूप में अधिसूचित कर दिया गया। दिनांक 4 मार्च 1997 से विभिन्न राज्यों में स्थित क्षेत्रीय / उप क्षेत्रीय कार्यालयों तथा संगठन के मुख्यालय में कार्यरत सभी क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्तों तथा सहायक भ.नि. आयुक्तों को वसूली अधिकारियों के रूप में कार्य करने के लिए

- (iii) **Action under section 7Q** –Levy of simple interest at the rate of twelve percent per annum or at such higher rate as may be specified in the Scheme on any amount due from the employer under this Act from the date on which the amount has become so due till the date of its actual payment.

COERCIVE ACTIONS AGAINST DEFAULTERS

5.4. (i) **Action under section 8F** –Issue of prohibitory orders to 3rd parties including post offices, bankers, insurers etc. to withhold any payment due to the defaulting employers and to remit the same to the Fund for appropriation against Provident Fund dues.

(ii) **Action under section 14**– Filing of prosecution cases against the defaulting employers before the appropriate courts of law for avoiding payment of dues, non-submission of statutory returns, making or causing to make false statement or representation, contravening any condition subject to which exemption was granted and committing same offence repeatedly.

(iii) **Prosecution under section 406/409 IPC** – Filing cases with Police Authorities against the employers who fail to remit the employees' contribution to Provident Fund after deducting the same from their employees which amount to 'criminal breach of trust' and which is a cognizable offence.

(iv) **Action under section 110 Cr.PC** – Requiring the employers who habitually fail or attempt to fail in making payment of provident fund and allied dues to execute bond, with sureties, for 'good behaviour' with the Executive Magistrate.

RECOVERY OF ARREARS

5.5 Provisions for recovery of amount due from employers were inbuilt in the the Employees' Provident Funds Ordinance, 1951, the Employees' Provident Funds Bill, 1952 and the Act. As per the modes of recovery provided, any amount due from an employer in respect of any contribution payable under this Act or towards the cost of administering the Fund payable by him under any Scheme may be recovered by the appropriate Government in the same manner as an arrears of land revenue. Requisitions were used to be sent to the Certificate Officers/Revenue Officers of the respective State Governments for recovery of any money due from an employer in respect of any contribution payable under this Act or towards the cost of administering the Fund payable by him under any Scheme. The pace of recovery was very slow as there was no control over the State Governments. However, evolving an institution of independent recovery machinery within the Organisation was thought of. Accordingly, Section 8 of the principal Act was amended by the EPF & MP (Amendment) Act, 1988 (33 of 1988) and in the principal Act, for the words by the Central Provident Fund Commissioner or such other officer as may be authorized by him, by notification in the Official Gazette, in this behalf, in the same manner as an arrear of land revenue", the words, figures and letters "in the manner specified in Sections 8B to 8G" were substituted. Definition and role of 'Recovery Officer' were inserted in the Act by the said amendment of 1988 effective from 1st August, 1988. As a result, independent recovery machinery was put in place from 1st July, 1990 and RPFs were notified as Recovery Officers by name. From 4th March, 1997, all the RPFs and APFCs working in the Regional/SROs located at different States and in Headquarters of the Organisation have been notified to act as Recovery Officers. Notification No. S.O. 796 dated the 4th March, 1997 was published in the Official Gazette on 22nd March, 1997 to that effect.

अधिसूचित कर दिया गया है। इस आशय की अधिसूचना सं.एस.ओ. 796 दिनांक 4 मार्च, 1997 सरकारी गजट में दिनांक 22 मार्च 1997 को प्रकाशित कर दी गई।

5.6 वसूली बढ़ाने के लिए, मुख्यालय स्तर पर 'वसूली निदेशालय' का सृजन किया गया है, जो वसूली के क्षेत्र में फील्ड कार्यालयों के कार्य निष्पादन की सीधे मॉनीटरिंग करता है। चूककर्ताओं के विरुद्ध अधिनियम में निम्नलिखित वसूली कार्रवाईयां दी गई हैं :

- (i) स्थापना अथवा स्थिति के अनुसार, नियोक्ता की चल अथवा अचल सम्पत्ति की अटैचमेंट तथा बिक्री;
- (ii) नियोक्ता की गिरफ्तारी तथा उसे जेल में कैद रखना ; तथा
- (iii) स्थापना अथवा स्थिति के अनुसार, नियोक्ता की चल अथवा अचल सम्पत्ति के प्रबंधन हेतु प्रापक (रिसीवर) की नियुक्ति करना।

भविष्य निधि देयों की प्राथमिकता

5.7 अधिनियम की धारा 11(2) में उपबंध है कि यदि नियोक्ता द्वारा देय कोई भी राशि, चाहे वह (कर्मचारी के वेतन से काटा गया) कर्मचारी का अंशदान अथवा नियोक्ता का अंशदान हो, इस प्रकार देय राशि की स्थापना की परिसम्पत्तियों पर प्रथम वरीयता मानी जाएगी तथा फिलहाल लागू किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, अन्य ऋणों पर वरीयता देते हुए उसका भुगतान किया जाएगा।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक बनाम भविष्य निधि आयुक्त [2009(10)एस.सी.सी. 123:2009(123)एफ.एल.आर., 653:2009(2)एस.सी.सी., (एल.एंड एस)743(एस.सी. - 3M)] मामले में निर्णय दिया कि भविष्य निधि देयों के भुगतान किसी कंपनी के अन्य सभी देयों तथा ऋण पर वरीयता देते हुए किए जाएंगे।

परिसमापन के मामलों में भी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त बनाम ओ.एल.एफ. एस्के फार्मास्यूटिकल - 2011(5)एल.एल.एन.1:2012(1)एल.एल.जे.1:2012(132) एफ.एल.आर. 98 (एस.सी.-2एम.) मामले में निर्णय है कि क.भ.नि. देयों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर करना है।

वर्ष के दौरान अनुपालन की स्थिति पर नोट

अछूट प्राप्त क्षेत्र में बकाया प्रबंधन

5.8 वर्ष के दौरान योजनावार निर्धारित बकाया, वसूल की गई राशि तथा अंत शेष (₹ करोड़ों में) नीचे तालिका में दिया गया है वर्ष 2014-15 के दौरान भविष्य निधि, पेंशन निधि एवं बीमा निधि के बकाया का विवरण क्रमशः परिशिष्ट ए-16 (i), (ii) एवं (iii) में दिया गया है।

निधि प्रकार	कार्यभार	वसूल किया गया	अंत शेष (₹ करोड़ों में)
भविष्य निधि	4170.70	1250.09	2920.61
पेंशन निधि	2014.82	518.42	1496.40
बीमा निधि	159.28	43.90	115.38
कुल	6344.80	1812.41	4532.39

5.6 For augmenting the recovery, a 'Directorate of Recovery' has been created at the Head quarters level which is directly monitoring the performance of the field formations in the area of recovery. Following recovery actions are provided in the statute against the defaulters:

- (i) attachment and sale of movable or immovable property of the establishment or, as the case may be, of the employer;
- (ii) arrest of the employer and his detention in prison ; and
- (iii) appointing receiver for the management of the movable or immovable properties of the establishment or, as the case may be, the employer.

PRIORITY OF PROVIDENT FUND DUES

5.7 Section 11(2) of the Act provides that, if any amount is due from an employer, whether in respect of employees' contribution (deducted from the wages of employees) or the employers' contribution, the amount so due shall be deemed to be the first charge on the assets of the establishment, and shall notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, be paid in priority to all other debts.

The Hon'ble Supreme Court in ***Maharashtra State Co-operative Bank Vs. Provident Fund Commissioner [2009(10)SCC.123:2009(123)FLR, 653:2009(2)SCC, (L&S) 743(S.C. – 3M)]*** has held that the provident fund dues shall be paid in priority to all other dues and debt of a company.

Even in cases of liquidation, the Hon'ble Supreme Court has held that the EPF dues are to be paid in priority in ***Employees' Provident Fund Commissioner Vs. O.L. of Esskay Pharmaceuticals Limited – 2011(5)LLN.1:2012(1)LLJ.1:2012(132)FLR.98(S.C.-2M)]***

STATUS NOTE ON COMPLIANCE DURING THE YEAR

ARREAR MANAGEMENT IN UN-EXEMPTED SECTOR

5.8 During the year the scheme wise details of Assessed Arrears, Amounts Recovered and the closing balance is given in the table below. The details of the arrears under the Provident Fund, Pension Fund and Insurance Fund during the period 2014-15 are given in **Appendix A-6 (i) & (iii)** .

TPYE OF FUND	TOTAL ARREARS	RECOVERED	CLOSING BALANCE (₹ in cr.)
PROVIDENT FUND	4170.70	1250.09	2920.61
PENSION FUND	2014.82	518.42	1496.40
INSURANCE FUND	159.28	43.90	115.38
TOTAL	6344.80	1812.41	4532.39

अंशदान के बकाया का विभाजन (सभी योजनाएँ)

5.9 ₹ 4532.39 करोड़ के कुल बकाया में से ₹ 2484.69 करोड़ तत्काल न वसूलने योग्य श्रेणी में आते हैं और ₹ 2047.70 करोड़ रुपये की राशि वसूली कार्यवाही के माध्यम से वसूली योग्य है। तत्काल न वसूलने योग्य श्रेणी के अंतर्गत वर्षों से बकाया की वसूली निम्नलिखित कारणों से नहीं की जा सकी है :

- न्यायालय / अधिकरण में विवादित राशि
- समापनाधीन स्थापनाएँ
- केन्द्र / राज्य सरकार के अधिनियमों के कारण वसूली कार्यवाई / किश्तों की मंजूरी बाधित है।
- वे स्थापनाएँ, जिनको पुनर्स्थापना के लिए बी.आई.एफ.आर. द्वारा मंजूरी दी गई है।

5.10 बकाया मांग की तत्काल न वसूली जाने वाली राशि का 54.82% है। तत्काल न वसूली योग्य श्रेणी में आने वाली चूक की श्रेणी और कारणों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

तत्काल न वसूलने योग्य बकाया की स्थिति	मामलों की संख्या	निहित राशि (₹ करोड़ों में)	कुल का %
कोर्ट द्वारा रोक	5841	1743.25	70.16
समापनाधीन	1438	402.82	16.21
बी.आई.एफ.आर.	451	101.21	4.07
अन्य	3639	237.41	9.56
कुल	11369	2484.69	100%

5.11 चूककर्ता स्थापनाओं की क्षेत्र-वार स्थिति निम्नानुसार है :-

क्षेत्र	स्थापनाओं की संख्या	चूक की राशि (₹ करोड़ों में)
निजी	105038	3092.20
सार्वजनिक	1195	1263.03
सहकारी	2489	177.16
कुल	108722	4532.39

5.12 31.03.2015 को सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्र से संबंधित तीनों योजनाओं के बकाया का ब्यौरा परिशिष्ट ए-6 (iv) में दिया गया है।

5.13 31.03.2015 को भविष्य निधि के ₹ 50 लाख तथा इससे अधिक चूक वाली अछूट प्राप्त स्थापनाओं का ब्यौरा परिशिष्ट ए -7 (i) पर दिया गया है। ₹ 1 करोड़ से अधिक चूक वाली अछूट प्राप्त स्थापनाओं का ब्यौरा परिशिष्ट ए -7 (ii) पर दिया गया है।

BIFURCATION OF ARREARS OF CONTRIBUTION (ALL SCHEMES)

5.9 Out of the total arrears of ₹ 4532.39 cr. an amount of ₹ 2484.69 cr. falls under NIR category and ₹ 2047.70 cr. are realizable through recovery proceedings. The arrears falling under NIR category could not be recovered over the years due to various reasons such as:

- Amount disputed in Courts/Tribunal.
- Establishments having gone into liquidation.
- Recovery action barred by the Acts of Central/State Governments/Grant of Installments.
- Establishments in respect of which Rehabilitation Scheme had been sanctioned by the BIFR.

5.10 NIR amount accounts for 54.82% of the arrears demand. The break-up indicating the reason and category of the default falling under NIR category is given below:-

Status of NIR arrears	Number of cases	Amount involved (₹ in cr.)	% of Total
Stay by Courts	5841	1743.25	70.16
Under Liquidation	1438	402.82	16.21
BIFR	451	101.21	4.07
Others	3639	237.41	9.56
TOTAL	11369	2484.69	100.00

5.11 Sector-wise status of defaulting establishment is as under:-

Sector	No. of Establishment	Amount in defaulting (₹ in cr.)
Private	105038	3092.20
Public	1195	1263.03
Co-operative	2489	177.16
Total	108722	4532.39

5.12 Region-wise bifurcation of arrears for all schemes as on 31.03.2015 with reference to Public, Private and Cooperative Sector is given in **Appendix A-6 (iv)**.

5.13 The summary of Unexempted establishments which were in default of Provident Fund dues of ₹ 50 lac and above as on 31.03.2015 is given at **Appendix A-7(i)** and a list of exempted establishments in default of ₹ 50 lac or more is given in **Appendix A-17 (i)**.

अन्य बकाया (प्रशासनिक लेखे) सभी योजनाएँ

5.14 कुल बकाया में प्रशासनिक और निरीक्षण प्रभार के रूप में ₹ 121.01 करोड़ की राशि (शास्तिक नुकसानी तथा उस पर लगाए ब्याज को छोड़कर) शामिल है और ₹ 2161.58 करोड़ शास्तिक नुकसानी तथा ब्याज की बकाया राशि के रूप में हैं।

चूक रोकने हेतु कृत कार्रवाई

5.15 देयों की वसूली हेतु संगठन द्वारा चूककर्ता स्थापनाओं के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की गई :

(क) अधिनियम की धारा 7ए के अंतर्गत देयों का निर्धारण : निर्धारण मामलों का प्रारंभ तथा निपटान का अंचलवार ब्यौरा परिशिष्ट ए-16 (i) में दिया गया है एवं 7ए के लंबित मामलों के आवर्तन (Periodicity) के ब्यौरे परिशिष्ट ए-16 (ii) में दिए गए हैं :-

(ख) अधिनियम की धारा 7क्यू के अंतर्गत ब्याज का निर्धारण : वर्ष 2014-15 के दौरान कुल कार्यभार ₹ 1159.88 करोड़ था, इसमें से ₹ 310.53 करोड़, जो कुल कार्यभार का 26.77% था, की वसूली की गई। 31 मार्च 2015 को ₹ 849.34 करोड़ वसूली हेतु बकाया थे। अंचलवार / क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट ए-17 पर दिया गया है।

(ग) देरी से प्रेषण पर अधिनियम की धारा 14बी के अंतर्गत नुकसानी लगाना: वर्ष 2014-15 के दौरान वसूली की कुल बकाया राशि ₹ 1731.53 करोड़ थी। इसमें से ₹ 419.29 करोड़ की वसूली की गई। लगाई गई, एकत्रित व वर्ष के अंत में शेष शास्तिक नुकसानी का क्षेत्रवार ब्यौरा परिशिष्ट ए- 18 में दिया गया है।

(घ) (i) अधिनियम की धारा 14 के साथ पठित क.भ.नि. योजना, 1952 की धारा 8 के अंतर्गत की गई कार्रवाई: वर्ष 2014-15 के दौरान कृत कार्रवाई की स्थिति रिपोर्ट नीचे तालिका में दी गई है :-

निधि प्रकार	कार्यभार		वसूले गए		अंत शेष	
	आर.आर.सी. की संख्या	राशि (₹ करोड़ों में)	आर.आर.सी. की संख्या	राशि (₹ करोड़ों में)	आर.आर.सी. की संख्या	राशि (₹ करोड़ों में)
भविष्य निधि	65961	2393.08	12438	187.50	53523	2250.58
पेंशन निधि	30757	1190.50	6939	101.01	23827	1089.49
बीमा निधि	29753	94.91	6818	7.02	22427	87.89
कुल	126471	3678.49	26195	295.53	99777	3427.96

(ii) भ.नि. सम्पत्ति का अटैचमेंट : वर्ष 2014-15 के दौरान चूककर्ता स्थापनाओं की संपत्ति की बिक्री और अटैचमेंट के लिए धारा 8बी के प्रावधानों का प्रयोग करके ₹ 219.51 करोड़ वसूल किए गए। अछूटप्राप्त स्थापनाओं के चूककर्ताओं की सम्पत्ति का अटैचमेंट करने / गिरफ्तारी की स्थिति परिशिष्ट ए-14 में दी गई है।

OTHER ARREARS (ADMINISTRATION ACCOUNTS) ALL SCHEMES

5.14 The total arrears include an amount of ₹ 121.04 cr. on account of administration and inspection charges (exclusive of Penal Damages and Interest levied on it) and ₹ 2161.58 cr. on account of Penal damages levy and interest.

ACTION TAKEN TO ARREST THE DEFAULT

5.15 The following actions were taken by the organisation against the Defaulting Establishment for recovery of dues:

(a) **Assessment of dues under section 7A of the Act:** The status of initiation and disposal of assessment cases, zone-wise, is given in **Appendix A-8(i)** and the details of the periodicity of the Pending Section 7A cases are given in **Appendix A-8(ii)**.

(b) **Assessment of Interest under section 7Q of the Act:** The total workload during 2014-15 was ₹ 1159.88 cr. out of which ₹ 310.53 cr. it being 26.77% of the total workload was recovered. As on 31st March 2015 ₹ 849.34 cr. was outstanding for recovery. The Zone/Region wise details are given in **Appendix A-9**.

(C) **Levy of Damages under section 14 B of the Act for belated remittancies:** Total amount due for realization during the year 2014-15 was ₹ 1731.53 cr.. Out of this ₹ 419.29 cr. were recovered. Region-wise details of penal damages imposed collected and outstanding at the end of the year are given in **Appendix A- 10**.

(d) (i) **Action taken under section 8 of the EPF Scheme, 1952 read with Section 14 of the Act.** The action taken status report during the year 2014-15 is given in the table below:-

TYPE OF FUND	TOTAL ARREARS		RECOVERED		CLOSING BALANCE	
	No. of RRCs	Amount (₹ in cr.)	No. of RRCs	Amount (₹ in cr.)	No. of RRCs	Amount (₹ in cr.)
Provident Fund	65970	2392.07	12438	187.50	53532	2204.57
Pension Fund	30766	1198.97	6939	101.01	23827	1097.96
Insurance Fund	29762	95.64	6818	7.02	22944	88.62
TOTAL	126498	3686.68	26195	295.53	100303	3391.15

(ii) **Attachment PF Property:** During the year 2014-15, a sum of ₹ 219.51 cr. was recovered by invoking the provision of Section 8B for attachment and sale of properties of Defaulting Establishment. The status of attachment of property/Arrest of defaulters, Un-Ex sector is given in **Appendix A-14**.

5.16 कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी पेंशन योजना, कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के संबंध में जारी, निष्पादित एवं वर्ष के अंत में लंबित प्रमाण पत्रों का क्षेत्रवार ब्यौरा क्रमशः **परिशिष्ट ए-11 (i), (ii) एवं (iii)** पर दिया गया है।

(ड) अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत कृत कार्रवाई : 63,990 चूककर्ता स्थापनाओं और नियोक्ताओं के विरुद्ध अधिनियम की धारा 14 में निहित उपबंधों के अनुसार आपराधिक न्यायालयों में अभियोजन के मामले दायर किए गए। कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी पेंशन योजना, कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के मामलों की क्षेत्रवार स्थिति क्रमशः **परिशिष्ट ए-12 (i) से (iii)** में दी गई है।

(च) भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत कृत कार्रवाई : कर्मचारियों के वेतन से काटे गए भविष्य निधि अंशदान जमा न कराने वाले नियोक्ताओं के विरुद्ध पुलिस प्राधिकारियों के समक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत **228** एफ.आई.आर. दर्ज की गई। पुलिस के समक्ष दायर मामलों का क्षेत्रवार विवरण, पुलिस द्वारा न्यायालय में दायर किए गए चालान और न्यायालय में सीधे दर्ज की गई शिकायतों का विवरण तथा भारतीय दंड संहिता मामलों के निपटान एवं बकाया का विवरण **परिशिष्ट ए-13 (i) एवं (ii)** में दिया गया है।

बकाया की वसूली के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा की गई अन्य कार्यवाहियां

5.17 उपर्युक्त कार्रवाई के अतिरिक्त, वसूली की निम्नलिखित कार्रवाई के लिए सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों को निदेश भी जारी किए गए हैं :

- बकाया की वसूली के लिए राज्य सरकार की सहायता लेना।
- क्षेत्र / उप क्षेत्र के 10 सबसे बड़े चूककर्ताओं के नाम कार्यालय के अग्रभाग में प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करना।
- चूककर्ता नियोक्ताओं की चल और अचल सम्पत्ति के अटैचमेंट हेतु राज्य पुलिस से पूरा सहयोग लेना।
- समुचित प्राधिकारियों द्वारा बंदीगृहों को नागरिक कारागार के रूप में अधिसूचित करना।
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट पर प्रमुख चूककर्ताओं के नाम दर्शाना।

5.18 वसूली योग्य देयों की उगाही के लिए स्थापनाओं के विरुद्ध अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की गई। कर्मचारियों के भाग की अदायगी न करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अधीन भी कार्रवाई प्रारंभ की गई। ₹ 1 करोड़ से अधिक की चूक वाली स्थापनाओं के नाम **परिशिष्ट ए-7 (ii)** (अछूट प्राप्त देयताएं) तथा **परिशिष्ट ए-17 (ii)** (छूट प्राप्त देयताएं) में दिए गए हैं।

छूट

5.19 अधिनियम के अंतर्गत समुचित सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तथा राजपत्र में अधिसूचित शर्तों के अधीन, अधिनियम के अंतर्गत आने वाली स्थापनाओं को छूट प्रदान कर सकती है जिसमें ऐसी स्थापनाओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी है, जिसमें स्थापना अपने कर्मचारियों के लिए स्वतंत्र योजनाएं बना सकती हैं, जिसमें उन्हें दिये जाने वाले लाभ सांविधिक योजनाओं से कम नहीं हों। ऐसी स्थापनाएं अधिनियम की धारा 17 से छूट प्राप्त कर सकती है, यदि अधिकांश कर्मचारी इस छूट के पक्ष में हों। कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 और कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 के परिचालन से छूट प्राप्त करने के लिए स्थापनाओं द्वारा इस उपबंध का उपयोग किया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना के पैरा 27 ए के उपबंधों के अंतर्गत कर्मचारियों के एक वर्ग के लिए ऐसी स्वतंत्र भविष्य निधि योजनाएं चलाई जा सकती हैं। योजना के पैरा 27 ए के अंतर्गत छूट अधिसूचना द्वारा नहीं परंतु समुचित सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। छूट संबंधी शर्तों को योजना के पैरा 27ए के परिशिष्ट 'ए' में निर्धारित किया गया है। **(“समुचित सरकार” से तात्पर्य है – केन्द्रीय सरकार तथा केन्द्र सरकार से संबंधित या नियंत्रण के अधीन**

5.16 The Region-wise data of certificates issued, executed and pending at the end of the year in respect of EPF, EPS and EDLI are given at **Appendix A-11(i), (ii) & (iii)** respectively.

(e) Action taken under section 14 of the Act: 63,990 Prosecution cases were filed in the Criminal Courts under the provisions of Section 14 of the Act against Defaulting Establishment and employers. Region-wise status of EPF, EPS and EDLI cases are given in **Appendix A-12 (i) to (iii)** respectively.

(f) Action taken under section 406/409 of IPC: 228 FIRs were filed with the police authorities U/S 406/409 of Indian Penal Code (IPC) against the employers for non-remittance of the Employees' share of Provident Fund contributions deducted from their wages / salary. Region-wise data of the cases filed before the Police, the details of challans filed by the Police in Courts and Complaints directly filed in Courts and details of their disposal with pendency of IPC cases are given at **Appendix A-13 (i) & (ii)**.

OTHER ACTIONS TAKEN BY EPFO FOR RECOVERY OF ARREARS

5.17 Apart from the above actions, instructions have also been issued to all RPFCs to take the following steps for recovery:

- To seek the help of the State Government for recovery of arrears.
- To display the names of 10 biggest defaulters of the region / sub-region in the front area of the office at a prominent place.
- To seek full co-operation of the State Police for attachment of movable and immovable properties of the defaulting employers.
- To have the jails notified as civil prisons by the appropriate authorities.
- Flash the names of major defaulters on the EPFO's website.

5.18 Legal action under section 14 of the Act has been initiated against the Establishments in order to collect the realizable dues. Action under section 406/409 of IPC has also been initiated for non-payment of employees' share. The names of the Defaulting Establishment in excess of ₹ 1 cr. is given in **Appendix A-7(ii)** (Un-exempted dues) and **Appendix A-17(ii)** (Exempted dues).

EXEMPTION

5.19 The Act provides that the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, and subject to such conditions as may be notified in the notification, exempt any establishment brought under the ambit of the Act from the operation of this Act or of any Scheme which could formulate independent Schemes conferring benefits not less favorable than those provided under the Statutory Schemes, to their employees under section 17 of the Act, if the majority of the employees are in favour of such an exemption. This provision is by and large availed by establishments to obtain exemption from the operations of the Scheme and Insurance Scheme. Such independent Provident Fund Schemes could also be operated for a class of employees under the provisions of Paragraph 27A of the Scheme. Exemption under Paragraph 27A of the Scheme is not granted by notification but by order of the appropriate Government. The conditions governing exemption are stipulated in Appendix 'A' to Paragraph 27AA of the Scheme. ***("Appropriate Government" means, the Central Government in relation to an establishment belonging to, or under the control of the Central Government or in relation to an establishment connected with a railway company, a major port, a mine or***

संस्थान के संबंध में, या रेल कंपनी, बड़ा बंदरगाह, खान या शिला – तेल क्षेत्र (ऑयल फील्ड) या नियंत्रित उद्योग (या वह संस्थान, जिसके विभाग या शाखा एक से अधिक राज्य में हों, के संबंध में) तथा अन्य किसी भी संस्थान के संबंध में राज्य सरकार)।

5.20 इसके अतिरिक्त कर्मचारी भविष्य निधि योजना के पैरा 27 के अंतर्गत स्थापना द्वारा प्रशासित अपवर्जित (एक्सक्लूडेड) योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभों से कोई भी कर्मचारी छूट प्राप्त कर सकता है।

5.21 इस प्रकार छूट प्राप्त करने से कर्मचारी निजी भविष्य निधि योजना के उपबंध के अंतर्गत अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है। किसी स्थापना को दी गयी इस प्रकार की छूट को निरस्त किया जा सकता है, यदि उसने योजना के पैरा 27एए के परिशिष्ट ए में दी गयी छूट की किसी शर्त का उल्लंघन किया हो।

छूट प्राप्त स्थापनाएं एवं सदस्य

5.22 31.03.2015 तक छूट प्राप्त श्रेणी में **4737** स्थापनाएं थीं। इन छूट प्राप्त स्थापनाओं में पिछले वर्ष के **62,15,844** सदस्यों के स्थान पर **75, 84,851** सदस्य कार्यरत थे। क्षेत्रवार सदस्यों का कवरेज विवरण परिशिष्ट ए -5 (v) में दर्शाया गया है।

स्थापनाओं एवं सदस्यों का राज्यवार संक्रेन्द्रण

5.23 छूट प्राप्त स्थापनाएं एवं सदस्य मुख्यतः पांच राज्यों नामतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, दिल्ली एवं तमिलनाडु में संक्रेन्द्रित हैं। ये पांच राज्य छूट प्राप्त क्षेत्र की कुल प्राप्त स्थापनाओं का **57.02 %** तथा कुल सदस्यता के **72.08 %** भाग का निर्माण करते हैं जैसा कि परिशिष्ट ए- 5 (vi) में दर्शाया गया है।

अंशदान

5.24 गत वर्ष के ₹ **23,523.08** करोड़ की तुलना में इस वर्ष छूट प्राप्त स्थापनाओं के नियोक्ताओं द्वारा अंशदान के रूप में ₹ **28,521.12** करोड़ की राशि एकत्रित की गयी और निजी न्यासों को अंतरित की गई।

निरीक्षण प्रभार

5.25 छूट प्राप्त स्थापनाओं के नियोक्ताओं को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ता जिसमें भोजन रियायत का नकद मूल्य एवं प्रतिधारण भत्ता यदि कोई है तो, उसके 0.18% की दर से निरीक्षण प्रभार देना होता है।

ब्याज दर

5.26 छूट प्रदान करने की शर्तों में से एक है कि सदस्यों के जमा पर सांविधिक निधि के सदस्यों के लिए घोषित ब्याज दर से कम ब्याज घोषित नहीं किया जाएगा। कुल **4737** छूट प्राप्त स्थापनाओं में से **2201** स्थापनाओं ने ब्याज दर घोषित नहीं की है। शेष **2536** स्थापनाओं द्वारा घोषित ब्याज दर की व्यापक पद्धति का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :-

an oil-field or a controlled industry or in relation to an establishment having departments or branches in more than one State and in relation to any other establishment under the State Government).

5.20 In addition, individual employees may also seek exemption under Paragraph 27 of the Scheme for enjoying the benefits of enrollment under the excluded Scheme administered by the establishment.

5.21 The grant of such exemption enables the employees to continue to enjoy better benefits available to them under the private Provident Fund Scheme. Any such exemption granted to an establishment is liable to be cancelled for contravention of any of the conditions governing exemption as stipulated in **Appendix 'A' to Paragraph 27AA** of the Scheme.

EXEMPTED ESTABLISHMENTS AND MEMBERS

5.22 **4737** establishments are enjoying exemption as on 31.03.2015. **75, 84,851** members are serviced by these exempted establishments as against **62, 15,844** members during the previous year. Region-wise coverage of members is given in **Appendix A-5 (v)**.

STATE WISE CONCENTRATION OF ESTABLISHMENTS AND MEMBERS

5.23 Exempted Establishments and members are concentrated mainly in five states namely Maharashtra, Karnataka, West Bangal, Delhi & Tamil Nadu. These five States constitute **57.02 %** of the total exempted establishments and **72.08 %** of the total membership of the exempted sector as stated in **Appendix A- 5 (vi)**.



CONTRIBUTIONS

5.24 An amount of **₹ 28,521.12 cr.** were collected and transferred to the Private Trust by the employers of exempted establishments as contributions during the year as against **₹ 23,523.08 cr.** during the previous year.

INSPECTION CHARGES

5.25 The employers of exempted establishments are required to pay the Inspection Charges @ 0.18% of the basic wages and DA including cash value of food concession and retaining allowance if any, to the EPFO.

RATE OF INTEREST

5.26 Declaration of rate of interest payable to the members at the rate not lower than the interest rate declared for the members of the Statutory Fund is one of the conditions for grant of exemption. Out of the total **4737** exempted establishments **2201** establishments did not declare the rate of

सदस्यों को स्वीकृत ब्याज दर – छूट प्राप्त स्थापनाएं		
	स्थापनाएं	सदस्य
सांविधिक दर से अधिक	115	1,80,464
8.5% की सांविधिक दर के बराबर	2418	43,05,949
सांविधिक दर से कम	3	4,285
कुल	2536	44,90,698

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत छूट

5.27 दिनांक 31.03.2015 को छूट प्राप्त पेंशन निधि न्यासों का विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	पेंशन निधि न्यास का नाम	पेंशन निधि के सदस्यों की संख्या	कुल संचय (₹ करोड़ों में)
1.	मैसर्स ऑयल इंडिया लिमिटेड (ए.एस./328)	5459	958.08 करोड़
2.	मैसर्स मलेशिया एयरलाइन्स (टी.एन./8785)		(स्थापना द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना से छूट को रद्द करने के लिए आवेदन किया गया है)
3.	मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड (एम.एच./30276, जे.एच./05) यू.पी./20366	99,076 प्रतीक्षित	725.63 करोड़ (क्षेत्रीय कार्यालय, थाणे एवं जमशेदपुर सहित) प्रतीक्षित

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 से छूट

5.28 नियोक्ता के अनुरोध पर, यदि के.भ.नि.आ. चाहें तो, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा तथा अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों के अधीन, किसी स्थापना को बीमा योजना के सभी उपबंधों अथवा किसी भी उपबंध के प्रचालन से छूट दे सकते हैं, यदि वे आश्वस्त हों कि ऐसी स्थापना के कर्मचारी बिना कोई पृथक अंशदान अथवा किश्त की अदायगी के, बीमा निधि की प्रकृति के लाभ प्राप्त कर रहे हैं, चाहे उनके निक्षेप भविष्य निधि से संबद्ध हैं अथवा नहीं और इन कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ अधिनियम की धारा 17 (2ए) के अंतर्गत बीमा योजना के अंतर्गत मिलने वाले स्वीकार्य लाभों से बेहतर हैं। बीमा निधि के अंतर्गत योजना के अंतर्गत कवर्ड किसी स्थापना में कार्यरत व्यक्ति अथवा व्यक्ति वर्गों को सभी अथवा किसी उपबंध के प्रचालन में छूट उपलब्ध है यदि बीमा निधि के अंतर्गत उपलब्ध लाभों से ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्ति वर्गों को मिलने वाले यह जीवन बीमा लाभ बेहतर हों। आज तक **41** स्थापनाओं को योजना से छूट प्रदान की गई, जबकि पिछले वर्ष **69** स्थापनाओं को छूट दी गई थी।

छूट प्राप्त क्षेत्र में बकाया का प्रबंधन

5.29 बकाया 1811.04 करोड़ में ₹ 678.84 करोड़ शेष को छोड़कर ₹ 1132.20 करोड़ की वसूली की गई। विवरण परिशिष्ट ए-15 (i) में दिया गया है।

interest. The broad pattern of interest rate declared by the remaining **2536** establishments is given in the table below:-

Rate of Interest allowed to Members - Exempted Establishments		
	ESTABLISHMENTS	MEMBERS
Higher than the Statutory Rate	115	1,80,464
Equal to the Statutory rate of 8.5%	2418	43,05,949
Less than the Statutory rate	3	4,285
Total	2536	44,90,698

EXEMPTION UNDER EPS, 1995.

5.27 The details of exempted pension fund trusts as on 31.03.2015 are as under:

S.No	Name of Pension Fund Trust	No. of Pension Fund Member	Total corpus (₹ in cr.)
1.	M/s. Oil India Ltd (AS/328)	5459	958.08 crores
2.	M/s. Malaysia Airlines (TN/8785)		(The establishment has submitted application for surrender of EPS Exemption)
3.	M/s. Tata Motors (MH/30276) (JH/05) (UP/20366)	99,076	725.63 crores

EXEMPTION FROM THE EMPLOYEES' DEPOSIT LINKED INSURANCE SCHEME, 1976

5.28 On the request of the employer, the CPFC may, if requested so to do by the employer, by notification in the Official Gazette, and subject to such conditions as may be specified in the notification, exempt, any establishment from the operation of all or any of the provisions of the Insurance Scheme, if he is satisfied that the employees of such establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits in the nature of life insurance, whether linked to their deposits in provident fund or not, and such benefits are more favourable to such employees than the benefits as admissible under the Insurance Scheme under section 17 (2A) of the Act. The Insurance Scheme may provide for the exemption of any person or class of persons employed in any establishment and covered by that scheme from the operation of all or any of the provisions thereof, if the benefits in the nature of life insurance admissible to such person or class of persons are more favourable than the benefits under the Insurance Scheme. As on date, **41** establishments have been granted exemption from the Scheme during this year as compared to **69** establishments during the previous year.

ARREAR MANAGEMENT IN THE EXEMPTED SECTOR

5.29 Out of an arrear of ₹ **1811.04 cr.**, an amount of ₹ **1132.20 cr.** was recovered leaving a balance of ₹ **678.84 cr.** The details are given in **Appendix A -15 (i).**

5.30 छूट प्राप्त स्थापनाओं में बकाया का बड़ा भाग ₹ 157.21 करोड़ पश्चिम बंगाल राज्य का है, जिसके पश्चात् ₹ 116.30 करोड़ झारखंड राज्य के आंध्र प्रदेश राज्य के ₹ 88.82 करोड़ और राजस्थान के ₹ 83.04 करोड़ तथा महाराष्ट्र के ₹ 59.72 करोड़ हैं, जो कुल बकाया का 74.40 % है जिसे परिशिष्ट ए-15 (ii) में दिया गया है।

बकाया का विभाजन – सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की स्थापनाएं

5.31 छूट प्राप्त क्षेत्र की कुल 462 चूककर्ता स्थापनाओं में से 348 स्थापनाएं निजी क्षेत्र और 114 स्थापनाएं सार्वजनिक क्षेत्र की हैं। राशि की दृष्टि से ₹ 571.18 करोड़ की कुल चूक में से ₹ 201.82 करोड़ निजी क्षेत्र के हैं और ₹ 369.36 करोड़ सार्वजनिक क्षेत्र के हैं। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की छूट प्राप्त स्थापनाओं की क्षेत्रवार चूक की स्थिति परिशिष्ट ए- 16 में दी गई है।

बकाया की स्थिति (छूट प्राप्त क्षेत्र)

5.32 ₹ 678.84 करोड़ की कुल चूक में से ₹ 419.17 करोड़ तत्काल न-वसूलनीय श्रेणी में आते हैं, जिससे अधिनियम के अंतर्गत वसूली एवं दांडिक कार्रवाईयों के माध्यम से वसूली योग्य ₹ 259.67 करोड़ की राशि शेष रह जाती है। वर्षों से तत्काल न-वसूलनीय श्रेणी के अंतर्गत बकाया की वसूली विभिन्न कारणों से नहीं की जा सकी, जैसे कि :

- राशि न्यायालय में विवादित है।
- फैक्ट्रियां समापनधीन हैं।
- केन्द्र / राज्य सरकार के अधिनियमों के कारण वसूली बाधित है।
- औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) द्वारा कारखानों को रूग्ण घोषित किया गया है अथवा जिनके लिए पुनः स्थापना योजना की बी.आई.एफ.आर. द्वारा स्वीकृति दी गई है / बी.आई.एफ.आर. के विचाराधीन है।

5.33 तत्काल वसूल न की जा सकने वाली राशि बकाया मांग का 61.75% है। तत्काल वसूल न की जा सकने वाली श्रेणी में आने वाली चूककर्ता श्रेणी और चूक के कारणों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

तत्काल वसूल न किए जा सकने वाले बकाया की स्थिति	मामलों की संख्या	निहित राशि (₹ करोड़ों में)	कुल का %
क) न्यायालय द्वारा रोक	182	315.85	75.35
ख) समापनधीन	40	21.28	5.08
ग) बी.आई.एफ.आर.	28	58.01	13.84
घ) अन्य	28	24.03	5.73
कुल	278	419.17	100

5.30 The major portion of arrears of exempted establishments is in the State of West Bengal amounting to ₹ 157.21 cr. followed by the State of Jharkhand amounting to ₹ 116.30 cr., Andhra Pradesh amounting to ₹ 88.82 cr., Rajasthan amounting to ₹ 83.04 cr. and Maharashtra amounting to ₹ 59.72 cr. Together representing 74.40 % of the total arrears as depicted in **Appendix A-15 (ii)**.

BIFURCATION OF ARREARS – PUBLIC AND PRIVATE SECTOR ESTABLISHMENTS

5.31 Out of the total 462 Defaulting Establishment under the exempted sector, 114 establishments belong to the Public Sector and 348 establishments fall under the Private Sector. In terms of amount, out of the total default of ₹ 571.18 cr., Public Sector amount for ₹ 369.36 cr. and Private Sector ₹ 201.82 cr. The Region-wise default position of exempted establishments both in Public and Private Sector is given in **Appendix A- 16**.

STATUS OF ARREARS (EXEMPTED SECTOR)

5.32 Out of the total default of ₹ 678.84 cr., an amount of ₹ 419.17 cr. fall under NIR category leaving a balance of ₹ 259.67 cr. realisable through recovery and penal actions under the Act. The arrears falling under the NIR category could not be recovered over the years due to various reasons, such as:

- Amount disputed in Courts,
- Factories having gone into Liquidation,
- Recovery barred by the Acts of Central/State Governments,
- Factories declared Sick by the Board of Industrial & Financial Reconstruction or factories in respect of which a Rehabilitation Scheme had been sanctioned by or is under formulation/consideration of the BIFR.

5.33 NIR amount accounts for 61.75% of the arrears demand. Break-up indicating the reason and category of default falling in NIR category is given below:-

Status of NIR arrears	No. of cases	Amount involved (₹ in cr.)	% of total
a) Stay by Courts	182	315.85	75.35
b) Under Liquidation	40	21.28	5.08
c) BIFR	28	58.01	13.84
d) Others	28	24.03	5.73
TOTAL	278	419.17	100.00

5.34 31.03.2015 तक ₹ 50 लाख अथवा अधिक की चूक करने वाली छूट प्राप्त तथा अछूट प्राप्त स्थापनाओं के संक्षिप्त विवरण क्रमशः परिशिष्ट ए-7 (i) और परिशिष्ट ए-17 (ii) पर दिए गए हैं।

छूट प्राप्त क्षेत्र में अनिवेशित निधि

5.35 अधिनियम की धारा 17(1) के अंतर्गत तथा क.भ.नि. योजना 1952 के पैरा 27 के अंतर्गत न्यासी बोर्ड द्वारा न्यास के खाते में धनराशि की प्राप्ति की तिथि से दो सप्ताह की अवधि के भीतर निधियों का निवेश अपेक्षित है। वर्ष के अंत में 975 छूट प्राप्त ट्रस्ट थे, जिनके पास ₹ 6,178.46 करोड़ की राशि अनिवेशित राशि के रूप में बकाया पड़ी थी। 31.03.2015 को छूट प्राप्त स्थापनाओं के न्यासी बोर्डों के पास अनिवेशित राशि के क्षेत्रवार आंकड़े परिशिष्ट ए-18 में दिए गए हैं।

छूट प्राप्त क्षेत्र में चूककर्ताओं के विरुद्ध की गई कार्रवाई

5.36 वर्ष के दौरान ऐसे चूककर्ता नियोक्ताओं, जिन्होंने भविष्य निधि अंशदान की राशि अपने कर्मचारियों के वेतन से काटकर जमा नहीं करायी थी, के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए 3 शिकायतें दर्ज करायी गयीं।

5.37 वर्ष 2014-15 के दौरान छूट प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत चूककर्ताओं से विभिन्न माध्यमों से ₹ 14.65 करोड़ की राशि वसूल की गयी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

बकाया में चूक के कारण सम्पत्ति के अटैचमेंट एवं गिरफ्तारी की स्थिति- छूट प्राप्त क्षेत्र			
क्र.सं.	कार्रवाई का तरीका	मामलों की संख्या	वसूल की गयी राशि (₹ करोड़ों में)
1	बैंक खातों का अटैचमेंट	54	14.65
2	चल संपत्ति का अटैचमेंट	-	-
3	अचल संपत्ति का अटैचमेंट	-	-
4	चूककर्ताओं की गिरफ्तारी	-	-
	कुल	54	14.65

5.34 A summary of Unexempted and exempted establishments, which are in default of ₹ 50 lac and above as on 31.03.2015 is given at **Appendix A-7 (i)** and **Appendix A-17(i)** respectively.

UN-INVESTED FUNDS IN THE EXEMPTED SECTOR

5.35 The Board of Trustees of Exempted Trust are required to make investment of funds within a period of two weeks from the date of receipt of money into the trust account u/s 17(1) of the Act and paragraph 27 of the EPF Scheme 1952. At the end of the year, there were **975** exempted trusts, which had an amount of ₹ **6,178.46 cr.** with them as remaining un-invested. The Region-wise details on the amounts lying with the Boards of Trustees of the exempted establishments un-invested as on 31.03.2015 is given in **Appendix A-18.**

ACTION TAKEN AGAINST DEFAULTERS IN THE EXEMPTED SECTOR

5.36 During the year 3 complaints were filed for offences punishable under section 406/409 of I.P.C. against the defaulting employers who failed to remit the Provident Fund contributions deducted from the wages of their employees.

5.37 During the year 2014-15, a sum of ₹ **14.65 cr.** was recovered through various modes from defaulters in exempted sector as given below:

STATUS OF ARREST & ATTACHMENT OF PROPERTY ON ACCOUNT OF DEFAULT– EXEMPTED SECTOR			
Sl. No.	Mode of Action	No. of Cases	Amount Recovered (₹ in cr.)
1	Bank Accounts Attached	54	14.65
2	Movable Property Attached	-	-
3	Immovable Property Attached	-	-
4	Arrest of Defaulters	-	-
	TOTAL	54	14.65

अध्याय- 6

विधि मामले

6.1 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 तथा इसके अंतर्गत निर्मित योजनाओं के क्रियान्वयन तथा विनियमन का दायित्व सौंपा गया है। संगठन द्वारा अपने सांविधिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए बड़ी संख्या में न्यायिक मामले उत्पन्न होते हैं। सामान्यतः विधि मामलों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :-

- **अनुपालन कार्रवाई-** इस क्षेत्र में न्यायिक मामले, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम के विभिन्न प्रावधान जैसे 7-ए, 7-बी, 7-क्यू, 14 बी आदि जिनके अंतर्गत स्थापनाओं पर अभियोग चलाया जाता है, के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई के कारण उत्पन्न होते हैं।
- **अंशदाता को सेवा का क्षेत्र –** क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त बनाम शिव कुमार जोशी मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 14.12.1999 के परिणामस्वरूप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधान के अंतर्गत लाया गया है। इस क्षेत्र में अधिकतर मामले तीनों सांविधिक योजनाओं यथा कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952, कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध योजना 1976 तथा कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत अंशदाताओं को दी जाने वाली सेवाओं से संबंधित है।
- **प्रशासनिक प्रकृति के मामले-** इस श्रेणी के अंतर्गत अधिकतर मामले संगठन के कर्मचारियों तथा अधिकारियों के सेवा मामलों से संबंधित हैं और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) में आरंभ होते हैं।

6.2 वर्ष के दौरान, विविध मामलों के उचित रखरखाव के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों वाला व्यापक परिपत्र दिनांक 16.05.2014 को जारी किया गया था। परिपत्र की प्रमुख विशेषताओं में सम्मिलित है :-

- i. मुकद्दमे के मूल स्तर पर अत्यधिक सतर्कतापूर्ण ढंग से रखरखाव पर बल।
- ii. प्रत्युत्तर समय पर फाइल करना।
- iii. अधिवक्ताओं की उचित ब्रीफिंग।
- iv. जहां के.भ.नि.आ./भारत सरकार एक पार्टी है अथवा जहां कहीं नीतिगत मामला निहित है वहां मुख्यालय द्वारा प्रत्युत्तरों की जांच।
- v. सक्षम अधिवक्ताओं को पैनलबद्ध करके पैनल को सुदृढ़ करना।
- vi. आंचलिक अपर के.भ.नि.आ. स्तर पर विधि संबंधी फाइलों की सूक्ष्म समीक्षा एवं मॉनीटरिंग।
- vii. विभिन्न विधि मंचों अर्थात् कंज्यूमर फोरम मामले, निम्न अदालतों के मामले, उच्च न्यायालय /क.भ.नि. अपीलीय अधिकरण /कैट मामलों तथा उच्चतम न्यायालय के मामलों के उचित रखरखाव के लिए विस्तृत अनुदेश।
- viii. मुख्यालय स्तर पर अवमानना मामलों की मॉनीटरिंग।

Chapter 6

LEGAL MATTERS

6.1 The Employees' Provident Fund Organisation is entrusted with the responsibility of implementation and regulation of Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act 1952 and schemes framed thereunder. A large number of Court cases get generated in course of discharge of statutory duties by the organisation. Broadly, the legal cases can be classified into following categories:-

- **Compliance Actions-** Court Cases in this area originate due to action taken by the authorised officer under various provision of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provision Act such as 7A, 7B, 7Q, 14B etc by which the establishments are being prosecuted.
- **Service to subscriber area-** consequent upon of the order dated 14.12.1999 of Hon'ble Supreme Court in the matter of RPFC Vs Shiv Kumar Joshi, Employees' Provident Fund Organisation has been brought under the provision of the consumer protection Act 1986. Cases under this category largely pertain to the services provided to the subscribers under the three statutory schemes; namely Employees' Provident Fund Scheme 1952, Employees Deposit Linked Insurance 1976 & Employees' Pension Scheme 1995.
- **Cases of administrative nature-** cases under this category are mostly related to the service matters of the employees and officers of the organisation and are initiated at Central Administrative tribunal.

6.2 During the Year, detailed guidelines in the form of a comprehensive circular dated 16.05.2014 were issued for proper handling of legal cases. The salient features of the circular includes :-

- i. Emphasis on meticulous handling at the original level of litigation
- ii. Timely filing of counter replies
- iii. Proper briefing of Advocates
- iv. Vetting of counter replies by Head Office where CPFC/UOI is a party or where a policy matter is involved
- v. Strengthening of panel by empanelment of competent advocates
- vi. Close review and monitoring of legal files at Zonal ACC level
- vii. Detailed instructions for handling of cases at different legal forum i.e. Consumer Forum cases, Lower Court cases, High Court/EPFAT/CAT cases and Supreme Court matters.
- viii. Monitoring of Contempt cases at Head Office level.

6.3. विधि डैशबोर्ड की शुरुआत : - सूचना प्रौद्योगिकी से सहायता प्राप्त प्रभावी मॉनीटरिंग के लिए, मई 2014 में विधि डैशबोर्ड की शुरुआत की गई। विभिन्न न्यायालयों में लंबित सभी न्यायिक मामलों के विवरण की प्रविष्टि की जाती है और दैनिक आधार पर विधि डैशबोर्ड पर इसे अद्यतन किया जाता है।

- फील्ड कार्यालयों के साथ सूक्ष्म अनुवर्ती कार्रवाई से विधि डैशबोर्ड पर 100% डाटा प्रविष्टि संभव हुई है। मामलों की समीक्षा के लिए विभिन्न पैरामीटरों पर रिपोर्ट तथा रिटर्न को प्राप्त करने के लिए विधि डैशबोर्ड को और अधिक सुसंगत बनाया जा रहा है।
- वर्ष के दौरान जारी एक महत्वपूर्ण आदेश को फील्ड कार्यालयों को सूचना एवं संदर्भ हेतु परिचालित किया गया।

6.4. वर्ष 2014-15 के लिए विभिन्न विधि मामलों के संबंध में न्यायिक मामलों की स्थिति इस प्रकार है :-

न्यायालय /आयोग का नाम	कार्यभार	निपटाए गए	लंबित
उच्चतम न्यायालय	220	49	171
उच्च न्यायालय	11,546	2,779	8,767
जिला न्यायालय	18,530	2,397	16,133
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग	545	319	226
राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग	1,546	445	1,101
जिला उपभोक्ता निवारण फोरम	5,766	1,260	4,506
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण	265	65	200
कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय अधिकरण	3,910	885	3,025
योग	42,328	8,199	34,129

6.5 उपर्युक्त सभी न्यायिक मामलों का क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट ए- 19 (i) से 19 (viii) तक दिया गया है।

6.6. क.भ.नि. एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7-डी के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय अधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया है और तदनुसार अधिकरण की दिल्ली में स्थित एक बेंच है। पीठासीन अधिकारी, क.भ.नि. अपीलीय अधिकरण की सेवानिवृत्ति होने पर यह पद 01.12.2014 से 31.03.2015 तक रिक्त रहा। मुख्यालय के साथ-साथ फील्ड कार्यालयों द्वारा लंबित मामलों को कम करने के प्रयास किए गए हैं, इस अवधि के दौरान 714 मामलों का निपटारा किया गया है। जिस अवधि के दौरान पीठासीन अधिकारी उपलब्ध नहीं था, उसे प्रत्युत्तर फाइल करने में विलंब को भरने के लिए प्रक्रिया को व्यवस्थित करने आदि में प्रयुक्त किया गया। श्री हरीश गुप्ता ने दिनांक 01.04.2015 को क.भ.नि. अपीलीय अधिकरण दिल्ली बेंच में पीठासीन अधिकारी का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

6.3. Launch of Legal Dashboard: - In order to have effective monitoring system with IT assisted, Legal Dashboard was launched during May, 2014. The details of all legal cases pending at different courts are entered and updated on Legal Dashboard on day to day basis.

- A close follow up with the field offices has led to 100% data entry on the Legal Dashboard. The Legal Dashboard software is being further fine tuned to extract the reports and returns on various parameters for review of the cases.
- An important order issued during the year was circulated to field offices for information and reference.

6.4. The status of court cases at various legal matters a for the year 2014-15 is appended below:-

Name of the Court/Commission	Workload	Settled	Pendency
Supreme Court	220	49	171
High Courts	11,546	2,779	8,767
District Courts	18,530	2,397	16,133
National Consumer Disputes Redressal Commission	545	319	226
State Consumer Disputes Redressal Commission	1,546	445	1,101
District Consumer Redressal Forums	5,766	1,260	4,506
Central Administrative Tribunal	265	65	200
Employees Provident Fund Appellate Tribunals	3,910	885	3,025
Total	42,328	8,199	34,129

6.5 The Region-wise details of the above all Court cases are shown at Appendix **A- 19 (i) to 19 (viii).**

6.6. Provisions have been made in the EPF & MP Act, 1952 for constituting Employees' Provident Fund Appellate Tribunal under Section 7(D) and accordingly one bench of the Tribunal is already in place at Delhi. On retirement of Presiding Officer, EPFAT the same was lying vacant from 01-12-2014 to 31-03-2015. Due efforts have been taken by Head Office as well as field offices to reduce the pendency, 714 cases have been settled during the period. The period in which the Presiding Officer was not available, it has been used to bridge the gap in delay of filing counter replies, streamlining the process etc. Shri Harish Gupta has assumed charge of Presiding Officer at EPFAT Delhi Bench on 01-04-2015.

6.7 क.भ.नि.आपके द्वार के अनुरूप, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा राज्यों अंडमान एवं निकोबार और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए क.भ.नि. अपीलीय अधिकरण की एक अन्य बेंच बंगलुरु में स्थापित की गई है।

6.8 क.भ.नि.सं. तथा फील्ड कार्यालयों द्वारा उच्च न्यायालयों, जिला न्यायालयों के रजिस्ट्रार तथा उपभोक्ता फोरमों के साथ मामलों को शीघ्र सुनने के लिए संपर्क करने के विशेष प्रयास किए गए हैं और इसके कारण, उच्च न्यायालयों से लेकर जिला तथा उपभोक्ता निवारण फोरमों के 3453 मामले इस अवधि के दौरान निपटाए गए।



6.7 In tune with EPF Aapke Dwar, another bench of Employees Provident Fund Appellate Tribunal has been set up at Banguluru covering the states of Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Goa, Union Territories of Andaman and Nicobar and Puducherry.

6.8 Special efforts have been taken by EPFO as well as field offices by interacting with the Registrars of High Courts, District Courts and the Consumer Forums to hear the cases expeditiously and due to this, 3453 cases have been settled during the period ranging from High Courts to District & Consumer Redressal Forums.



अध्याय 7

निवेश एवं लेखा

अंशदान की दर

7.1 अधिनियम के अंतर्गत नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों द्वारा अदा किए जाने वाले भविष्य निधि अंशदान की दर समय-समय पर संशोधित होती रही है। अंशदान की वर्तमान दर विभिन्न योजनाओं के वित्त - पोषण हेतु वेतन की प्रतिशतता के रूप में प्रशासनिक प्रभार के साथ नीचे दी गई है :

	अंशदान लेखे (अंशदान की दर)			प्रशासन लेखे (अंशदान की दर)		कुल
	क.भ.नि.	क.पें.यो.	क.नि.स.बी.यो.	क.भ.नि.	क.नि.स.बी.यो.	
नियोक्ता	3.67	8.33	0.5	1.10	0.01	13.61
कर्मचारी	12.00	-	-	-	-	12.00
केन्द्र सरकार	-	1.16	-	-	-	1.16
कुल	15.67	9.49	0.5	1.10	0.01	26.77

7.2 नियोक्ता तथा कर्मचारी दोनों के लिए अंशदान दर वर्तमान में वेतन का 12% है, जिसमें प्रशासनिक प्रभार सम्मिलित नहीं है। नियोक्ता समग्र प्रशासनिक प्रभार अर्थात् भ.नि. वेतन का 1.11% वहन करता है। क.पें.यो. में भारत सरकार वेतन के 1.16% की दर से अंशदान देती है। केवल निम्नलिखित स्थापना-वर्गों हेतु नियोक्ता तथा कर्मचारी दोनों के लिए अंशदान दर वेतन का 10% है :

क. 20 से कम कर्मचारियों वाली स्थापनाएं

ख. कोई रूग्ण औद्योगिक कंपनी, जिसे रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (1986 का अधिनियम 1) की धारा 3 की उपधारा (I) के खंड (o) में परिभाषित किया गया है तथा जिसे अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत स्थापित औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में संदर्भ के पंजीकरण की तिथि पर अथवा तिथि से प्रारम्भ होने की अवधि तथा उस तिथि पर समाप्त जब से अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के अंतर्गत पारित आदेशों से उक्त स्थापना का शुद्ध मूल्य सकारात्मक हो जाता है अथवा अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन की अंतिम तिथि से उक्त बोर्ड द्वारा रूग्ण घोषित किया गया हो;

ग. कोई स्थापना, जिसने किसी वित्तीय वर्ष के अंत में अपने संपूर्ण शुद्ध मूल्य अर्थात् अदा की गई पूंजी की कुल राशि एवं फ्री रिजर्व के बराबर अथवा उससे अधिक घाटा उठाया हो तथा जिसने ऐसे वित्तीय वर्ष में तथा ऐसे वित्तीय वर्ष के ठीक पहले के वित्तीय वर्ष में रोकड़ हानि भी उठाई हो। स्पष्टीकरण - खण्ड (3) के उद्देश्य के लिए "रोकड़ हानि" का तात्पर्य मूल्यहास में कुछ भी दिए बिना परिणत रूप में हानि से है;

Chapter 7

INVESTMENTS AND ACCOUNTS

RATE OF CONTRIBUTION

7.1 The rate of contribution payable to the Provident Fund by the employees and the employers under the Act has been revised from time to time. The current rate of contribution as percentage of wages for funding the various schemes along with its administrative charges are given below:

	CONTRIBUTION ACCOUNTS (Rate of contribution)			ADMINISTRATION ACCOUNTS (Rate of contribution)		TOTAL
	EPF	EPS	EDLI	EPF	EDLI	
Employer	3.67	8.33	0.50	1.10	0.01	13.61
Employee	12.00	-	-	-	-	12.00
Central Government	-	1.16	-	-	-	1.16
TOTAL	15.67	9.49	0.50	1.10	0.01	26.77

7.2 The rate of contribution excluding the administrative charges is presently 12% on the wages both for employer as well as employee. The employer bears the entire administrative charges i.e. 1.11% of the PF wages. The Government of India contributes @1.16% of wages to the EPS. Only for following categories of establishment, the rate of contribution both for employer and employee is 10% of wages.

- a) Establishments having less than twenty employee
- b) Sick industrial company as defined in clause (O) of sub-section (I) of Section 3 of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 (Act 1 of 1986) and which has been declared as such by the Board for Industrial and Financial Re-construction established under section 4 of that Act for the period commencing on and from the date of registration of the reference in the Board and ending either on the date by which the net worth of the said company becomes positive in terms of the orders passed under sub-Section (2) of Section 17 of that Act or on the last date of implementation of the Scheme sanctioned under section 18 of the Act;
- c) Establishment which has at the end of any financial year accumulated losses equal to or exceeding its entire net worth, that is the sum total of paid up capital and free reserves, and has also suffered cash losses in such financial year and the financial year immediately preceding such financial year. Explanation – for the purposes of clause (3) "Cash loss" means loss as computed without providing for depreciation;

घ. (क) जूट उद्योग (ख) बीड़ी उद्योग (ग) ईट उद्योग (घ) बुनाई क्षेत्र के अतिरिक्त क्वायर उद्योग (ड.) गौर-गम फैक्ट्रियों में कोई स्थापना ;

7.3 निम्नलिखित सारणी में अधिनियम के प्रारंभ से कॉलम 1 में दी गई अवधि हेतु नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों दोनों के लिए भिन्न-भिन्न अंशदान दरों का उल्लेख है।

वर्ष 1952 से अब तक अंशदान की दर	
अवधि	अंशदान की दर
01.11.1952 से 31.03.1956	नियोक्ता एवं कर्मचारी दोनों द्वारा मूल वेतन, मंहगाई भत्ता एवं भोजन पर छूट के प्रत्येक रूपए पर एक आना।
01.04.1956 से 31.03.1971	कर्मचारी द्वारा कुल मूल वेतन, मंहगाई भत्ता एवं भोजन पर छूट की धनराशि का 6.1/4 %। नियोक्ता द्वारा बराबर की राशि अदा की जाती थी।
01.04.1971 से 31.07.1988	कर्मचारी द्वारा कुल मूल वेतन, मंहगाई भत्ता एवं भोजन पर छूट की धनराशि का 6.1/4 %। नियोक्ता द्वारा बराबर की राशि अदा की जाती थी। 31 मार्च, 1972 को 8% की बढ़ी हुई दर (नियोक्ता व कर्मचारी दोनों के लिए) ऐसी स्थापनाओं पर लागू की गई, जिनमें 50 अथवा 50 से अधिक कर्मचारी नियोजित थे।
01.08.1988 से 31.05.1990	प्रत्येक कर्मचारी, जो 1 अगस्त, 1988 से अंशदाता हैं, को देय मूल वेतन, मंहगाई भत्ता (भोजन में छूट की राशि सहित) एवं प्रतिधारण भत्ता (यदि कोई है) का 8 1/3 %
01.06.1990 से 08.04.1997	प्रत्येक कर्मचारी, जो 1 अगस्त, 1988 से अंशदाता हैं, को देय मूल वेतन, मंहगाई भत्ता (भोजन में छूट की राशि सहित) एवं प्रतिधारण भत्ता (यदि कोई है) का 8 1/3 % 31 मार्च, 1991 को 10% की बढ़ी हुई दर ऐसी स्थापनाओं पर लागू की गई, जिनमें 50 अथवा अधिक कर्मचारी नियोजित थे।
09.04.1997 से 21.09.1997	भविष्य निधि अंशदान की दर 8.33% से 10% तक बढ़ाते हुए अधिसूचना दिनांक 9 अप्रैल, 1997 को जारी की गई थी। इसके साथ 177 अधिसूचित श्रेणियों में से 172 श्रेणियों के उद्योगों/स्थापनाओं को 01.05.1997 से 10% की दर से भविष्य निधि अंशदान का भुगतान करना था।
22.09.1997 से अब तक	क) स्थापनाएं 8.33% से 10% की दर पर अंशदान कर रही हैं। ख) स्थापनाएं 10% से 12% की दर पर अंशदान कर रही हैं।

प्राप्त अंशदान भविष्य निधि

- d) Any establishment in the (a) Jute Industry (b) Beedi Industry (c) Brick Industry (d) Coir Industry other than the spinning sector and (e) Guar gum factories;

7.3 The following table indicates the different rates of contribution both for employers and employees for the period indicated in column 1 from the date of inception of the Act.

RATE OF CONTRIBUTION SINCE 1952 ONWARDS	
Period	Contribution Rate
01.11.1952 to 31.03.1956	One anna per rupee of total basic wages, DA and food concession by both Employers & Employee
01.04.1956 to 31.03.1971	6. ^{1/4} % of the total of basic wages, DA and cash value of food concession by employee. An equal amount was paid by the employer.
01.04.1971 to 31.07.1988	6. ^{1/4} % of the total of basic wages, DA and cash value of food concession by employee. An equal amount was paid by the employer. As on 31st March 1972, the enhanced rate of 8 per cent was made (for employer and employee both) applicable to the establishments employing 50 or more persons.
01.08.1988 to 31.05.1990	8. ^{1/3} % of the basic wages, DA (including the cash value of any food concession) and retaining allowance (if any) payable to each employee who is a subscriber, with effect from 1st August, 1988.
01.06.1990 to 08.04.1997	8. ^{1/3} % of the basic wages, DA (including the cash value of any food concession) and retaining allowance (if any) payable to each employee who is a subscriber, with effect from 1st August, 1988. As on 31 st March 1991, the enhanced rate of 10 per cent was made applicable to the establishments employing 50 or more persons.
09.04.1997 to 21.09.1997	Notification dated 9th April, 1997 was issued enhancing Provident Fund contribution rate from 8.33% to 10%. With this 172 categories of industries/establishments out of 177 categories notified were to pay Provident Fund contribution @ 10% w.e.f. 01.05.1997.
22.09.1997 onwards	a) Establishment paying contribution @ 8.33% to 10% b) Establishment paying contribution @10% to 12%

7.4 पिछले तीन वर्ष के दौरान प्राप्त भविष्य निधि अंशदान का विवरण नीचे दिया गया है :-

प्राप्त भविष्य निधि अंशदान (₹ करोड़ों में)						
वर्ष	छूट प्राप्त क्षेत्र	% में वर्षवार भिन्नता	अछूट प्राप्त क्षेत्र	% में वर्षवार भिन्नता	कुल अंशदान	% में वर्षवार भिन्नता
2014-15	28,521.12	21.24	60,202.15	15.38	88,723.27	17.20
2013-14	23,523.08	62.69	52,179.50	13.93	75,702.58	25.63
2012-13	14,458.41	-10.33	45,798.39	16.15	60,256.80	8.46

पेंशन निधि

7.5 भूतपूर्व कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 की परिवार पेंशन निधि में कर्मचारी के वेतन का 1.16% नियोक्ता से तथा उतना ही कर्मचारी का अंशदान जमा किया जाना अनिवार्य था। केन्द्र सरकार भी सदस्यों के वेतन का 1.16% पेंशन निधि में अंशदान करती है। वर्तमान पेंशन योजना वर्ष 1995 में आरंभ हुई। बंद हो चुकी परिवार पेंशन निधि के संचय पेंशन योजना के कॉर्पस का भाग हैं।

7.6 पेंशन योजना का वित्तपोषण सदस्यों के वेतन के 8.33% की दर पर नियोक्ता के अंशदान से किया जाता है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार सदस्यों के वेतन के 1.16% की दर से अंशदान करती है।

7.7 निम्नलिखित सारणी में गत तीन वर्षों में पेंशन निधि में प्राप्त अंशदान दर्शाया गया है :

वर्ष	नियोक्ता का अंशदान (₹ करोड़ों में)	केन्द्र सरकार का अंशदान (₹ करोड़ों में)	% में वर्षवार भिन्नता (दोनों अंशदान)
2014-15	21,951.70	2,299.80	32.08
2013-14	16,417.76	1,943.99	13.88
2012-13	14,724.01	1,400.00	9.18

बीमा निधि

7.8 नियोक्ताओं को बीमा निधि में कर्मचारी के वेतन के 0.5% की दर से (अधिकतम ₹ 15,000/- प्रतिमाह) अंशदान करना होता है। वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 697.78 करोड़ की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 936.12 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है।

7.9 वर्ष 2014-15, 2013-14 एवं 2012-13 हेतु सभी तीनों योजनाओं के अंशदान लेखों में भुगतान एवं अंशदान का क्षेत्रवार ब्यौरा परिशिष्ट ए-20(i) से (iii) पर रखा गया है।

CONTRIBUTIONS RECEIVED

PROVIDENT FUND

7.4 The contribution received in Provident Fund in the last three years is as under:-

PROVIDENT FUND CONTRIBUTIONS RECEIVED (₹ in cr.)						
Year	Exempted Sector	Year-wise variation in %	Un-exempted Sector	Year-wise variation in %	Total Contribution	Year-wise variation in %
2014-15	28,521.12	21.24	60,202.15	15.38	88,723.27	17.20
2013-14	23,523.08	62.69	52,179.50	13.93	75,702.58	25.63
2012-13	14,458.41	-10.33	45,798.39	16.15	60,256.80	8.46

PENSION FUND

7.5 The erstwhile Family Pension Scheme, 1971 mandated contribution of 1.16% of wages each from employers and employees to Family Pension Fund contribution. The Central Government also contributed 1.16% of the wages of the members to the Pension Fund. The present Pension Scheme was introduced in 1995. The accumulations in the erstwhile Family Pension Fund formed part of the corpus of Pension Scheme.

7.6 The Pension Scheme is financed by employer contribution at the rate of 8.33% of the wages of the members. In addition, the Central Government contributes at the rate of 1.16% of wages of the member.

7.7 The following table shows the contribution, received in the Pension Fund in last three years.

Year	Employer's share (₹ in cr.)	Central Govt. share (₹ in cr.)	Year-wise variation in % (both share)
2014-15	21,951.70	2,299.80	32.08
2013-14	16,417.76	1,943.99	13.88
2012-13	14,724.01	1,400.00	9.18

INSURANCE FUND

7.8 The employers are required to contribute to the Insurance Fund at the rate of 0.5% of wages of the employee (subject to Maximum of ₹ 15,000/-per month). During the year 2014-15, a sum of ₹ 936.12 cr. was received as against ₹ 697.78 cr. in the year 2013-14.

प्रशासनिक तथा निरीक्षण प्रभार

7.10 कर्मचारी भविष्य निधि को प्रशासित करने का व्यय क.भ.नि. योजना, 1952 के पैरा 54 में जैसा दिया गया है अछूट प्राप्त एवं छूट प्राप्त स्थापनाओं के नियोक्ताओं से उगाहे गए क्रमशः प्रशासकीय एवं निरीक्षण प्रभार से किया जाता है। (क.भ.नि. योजना, 1952 अनुबंधित करता है कि क.भ.नि. योजना, 1952 के अनुपालन करनेवाले अछूट प्राप्त स्थापनाओं के नियोक्ताओं (योजना के पैरा 38 एवं 39 में) को मासिक आधार पर प्रशासनिक प्रभार का भुगतान करना है।) अधिनियम की धारा 17(3) में छूट प्राप्त स्थापनाओं से मासिक आधार पर निरीक्षण प्रभार की उगाही का प्रावधान है।

7.11 निधि के संसाधन तथा योजना को चलाने के लिए उठाने वाले व्यय को ध्यान में रखते हुए के.न्या.बो., क.भ.नि. जिस दर सिफारिश करता है, उसके आधार पर नियोक्ताओं से प्रशासनिक / निरीक्षण प्रभारों की उगाही की जाती है। केन्द्रीय बोर्ड की सिफारिश पर प्रशासनिक प्रभार एवं निरीक्षण प्रभार की दरें केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं तथा गजट में अधिसूचित की जाती हैं।

7.12 समय समय पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली प्रशासनिक प्रभार एवं निरीक्षण प्रभार की दरें निम्न प्रकार हैं :-

अछूट प्राप्त स्थापनाओं के नियोक्ताओं द्वारा देय मासिक प्रशासकीय प्रभार		
अवधि	दर	जिस पर गणना की
01.11.1952 से 31.12.1962	3%	नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के कुल अंशदान।
01.01.1963 से 30.09.1964	3%	नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के 6.25% की दर से देय कुल अंशदान पर।
	2.4%	नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के 8% की दर से देय कुल अंशदान पर।
01.10.1964 से 30.11.1978	0.37%	कुल वेतन जिस पर अंशदान देय हैं।
01.12.78 से 30.09.1986	0.37%	कुल वेतन जिस पर अंशदान देय है। न्यूनतम प्रशासनिक प्रभार प्रतिमाह ₹ 5/- देय है।
01.10.1986 से 31.07.1998	0.65%	कुल वेतन जिस पर अंशदान देय है। न्यूनतम प्रशासनिक प्रभार प्रतिमाह ₹ 5/- देय है।
01.08.1998 से 31.12.2014	1.10%	कुल वेतन जिस पर अंशदान देय है। न्यूनतम प्रशासनिक प्रभार प्रतिमाह ₹ 5/- देय है।
01.01.2015 से आगे	0.85%	कुल वेतन जिस पर अंशदान देय है। प्रत्येक अप्रकार्यात्मक स्थापना जिसके कोई अंशदायी सदस्य नहीं हैं, के लिए न्यूनतम राशि ₹ 75/- प्रतिमाह है। अन्य स्थापनाओं के लिए ₹ 500/- प्रतिमाह प्रतिस्थापना है।

छूट प्राप्त स्थापनाओं के नियोक्ताओं द्वारा देय निरीक्षण प्रभार		
अवधि	दर	जिस पर गणना की

7.9 The Region-wise receipts and payments in the contribution accounts of all the three Schemes for the years 2014-15, 2013-14 & 2012-13 is placed at **Appendix A-20 (i) to (iii)**.

ADMINISTRATIVE AND INSPECTION CHARGES

7.10 The expenditure in administering the Employees' Provident Fund as provided in para 54 of the EPF Scheme, 1952 is met from the levy of Administrative charges and Inspection charges at the prescribed rate from the employers of un-exempted and exempted establishments respectively. (Para 38 and 39 of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 stipulate that the employer of the establishments complying with the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 as an un-exempted establishment should pay Administrative Charges). Section 17(3) of the Act stipulates the payment of Inspection Charges by the exempted establishments every month.

7.11 Taking into account the resources of the Fund and meeting the expenditure for running the Scheme, the Central Board of Trustees, EPF recommends a rate that may be levied as Administrative/Inspection charges from the employers. On the recommendation of the Central Board, the rates of Administrative Charges and Inspection Charges is fixed by the Central Government and notified in the Gazette.

7.12 The rate of Administrative Charges and Inspection Charges fixed by the Central Government from time to time is as under: -

Administrative Charges payable by the Employers of Un-exempted Establishments		
Period	Rate	Reckoned on
01.11.1952 to 31.12.1962	3%	Total employers' and employees' contributions.
01.01.1963 to 30.09.1964	3%	Total employer's and employees' contributions payable @ 6.25%.
	2.4%	Total employer's and employees' contributions payable @ 8%.
01.10.1964 to 30.11.1978	0.37%	On total pay on which contributions are payable.
01.12.78 to 30.09.1986	0.37%	On total pay on which contributions are payable. Minimum Administrative charges payable per month per establishment is ₹ 5/- .
01.10.1986 to 31.07.1998	0.65%	On total pay on which contributions are payable. Minimum Administrative charges payable per month per establishment is ₹ 5/- .
01.08.1998 to 31.12.2014	1.10%	On total pay on which contributions are payable. Minimum Administrative charges payable per month per establishment is ₹ 5/- .
01.01.2015 onwards	0.85%	On total pay on which contributions are payable. Minimum sum of ₹ 75/- per month for every non-functional establishment having no contributory member and ₹ 500/- per month per establishment for other establishment.

01.11.1952 से 31.12.1962	0.75%	नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के 6.25% की दर से देय कुल अंशदान पर।
01.01.1963 से 30.09.1964	0.75%	नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के 6.25% की दर से देय कुल अंशदान पर।
	0.60%	नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के 8% की दर से देय कुल अंशदान पर।
01.10.1964 से 31.07.98	0.09%	कुल वेतन जिस पर अंशदान देय हैं।
01.08.1998 से आगे	0.18%	कुल वेतन जिस पर अंशदान देय हैं।

7.13 वर्ष 2013-14 के दौरान प्राप्त ₹ 3,138.66 करोड़ के स्थान पर वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 3,681.51 करोड़ प्रशासनिक/ निरीक्षण प्रभार, नुकसानी तथा ब्याज के रूप में प्राप्त किए गए।

7.14 योजना के प्रशासन लेखों की वर्ष 2014-15 के लिए प्राप्ति एवं व्यय नीचे सारणी में दिया गया है :

आय-व्यय लेखा (2014-15)		(₹ करोड़ों में)
आय :		
क	प्रशासनिक, निरीक्षण प्रभार, नुकसानी तथा लगाया गया ब्याज	3681.51
ख	निवेश पर ब्याज	1174.78
ग	अन्य लेखों से प्राप्तियां	26.92
घ	विविध प्राप्तियां	21.25
	कुल	4904.46
व्यय :		
क	राजस्व व्यय	1748.81
ख	अन्य लेखों में भुगतान	17.67
	कुल	1766.48
व्यय पर आय की अधिकता		3137.98

7.15 सभी कवर्ड स्थापनाओं के नियोक्ताओं को बीमा योजना पर आए खर्चों की भरपाई हेतु इस योजना के प्रशासनिक प्रभार का भुगतान करना होता है। प्रशासनिक प्रभार की दर वेतन का 0.01% है परंतु यह ₹ 2/- प्रतिमाह से कम न हो। बीमा योजना के अंतर्गत छूट प्राप्त स्थापनाओं को निरीक्षण प्रभार का भुगतान वेतन के 0.005% की दर से करना होता है, जो ₹ 1/- प्रतिमाह से कम न हो। पिछले वर्ष के दौरान ₹ 22.93 करोड़ की राशि की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान अछूट प्राप्त/छूट प्राप्त स्थापनाओं से ₹ 31.80 करोड़ प्रशासनिक/निरीक्षण प्रभार, नुकसानी तथा लगाए गए ब्याज के रूप में प्राप्त किए गए। इसमें से वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय ₹ 1766.48 करोड़ तथा विगत वर्ष के दौरान ₹ 1655.55 करोड़ था।

संगठन का राजस्व

Inspection Charges payable by the Employers of Exempted Establishments		
Period	Rate	Reckoned on
01.11.1952 to 31.12.1962	0.75%	On total employees' and employer's contributions payable @ 6.25%.
01.01.1963 to 30.09.1964	0.75%	On total employees' and employer's contributions payable @ 6.25%.
	0.60%	On total employees' and employer's contributions payable @ 8%.
01.10.1964 to 31.07.98	0.09%	On total pay on which contributions are payable.
01.08.1998 onwards	0.18%	On total pay on which contributions are payable.

7.13 During the year 2014-15, ₹ **3,681.51 cr.** has been collected as Administrative/Inspection Charges, Damages and Interest charged as against ₹ **3,138.66 cr.** collected during 2013-14.

7.14 The Receipt and Expenditure of Administration Account of the Scheme for the year 2014-15 is given in the table below:

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT (2014-15)		(₹ in cr.)
INCOME:		
A	Administrative, Inspection Charges, Damages and interest charged	3681.51
B	Interest on Investments	1174.78
C	Receipts from other accounts	26.92
D	Miscellaneous receipts	21.25
	TOTAL	4904.46
EXPENDITURE:		
A	Revenue Expenditure	1748.81
B	Payments to other Accounts	17.67
	TOTAL	1766.48
Excess of Income over Expenditure		3137.98

7.15 The employers of all covered establishments are required to pay administrative charges to the Insurance Scheme for meeting the expenses incurred on the Scheme. The rate of administrative charges is 0.01% of wages subject to a minimum of ₹ **2/-** per month. The establishments granted exemption under the Insurance Scheme, are required to pay the inspection charges @ 0.005% of wages subject to a minimum of ₹ **1** per month. During the year 2014-15, ₹ **31.80 cr.** has been received as Administrative/Inspection charges, Damages and Interest charged from the un-exempted/exempted establishments as against a sum of ₹ **22.93 cr.** previous year. Out of which the expenditure in the financial year 2014-15 was ₹ **1766.48 cr.** and in the previous year was ₹ **1655.55 cr.**

7.16 वर्ष 2014-15 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का राजस्व नीचे दी गई तालिका के अनुसार है:

स्थापनाओं से प्राप्त प्रशासकीय/निरीक्षण प्रभार एवं शास्तिक नुकसानी (₹ करोड़ों में)				
	योजना	क.भ.नि.योजना	क.नि.सह.बी.यो.	कुल
1	प्रशासकीय प्रभार	3578.72	30.03	3608.75
2	निरीक्षण प्रभार	60.62	0.86	61.48
3	नुकसानी (7क्यू. ब्याज सहित)	42.17	0.91	43.08
	कुल	3681.51	31.80	3713.31

निवेश का पैटर्न

7.17 वर्ष के दौरान अग्रिम, उधार, निकासी एवं अंतिम निपटान के लिए किए गए भुगतान को समायोजित करने के पश्चात् प्राप्त हुए निवल अंशदान का केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. द्वारा निवेश किया जाता है। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. द्वारा प्रशासित निधियों का निवेश केन्द्र सरकार द्वारा क.भ.नि. योजना, 1952 के पैरा 52 के अंतर्गत निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार किया जाता है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा दिनांक 21.11.2013 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित मौजूदा निवेश पद्धति नीचे दी गई है:-



	निवेश पद्धति	निवेश की जाने वाली राशि का %
(i)	क) सरकारी प्रतिभूतियां¹ (ख) अन्य प्रतिभूतियां² जिसके मूल एवं जिन पर ब्याज के संबंध में केन्द्र अथवा राज्य सरकार ने पूर्णतः तथा बिना किसी शर्त के गारंटी ले रखी है, सिवाय उनके जो निम्न (ii) (क) के अंतर्गत आते हैं। (ग) ऐसे म्युचुअल फंडों की यूनिट जिनका गठन सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए समर्पित निधि के रूप में किया गया है तथा जिनका विनियमन प्रतिभूतियां तथा भारतीय विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है। बशर्ते कि कभी भी कुल पोर्टफोलियों का 5% से अधिक म्युचुअल फंड में निवेश नहीं किया जाएगा।	55% तक

REVENUE OF THE ORGANISATION

7.16 During the year 2014-15, the revenue of the Organisation is as per the table below:

ADMINISTRATIVE, INSPECTION CHARGES AND PENAL DAMAGES RECEIVED FROM THE ESTABLISHMENTS (₹ in cr.)				
	SCHEME	EPF SCHEME	EDLI SCHEME	TOTAL
1	Administrative Charges	3578.72	30.03	3608.75
2	Inspection Charges	60.62	0.86	61.48
3	Penal Damages (Including 7Q Interest)	42.17	0.91	43.08
	TOTAL	3681.51	31.80	3713.31

PATTERN OF INVESTMENT

7.17 The funds invested by CBT.EPF during the year comprise the net contributions received after adjusting the payments on account of advances, loans, withdrawals and final settlements. The funds administered by the CBT (EPF) are invested as per the pattern of investment prescribed by the Central Government under para 52 of the EPF Scheme, 1952. The extant investment pattern notified by the Ministry of Labour & Employment vide notification dated 21.11.2013 is produced below:-

	INVESTMENT PATTERN	% amount to be invested
(i)	(a) Government securities.¹ (b) Other securities² the principal whereof and interest whereon is fully and unconditionally guaranteed by the Central Government or any State Government except those covered under (ii) (a) below. (c) units of mutual funds set up as dedicated funds for investment in Government securities and regulated by the Securities and Exchange Board of India; Provided that the exposure to a mutual fund shall not be more than 5% of the total portfolio at any point of time.	upto 55%

(iii)	(क) बैंकों तथा लोक वित्त संस्थानों³ सहित निकायों का पोर्टेड द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियां जिनकी परिपक्वता अवधि तीन वर्ष से कम न हो बशर्ते कि इस श्रेणी में कम से कम 75% निवेश ऐसे माध्यमों में किया जाए जिनके पास कम से कम एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की एक निवेश ग्रेड रेटिंग हो। (ख) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी सावधि जमा रसीदें जो एक वर्ष से कम अवधि की न हों। बशर्ते कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित शर्तें पूरी करें (i) पिछले तीन वर्षों से लगातार लाभ में चल रहे हों। (ii) जोखिमपूर्ण परिसंपत्तियों के अनुपात की 9% न्यूनतम पूंजी का अनुरक्षण करते हों। (iii) अनर्जक परिसंपत्तियां निवल अग्रिमों के 2% से अधिक न हों। (iv) न्यूनतम निवल मूल्य 200 करोड़ रुपये से कम नहीं हो। (ग) पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त कापोरेशन एवं एशियन विकास बैंक के संस्थानों द्वारा जारी रुपया बॉण्ड्स, कम से कम तीन वर्ष की बकाया परिपक्वता वाले।	55% तक
(iii)	पूंजी बाजार माध्यम जिनमें पूंजी बाजार म्युचुअल फंड सम्मिलित हैं।	5% तक
(iv)	कंपनियों के शेयर जिन पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अथवा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में डेरीवेटिव उपलब्ध हों। अथवा प्रतिभूतियों तथा भारतीय विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित म्युचुअल फंडों की इक्विटी लिंक्ड योजनाएं	शून्य

7.18 पूर्व में किए गए निवेशों की परिपक्वता पर प्राप्त तथा बाध्यकर व्यय के कारण घटी किसी भी धनराशि को इस अधिसूचना में निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार निवेश किया जाए।

7.19 टर्नओवर अनुपात (वर्ष में खरीदी गई प्रतिभूतियों का मूल्य / वर्ष के आरंभ में तथा अंत में पोर्टफोलियो का औसत मूल्य) 2 से अधिक नहीं होगा।

7.20 उपर्युक्त प्रपत्रों की रेटिंग किए जाने तथा उनकी रेटिंग के निवेश ग्रेड से नीचे गिर जाने की स्थिति में तथा यदि इसी रेटिंग की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा पुष्टि कर दी जाए तो निवेश से बाहर आने के विकल्प का उपयोग किया जा सकता है।

7.21 निवेश पद्धति को वित्तीय वर्ष के अंत तक प्राप्त कर लिया जाए। यह आशा है कि वर्ष के दौरान निवेश उपर्युक्त पद्धति के अनुसार होगा परंतु, कभी भी किसी श्रेणी में निवेश निर्धारित सीमा से 10% से ज्यादा नहीं होगा।

7.22 परंतु, यह ध्यान रखा जाए कि न्यास की निधि का निवेश न्यासियों की न्यासीय जिम्मेदारी है एवं इसे उचित सावधानी से प्रयोग में लाया जाए। अतः इस प्रकार उपर्युक्त निवेश पद्धति के अनुसार किए गए निवेश निर्णयों के लिए न्यासी पूर्णतः जिम्मेदार हैं।

(ii)	<i>(a) Debt securities with maturity of not less than three years tenure issued by Bodies Corporate including banks and public financial institutions³;</i> <i>Provided that at least 75% of the investment in this category is made in instruments having an investment grade rating from at least one credit rating agency.</i> <i>(b) Term Deposit Receipts of not less than one year duration issued by scheduled commercial banks.</i> <i>Provided that the scheduled commercial banks must meet conditions of</i> <i>(i) continuous profitability for immediately preceding three years;</i> <i>(ii) maintaining a minimum Capital to Risk Weighted Assets Ratio of 9%;</i> <i>(iii) having net non-performing assets of not more than 2% of the net advances;</i> <i>(iv) having a minimum net worth of not less than ₹ 200 crores.</i> <i>(c) Rupee Bonds having an outstanding maturity of at least 3 years issued by institutions of the International Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation and the Asian Development Bank.</i>	upto 55%
(iii)	<i>Money market instruments including units of money market mutual funds.</i>	upto 5
(iv)	<i>Shares of companies on which derivatives are available in Bombay Stock Exchange or National Stock Exchange or equity linked schemes of mutual funds regulated by the Securities and Exchange Board of India.</i>	Nil

7.18 Any moneys received on the maturity of earlier investments reduced by obligatory outgoing shall be invested in accordance with this investment pattern.

7.19 Turnover Ratio (the value of securities traded in the year /average value of the portfolio at the beginning of the year and the end of the year) should not exceed 2.

7.20 If any of the instruments mentioned above are rated and their rating falls below investment grade as confirmed by one credit rating agency then the option of exit can be exercised.

7.21 The investment pattern may be achieved by the end of the financial year. It is expected that throughout the year the investments are in conformity with the above pattern; however, at no time investments in any category should exceed by more than 10% of the limit prescribed.

7.22 It may be noted, however, that the investment of the Funds of a Trust is the fiduciary responsibility of the Trustees and needs to be exercised with appropriate due diligence. Therefore, as such, the trustees are solely responsible for the investment decisions taken in accordance with the pattern of investment specified above.

पेंशन निधि का निवेश

7.23 (पेंशन योजना के पैरा 26 के अनुसार) पेंशन निधि के निवेश हेतु योजना में निम्नलिखित पद्धति का उपबंध है :-

- (i) दिनांक 15.11.1995 तक की परिवार पेंशन निधि, 1971 की समग्र राशि तथा 16.11.1995 से केन्द्रीय सरकार का अंशदान भारत सरकार के लोक लेखे में निवेशित किया जाएगा।
- (ii) पेंशन निधि में होने वाली अभिवृद्धि केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित पद्धति के अनुसार निवेशित की जाएगी।
- (iii) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा वर्ष 2013 में अधिसूचित निवेश पद्धति भी कर्मचारी पेंशन योजना पर लागू है।

बीमा निधि का निवेश

7.24 वित्तीय वर्ष 1996-97 तक "बीमा निधि" में प्राप्त अंशदान लोक लेखे में रखा जाता था। लाभ स्वरूप देय समायोजन करने के पश्चात् प्राप्त अंशदान को निवेश खाते में अंतरित किया जाता है। लोक लेखे में निवेशित समग्र राशि का लोक लेखे में ही निवेश किया जाना जारी रखा गया है। 1997-98 से निवल अभिवृद्धि को निवेश की निर्धारित पद्धति के अनुरूप निवेश किया जा रहा है।

पोर्टफोलियो प्रबंधन

7.25 निधि के निवेश का प्रबंधन पोर्टफोलियो प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। निधि प्रबंधक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निवेश पद्धति एवं समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य करते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पोर्टफोलियो प्रबंधकों के निष्पादन का मूल्यांकन क्रिसिल (सी.आर.आई.एस.आई.एल.) द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के निवेश मॉनीटरिंग अनुभाग के परामर्श से विकसित निष्पादन मानकों के आधार पर किया जाता है।

7.26 निष्पादन मानक सक्रिय प्रकृति का है और यह ऐसी प्रतिभूतियों, जिनमें वर्तमान निवेश पद्धति एवं निवेश दिशा-निर्देशों के अनुसार क.भ.नि. के धन के निवेश की अनुमति है, के दैनिक लाभ की जानकारी प्राप्त करता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है जिससे हम पोर्टफोलियो प्रबंधकों के निष्पादन की तुलना कर पाते हैं। यह क.भ.नि. संगठन के साथ-साथ पोर्टफोलियो प्रबंधकों के लिए भी संदर्भ बिन्दु का कार्य करता है तथा वर्तमान निवेश पद्धति एवं निवेश दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमत परिसंपत्तियों के वर्ग में वर्तमान बाजार में निवेश से अर्जित किए जा सकने वाले सांकेतिक न्यूनतम लाभ की सूचना प्रदान करता है।

7.27 बोर्ड ने दिनांक 11.03.2015 को संपन्न अपनी 206वीं बैठक में 3 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक पीएमएस सहित चार पोर्टफोलियो प्रबंधकों की नियुक्ति का अनुमोदन किया। अतः 3 वर्ष की अवधि के लिए क.भ.नि.सं. के राशिसंग्रह का प्रबंध करने हेतु कुल पांच पोर्टफोलियो प्रबंधकों को नियुक्त किया गया है, नामतः 1. भारतीय स्टेट बैंक, 2. आई.सी.आई.सी.आई. सिक्क्योरिटीज़ प्राइमरी डीलरशिप लिमिटेड, 3. रिलायंस कैपिटल एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, 4. एच.एस.बी.सी. एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, 5. यू.टी.आई.ए.एम.सी.। नियुक्त हुए पोर्टफोलियो प्रबंधक दिनांक 01.07.2015 से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की समग्र राशि का प्रबंधन करना शुरू करेंगे।

INVESTMENT OF PENSION FUND

7.23 The Scheme provides for investment of the Pension Fund in the following manner (Para 26 of the Pension Scheme).

- (i) The balance corpus of Family Pension Scheme 1971 as on 15.11.1995 and the Central Government contribution from 16.11.1995 onwards is invested in the Public Account of the Government of India.
- (ii) Other accretions to the Pension Fund are invested as per pattern prescribed by the Central Government from time to time.
- (iii) The pattern of investment notified by the Ministry of Labour & Employment in 2013 is also applicable to the Employees' Pension Fund.

INVESTMENT OF INSURANCE FUND

7.24 The contributions received in the "Insurance Fund" were kept in the Public Account upto the financial year 1996-97. The contribution received after making adjustments, due on account of benefits are transferred to the investment account. The corpus invested in the Public Account continues to be invested in Public Account. From 1997-98 onwards net accretions are being invested as per prescribed investment pattern.

PORTFOLIO MANAGEMENT

7.25 The Investment of funds is managed by portfolio managers. The fund managers follow the pattern of investment as notified by the Ministry of Labour & Employment and guidelines as prescribed by the Board from time to time. The Performance of the portfolio managers of EPFO is measured against a Performance Benchmark developed by CRISIL in consultation with Investment Monitoring Cell of EPFO.

7.26 This performance benchmark is dynamic in nature and captures the daily yields of securities in which investment of EPFO money is permissible as per existing investment pattern and Investment guidelines. It is a very important tool with which we are able to compare the performance of our portfolio managers. It also serves as a reference point for both EPFO as well as for the portfolio managers, giving as indicative minimum yield which could have been generated by investing in the prevailing market in the asset classes permissible as per extant Investment pattern and Investment Guidelines.

7.27 The Board in its 206th meeting held on 11.03.2015 has approved the appointment of four Portfolio Managers in addition to SBI PMS for a period of 3 years. Thus a total of five Portfolio Managers are appointed namely 1. State Bank of India, 2. ICICI Securities Primary Dealership Ltd 3. Reliance Capital Asset Management Limited, 4. HSBC AMC 5. UTI AMC for management of EPFO corpus for a period of three years. The appointed Portfolio Manager will start managing Employees Provident Fund Organisation corpus from 01st of July, 2015.

7.28 नियुक्त पोर्टफोलियो प्रबंधकों का कार्य निष्पादन दिनांक 01 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015 तक की अवधि के दौरान निम्नानुसार था :

वित्तीय वर्ष के दौरान निष्पादन (2014-15)

पोर्टफोलियो प्रबंधक	मानक	लाभ
भारतीय स्टेट बैंक	9.04%	9.27%
रिलायंस सी.ए.एम.एल.	9.04%	9.23%
आई.सी.आई.सी.आई.सि.पी.डी.लि.	9.04%	9.21%
एच.एस.बी.सी. ए.एम.एल.	9.04%	9.18%

पोर्टफोलियो प्रबंधकों के निष्पादन के संबंध में मुख्य बिन्दु

- वर्ष के दौरान पोर्टफोलियो प्रबंधकों द्वारा आय का अर्जन बाजार में निवेश पद्धति एवं निवेश दिशा-निर्देशों के अंतर्गत नियंत्रित परिस्थितियों में किया गया था ।
- चूंकि लाभ बाजार आय के उतार-चढ़ाव से जुड़ा है और अतः गत वर्षों में अर्जित आय से इसकी तुलना कड़ाई से नहीं की जा सकती। अतः वास्तविक तुलना केवल चार पोर्टफोलियो प्रबंधकों के बीच की जा सकती है, जो एक ही बाजार में एक जैसे नियमों के तहत निवेश कर रहे हैं।
- निधि प्रबंधकों में प्रतिस्पर्धा से एक अकेले पोर्टफोलियो प्रबंधक के खराब प्रदर्शन का, जिससे पूरे पोर्टफोलियो की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जोखिम कम हुआ है । प्रतिस्पर्धा के साथ, सक्रिय मानक का सृजन सभी चारों पोर्टफोलियो प्रबंधकों के लिए संदर्भ का कार्य करता है, जो न केवल मानक पूरे करने के लिए बल्कि मानक से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए भरसक प्रयास करते हैं।
- इस प्रतिस्पर्धा से फिर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लिए निवेश पर बेहतर आय अर्जित होती है ।

परिसंपत्ति निर्धारण

वर्ष के दौरान सभी तीनों योजनाओं में परिसंपत्ति निर्धारण के क्षेत्र में उतरोत्तर वृद्धि (अर्थात् वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान तथा व्याज जिसमें छूट निरस्त होने के कारण पिछले संचयों का अंतरण शामिल है ।) नीचे दिया गया है (₹ करोड़ों में)						
क्र.सं.	श्रेणी	भविष्य निधि	पेंशन निधि	बीमा निधि	कुल**	%
1	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	11,233.07	4,683.38	262.83	16,179.28	18.47
2	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	20,280.37	7,337.22	518.72	28,136.31	32.12
3	सरकार द्वारा गारंटीशुदा प्रतिभूतियां	920.16	343.30	0.00	1263.46	1.44
4	एस.डी.एस.	33.54	0.00	0.00	33.54	0.04
5	पी.एस.एफ.आई.* / कारपोरेट बांड्स	22,286.72	9,762.96	641.99	32,691.67	37.31
6	लोक लेखा	0.00	8,719.38	588.45	9,307.83	10.62
	कुल	54,753.86	30,846.24	2,011.99	87,612.09	100%

* निजी क्षेत्र सम्मिलित है

7.28 The Performance of current Portfolio Managers during the period 01st April, 2014 to 31st March, 2015 is as under:

FINANCIAL YEAR PERFORMANCE (2014-15)

Portfolio Managers	Benchmark	Yield
SBI	9.04%	9.27%
Reliance CAML	9.04%	9.23%
ICICI Sec. PD Ltd	9.04%	9.21%
HSBC AMC	9.04%	9.18%

SALIENT POINTS ON PERFORMANCE OF THE PORTFOLIO MANAGERS

- The Portfolio Managers during the Year generated the Yield by investing in the market under regulated environments of Investment pattern and Investment guidelines.
- The return on investment is subject to variation in market yields and thus cannot be strictly compared with the yields generated in the past years. Therefore the true comparison can be done only amongst the four portfolio managers who are investing in the same market following same regulations.
- The competition among the Fund Managers has mitigated the risk of under performance by one single portfolio manager, affecting the yield of entire portfolio. Along with competition, creation of dynamic benchmark, works as a reference for all the four portfolio managers, who make their best efforts to not only meet the benchmark but also to outperform it.
- This competition in turns generates better returns on investment for EPFO.

ASSET ALLOCATION

Asset Allocation in r/o incremental accretion (i.e. fresh contributions & interest received during the year including transfer of past accumulations on cancellation of exemption) made during the year in all three schemes is given below (₹ in cr.)

Sl. No.	Category	Provident Fund	Pension Fund	Insurance Fund	TOTAL**	%
1	Central Govt Securities	11,233.07	4,683.38	262.83	16,179.28	18.47
2	State Govt. Securities	20,280.37	7,337.22	518.72	28,136.31	32.12
3	Govt. guaranteed Securities	920.16	343.30	0.00	1263.46	1.44
4	SDS	33.54	0.00	0.00	33.54	0.04
5	PSFI*/ Corporate Bonds	22,286.72	9,762.96	641.99	32,691.67	37.31
6	Public Account	0.00	8,719.38	588.45	9,307.83	10.62
	Total	54,753.86	30,846.24	2,011.99	87,612.09	100%

** includes Private Sector*

*** excludes maturity proceeds for the year 2014-15 that was re-invested.*

**** वर्ष 2014-15 के लिए प्राप्त परिपक्वता राशि जिसे पुनः निवेशित किया गया था, को छोड़कर**

7.28 तीनों योजनाओं के अंतर्गत निवेशित कुल समग्र राशि तथा विभिन्न परिसंपत्ति श्रेणी में निवेशित राशियों का प्रतिशत में वितरण निम्नानुसार है :-

दिनांक 31.03.2015 को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अंकित मूल्य पर समग्र राशि के श्रेणीवार निवेश की समेकित विवरणी						
	श्रेणी	योजनाएं (₹ करोड़ों में)				
		भविष्य निधि	पेंशन निधि	बीमा निधि	कुल	%
1	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	97,775.37	53,795.97	2,501.02	1,54,072.36	24.31
2	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	77,973.36	33,668.38	1,969.50	1,13,611.24	17.93
3	सरकार द्वारा गारंटीशुदा प्रतिभूतियां	13,681.35	6,525.20	322.80	20,529.35	3.24
4	विशेष जमा योजना	52,845.36	1,400.52	2.50	54,248.38	8.56
5	सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान / बांड्स @	1,37,183.07	63,102.78	3,415.78	2,03,701.63	32.14
6	लोक लेखा	0.00	80,038.99	7,511.39	87,550.38	13.82
	कुल	3,79,458.51	2,38,531.84	15,722.99	6,33,713.34	100

@ प्राइवेट सेक्टर बांड्स / प्रतिभूतियों सहित

**** वर्ष 2014-15 के लिए प्राप्त परिपक्वता राशि जिसे पुनः निवेशित किया गया था, को छोड़कर**

7.29 दिनांक 31 मार्च, 2015 तक भविष्य निधि, पेंशन निधि तथा बीमा निधि के लिए श्रेणीवार निवेशों (अछूट प्राप्त क्षेत्र) के ब्यौरे क्रमशः परिशिष्ट ए-28 (i) से (iii) में दिए गए हैं।

भविष्य निधि के निवेश (छूट प्राप्त क्षेत्र)

7.30 छूट प्राप्त स्थापनाओं के लिए भी यह अपेक्षित है कि वे उसी पद्धति से निवेश करें जैसा क.भ.नि.सं की अछूट प्राप्त स्थापनाओं के लिए निर्धारित किया गया है। हालांकि, 31.03.2015, को स्थिति के अनुसार जहां कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 2013 की नई निवेश पद्धति का पालन किया, छूट प्राप्त स्थापनाओं ने 2003 की पद्धति का अनुसरण जारी रखा। 31.03.2015 तक छूट प्राप्त स्थापनाओं द्वारा भविष्य निधि की कुल ₹ 2,76,934.18 करोड़ की राशि का निवेश किया गया। पिछले वर्ष ₹ 33,965.68 करोड़ की तुलना में इस वर्ष ₹ 40,854.18 करोड़ का निवल निवेश किया गया।

7.28 The total corpus invested under the three schemes and the percentage distribution of amounts invested in different asset classes is as given below:-

Consolidated statement on category wise investment of corpus under different schemes at face value as on 31.03.2015.						
	Category	Schemes (₹ in cr.)				
		Provident Fund	Pension Fund	Insurance Fund	TOTAL	%
1	Central Govt. Securities	97,775.37	53,795.97	2,501.02	1,54,072.36	24.31
2	State Government Securities	77,973.36	33,668.38	1,969.50	1,13,611.24	17.93
3	Government Guaranteed Securities	13,681.35	6,525.20	322.80	20,529.35	3.24
4	Special Deposit Scheme	52,845.36	1,400.52	2.50	54,248.38	8.56
5	Public Sector Financial Institutions @	1,37,183.07	63,102.78	3,415.78	2,03,701.63	32.14
6	Public Account	0.00	80,038.99	7,511.39	87,550.38	13.82
	Total	3,79,458.51	2,38,531.84	15,722.99	6,33,713.34	100

@ including Private Sector bonds/securities

*** excludes maturity proceeds for the year 2014-15 that was re-invested.*

7.29 The details of category-wise investments (un-exempted sector) at face value i.e. for Provident Fund, Pension Fund and Insurance Fund as on 31st March 2015 are at **Appendix A-28 (i) to (iii)**.

INVESTMENTS OF PROVIDENT FUND (EXEMPTED SECTOR)

7.30 The exempted establishments are also generally required to follow the same pattern of investment as prescribed for the investment of the funds of un-exempted establishments being done by EPFO. However, as on 31st March, 2015, while EPFO followed New Pattern of Investment 2013, the exempted establishments continued to follow 2003 Pattern. The total investment of the Provident Fund accumulations in respect of exempted establishments as on 31.03.2015 amounted to **₹ 2,76,934.18 cr.** The net investments during the year is **₹ 40,854.18 cr.** as against **₹ 33,965.68 cr.** during the previous year.

वर्ष के दौरान किया गया निवेश नीचे दिया गया है :

वर्ष 2014-15 के दौरान छूट प्राप्त स्थापनाओं द्वारा किया गया निवेश	
निवेश की श्रेणी	निवेशित राशि (₹ करोड़ों में)
केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	10,675.73
राज्य सरकार द्वारा सृजित तथा जारी सरकारी प्रतिभूतियां तथा गारंटीड प्रतिभूतियां	7,268.70
सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के बॉण्ड/प्रतिभूतियां तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा जारी जमा के प्रमाणपत्र/विशेष जमा योजना	26,709.96
कुल सकल निवेश	44,654.39
घटाई : छुड़ाई गई निधियां	3,800.21
कुल निवल निवेश	40,854.18

सदस्यों को ब्याज दर

7.31 कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 60(1) में निहित उपबंधों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के साथ परामर्श के पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दर पर कर्मचारी भविष्य निधि सदस्यों के खातों में उपलब्ध बकाया पर ब्याज प्रदान करना अपेक्षित है। वर्ष 2012-13 के दौरान, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की सिफारिश पर केन्द्र सरकार ने सदस्यों के मासिक चालू बकाया पर ब्याज प्रदान करने के लिए 8.75 % प्रतिवर्ष की ब्याज दर घोषित की है। 1952 से क.भ.नि. जमा पर घोषित ब्याज की दर परिशिष्ट ए-21 में दी गई है।



Investment made during the year is given below:

INVESTMENTS MADE BY EXEMPTED ESTABLISHMENTS DURING 2014-15	
Category of Investment	Amount Invested (₹ in cr.)
Central Government Securities	10,675.73
Government Securities created and issued by any State Government and guaranteed securities	7,268.70
Bonds/ Securities of Public Financial Institutions and Certificate of deposits issued by a Public Sector Bank/SDS	26,709.96
TOTAL GROSS INVESTMENT	44,654.39
LESS: Redemption	3,800.21
TOTAL NET INVESTMENT	40,854.18

RATE OF INTEREST TO MEMBERS

7.31 As per the provisions of Paragraph 60(1) of EPF Scheme, EPFO is required to credit interest on the balance available in the accounts of the EPF members at such rate as may be determined by the Central Government in consultation with the CBT. During the year 2014-15, on the recommendation of the CBT, the Central Government has declared the rate of interest of 8.75 % per annum on monthly running balances to be credited to the member's accounts. The interest rate on EPF deposits declared since 1952 onwards is given in **Appendix A-21**.

अध्याय 8

लेखापरीक्षा

सांविधिक लेखापरीक्षा एवं आंतरिक लेखापरीक्षा

8.1 कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 56, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पैरा 30 तथा कर्मचारी निक्षेप सहवृद्ध बीमा योजना, 1976 के पैरा 20 के उपबंधों के अनुसार, (प्रशासनिक लेखे तथा योजनाओं को चलाने में हुए व्यय सहित) निधि के लेखों की लेखा परीक्षा केन्द्र सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से परामर्श के पश्चात् जारी अनुदेशों के अनुसार की जाएगी।

8.2 लेखा प्रक्रिया मैनुअल भाग-I के अनुसार, लेखापरीक्षा विंग वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी के अधीन कार्य करता है। उनकी सहायता के लिए निदेशक (लेखापरीक्षा), उप निदेशक (लेखापरीक्षा) तथा एक सहायक निदेशक (लेखापरीक्षा) होता है। लेखापरीक्षा विंग का संगठनात्मक चार्ट इस प्रकार है

लेखापरीक्षा ढांचे की बनावट

मुख्यालय में लेखापरीक्षा का ढांचा

फील्ड में लेखापरीक्षा का ढांचा
15 (लेखापरीक्षा पार्टियां)

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी
निदेशक (लेखापरीक्षा)
उप निदेशक 1
सहायक निदेशक 1
अनुभाग अधिकारी / सहा. ले.प.अधि. 2
सहायक / लेखापरीक्षक 2

प्रत्येक लेखापरीक्षा पार्टी में
उप निदेशक 1
सहायक निदेशक 1
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी 2-4*
* कार्यभार के अनुसार
लेखापरीक्षक 4

Chapter 8

AUDIT

STATUTORY AUDIT AND INTERNAL AUDIT

8.1 As per the provisions of Para 56 of the EPF Scheme 1952, Para 30 of the EPS 1995 and Para 20 of the EDLI Scheme 1976, the Accounts of the Fund, (including the Administration Accounts and expenses incurred in operating the schemes) is audited in accordance with the instructions issued by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

8.2 As per the Manual of Accounting procedure Part I, the Audit Wing Functions under the control of Financial Advisor and Chief Accounts Officer. He is assisted by a Director (Audit), Deputy Director (Audit) and one Assistant Director (Audit). Organisational chart of Audit Wing is as follows

Structure of the Audit set-up.

STRUCTURE OF AUDIT IN HEAD OFFICE

STRUCTURE OF AUDIT IN THE FIELD (15 IAPS)

FA & CAO
DIRECTOR (AUDIT)
DEPUTY DIRECTOR 1
ASSISTANT DIRECTOR 1
SECTION OFFICER /AAO 2
ASSISTANT/AUDITOR 2

EACH IAP CONSISTS OF
DEPUTY DIRECTOR 1
ASSISTANT DIRECTOR 2
AAO 2-4*
* As per work load
AUDITORS 4

8.3 मुख्यालय का लेखापरीक्षा विंग क्षेत्रीय कार्यालय, उप क्षेत्रीय कार्यालय, नाटर्स, आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान, मुख्यालय तथा कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय अधिकरण की आंतरिक लेखापरीक्षा को मॉनीटर करता है। लेखापरीक्षा विंग नियमों एवं विनियमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

8.4 मुख्यालय में लेखापरीक्षा ढांचे के अतिरिक्त, फील्ड स्तर पर 15 आंतरिक लेखापरीक्षा पार्टियां हैं। प्रत्येक पार्टी में एक उप निदेशक, दो से तीन सहायक निदेशक, दो सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी और दो से चार लेखापरीक्षक होते हैं। इस तरह 15 उप निदेशक, 30 सहायक निदेशक, 36 सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, 62 लेखापरीक्षकों के पद आंतरिक लेखापरीक्षा पार्टियों के लिए स्वीकृत हैं। कुल स्वीकृत संख्या 152 के अंतर्गत केवल 23 कर्मचारी लेखापरीक्षा विंग में तैनात थे।

लेखापरीक्षा पार्टियां

• दिल्ली	• जयपुर	• कानपुर
• चंडीगढ़	• हैदराबाद	• बंगलौर
• चेन्नै	• तिरुवनंतपुरम	• जलपाईगुडी
• कोलकाता	• अहमदाबाद	• इंदौर
• मुंबई	• रांची	• गोवा

आंतरिक लेखापरीक्षा

8.5 निष्पादन की दृष्टि से, संगठन के लेखापरीक्षा विंग के लिए वर्ष 2014-15 महत्वपूर्ण रहा है। वर्ष 2014-15 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय / उप क्षेत्रीय कार्यालय में लक्ष्य केंद्रित लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा पार्टियों को आठ मुख्य मामले दिए गए, यथा

- सभी लेखों की रोकड़ बही (बैंक) का समेकन
- भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देर से किए गए जमा पर व्याज एकत्रित करना।
- डमी लेखों में जमा राशि
- पेंशन भुगतानों का समेकन
- बैंक को कमीशन / सेवा प्रभार का भुगतान
- गतावधि चैकों को रद्द करना
- सदस्य लेखों में नकारात्मक शेष
- पिछले लेखा परीक्षा पैरों का अनुपालन

8.6 चूंकि, लेखापरीक्षा का कार्य समयबद्ध तथा समय लेने वाला था, दस यूनिटों को कवर नहीं किया जा सका। वर्ष के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा पार्टियों द्वारा कार्यालयों की लेखापरीक्षा में की गई प्रगति की स्थिति इस प्रकार थी :

आंतरिक लेखापरीक्षा पार्टियों की संख्या	2013-14 की लेखापरीक्षा के लिए वर्ष 2014-2015 के दौरान नियत कार्यालयों की संख्या	वर्ष 2014-2015 के दौरान उन कार्यालयों की संख्या जिनकी 2013-14 तक लेखापरीक्षा की गई	उन कार्यालयों की संख्या जिनकी लेखापरीक्षा की जानी है
12 (कार्य कर रही हैं)	130	120	10

8.3 The Audit Wing in the Head office monitors the internal Audit of Regional Offices, Sub Regional Offices, NATRSS, Zonal Training Institutes, Head Office and Employees' Provident Fund Appellate Tribunal. The Audit Wing plays a vital role in ensuring the implementation of rules and regulations.

8.4 In addition to an audit set up at the headquarters there are 15 Internal Audit Parties at the field level. Each Party consists of one Deputy Director, two to three Assistant Directors, two Assistant Audit Officers and two to four Auditors. In all there are 15 Deputy Directors, 30 Assistant Directors, 36 Assistant Audit Officer, 62 Auditors sanctioned for manning the Internal Audit Parties. As against a total sanctioned strength of 152, there were only 23 officials in position in the audit wing.

AUDIT PARTIES

• Delhi	• Jaipur	• Kanpur
• Chandigarh	• Hyderabad	• Bangalore
• Chennai	• Thiruvanthapuram	• Jalpaiguri
• Kolkata	• Ahmedabad	• Indore
• Mumbai	• Ranchi	• Goa

Internal Audit

8.5 In terms of performance, the year 2014-15 was a turnaround year for the Audit Wing in the Organisation. During the year 2014-15, the audit in Regional Offices/Sub-regional Offices was task bound. The following eight core areas were focused upon;

- Reconciliation of cash book (Bank) of all accounts.
- Collection of interest on belated credit from SBI.
- Amounts credited in dummy accounts.
- Reconciliation of pension payments.
- Payment of commission/service charges to the bank.
- Cancellation of time barred cheques.
- Negative balance in member accounts.
- Compliance of previous audit paras.

8.6 Since, the task of Audit was time bound and time consuming ten units could not be covered. The position of progress achieved in audit of the offices by the Internal Audit Parties during the year was as under:

No. of Internal Audit Parties	No. of offices due for Audit during the year 2014-15 for Audit of 2013-14	No. of offices Audited upto 2013-14 during the year 2014-15	No. of offices yet to be audited
12 (Functional)	130	120	10

8.7 वर्ष 2013-2014 के दौरान लेखापरीक्षा के लिए कवर किए गए कार्यालयों की संख्या 88 थी।

8.8 आंतरिक लेखा परीक्षा पैरा की जांच की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने तथा उन पर उचित कार्रवाई करने के लिए, वित्त, निवेश एवं लेखापरीक्षा समिति के अनुमोदन से एक समिति तंत्र स्थापित किया गया।

8.9 समिति तंत्र ने पदानुक्रम के अनुसार समितियों की तीन श्रेणियों समिति 'ए', समिति 'बी' तथा समिति 'सी' की स्थापना पर विचार किया। इनका गठन इस प्रकार है :-

समिति "ए"	के.भ.नि.आ., अध्यक्ष	वे ऑडिट पैरा जिनका संगठन के प्रमुख तंत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला था, जिनमें बड़े वित्तीय निहितार्थ थे और जो वैश्विक प्रकृति के थे उन्हें समिति 'ए' द्वारा निपटाया जाएगा
	वि.स. एवं मु.ले.अ. सदस्य	
	अ.के.आ. (मुख्या.) सदस्य	
समिति "बी"	वि.स. एवं मु.ले.अ., अध्यक्ष	वे ऑडिट पैरा जो तंत्रों को प्रभावित कर रहे थे, जो महत्वपूर्ण थे और जिन पर तुरंत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता थी, उन्हें समिति 'बी' द्वारा जांच करके निपटाया जाना था।
	अ.के.आ. (अनुपालन), सदस्य	
	अ.के.आ. (ग्रा.से.प्र.), सदस्य	
समिति "सी"	क्षे.भ.नि.आ.-I (वि.एवं ले.), अध्यक्ष	समिति 'सी' को उन सभी नेमी पैरा की जांच करनी थी जो कि लेखापरीक्षा विंग द्वारा संस्तुत किए गए थे। तदनुसार, वर्ष के दौरान समिति 'सी' ने 3404 ऑडिट पैरा का निपटान किया और 888 पैरा समिति 'बी' को संदर्भित किये।
	क्षे.भ.नि.आ.-I, (मा.सं.प्र.), सदस्य	
	क्षे.भ.नि.आ.-II, (प्र.से.प्र.-I), सदस्य	

8.10 वर्ष के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा पार्टियों द्वारा उठाए गए बकाया ऑडिट पैरा के निपटान में की गई प्रगति परिशिष्ट ए-27(i) में दी गई है।

8.11 आंतरिक ऑडिट पैरा के क्षेत्र में की गई प्रगति को वित्त निवेश एवं लेखा परीक्षा समिति की दिनांक 26.03.2015 को हुई बैठक में उनके ध्यान में लाया गया। वित्त निवेश एवं लेखा परीक्षा समिति ने लेखापरीक्षा की निगरानी में किए गए कार्य निपटान की सलाहना की।

8.7 The number of offices covered in **2013-2014** was **88**.

8.8 In order to streamline the process of Internal Audit para scrutiny and to take appropriate action there upon, a Committee system was set up with the approval of Finance Investment & Audit Committee.

8.9 The Committee System envisaged the setting up of a hierarchy of three Committees. Committee 'A', Committee 'B' and Committee 'C'. Composition of the same is as under:-

Committee "A"	CPFC, Chairperson	The audit paras which were likely to have a major impact on the vital systems of the Organisation, had huge financial implications and were of a global nature would be dropped by Committee 'A'.
	FA & CAO, Member	
	ACC (Hqr) Member	

Committee "B"	FA & CAO, Chairperson	The audit paras which impacted systems that were critical and require urgent attention, were to be examined and dropped by the Committee 'B'.
	ACC (Compliance), Member	
	ACC (CSD), Member	

Committee "C"	RPFC-I (F&A), Chairperson,	The Committee 'C' was to examine all the routine paras which were recommended by the Audit Wing. Accordingly, during the year Committee 'C' dropped 3404 audit paras and referred 888 paras to Committee 'B'.
	RPFC-I, (HRM), Member	
	RPFC-II, (ASD-I), Member	

8.10 The progress achieved in settlement of outstanding audit paras raised by the Internal Audit Parties during the year is given at **Appendix A-27(i)**.

8.11 The progress made in respect of Internal Audit paras was brought to the notice of Finance Investment and Audit Committee in its meeting held on 26.03.2015. The Finance Investment and Audit Committee appreciated the work done in disposal of the audit observations.

सांविधिक लेखापरीक्षा

8.12 संगठन के मुख्यालय के लेखों तथा लेन-देन की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के मार्गदर्शन में महानिदेशक, लेखापरीक्षा द्वारा नियमित रूप से लेखापरीक्षा की जाती है। तदनुसार, मुख्यालय का लेखापरीक्षा प्रभाग प्रत्येक क्षेत्रीय एवं उप क्षेत्रीय कार्यालय तथा अन्य कार्यालयों की संबंधित राज्यों के महालेखाकारों द्वारा की जाने वाली नियमित लेखापरीक्षा को ध्यानपूर्वक मॉनीटर / समन्वय करता है। आंतरिक लेखापरीक्षा पार्टियां विभिन्न क्षेत्रीय एवं उप क्षेत्रीय कार्यालयों के संबंध में राज्य के महालेखा परीक्षक तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा उठाए गए बकाया ऑडिट पैरों को भी ध्यानपूर्वक मॉनीटर करती हैं। वर्ष 2014-2015 के दौरान महालेखा परीक्षक ऑडिट पैरों की स्थिति परिशिष्ट ए-27(ii) पर दी गई है।

8.13 आंतरिक लेखापरीक्षा पार्टियों के अध्यक्ष सभी उप निदेशकों ने संबंधित महालेखाकार कार्यालयों को भेजे जाने वाले उत्तरों की ध्यानपूर्वक मॉनीटरिंग की और महालेखापरीक्षक पैरों को हटाना सुनिश्चित करने के लिए उनके साथ समन्वय स्थापित किया। वर्ष 2014-2015 के दौरान, क्षेत्रीय / उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा संबंधित महालेखाकार कार्यालयों को भेजे गए उत्तरों के आधार पर महालेखाकार द्वारा 517 पैरों का निपटान किया गया।



STATUTORY AUDIT

8.12 The Accounts and transactions of the Head Office of the Organization is regularly audited by the Director General of Audit, under guidance of CAG of India. Further, the Audit Wing in the Head Office closely monitors/co-ordinates the regular audit of each of the Regional Offices/Sub Regional Offices and other offices by the respective Accountant General of the State. The Internal Audit Parties monitor closely the outstanding audit paras raised by the State AG in respect of different Regional Offices and Sub Regional Offices and the paras raised by the Comptroller and Auditor General of India. Position of A.G. Audit paras during the year 2014-2015 is given at **Appendix A-27(ii)**.

8.13 All the Deputy Directors heading Internal Audit Parties closely monitored the replies to be sent to respective A.G. Offices and coordinated with them to ensure dropping of A.G. paras. During the year 2014-2015, 517 paras were settled by AG based on the replies furnished by the Regional Offices/Sub Regional Offices to the respective AG offices.



अध्याय -9

ग्राहक सेवा

शिकायतें कम करने के लिए किए गए प्रयास

9.1 अपने सदस्यों को सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, नई दिल्ली स्थित मुख्यालय तथा देशभर के सभी 122 फील्ड कार्यालयों में सुविधा केंद्र, जन संपर्क अधिकारी तथा सहायक स्टाफ मौजूद हैं। यहां संपर्क करके आप संबंधित जानकारी प्राप्त करने के साथ-साथ अपनी शिकायत, यदि कोई हो, का निपटान करवा सकते हैं। दावों के निपटान, लेखा विवरणियां जारी करने, अनुपालन न करने के कारण सामने आने वाले मामलों आदि से संबंधित विभिन्न स्रोतों द्वारा सदस्यों से प्राप्त शिकायतों का फील्ड कार्यालयों द्वारा निपटान किया जाना आवश्यक है।

9.2 सभी निर्धारित फार्मों को हमारे सभी कार्यालयों के सुविधा केन्द्रों से सभी कार्यदिवसों के दौरान मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है। लेखाधिकारी स्तर के एक अधिकारी को सुविधा केन्द्र में शिकायतों की देखरेख हेतु जन संपर्क अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है।

9.3 सभी सुविधा केन्द्रों पर, दावों / याचिकाओं के निपटान की समय सीमा, वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने के समय को डिसप्ले बोर्ड के माध्यम से दर्शाया गया है तथा हमारे कार्यालयों में आने वाले सभी आगंतुकों की सुविधा के लिए बैठने के स्थान, पीने के पानी आदि जैसी भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

9.4 आने वाले सदस्यों की शिकायतों के निपटान के लिए स्वागत काउंटरों पर जन संपर्क अधिकारी सभी कार्य दिवसों पर उपलब्ध हैं। साथ ही, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रशासित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभ लेने हेतु जमा किए गए दावों तथा / अथवा अपने लेखों के विषय में कोई जानकारी लेने में सहायता करने हेतु सदस्यों की सुविधा के लिए प्रत्येक कार्यालय में जन संपर्क अधिकारी उपलब्ध हैं।

9.5 अपने ग्राहकों की अनगिनत आवश्यकताओं को पूरा करने के महत्व को समझते हुए, संगठन में आज दो स्तरीय ग्राहक सेवा प्रभाग हैं जो मुख्यालय के साथ-साथ सभी फील्ड कार्यालयों में विशेष रूप से जन शिकायतों के निपटान का कार्य करते हैं।

9.6 मुख्यालय स्तर पर, अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस प्रभाग के मुखिया हैं तथा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, सहायक भविष्य निधि आयुक्त एवं जन संपर्क अधिकारी इनकी सहायता करते हैं जो विभिन्न कार्यालयों में सदस्यों से ऑनलाइन अथवा डाक, ई-मेल, फोन अथवा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त शिकायतों की लगातार मॉनीटरिंग करते रहते हैं।

Chapter 9

CUSTOMER SERVICE

EFFORTS TAKEN TO MINIMISE GRIEVANCES

9.1 With an aim to provide service to our members, the Head Office at New Delhi and all field offices comprising of 122 offices across the country are equipped with full-fledged Facilitation Centers, PROs and supporting staff. One can obtain relevant information as well as get one's grievance, if any redressed by approaching them. The grievances received from the members through various sources relating to the settlement of claims, issue of account slips, matter arising out of non compliance etc. are required to be redressed by the field offices at the earliest.

9.2 All the prescribed forms can be obtained free of cost during working hours at the Facilitation Centers in all EPFO offices. An Officer of the level of Accounts Officer is designated as PRO to attend to the grievances at the facilitation centre.

9.3 At all the facilitation centers, time limits for settlement of claims/petitions, and other important information has been notified through display boards and physical facilities have been provided including sitting space , drinking water etc for the convenience of all those who visit our offices.

9.4 The PROs at the Reception Counters are available on all working days to redress the grievances of the visiting members. At the same time, PROs are also available in each office to assist the members seeking any information regarding their accounts and/or claims submitted by them for benefits accruing to them under the social security schemes being administered by EPFO.

9.5 Realizing the importance of addressing the myriad needs of our customers, the organization today has a separate two tiered Customer Service Division exclusively looking after the task of handling and redressal of public grievances both at Head Office level as well as in all field offices.

9.6 At the Head Office level, this division is headed by Additional Central Provident Fund Commissioner and assisted by Regional Provident Fund Commissioners, Assistant Provident Fund Commissioners and Public Relation Officer who are constantly monitoring grievances received at various Offices from members on-line or through post, email, phone calls and even personal visits.

9.7 क्षेत्रों के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा उप क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी अधिकारी अपने संबंधित कार्यालयों में ग्राहक सेवा प्रभाग के अध्यक्ष होते हैं तथा वे सभी कार्यदिवसों पर सदस्यों की शिकायतों के निपटान के लिए उपलब्ध होते हैं। हमारे कार्यालयों में शिकायतों के तत्काल निपटान तथा अपने ग्राहकों को दी जाने वाली सेवा में सुधार के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए शिकायतों की प्राप्ति तथा निपटान को गंभीरतापूर्वक मॉनीटर करने के लिए प्रत्येक फील्ड कार्यालय में हाल ही में नोडल अधिकारियों को नामित किया गया है। इस नोडल अधिकारी का दायित्व यह सुनिश्चित करना होता है कि उस कार्यालय से संबंधित शिकायतों का तत्काल निपटान हो जिससे कि समग्र शिकायतों को कम किया जा सके। वह इस संबंध में अपनी दैनिक रिपोर्ट कार्यालय के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (प्रभारी अधिकारी) को भेजते / भेजती हैं। अपने संबंधित कार्यालय में शिकायतों के निपटान में होने वाली अत्यधिक देरी के लिए भी उसे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाता है।

प्राप्त शिकायतें एवं निवारण

9.8 पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त की गई एवं निपटाई गई शिकायतों का विवरण निम्नलिखित है:

	2014-15	2013-14	2012-13
वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतें	4587	27853	28752
वर्ष के दौरान प्राप्त	179893	171224	248072
कुल	184480	199077	276824
वर्ष के दौरान निपटान	182321	194490	248971
वर्ष के अंत में बकाया	2159	4587	27853
निपटान का प्रतिशत	98.83	97.69	89.94

9.9 ई.पी.एफ.आई.जी.एम.एस. के अंतर्गत पंजीकृत शिकायतों के अतिरिक्त सी.पी.जी.आर.ए.एम.एस. अर्थात् केन्द्रीकृत जन शिकायत निपटान एवं मॉनीटरिंग पद्धति के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर भी कार्रवाई की जाती है। वर्ष का आदि शेष 348 था एवं वर्ष में 3217 शिकायतें मुख्य कार्यालय में सी.पी.जी.आर.ए.एम.एस. के माध्यम से प्राप्त हुई जिसमें से 3353 शिकायतें वर्ष के दौरान निपटाई गई। 31.03.2015 को कुल अंत शेष 212 था।

9.10 वर्तमान में शिकायतों की समीक्षा प्रगति (PRAGATI) के माध्यम से भी की जाती है (माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मासिक टेलिकान्फ्रेंसिंग के दौरान समीक्षा पर कार्रवाई की जाती है)

शिकायतें दर्ज करना

9.11 निम्नलिखित माध्यम से शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं :-

➤ ऑनलाईन

शिकायतें क.भ.नि.सं. वेबसाइट www.epfindia.gov.in पोर्टल के माध्यम से इंटरनेट आधारित शिकायत निवारण तंत्र अर्थात् ई.पी.एफ.आई.जी.एम.एस. का प्रयोग करते हुए फाईल की जा सकती हैं। इनका तुरंत निपटान सुनिश्चित करने के लिए अपर केन्द्रीय आयुक्त तथा क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्तों द्वारा इनकी नियमित मॉनीटरिंग की जाती है।

9.7 The Regional P.F. Commissioner of the Regional Offices and Officer-in-Charge of Sub-Regional Offices head the Customer Service Division in their respective offices and they are available for redressal of the grievance of the members on all working days. Recently Nodal Officers have been designated in each field office to closely monitor the receipt and disposal of grievances with an aim to redress the grievances promptly in our offices and to improve service to our customers. This nodal officer is responsible for ensuring that grievances pertaining to that office are redressed immediately so that the overall grievances are minimized. He/she sends his daily report in this regard to RPFC (In-charge) of the office. He/she is also personally held responsible for any inordinate delays in redressal of grievances in his/her respective office.

GRIEVANCES RECEIVED AND REDRESSED

9.8 The details of grievances received and redressed during the last three years are given below:

	2014-15	2013-14	2012-13
Grievances pending at the beginning of the year	4587	27853	28,752
Received during the year	179893	171224	2,48,072
Total	184480	199077	2,76,824
Disposed off during the year	182321	194490	2,48,971
Balance at the end of the year	2159	4587	27,853
Percentage of Disposal	98.83	97.69	89.94

9.9 In addition to grievances registered under EPFiGMS the grievances received via CPGRAMS i.e. Centralized Public Grievance Redressal and Monitoring System were also acted upon. While the opening balance was 348 during the year 3217 grievances were received at H.O. via CPGRAMS out of which 3353 cases were disposed off during the year with a closing balance of 212 cases as on 31.03.2015.

9.10 At present the disposal of grievance is also being reviewed under programme PRAGATI (review during monthly teleconferencing by Hon'ble Prime Minister acted upon).

LODGING OF GRIEVANCES

9.11 One can file grievance via the following modes for redressal:-

➤ **Online**

The grievance can be filed using the internet based grievance redressal system, i.e. EPFiGMS, through the portal on EPFO's website www.epfindia.gov.in. These are regularly monitored by ACCs & RPFCs to ensure prompt disposal.

➤ डाक / ई-मेल के द्वारा

शिकायतें डाक अथवा ई-मेल के माध्यम से संबंधित कार्यालय अथवा मुख्यालय भेजी जा सकती हैं। ग्राहक सेवा प्रभाग का कार्य देख रहे क्षेत्र.भ.नि. आयुक्त सुनिश्चित करते हैं कि इन्हें ई.पी.एफ.आई.जी.एम.एस. में दर्ज कर कर्मचारियों द्वारा तत्काल जवाब भेजा जाए।

➤ व्यक्तिगत रूप में / फोन द्वारा

किसी भी क.भ.नि.सं. के सुविधाकेन्द्र में जन संपर्क अधिकारी से व्यक्तिगत अथवा टेलिफोन के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है। सुविधा केन्द्र में निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध हैं :-

- ब्रोचर्स, बुकलेट्स आदि के माध्यम से योजनाओं एवं प्रक्रियाओं के संबंध में सूचना प्राप्त करना।
- दावों / शिकायतों की स्थिति के संबंध में सूचना प्राप्त करना।
- प्रस्तुत किए गए दावों / शिकायतों की पावती प्राप्त करना।
- जन संपर्क अधिकारी के माध्यम से शिकायत को ई.पी.एफ.आई.जी.एम.एस. में उसी समय व्यक्तिगत रूप से आने वाले अंशदाता श्रेणी में दर्ज कराना।
- जन संपर्क अधिकारी से किसी शिकायत पर की गई कार्रवाई की जानकारी प्राप्त करना।
- ग्राहक सेवा प्रभाग का कार्य देख रहे क्षेत्र.भ.नि.आ. जन संपर्क अधिकारी के कार्य की मॉनीटरिंग करते हैं एवं सुनिश्चित करते हैं कि वे अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करें।

यूनियर्सल खाता संख्या के लिए हेल्पडेस्क आउट सोर्सिंग

9.12 16.10.2014 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ किए गए यू.ए.एन. की शुरुआत यूनीक अकाउंट नंबर (यू.ए.एन.) के आबंटन से हुई। 31.03.2015 तक 4.41 करोड़ क.भ.नि.सं. सदस्यों एवं 4.35 लाख स्थापनाओं को यू.ए.एन. आवंटित किए जा चुके हैं।

9.13 क.भ.नि. सदस्यों को यू.ए.एन. आवंटित करने की पूरी प्रक्रिया में यह प्रत्याशित था कि इस प्रक्रिया में नियोजित एवं कर्मचारी दोनों के आपसी सहयोग की आवश्यकता होगी जिन्हें के.वाई.सी. अपलोड करने की प्रक्रिया, पूर्व एवं वर्तमान सदस्यता को जोड़ने की प्रक्रिया, के.वाई.सी. के प्रकार पर स्पष्टीकरण, ट्रांसफर के लिए फाईल आदि पक्षों के संबंध में सहायता अपेक्षित होगी।

9.14 तदनुसार, एक हेल्पडेस्क प्रोग्राम आरंभ होने के आरंभिक स्तर पर ही बना दी गई थी जो हर अवधि के दौरान उठे प्रश्नों के जवाब देने में काफी सफल रही एवं यू.ए.एन. प्रोग्राम की सफलता में सहायक सिद्ध हुई है। हेल्पडेस्क पर टोल फ्री नंबर 1800118005 के अतिरिक्त ई-मेल uanepf@epfindia.gov.in पर भी संपर्क किया जा सकता है।

भविष्य निधि अदालतें

9.15 क.भ.नि. सदस्यों की जटिल प्रकृति की जिन शिकायतों का निपटान करने में सुविधा केन्द्र सामान्य रूप से असमर्थ होते हैं, उनके निपटान के लिए सभी फील्ड कार्यालयों द्वारा “भविष्य निधि अदालतों” का आयोजन किया जाता है। “भविष्य निधि अदालतों” का आयोजन हर माह की 10 तारीख को किया जाता है तथा यदि 10 तारीख को अवकाश होता है तो अगले कार्य दिवस पर “भविष्य निधि अदालतों” का आयोजन किया जाता है। अदालत के लिए जनता से शिकायतें मांगने हेतु नियमित रूप से सार्वजनिक समाचार पत्रों में पर्याप्त प्रचार किया जाता है। भविष्य निधि अदालतों की गतिविधियों को क्षेत्रीय समिति सदस्यों द्वारा अपनी समीक्षा बैठक में मॉनीटर किया जाता है तथा उन पर चर्चा की जाती है।

➤ ***By Post/email***

One can send grievance by post or email to the concerned office of EPFO or Head office. RPFC's looking after CSD work ensures that these are entered into EPFIGMS by the officials and a prompt reply is sent.

➤ ***In person /by phone***

One can also approach the PRO in the Facilitation Centre of any office of EPFO personally or by telephone. At the Facilitation Centre one can obtain following services: -

- Procure information regarding schemes and procedures through brochures, booklets etc.
- Obtain information regarding status of claims/complaints.
- Obtain acknowledgments on claims/ complaints submitted
- Get the grievance registered in EPFIGMS on the spot by the PRO against the category walk in subscribers
- Get feedback of action taken so far on any of the complaint from the PRO.
- RPFCs looking of the CSD work monitor the performance of PRO to ensure that they fulfill their responsibilities

HELPDESK OUTSOURCING FOR UNIVERSAL ACCOUNT NUMBER

9.12 The UAN program launched on 16.10.2014 by the Hon'ble Prime Minister of India was initiated with the allotment of Unique Account Number (UAN). As on 31.03.2015 **4.41 Crore** EPF members and **4.35 Lac** establishments have been allotted UAN.

9.13 During the entire process of allotment of UAN to EPF members, it was anticipated that there would be a need for handholding in the process for both the employer as well as the employee who may be requiring assistance in the aspects such as uploading process of KYC, process for linking previous and current membership, file for transferring, clarification on type of KYCs etc.

9.14 Accordingly, a help desk was set up right from the initial stages of the launch of the program which has been found to be quite successful in addressing to all the queries raised during this period and has been instrumental in making the UAN program a success. The Help Desk can be approached either through the toll free number 1800118005 as well as through e-mail uanepf@epfindia.gov.in

BHAVISHYA NIDHI ADALATS

9.15 All Field Offices conduct "Bhavishya Nidhi Adalats" for redressal of complex nature of grievances of members of the fund which the facilitation centres are not able to resolve in normal course. The "Bhavishya Nidhi Adalats" are held on 10th of every month and if 10th happens to be a holiday Bhavishya Nidhi Adalats" are conducted on the next working day. Adequate publicity in local newspapers is carried out regularly to invite the grievances from the public in the Adalat. The activities of the "Bhavishya Nidhi Adalats" are being monitored and deliberated upon by the Regional Committee Members at regional level during their review meetings.

9.16 पिछले तीन वर्षों के दौरान “भविष्य निधि अदालतों” के समक्ष दायर शिकायतों की संख्या तथा मौके पर ही निर्णीत मामलों का विवरण निम्नलिखित है :-

	2014-15	2013-14	2012-13
आयोजित भविष्य निधि अदालतों की संख्या	1608	1391	1523
भविष्य निधि अदालतों के समक्ष पंजीकृत शिकायतों की संख्या	3688	4843	4426
भविष्य निधि अदालतों द्वारा निपटाई गई शिकायतों की संख्या	3039	4805	4396

शिकायतों के ऑनलाइन पंजीकरण एवं निपटान की सुविधा

1. भारत सरकार के जन शिकायत पोर्टल में केन्द्रीकृत जन शिकायत निपटान एवं मॉनीटरिंग प्रणाली (सी.पी.जी.आर.ए.एम.एस) का प्रयोग करना

9.17 सी.पी.जी.आर.ए.एम.एस कार्मिक , लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग द्वारा विकसित एवं कार्यान्वित कार्यक्रम है जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में भी सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा चुका है । सभी कार्यालय नियमित रूप से सी.पी.जी.आर.ए.एम.एस मामलों की मॉनीटरिंग एवं निपटान कर रहे हैं ।

❖ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट पर उपलब्ध पोर्टल में क.भ.नि. इन्टरनेट शिकायत प्रबंधन प्रणाली (ई.पी.एफ.आई.जी.एम.एस.) का प्रयोग करना

9.18 वर्ष 2010 में आरंभ की गई ई.पी.एफ.आई.जी.एम.एस. ग्राहक सेवा प्रभाग की इंटरनेट आधारित शिकायत निवारण प्रणाली है, जिसे संगठन की आवश्यकता के अनुरूप एन.आई.सी. के सहयोग से विकसित किया गया है । ई.पी.एफ.आई.जी.एम.एस. का विकास एक सिंगल विंडो प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है , जो कि शिकायतों के अंतिम निपटान तक उनका रिकार्ड , पावती तथा ट्रेक /मॉनीटर करने में सक्षम हो ।

9.19 इस प्रणाली से न केवल अंशदाताओं को स्थान अथवा समय के प्रतिबंधों के बिना अपनी शिकायतों/ प्रश्नों का पंजीकरण कराने में सुविधा मिली है बल्कि फील्ड कार्यालयों की शिकायतों का प्रबंधन करने में भी यह काफी लाभकारी सिद्ध हुई है । अंशदाता अब अपनी सुविधानुसार कहीं से भी प्रणाली से जुड़ सकते हैं ।

9.20 ई.पी.एफ.आई.जी.एम.एस में कई विकसित विशेषताओं को लोड किया गया है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है- डाटाबेस द्वारा निर्देशित पंजीकृत शिकायतों का संचलन जिसमें पंजीकृत शिकायतों को ट्रैक करके उससे संबंधित कार्यालयों का पता लगा लिया जाता है । शिकायत के पंजीकृत हो जाने के पश्चात् प्रणाली द्वारा विशिष्ट पहचान संख्या सृजित की जाती है तथा तत्पश्चात स्वतः ही अंशदाता के ई-मेल (यदि उपलब्ध कराया गया हो) में पावती पत्र भेज दिया जाता है ।

9.16 The number of complaints filed before the "Bhavishya Nidhi Adalats" and cases decided on the spot during last three years is as under:

	2014-15	2013-14	2012-13
Number of Bhavishya Nidhi Adalats organized	1608	1, 391	1,523
Number of grievances registered before Bhavishya Nidhi Adalats	3688	4,843	4,426
Number of grievances disposed off by Bhavishya Nidhi Adalats	3039	4,805	4,396

FACILITY OF ONLINE REGISTRATION OF GRIEVANCES AND REDRESSAL

❖ Using the Centralized Public Grievance Redressal and Monitoring System (CPGRAMS) in PG portal of Govt of India.

9.17 CPGRAMS is a program developed and executed by the Department of Administrative Reforms & PG (DARPG) under Ministry of Personnel, PG & Pension, Government of India, has been successfully implemented in the Organisation. All the offices are regularly using CPGRAMS to monitor & redress the grievances.



❖ Using the EPF Internet Grievance Management System (EPFiGMS) in portal available on EPFO website.

9.18 EPFiGMS launched in 2010 is an internet based grievance management system that has been developed by CSD in collaboration with the NIC, and is customised to the needs of the Organisation. The EPFiGMS has been developed with a view to provide a single window platform that is able to record, acknowledge and track/monitor grievances till its final redressal.

9.19 Now, the system has not only afforded convenience to subscribers to register their grievances/queries without any spatial or temporal restrictions but has also proved to be of immense value to field offices in managing grievances. Subscribers can now access the system from anywhere according to their convenience.

9.20 EPFiGMS is loaded with several advanced features; most important being that movement of registered grievances guided by database which tracks the registered grievance to any of the offices to which it might be related. Once a grievance is registered, system generates a unique registration number and auto generates acknowledgement letter directly to the subscribers email (if provided).

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय में जन शिकायतों के संबंध में निर्धारित दिशा-निर्देश :-

- हर शिकायत का पंजीकरण करना एवं पावती भेजना आवश्यक है।
- यही नहीं, किसी भी माध्यम (डाक, ई-मेल, टेलिफोन, व्यक्तिगत रूप से जाकर आदि) से प्राप्त हर शिकायत की ई.पी.एफ.आई.जी.एम.एस. में प्रविष्टि आवश्यक है।
- भविष्य निधि / पेंशन मामले / कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा मामले / शिकायतों की स्थिति से संबंधित सूचना काउंटर / फोन पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- शिकायत की मॉनीटरिंग तथा ऑनलाइन इंटरनेट आधारित शिकायत निपटान प्रणाली जैसे ई.पी.एफ.आई.जी.एम.एस. तथा सी.पी.जी.आर.ए.एम.एस. की सहायता से उनका गुणात्मक निपटान।

समीक्षा तंत्र :

9.21 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के शिकायत निपटान तंत्र की मॉनीटरिंग की प्रक्रिया को और मजबूत बनाने के लिए, यह निर्णय लिया गया कि क्षेत्रीय समितियां अब से संबंधित क्षेत्रों की शिकायतों से संबंधित सभी मामलों की अपनी बैठकों में समीक्षा करेंगी। बैठकों के दौरान समीक्षा करने के लिए क्षेत्रीय समिति को शिकायतों से संबंधित डाटा भी उपलब्ध कराया गया है। राज्य की क्षेत्रीय समिति की अध्यक्षता राज्य श्रम सचिव द्वारा की जाती है तथा उसमें उद्योग, ट्रेड यूनियनों एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

9.22 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (ग्रा.से.प्र.) की अध्यक्षता वाली एक राष्ट्रीय स्तर की शिकायत समिति भी है जो शिकायत निपटान तंत्र को मॉनीटर करती है तथा संगठन में शिकायत निपटान में और अधिक परिमाणात्मक तथा गुणात्मक सुधारों के लिए नए तंत्र की शुरुआत के लिए सुझाव देती है।

नई पहल :-

9.23 कार्य प्रणाली में सुधार के द्वारा शिकायतों को कम करने के लिए हाल ही में कई नई पहल की गई हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं :-

- सदस्यों के खातों को तत्काल अपडेट करने की सुविधा वाले ऑनलाइन बैच प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की शुरुआत
- ऑनलाइन दावा अंतरण पोर्टल (ओ.टी.सी.पी.)।
- स्थापनाओं का ऑनलाइन पंजीकरण (ओ.आर.एल.ई.) पोर्टल।
- सदस्यों को यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (यू.ए.एन.) का आबंटन।
- इलैक्ट्रॉनिक चालान सह रिटर्न (ई.सी.आर.) पोर्टल में अधिक सुविधाएं।
- पेंशन प्रक्रिया की पुनर्संरचना।
- बैंकों के सी.बी.एस. नेटवर्क द्वारा मासिक पेंशन जारी करना।
- एन.ई.एफ.टी. द्वारा भविष्य निधि राशि जारी करना।
- हमारी वेबसाइट में सदस्यों के लिए “अपने दावे की स्थिति जानें” को शामिल किया गया है।
- नियोक्ताओं, कर्मचारियों एवं विभिन्न प्रतिनिधियों को शिक्षित करने के लिए सेमिनार का आयोजन।
- बांद्रा, मुंबई में क.भ.नि.सं. के नए कॉरपोरेट कार्यालय का शुभारंभ।
- निष्क्रिय क.भ.नि. खातों के निपटान के लिए ऑनलाइन हेल्पडेस्क।
- ऐसे सदस्य जिन्होंने अपना यू.ए.एन. सक्रिय कर लिया है, के लिए शॉर्ट कोड एस.एम.एस. सेवा जिसमें सदस्य अपने पंजीकृत मोबाईल नंबर से निर्दिष्ट नंबर पर एस.एम.एस. भेजकर 10 भाषाओं अर्थात् अंग्रेजी, हिंदी,

GUIDELINES PRESCRIBED FOR HANDLING OF PUBLIC GRIEVANCES IN EPFO OFFICES

- Every complaint/grievance is required to be registered and acknowledged.
- Also, any grievance received, by whatever mode (post, e-mail, telephone, personal visit etc.) is to be necessarily entered in the EPFiGMS.
- Information required regarding payment of Provident Fund/Pension cases/EDLI cases/Status of complaints to be provided across the counter/over phone.
- Monitoring of the grievance and its qualitative disposal with the help of online internet based grievance handling systems viz. EPFiGMS and CPGRAMS.

REVIEW MECHANISMS

9.21 In order to further strengthen the process of monitoring of the grievance handling machinery in EPFO, it has been decided that Regional Committees shall henceforth during its meetings, invariably review all issues related to handling of grievances pertaining to respective regions. Data pertaining to grievances is also provided to the Regional Committee for review during meetings. Regional Committee of the state is headed by State Labour Secretary with members from Industry, Trade Unions and state Govt. Representatives.

9.22 National Level Committee on Grievances in EPFO under chairmanship of ACC (CSD) is also in place to review grievance handling mechanism and suggest improvements in existing systems and introduction of new mechanisms for further quantitative and qualitative improvements in the grievance handling in the organization.



NEW INITIATIVES

9.23 Of late many new initiatives have been taken which have a bearing in minimizing the grievances by improving the functioning. Some of these initiatives are given as follows:-

- Launch of Online Batch Processing Software facilitating prompt updation of Accounts of members.
- Online Transfer claim Portal (OTCP)
- Online Registration of Establishments (ORLE) Portal
- Allotment of Universal Account Number (UAN) for members
- More facilities in the Electronic Challan cum Return (ECR) Portal
- Pension Process Re-engineering
- Release of monthly pension through CBS network of banks.
- Release of PF money through NEFT mode.
- "Know your Claim Status" has been incorporated for members in our website.
- Seminars are arranged to educate employers, employees and various representatives
- Launch of Special Corporate Office (SCO) of the EPFO at Bandra, Mumbai.
- Online helpdesk for settlement of Inoperative EPF Accounts

तेलुगू, तमिल, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड, बंगाली एवं मलयालम में अपने भ.नि. खाते की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

- वित्तीय वर्ष के अंत में खातों का स्वचालित अद्यतन ।
- सदस्यों के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यू.ए.एन.) हेतु ऑनलाईन हेल्पडेस्क ।

प्रचार

9.24 मुख्यालय का प्रचार प्रभाग संगठन के लिए तथा उसकी ओर से प्रचार अभियान करता है, जैसे विज्ञप्ति, प्रेस नोट जारी करना एवं अन्य प्रचार संबंधी कार्य करना । यह प्रभाग कामगारों, नियोक्ताओं एवं अन्य स्टैकहोल्डरों को उनके अधिकार, लाभ, कार्य एवं दायित्वों के विषय में जागरूक करने के लिए समय-समय पर कार्यक्रमों एवं सामग्री का निर्माण एवं विकास करता है ।

मुख्य लक्ष्य

9.25 स्टैकहोल्डर को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए संचार के सभी माध्यमों का उपयोग करने का प्रयास किया जाता है । प्रभाग का प्रमुख दायित्व अधिनियम एवं योजनाओं तथा ऐसी नवीनतम गतिविधियों के बारे में जानकारी का प्रसार करना है जो नियोक्ताओं एवं अभिदाताओं के हित में हो ।

वर्ष 2014-15 के दौरान हुई गतिविधियां

9.26 संगठन द्वारा की गई नई पहल के बारे में अभिदाताओं, नियोक्ताओं एवं कामगारों को जागरूक करने के लिए प्रिंट मीडिया का प्रचार माध्यम के रूप में प्रयोग किया गया । देश भर में कर्मचारी भविष्य निधि एवं योजनाओं के अंतर्गत सेवाओं के लाभों का अधिक से अधिक प्रचार करने के लिए समाचारपत्रों, पत्रिकाओं और आवधिक पत्रिकाओं का प्रयोग किया गया । वर्ष 2014-2015 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रचार विंग द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं ।

प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार

9.27 कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन ₹ 1000/- को प्रचारित करने के लिए संगठन के देशभर के कार्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए गए । बहुत से स्थानों पर कार्यक्रमों की अध्यक्षता केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा की गई । अभिदाताओं में इस लाभ को भरपूर प्रचार करने के लिए देशभर में 287 समाचार पत्रों में इस पर विशेष जोर देते हुए कि इस कदम से 32 लाख सेवानिवृत्त लाभार्थियों को लाभ पहुंचेगा, विज्ञापन जारी किए गए । इसके अतिरिक्त निष्क्रिय खातों के संबंध में विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में विज्ञापन दिए गए ।

- Short code SMS service for members who have activated their UAN number whereby members can send an SMS from their registered mobile number to a specified number and thereby receive information regarding their Pf account. in 10 different languages, namely, English, Hindi, Telugu, Tamil, Punjabi, Gujarati, Marathi, Kannada, Bengali and Malayalam.
- Auto- Updation of members accounts at end of financial year.
- Online Helpdesk for universal Account Number (UAN) for members.

PUBLICITY

9.24 The Publicity Division at Head Office undertakes publicity drives, releases press notes and other publicity related matters for and on behalf of the organization. The Division formulates and develops programmes and materials to promote awareness amongst workers, employers and other stakeholders about their rights, benefits, duties and responsibilities at regular intervals.

MAIN OBJECTIVE

9.25 Endeavour is made to harness all modes of communication to ensure maximum benefit to the stakeholder. The principal objective of the Division is to facilitate dissemination of knowledge regarding the Act and Schemes and latest developments including the various new features of the services of the organization which are of interest to the employers and subscribers.



ACTIVITIES CARRIED OUT DURING THE YEAR 2014-15

9.26 Print media was utilized as a mode of publicity to create awareness amongst the subscribers, employers and workers about the new initiatives undertaken by the organization. Newspapers, magazines and chronicles were used to highlight the achievements of the organization in various spheres and to publicize the benefits of the schemes run by the organization. Following significant initiatives have been taken during the year 2014-15 by the Publicity Wing of EPFO

PUBLICITY THROUGH PRINT MEDIA

9.27 In order to publicize the guaranteed minimum pension of **₹ 1,000** under Employees' Pension Scheme, 1995, functions were organized at offices of the organization across the country. At many locations, the functions were presided over by Union Ministers. For wide publicity of this benefit to the subscribers, advertisements were issued across the country in 287 newspapers highlighting that the move would benefit **32 lac** retired beneficiaries. Further, advertisements on Inoperative Accounts were issued in various journals.

9.28 इसके अतिरिक्त क.भ.नि. संगठन में चल रही गतिविधियों, सफलताओं, नई पहलों, तकनीकी नवीनताओं के बारे में स्टेकहोल्डरों एवं जनता को जागरूक बनाने के उद्देश्य से पी.आई.बी., मीडिया हाउस एवं क.भ.नि.सं के फील्ड कार्यालयों के माध्यम से नियमित अंतराल पर प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गईं। ऐसी प्रेस विज्ञप्तियां प्रत्येक माह की समाप्ति पर नियमित रूप से एवं संगठन में हुई मुख्य गतिविधियों के समय जारी की गईं। बहुत से प्रतिष्ठित प्रकाशनों में इन विज्ञप्तियों के आधार पर नए आर्टिकल प्रकाशित हुए।

कैलेंडरों के माध्यम से प्रचार

9.29 मुख्यालय, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के सदस्यों, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय सहित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के फील्ड कार्यालयों के मध्य वितरित करने के लिए वर्ष 2015 में कर्मचारी भविष्य निधि कैलेंडरों को प्रिंट करवाया गया।

सूचना का अधिकार

9.30 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अधिनियम के अंतर्गत दायित्वों के निर्वाह के लिए प्रत्येक फील्ड कार्यालय के साथ-साथ मुख्यालय के प्रत्येक प्रभाग के लिए केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (के.ज.सू.अ.), केन्द्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी (के.स.ज.सू.अ.) तथा अपीलीय प्राधिकारी नामित किए हैं। इन अधिकारियों की सूची कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट : www.epfindia.gov.in पर उपलब्ध है।

9.31 वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए सूचना आवेदनों के निपटान का विवरण परिशिष्ट ए -26 पर दिया गया है।



9.28 Further, with a view to create awareness amongst the EPF stakeholders and general public, press releases were issued at regular intervals highlighting the ongoing activities, achievements, new initiatives, technological innovations of the organization through PIB, media houses and field offices of EPFO. Such press releases were issued regularly at very month end and also at the time of any major development in the organization. New articles appeared in many reputed publications based on these releases.

PUBLICITY THROUGH CALENDARS

9.29 EPF calendars for the year 2015 were printed for distribution amongst field offices of EPFO besides Head Office and Ministry of Labour & Employment.

RIGHT TO INFORMATION

9.30 The EPFO has designated Central Public Information Officers (CPIOs), Central Assistant Public Information Officers (CAPIOs) and Appellate Authorities for each field offices as well as each Division of HO to discharge the responsibilities under the Act. The list of these officials is available on the EPFO's website: www.epfindia.gov.in.

9.31 The disposal of information requests for the financial year 2014-15 is given in **Appendix A-26**.



अध्याय 10

सूचना प्रौद्योगिकी पहल

10.1 हाल के वर्षों में क.भ.नि.सं. ने अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में कंप्यूटरीकरण का आरंभ किया है एवं सभी फील्ड कार्यालयों के डाटा बेस एवं कार्य प्रक्रिया का मानकीकरण करने में सक्षम हुआ है। जहां एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मूल सेवा क्षेत्रों जैसे कि दावा निपटान, प्राप्ति एवं भुगतान लेखा-प्रक्रिया आदि के लिए विकसित किया गया है एवं काफी हद तक इसका स्थिरीकरण हो चुका है एवं इससे संगठन की परिचालन क्षमता में काफी सुधार हुआ है, 2014-15 से पूर्व बहुत-सी पोर्टल गतिविधियां कर्मचारियों एवं सदस्यों को बेहतर सेवा उपलब्ध करवाने के लिए आरंभ की गई थीं। पोर्टल गतिविधियों में मुख्य हैं, नियोक्ताओं के लिए उनके सांविधिक देयों के भुगतान हेतु इलैक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न, ऐसे देशों जिनके साथ भारत के सामाजिक सुरक्षा करार (एस.एस.ए.) हुए हैं, में प्रवास पर जाने वाले क.भ.नि. सदस्यों के लिए कवरेज प्रमाणपत्र बनाने के लिए केन्द्रीकृत सॉफ्टवेयर, नौकरी बदलने वाले सदस्यों के लिए ऑनलाइन दावा अंतरण पोर्टल एवं छूट प्राप्त स्थापनाओं के लिए मासिक रिटर्न फाईल करने के लिए ऑनलाइन रिटर्न।

10.2 क.भ.नि.सं. ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में करते हुए वर्ष 2014-15 के दौरान अपने इन प्रयासों को और आगे बढ़ाया है। इसका फोकस केवल आंतरिक व्यापार परिचालन में सुधार पर ही नहीं रहा है बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र में जवाबदेही एवं पारदर्शिता लाना भी इसका ध्येय है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान लाभार्थियों एवं नियोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित ई-गवर्नेंस पहल की गई हैं।



क) स्थापनाओं का ऑनलाइन पंजीकरण

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के अंतर्गत कवर्ड स्थापनाओं को **कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952** के अंतर्गत सांविधिक अनिवार्यताओं को पूरा करने के लिए क.भ.नि.सं. में पंजीकृत होना अपेक्षित है। नियोक्ताओं को इस पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए संगठन ने स्थापनाओं के ऑनलाइन पंजीकरण (ओ.एल.आर.ई.) की शुरुआत की है। स्थापना के पैर के ऑनलाइन सत्यापित होने के पश्चात् कोड नंबर तत्काल आंबटित कर दिया जाता है एवं एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित कर दिया जाता है। तत्पश्चात् क.भ.नि.सं. के इलैक्ट्रॉनिक चालान सह रिटर्न पोर्टल पर लॉग इन करने एवं देयों का भुगतान आरंभ करने के लिए यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड सूचित कर दिया जाता है। कोड आंबटन पत्र को नियोक्ता द्वारा इस पोर्टल के माध्यम से लॉग इन करके डाउनलोड किया जा सकता है।

ख) यूनिवर्सल खाता संख्या

क.भ.नि.सं. ने अपने सदस्यों को यूनिवर्सल खाता संख्या (यू.ए.एन.) के आंबटन के साथ यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (यू.ए.एन.) कार्यक्रम की शुरुआत की है। क.भ.नि.सं. द्वारा इस प्रकार आंबटित यू.ए.एन. को एक ही व्यक्ति को एकाधिक आई.डी. आंबटित होने से बचाव के लिए एक सुरक्षा कवर के रूप में कार्य करने हेतु तैयार किया गया है। यू.ए.एन. को नियोक्ता पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है जिससे कि नियोक्ता अपने संबंधित कर्मचारियों को इसका वितरण कर सकें। क.भ.नि. सदस्य को बहुत-सी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अपने यू.ए.एन. आधारित सदस्य पोर्टल को एक्टिवेट करना आवश्यक है। यू.ए.एन. को प्रभावी बनाने तथा यू.ए.एन. के साथ सेवा प्रदान करने को जोड़ने के लिए, नियोक्ता के लिए यू.ए.एन. डाटाबेस को विभिन्न के.वाई.सी. जैसे बैंक खाता संख्या, आधार

Chapter 10

INFORMATION TECHNOLOGY INITIATIVES

10.1 EPFO has embarked upon the computerization of its business activities in the recent years and has been able to achieve the standardization of the data base and work procedures in all of its field offices. While the application software developed to handle basic service area like Claim settlement, receipt and payment accounting and stabilized to a large extent has improved the operational efficiency of the Organisation, a number of portal activities had been launched prior to the year 2014-15 to provide better services to the employers and the members. The portal activities mainly include Electronic Challan-cum-Return for employers to remit their statutory dues, Centralized software for generation of Certificate of Coverage to the EPF members migrating to countries having Social Security Agreement (SSA) with India, Online Transfer Claim Portal for the members changing employments and Online return of Exempted establishments to enable the exempted establishments to file an online monthly return.

10.2 EPFO has taken this endeavour further during the year 2014-15 by using the potential of Information and Communication Technology in its business activities. The focus has not only been to improve the internal business operations but also to bring accountability and transparency. In the financial year 2014-2015, the following e-governance initiatives were taken by EPFO to provide better services to the beneficiaries and also to the employers.

a) Online Registration of Establishments

The establishments covered under EPF & MP Act, 1952 are required to register with EPFO for meeting the statutory obligations under ***The Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952***. For facilitating this registration, the Organisation has launched a portal on 30th June 2014 for Online Registration of establishments (OLRE) for the employers. The Code Number is immediately allotted and intimated through SMS after online verification of the PAN of the establishment. Thereafter, the user id and password is intimated for starting the remittance by logging into the Electronic Challan cum Return (ECR) Portal of EPFO. The code allotment letter can be downloaded by the employer through its login.

b) Universal Account Number

EPFO has launched Universal Account Number (UAN) programme with the allotment of Universal Account Number (UAN) to its members. The UAN so allotted by EPFO is designed to act as an umbrella for the multiple Member IDs allotted to same individual. The UAN have been provided to respective employers on the employer portal for dissemination to their employees. The EPF member is required to activate his UAN based member portal to avail a number of services. To make UAN effective and to link service delivery to the UAN, it has been made necessary for employer to seed the UAN database with various KYCs such as bank account number, AADHAR and PAN to enable e-driven services which are intended to add more robustness and

तथा पैर के साथ सीड करना आवश्यक है जिससे कि वह ई-आधारित सेवाओं का लाभ उठा सकें जिन्हें किसी सदस्य के यू.ए.एन. को अधिक संतुलित तथा सुरक्षित बनाने के लिए तैयार किया गया है। यू.ए.एन. प्रोग्राम की शुरुआत से निम्नलिखित विशेषताओं का आरंभ हुआ :

- यू.ए.एन. के साथ खातों की सुवाह्यता।
- सदस्यों की अद्यतन पासबुक के द्वारा सदस्यों की शेष राशि का ब्यौरा
- डायनमिक यू.ए.एन. कार्ड को डाउनलोड कर पाना।
- एस.एम.एस तथा ई-मेल सेवा द्वारा सदस्यों को विविध सेवाएं प्रदान करना जैसे मासिक अंशदान की जमा तथा अन्य सार्थक जानकारी के विषय में सूचित करना।

ग) नई पास बुक (यू.ए.एन. आधारित)

वह सदस्य जिसने यू.ए.एन. पोर्टल पर अपना यू.ए.एन. सक्रिय कर लिया है वह पासबुक देखने जैसी सुविधाओं का प्रयोग कर सकता है। पासबुक में नियोक्ता द्वारा सदस्य के खाते में जमा राशि का विवरण होता है। पासबुक में दूसरे खातों से अंतरित हुई राशि एवं उसके द्वारा की गई निकासी का विवरण भी होता है। 31.03.2015 तक कुल 44, 06,951 सदस्य जिन्होंने अपना यू.ए.एन. सक्रिय कर लिया है इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

घ) मासिक लेन-देन के लिए नियोक्ताओं और सदस्यों को एस.एम.एस.

सदस्यों को यह सूचित करने के लिए कि उनका मासिक अंशदान उनके भ.नि. खाते में जमा कर दिया गया है, एस.एम.एस. भेजने की सुविधा आरंभ की गई है। यह सुविधा सदस्यों को उनके खाते में जमा किए गए ब्याज एवं संगठन के विषय में अद्यतन जानकारी भी प्रदान करती है। 31.03.2015 को कुल 44, 06,951 सक्रिय सदस्य इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं यदि उनका मासिक अंशदान प्राप्त हो गया है। नियोक्ताओं को भी एक एस.एम.एस. भेजा जा रहा है कि उन्होंने मासिक अंशदान जमा नहीं कराया है या रिटर्न जमा नहीं की है।

ङ) निष्क्रिय खाते संबंधी हेल्पडेस्क

सदस्यों की सहायता के लिए एक हेल्पडेस्क बनाया गया है जिसकी सहायता से वह अपने निष्क्रिय खाते का पता लगा सकते हैं, उसे अपने वर्तमान खाते (यू.ए.एन.) में जोड़ सकते हैं अथवा उसकी राशि निकाल सकते हैं। सदस्यों को यह सुविधा क.भ.नि.सं. की वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर उपलब्ध कराई गई है जहां सदस्य अपने व्यक्तिगत ब्यौरों के साथ नियोजन का परिचित ब्यौरा उपलब्ध करा सकता है। नाम, जन्मतिथि तथा मोबाईल नं. को छोड़कर कोई भी फील्ड अनिवार्य नहीं है।

च) ई-बिज पोर्टल के साथ समाकलन

कोड नंबर के ऑनलाईन पंजीकरण को नियोक्ताओं को सुगम व्यापार की सुविधा देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग नीति एवं संवर्धन विभाग के ई-बिज पोर्टल के साथ भी समाकलित किया गया है।

छ) शार्ट कोड एस.एम.एस. सेवाएं

security to the UAN of a particular member. Launch of UAN programme has introduced the following features:

- Portability of accounts linked with UAN.
- Member balance details via updated member passbook.
- Downloadable dynamic UAN card
- SMS & e-mail service for multifarious services to member such as credit of monthly contribution and at other significant developments.

c) New Passbook (UAN Based)

A member who has activated his UAN on UAN portal can avail facilities such as access to his passbook. The passbook contains the details of remittances made by the employer to the PF account of member. The passbook also contains the details of transfer-in from other accounts of the member and the withdrawals made by the member. As on 31.03.2015, a total of **44, 06,951** members, who have activated their UAN accounts, can make use of this facility.

d) SMS to the Member & Employers for monthly transaction

A facility has been initiated regarding sending of SMS message to the member informing about that their monthly contribution has been credited into their PF account. This facility also informs the member regarding the interest credits in their PF accounts and other updates in the Organisation. As on 31.03.2015, a total of **44, 06,951** activated members are being benefitted of this facility if their monthly contribution is received. A SMS message is also being sent to employers that they have not deposited the monthly contribution or non-deposit of returns.

e) Inoperative Accounts Online Helpdesk

A help desk has been created to assist the members to trace their inoperative accounts, which the members can get it merged with the present account (UAN) or withdraw the same. Facility to the members has been provided on EPFO website www.epfindia.gov.in wherein Member may provide the known details of his/her employment along with the personal details. None of the fields are mandatory except for Name, Date of Birth and Mobile Number.

f) Integration with E-Biz Portal

The online facility for allotment/ registration of code number has also been integrated with the e-Biz Portal of Department of Industrial Policy and Promotion under the Ministry of Commerce for ease of doing business for facilitating employers.

क.भ.नि.सं. ने एक नई सुविधा अर्थात् शार्ट कोड एस.एम.एस. सेवा उन सदस्यों के लिए आरंभ की है जिन्होंने अपना यू.ए.एन. सक्रिय कर लिया है। सदस्य एक विशिष्ट नंबर **7738299899** पर निर्धारित फॉर्मेट में अपने पंजीकृत मोबाईल से एस.एम.एस. भेजेंगे। एस.एम.एस. का प्रारूप है <<EPFOHO UAN LAN>> LAN पंसीदीदा भाषा के प्रथम तीन अक्षर हैं। क.भ.नि.सं. यू.ए.एन., के.वाई.सी. की स्थिति आखिरी अंशदान, कुल भविष्य निधि शेष की जानकारी सदस्यों के पंजीकृत मोबाईल नं. पर भेजेगा।

ज) सदस्य खातों को अद्यतन करना

सदस्य खाते में व्याज जोड़ने के लिए एक नया तंत्र विकसित किया गया है जिससे वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 24 घंटे के भीतर सदस्य खातों को अद्यतन किया जा सके। **01.04.2015** को सभी कार्यालयों के संबंध में **15 करोड़** से अधिक सदस्य के खातों को वर्ष 2014-15 के लिए अद्यतन कर दिया गया है।

10.3 क.भ.नि.सं. विद्यमान सूचना तकनीक परिदृश्य के समेकन के लिए कार्यरत है जिसमें फील्ड कार्यालयों के **120** एप्लीकेशन डाटाबेस, बहुत से पोर्टल डाटाबेस को समेकित किया जाएगा।



g) Short Code SMS Services

EPFO has started a new facility i.e Short Code SMS services to the Member who have activated his UAN. Members from their registered mobile numbers will send an SMS in the prescribed format at a specified number **i.e. 7738299899**. The format of the SMS is **<<EPFOHO UAN LAN>>**. LAN is the first three characters of preferred language. EPFO sends the UAN, KYC status, last contribution, total PF balance details back to the members on their registered Mobile numbers.

h) Updation of Member Accounts

A new mechanism to credit the interest in members' accounts has been developed for auto-updation of members' accounts at the end of the financial year within a span of 24 hours. As on 01.04.2015, more than **15 crore accounts** of the members in respect of all the offices have been updated for the year 2014-15.

10.3 EPFO is looking forward for the **consolidation** of the existing IT landscape, whereby **120** instances of field office application database, multiple portal databases shall be consolidated.



अध्याय 11

मानव संसाधन प्रबंधन

11.1 क.भ.नि.सं. में संगठन के विशाल ढांचे तथा कार्यसीमा एवं कर्मचारियों में विविधता को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन प्रबंधन एक महत्वपूर्ण प्रभाग है। समग्रतः देखा जाए तो प्रशिक्षण, कैरियर का विकास तथा निष्पादन प्रबंध के क्षेत्र में समुचित नीतियों के माध्यम से अपने अधिकारियों और स्टाफ की क्षमताओं को निरंतर पहचानने, पोषण करने तथा प्रयोग करने के लिए माहौल सृजित करना ही क.भ.नि.सं. के "मानव संसाधन प्रबंध (मा.सं.प्र.)" स्कंध का कार्य है। मानव संसाधन को संगठन की सर्वाधिक मूल्यवान संपत्ति मानते हुए वह वर्तमान कार्य तथा योजनाओं एवं संगठन में प्रत्याशित भविष्य की भूमिका के लिए निरंतर मूल्यांकन करता है। वर्तमान में 31 मार्च, 2015 के अंत तक राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी तथा चार आ.प्र.सं. तथा 1 उप आंचलिक संस्थान सहित) मुख्यालय, 10 आंचलिक कार्यालय, 40 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 82 उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में 18,320 समर्पित कार्यबल है। इसके अतिरिक्त 121 जिला कार्यालय / सेवा केन्द्र हैं। मानव संसाधन की कार्यप्रणाली मानव शक्ति के संसाधनों के प्रबंध तथा क.भ.नि. एवं प्र.उ. अधिनियम 1952 के तहत सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने में इसका अधिकतम प्रयोग करने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करती है।

11.2 मानव संसाधन स्कंध का अपर क.भ.नि.आ. (मुख्यालय) के रूप में पदनामित संयुक्त सचिव स्तरीय अधिकारी द्वारा नेतृत्व किया जाता है। उसके प्रकाय इकाइयों में संगठित किए गए हैं ताकि विभिन्न संवर्गों का पर्यवेक्षण किया जा सके। प्रचालित मानव संसाधन स्कंध के अतिरिक्त उसके अधीन मानव संसाधन विकास, परीक्षा, प्रशिक्षण, कल्याण तथा औद्योगिक संबंध स्कंध हैं।

मानव शक्ति

11.3 दिनांक 31.03.2015 तक कर्मचारी भ.नि. संगठन के कुल 24,734 स्वीकृत मानवशक्ति के अंतर्गत अधिकारियों एवं स्टाफ की कुल वर्तमान संख्या 18,320 है।

11.4 दिनांक 31.03.2015 तक विभिन्न संवर्गों के बीच कुल स्टाफ वितरण निम्नानुसार है :-

ग्रुप ए अधिकारी		ग्रुप बी अधिकारी		ग्रुप सी कर्मचारी (पूर्व के ग्रुप डी सहित)	
स्वीकृत	वर्तमान स्थिति	स्वीकृत	वर्तमान स्थिति	स्वीकृत	वर्तमान स्थिति
1132	818	6406	4414	17196	13088

11.5 दिनांक 31.03.2015 तक ग्रुप ए, ग्रुप बी एवं ग्रुप सी के लिए पद वार स्वीकृत स्टाफ संख्या तथा ग्रुप ए, बी, सी स्टाफ / अधिकारियों के पदनाम का विस्तृत विवरण क्रमशः परिशिष्ट ए-24 (i), (ii), (iii), (vi), (vii) से (viii) पर है।

पदोन्नतियां / भर्तियां

Chapter 11

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

11.1 Human resources management is an important division in EPFO in view the large set up of the Organization and diversity in line and staff functions. The overall mandate of the "Human Resource Management (HRM)" wing of EPFO is to create a climate that can continuously identify, nurture and use the capabilities of its officers and staff through appropriate policies in the area of training, career development, and performance management. Considering human resource as the most valuable asset of the Organisation it continuously assesses present jobs and plans and provisions for expected future role in the Organisation. 18,320 dedicated work force was in position at the end of March 2015 in the Head Office (including National Training Academy and 4 Zonal Institutes and 1 Sub Zonal Institute), 10 Zonal offices, 40 Regional offices and 82 Sub-Regional Offices. In addition there are 121 District Offices/Service Centers. The HR functions are guided by various policy guidelines issued by the Department of Personnel & Training, in management of manpower resources and optimum utilization for delivery of the social security benefits under the EPF&MP Act 1952.



11.2 The Human Resource Management wing is headed by a Joint Secretary level officer, designated as Additional CPFC (HQ). Its functions are organized into units that supervise various cadres. Apart from operational Human Resources Management Wing, it has a Human Resource Development, Examination, Training, Welfare and Industrial Relations Wings

MANPOWER

11.3 The total strength of Officers and Staff in the Employees' Provident Fund Organisation as on 31.3.2015 stood at **18,320** as against the total sanctioned manpower of **24,734**.

11.4 The distribution of total staff among various cadres as on 31.03.2015 is as follows:-

Group A officers		Group B officers		Group C officials (including erstwhile Group D)	
Sanctioned	In-position	Sanctioned	In-position	Sanctioned	In-position
1132	818	6406	4414	17196	13088

11.5 The detailed post-wise sanctioned strength and in position strength for **Group A, Group B and Group C** and name of the post of the **Group A, B,C** Staff/Officers as on 31.03.2015 is at **Appendix A-24 (i), (ii), (iii), (vi) , (vii) to (viii)** respectively.

11.6 सहायक भविष्य निधि आयुक्तों के पदों की सीधी भर्ती के मामले में मानव संसाधन प्रबंध (मा.सं.प्र.) प्रभाग ने संघ लोक सेवा आयोग के साथ समन्वय किया है। यू.पी.एस.सी. द्वारा अक्टूबर 2013 में अग्रेषित 253 पदों की चयनित सूची में से 189 अभ्यर्थियों ने कार्य ग्रहण कर लिया है तथा वे विभिन्न फील्ड कार्यालयों में तैनात किए गए हैं। बाद में 19 अभ्यर्थियों ने अपना पद त्याग कर दिया। वर्ष 2014-15 के लिए अ.के.आ. (मुख्यालय), अ.के.आ. (ग्रेड-I), स.भ.नि.आ. पदों के लिए पैनल तैयार किया गया था तथा नियमित विभागीय पदोन्नति समितियों की सिफारिशों पर पदोन्नति कोटे के तहत अधिकारियों को नियमित पदोन्नतियां दी गई हैं। कार्यकारी समिति, के.न्या.बो. के अनुमोदन से अतिरिक्त पदों को सृजित करने द्वारा कोर्ट / विभागीय कार्यवाहियों आदि से दोष मुक्त हुए कुछ अधिकारियों को क्षेत्र.भ.नि.आ. ग्रेड-I एवं ग्रेड-II तथा स.भ.नि.आ. पदों में पूर्वव्यापी रूप से पदोन्नतियां दी गई हैं।

11.7 मानव संसाधन प्रभाग ने क्षेत्र.भ.नि.आ.-I, क्षेत्र.भ.नि.आ.-II, उप निदेशक (रा.भा.) तथा कनिष्ठ हिंदी अनुवादक जैसे केन्द्रीय रूप से प्रबंधित पदों की वरिष्ठता सूचियों को अंतिम रूप दिया है।

11.8 वर्ष के दौरान अ.के.आ. (सू.से.), निदेशक (सू.से.), उप निदेशक (सू.से.), सहायक निदेशक (सू.से.), सहायक अनुसंधान अधिकारी, अनुसंधान सहायक, कनिष्ठ विश्लेषक, कल्याण अधिकारी तथा ऑडिट एवं इंजीनियरिंग स्कंधों के विभिन्न पद जैसे कि मुख्य अभियंता, कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता (इलैक्ट्रिकल एवं सिविल), उप निदेशक (ऑडिट) तथा सहायक निदेशक (ऑडिट) के बाह्य संवर्ग पदों के लिए भर्ती कार्य क्रियान्वित किया गया।

11.9 वर्ष 2014-15 / 2015-16 पैनल वर्षों के लिए उत्तराखंड, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के प्रवर्तन अधिकारियों / लेखा अधिकारियों का नियमितीकरण अनुमोदित किया गया। स्टाफ के लिए परीक्षा कोटा की डी.पी.सी का अनुमोदन किया गया है। इसके अतिरिक्त गुजरात एवं मध्य प्रदेश, कर्नाटक एवं गोवा, दिल्ली एवं उत्तराखंड अंचलों के प्र.अ. / ले.अ. के लिए एम.ए.सी.पी. के लाभ का अनुमोदन किया गया है।

वरिष्ठ समय मान

11.10 दिनांक 20.03.2015 को अध्यक्ष, के.न्या.बो. द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार दिनांक 01.01.2002 से 5 वर्ष पूरा करने वाले नियमित स.भ.नि.आ. को ₹ 6600/- के ग्रेड-पे सहित वेतन बैंड ₹ 15600-39100/- का वरिष्ठ समयमान दिया गया था।

विशेष राज्य कार्यालयों का आरंभ होना

11.11 इस वर्ष में राज्य के मुख्यालय में विशेष राज्य कार्यालयों का उद्घाटन किया गया है जहां क.भ.नि.सं. अब तक अस्तित्व में नहीं था। यह कार्यालय गंगटोक, ऐजवाँल, इम्फाल, दीमापुर और ईटानगर में हैं। इन कार्यालयों का सहायक भविष्य निधि आयुक्त स्तर के एक अधिकारी द्वारा नेतृत्व किया जाएगा जो स्कैनिंग एवं संबद्ध फील्ड कार्यालयों को अग्रेषित करने द्वारा अनुपालन मॉनीटरिंग, शिकायत नियंत्रण आदि कार्यक्षेत्रों पर कार्यवाही करने को सुविधाजनक बनाएंगे।

लीज़ पर आवास

11.12 सरकार के अनुमोदन के अधीन, क.भ.नि.सं. में ग्रुप 'बी' अधिकारियों के लिए भाड़े पर आवास लेना आरंभ कर दिया गया है।

सेवा पुस्तिकाओं में आधार संख्या

PROMOTIONS/RECRUITMENTS

11.6 The Human Resource Management (HRM) Division coordinated with UPSC in the matter of direct recruitment of posts of Assistant Provident Fund Commissioners. Out of select list of 253 posts forwarded by UPSC in October 2013, 189 candidates have joined and have been posted in different field offices. Subsequently, 19 candidates have resigned. Panel for 2014-15 for the posts of ACC (HQ), ACC (Gr.I), APFC were drawn and regular promotion were given to officers under promotion quota on recommendations of regular Departmental Promotions Committees. Consequent to exoneration of a few individual officers by court/department proceedings etc. retrospective promotion in RPFC Gr.I, Gr. II and APFC were given by creating supernumerary posts with the approval of EC/CBT.

11.7 HRM division finalized the seniority lists of centrally managed posts, such as RPFC-I, RPFC-II, Deputy Director (OL) and Junior Hindi Translators.

11.8 During the year, recruitment exercise was carried out for the ex-cadre posts of ACC (IS), Director (IS), Dy. Director (IS), Assistant Director (IS), Assistant Research Officer, Research Assistant, Junior Analysts, Welfare Officer and different posts of audit and engineering wings such as Chief Engineer, Executive Engineer, Asst. Engineer, Junior Engineer (Elec. & Civil), DD (Audit) and AD (Audit).

11.9 The regularization of Enforcement Officers / Accounts Officers for Uttarakhand, Karnataka, Uttar Pradesh, and Madhya Pradesh for the panel years 2014-15/2015-16 was approved. The DPC for examination quota for staff was approved. In addition, MACP benefits were approved for EO/AO of the zones of Gujarat and Madhya Pradesh, Karnataka and Goa, Delhi and Uttarakhand..

SENIOR TIME SCALE

11.10 Senior Time Scale of PB 3 ₹ 15600-39100/- Grade Pay of ₹ 6600/- to regular APFCs after completion of 5 years w.e.f. 01.01.2002 as per approval given by the Chairman, CBT on 20.03.2015 was given.

OPENING OF SPECIAL STATE OFFICES

11.11 This year saw Opening of Special State Offices at state Headquarters where EPFO had no physical footprint. These offices would be in Gangtok, Aizwal, Imphal, Dimapur and Itanagar. The offices will be headed by an officer of the level of Assistant Provident Fund Commissioner APFC who would facilitate the work areas of compliance monitoring, grievance handling, claim processing by way of physical scanning & forwarding to concerned field offices.

LEASED ACCOMMODATION

11.12 Hiring of accommodation for group B officials in EPFO subject to the approval of the Government was taken up.

11.13 डी.ओ.पी.टी. (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के अनुदेशों के अनुसार कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं एवं अधिकारियों तथा स्टाफ पेंशनरों के रिकॉर्ड में आधार संख्या को समाविष्ट करने का कार्य क्रियान्वित किया गया।

आरक्षण नीतियों का कार्यान्वयन

11.14 मुख्य संपर्क अधिकारी (सी.एल.ओ.) के रूप में क्षे.भ.नि.आ. ग्रेड-1 द्वारा नेतृत्व किया जाने वाला एक विशेष एकक जो क.भ.नि.सं. के मुख्यालय में गठित है ने यह सुनिश्चित किया है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित समय-समय पर जारी आरक्षण के आदेशों का विधिवत् अनुपालन तथा इन संवर्गों के कर्मचारियों की शिकायतों का निपटान हो। यह उनके संबंध में सांख्यिकीय डाटा की छानबीन करके उसे समेकित भी करता है। मुख्य संपर्क अधिकारी की सहायता के लिए संपर्क अधिकारी, अनुभाग अधिकारी एवं दो सहायक हैं। इसके अतिरिक्त एक संपर्क अधिकारी को प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में नामांकित किया गया है।

11.15 सी.एल.ओ. क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले आरक्षण रोस्टर / रजिस्ट्रों के निरीक्षण करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय का दौरा करते हैं। उसी प्रकार सम्पर्क अधिकारी आवधिक के रूप में क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण करते हैं तथा आरक्षण रोस्टर / रजिस्ट्रों की जांच करते हैं। निरीक्षण के समय आरक्षित श्रेणियों में कमियां / बैकलॉग रिक्तियों सहित आरक्षण आदेशों के समुचित क्रियान्वयन के संबंध में यदि कोई त्रुटि पाई गई है तो सम्बद्ध कार्यालयों द्वारा इसका सुधार करने के लिए निरीक्षण रिपोर्ट में इसे रिकार्ड कर लिया जाता है। सी.एल.ओ. की सिफारिशों पर तुरंत ध्यान दिया जाता है तथा स्पष्टीकरण दिया जाता है।

11.16 वित्तीय वर्ष 2014-2015 में विशेष सेल को अलग-अलग अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों या उनकी एसोसिएशनों से 17 शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें 12 का उत्तर दिया गया है या समाधान किया गया तथा शेष 5 को अंतिम रूप देने के लिए निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

11.17 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए सी.एल.ओ. के अलावा अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों के हितों की रक्षा के लिए अलग से संपर्क अधिकारियों को मुख्यालय और देशभर के 40 क्षेत्रीय कार्यालयों में नियुक्त किया गया है। इस संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए संसदीय समिति ने कल्याण प्रावधानों की समीक्षा भी की।

मानव संसाधन विकास (मा.सं.वि.)

11.18 मानव संसाधन विकास प्रभाग, मानव संसाधन प्रबंध का ही एक नीति, योजना और प्रबंधन विंग है। उसकी निर्दिष्ट जिम्मेदारियों में, मानव शक्ति का सृजन, भर्ती नियमों का आलेखन एवं संशोधन, यदि आवश्यक हो तो डी.ओ.पी.टी. के साथ समन्वय में सेवा मामलों पर स्पष्टीकरण जारी करना है। यह कैडर समीक्षा, कैडर पुनर्संरचना, प्रशिक्षण एवं विकास तथा प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन को भी संभालता है। मौटे तौर पर इस प्रभाग का कार्य ऐसे माहौल का सृजन करना है कि प्रशिक्षण, कैरियर विकास और निष्पादन प्रबंधन के क्षेत्र में समुचित नीतियों के माध्यम से अधिकारियों तथा स्टाफ की क्षमताओं की निरंतर पहचान, पोषण एवं प्रयोग होता रहे।

11.19 प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान निम्नलिखित पद सृजित किए गए थे। विशेष राज्य कार्यालयों के मैनिंग के लिए (गंगटोक, ऐजवाँल, इम्फाल, दीमापुर तथा ईटानगर प्रत्येक के लिए एक) स.भ.नि.आ. के 5 पद तथा सामाजिक सुरक्षा सहायक का 01 पद सृजित किए गए। आशुलिपिक / निजी सहायक / निजी सचिव संवर्गों में 75 पद, ग्रुप बी में 45 पद तथा ग्रुप सी में 30 पद आबंटित किए गए थे।

AADHAAR NUMBER IN SERVICE BOOKS

11.13 Inclusion of Aadhaar numbers in Service Book of employees and the records of Officers and staff pensioners as per the instructions of DOPT was carried out.

IMPLEMENTATION OF RESERVATION POLICIES

11.14 A Special Cell headed by RPFC Gr. I as Chief Liaison Officer (CLO) set up at Head Office of the EPF Organisation ensured due compliance of the orders of reservation issued from time to time pertaining to SCs and STs and disposed grievances of the employees of these categories. It also scrutinized and consolidated the statistical data in respect of them. The Chief Liaison Officer is assisted by Liaison officer, Section Officer and two assistants. Further, 01 Liaison Officer has been nominated in each of the Regional offices.

11.15 The CLO also undertakes visits to the Regional Offices to inspect the Reservation rosters /Registers maintained by them. Similarly, Liaison officers of the Regional Offices periodically inspect and scrutinize the reservation rosters/registers. The lapses if any noticed at the time of inspection with regard to proper implementation of the reservation orders, including shortfall/backlog vacancies of reserved categories are recorded in the inspection report for rectification of the same by the concerned offices. The recommendations of the CLO are promptly attended to and clarified.

11.16 Special Cell has received 17 grievances from individual SC/ST employees or their Associations in the financial year 2014-2015. Out of which 12 have been replied or redressed and remaining 5 are being continuously pursued for finalization.

11.17 In addition to CLO for SC/ST, separate Liaison Officers for protecting the interest of Officials of OBC category has been appointed in Head Office and in 40 Regional Offices across the country. A Parliamentary Committee for welfare of OBC has also reviewed the welfare provisions in this regard.

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT (HRD)

11.18 The Human Resource Division is a policy, planning and management wing of Human Resource Management. Its specific responsibilities include creation of manpower, drafting and amendment of Recruitment Rules, issuing clarifications on service matters, and in coordination with DoPT if required. It also deals with Cadre Review, Cadre Restructuring, Training & Development and Delegation of Administrative and Financial Powers. The desk's broader mandate is to create a climate that can continuously identify, nurture and use the capabilities of officers and staff through appropriate policies in the area of training, career development, and performance management.

11.19 During the financial year 2014-15, following positions were created to meet the administrative needs. 5 posts of APFCs (01 each of Gangtok, Aizwal, Imphal, Dimapur and Itanagar) and 01 SSA for each of these offices were created for manning Special State Offices. 75 posts in Steno/PA/PS cadres, 45 posts in Group B and 30 posts in Group C were allocated.

11.20 क.भ.नि.सं. में कैडर पुनर्संरचना का विस्तृत अभ्यास शुरू करने के लिए एक शासनादेश के साथ राज्य श्रम मंत्री (श्रम एवं रोजगार) स्वतंत्र प्रभार तथा अध्यक्ष, के.न्या.बो. ने अपर सचिव (श्रम एवं रोजगार), केंद्रीय भ.नि. आयुक्त, अपर केंद्रीय भ.नि. आयुक्त ग्रेड-1 एवं निदेशक (सू.से.) से युक्त एक उच्च स्तरीय समिति को गठित किया है।

11.21 वर्ष के दौरान अधिकारियों के आवधिक स्थानान्तरण को शासित करने वाली एक स्थानान्तरण नीति तैयार कर ली गई है तथा समुचित / उपयुक्त अनुमोदनार्थ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को अग्रपिछ की गई है।

11.22 लगातार मानव संसाधन क्षमता को बढ़ाने के क्रम में व्यावसायिक अपेक्षाओं के अनुसार संबद्ध क्षेत्रों में अधिकारियों को विदेशी प्रशिक्षण / अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार तथा कार्यशालाओं में भेजा गया।

परीक्षा अनुभाग

11.23 परीक्षा अनुभाग भर्ती नियमों के अनुसार परीक्षा कोटा के अंतर्गत विभिन्न संवर्गों में रिक्तियों को भरने के लिए पदोन्नतियों की विभागीय परीक्षाएं आयोजित करता है। यह विंग सहायक भविष्य निधि आयुक्त और प्रवर्तन अधिकारी / लेखा अधिकारियों के संवर्ग में सीधी भर्ती वाले अभ्यर्थियों के लिए भी परीक्षा परीक्षा आयोजित करता है। वर्ष 2014-15 के दौरान आयोजित परीक्षाएं / अनुवर्ती कार्रवाई के विवरण **परिशिष्ट ए-24(v)** में दिए गए हैं।

11.24 एस.एस.ए की सीधी भर्ती से तथा प्र.अ./ले.अ. एवं हिंदी अनुवादकों के लिए आयोजित परीक्षाओं के घोषित परिणाम से जो मुद्दे उठे थे उनका स्पष्टीकरण देकर हल कर दिया गया है।

11.25 उपर्युक्त के अलावा, विभिन्न संवर्गों में विभागीय परीक्षाओं के साथ-साथ सीधी भर्ती के लिए नई परीक्षा योजना तैयार करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है।

हिंदी का प्रगामी प्रयोग

11.26 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन राजभाषा हिंदी का प्रचार रों स्तप्रसार सुनिश्चित करने तथा विभिन्न-पर इसका प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। समीक्षाधीन वर्ष में भी राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग में संपूर्ण रूप से वृद्धि हुई है, जैसा कि निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट है :

- संगठन में क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। इन कार्यालयों में समितियों की **267** तिमाही बैठकों का आयोजन किया गया। सभी क्षेत्रीय / उप क्षेत्रीय / आंचलिक कार्यालयों तथा प्रशिक्षण संस्थान में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों ने प्रत्येक कार्यक्षेत्र में अधिकारिक वार्तालाप में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं।
- वर्ष के दौरान, मुख्यालय द्वारा क्षेत्रीय / उप क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त **208** तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा की गई तथा कार्य की गुणवत्ता के आधार पर 'सर्वश्रेष्ठ', 'बहुत अच्छा', 'संतोषजनक' तथा 'खेदजनक' ग्रेडिंग प्रदान की गई।
- वर्ष के दौरान, विभिन्न कार्यालयों में हिंदी के प्रसार हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए **263** कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में **2832** अधिकारियों एवं स्टाफ सदस्यों को अपने कार्यालयीन कार्य में हिंदी का व्यावहारिक प्रयोग करने के लिए अपने ज्ञान तथा कौशल में सुधार का अवसर प्राप्त हुआ।

11.20 The Minister of State (Labour & Employment) Independent Charge and Chairman CBT has constituted a high level committee comprising Addl. Secretary (L&E), the CPFC, Addl. Central P.F. Commissioner Gr. I and the Director (SS) with a mandate to undertake an elaborate exercise for cadre restructuring in EPFO.

11.21 During the year, a transfer policy governing periodical transfers of officers was formulated and forwarded to Ministry of Labour & Employment for appropriate approval.

11.22 In order to continuously enhance the Human Resource capacity, in relevant areas, officers were sent to foreign training/international seminars and workshops in accordance to the business needs.

EXAMINATION SECTION

11.23 The Examination wing conducts Departmental Examinations for promotions in various cadres for filling up vacancies against examination quota as laid down in the Recruitment Rules. The wing also conducts Probationary Examination for Direct Recruits in the cadre of Assistant Provident Fund Commissioners and Enforcement Officer/ Accounts Officers. The details of Examination held/follow- up action taken during the year 2014-15 is given at **Appendix A- 24 (v)**.

11.24 Issues arising out of direct recruitment of SSAs and those resulting from examinations conducted/ results declared for EO/AO and Hindi Translators were clarified and sorted out.

11.25 Apart from above, action has been initiated for preparing New Examination Scheme for Departmental Examinations as well as for Direct Recruitment in various cadres.

PROGRESSIVE USE OF HINDI

11.26 EPFO is committed towards ensuring propagation and expansion of the official language i.e. Hindi and its increasing use at various levels. The year witnessed an overall increase in the progressive use of the official language, as is evident from the following:

- Official Language Implementation Committees (OLIC) constituted in all Regional/Sub-Regional/Zonal offices and training institution of the organization took steps for increasing the use of Hindi in official communications every quarter. **267 quarterly meetings** of the Committees were conducted in these offices.
- During the year **208 Quarterly progress reports** were received from different offices. After detailed review, they were rated in categories of **outstanding, very good, satisfactory and poor**.
- **263 Hindi workshops** were organized at all India level to make the staff of Regional/Sub-Regional offices familiar with the official language. **2832 officers and staff** members got the opportunity to improve the knowledge and skill of Hindi in their official work.

- 'विभागीय हिंदी प्रयोग नकद पुरस्कार प्रोत्साहन योजना' के अंतर्गत उन कर्मचारियों एवं स्टाफ सदस्यों को ने कार्यालयीन काने अपर प्रदान किया गया जिन्होंने नकद पुरस्कार ₹ -/10000 का 75% तथा (ख क्षेत्र में) 50% कार्य हिंदी में किया (ग क्षेत्र) है।
- राजभाषा विभाग के निर्देशों के अनुसार सभी क्षेत्र. / उ.क्षेत्र. तथा मुख्यालय न.रा.का.स. (नराकास) के सक्रिय सदस्य हैं तथा उसकी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। वर्ष के दौरान अपने कार्यालय में हिन्दी के प्रयोग के लिए न.रा.का.स. द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय मंगलौर, तिरुवनंतपुरम एवं देहरादून को क्रमशः II, III एवं III पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।
- स्टाफ द्वारा उपयोग करने के लिए प्रत्येक कार्यालय में एक पुस्तकालय है। पुस्तकों की खरीद के लिए खर्च की गई कुल राशि में से 50% की राशि हिंदी पुस्तकों की खरीद के लिए खर्च की जाती है। वर्ष के दौरान हिंदी पुस्तकों की खरीद के लिए खर्च की गई कुल राशि ₹ 4,79,439/- थी।
- हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन विभिन्न इकाइयों द्वारा पत्रिकाओं का प्रकाशन करने से राजभाषा के प्रयोग में समग्र वृद्धि हो रही है जो कि काफी प्रोत्साहित कर रही है। वर्ष के दौरान 32 क्षेत्रीय कार्यालयों ने हिंदी गृह पत्रिकाएं प्रकाशित की हैं। इन पत्रिकाओं में अखिल भारतीय स्तर पर क, ख एवं ग क्षेत्रों में से अलग से दो उत्तम पत्रिकाओं को चुना गया है और प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी दी गई थी। एक शील्ड एवं प्रमाणपत्र के साथ उनके प्रयासों को मान्यता दी गई है। तदनुसार निम्नलिखित पत्रिकाओं को सम्मानित किया गया था :

क्षेत्र	पत्रिका	क्षेत्रीय कार्यालय	पुरस्कार
क	हिम शिखर	शिमला	प्रथम
	गुरुग्राम	गुडगाँव	द्वितीय
ख	तासी धारा	सूरत	प्रथम
	भविष्यदीप	बांद्रा	द्वितीय
ग	सरसवाणी	गुंटूर	प्रथम
	मलयनिधि	तिरुवनंतपुरम	द्वितीय

- भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार सितंबर माह में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। सभी कार्यालयों ने हिंदी पखवाड़ा मनाया। जिसके दौरान 587 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कुल 2198 प्रतिभाशाली अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने नकद पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र प्राप्त किए। प्रतियोगिताओं के आयोजन में ₹ 15, 10,263/- की राशि खर्च की गई।
- क.भ.नि.सं. में राजभाषा में की गई प्रगति की समीक्षा करने के लिए दिनांक 21 जनवरी 2015 को संसदीय राजभाषा समिति ने क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुवनंतपुरम का निरीक्षण किया है।

- The officials who worked 75% (B region) and 50% (C region) in Hindi, have been granted cash award of ₹ 1000/- under the **"Vibhagiya Hindi Prayog Nakad Puraskar Protsahan Yojana "**
- As per the directions of the Dept. of Official Language, all the R.O.'s/S.R.O.'s and Head Office are active members of TOLIC and actively participate in its activities. During the year **Regional Offices of Mangalore, Thiruvananthapuram & Deharadun were awarded II, III & III Prizes respectively by TOLIC** for the use of Hindi in their offices.
- Each office of EPFO has a library for use by the staff. Out of the total amount spent for purchase of books 50% of the amount is spent for purchasing Hindi books. During the year total amount spent to purchase of **Hindi books was ₹ 4, 79,439/-** .
- **Publication of Hindi magazines** by different units that brings out overall progress in spread of the use of official language is encouraging. During the year **32 Regional Offices** published in-house Hindi magazines. Out of these magazines **two best magazines at all India level were selected from A, B and C regions and were ranked 1st and 2nd. Their efforts were recognized with a shield and certificate.** Following magazines were accordingly awarded :

Region	Magazine	Regional Office	Prize
A	Himshikhar	Shimla	First
	Gurugram	Gurgaon	Second
B	Tapti Dhara	Surat	First
	Bhavishyadeep	Bandra	Second
C	Sarsvaani	Guntur	First
	Malaynidhi	Thiruvananthapuram	Second

- **EPFO organized Hindi fortnight** in the month of September as per Government of India instructions. All the offices observed Hindi fortnight in which **587 competitive events** were organized. **2198** officers and officials won prizes. **An amount of ₹ 15, 10,263/-** was spent on prize distribution on this occasion.
- To review the progress made in official language in EPFO, the **parliamentary committee on official language visited Regional Office Thiruvananthapuram on 21st Jan, 2015.**

- प्रचार अनुभाग ने नियमित प्रेस विज्ञप्तियों द्वारा हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाना जारी रखा। मंत्रालय को ई-मेल के माध्यम से हिन्दी में महत्वपूर्ण सूचना भेजी गई है। सभी निविदा सूचनाएं तथा संसदीय प्रश्नों के उत्तर द्विभाषी में भेजे गए हैं।
- 16 राष्ट्रों के साथ द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा करार करने के परिणामस्वरूप सदस्य स्थापनाओं द्वारा प्रयोग के लिए निर्धारित फॉर्म त्रिभाषीय रूप में यानी कि उक्त देश की भाषा, अंग्रेजी एवं हिंदी में तैयार किए गए हैं।
- क.भ.नि.सं. वेबसाइट www.epfindia.gov.in द्विभाषी है। सभी मैनुअल, प्रक्रियात्मक साहित्य द्विभाषी रूप में तैयार किया गया है और वेब पर दर्शाया जा रहा है। कार्यालय के परिपत्र / आदेश / स्थानांतरण / तैनाती आदेश यथाशीघ्र हिंदी में तैयार किए जा रहे हैं और वेब पर अपलोड किए जा रहे हैं।
- एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को द्विभाषी बनाने का कार्य, जिसके माध्यम से सभी क्षेत्रीय कार्यालय / उप क्षेत्रीय कार्यालय अपने सदस्यों एवं प्रतिष्ठानों के साथ कार्यात्मक व्यवहार करते हैं, अब अंतिम चरण में है।

क.नि.भ.स्टाफ पेंशनभोक्ता

11.27 दिनांक 31.03.2015 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कुल पेंशनभोक्ताओं की संख्या **8924** हैं। इनमें से **6767** सेवानिवृत्त पेंशनभोक्ता हैं तथा **2157** परिवार पेंशनभोक्ता हैं। विशेष रूप से पेंशनभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु नोडल अधिकारियों को नामित किया गया था। स्टाफ पेंशनभोक्ता एवं परिवार पेंशनभोक्ता की कुल संख्या (क्षेत्र-वार) के विवरण **परिशिष्ट ए-24 (iv)** पर दिया गया है।



स्टाफ कल्याण गतिविधियां

11.28 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने मानव संसाधन को मूल्यवान मानता है तथा यह विश्वास करता है कि केवल एक संतुष्ट कार्यशक्ति ही संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकती है। इसी दर्शन के अनुरूप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए बहुत सी कल्याण गतिविधियों की शुरुआत की गई है। खेलकूद गतिविधियां, मनोरंजन कल्याण केन्द्र, हाली डे होम, मृत्यु राहत, छात्रवृत्ति तथा दीर्घकालिक बीमारी के लिए वित्तीय सहायता आदि जैसे कल्याण उपायों के विवरण निम्नलिखित है :

खेलकूद की गतिविधियां

11.29 वर्ष 2014-15 के खेल कैलेंडर दिनांक 05.05.2014 को सभी कार्यालयों में क्रियान्वयन हेतु परिचालित किया गया।

11.30 खेल के कैलेंडर में निर्धारित सभी खेलकूद गतिविधियां समय पर आयोजित एवं पूरी की गईं। आयोजित खेलकूद गतिविधियों का विवरण निम्न प्रकार है :

इवेंट	आयोजक	विजेता	उप विजेता
क्रिकेट	विशाखापत्तनम	महाराष्ट्र	दिल्ली (उत्तर)
फुटबॉल	बंगलौर	दक्षिण अंचल	पश्चिमी अंचल

- Use of Hindi by Publicity section in regular press releases continued to be encouraged. Important information to Ministry in was sent in Hindi through emails. All tender notices, answers to parliamentary questions were sent bilingually.
- Consequent to the **bilateral Social Security agreements** with **16 countries**, forms **prescribed for use by the member establishments were prepared in trilingual form**, i.e. the country's native language, English and Hindi.
- E.P.F.O. website www.epfindia.gov.in was made bilingual. All manuals and procedural literature has been prepared in bilingual form and displayed on the web, Circulars/Office Orders/Transfer/Posting Orders of the office are prepared in Hindi at the earliest and uploaded on the web.
- The work of making application software bilingual through which all the regional offices/sub regional offices do functional transactions with their members and establishments is in its final stage.

EPF STAFF PENSIONERS

11.27 The total number of pensioners of EPFO as on 31.03.2015 stood at **8924**. Out of this, **6767** are pensioners and **2157** are family pensioners. Nodal Officers have been designated for redressing the grievances of the pensioners in particular. The details of total number of Staff pensioner and Family pensioner (Region-wise) is provided at **Appendix A-24 (iv)**.

STAFF WELFARE ACTIVITIES

11.28 EPFO values its human resource and believes that only a satisfied workforce can achieve the organizational mission. In line with this philosophy, EPFO has introduced a number of welfare activities for its employees. Some of the important welfare measures included sports activities, welfare recreation centers, holiday home, death relief, scholarships and financial assistance for prolonged illness etc. as detailed below:

SPORTS ACTIVITIES

11.29 The Sports calendar for the year 2014-15 was circulated to all the Offices for implementation on 05-05-2014.

11.30 All the scheduled sports activities were conducted and completed in time as per the sports calendar. The details of sports activities that were organized during are below:

Event	Host	Winner	Runner up
Cricket	Vishakhapatnam	Maharashtra	Delhi North
Football	Bangaluru	South Zone	West Zone

11.31 वर्ष 2014-15 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि केन्द्रीय खेल संवर्द्धन बोर्ड को खेलकूद गतिविधियों के लिए ₹ 2 करोड़ की राशि उपलब्ध करवाई गई थी। तथापि, वास्तविक आवश्यकतानुसार ₹ 70 लाख (सत्तर लाख रुपये मात्र) की निकासी की गई। इसमें से सभी क्षेत्रीय खेल संवर्द्धन बोर्डों को खेलकूद गतिविधियां आयोजित करने तथा आंचलिक स्तर पर अंतिम इवेंट में प्रतिभागिता हेतु ₹ 63, 59,627/- की राशि वितरित की गई। वर्ष 2014-15 के दौरान सभी निर्धारित खेल इवेंट्स सफलतापूर्वक आयोजित किए गए।

स्टाफ कल्याण

11.32 दिनांक वीं बैठक में 121 को आयोजित अपनी 29.12.1989, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के स्टाफ सदस्यों को सुरक्षा णकल्या-सह-कवर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कण निधि के फ कल्यास्टा .नि.भ. 201 कृति प्रदान की। वर्षगठन को स्वी41-5 के लिए कल्याण गतिविधियों के लिए कुल बजट ₹ 10 करोड़ है। इनमें से वर्ष 20131-4 के लिए निम्नलिखित गतिविधियों के लिए ₹ 9,87,60,514/- की राशि विभिन्न क्षेत्रीय स्टाफ कल्याण समितियों को आबंटित की गई।

- **स्टाफ मनोरंजन क्लब:** वर्ष 2014-15 के दौरान विभिन्न कार्यालयों के स्टाफ मनोरंजन क्ल 5 बों को साज-सामान, फर्नीचर, लाइब्रेरी पुस्तकों की खरीद, भ्रमण तथा नए कार्यालयों में मनोरंजन क्लब स्थापित करने हेतु ₹ 15,10,000 / - की राशि वितरित की गई।
- **कैंटीन :** विभिन्न क्षेत्रीय तथा उप क्षेत्रीय कार्यालयों में कैंटीन शीर्ष के अंतर्गत ₹ 47, 85,000/- की राशि वितरित की गई। यह खर्च क्षेत्रीय कार्यालयों की स्टाफ संख्या के आधार पर कैंटीन की श्रेणी अर्थात 'क' 'ख', 'ग' तथा 'घ' श्रेणी पर आधारित है।
- **छात्रवृत्ति एवं बुक अवार्ड** –कर्मचारियों के बच्चों को बारहवीं कक्षा में 80% अंक प्राप्त करने पर पढ़ाई जारी रखने के लिए ₹ 7200प्रतिवर्ष -/ की दर से ₹ 97, 51,400/- की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। तथापि, कर्मचारियों के बच्चों को दसवीं व बारहवीं कक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने ₹ 1800 -/ की दर पर बुक अवार्ड प्रदान किए गए।
- **हॉलीडे होम – हाउसगेस्ट /शिमला (हिमाचल प्रदेश), पुरी (उड़ीसा), पणजी कुमारी तथा कन्या (गोवा)** स्थित हालीडे होम के रखरखाव के लिए (तमिलनाडु) ₹ 52, 92,614/- की राशि खर्च की गई।
- **मृत्यु राहत निधि :** कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के संबंध में सहज मृत्यु की स्थिति में ₹ 2.50 लाख और दुर्घटना / कैंसर / दिल का दौरा तथा मस्तिष्क रक्त स्राव के कारण मृत्यु होती है तो उसके परिवार के सदस्यों को मृत्यु राहत निधि के रूप में ₹ 3.00 लाख दिए गए। क्षेत्रीय स्टाफ कल्याण समितियों को मृत्यु राहत निधि के रूप में वर्ष 2014-15 में ₹ 3, 88, 50,000/- करोड़ दिए गए हैं।
- **अन्य गतिविधियां :** लंबी बीमारी से ग्रस्त स्टाफ उनके परिवार के सदस्यों की सहायता के लिए ₹ 3, 85,71,500/- खर्च किए गए।

11.33 स्टाफ कल्याण निधि समितियों द्वारा वित्तीय सहायता

- सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए विदाई अनुदान प्रति सेवानिवृत्त कर्मचारी ₹ 10,000/- निर्धारित किया गया है।

11.31 An amount of ₹ 2 crore was provided to EPF Central Sports Promotion Board for the Sports Activities for the year 2014-15. However, as per actual requirement, an amount of ₹ 70 lac was physically withdrawn. Out of this, a sum of ₹ 63, 59,627/- has been distributed to the all Regional Sports Promotion Boards to conduct sports activities and for participation in Zonal and Final events. All Scheduled sports events were conducted during the year 2014-15 in a successful manner.

STAFF WELFARE

11.32 The Central Board in its 121st meeting held on 29.12.1989 approved setting up of an EPF Staff Welfare Fund with an objective to provide security-cum-welfare cover to all the staff members. The total budget for the year 2014-15 for welfare activities was ₹ 10 crore.

Out of this, an amount of ₹ 9,87,60,514/- was allotted to different Regional Staff Welfare Committees for the following activities.

- **Staff Recreation Club :** During the year 2014 -15 an amount of ₹15,10,000/- was spent on Staff Recreation Club for purchase of equipments/ furniture /library books/ excursion trips and setting up of recreation clubs in newly opened Offices.
- **Canteen:** An expenditure of ₹47, 85,000/- was incurred under Canteen Head in various Regional and Sub-Regional Offices. The expenditure is based on the category of Canteen viz. from 'A' Category to 'D' Category depending on the staff strength of the Regional Offices.
- **Scholarship & Book Award:** Scholarship was given to the tune of ₹97, 51,400/- to the ward of employees for the continuance of their studies who secured 80% marks in Class XII @ ₹7,200/- per year. Book Awards @ ₹1,800/- were given to the wards of the employees who secured more than 80% marks in class X and XII.
- **Holiday Home/Guest House:** A sum of ₹52, 92,614/- was spent to meet the expenditure on maintaining the holiday homes at Shimla (Himachal Pradesh), Puri (Orissa), Panaji (Goa) and Kanyakumari (Tamilnadu).
- **Death Relief Fund:** Death Relief Fund is paid to the family members of employees of EPFO @ ₹2.50 Lakh in the event of natural death and ₹3.00 Lakh in case of accidents/Cancer/Heart attack and Brain Hemorrhage death on this account. An amount of ₹3, 88, 50,000/- was disbursed to the Regional Staff Welfare Committees towards Death Relief Fund in the year 2014-15.
- **Other Activities:** A sum of ₹ 3, 85,71,500/- was spent for providing financial assistance to the employees/family members towards prolonged illness.

11.33 Financial Assistance given out of Staff Welfare Fund Committees.

- Farewell grant to the retiring Officials which was fixed at ₹ 10,000/- per retiring employee remained unchanged.

- 50-55 वर्ष के बीच आयुवर्ग में वर्ष में दो बार 55-60 वर्ष के बीच आयुवर्ग में वर्ष में एक बार चिकित्सा जांच की सुविधाएं प्राप्त की जाना रखी गई है। कर्मचारियों तथा उनके पति / पत्नीक द्वारा ₹ 2000/- प्रति पुरुष कर्मचारी तथा ₹ 2200 / - प्रति स्त्री कर्मचारी इसके विपरीत के लिए अधिकतम सीमा निर्धारित की गई हैं।

विशेष उपलब्धि

11.34 केन्द्रीय स्टाफ कल्याण समिति मानवतावादी कार्यों के लिए बनी है तथा जम्मू एवं कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों के लिए इसने तत्काल मदद प्रदान की है। ₹ 68,83,551 /- की राशि प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए दान में दी गई है। इसे बाद में अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक अंशदान के रूप में पुन प्राप्त कर लिया गया।

भौतिक सुविधा प्रभाग (कार्यालय आवास)

11.35 40 क्षेत्रीय कार्यालय (क्षे.का.) तथा 82 उप-क्षेत्रीय कार्यालय (उ.क्षे.का.) में से 04 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 45 उप-क्षेत्रीय कार्यालय किराये के भवन / परिसर में कार्य कर रहे हैं तथा मुख्यालय एवं राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान अकादमी (नाटरस) सहित शेष सभी संगठन के स्वामित्व वाले भवन हैं। क.भ.नि.सं. के पास 42 स्थानों पर स्वयं के आवासीय स्टाफ क्वार्टर हैं।

11.36 भौतिक सुविधा प्रभाग स्व-स्वामित्व वाले भवनों में पूंजीगत कार्यों की देख-रेख करता है। वह किराए के परिसर के प्रस्तावों का जांच भी करता है। वर्ष 2014-15 के दौरान उ.क्षे.का., वेल्लोर तथा उ.क्षे.का., रोहतक के कार्यालय भवनों का निर्माण कार्य पूरा हुआ। उ.क्षे.का., उदयपुर और कोच्चि में अतिरिक्त मंजिल बनाने का कार्य वर्ष के दौरान आगे बढ़ा है। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान सी.पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से कार्यालय भवन के निर्माण के प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया गया। राजमुंद्री, रायचूर, बंगलौर, जालंधर एवं जमशेदपुर के कार्यालय भवनों के संबंध में आकलन भी अनुमोदित किए गए।

11.37 पूंजीगत व्यय के प्रस्तावों की जांच करने में कार्यकारी समिति की सहायता करने के लिए भवन एवं निर्माण उप समिति गठित की गई थी। इस समिति के कार्य निम्न प्रकार हैं :-

- (i) कार्यकारी समिति के.न्या.बो. को भेजने के लिए भूमि को प्राप्त करने / खरीदने और भवन / निर्माण के प्रस्ताव की जांच करना।
- (ii) केंद्र या राज्य / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से उनके माध्यम से भूमि / भवन / निर्माण को प्राप्त करने के प्रस्ताव के अतिरिक्त तकनीकी व्यवहार्यता, वित्तीय क्षमता तथा आरेख आदि के सहित भूमि / भवन / निर्माण को प्राप्त करने के प्रस्ताव जिस पर कार्यकारी समिति का विचार करने की आवश्यकता है, की जांच करना।

11.38 वर्ष 2014-15 के दौरान भवन एवं निर्माण उप समिति की पांच बैठकें दिनांक 24.06.2014, 25.08.2014, 30.10.2014, 15.12.2014 एवं 10.02.2015 को आयोजित की गई थी। वर्ष के दौरान आकलन या नई निर्माण परियोजनाओं को अनुमोदित करने के अतिरिक्त उचित भौतिक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए बिजली, लिफ्टों की स्थापना, अग्निशमन यंत्र, विशेष मरम्मतों से संबंधित प्रस्तावों का अनुमोदन भी किया गया है।

- Medical Health checkup facilities continued to be availed by the employees and spouse twice in the age group between 50-55 years and once every year in the age group of 55-60 years. Maximum ceiling of ₹ 2000/- per male employee/spouse of female employee and to ₹ 2200/- for female employee/spouse of male employees was fixed.

SPECIAL ACHIEVEMENT

11.34 The Central Staff Welfare Committee stood for the humanitarian cause and rendered immediate help to Jammu and Kashmir flood victims. An amount of ₹ **68,83,551/-** was donated to Prime Minister's Relief Fund. This was later recouped by way of voluntary contribution by the officers and employees.

PHYSICAL FACILITY DIVISION (OFFICE ACCOMMODATION)

11.35 Out of **40** Regional Offices (RO) and **82** Sub-Regional Offices (SRO), **04** ROs and **45** SROs function from rental premises and the rest are Organisation owned buildings including Head Office and the National Academy for Training and Research in Social Security (NATRSS). EPFO also has its own residential staff quarters at **42** locations.

11.36 The Physical Facility Division looks after the capital works in all self- owned buildings. It also examines the proposals for rented premises. During the year 2014-15 the construction of office building of SRO, Vellore and SRO, Rohtak was completed. The vertical extension of SRO, Udaipur and Kochi progressed during the year. Further, during the year the proposal for construction of office building through CPWD were also approved. The estimates in respect of office buildings at Rajahmundry, Raichur, Bangalore, Jalandhar & Jamshedpur have been approved.

11.37 For assisting the Executive Committee in examination of proposal of capital expenditures, the Sub Committee on Building & Construction is constituted. The committees have the following functions:-

- To examine the proposal for acquiring/purchase of land and building/ construction referred to the Executive Committee, CBT.
- To examine the proposal for acquiring land/ building/ construction including its technical feasibility, financial viability and drawings etc. which require consideration of the Executive Committee, other than those proposal involving acquiring of land/building/construction from or through the Central or State/Public Sector Undertakings.

11.38 During the year 2014-15 five meetings of the Sub Committee on Building & Construction were held on 24.06.2014, 25.08.2014, 30.10.2014, 15.12.2014 & 10.02.2015. Apart from approving estimates or new construction projects during the year proposals related to electrification, installation of lifts, firefighting, special repair etc. were also approved to ensure proper physical facilities.

बजट

11.39 वर्ष 2014-15 के लिए संशोधित आकलन में मुख्यालय के केन्द्रीय पूल में रखी गई राशि सहित पूंजीगत व्यय के अंतर्गत ₹ 246.07 करोड़ का बजट था। वर्ष 2015-16 के लिए बजट आकलन ₹ 305.06 करोड़ रुपए है।

प्रशासनिक सतर्कता (ए.वी.एस.) विंग

11.40 वे खामियां जो सतर्कता कोण से जुड़ी न होकर प्रशासनिक प्रकृति की हैं उनसे निपटने के लिए एवीएस अनुभाग को दिनांक 29 सितंबर, 2011 में सृजित किया गया।

- i. वर्ष 2014-15 के दौरान प्रशासनिक सतर्कता अनुभाग ने ग्रुप ए अधिकारियों के संबंध में लगभग 634 वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न रिकार्ड / स्कैन / सूचीबद्ध किए। सी.सी.एस. (आचरण) नियम के नियम 18(2) एवं (3) के तहत लेन-देन की सूचना / स्वीकृति के लिए प्राप्त 76 आवेदनों से 23 अनुरोधों को नोट कर लिया गया है और शेष सूचना / अनुमति आवेदनों के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण दस्तावेज मांगे गए हैं।
- ii. वर्ष 2014-15 के दौरान विभिन्न प्रकृतिवाली 410 (लगभग) शिकायतें प्राप्त हुई थीं। 2013-14 के अंत तक, अंतिम निपटान के लिए 35 शिकायतें लंबित थीं। अतः 445 (लगभग) शिकायतों, में से 300 (लगभग) शिकायतों (गुमनाम शिकायतों को भी मिलाकर) पर कार्रवाई पूरी की गई थी। 74 शिकायतों के लिए रिपोर्ट मांगी गई तथा शेष 71 शिकायतें जांच के लिए लंबित हैं।
- iii. वर्ष 2014-15 के दौरान 06 मामलों में अप्राधिकृत अनुपस्थिति के लिए प्रशासनिक चार्जशीट जारी की गई। जिससे कि ऐसे मामलों की कुल संख्या 11 बन गई। इनमें से 01 मामले को अंतिम रूप दे दिया तथा 01 मामले में जुर्माना लगाया गया था। शून्य संख्या के मामलों में आरोपित अधिकारी / कर्मचारी को भारमुक्त किया गया था।
- iv. वर्ष 2014-15 के दौरान यौन उत्पीड़न के 05 मामले प्राप्त हुए और इस तरह की शिकायतों की कुल संख्या 07 हो गई है। इनमें 05 मामलों में जांच प्रक्रियाधीन है तथा 02 मामलों में जांच के पश्चात् उन्हें बंद कर दिया है।
- v. वर्ष 2014-15 के दौरान, 09 आरोप पत्र जारी किए गए हैं जिससे कि चार्जशीट के मामलों की कुल संख्या मिलाकर 19 हो जाते हैं। 03 मामलों में जांच पूरी हो गई है। वर्ष 2014-15 के दौरान दोषमुक्त कर्मचारियों की संख्या शून्य है तथा 03 मामलों में जुर्माना लगाया गया है। वर्ष 2014-15 के अंत तक 16 आरोप पत्र विभिन्न अनुशासनात्मक कार्यवाही के विभिन्न चरणों में थे।
- vi. वर्ष के दौरान ए.वी.एस. में 07 अपील और 01 पुनरीक्षण याचिका प्राप्त हुई थी। उनमें से 03 अपील निपटाई गई तथा 01 पुनरीक्षण याचिका को निपटाया गया।

BUDGET

11.39 Budget under capital expenditure in revised estimate for the year 2014-15 including the amount kept in Central Pool at Head Office was ₹ **246.07 crores**. Budget estimate for the year 2015-16 is ₹ **305.06 crores**.

ADMINISTRATIVE VIGILANCE (AVS) WING

11.40 The AVS Section was created on 29th September, 2011 to deal with the lapses which are of administrative in nature not involving vigilance angle.

- i. During the year 2014-15, the AVS has recorded/ scanned/ listed approximately **634** Annual Immovable Property Returns in respect of Group 'A' officers. Out of **76** applications for intimation/ sanction of transaction under rule 18(2) & (3) of CCS (Conduct) Rules, **23** instances have been taken note of and necessary clarificatory documents have been called in respect of remaining intimation/permission applications.
- ii. During 2014-15, 410 (Approx.) complaints of various natures were received. At the end of 2013-14, **35** complaints were pending for final disposal. Therefore out of **445** (Approx.) complaints, actions on **300** (Approx.) (including anonymous complaints) complaints were completed. The reports have been called for in **74** complaints and balance **71** complaints are pending for investigation.
- iii. During 2014-15, administrative charge sheets for unauthorized absence were issued in **06** cases making the total number of such cases as **11**. Out of this, **01** case was finalized and in **01** cases penalty was imposed and in **nil** number of cases the concerned charged official/officer was exonerated.
- iv. During 2014-15, **05** cases of sexual harassment were received adding the total number of such complaints as **07**. Out of this in **05** cases investigation is under process and in **02** cases the matter was closed after investigation.
- v. During 2014-15, **09** charge sheets were issued making the total number of charge sheets as **19**. The inquiry has been completed in 03 cases. During 2014-15, **nil** officials were exonerated and in **03** cases penalty was imposed. At the end of 2014-15, **16** charge sheets were under various stages of disciplinary proceedings.
- vi. During the year, **07** appeals and **01** revision petition were received in the AVS. Out of which, **03** of appeals have been disposed off and 01 revision petition has been disposed.

अन्य गतिविधियां

- (क) सतर्कता अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करना: - वर्ष में 2050 (लगभग) प्रमाणपत्र जारी किए गए।
- (ख) निलंबन समीक्षा समिति : - 01 निलंबन मामले की समीक्षा की गई है।

नई पहल

11.41 मानव संसाधन कार्मिक सूचना प्रणाली (एच.आर.पी.आई.एस.): व्यापक एवं सटीक डाटा बैंक को बनाए रखने की दिशा में मानव संसाधन-व्यक्तिगत सूचना प्रबंधित करने हेतु एक सॉफ्टवेयर को विकसित किया गया है। इस मोर्चे पर प्रत्येक कार्यालय द्वारा की गई प्रगति को अब विशेष रूप से डिजाइन किए गए " डैशबोर्ड फॉर मॉनीटरिंग एच.आर.एम." नामक डैशबोर्ड पर देखा जा सकता है।

स्टाफ शिकायत नियंत्रण प्रणाली

11.42 क.भ.नि.सं. के कर्मचारियों एवं पेंशनरों की आंतरिक शिकायत की नियंत्रण प्रणाली को सरल एवं कारगर बनाने के लिए दिसंबर 2014 में "स्टाफ शिकायत निवारण प्रणाली (एस.जी.एच.एस.)" नामक सॉफ्टवेयर को परीक्षण ट्रायल पर डाला गया था। यह ऑनलाइन प्रणाली वेब आधारित है तथा क.भ.नि.सं. केंद्रीय वेबसाइट <http://hr.epfoservices.com/hrm/sgshome.aspx> पर देखा / एक्सेस किया जा सकता है।

11.43 शिकायत की पहल करने के लिए पहले आवेदक को अपने आपको पंजीकृत करने की आवश्यकता है। तुरंत एक ऑनलाइन पावती जनरेट की जाएगी। शिकायत पंजीकृत करते समय प्रयुक्त मोबाइल नंबर एवं पावती संख्या की प्रविष्टि करने द्वारा अपडेट देखी जा सकती है।

11.44 ई.पी.एफ.आई.जी.एम.एस. के अनुसार सॉफ्टवेयर को विकसित किया गया है। कर्मचारी का वर्तमान तैनाती स्थान या कार्यालय जहां से पेंशननर पेंशन प्राप्त करता हो के आधार पर शिकायत की जाती है। अतः शिकायत संबंधित कार्यालयों को प्रथमतः कार्रवाई हेतु उपलब्ध होती है। उक्त कार्यालय सी.जी.एच.एस. की भूमिका अदा करते हुए उसको लॉग-इन के जरिए देखता है। संक्षिप्त टिप्पणी देकर तथा अंतिम / आंशिक रूप से निपटाए गए पत्रों को पी.डी.एफ. दस्तावेज़ के रूप में अपलोड करने के लिए इस एप्लिकेशन को डिजाइन किया गया है।

OTHER ACTIVITIES

- (a) Issuance of vigilance clearance: - **2050** (Approx.) Certificates were issued in the year.
- (b) Suspension Review Committee: - **01** of suspension case was reviewed.

NEW INITIATIVES

11.41 **Human Resource Personnel Information System (HRPIS):** Software was developed for managing HR-personal information towards putting in place a comprehensive and accurate data bank. The progress made by each of the offices on this front can now be viewed on a specifically designed dash board named "**Dashboard for monitoring HRM**".

STAFF GRIEVANCE HANDLING SYSTEM

11.42 To streamline system of handling internal grievance of EPFO officials and Pensioners, a software namely "Staff Grievance Handling System (SGHS)" was put on trial in December 2014. The online system is web based and can be accessed through EPFO's central website at <http://hr.epfoservices.com/hrm/sghshome.aspx>.

11.43 The applicant is required to first register herself/himself to initiate grievance. An acknowledgement is instantly generated online. Updates can be viewed by entering acknowledgement no and mobile number used while registering the grievance.

9.44 The software is developed on the lines of EPFiGMS. The grievance is initiated based on the present location of posting of the Employee or the office from where the Pensioner is drawing pension. The grievance thus is available for action to these offices in the first instance. The office accesses it through login as SGHS role in the said office. The application has been designed to enter brief comments and upload of final/partially disposal letters as a PDF document.

अध्याय 12

राष्ट्रीय एवं प्रशिक्षण

12.1 नाटर्स की परिकल्पना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के एक प्रमुख प्रशिक्षण एवं विकास स्कंध के रूप में की गई थी जिसके पास सामाजिक सुरक्षा में अनुसंधान की डिजाइनिंग तथा प्रशासक की सहवर्ती जिम्मेदारी थी।

12.2 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रशासनिक मशीनरी विकास की गति के प्रति संवेदनशील हो तथा अपने नागरिकों की सामाजिक, आर्थिक आकांक्षाओं के प्रति उत्तरदायी हो। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिवर्तनों की चुनौतियों का सामना करने के लिए संगठन के पास उपलब्ध मानव संसाधनों के विकास के लिए सचेतन नीति विकसित की गई है। कर्मिकों के निष्पादन बढ़ोतरी के साथ ही ज्ञान तथा कौशल को उन्नत करने के लिए प्रशिक्षण एक प्रभावी तथा जांचा हुआ साधन है। सांगठनिक प्रेरणा एवं मनोबल, जैसा कि आचार-विचारों तथा प्रशासनिक संस्कृति से अभिव्यक्त होता है, उन्हें प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रासंगिकता प्रदान की जाती है तथा उन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है। उभरते हुए राजनैतिक तथा सामाजिक सरोकारों के प्रति संवेदनशीलता, सोच में आधुनिकता तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं के पुनर्विन्यास के लिए विशेष रूप से केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता होगी जिससे कि संगठनात्मक ढांचे तथा प्रक्रियाओं में उनका प्रसार किया जा सके।



प्रशिक्षण के उद्देश्य

12.3 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में प्रशिक्षण द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है :-

- संगठन तथा व्यक्तियों के बेहतर निष्पादन के लिए आवश्यक तथा बढ़ते हुए व्यावसायिक ज्ञान तथा कौशल को अद्यतन रखना ;
- व्यावसायिक आवश्यकताओं की बेहतर समझ का प्रसार करने के साथ - साथ व्यावसायिक, सामाजिक-आर्थिक तथा राजनैतिक वातावरण जिसमें कार्य किया जाता है, को संवेदनशील बनाना ;
- सही व्यवहार की ओर उन्मुखीकरण।

प्रशिक्षण के प्रकार

- इंडक्शन प्रशिक्षण / किसी भी पद पर नए आने वालों के लिए फाउंडेशन कोर्स
- रिफ्रेशर कोर्स/सेवा में रहते हुए कौशल विकास कोर्स.
- प्रबंधन विकास प्रशिक्षण.
- तकनीकी प्रशिक्षण.
- विशिष्ट मामलों के लिए विशेष प्रशिक्षण.
- कर्मिकों की विशिष्ट श्रेणी हेतु विशेष प्रशिक्षण.
- नियोक्ता एवं सदस्यों के लिए जागरूकता कार्यक्रम

Chapter 12

NATIONAL & TRAINING

12.1 The NATRSS was conceived to be the premier training and development wing of the EPFO with an attendant responsibility for designing and executing research in social security.

12.2 EPFO needs to ensure that the administrative machinery is sensitive to the dynamics of development and responsive to the socio-economic aspirations of its citizens. A conscious policy for the development of human resource available to the Organisation has been fostered for meeting the challenges of the changes – social, economic and political. Training is one of the effective and tested tools for performance enhancement, as well as upgradation of knowledge and skills of the personnel. Organisational motivation and morale, as reflected in the attitudes and administrative culture, are rendered relevant and sharply focused through effective training programmes. Sensitivity to emerging political and social concerns, modernity in thinking and reorientation of administrative systems would require specifically focused training programmes to enable their diffusion throughout the Organisational structure and processes.

OBJECTIVE OF TRAINING

12.3 Training in the EPF Organisation strives to achieve the following objectives:-

- 
- (i) Keeping up-to-date and enhancing professional knowledge and skills needed for better performance of individuals and Organisation;
 - (ii) Promoting better understanding of professional requirements as well as sensitization to professional, social-economic and political environment in which work is done;
 - (iii) Bringing about right attitudinal orientation.
 - (iv)

TYPES OF TRAINING

- Induction Training/Foundation Course for new entrants to any post.
- Refresher course/in-service skill development course.
- Management development training.
- Technical training.
- Special training for specific issues
- Special training for specific category of officials.
- Awareness programmes for Employers' and Members.

रणनीति

सभी के लिए प्रशिक्षण

12.4 संगठन के सभी स्तरों सबसे नीचे तथा अत्याधुनिक से लेकर नीति निर्माण में उच्चतम स्तर तक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

12.5 समुचित प्रशिक्षण डिजाइन के उद्देश्य से, संगठनात्मक सेवा को निम्नलिखित दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है:-

1. (क) निचले स्तर पर कार्य करने वाले, अर्थात् जो कि अधिकांशतः ग्रुप 'सी' सेवा के सदस्य होते हैं।
(ख) ग्रुप 'बी' की सेवाएं जिनमें 'सी' कर्मचारियों के पर्यवेक्षक होते हैं।
2. ग्रुप 'ए' सेवाएं जिनमें प्रशासन/प्रबंधन स्तर शामिल है।

12.6 निचले स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रकार डिजाइन किए जाते हैं जिनमें कार्यात्मक क्षमता तथा व्यवहार उन्मुखीकरण पर पर्याप्त बल दिया जाता है। पर्यवेक्षक स्तर पर, प्रशिक्षण व्यावसायिक ज्ञान में वृद्धि, समझ तथा कौशल में बढ़ोतरी में करता है जिससे कि भविष्य के कार्यों और उत्तरदायित्वों के लिए तैयार किया जा सके। द्वितीय स्तर के लिए, प्रशिक्षण मानसिक क्षितिज के विस्तार तथा व्यावसायिक श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। प्रशिक्षण बहुआयामी कड़ियों यथा वित्त, प्रवर्तन, सामान्य प्रबंधन तथा व्यावहारिक हस्तक्षेपों, नीति निर्माण के संबंध में प्रत्यक्ष ज्ञान को बढ़ाता है। प्रशिक्षण का उद्देश्य सतत आचारिक तथा व्यावहारिक हस्तक्षेप अभिमुखीकरण से संगठन के परिवेश में परिवर्तन करना है जिससे कि क.भ.नि. के पदाधिकारी लोकतांत्रिक समाज की अनिवार्यताओं को समझ सकें।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में प्रशिक्षण संरचना

12.7 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा अपनी बीस हजार से अधिक कार्यशक्ति के प्रशिक्षण एवं विकास हेतु एक द्विस्तरीय प्रशिक्षण ढांचा सृजित किया गया है। इसके शीर्ष स्तर पर नाटर्स है जोकि ग्रुप 'ए' अधिकारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का प्रबंध करती है तथा ग्रुप 'बी' एवं 'सी' स्टाफ के लिए, निम्नानुसार चार आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान (जैड.टी.आई.) तथा एक उप आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान हैं :

1. फरीदाबाद स्थित उत्तरी अंचल प्रशिक्षण संस्थान
2. चैन्नई स्थित दक्षिण अंचल प्रशिक्षण संस्थान
3. कोलकाता स्थित पूर्वी अंचल प्रशिक्षण संस्थान
4. उज्जैन स्थित पश्चिमी अंचल प्रशिक्षण संस्थान
5. शिलांग स्थित उप आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान

STRATEGY

TRAINING FOR ALL

12.4 Training is imparted to all rungs of the Organisation starting from the lowest and cutting-edge to the highest in policy making.

12.5 For the purpose of appropriate training design, the Organisational service is divided into the following two levels:

1. (a) The lowest level functionaries, that is operative at the cutting edge, who are mostly members of the Group 'C' services.
(b) The Group 'B' services who are supervisors to Group 'C' officials.
2. Group 'A' level services comprising the administration/management level.

12.6 Training programme for the functionaries at the cutting edge level are designed to put considerable emphasis on functional skill and attitudinal orientation. For supervisory level, training contributes to enhancement to professional knowledge, understanding and skill so as to prepare for future tasks and responsibilities. For the second level, training offers stimuli for expansion of the mental horizon and attainment of professional excellence. Training shall also sharpen perception in relating to multi-dimensional linkage in Finance, Enforcement, General Management and Behavioural interventions and Policy formulations. Training is aimed at continuous attitudinal and behavioural re-orientation in changing Organisation ambience so as to help the EPF functionaries appreciate the imperatives of a democratic society.

TRAINING ARCHITECTURE IN EPFO

12.7 In order to train and develop its more than twenty thousand work force, EPFO has created a **two-tier training structure**. At the apex level lies the NATRSS which caters to the training needs of Group 'A' officers and for training Group B and C staff, there are four Zonal Training Institutes (ZTIs) and one Sub ZTI as under:

1. **North Zone** Training Institute at Faridabad
2. **South Zone** Training Institute at Chennai
3. **East Zone** Training Institute at Kolkata
4. **West Zone** Training Institute at Ujjain
5. **Sub Zonal** Training Institute at Shillong

12.8 सामाजिक सुरक्षा में शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान होने के कारण, अकादमी अन्य सामाजिक सुरक्षा संगठनों से भी प्रतिभागियों को आमंत्रित करती है।

12.9 वर्तमान में, अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त स्तर का एक निदेशक नाटरस का प्रभारी होता है। केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त अकादमी के पदेन अध्यक्ष हैं।

नाटरस के लिए लक्ष्य समूह

12.10 नाटरस के लिए लक्ष्य समूह ग्रुप 'ए' अधिकारी हैं जिनमें निम्नलिखित पद शामिल हैं :

1. अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त
2. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I
3. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II
4. सहायक भविष्य निधि आयुक्त
5. उप निदेशक / सहायक निदेशक (सतर्कता)
6. उप निदेशक / सहायक निदेशक (राजभाषा)
7. उप निदेशक / सहायक निदेशक (सूचना सेवा)
8. सहायक अभियंता / कनिष्ठ अभियंता
9. उप निदेशक / सहायक निदेशक (लेखा परीक्षा)



आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए लक्ष्य समूह

12.11 आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों के लक्ष्य समूह में उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले फील्ड कार्यालयों के सभी ग्रुप बी एवं सी स्टाफ सदस्य आते हैं।

12.12 अकादमी को चलाने के लिए निदेशक, नाटरस, उनके अधीनस्थ अधिकारी तथा पांच आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुख उन्हें प्रत्यायोजित प्रशासकीय एवं वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करते हैं।

आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण

12.13 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पर्यवेक्षक तथा कार्यात्मक स्तर पर कार्य कर रहे कर्मिकों के लिए एक समान आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की डिजाइनिंग तथा उन्हें लागू करने के लिए राष्ट्रीय अकादमी आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करती है। अभिप्राय यह है कि सभी कर्मिकों को फील्ड कार्यालयों तथा मुख्यालय में अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए अपने व्यावसायिक कौशल को उन्नत बनाने के लिए समुचित समय पर इंडक्शन कोर्सों, सेवा रत कोर्सों तथा विशिष्ट कोर्सों/कार्यशालाओं के माध्यम से आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण गतिविधियां

- I नव नियुक्त/ पदोन्नत सामाजिक सुरक्षा सहायकों, अनुभाग पर्यवेक्षकों तथा प्रवर्तन अधिकारियों / लेखा अधिकारियों के लिए इंडक्शन कोर्स
- II कार्यात्मक क्षेत्रों में ग्रुप बी एवं सी कर्मचारियों के लिए रिक्रेशर कोर्स

12.8 Being a premier training institution in Social Security, the Academy also invites participants from other Social Security organizations

12.9 At present, a Director, who is in the rank Addl. CPFC, heads the NATRSS. The CPFC is the ex-officio Dean of the Academy.

TARGET GROUP FOR NATRSS

12.10 The target group for NATRSS is Group 'A' officers includes the following posts:

1. Additional CPFC's
2. R.P.F.C. – I
3. R.P.F.C. - II
4. A.P.F.C.
5. DD/AD (Vig.)
6. DD/AD(OL)
7. DD/AD(IS)
8. AE/JE
9. DD/AD(Audit)



TARGET GROUP FOR ZTIs

12.11 The target group of ZTIs comprises of all Groups B & C staff members in the field offices lying in their respective jurisdiction.

12.12 The Director, NATRSS, its subordinate officers and heads of ZTIs exercise the administrative and financial powers delegated to them in running the Academy.

TRAININGS IN ZTIs

12.13 The National Academy co-ordinates with the Zonal Training Institutes for designing and implementing training courses on a uniform basis for personnel working in the supervisory and operative levels in the EPFO. It is intended that all personnel, at appropriate point of time, should be given necessary training exposure through Induction Courses, in-service courses and specialized courses / workshops, in order to upgrade their professional skills for discharging their functions in the field formations and at the Head Office.

TRAINING ACTIVITIES IN ZTIs

- I Induction course for newly appointed/promoted SSAs, SS and EOs/Aos

- III ग्राहक सेवाओं, मानव संसाधन प्रबंधन, सूचना का अधिकार अधिनियम तथा महिला सशक्तीकरण पर विशिष्ट कार्यक्रम
- IV नियोक्ता /कर्मचारियों के लिए कार्यशाला

12.14 वर्ष 2014-2015, में नाटर्स द्वारा 34 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें 1006 प्रतिभागियों ने भाग लिया तथा आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा उप आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा 269 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 4776 प्रतिभागियों ने भाग लिया। वर्ष 2014-15 के दौरान नाटर्स, आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा उप आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण परिशिष्ट -ए-6(i) एवं (ii) पर दिया गया है।

12.15 प्रशिक्षण स्कंध की बड़ी गतिविधियों में से एक सा.सु.स (परिवीक्षाधीन) के लिए विभागीय परीक्षा तथा कम्प्यूटर स्किल टेस्ट का आयोजन करना है। तदनुसार, संगठन में कुशल मानवशक्ति का विकास करने के लिए नाटर्स के मार्गदर्शन के तहत सभी आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा निम्न परीक्षाएं आयोजित की गई हैं :

- एस.एस.ए. (परिवीक्षा) परीक्षा
- अनुकंपा आधार पर नियुक्त सा.सु.स. / अ.श्रे.लि. से पदोन्नत एस.एस.ए. के लिए कम्प्यूटर स्किल टेस्ट।
- आं.प्र.सं. उत्तरी अंचल एवं पूर्वी अंचल द्वारा 50% विभागीय कोटा के अंतर्गत हिंदी अनुवादक ग्रेड-II की परीक्षा भी आयोजित की गई है।

12.16 आं.प्र.सं. द्वारा आयोजित प्रत्येक परीक्षा के विवरण निम्न प्रकार हैं :

परीक्षा का नाम	आयोजित परीक्षाओं की संख्या	परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या
एस.एस.ए. (परिवीक्षा) परीक्षा पेपर-I	2	598
एस.एस.ए. (परिवीक्षा) परीक्षा पेपर-II	2	569
कम्प्यूटर स्किल टेस्ट	3	152
हिंदी अनुवादक ग्रेड-II	1	6

नाटर्स का भौतिक ढांचा तथा सुविधाएं

12.17 अपने प्रभावी ढांचे तथा अखिल भारतीय उपस्थिति के साथ, अकादमी अपने आंचलिक संस्थानों सहित एक साथ 5 कार्यक्रम यथा प्रशिक्षण कोर्स/गोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित करने की क्षमता रखती है। अकादमी सीखने तथा अकादमिक और अनुसंधान कार्य को जारी रखने के लिए प्रेरक वातावरण प्रदान करती है। इसके तीन लेक्चर हॉल हैं। प्रत्येक हॉल वातानुकूलित है तथा सीखने के आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है। इसके पास सुरुचिपूर्ण ढंग से डिजाइन किया गया ऑडिटोरियम है जो कि नवीनतम दृश्य श्रव्य सुविधाओं, इंटरनेट कनेक्टिविटी, मन्दकर प्रकाश व्यवस्था आदि से सुसज्जित है। इस ऑडिटोरियम में 118 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है।

- II Refresher courses for Group B and C officials in functional areas
- III Specialized programmes on Customer Services, HRM, RTI & Women's empowerment
- IV Workshop for Employer/Employees

12.14 During the year **2014-2015**, **34** training *programmes* were organised by NATRSS in which **1006 participants** had participated and **269** training programmes were organized by the four ZTIs and the Sub-ZTI, in which **4776** participants had participated. The details of the programmes conducted by the NATRSS, ZTIs and the Sub-ZTI during **2014-2015** is at Appendix A-6 (i) & (ii).

12.15 One of the **major activities of the Training Wing** is conduct of departmental exams for SSA (Probationers) and Computer Skill Test. Accordingly, to develop skilled manpower in the organization, the following examinations were conducted by the all Zonal Training Institutes under the guidance of NATRSS:

- SSA (Probationers) Examinations
- Computer Skill Tests for SSAs appointed on Compassionate grounds / for Promotion from LDC to SSAs
- Hindi Translators Gr.II examination under 50% departmental quota was also organized by ZTI North Zone & East Zone.

12.16 Details of each examination conducted by the ZTIs are as under:

Name of the Examination	Number of examinations conducted	No. of Candidates Appeared
SSA (Probationers) Examination Paper I	2	598
SSA (Probationers) Examination Paper II	2	569
Computer Skill Test	3	152
Hindi Translator Gr.II	1	6

PHYSICAL INFRASTRUCTURE AND FACILITIES AT NATRSS

12.17 With its impressive infrastructure and the all India presence, the Academy alongwith its Zonal outfits has the potential to simultaneously conduct 5 programmes viz., training courses/seminars/workshops. The Academy offers stimulating ambience for learning and pursuing academic and research work. It has three lecture halls. Each hall is air conditioned and equipped with modern learning equipments. It has an elegantly designed modern Auditorium equipped with latest audiovisual facilities, internet connectivity, dimmer lighting system etc. The Auditorium is having a seating capacity for 118 persons.

होस्टल ब्लॉक

12.18 इसमें एक व्यक्ति तथा दो व्यक्तियों के रहने की क्षमता वाले कमरे हैं। कुल मिलाकर 48 कमरे हैं तथा 96 प्रतिभागी इनमें ठहर सकते हैं।

मेस

12.19 अकादमी की मेस वातानुकूलित है तथा आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। मेस में प्रतिभागियों के खान-पान की व्यवस्था करने की क्षमता है।

खेलकूद

12.20 बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स तथा अन्य इंडोर खेल खेलने की सुविधा उपलब्ध है। होस्टल ब्लॉक में एक व्यायामशाला (जिमनेजियम) भी है।

12.21 निर्बाध बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर पावर बैकअप तंत्र की व्यवस्था की गई है। यह परिसर में रहने वालों को दिन-रात बिजली एवं पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करता है।

12.22 नाटर्स में 8000 खंडों से भी अधिक वाला पुस्तकालय है। पुस्तकालय में विभिन्न भारतीय तथा विदेशी जर्नल्स भी उपलब्ध हैं।

आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों में भौतिक सुविधाएं तथा आधारभूत ढांचा

12.23 उप आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान शिलांग को छोड़कर सभी आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान अपने भवन में कार्यरत हैं तथा प्रशिक्षण हॉल, कम्प्यूटर लैब, सम्मेलन सुविधाओं, पुस्तकालय तथा खाने की सुविधा सहित हॉस्टल आदि आवश्यक प्रशिक्षण ढांचे से सुसज्जित हैं।

HOSTEL BLOCK

12.18 It comprises rooms of single as well as double occupancy. In all, there are 48 rooms and altogether 96 participants can be accommodated.

MESS

12.19 The Academy Mess is air-conditioned and equipped with modular facilities. The mess has a capacity to cater the participants.

SPORTS

12.20 Facilities are available for playing badminton, table tennis, billiards and other indoor games. There is also a Gymnasium in the Hostel block

12.21 To ensure uninterrupted power supply, a power back up system has been installed as a standby. It provides the residents of the campus access to power and water supply round the clock.

12.22 NATRSS has a Library with more than 8000 volumes. The library also subscribes to various Indian and foreign journals.

PHYSICAL FACILITIES & INFRASTRUCTURE AT ZTIs

12.23 All ZTIs except Sub-ZTI Shillong are housed in own buildings and are equipped with necessary training infrastructure in terms of training halls, computer lab, conference facilities, library and hostel with dining facility.



अध्याय 13

सतर्कता

पृष्ठभूमि

13.1 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में शुद्धता, सत्यनिष्ठा तथा कार्यकुशलता को बनाए रखने के लिए, वर्ष 1976 में हुई अपनी 68 वीं बैठक में केंद्रीय बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप सतर्कता स्कंध अस्तित्व में आया। संयुक्त सचिव स्तर के मुख्य सतर्कता अधिकारी की अध्यक्षता में सतर्कता स्कंध क.भ.नि.सं. तथा मुख्य सतर्कता आयुक्त एवं उनके संगठन एवं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बीच महत्वपूर्ण लिंक की भूमिका अदा करता है। सतर्कता स्कंध के प्रकार्यों को मोटे तौर पर तीन भागों में बांटा जा सकता है। दंडात्मक सतर्कता, निवारक सतर्कता और निगरानी एवं खोज।

वर्ष 2014-2015 के दौरान निष्पादन

I. दंडात्मक सतर्कता

- शिकायतें - पिछले वर्ष (2013-14) के दौरान प्राप्त शिकायतों में नहीं निपटाई गई 213 शिकायतों सहित वर्ष 2014-15 के दौरान 163 शिकायतें प्राप्त हुईं जिससे की कुल निपटाने योग्य शिकायतों की संख्या 376 है। इनमें से 300 शिकायतें निपटा ली गई हैं तथा दिनांक 31.03.2015 तक 76 शिकायतें शेष रह गईं जिनमें और जांच करने की आवश्यकता है।
- आरंभ की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही - वर्ष के दौरान 17 नए अनुशासनिक मामले शुरू किए गए। इनमें से 8 मुख्य शास्ति से तथा 9 लघु शास्ति से संबंधित मामले हैं।
- अंतिम रूप दिए गए अनुशासनात्मक मामले - वर्ष के दौरान 64 अनुशासनात्मक मामलों को अंतिम रूप दिया गया है। इनमें से 43 मामलों में मुख्य एवं लघु शास्ति लगाई गई हैं।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसरण में लंबित अनुशासनात्मक मामलों को यथाशीघ्र अंतिम रूप देने के लिए सत्यनिष्ठा से तथा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। अनुशासनात्मक कार्यवाहियों में सभी स्तरों / अवस्थाओं में विलंब / लंबन को कम करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति तैयार की गई है, जिससे विभिन्न स्तरों पर अनुशासनात्मक प्राधिकारियों को शामिल किया जा सके। जांच की प्रगति को जांच अधिकारियों के साथ बैठकों के माध्यम से तथा नियमित अंतराल में के.भ.नि.आ., मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा उनके साथ पत्राचार के माध्यम से मॉनीटर किया जा रहा है।
- निलंबन मामले - वर्ष 2013-14 से 19 लंबन मामले लंबित थे तथा वर्ष 2014-15 में 6 नए लंबन आदेश जारी किए गए हैं। लंबन के इन 25 मामलों में से 17 मामलों में निलंबन निरस्त करने के आदेश दिए गए हैं। दिनांक 31.03.2015 तक के शेष 8 निलंबन मामलों में से अधिकांश केन्द्रीय आसूचना आयोग / भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो के ट्रेप मामले हैं।
- मुकद्दमा चलाने हेतु प्राप्त की गई स्वीकृति - वर्ष 2014-15 के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो / भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो द्वारा जैसे कि 6 मामलों में मांगी गई मुकद्दमे की स्वीकृति दी गई थी।

Chapter 13

VIGILANCE

BACKGROUND

13.1 For maintaining purity, integrity and efficiency in the Employees' Provident Fund Organization, the Vigilance Wing was put in place by a decision of the Central Board in its 68th Meeting in 1976. The Vigilance Wing, headed by a Joint Secretary level Chief Vigilance Officer, provides the crucial link between the EPFO and the Central Vigilance Commissioner and his Organisation and the Central Bureau of Investigation. The functions of the Vigilance Wing can be broadly divided into 3 parts – Punitive Vigilance, Preventive Vigilance and Surveillance & detection.

PERFORMANCE DURING THE YEAR 2014-2015

I Punitive Vigilance

- Complaints - With an opening balance of 213 un-disposed complaints received during the previous year (2013-14), 163 new complaints were received during 2014-15 taking the tally to a total of 376. Out of these 300 complaints were disposed leaving behind a closing balance of 76 complaints as on 31.03.2015 which required further investigation.
- Disciplinary Proceedings initiated - 17 new Disciplinary cases were initiated during the year. Out of these 8 were major penalty and 9 were minor penalty case.
- Disciplinary Proceedings finalized – 64 Disciplinary cases were finalized during the year. Out of these, major and minor penalty were awarded in 43 cases.
- Sincere and sustained efforts are being made continuously for expeditious finalisation of pending disciplinary cases in accordance with the guidelines of the Central Vigilance Commission. To reduce the pendency of Disciplinary Proceedings, a multi pronged strategy has been worked out for reducing delay at all stages which include seeking active involvement of Disciplinary Authorities at various levels. The progress of inquiries are being monitored through meetings with the Inquiry Officers and through written communication to them from the Central PF Commissioner and Chief Vigilance Officer at regular intervals.
- Suspension cases - 19 Suspension cases were pending from 2013-14 and 6 new suspension orders were made in 2014-15. Out of these 25 cases of suspension, orders revoking suspension were made in 17 cases. The remaining 8 suspension cases as on 31.03.2015 were mostly the trap cases of the CBI/ACB.
- Prosecution Sanctions accorded - 6 cases of Prosecution Sanction as sought by the CBI/ACB during the year 2014-15 were accorded.

II. निवारक सतर्कता

- दिनांक 20.08.2014 को नई दिल्ली में हुई सामाजिक क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी / सी.एम.डी. तथा सी.वी.ओ. के साथ हुई वार्षिक आंचलिक / क्षेत्रीय समीक्षा बैठक केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसार निर्माण उद्योग के कामगारों की कवरेज को बढ़ाने के लिए विनिर्दिष्ट कदम उठाए गए हैं। इस मामले पर गौर करने के लिए दिनांक 15.10.2014 को निर्माण कामगारों पर एक उप-समिति गठित की गई थी। केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त द्वारा उप-समिति की अध्यक्षता की जाती है तथा केन्द्र सरकार, नियोक्ता पक्ष एवं कर्मचारी पक्ष प्रत्येक से एक प्रतिनिधि है। निर्माण कामगारों की कवरेज के मामले में मुख्य सतर्कता अधिकारी ने क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर, आंचलिक कार्यालय, मुंबई, क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (दक्षिण) में बैठकें आयोजित की हैं। चूंकि केंद्रीय सतर्कता आयोग ने इस सेक्टर में कवरेज को टालने पर बानगी के रूप में सजा देने का सुझाव दिया है, अतः इस कार्य का हिस्सा होने के नाते मुख्य सतर्कता अधिकारी निर्माण उद्योग के कामगारों की कवरेज के मुद्दे पर एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर रही हैं।
- सतर्कता कोण से जुड़े कपटपूर्ण भविष्य निधि दावों के निपटान के कई मामले हैं। क.भ.नि.सं. के सूचना सेवा प्रभाग ने ऐसे धोखाधड़ी के मामलों का पता लगाने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर - सममूल्य पर देय कॉपोरेट चैक (सी.सी.पी.ए.पी.) को इन्सटॉल किया है। सतर्कता प्रभाग द्वारा यह पाया गया कि इस सॉफ्टवेयर में कुछ कमियाँ थीं। सतर्कता स्कंध ने प्रस्ताव किया है कि भविष्य निधि दावों के निपटान के संबंध में संभावित धोखाधड़ी का बेहतर तरीके से पता करने के लिए नए सॉफ्टवेयर में “ऑडिट परीक्षण” / “ऑडिट ट्रायल” की व्यवस्था की जाए।
- व्यक्तिगत पासवर्ड से छेड़छाड़ होने की समस्या पर काबू पाने के लिए सतर्कता प्रभाग ने सूचना सेवा प्रभाग को बायोमेट्रिक लॉग-इन का सुझाव दिया है।
- सूचना सेवा प्रभाग को यह भी सलाह दी गई है कि यू.ए.एन. कार्यक्रम के तहत यू.ए.एन. आबंटन का पुनः दोहराव न होना सुनिश्चित करने के लिए अंशदाताओं को एकाधिक यूनिवर्सल खाता संख्या जारी करने को रोकने के लिए पहले से उपाय किए जाएं।
- सतर्कता मुख्यालय में कार्य का बेहतर परिवेश बनाने के लिए (सीवीसी / डी.ओ.पी.टी. के अनुदेशों अनुसार) पुराने रिकॉर्ड वीड आउट करने के लिए पहल की गई जो कि बहुत लंबे समय से नहीं किया गया था। 2500 से भी अधिक पुरानी फाइलों की समीक्षा करके उन्हें वीड आउट किया गया।
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सभी कार्यालयों में 27.10.2014 से 01.11.2014 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया था। "तकनीकी के माध्यम से भ्रष्टाचार से मुकाबले में सक्षम बनना" को इस वर्ष का मुख्य विषय बनाकर देशभर के विभिन्न कार्यालयों में सेमिनार, संगोष्ठियों, प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।
- दिशा-निर्देशों के अनुसार सहमति सूची तथा संदेहास्पद सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची तैयार की जा रही है तथा नियमित रूप से अद्यतित की जा रही है।
- शिकायतों का शीघ्र एवं बेहतर निवारण करने के लिए तथा क.भ.नि.सं. में शिकायत निवारण तंत्र को कारगर बनाने के लिए विज को-ऑर्डिनेट/1/2012/परिपत्र/4000 दिनांक 24.12.2014 के द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया था।

II. Preventive Vigilance

- Upon the directions of the Central Vigilance Commission given in the Annual Zonal/Sectoral Review Meeting with the Chief Executives/CMDs and CVOs of Social Sector on 20.08.2014 at New Delhi, specific steps were taken to increase the coverage of workers in the Construction Industry. A Sub-Committee on Construction Workers was constituted on 15.10.2014 to look into this issue. The said Committee is chaired by Central PF Commissioner and has one representative each of Central Government; employers' side and employees' side. CVO has also held meetings in the matter of coverage of Construction Workers at Regional Office, Jaipur, Zonal Office, Mumbai and Regional Office, Delhi (South). Being a part of this exercise the Chief Vigilance Officer is preparing a detailed proposal on the issue of coverage of construction industry workers as CVC has suggested exemplary punishment for any evasion in the Sector by the establishments.
- There are several cases of fraudulent PF claim settlement involving vigilance angle. The Information Service Division of EPFO has installed Corporate Cheque Payable At Par (CCPAP) – a new Software for detection of such fraud cases. It was observed by the Vigilance Division that there were certain deficiencies in the software. For better detection of frauds likely to be committed in respect of PF claim settlement, it was proposed by the Vigilance Wing to the Information Service Division of EPFO to provide an 'audit trail' in the new software.
- To overcome the problem of individual passwords getting compromised, biometric log-in was also suggested by Vigilance Division to Information Service Division.
- Information Service Division has also been advised to take precautionary steps to prevent issuance of multiple Universal Account Number to subscribers by ensuring de-duplication of the UAN allotment under UAN Programme.
- For better work environment in the Vigilance Hqrs, initiatives were taken to weed out the old records (as per CVC's/DoPT's instructions) which were not done since very long time. More than 2500 old and outdated records were reviewed and weeded out.
- Vigilance Awareness Week was observed in all offices of Employees' Provident Fund Organisation during 27.10.2014 to 01.11.2014. Seminars, Symposia, Competitions etc were held in various offices countrywide with the main theme for the year being "Combating Corruption – Technology as an enabler".
- Agreed List and list of Officers of Doubtful Integrity is being prepared and updated regularly as per guidelines.
- For better and faster redressal of complaints a circular has been issued to streamline the Compliant Redressal Mechanism in EPFO vide circular No. Vig. Coord/1/2012/Circular/4000 dated 24.12.2014.

III. निगरानी एवं खोज

- सतर्कता की समीक्षा बैठकें, केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त के साथ नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं जिससे कि सतर्कता स्कंध के निर्बाध रूप से कार्य करने से संबंधित विभिन्न मुद्दों का हल निकला है।
- केन्द्रीय जांच ब्यूरो, मुंबई, नई दिल्ली, जयपुर, गाजियाबाद तथा गोवा के साथ समन्वय बैठकें आयोजित की गई हैं।

13.2 वर्ष के दौरान आकस्मिक निरीक्षण आयोजित किए गए हैं तथा यथा अपेक्षित दंडात्मक एवं सुधारात्मक उपायों की सिफारिश की गई है।



III. **Surveillance & Detection**

- Vigilance Review Meetings were held regularly with the Central PF Commissioner which resolved various issues relating to smooth functioning of Vigilance Wing.
- Coordination meetings have been held with CBI, Mumbai, New Delhi, Jaipur, Ghaziabad and Goa.

13.2 Surprise Inspections have been conducted and punitive and corrective measures as required have been recommended during the year.



परिशिष्ट

APPENDICES

सांख्यिकीय सार (2014-15)					
क. सेवा क्षेत्र					
सभी दावे		(लाखों में)			
			2014-15	2013-14	2012-13
भविष्य निधि दावे	अंतिम निपटान	निवल कार्यभार	61.09	58.86	52.37
		निपटाए गए दावे	60.72	57.90	51.20
		लंबित दावे	0.37	0.97	1.17
	आंशिक प्रत्याहरण	निवल कार्यभार	4.43	3.89	3.19
		निपटाए गए दावे	4.41	3.84	3.13
		लंबित दावे	0.02	0.06	0.06
	अंतरण दावे	निवल कार्यभार	8.22	7.28	8.70
		निपटाए गए दावे	8.13	7.08	8.46
		लंबित दावे	0.09	0.20	0.24
	कुल	निवल कार्यभार	73.74	70.03	64.26
		निपटाए गए दावे	73.26	68.82	62.79
		लंबित दावे	0.48	1.21	1.47
पेंशन दावे	मासिक पेंशन	निवल कार्यभार	3.91	4.04	3.96
		निपटाए गए दावे	3.82	3.88	3.76
		लंबित दावे	0.09	0.16	0.20
	मासिक पेंशन के अतिरिक्त	निवल कार्यभार	53.21	51.32	45.67
		निपटाए गए दावे	52.83	50.38	44.61
		लंबित दावे	0.38	0.94	1.06
	कुल	निवल कार्यभार	57.12	55.36	49.63
		निपटाए गए दावे	56.65	54.26	48.37
		लंबित दावे	0.47	1.10	1.26
बीमा दावे		निवल कार्यभार	0.30	0.29	0.27
		निपटाए गए दावे	0.30	0.28	0.26
		लंबित दावे	0.00	0.01	0.01
कुल जोड़		निवल कार्यभार	131.16	125.68	114.16
		निपटाए गए दावे	130.21	123.36	111.42
		लंबित दावे	0.95	2.32	2.74

Summary of Statistical Abstract (2014-15)					
A. SERVICE AREA					
ALL CLAIMS			(in lac)		
			2014-15	2013-14	2012-13
PROVIDENT FUND CLAIMS	FINAL SETTLEMENT	NET WORKLOAD	61.09	58.86	52.37
		CLAIMS SETTLED	60.72	57.90	51.20
		CLAIMS PENDING	0.37	0.97	1.17
	PARTIAL WITHDRAWAL	NET WORKLOAD	4.43	3.89	3.19
		CLAIMS SETTLED	4.41	3.84	3.13
		CLAIMS PENDING	0.02	0.06	0.06
	TRANSFER CASES	NET WORKLOAD	8.22	7.28	8.70
		CLAIMS SETTLED	8.13	7.08	8.46
		CLAIMS PENDING	0.09	0.20	0.24
	TOTAL	NET WORKLOAD	73.74	70.03	64.26
		CLAIMS SETTLED	73.26	68.82	62.79
		CLAIMS PENDING	0.48	1.21	1.47
PENSION CLAIMS	MONTHLY PENSION	NET WORKLOAD	3.91	4.04	3.96
		CLAIMS SETTLED	3.82	3.88	3.76
		CLAIMS PENDING	0.09	0.16	0.20
	OTHER THAN MONTHLY PENSION	NET WORKLOAD	53.21	51.32	45.67
		CLAIMS SETTLED	52.83	50.38	44.61
		CLAIMS PENDING	0.38	0.94	1.06
	TOTAL	NET WORKLOAD	57.12	55.36	49.63
		CLAIMS SETTLED	56.65	54.26	48.37
		CLAIMS PENDING	0.47	1.10	1.26
INSURANCE CLAIMS		NET WORKLOAD	0.30	0.29	0.27
		CLAIMS SETTLED	0.30	0.28	0.26
		CLAIMS PENDING	0.00	0.01	0.01
GRAND TOTAL		NET WORKLOAD	131.16	125.68	114.16
		CLAIMS SETTLED	130.21	123.36	111.42
		CLAIMS PENDING	0.95	2.32	2.74

कुल दावों पर सेवा निवृत्ति दावों का प्रतिशत			
वर्ष	2014-15	2013-14	2012-13
भविष्य निधि दावे (अंतिम भुगतान)	0.50%	0.52%	1.52%
पेंशन दावे	6.50%	6.96 %	8.89%

लेखों की वार्षिक विवरणी

(लाखों में)

वर्ष	वर्ष के दौरान अद्यतन किए गए	वर्ष के अंत में लंबित
2014-15	1465.38	119.32*
2013-14	1356.98	75.56
2012-13	1290.91	28.30

*भविष्य निधि छूट प्राप्त स्थापनाओं के लंबित खातों सहित / अछूट प्राप्त – 43.48

छूट प्राप्त – 75.84

119.32

जन शिकायतों का निपटान

विवरण	2014-15	2013-14	2012-13
आदि शेष	4,587	27,853	28,752
वर्ष के दौरान प्राप्त	1,79,893	1,71,224	2,48,072
कुल शिकायतें	1,84,480	1,99,077	2,76,824
वर्ष के दौरान निपटाए गए	1,82,321	1,94,490	2,48,971
वर्ष के अंत में शेष	2,159	4,587	27,853
निपटान का प्रतिशत	98.83	97.69	89.94

नामांकन

नामांकन (संचयी)			वर्ष दर वर्ष वृद्धि (%)	
वर्ष	स्थापनाएं	सदस्य (लाख)	स्थापनाएं	सदस्य (लाख)
2014-15	8,61,123	1,584.70	8.20	34.51
2013-14	7,95,827	1,178.13	7.10	32.73
2012-13	7,43,045	887.62	7.49	3.77

PERCENTAGE OF SUPERANNUATION CLAIMS OVER TOTAL CLAIMS			
YEAR	2014-15	2013-14	2012-13
PF CLAIMS (Final Settlement)	0.50%	0.52%	1.52%
PENSION CLAIMS	6.50%	6.96 %	8.89%

ANNUAL STATEMENT OF ACCOUNTS

(in lac)

YEAR	UPDATED DURING THE YEAR	PENDING AT THE END OF YEAR
2014-15	1465.38	*119.32
2013-14	1356.98	75.56
2012-13	1290.91	28.30

* Pending Annual Accounts of PF exempted establishment-75.84 lac; PF Unexempted establishments-43.48 lac.

DISPOSAL OF PUBLIC GRIEVANCES			
PARTICULARS	2014-15	2013-14	2012-13
Opening Balance	4,587	27,853	28,752
Received during the year	1,79,893	1,71,224	2,48,072
Total Grievances	1,84,480	1,99,077	2,76,824
Disposed off during the year	1,82,321	1,94,490	2,48,971
Balance at the end of year	2,159	4,587	27,853
Percentage of disposal	98.83	97.69	89.94

ENROLMENTS

ENROLMENTS (CUMULATIVE)			YEAR ON YEAR GROWTH (%)	
YEAR	ESTABLISHMENTS	MEMBERS (lac)	ESTABLISHMENTS	MEMBERS (lac)
2014-15	8,61,123	1,584.70	8.20	34.51
2013-14	7,95,827	1,178.13	7.10	32.73
2012-13	7,43,045	887.62	7.49	3.77

ख. राजस्व विवरणियां

एकत्रित अंशदान (वर्ष के दौरान)

योजना	2014-15	2013-14	2012-13
(₹ करोड़ों में)			
भविष्य निधि			
छूट प्राप्त	28,521.12	23,523.08	14,458.41
अछूट प्राप्त	60,202.15	52,179.50	45,798.39
कुल	88,723.27	75,702.58	60,256.80
पेंशन निधि			
कर्मचारी/नियोक्ता का भाग	21,951.70	16,417.74	14,724.01
सरकार का भाग	2,299.80	1,943.99	1,400.00
कुल	24,251.50	18,361.73	16,124.01
बीमा निधि			
नियोक्ता का भाग	936.12	697.78	620.13
कुल	936.12	697.78	620.13
कुल जोड़	1,13,910.89	94,762.09	77,000.94

योजना	2014-15	2013-14	2012-13
(₹ करोड़ों में)			
वर्ष के दौरान किया गया भुगतान			
भविष्य निधि (केवल अछूट प्राप्त)	35,236.51	32,466.91	25,956.38
पेंशन निधि	12,600.96	10,900.34	9,038.52
बीमा निधि	177.85	152.63	123.88
कुल	48,015.32	43,519.88	35,118.78

प्रशासनिक लेखा (क.भ.नि. योजना)			(₹ करोड़ों में)
वर्ष	आय	व्यय	शेष
2014-15	4,904.46	1,766.48	3,137.98
2013-14	4,062.05	1,655.55	2,406.50
2012-13	3,508.92	1,477.14	2,031.78

B. REVENUE STATEMENTS**CONTRIBUTION COLLECTED (During the year)**

SCHEME	2014-15	2013-14	2012-13
(₹ in cr.)			
Provident Fund			
Exempted	28,521.12	23,523.08	14,458.41
Unexempted	60,202.15	52,179.50	45,798.39
Total	88,723.27	75,702.58	60,256.80
Pension Fund			
Employee's / Employer's Share	21,951.70	16,417.74	14,724.01
Government's Share	2,299.80	1,943.99	1,400.00
Total	24,251.50	18,361.73	16,124.01
Insurance Fund			
Employer's Share	936.12	697.78	620.13
Total	936.12	697.78	620.13
Grand Total	1,13,910.89	94,762.09	77,000.94



SCHEME	2014-15	2013-14	2012-13
PAYMENTS MADE (During the year)			
(₹ in cr.)			
Provident Fund (Un-exempted only)	35,236.51	32,466.91	25,956.38
Pension Fund	12,600.96	10,900.34	9,038.52
Insurance Fund	177.85	152.63	123.88
Total	48,015.32	43,519.88	35,118.78

ADMINISTRATION ACCOUNT (EPF SCHEME)			(₹ in cr.)
YEAR	INCOME	EXPENDITURE	BALANCE
2014-15	4,904.46	1,766.48	3,137.98
2013-14	4,062.05	1,655.55	2,406.50
2012-13	3,508.92	1,477.14	2,031.78

निवेश (वर्ष-वार)					(₹ करोड़ों में)
वर्ष	भविष्य निधि	पेंशन निधि	बीमा निधि	कुल जोड़	वृद्धि (%)
2014-15	*1,03,071.87 (48,318.01)	30,846.24	2,011.99	1,35,930.10	27.13
2013-14	*81,021.26 (33,966)	24,280.24	1,620.16	1,06,921.66	24.22
2012-13	*63,018.76 (22,693)	21,625.28	1,433.25	86,077.29	7.99

- कोष्ठक में दिखाए गए आंकड़े छूट प्राप्त स्थापनाओं से संबंधित हैं।

* (वर्ष के दौरान किए गए निवेश में प्राप्ति, निवल भुगतान, ब्याज एवं मैच्यूरिटी शामिल हैं)

निवेश (निधिसंग्रह)					(₹ करोड़ों में)
वर्ष	भविष्य निधि	पेंशन निधि	बीमा निधि	कुल जोड़	वृद्धि (%)
2014-15	6,20,893.51 (2,41,435)	2,38,531.84	15,722.99	8,75,148.34	18.41
2013-14	517,684.65 (1,92,980)	2,07,685.60	13,711.00	7,39,081.25	16.91
2012-13	4,36,662.90 (1,59,014)	1,83,405.36	12,090.84	6,32,159.10	15.76

- कोष्ठक में दिखाए गए आंकड़े छूट प्राप्त स्थापनाओं से संबंधित हैं।

ग. अनुपालन कार्रवाई

वर्ष के दौरान निर्धारण									
विवरण	2014-15			2013-14			2012-13		
	धारा 7ए के अंतर्गत	धारा 14बी के अंतर्गत	कुल	धारा 7ए के अंतर्गत	धारा 14बी के अंतर्गत	कुल	धारा 7ए के अंतर्गत	धारा 14बी के अंतर्गत	कुल
कार्यभार	31445	254869	286314	35200	88353	123553	35879	44770	80649
निपटाए गए	14625	135741	150366	18062	38255	56317	18732	35402	54134
लंबित	16820	119128	135948	17138	50098	67236	17147	9368	26515

INVESTMENTS (YEAR-WISE)					
(₹ in cr.)					
YEAR	PROVIDENT FUND	PENSION FUND	INSURANCE FUND	GRAND TOTAL	GROWTH (%)
2014-15	*1,03,071.87 (48,318.01)	30,846.24	2,011.99	1,35,930.10	27.13
2013-14	*81,021.26 (33,966)	24,280.24	1,620.16	1,06,921.66	24.22
2012-13	*63,018.76 (22,693)	21,625.28	1,433.25	86,077.29	7.99

- Figures in brackets pertain to exempt establishments

* (Investments during the year includes receipts, net of payment and interest and maturity proceeds)

INVESTMENTS (CORPUS)					
(₹ in cr.)					
YEAR	PROVIDENT FUND	PENSION FUND	INSURANCE FUND	GRAND TOTAL	GROWTH (%)
2014-15	6,20,893.51 (2,41,435)	2,38,531.84	15,722.99	8,75,148.34	18.41
2013-14	517,684.65 (1,92,980)	2,07,685.60	13,711.00	7,39,081.25	16.91
2012-13	4,36,662.90 (1,59,014)	1,83,405.36	12,090.84	6,32,159.10	15.76

- Figures in brackets pertain to exempt establishments

C. COMPLIANCE ACTION

ASSESSMENTS DURING THE YEAR									
PARTICULARS	2014-15			2013-14			2012-13		
	UNDER SECTION 7A	UNDER SECTION 14B	Total	UNDER SECTION 7A	UNDER SECTION 14B	Total	UNDER SECTION 7A	UNDER SECTION 14B	Total
Workload	31445	254869	286314	35200	88353	123553	35879	44770	80649
Disposed	14625	135741	150366	18062	38255	56317	18732	35402	54134
Pending	16820	119128	135948	17138	50098	67236	17147	9368	26515

2. वसूली योग्य बकाया										(₹ करोड़ों में)	
बकाया राशि का प्रकार (अछूत प्राप्त क्षेत्र)		2014-15				2013-14				2012-13	
		कार्यभार	वसूली गई राशि	अंतःशेष		कार्यभार	वसूली गई राशि	अंतःशेष		कार्यभार	वसूली गई राशि
क.	भविष्य निधि	3870.39	1168.78	2701.61		3423.50	1101.41	2322.09		2,897.07	790.60
ख.	क.भ.नि. प्रशा. एवं निरीक्षण प्रभार	300.31	81.31	219.00		269.39	76.24	193.15		222.96	57.38
ग.	पेंशन निधि	2014.82	518.42	1496.40		1798.80	501.26	1297.54		1,557.73	382.42
घ.	बीमा निधि	153.67	42.92	110.75		154.82	42.41	112.41		137.38	30.11
ड.	क.नि.स.बी.यो. प्रशा. एवं निरीक्षण प्रभार	5.61	0.98	4.63		5.15	0.99	4.16		7.28	2.89
च.	कुल (क से ड.)	6344.80	1812.41	4532.39		5651.66	1722.31	3929.35		4,822.42	1,263.40
छ.	शास्तिक नुकसानी एवं व्याज	2891.40	729.82	2161.58		2111.68	460.32	1651.36		1,707.26	298.93
ज.	छूट प्राप्त क्षेत्र	1811.04	1132.20	678.84		617.60	67.19	550.41		712.49	178.03
कुल योग (ब से ज)		8,155.84	2,944.61	5211.23		6269.26	1789.50	4479.76		5,534.91	1,441.43
											4,093.48

2. ARREARS TO BE RECOVERED										(₹ in cr.)
TYPE OF DUES (Un-exempted Sector)		2014-15			2013-14			2012-13		
		Workload	Realised	Closing Balance	Workload	Realised	Closing Balance	Workload	Realised	Closing Balance
a.	Provident Fund	3870.39	1168.78	2701.61	3423.50	1101.41	2322.09	2,897.07	790.60	2,106.47
b.	EPF Admn. & Inspection Charges	300.31	81.31	219.00	269.39	76.24	193.15	222.96	57.38	165.58
c.	Pension Fund	2014.82	518.42	1496.40	1798.80	501.26	1297.54	1,557.73	382.42	1,175.31
d.	Insurance Fund	153.67	42.92	110.75	154.82	42.41	112.41	137.38	30.11	107.27
e.	EDLI Admn. & Inspection Charges	5.61	0.98	4.63	5.15	0.99	4.16	7.28	2.89	4.39
f.	TOTAL (a to e)	6344.80	1812.41	4532.39	5651.66	1722.31	3929.35	4,822.42	1,263.40	3,559.02
g.	Penal Damages and Interest	2891.40	729.82	2161.58	2111.68	460.32	1651.36	1,707.26	298.93	1,408.33
h.	Exempted Sector	1811.04	1132.20	678.84	617.60	67.19	550.41	712.49	178.03	534.46
GRAND TOTAL (f & h)		8,155.84	2,944.61	5211.23	6269.26	1789.50	4479.76	5,534.91	1,441.43	4,093.48

मानवशक्ति

		2014-15	2013-14	2012-13
ग्रुप ए	स्वीकृत	1132	1132	1057
	वर्तमान स्थिति	818	883	732
	कमी	314	249	325
ग्रुप बी	स्वीकृत	6406	6361	9032
	वर्तमान स्थिति	4414	4670	7027
	कमी	1992	1691	2005
ग्रुप सी (पूर्व के ग्रुप डी को सम्मिलित करते हुए)	स्वीकृत	17196	17166	14649
	वर्तमान स्थिति	13088	13348	11209
	कमी	4108	3818	3440
कुल	स्वीकृत	24734	24659	24738
	वर्तमान स्थिति	18320	18901	18968
	कमी	6414	5758	5770

ई. आधारभूत संरचना

कार्यालय			
	2014-15	2013-14	2012-13
आंचलिक कार्यालय	10	10	10
क्षेत्रीय कार्यालय	40	40	40
उप क्षेत्रीय कार्यालय	82	82	83*
सेवा केन्द्र	8	8	14
जिला कार्यालय	113	113	123**
नाटर्स/ आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान/उप आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान	6	6	6

* निष्क्रिय कार्यालय समाप्त

** उ.क्षे.का. / क्षे.का. के साथ विलय

MANPOWER

		2014-15	2013-14	2012-13
GROUP A	SANCTIONED	1132	1132	1057
	IN-POSITION	818	883	732
	SHORTFALL	314	249	325
GROUP B	SANCTIONED	6406	6361	9032
	IN-POSITION	4414	4670	7027
	SHORTFALL	1992	1691	2005
GROUP C (including erstwhile Group D)	SANCTIONED	17196	17166	14649
	IN-POSITION	13088	13348	11209
	SHORTFALL	4108	3818	3440
TOTAL	SANCTIONED	24734	24659	24738
	IN-POSITION	18320	18901	18968
	SHORTFALL	6414	5758	5770

E. INFRASTRUCTURE

OFFICES			
	2014-15	2013-14	2012-13
ZONAL OFFICES	10	10	10
REGIONAL OFFICES	40	40	40
SUB-REGIONAL OFFICES	82	82	83*
SERVICE CENTRES	8	8	14
DISTRICT OFFICES	113	113	123**
NATRSS/ZTI/SUB-ZTIs	6	6	6

* Non operational offices delete

** Merger with the SRO/RO

31.03.2015 को केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (क.भ.नि.) के सदस्य			
अध्यक्ष			
1.	श्री बंडारू दत्तात्रेय, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रम एवं रोजगार, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 ।	10.	प्रधान सचिव, गुजरात सरकार श्रम एवं रोजगार विभाग, नया सचिवालय, सरदार पटेल भवन, ब्लाक नं. 5, छठी मंजिल गांधी नगर -382010.
उपाध्यक्ष		11.	प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम एवं रोजगार विभाग कमरा नं. 335, तीसरी मंजिल, नया हरियाणा सिविल सचिवालय, सेक्टर -17 चंडीगढ़ -160017.
2.	श्री शंकर अग्रवाल, सचिव, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली- 110001		
सदस्य केंद्र सरकार के प्रतिनिधि		12.	प्रधान सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, श्रम एवं रोजगार विभाग कमरा नं. 501, आर्म्सडेल बिल्डिंग, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला (हि.प्र.) 171001 –
3.			
4.	श्री दीपक कुमार, आई.ए.एस. (बिहार, 1984) अपर सचिव, भारत सरकार, (एस.एस. प्रभाग) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।	13.	सचिव, कर्नाटक सरकार, श्रम विभाग, 414, चौथी मंजिल, विकास सौध, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर वीथि बंगलौर – 560 001.
5.	श्री मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव, भारत सरकार (एस.एस. प्रभाग), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली	14.	सचिव, केरल, सरकार, श्रम एवं पुर्नवास विभाग, कमरा नं. 660, तीसरी मंजिल, साउथ ब्लॉक, सरकारी सचिवालय, तिरुवनंतपुरम
6.	डॉ अनूप बाधवा, संयुक्त सचिव (बीमा और पेंशन), आर्थिक मामलों के विभाग के प्रतिनिधि, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110 001	15.	प्रधान सचिव, मध्य प्रदेश सरकार, श्रम विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, कमरा नं 228, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश ।
7.	श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता, आई.ए. एवं ए.एस. संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110 001.	16.	प्रधान सचिव, महाराष्ट्र सरकार, उद्योग, श्रम एवं उर्जा विभाग, कमरा नं. 620, एनेक्सी, छठी मंजिल, मंत्रालय, मुंबई- 400032.
राज्य सरकार के प्रतिनिधि		17.	प्रधान सचिव पंजाब सरकार, श्रम एवं रोजगार कमरा नं.510, छठी मंजिल, लघु सचिवालय, सेक्टर -9, चंडीगढ़.
8.	सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार, श्रम एवं रोजगार विभाग, हैदराबाद- 500022		
9.	सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार, श्रम एवं रोजगार विभाग, रायपुर	18.	सचिव, राजस्थान सरकार, श्रम एवं रोजगार प्रशासनिक सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)

APPENDIX A-2 (i)

MEMBERS OF CENTRAL BOARD OF TRUSTEES, (EPF) AS ON 31.03.2015			
Chairman			
1.	Shri Bandaru Dattatreya, Hon'ble Minister for State (IC) Labour & Employment, Govt. of India, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi - 110001.	10.	Principal Secretary to the Government of Gujarat, Labour and Employment Department, New Sachivalaya Sardar Patel Bhawan Block No.5, 6th Floor Gandhi Nagar-382010.
Vice-Chairman		11.	Principal Secretary to the Govt. of Haryana Department of Labour & Employment Room No. 335, 3 rd Floor, New Haryana Civil Secretariat, Sector-17, Chandigarh-160017.
2.	Shri Shankar Aggarwal, Secretary to the Government of India Ministry of Labour & Employment, Government of India, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi- 110001.		
Members Central Government Representatives		12.	Principal Secretary to the Govt. of Himachal Pradesh, Labour & employment Department, Room No. 501, Armsdale Building, HP Secretariat, Shimla. (HP) - 171 001.
3.			
4.	Shri Deepak Kumar, IAS (BH, 1984) Addl. Secretary to the Government of India (SS Division) Ministry of Labour & Employment Government of India, New Delhi.	13.	Secretary to the Govt. of Karnataka, Department of Labour 414, 4 th Floor, Vikasa Soudha Dr. B. R. Ambedkar Veedhi, Bangalore - 560 001.
5.	Shri Manish Kumar Gupta Joint Secretary to the Government of India (SS Division) Ministry of Labour & Employment Government of India, New Delhi.	14.	Secretary to the Govt. of Kerala, Labour & Rehabilitation Department, Room No. 660, 3 rd Floor, South Block, Govt. Secretariat, Thiruvananthapuram.
6.	Dr. Anup Wadhawa, joint Secretary (Insurance & Pension) Representative from Department of Economics Affairs, Ministry of Finance, Government of India, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi - 110 001.	15 .	Principal Secretary to the Govt. of Madhya Pradesh, Department of Labour, Govt. of Madhya Pradesh, Room No. 228, Mantralaya, Ballabh Bhawan, Bhopal, MP.
7.	Smt. Meenakshi Gupta, IA & AS Joint Secretary & Financial Advisor, Ministry of Labour & Employment Government of India, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi - 110 001.	16.	Principal Secretary to the Govt. of Maharashtra, Industry, Labour & Energy Department, Room no. 620, Annexe, 6 th Floor, Mantralaya, Mumbai - 400032. (Maharashtra).
State Government Representatives		17.	Principal Secretary to the Govt. of Punjab, Labour & Employment, Room No.510, 6 th Floor, Mini Secretariat, Sector-9, Chandigarh.
8.	Secretary to the Govt. of Andhra Pradesh, Labour & Employment Department, Hyderabad – 500022.		
9.	Secretary to the Government of Chhattisgarh, Department of Labour & Employment, Raipur.	18.	Secretary to the Government of Rajasthan, Labour and Employment Administrative Secretariat, Jaipur (Rajasthan).

19.	सचिव, तमिलनाडु सरकार, श्रम एवं रोजगार विभाग, चैन्नई -600009	28.	श्री सुशान्त सेन, प्रधान सलाहकार, भारतीय उद्योग परिसंघ 249-एफ, सेक्टर 18, उद्योग विहार, फेस-IV, गुडगांव - 122015 (हरियाणा).
20.	सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, श्रम एवं रोजगार, "बापू भवन" लखनऊ -226001	29.	श्री बी.पी. पंत, सचिव, अखिल भारतीय नियोक्ता संघ सदन संगठन, वी/10, एन.सी.ई.आर.टी. कैम्पस, अरविंदो मार्ग, नई दिल्ली - 110016।
21.	प्रधान सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार, श्रम विभाग, राईटर्स बिल्डिंग, कोलकाता-700001	30.	बादीश ज़िंदल एफ.ए.एस.आई.आई., (कार्यालय) 7911, स्ट्रीट नंबर 1, रंजीत नगर, ए.टी.आई. के पीछे, लुधियाना, पंजाब।
22.	सचिव तथा आयुक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, श्रम विभाग, 5, शामनाथ मार्ग, दिल्ली-110054.	31.	श्री रवि विग, पीएचडीसीसीआई, मकान नं. 618, सेक्टर - 21ए, फरीदाबाद (हरियाणा)
नियोक्ताओं के प्रतिनिधि		32.	डॉ. एस.एस. पाटिल, आंचलिक उपाध्यक्ष (ए.आई.एम.ओ.) जीवन सहकार, चौथी मंजिल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट मुंबई- 400 001 (महाराष्ट्र)
23.	श्री जे पी चौधरी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मैसर्स टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड, कारपोरेट कार्यालय: टीटागढ़ हाउस, 756, आनंदपुर, ई.एम. बाईपास, कोलकाता-700 017	कर्मचारियों के प्रतिनिधि	
24.	डॉ राम एस. तरनेजा, फ्लैट नं. 2102, प्लैनेट गोदरेज, एक्वा टॉवर - II, के.के. मार्ग, जैकब सर्कल, महालक्ष्मी मुम्बई- 400011 (महाराष्ट्र)	33.	श्री ए.डी. नागपाल, सचिव, हिंद मजदूर सभा, 1181, सेक्टर 43-बी, चंडीगढ़- 160022
25.	श्री शरद पाटिल, महासचिव, (सी.आई.ई.), कर्मचारी फेडरेशन ऑफ इंडिया, 204 ' जुआना, 10, मैनुअल गोनसालविस रोड, बांद्रा, मुम्बई - 400050.	34.	श्री ए.के. पद्मनाभन, अध्यक्ष, सीटू, बी.टी. रणदिवे भवन, 13ए, राउज एवेन्यु, नई दिल्ली .110002.
26.	डॉ यू.डी.चौवे, महानिदेशक (स्कोप), कोर-2, स्कोप कॉम्प्लैक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003	35.	श्री एम.जगदीश्वर राव राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य, बी.एम.एस.,डी.नं.31.3.3/2, गौरी नगर, ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के सामने, कुरमन्नापेलम, विशाखापट्टनम-530046 (आं.प्र)
27.	श्री जी.पी. श्रीवास्तव, वरिष्ठ सलाहकार, एसोचैम, कॉर्पोरेट कार्यालय : 5 सरदार पटेल मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली 11 00 21.	36.	श्री विरिजेश उपाध्याय, राष्ट्रीय सचिव (बी.एम.एस.) मकान नं. 32ए/1, शिवपुरी, पार्ट-II, गोयला रोड, दीनपुर, नई दिल्ली - 1100 02.

19.	Secretary to the Government of Tamil Nadu, Labour and Employment Department, Chennai - 600 009.	29.	Shri B. P. Pant, Secretary, All India Organization of Employers Federation House, V/10, NCERT Campus, Aurobindo Marg, New Delhi - 110016.
20.	Secretary to the Govt. of Uttar Pradesh, Labour & Employment, "Bapu Bhawan" Lucknow-226 001.	30.	Shri Badish Jindal FASII, (Off.) 7911, Street No. 1, Ranjit Nagar, Behind A.T.I, Ludhiana, Punjab.
21.	Principal Secretary to the Govt of West Bengal, Labour Department, Writers Building, Kolkata-700001.	31.	Shri Ravi Wig, PHDCCI, House No. 618, Sector – 21A, Faridabad (HARYANA).
22.	Secretary and Commissioner to the Govt. of NCT of Delhi, Labour Department, 5, Shamnath Marg, Delhi -110054.	32.	Dr. S. S. Patil, Zonal Vice-President(AIMO) Jeevan Sahakar, 4 th floor, Sir, P.M. Road, Fort, Mumbai- 400 001 (Maharashtra).
Employers' Representatives		Employees' Representatives	
23.	Shri J.P. Chowdhary, Chairman & Managing Director M/s. Titagarh Wagons Limited, Corporate Office: Titagarh House, 756, Anandapur, E.M. Bypass, Kolkata-700 017.	33.	Shri A.D. Nagpal, Secretary, Hind Mazdoor Sabha, 1181, Sector 43-B, Chandigarh - 160 022.
24.	Dr. Ram S. Tarneja, Flat No. 2102, Planet Godrej, Aqua Tower – II, K.K. Marg, Jacob Circle, Mahalaxmi Mumbai– 400011 (Maharashtra).	34.	Shri A.K. Padmanabhan, President, CITU, B.T. Ranadive Bhawan, 13A, Rouse Avenue, New Delhi - 1100 02.
25.	Shri Sharad Patil, (CIE) Employees' Federation of India, 204, Joanna, 10, Manual Gonsalves Road, Bandra West, Mumbai- 400 050.	35.	Shri M. Jagadishwara Rao, National Executive Member, BMS, D.No. 31-3-3/2, Gowri Nagar, Opp. All India Radio Station, Kurmannapalem, Visakhapatnam-530046 (A.P).
26.	Dr. U. D. Choubey, Director General (SCOPE), Core-2, Scope Complex, 7, Lodhi Road, New Delhi-110 003.	36.	Shri Virjesh Upadhyay, National Secretary, (BMS) H. No.32A/1, Shiv Puri, Part-II, Goyala Road Deen Pur, New Delhi - 1100 02.
27.	Shri G. P. Srivastava, Senior Advisor, ASSOCHAM, Corporate Office: 5 Sardar patel Marg, Chanakyapuri, New Delhi 11 00 21.	37.	Shri Prabhakar J. Banasure, (BMS), Askankasha, 21/1, Samarth colony, M.J. College Road, Jalgaon (Maharashtra), Pin Code No. 425 002.
28.	Shri Sushanta Sen, Principal Advisor, confederation of Indian Industry, 249-F, Sector-18 Udyog Vihar, Phase – IV, Gurgaon – 122 015 (Haryana).	38.	Shri Sankar Saha, Secretary, All India Committee United Trade Union Centre, Lenin Sarani, 77/2/1, Lenin Sarani (1 st Floor), Kolkata-700 013.

37.	श्री प्रभाकर जे. बनावसूरे, (बी.एम.एस.), आकांक्षा, 21/1, समर्थ कालोनी, एम.जे. कालेज रोड, जलगांव (महाराष्ट्र), पिन. 425 002.	41.	श्री रमन पांडे, अध्यक्ष, इंटक, (पश्चिम बंगाल शाखा) अध्यक्ष कार्यालय: मारुति भवन, 12, लंदन स्ट्रीट कोलकाता - 700 017, पश्चिम बंगाल, भारत ।
38.	श्री शंकर साहा, सचिव, अखिल भारतीय समिति, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर, लेनिन सरानी, 77/2/1, लेनिन सरानी (प्रथम मंजिल), कोलकाता-700013	42.	श्री डी.एल. सचदेव, सचिव, (ए.आई.टी.यू.सी.) भवन 35-36 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली - 110002
39.	डॉ जी.संजीवा रेड्डी, अध्यक्ष, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, 6/8, लेह बरकतपुरा, हैदराबाद -500 027 ।	43.	श्री के.के. जालान, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त , कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, मुख्यालय, भविष्य निधि भवन, 14 -भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -110066.
40.	श्री अशोक सिंह, सचिव, इंटक, नं. 435, विश्वास खंड- III, गोमती नगर , लखनऊ, उत्तर प्रदेश		

39.	Dr. G. Sanjeeva Reddy, President, Indian National Trade Union Congress, 6/8, Leigh Barkatpura, Hyderabad-500 027.	42.	Shri D.L. Sachdev Secretary(AITUC) AITUC Bhawan, 35-36 Deen Dayal Upadhyay Marg, Rouse Avenue, New Delhi – 110002.
40.	Shri Ashok Singh, Secretary, INTUC, No. 435, Vishwas Khand III, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.	43.	Shri K. K. Jalan, Central Provident fund Commissioner, Employees' Provident Fund Organisation, Head Office, Bhavishya Nidhi Bhawan, 14 - Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110 066.
41.	Shri Ramen Pandey, President, INTUC, (West Bengal Branch) President Office: MARUTI BUILDING, 12, Loudon Street Kolkata – 700 017, West Bengal, India.		

कार्यकारी समिति, केंद्रीय न्यासी बोर्ड (क.भ.नि.) के सदस्य - 31.03.2015 की स्थिति			
अध्यक्ष		नियोक्ताओं के प्रतिनिधि (3)	
1.	श्री शंकर अग्रवाल, सचिव, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली	7.	डॉ यू.डी.चौवे, महानिदेशक (स्कोप), कोर-2, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003
केंद्र सरकार के प्रतिनिधि (2)			
2.	श्री दीपक कुमार, आई.ए.एस. (बिहार, 1984) अपर सचिव, भारत सरकार, (एस.एस. प्रभाग) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।	8.	श्री बादीश ज़िंदल एफ.ए.एस.आई.आई., (कार्यालय) 7911, स्ट्रीट नंबर 1, रणजीत नगर, ए.टी.आई. के पीछे, लुधियाना, पंजाब
3.	श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता, आई.ए. एवं ए.एस. संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110 001.	9.	श्री रवि विग, पीएचडीसीसीआई, मकान न. 618, सेक्टर - 21ए, फरीदाबाद (हरियाणा)
राज्य सरकार के प्रतिनिधि (3)		कर्मचारियों के प्रतिनिधि (3)	
4.	श्री पी.बी. राममूर्ति, आई.ए.एस (कर्ना. 1984) अपर मुख्य सचिव (श्रम), कर्नाटक सरकार, श्रम विभाग, कमरा नं 414, विकास सौध, बंगलौर - 560 001	10.	डॉ जी.संजीवा रेड्डी, अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, 6/8 लेह बरकतपुरा, हैदराबाद -500027
5.	श्री बलदेव सिंह, आई.ए.एस. (महाराष्ट्र) 1989 सचिव (श्रम), महाराष्ट्र सरकार, श्रम विभाग, मैडम कामा रोड, मंत्रालय, मुंबई - 400,032	11.	श्री एम. जगदीश्वर राव, अखिल भारतीय सचिव, बी.एम.एस., डी.नं. 31-3-3/2, गौरी नगर, ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के सामने, कुरुमनापेलम, विशाखापट्टनम-530046 (आं.प्र.)
6.	श्री अमल राय चौधरी, आई.ए.एस. (प.बं.1997) सचिव (श्रम), पश्चिम बंगाल सरकार, श्रम विभाग, 20बी, अब्दुल हमीद स्ट्रीट (ग्रेट ईस्टर्न होटल के सामने) कोलकाता - 700069, पश्चिम बंगाल	12.	श्री ए.डी. नागपाल, सचिव, हिंद मजदूर सभा, 1181, सेक्टर 43-बी, चंडीगढ़ -160 022 (पंजाब)
		13.	केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, मुख्यालय, भविष्य निधि भवन, 14 -भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -110066.

APPENDIX A-2 (ii)

MEMBERS OF EXECUTIVE COMMITTEE, CBT (EPF) AS ON 31.03.2015			
Chairman		Employers' Representatives (3)	
1.	Shri Shankar Aggarwal, Secretary to the Government of India Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi.	7.	Dr. U. D. Choubey, Director General (SCOPE), Core-2, Scope Complex, 7, Lodhi Road, New Delhi-110 003
Central Government Representatives (2)			
2.	Shri Deepak Kumar, IAS (BH, 1984) Addl. Secretary to the Government of India (SS Division) Ministry of Labour & Employment Government of India, New Delhi.	8.	Shri Badish Jindal FASII, (Off.) 7911, Street No. 1, Ranjit Nagar, Behind A.T.I, Ludhiana, Punjab.
3.	Smt Meenakshi Gupta, IA & AS Joint Secretary & Financial Advisor Room No. 107, Shram Shakti Bhawan, Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi.	9.	Shri Ravi Wig, PHDCCI, House No. 618, Sector – 21A, Faridabad (Haryana).
State Government Representatives (3)		Employees' Representatives (3)	
4.	Shri P.B. Ramamurthy, IAS (KN 1984) Addl Chief Secretary (Labour), Govt. of Karnataka, Department of Labour, Room No. 414, Vikasa Soudha, Bangalore – 560 001	10.	Dr. G. Sanjeeva Reddy, President, Indian National Trade Union Congress, 6/8, Leigh Barkatpura, Hyderabad -500 027
5.	Shri Baldev Singh, IAS (MH) 1989 Secretary (Labour), Govt. of Maharashtra, Labour Department, Madam Cama Road, Mantralaya, Mumbai-400032	11.	Shri M. Jagadiswara Rao, All India Secretary, BMS, D.No. 31-3-3/2, Gowri Nagar, Opp. All India Radio Station, Kurmannapalem, Visakhapatnam-530046 (A.P).
6.	Shri Amal Roy Chowdhury, IAS (WB 1997) Secretary (Labour), Govt. of West Bengal, Labour Department, 20B, Abdul Hamid Street, (Opp- Great Eastern Hotel) Kolkata- 700069, West Bengal.	12.	Shri A.D. Nagpal, Secretary, Hind Mazdoor Sabha, 1181, Sector 43-B, Chandigarh - 160 022. (Punjab).
		13.	Central P. F. Commissioner, Employees' Provident Fund Organisation, Head Office, Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi - 110 066.

परिशिष्ट ए-2 (iii)

वित्त निवेश और लेखा परीक्षा समिति		
क्र.सं.	सदस्य का नाम और पदनाम	नियुक्ति
1.	कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त (पदेन)	अध्यक्ष
2.	i) अपर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ii) संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	सदस्य केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि
3.	i) श्री राम तरनेजा iii) श्री जे.पी. चौधरी	सदस्य नियोक्ताओं के प्रतिनिधि
4.	i) श्री जी. संजीव रेड्डी ii) श्री पी.जे. बनासुरे	सदस्य कर्मचारियों के प्रतिनिधि
5.	संयुक्त सचिव (बीमा और पेंशन), वित्तीय सेवा प्रभाग, वित्त मंत्रालय	सदस्य डोमेन विशेषज्ञ
6.	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, क.भ.नि.सं.	संयोजक

APPENDIX A-2 (iii)

Finance Investment and Audit Committee		
Sl. No.	Name and Designation of the member	Appointment as
1.	Central Provident Fund Commissioner (Ex-officio)	Chairman
2.	i) Addl. Secretary, Ministry of Labour & Employment. ii) JS&FA, Ministry of Labour & Employment	Member Central Government representative
3.	i) Shri Ram Tarneja iii) Shri J.P. Chowdhary	Member Employers' representative
4.	i) Shri G.Sanjeeva Reddy ii) Shri P.J. Banasure	Member Employees' representative
5.	Joint Secretary (Insurance & Pension), Dept. of Financial Services, Ministry of Finance	Member Domain Experts
6.	FA & CAO, EPFO	Convener

परिशिष्ट ए-2 (iv)

पेंशन एवं क.नि.स.बी. कार्यान्वयन समिति		
क्र.सं.	सदस्य का नाम और पदनाम	नियुक्ति
1.	कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त (पदेन)	अध्यक्ष
2.	i) संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ii) संयुक्त सचिव / निदेशक (एस.एस.), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	सदस्य केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि
3.	i) श्री जी.पी. श्रीवास्तव ii) श्री शरद पाटिल	सदस्य नियोक्ताओं के प्रतिनिधि
4.	i) श्री विरिजेश उपाध्याय ii) श्री डी.एल. सचदेव	सदस्य कर्मचारियों के प्रतिनिधि
5.	i) भविष्य निधि संग्रह राशि के मूल्यांकन के लिए बीमांकक की नियुक्ति ii) वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामांकित पी.एफ.आर.डी.ए. के प्रतिनिधि	सदस्य डोमेन विशेषज्ञ
6.	अ.के.आ.(पेंशन) क.भ.नि.आ.	संयोजक

APPENDIX A-2 (iv)

Pension & EDLI Implementation Committee		
Sl. No.	Name and Designation of the member	Appointment as
1.	Central Provident Fund Commissioner (Ex-officio)	Chairman
2.	i) JS&FA, Ministry of Labour & Employment ii) Joint Secretary /Director (SS), Ministry of Labour & Employment	Member Central Government representative
3.	i) Shri G.P. Srivastava ii) Shri Sharad Patil	Member Employers' representative
4.	i) Shri Virijesh Upadhyay ii) Shri D.L. Sachdev	Member Employees' representative
5.	i) Actuary appointed for valuation of PF Fund ii) Representative from PFRDA nominated by Deptt. of Financial Services	Member Domain Experts
6.	AC C (Pension) EPFO	Convener

परिशिष्ट ए-2 (v)

छूट प्राप्त स्थापनाओं की समिति		
क्र.सं.	सदस्य का नाम और पदनाम	नियुक्ति
1.	कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त (पदेन)	अध्यक्ष
2.	i) संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ii) संयुक्त सचिव (एस.एस.) / निदेशक (एस.एस.), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	सदस्य केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि
3.	i) श्री बी.पी. पंत ii) श्री सुशांत सेन	सदस्य नियोक्ताओं के प्रतिनिधि
4.	i) श्री ए.के. पद्मनाभन ii) श्री अशोक सिंह	सदस्य कर्मचारियों के प्रतिनिधि
5.	अ.के.आ. (छूट), क.भ.नि.सं.	संयोजक

APPENDIX A-2 (v)

Exempted Establishments Committee		
Sl. No.	Name and Designation of the member	Appointment as
1.	Central Provident Fund Commissioner (Ex- ficio)	Chairman
2.	i) JS&FA, Ministry of Labour & Employment ii) Joint Secretary(SS)/Director (SS), MOL&E	Member Central Government representative
3.	i) Shri B.P. Pant ii) Shri Susanta Sen	Member Employers' representative
4.	i) Shri A.K. Padmanabhan ii) Shri Ashok Singh	Member Employees' representative
5.	ACC (Exemption), EPFO	Convener

परिशिष्ट ए -2 (vi)

निर्माण कामगारों पर उप-समिति		
क्र.सं.	सदस्य का नाम और पदनाम	नियुक्ति
1.	कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त (पदेन)	अध्यक्ष
2.	i) संयुक्त सचिव (एस.एस.) / निदेशक (सामाजिक सुरक्षा), ii) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	सदस्य केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि
3.	i) डॉ. एस.एस. पाटिल । ii) श्री रवि विग	सदस्य नियोक्ताओं के प्रतिनिधि
4.	i) श्री रमन पांडे ii) श्री एम.जे.राव	सदस्य कर्मचारियों के प्रतिनिधि
5.	अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्या.)(आर.बी.)	संयोजक

APPENDIX A-2 (vi)

Sub-Committee on Construction Workers		
Sl. No.	Name and Designation of the member	Appointment as
1.	Central Provident Fund Commissioner (Ex-officio)	Chairman
2.	i) Joint Secretary (SS) / Director (Social Security), ii) Ministry of Labour & Employment.	Member Central Government representative
3.	i) Dr. S. S. Patil ii) Shri Ravi Wig	Member Employers' representative
4.	i) Shri Ramen Pandey ii) Shri M. J. Rao	Member Employees' representative
5.	Additional Central Provident Fund Commissioner (HQ)(RB).	Convener

परिशिष्ट ए-2 (vii)

ठेका कामगारों पर उप-समिति		
क्र.सं.	सदस्य का नाम और पदनाम	नियुक्ति
1.	i) कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त (पदेन)	अध्यक्ष
2.	i) निदेशक (सामाजिक सुरक्षा) ii) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	सदस्य केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि
3.	i) श्री बादीश ज़िंदल ii) डॉ. यू.डी. चौबे	सदस्य नियोक्ताओं के प्रतिनिधि
4.	i) श्री शंकर साहा ii) श्री ए.डी. नागपाल	सदस्य कर्मचारियों के प्रतिनिधि
5.	अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्या.)(आर.बी.)	संयोजक

APPENDIX A-2 (vii)

Sub-Committee on Contract Workers		
Sl. No.	Name and Designation of the member	Appointment as
1.	i) Central Provident Fund Commissioner (Ex-officio)	Chairman
2.	i) Director (Social Security), ii) Ministry of Labour & Employment	Member Central Government representative
3.	i) Shri Badish Jindal ii) Dr. U.D. Choubey	Member Employers' representative
4.	i) Shri Shankar Saha ii) Shri A.D. Nagpal	Member Employees' representative
5.	Additional Central Provident Fund Commissioner (HQ)(RB).	Convener

परिशिष्ट ए -2 (viii)

सूचना सेवा सुधारों की समिति		
क्र.सं.	सदस्य का नाम और पदनाम	नियुक्ति
1.	कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त (पदेन)	अध्यक्ष
2.	i) अपर सचिव (श्रम एवं रोजगार, भारत सरकार) ii) वित्तीय सलाहकार (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) iii) अपर सचिव (सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार) के प्रतिनिधि	सदस्य केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि
3.	डॉ. यू.डी. चौबे	सदस्य नियोक्ताओं के प्रतिनिधि
4.	डॉ. जी. संजीवा रेड्डी	सदस्य कर्मचारियों के प्रतिनिधि
5.	i) राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी) से प्रतिनिधि । ii) इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी के विभाग से प्रतिनिधि, भारत सरकार	सदस्य डोमेन विशेषज्ञ
6.	अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सूचना सेवा), क.भ.नि.सं.	संयोजक

APPENDIX A-2 (viii)

Committee on IT Reforms		
Sl. No.	Name and Designation of the member	Appointment as
1.	Central Provident Fund Commissioner (Ex-officio)	Chairman
2.	i) Additional Secretary (Labour & Employment, Government of India) ii) Financial Advisor (Ministry of Labour & Employment, Government of India) iii) Additional Secretary (Ministry of Information & Technology, Government of India) or his representative.	Member Central Government representative
3.	Dr. U.D. Choubey	Member Employers' representative
4.	Dr. G. Sanjeeva Reddy	Member Employees' representative
5.	i) Representative from National Informatics Centre (NIC). ii) Representative from Department of Electronic & Information Technology, Government of India.	Member Domain experts
6.	Additional Central PF Commissioner (Information Services), EPFO.	Convener

परिशिष्ट ए -2 (ix)

भवन एवं निर्माण पर समिति		
क्र.सं.	नाम और सदस्य का पदनाम	नियुक्ति
1.	कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त (पदेन)	अध्यक्ष
2.	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	सदस्य केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि
3.	i) श्री बादीश जिंदल (31.12.2014 तक), ii) श्री रवि विग (01.01.2015 से 31.12.2015 तक)	सदस्य नियोक्ताओं के प्रतिनिधि
4.	श्री एम.जे. राव	सदस्य कर्मचारियों के प्रतिनिधि
5.	मुख्य अभियंता (कर्मचारी राज्य बीमा निगम)	सदस्य डोमेन विशेषज्ञ
6.	मुख्य अभियंता (भौतिक सुविधाएं विभाग) (कर्मचारी भ.नि. संगठन)	संयोजक

APPENDIX A-2 (ix)

Committee on Building & Construction		
Sl. No.	Name and Designation of the member	Appointment as
1.	Central Provident Fund Commissioner (Ex-officio)	Chairman
2.	JS&FA, Ministry of Labour & Employment	Member Central Government representative
3.	i) Shri Badish Jindal (Upto 31.12.2014), ii) Shri Ravi Wig (01.01.2015 to 31.12.2015)	Member Employers' Representative
4.	Shri M. J. Rao	Member Employers' representative
5.	Chief engineer (Employees' State Insurance Corporation)	Member Domain experts
6.	Chief Engineer (Physical Facilities Division) (Employees' PF Organisation)	Convener

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए क्षेत्रीय समितियां (क.भ.नि.)					
क्र.सं.	क्षेत्रीय समिति	गजट में पिछली अधिसूचना की तिथि	तीन वर्ष की सामान्य अवधि पूर्ण होने की तिथि	वर्तमान स्थिति / पुनर्गठन की स्थिति	वर्ष 2014-15 के दौरान हुई बैठकों की कुल संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	27.02.2012	26.02.2015	02.06.2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के बाद पुनर्गठन का मामला आंध्र प्रदेश सरकार के साथ उठाया गया है तथा उनका उत्तर प्रतीक्षित है।	शून्य
2.	असम	16.03.2013	15.03.2016	गठित है	01
3.	बिहार	04.02.2011	03.02.2014	वर्ष के दौरान पुनर्गठन का मामला बिहार सरकार के साथ उठाया गया है तथा उनका उत्तर प्रतीक्षित है।	01
4.	छत्तीसगढ़	29.03.2014	28.03.2017	गठित है	01
5.	दिल्ली	11.11.2012	09.10.2015	गठित है	01
6.	गोवा	10.11.2010	09.11.2013	वर्ष के दौरान पुनर्गठन का मामला गोवा सरकार के साथ उठाया गया है तथा उपयुक्त नामांकन प्रतीक्षित है।	01
7.	गुजरात	04.02.2011	03.02.2014	वर्ष के दौरान पुनर्गठन का मामला गुजरात सरकार के साथ उठाया गया है तथा उनका उत्तर प्रतीक्षित है।	02
8.	हरियाणा	23.01.2014	22.01.2017	गठित है	शून्य
9.	हिमाचल प्रदेश	14.10.2011	13.10.2014	सामान्य कार्यकाल पूरा होने के बाद पुनर्गठन का मामला हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ उठाया गया है तथा उनका उत्तर प्रतीक्षित है।	02
10.	झारखंड	30.03.2011	29.03.2014	वर्ष के दौरान पुनर्गठन का मामला झारखंड सरकार के साथ उठाया गया है तथा उनका उत्तर प्रतीक्षित है।	01
11.	कर्नाटक	09.11.2012	08.11.2015	गठित है	02
12.	केरल	23.01.2014	22.01.2017	गठित है	02
13.	मध्य प्रदेश	18.09.2014	17.09.2017	वर्ष 2014-15 में समिति के पुनर्गठन को अधिसूचित किया गया।	02
14.	महाराष्ट्र	15.12.2010	14.12.2013	पुनर्गठन का मामला महाराष्ट्र सरकार के साथ उठाया गया है तथा उनका उत्तर प्रतीक्षित है।	02
15.	उड़ीसा	04.02.2011	03.02.2014	पुनर्गठन का मामला उड़ीसा सरकार के साथ उठाया गया है तथा उनका उत्तर प्रतीक्षित है।	01

APPENDIX A-2 (x)**Regional Committees (EPF) for the States/Union Territories**

Sl. No.	Regional Committee	Date of last notification in the Gazette	Date of completion of the normal tenure of three years.	Present Status / Stage of reconstitution	Total number of meetings held during the year 2014-15.
1.	Andhra Pradesh	27.02.2012	26.02.2015	The matter for reconstitution has been taken up with the Govt. of Andhra Pradesh since the State of Telangana has been formed i.e 02.06.2014 and their response is awaited.	Nil
2.	Assam	16.03.2013	15.03.2016	In existence.	01
3.	Bihar	04.02.2011	03.02.2014	During the year matter for reconstitution has been taken up with the Govt. of Bihar and their response is awaited.	01
4.	Chhattisgarh	29.03.2014	28.03.2017	In existence.	01
5.	Delhi	11.11.2012	09.10.2015	In existence.	01
6.	Goa	10.11.2010	09.11.2013	During the year matter for reconstitution has been taken up with the Govt. of Goa and suitable nominations are awaited.	01
7.	Gujarat	04.02.2011	03.02.2014	During the year matter for reconstitution has been taken up with the Govt. of Gujarat and their response is awaited.	02
8.	Haryana	23.01.2014	22.01.2017	In existence.	Nil
9.	Himachal Pradesh	14.10.2011	13.10.2014	After completion of normal tenure matter for reconstitution has been taken up with the Govt. of Himachal Pradesh and their response is awaited.	02
10.	Jharkhand	30.03.2011	29.03.2014	During the year matter for reconstitution has been taken up with the Govt. of Jharkhand and their response is awaited.	01
11.	Karnataka	09.11.2012	08.11.2015	In existence.	02
12.	Kerala	23.01.2014	22.01.2017	In existence.	02

16.	पुदुचेरी (संघ राज्य)	31.03.2008	04.06.2011	वर्ष के दौरान नए नामांकन का मामला संघ शासित प्रदेश पुदुचेरी के साथ उठाया गया है तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन तथा उसकी अधिसूचना के लिए यह प्राप्त हो गया है।	01
17.	पंजाब	08.02.2012	07.02.2016	गठित है	02
18.	राजस्थान	27.02.2012	26.02.2015	गठित है	02
19.	तमिलनाडु	08.02.2013	07.02.2016	गठित है	02
20.	त्रिपुरा	27.02.2012	26.02.2015	गठित है	01
21.	उत्तराखंड	29.03.2014	28.03.2017	गठित है	02
22.	उत्तर प्रदेश	04.02.2011	03.02.2014	पुनर्गठन का मामला उत्तर प्रदेश सरकार के साथ उठाया गया है तथा उनका उत्तर प्रतीक्षित है।	02
23.	पश्चिम बंगाल	01.04.2013	31.03.2016	गठित है	02
24.	तेलंगाना	-	-	तेलंगाना राज्य का गठन 02.06.2014 को हुआ तथा अभी तेलंगाना राज्य के लिए क्षेत्रीय समिति का गठन किया जाना है। संबंधित राज्य सरकार को क्षेत्रीय समिति के गठन हेतु अध्यक्ष एवं सदस्यों के नामांकन/सिफारिशों हेतु अनुरोध किया गया है।	-

13.	Madhya Pradesh	18.09.2014	17.09.2017	Re-constitution of the Committee notified in year 2014-15.	02
14.	Maharashtra	15.12.2010	14.12.2013	Matter for reconstitution has been taken up with the Govt. of Maharashtra and their response is awaited.	02
15.	Odisha	04.02.2011	03.02.2014	Matter for reconstitution has been taken up with the Govt. of Odisha and their response is awaited.	01
16.	Puducherry (UT)	31.03.2008	04.06.2011	During the year matter was taken up with Union Territory Puducherry for fresh nominations and same have been received for further approval of competent authority and its notification.	01
17.	Punjab	08.02.2012	07.02.2016	In existence.	02
18.	Rajasthan	27.02.2012	26.02.2015	In existence.	02
19.	Tamil Nadu	08.02.2013	07.02.2016	In existence.	02
20.	Tripura	27.02.2012	26.02.2015	In existence.	01
21.	Uttarakhand	29.03.2014	28.03.2017	In existence.	02
22.	Uttar Pradesh	04.02.2011	03.02.2014	Matter for reconstitution has been taken up with the Govt. of Uttar Pradesh and their response is awaited.	02
23.	West Bengal	01.04.2013	31.03.2016	In existence.	02
24.	Telangana	-	-	The state of Telangana has been formed w.e.f. 02.06.2014 and the Regional Committee is yet to be formed for the state of Telangana. The concerned State Government has been requested to convey the nominations/recommendations for Chairman and members of constitution of Regional Committee.	-

परिशिष्ट ए -3 (i)

मूल्यांकन के परिणामों का सार (₹ करोड़ों में)					
विवरण	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014
सक्रिय सदस्य	2,81,14,028	2,60,94,893	3,27,66,321	3,34,20,161	3,49,14,215
पेंशनभोक्ता	35,10,006	36,00,089	41,03,014	44,00,231	46,90,669
निष्क्रिय सदस्य	3,06,81,972	3,54,93,107	5,27,33,679	5,53,41,839	8,28,98,785
लाभों का वर्तमान मूल्य (करोड़ों में)	2,52,064.97	2,45,055.45	3,22,602.79	3,43,044.07	3,86,222.54
अंशदान का वर्तमान मूल्य (करोड़ों में)	1,23,112.16	1,15,994.34	1,49,967.38	1,52,925.75	1,70,704.21
संग्रह का मूल्य (करोड़ों में)	1,23,790.43	1,42,050.82	1,61,780.08	1,83,405.36	2,07,685.60
निवल देयता	- 5,162.38	+ 12,989.70	- 10,855.33	- 6,712.96	- 7,832.74

APPENDIX A-3 (i)

Summary Results of Valuation					(₹ in crores)
Particulars	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014
Active Members	2,81,14,028	2,60,94,893	3,27,66,321	3,34,20,161	3,49,14,215
Pensioners	35,10,006	36,00,089	41,03,014	44,00,231	46,90,669
Inactive Members	3,06,81,972	3,54,93,107	5,27,33,679	5,53,41,839	8,28,98,785
Present Value of Benefits (in crores)	2,52,064.97	2,45,055.45	3,22,602.79	3,43,044.07	3,86,222.54
Present Value of Contributions (in crores)	1,23,112.16	1,15,994.34	1,49,967.38	1,52,925.75	1,70,704.21
Value of Corpus (in crores)	1,23,790.43	1,42,050.82	1,61,780.08	1,83,405.36	2,07,685.60
Net Liability	- 5,162.38	+ 12,989.70	- 10,855.33	- 6,712.96	- 7,832.74

क.पें.यो. -1995 के अंतर्गत पेंशन संवितरण एजेंसियों की सूची (31.03.2015 तक)

क्र.सं.	क्षे.का. का नाम	बैंक
1	दिल्ली (उ)	पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एच.डी.एफ.सी., आई.सी.आई.सी.आई., एक्सिस
2	दिल्ली (द)	पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एच.डी.एफ.सी., आई.सी.आई.सी.आई., एक्सिस
3	देहरादून	पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक
4	गुडगांव	पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एच.डी.एफ.सी., आई.सी.आई.सी.आई., एक्सिस
5	फरीदाबाद	पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एच.डी.एफ.सी., आई.सी.आई.सी.आई., एक्सिस
6	जयपुर	पंजाब नेशनल बैंक, मध्यांचल ग्रामीण बैंक, एच.डी.एफ.सी., आई.सी.आई.सी.आई., एक्सिस, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
7	शिमला	पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस
8	लुधियाना	पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एच.डी.एफ.सी., एक्सिस
9	चंडीगढ़	पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एच.डी.एफ.सी., एक्सिस, आई.सी.आई.सी.आई.
10	बिहार	पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एच.डी.एफ.सी.
11	मेरठ	पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक
12	कानपुर	पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक
13	हैदराबाद	भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, एच.डी.एफ.सी., एक्सिस, आई.सी.आई.सी.आई.
14	गुंटूर	भारतीय स्टेट बैंक, आंध्रा बैंक, एच.डी.एफ.सी., एक्सिस, आई.सी.आई.सी.आई.
15	निज़ामाबाद	भारतीय स्टेट बैंक, सिंडीकेट बैंक, ग्रामीण बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, एक्सिस
16	भुवनेश्वर	ए.एन.बी., बैंक ऑफ इंडिया, यूको, एच.डी.एफ.सी., एक्सिस, आई.सी.आई.सी.आई.
17	बंगलौर	भारतीय स्टेट बैंक, केनरा, सिंडीकेट बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, विजया बैंक, एच.डी.एफ.सी., एक्सिस, आई.सी.आई.सी.आई., यू.टी.आई.
18	गोवा	भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एच.डी.एफ.सी.
19	गुलबर्गा	पंजाब नेशनल बैंक, केनरा, सिंडीकेट बैंक, कॉरपोरेशन बैंक
20	मंगलौर	भारतीय स्टेट बैंक, केनरा, सिंडीकेट बैंक, आई.सी.आई.सी.आई., कॉरपोरेशन बैंक, विजया बैंक, एक्सिस
21	पीण्वा	भारतीय स्टेट बैंक, केनरा, सिंडीकेट बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, एच.डी.एफ.सी., एक्सिस, आई.सी.आई.सी.आई., अन्य
22	कोयंबतूर	भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, आई.ओ.बी., एच.डी.एफ.सी., एक्सिस, आई.सी.आई.सी.आई.
23	केरल	पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, आई.ओ.बी., केनरा, सिंडीकेट बैंक, फेडरेशन बैंक, एच.डी.एफ.सी., एक्सिस, आई.सी.आई.सी.आई., नॉर्थ मालाबार ग्रामीण बैंक, अन्य
24	मद्रै	भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, आई.ओ.बी., एच.डी.एफ.सी., एक्सिस, आई.सी.आई.सी.आई.
25	तांबरम	भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, आई.ओ.बी., एच.डी.एफ.सी., एक्सिस, आई.सी.आई.सी.आई.
26	चेन्नै	भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, आई.ओ.बी., एच.डी.एफ.सी., एक्सिस, आई.सी.आई.सी.आई.
27	रांची	पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यू.बी.आई., एच.डी.एफ.सी., एक्सिस, आई.सी.आई.सी.आई.
28	जलपाईगुडी	भारतीय स्टेट बैंक, यू.बी.आई., यूको, सी.बी.आई., उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
29	कोलकाता	पंजाब नेशनल बैंक, यू.बी.आई., एच.डी.एफ.सी., एक्सिस, आई.सी.आई.सी.आई.
30	गुवाहाटी	भारतीय स्टेट बैंक, एच.डी.एफ.सी., एक्सिस, आई.सी.आई.सी.आई.
31	रायपुर	पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एच.डी.एफ.सी., एक्सिस, आई.सी.आई.सी.आई., सी.बी.आई., अन्य
32	बान्द्रा	पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एच.डी.एफ.सी., एक्सिस, आई.सी.आई.सी.आई., बैंक ऑफ महाराष्ट्र
33	थाणे	पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एच.डी.एफ.सी., एक्सिस, आई.सी.आई.सी.आई., अन्य
34	कांदिवली	पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एच.डी.एफ.सी., एक्सिस, आई.सी.आई.सी.आई.
35	पुणे	पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एच.डी.एफ.सी., एक्सिस, आई.सी.आई.सी.आई., बैंक ऑफ महाराष्ट्र
36	नागपुर	पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एच.डी.एफ.सी., एक्सिस, आई.सी.आई.सी.आई.
37	अहमदाबाद	भारतीय स्टेट बैंक, देना, एच.डी.एफ.सी.
38	सूरत	भारतीय स्टेट बैंक, देना, एच.डी.एफ.सी., एक्सिस, आई.सी.आई.सी.आई.
39	वडोदरा	भारतीय स्टेट बैंक, देना
40	इंदौर	पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एच.डी.एफ.सी., एक्सिस, आई.सी.आई.सी.आई.

APPENDIX A-3 (ii)**List of Pension disbursing agencies under EPS-1995 as on 31.03.2015**

S.No.	Name of the ROs	Banks
1	Delhi (N)	PNB, SBI, IB, UBI, HDFC, ICICI, AXIS
2	Delhi (S)	PNB, SBI, IB, UBI, HDFC, ICICI, AXIS
3	Dehradun	PNB, SBI
4	Gurgaon	PNB, SBI, HDFC, ICICI, AXIS
5	Faridabad	PNB, SBI, HDFC, ICICI, AXIS
6	Jaipur	PNB, M.G.B, HDFC, ICICI, AXIS, SBBJ, BOB, BRKG
7	Shimla	PNB, SBI, AXIS
8	Ludhiana	PNB, SBI, HDFC, AXIS
9	Chandigarh	PNB, SBI, HDFC, AXIS, ICICI
10	Bihar	PNB, BOI, HDFC
11	Meerut	PNB, SBI
12	Kanpur	PNB, SBI
13	Hyderabad	SBI, UBI, AB, HDFC, AXIS, ICICI
14	Guntur	SBI, AB, HDFC, AXIS, ICICI
15	Nizamabad	SBI, SY. BANK, GR. BANK, UBI, AB, AXIS
16	Bhubaneswar	ANB, BOI, UCO, HDFC, AXIS, ICICI
17	Bangalore	SBI, CANARA, SY. BANK, CORP. BANK, VIJAYA BANK, HDFC, AXIS, ICICI, UTI
18	Goa	SBI, BOI, HDFC
19	Gulbarga	SBI, CANARA, SY. BANK, ICICI, CORP. BANK
20	Mangalore	SBI, CANARA, SY. BANK, CORP. BANK, VIJAYA BANK, AXIS
21	Peenya	SBI, CANARA BANK, SY. BANK, CORP. BANK, HDFC, AXIS, ICICI, OTHERS
22	Coimbatore	SBI, IB, IOB, HDFC, AXIS, ICICI
23	Kerala	PNB, SBI, IB, IOB, CANARA, SY. BANK, FED.BANK, HDFC, AXIS, ICICI, NM Gramin Bank, OTHERS
24	Madurai	SBI, IB, IOB, HDFC, AXIS, ICICI
25	Tambaram	SBI, IB, IOB, HDFC, AXIS, ICICI
26	Chennai	SBI, IB, IOB, HDFC, AXIS, ICICI
27	Ranchi	PNB, BOI, UBI, HDFC, AXIS, ICICI
28	Jalpaiguri	SBI, UBI, UCO, CBI, UBKG BANK
29	Kolkata	PNB, UBI, HDFC, AXIS, ICICI
30	Guwahati	SBI, HDFC, AXIS, ICICI
31	Raipur	PNB, SBI, HDFC, AXIS, ICICI, CBI, OTHERS
32	Bandra	PNB, SBI, BOI, HDFC, AXIS, ICICI, BOM
33	Thane	PNB, SBI, BOI, HDFC, AXIS, ICICI, OTHERS
34	Kandivali	PNB, SBI, BOI, HDFC, AXIS, ICICI
35	Pune	PNB, SBI, BOI, HDFC, AXIS, ICICI, BOM
36	Nagpur	PNB, SBI, BOI, HDFC, AXIS, ICICI
37	Ahmedabad	SBI, DENA, HDFC
38	Surat	SBI, DENA, HDFC, AXIS, ICICI
39	Vadodara	SBI, DENA
40	Indore	PNB, SBI, HDFC, AXIS, ICICI

परिशिष्ट ए -3(iii)

पेंशनभोक्तारों का वरीकरण 31.03.2015

क्र.सं.	क्षेत्र	पेंशन निधि के सदस्य	पूर्व पेंशन (50-57 वर्ष)	अधिवर्षिता पेंशन (58 वर्ष)	पेंशनभोक्ता सदस्य				पति/पत्नी पेंशनभोक्ता				कुल	अन्य पेंशनभोक्ता	नामिती पेंशनभोक्ता	माता/पिता पेंशनभोक्ता	कुल
					अथवा पेंशन	कुल	सेवा में मृत्यु	सेवा छोड़ने के बाद मृत्यु	कुल	बाल पेंशनभोक्ता	कुल						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1- दिल्ली - उ.खंड	डी.एन.	5548839	20164	33528	14	53706	3263	10818	3788	17869	0	9092	9092	393	172	172	81404
2	डी.एन.	6739625	5542	10802	4	16348	66	4088	943	5097	0	3432	3432	103	54	206	25240
3	डू.के.	1740355	9437	19467	13	28917	1911	7688	647	10246	3	9826	9829	301	104	282	49679
4 - महा. -छ. गढ़	एस.एन.	9225755	44788	24292	28	69108	7471	12275	0	19746	95	11901	11996	657	221	419	102147
5	सी.डू.	3089943	95885	90938	181	187004	7991	26606	4897	39494	25	30049	30074	2477	322	878	260249
6	डी.एन.	5757792	53626	48591	27	102244	6	9424	12140	21570	7	23199	23206	1056	359	731	149166
7	एन.डी.	1711598	67830	61750	116	129696	1399	35517	2369	39285	0	21480	21480	662	234	711	192068
8	के.डी.	5380622	58098	68658	61	126817	23	14031	11990	26044	0	9824	9824	263	146	652	163746
9	सी.डी.	958592	23165	24950	46	48161	2070	6497	1685	10252	0	4808	4808	164	41	58	63484
10 - कर्ना. -गोवा	के.एन.	2021973	82744	33232	83	116059	3362	15417	2324	21103	57	14545	14602	918	935	815	154432
11	सी.आई.	8623287	23599	22862	13	46474	27	6563	2611	9201	0	5144	5144	148	98	690	61755
12	सी.डी.	5124013	26073	29154	26	55253	146	17464	1910	19520	0	7518	7518	844	215	696	84046
13	सी.डी.	920064	36122	32681	48	68851	4126	14109	2937	21172	60	18755	18815	574	218	654	110284
14	सी.ए.	1180412	2486	8333	16	10835	519	2399	208	3126	0	2290	2290	72	97	74	16494
15 - आ.प्र. - उड़ीसा	सी.आई.	3234816	52157	72187	52	124396	9050	57406	12	66468	109	28998	29107	1061	744	1420	223196
16	एन.डी.	1373707	98772	17417	32	116221	1576	13590	1041	16207	70	12322	12392	1287	226	774	147107
17	ए.डी.	6926912	54006	41807	31	95844	3903	12056	3351	19310	32	6627	6659	563	278	483	123137
18	के.आई.	2613728	43695	46438	43	90176	3827	9746	4717	18290	19	15385	15404	505	154	475	125004
19 - गुज. - म.प्र.	सी.डी.	1912952	18448	24049	10	42507	1480	6534	0	8014	0	3828	3828	78	133	79	54639
20	सी.जे.	6318286	67095	72627	20	139742	5663	27021	9843	42527	0	19304	19304	646	265	755	203239
21	एस.आई.	4949935	14514	17804	21	32339	1252	6101	1870	9223	0	5158	5158	127	121	308	47276
22	एन.डी.	3609839	78379	41953	66	120398	5732	19328	4827	29887	29	24861	24890	561	304	455	176495
23 - हरि. - राज.	एस.आई.	4202826	25030	21703	18	46751	1406	10082	1228	12716	6	10080	10086	247	105	373	70278
24	सी.एन.	2111275	9200	12438	25	21663	896	7858	870	9624	91	8039	8130	270	166	274	40127
25	आई.डी.	2564141	43671	36737	56	80464	5170	17492	5601	28263	39	15029	15068	521	171	425	124912
26 - प.प्र. -म.प्र. -आर.खंड	के.एन.	1730244	16744	33788	11	50543	1522	20259	3171	24952	45	17886	17931	859	176	270	94731
27	हल्द्वारी.	3047066	82932	143672	37	226641	6703	47204	4787	58694	0	24004	24004	565	485	842	311231
28	एन.डी.	416429	10802	16021	9	26832	1223	6959	567	8749	0	8697	8697	190	99	102	44669
29	के.एन.	935998	42577	54361	3	96941	3436	4558	4227	12221	22	18084	18106	181	22	17	127488
30 - त.म.प्र. - केरल	डी.एन.	7851382	30627	34468	10	65105	6031	7595	2520	16146	35	10377	10412	463	261	597	92984
31	डी.डी.	2921143	40290	26218	10	66518	4695	11404	3660	19759	2	17680	17682	488	452	1085	105984
32	एन.डी.	2636639	104672	36002	75	140749	5449	23607	4153	33209	58	17520	17578	1035	720	884	194175
33	सी.डी.	103835	58165	103835	48	162048	7160	20744	5317	33221	81	15816	15997	330	333	674	212503
34	के.आई.	2126452	117308	145103	640	263051	6110	36246	6197	48553	175	13631	13806	681	630	1018	327739
35 - उ.प्र. - बिहार	डू.डी.	764481	119976	111820	34	231830	12769	22907	2841	38517	358	42331	42689	946	339	160	314481
36	एस.आई.	1108866	29944	30451	10	60405	3438	12864	1520	17822	24	22034	22058	589	202	498	101574
37	सी.आई.	269325	57202	57277	15	114494	4555	19865	872	25292	1	27547	27548	330	136	108	167908
38 - पंजाब - हि.प्र.	एन.डी.	2790855	20021	26323	41	46385	3533	10160	906	14599	54	16828	16882	351	153	305	78675
39	सी.डी.	2723872	10460	24549	11	35020	1988	7232	1185	10405	99	8222	8321	8587	117	313	62763
40	एन.डी.	1097628	4185	6127	9	10321	955	3039	150	4144	0	3188	3188	22	61	152	17888
कुल		132534438	1846101	1718743	2013	3566857	141902	624753	123882	890537	1596	585339	586935	30115	10069	19884	5104397

APPENDIX A-3(iii)

Classification of Pensioners as on 31.03.2015																		
Sl. No.	Regi on	Members of Pension Fund	Member Pensioners			Spouse Pensioners					Total	Children Pension		Total	Orpha n Pensio ners	Nomin ee Pensio ners	Parent Pension ers	Total
			Early Pension (50-57 years)	Superannuation Pension (58 years)	Disabl ement pension	Total	Death in Service		Death away from Service	EPF'71		EPS'95	EPF'71					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1-DL-UK	DL	5548839	20164	33528	14	53706	3263	10818	3788	17869	0	9092	9092	393	172	172	81404	
2	DS	6739625	5542	10802	4	16348	66	4088	943	5097	0	3432	3432	103	54	206	25240	
3	UK	1740355	9437	19467	13	28917	1911	7688	647	10246	3	9826	9829	301	104	282	49679	
4 - MH-CH	MH	9225755	44788	24292	28	69108	7471	12275	0	19746	95	11901	11996	657	221	419	102147	
5	PU	3089943	95885	90938	181	187004	7991	26606	4897	39494	25	30049	30074	2477	322	878	260249	
6	TH	5757792	53626	48591	27	102244	6	9424	12140	21570	7	23199	23206	1056	359	731	149166	
7	NG	1711598	67830	61750	116	129696	1399	35517	2369	39285	0	21480	21480	662	234	711	192068	
8	KD	5380622	58098	68658	61	126817	23	14031	11990	26044	0	9824	9824	263	146	652	163746	
9	CG	958592	23165	24950	46	48161	2070	6497	1685	10252	0	4808	4808	164	41	58	63484	
10 - KN-GOA	KN	2021973	82744	33232	83	116059	3362	15417	2324	21103	57	14545	14602	918	935	815	154432	
11	PY	8623287	23599	22862	13	46474	27	6563	2611	9201	0	5144	5144	148	98	690	61755	
12	BG	5124013	26073	29154	26	55253	146	17464	1910	19520	0	7518	7518	844	215	696	84046	
13	GB	920064	36122	32681	48	68851	4126	14109	2937	21172	60	18755	18815	574	218	654	110284	
14	GA	1180412	2486	8333	16	10835	519	2399	208	3126	0	2290	2290	72	97	74	16494	
15 - AP-OR	GR	3234816	52157	72187	52	124396	9050	57406	12	66468	109	28998	29107	1061	744	1420	223196	
16	NZ	1373707	98772	17417	32	116221	1576	13590	1041	16207	70	12322	12392	1287	226	774	147107	
17	AP	6926912	54006	41807	31	95844	3903	12056	3351	19310	32	6627	6659	563	278	483	123137	
18	OR	2613728	43695	46438	43	90176	3827	9746	4717	18290	19	15385	15404	505	154	475	125004	
19 - GJ-MP	VD	1912952	18448	24049	10	42507	1480	6534	0	8014	0	3828	3828	78	133	79	54639	
20	GJ	6318286	67095	72627	20	139742	5663	27021	9843	42527	0	19304	19304	646	265	755	203239	
21	SR	4949935	14514	17804	21	32339	1252	6101	1870	9223	0	5158	5158	127	121	308	47276	
22	MP	3609839	78379	41953	66	120398	5732	19328	4827	29887	29	24861	24890	561	304	455	176495	
23 - HR-RJ	HR	4202826	25030	21703	18	46751	1406	10082	1228	12716	6	10080	10086	247	105	373	70278	
24	GN	2111275	9200	12438	25	21663	896	7858	870	9624	91	8039	8130	270	166	274	40127	
25	RJ	2564141	43671	36737	56	80464	5170	17492	5601	28263	39	15029	15068	521	171	425	124912	
26 - WB-NER-JH	JL	1730244	16744	33788	11	50543	1522	20259	3171	24952	45	17886	17931	859	176	270	94731	
27	WB	3047066	82932	143672	37	226641	6703	47204	4787	58694	0	24004	24004	565	485	842	311231	
28	NE	416429	10802	16021	9	26832	1223	6959	567	8749	0	8697	8697	190	99	102	44669	
29	JH	935998	42577	54361	3	96941	3436	4558	4227	12221	22	18084	18106	181	22	17	127488	
30 - TN-KR	TN	7851382	30627	34468	10	65105	6031	7595	2520	16146	35	10377	10412	463	261	597	92984	
31	TB	2921143	40290	26218	10	66518	4695	11404	3660	19759	2	17680	17682	488	452	1085	105984	
32	MD	2636639	104672	36002	75	140749	5449	23607	4153	33209	58	17520	17578	1035	720	884	194175	
33	CB	4272771	103835	58165	48	162048	7160	20744	5317	33221	81	15816	15897	330	333	674	212503	
34	KR	2126452	117308	145103	640	263051	6110	36246	6197	48553	175	13631	13806	681	630	1018	327739	
35 - UP-BR	UP	764481	119976	111820	34	231830	12769	22907	2841	38517	358	42331	42689	946	339	160	314481	
36	MR	1108866	29944	30451	10	60405	3438	12864	1520	17822	24	22034	22058	589	202	498	101574	
37	BR	269325	57202	57277	15	114494	4555	19865	872	25292	1	27547	27548	330	136	108	167908	
38 - PB-HP	LD	2790855	20021	26323	41	46385	3533	10160	906	14599	54	16828	16882	351	153	305	78675	
39	PB	2723872	10460	24549	11	35020	1988	7232	1185	10405	99	8222	8321	8587	117	313	62763	
40	HP	1097628	4185	6127	9	10321	955	3039	150	4144	0	3188	3188	22	61	152	17888	
Total		132534438	1846101	1718743	2013	3566857	141902	624753	123882	890537	1596	585339	586935	30115	10069	19884	5104397	

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अंतर्गत भविष्य निधि दावों का निपटान

(अछूट प्राप्त क्षेत्र)

क्षेत्र	कार्यभार	लौटाए गए / निरस्त	लौटाए गए / निरस्त किए गए दावों का अनुपात	निबल कार्यभार	निपटाए गए दावे	निबल कार्यभार दावों के निपटान का अनुपात	लंबित दावे 31.03.2015 को	निबल कार्यभार पर लंबित दावों का अनुपात
देहरादून	93128	10439	11.21%	82689	82689	100.00%	0	0.00%
दिल्ली (उत्तर)	221553	11721	5.29%	209832	209828	100.00%	4	0.00%
दिल्ली (दक्षिण)	213094	22993	10.79%	190101	190088	99.99%	13	0.01%
आ.का. (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	527775	45153	8.56%	482622	482605	100.00%	17	0.00%
चंडीगढ़	131782	12728	9.66%	119054	119051	100.00%	3	0.00%
लुधियाना	116324	7018	6.03%	109306	109267	99.96%	39	0.04%
शिमला	61782	8292	13.42%	53490	52941	98.97%	549	1.03%
आ.का. (पंजाब एवं हि. प्रदेश)	309888	28038	9.05%	281850	281259	99.79%	591	0.21%
कानपुर	93355	6984	7.48%	86371	86342	99.97%	29	0.03%
मेरठ	179809	17825	9.91%	161984	161983	100.00%	1	0.00%
पटना	32673	2527	7.73%	30146	29987	99.47%	159	0.53%
आ.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	305837	27336	8.94%	278501	278312	99.93%	189	0.07%
फरीदाबाद	208531	26599	12.76%	181932	181932	100.00%	0	0.00%
गुडगांव	321337	50123	15.60%	271214	263623	97.20%	7591	2.80%
जयपुर	152290	16785	11.02%	135505	135499	100.00%	6	0.00%
आ.का. (हरियाणा एवं राजस्थान)	682158	93507	13.71%	588651	581054	98.71%	7597	1.29%
अहमदाबाद	222181	25865	11.64%	196316	196135	99.91%	181	0.09%
वडोदा	79852	10582	13.25%	69270	66115	95.45%	3155	4.55%
इंदौर	165048	14641	8.87%	150407	150407	100.00%	0	0.00%
सुरत	146831	9411	6.41%	137420	137420	100.00%	0	0.00%
आ.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	613912	60499	9.85%	553413	550077	99.40%	3336	0.60%
कांदिवाली	272800	37694	13.82%	235106	231592	98.51%	3514	1.49%
मुंबई-I बांद्रा	342883	42711	12.46%	300172	296354	98.73%	3818	1.27%
मुंबई-II थाणे	237719	27792	11.69%	209927	209794	99.94%	133	0.06%
नागपुर	120105	5350	4.45%	114755	114755	100.00%	0	0.00%
पुणे	362864	34126	9.40%	328738	325779	99.10%	2959	0.90%
रायपुर	49615	7309	14.73%	42306	42251	99.87%	55	0.13%
आ.का. (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	1385986	154982	11.18%	1231004	1220525	99.15%	10479	0.85%
बंगलौर	260530	30344	11.65%	230186	230184	100.00%	2	0.00%
गुलबर्गा	58085	5586	9.62%	52499	52382	99.78%	117	0.22%
मंगलौर	113722	8749	7.69%	104973	104852	99.88%	121	0.12%
पणजी	42121	4496	10.67%	37625	37408	99.42%	217	0.58%
पीणया	412737	49087	11.89%	363650	363647	100.00%	3	0.00%
आ.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	887195	98262	11.08%	788933	788473	99.94%	460	0.06%
भुवनेश्वर	119329	17955	15.05%	101374	101374	100.00%	0	0.00%
गुन्टूर	157155	16848	10.72%	140307	139815	99.65%	492	0.35%
हैदराबाद	339037	43977	12.97%	295060	294412	99.78%	648	0.22%
निजामाबाद	40017	3457	8.64%	36560	36560	100.00%	0	0.00%
आ.का. (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	655538	82237	12.54%	573301	572161	99.80%	1140	0.20%
चेन्नै	385552	55264	14.33%	330288	319427	96.71%	10861	3.29%
कोयम्बतूर	219647	26495	12.06%	193152	192476	99.65%	676	0.35%
मद्रास	156827	11403	7.27%	145424	145424	100.00%	0	0.00%
तांवरम	143450	15274	10.65%	128176	127839	99.74%	337	0.26%
तिरुवनंतपुरम	156896	15479	9.87%	141417	140185	99.13%	1232	0.87%
आ.का. (तमिलनाडु एवं केरल)	1062372	123915	11.66%	938457	925351	98.60%	13106	1.40%
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	34489	3158	9.16%	31331	31253	99.75%	78	0.25%
जलपाईगुड़ी	142085	16947	11.93%	125138	125138	100.00%	0	0.00%
कोलकाता	178507	12232	6.85%	166275	166275	100.00%	0	0.00%
रांची	75245	6037	8.02%	69208	69208	100.00%	0	0.00%
आ.का. (प.बं.पू.क्षे. एवं झारखंड)	430326	38374	8.92%	391952	391874	99.98%	78	0.02%
अखिल भारतीय	6860987	752303	10.96%	6108684	6071691	99.39%	36993	0.61%

Settlement of Provident Fund Claims under Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (Unexempted Sector)

Region	Workload	Returned / Rejected	Returned / Rejected Ratio	Net Workload	Claims Settled	Settlement Ratio on Net Workload	Claims Pending as on 31.03.2015	Pendency Ratio on Net Workload
Dehradun	93128	10439	11.21%	82689	82689	100.00%	0	0.00%
Delhi (North)	221553	11721	5.29%	209832	209828	100.00%	4	0.00%
Delhi (South)	213094	22993	10.79%	190101	190088	99.99%	13	0.01%
ZO (DL & UK)	527775	45153	8.56%	482622	482605	100.00%	17	0.00%
Chandigarh	131782	12728	9.66%	119054	119051	100.00%	3	0.00%
Ludhiana	116324	7018	6.03%	109306	109267	99.96%	39	0.04%
Shimla	61782	8292	13.42%	53490	52941	98.97%	549	1.03%
ZO (PN & HP)	309888	28038	9.05%	281850	281259	99.79%	591	0.21%
Kanpur	93355	6984	7.48%	86371	86342	99.97%	29	0.03%
Meerut	179809	17825	9.91%	161984	161983	100.00%	1	0.00%
Patna	32673	2527	7.73%	30146	29987	99.47%	159	0.53%
ZO (UP & BR)	305837	27336	8.94%	278501	278312	99.93%	189	0.07%
Faridabad	208531	26599	12.76%	181932	181932	100.00%	0	0.00%
Gurgaon	321337	50123	15.60%	271214	263623	97.20%	7591	2.80%
Jaipur	152290	16785	11.02%	135505	135499	100.00%	6	0.00%
ZO (HR & RJ)	682158	93507	13.71%	588651	581054	98.71%	7597	1.29%
Ahmedabad	222181	25865	11.64%	196316	196135	99.91%	181	0.09%
Baroda	79852	10582	13.25%	69270	66115	95.45%	3155	4.55%
Indore	165048	14641	8.87%	150407	150407	100.00%	0	0.00%
Surat	146831	9411	6.41%	137420	137420	100.00%	0	0.00%
ZO (GJ & MP)	613912	60499	9.85%	553413	550077	99.40%	3336	0.60%
Kandivili	272800	37694	13.82%	235106	231592	98.51%	3514	1.49%
Mumbai-I Bandra	342883	42711	12.46%	300172	296354	98.73%	3818	1.27%
Mumbai-II Thane	237719	27792	11.69%	209927	209794	99.94%	133	0.06%
Nagpur	120105	5350	4.45%	114755	114755	100.00%	0	0.00%
Pune	362864	34126	9.40%	328738	325779	99.10%	2959	0.90%
Raipur	49615	7309	14.73%	42306	42251	99.87%	55	0.13%
ZO (MH & CG)	1385986	154982	11.18%	1231004	1220525	99.15%	10479	0.85%
Bangalore	260530	30344	11.65%	230186	230184	100.00%	2	0.00%
Gulbarga	58085	5586	9.62%	52499	52382	99.78%	117	0.22%
Mangalore	113722	8749	7.69%	104973	104852	99.88%	121	0.12%
Panaji	42121	4496	10.67%	37625	37408	99.42%	217	0.58%
Peenya	412737	49087	11.89%	363650	363647	100.00%	3	0.00%
ZO (KN & Goa)	887195	98262	11.08%	788933	788473	99.94%	460	0.06%
Bhubaneswar	119329	17955	15.05%	101374	101374	100.00%	0	0.00%
Guntur	157155	16848	10.72%	140307	139815	99.65%	492	0.35%
Hyderabad	339037	43977	12.97%	295060	294412	99.78%	648	0.22%
Nizamabad	40017	3457	8.64%	36560	36560	100.00%	0	0.00%
ZO (AP & OR)	655538	82237	12.54%	573301	572161	99.80%	1140	0.20%
Chennai	385552	55264	14.33%	330288	319427	96.71%	10861	3.29%
Coimbatore	219647	26495	12.06%	193152	192476	99.65%	676	0.35%
Madurai	156827	11403	7.27%	145424	145424	100.00%	0	0.00%
Tambaram	143450	15274	10.65%	128176	127839	99.74%	337	0.26%
Thiruvananthapuram	156896	15479	9.87%	141417	140185	99.13%	1232	0.87%
ZO (TN & KR)	1062372	123915	11.66%	938457	925351	98.60%	13106	1.40%
Guwahati (NER)	34489	3158	9.16%	31331	31253	99.75%	78	0.25%
Jalpaiguri	142085	16947	11.93%	125138	125138	100.00%	0	0.00%
Kolkata	178507	12232	6.85%	166275	166275	100.00%	0	0.00%
Ranchi	75245	6037	8.02%	69208	69208	100.00%	0	0.00%
ZO (WB, NER & JH)	430326	38374	8.92%	391952	391874	99.98%	78	0.02%
All INDIA	6860987	752303	10.96%	6108684	6071691	99.39%	36993	0.61%

योजना के अंतर्गत प्रदत्त आंशिक प्रत्याहरण (अछूट प्राप्त)

क्षेत्र	कार्यभार	लौटाए गए / निरस्त	लौटाए गए / निरस्त किए गए दावों का अनुपात	निवल कार्यभार	निपटाए गए दावे	निवल कार्यभार दावों के निपटान का अनुपात	लंबित दावे 31.03.2015 को	निवल कार्यभार पर लंबित दावों का अनुपात
देहरादून	7957	815	10.24%	7142	7139	99.96%	3	0.04%
दिल्ली (उत्तर)	8879	1055	11.88%	7824	7824	100.00%	0	0.00%
दिल्ली (दक्षिण)	6560	1573	23.98%	4987	4987	100.00%	0	0.00%
आं.का. (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	23396	3443	14.72%	19953	19950	99.98%	3	0.02%
चंडीगढ़	10007	1019	10.18%	8988	8988	100.00%	0	0.00%
लुधियाना	9166	758	8.27%	8408	8407	99.99%	1	0.01%
शिमला	3864	628	16.25%	3236	3190	98.58%	46	1.42%
आं.का. (पंजाब एवं हि. प्रदेश)	23037	2405	10.44%	20632	20585	99.77%	47	0.23%
कानपुर	18968	1203	6.34%	17765	17764	99.99%	1	0.01%
मेरठ	28437	2065	7.26%	26372	26370	99.99%	2	0.01%
पटना	3965	320	8.07%	3645	3632	99.64%	13	0.36%
आं.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	51370	3588	6.98%	47782	47766	99.97%	16	0.03%
फरीदाबाद	9424	1201	12.74%	8223	8223	100.00%	0	0.00%
गुडगांव	10955	1737	15.86%	9218	9061	98.30%	157	1.70%
जयपुर	9792	1432	14.62%	8360	8360	100.00%	0	0.00%
आं.का. (हरियाणा एवं राजस्थान)	30171	4370	14.48%	25801	25644	99.39%	157	0.61%
अहमदाबाद	7287	1646	22.59%	5641	5623	99.68%	18	0.32%
बड़ौदा	3458	964	27.88%	2494	2368	94.95%	126	5.05%
इंदौर	20532	3092	15.06%	17440	17439	99.99%	1	0.01%
सूरत	11316	491	4.34%	10825	10825	100.00%	0	0.00%
आं.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	42593	6193	14.54%	36400	36255	99.60%	145	0.40%
काठिवाली	11676	2561	21.93%	9115	8915	97.81%	200	2.19%
मुंबई-I वांद्रा	7793	2209	28.35%	5584	5263	94.25%	321	5.75%
मुंबई-II थाणे	6479	1817	28.04%	4662	4645	99.64%	17	0.36%
नागपुर	15014	1692	11.27%	13322	13309	99.90%	13	0.10%
पुणे	15335	3216	20.97%	12119	12009	99.09%	110	0.91%
रायपुर	3942	864	21.92%	3078	3076	99.94%	2	0.06%
आं.का. (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	60239	12359	20.52%	47880	47217	98.62%	663	1.38%
बंगलूर	7392	2603	35.21%	4789	4766	99.52%	23	0.48%
गुलबर्गा	7697	1045	13.58%	6652	6626	99.61%	26	0.39%
मंगलूर	7869	1739	22.10%	6130	6107	99.62%	23	0.38%
पणजी	1280	226	17.66%	1054	1031	97.82%	23	2.18%
पीण्या	10812	3763	34.80%	7049	7049	100.00%	0	0.00%
आं.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	35050	9376	26.75%	25674	25579	99.63%	95	0.37%
मुंबनेखर	26775	3909	14.60%	22866	22866	100.00%	0	0.00%
मुम्बई	29512	3356	11.37%	26156	26095	99.77%	61	0.23%
हैदराबाद	24266	5399	22.25%	18867	18728	99.26%	139	0.74%
निजामाबाद	9349	430	4.60%	8919	8919	100.00%	0	0.00%
आं.का. (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	89902	13094	14.56%	76808	76608	99.74%	200	0.26%
चेन्नै	15660	3918	25.02%	11742	11360	96.75%	382	3.25%
कोयम्बतूर	32360	6074	18.77%	26286	26235	99.81%	51	0.19%
मद्रै	9373	1639	17.49%	7734	7722	99.84%	12	0.16%
तांवरम	13038	2300	17.64%	10738	10682	99.48%	56	0.52%
तिरुवनंतपुरम	52702	7256	13.77%	45446	44851	98.69%	595	1.31%
आं.का. (तमिलनाडु एवं केरल)	123133	21187	17.21%	101946	100850	98.92%	1096	1.08%
मुंबाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	10228	965	9.43%	9263	9202	99.34%	61	0.66%
जलपाईगुडी	9841	384	3.90%	9457	9457	100.00%	0	0.00%
कोलकाता	17741	1510	8.51%	16231	16228	99.98%	3	0.02%
रांची	5842	434	7.43%	5408	5408	100.00%	0	0.00%
आ.का. (प.बं., पू.क्ष. एवं झारखंड)	43652	3293	7.54%	40359	40295	99.84%	64	0.16%
अखिल भारतीय	522543	79308	15.18%	443235	440749	99.44%	2486	0.56%

APPENDIX A-4 (ii)

Partial Withdrawals granted under Scheme (Unexempted Sector)								
Region	Workload	Returned/ Rejected	Returned/ Rejected Ratio	Net Workload	Claims Settled	Settlement Ratio on Net Workload	Claims Pending as on 31.03.2015	Pendency Ratio on Net Workload
Dehradun	7957	815	10.24%	7142	7139	99.96%	3	0.04%
Delhi (North)	8879	1055	11.88%	7824	7824	100.00%	0	0.00%
Delhi (South)	6560	1573	23.98%	4987	4987	100.00%	0	0.00%
ZO (DL & UK)	23396	3443	14.72%	19953	19950	99.98%	3	0.02%
Chandigarh	10007	1019	10.18%	8988	8988	100.00%	0	0.00%
Ludhiana	9166	758	8.27%	8408	8407	99.99%	1	0.01%
Shimla	3864	628	16.25%	3236	3190	98.58%	46	1.42%
ZO (PN & HP)	23037	2405	10.44%	20632	20585	99.77%	47	0.23%
Kanpur	18968	1203	6.34%	17765	17764	99.99%	1	0.01%
Meerut	28437	2065	7.26%	26372	26370	99.99%	2	0.01%
Patna	3965	320	8.07%	3645	3632	99.64%	13	0.36%
ZO (UP & BR)	51370	3588	6.98%	47782	47766	99.97%	16	0.03%
Faridabad	9424	1201	12.74%	8223	8223	100.00%	0	0.00%
Gurgaon	10955	1737	15.86%	9218	9061	98.30%	157	1.70%
Jaipur	9792	1432	14.62%	8360	8360	100.00%	0	0.00%
ZO (HR & RJ)	30171	4370	14.48%	25801	25644	99.39%	157	0.61%
Ahmedabad	7287	1646	22.59%	5641	5623	99.68%	18	0.32%
Baroda	3458	964	27.88%	2494	2368	94.95%	126	5.05%
Indore	20532	3092	15.06%	17440	17439	99.99%	1	0.01%
Surat	11316	491	4.34%	10825	10825	100.00%	0	0.00%
ZO (GJ & MP)	42593	6193	14.54%	36400	36255	99.60%	145	0.40%
Kandivili	11676	2561	21.93%	9115	8915	97.81%	200	2.19%
Mumbai-I Bandra	7793	2209	28.35%	5584	5263	94.25%	321	5.75%
Mumbai-II Thane	6479	1817	28.04%	4662	4645	99.64%	17	0.36%
Nagpur	15014	1692	11.27%	13322	13309	99.90%	13	0.10%
Pune	15335	3216	20.97%	12119	12009	99.09%	110	0.91%
Raipur	3942	864	21.92%	3078	3076	99.94%	2	0.06%
ZO (MH & CG)	60239	12359	20.52%	47880	47217	98.62%	663	1.38%
Bangalore	7392	2603	35.21%	4789	4766	99.52%	23	0.48%
Gulbarga	7697	1045	13.58%	6652	6626	99.61%	26	0.39%
Mangalore	7869	1739	22.10%	6130	6107	99.62%	23	0.38%
Panaji	1280	226	17.66%	1054	1031	97.82%	23	2.18%
Peenya	10812	3763	34.80%	7049	7049	100.00%	0	0.00%
ZO (KN & Goa)	35050	9376	26.75%	25674	25579	99.63%	95	0.37%
Bhubaneswar	26775	3909	14.60%	22866	22866	100.00%	0	0.00%
Guntur	29512	3356	11.37%	26156	26095	99.77%	61	0.23%
Hyderabad	24266	5399	22.25%	18867	18728	99.26%	139	0.74%
Nizamabad	9349	430	4.60%	8919	8919	100.00%	0	0.00%
ZO (AP & OR)	89902	13094	14.56%	76808	76608	99.74%	200	0.26%
Chennai	15660	3918	25.02%	11742	11360	96.75%	382	3.25%
Coimbatore	32360	6074	18.77%	26286	26235	99.81%	51	0.19%
Madurai	9373	1639	17.49%	7734	7722	99.84%	12	0.16%
Tambaram	13038	2300	17.64%	10738	10682	99.48%	56	0.52%
Thiruvananthapuram	52702	7256	13.77%	45446	44851	98.69%	595	1.31%
ZO (TN & KR)	123133	21187	17.21%	101946	100850	98.92%	1096	1.08%
Guwahati (NER)	10228	965	9.43%	9263	9202	99.34%	61	0.66%
Jalpaiguri	9841	384	3.90%	9457	9457	100.00%	0	0.00%
Kolkata	17741	1510	8.51%	16231	16228	99.98%	3	0.02%
Ranchi	5842	434	7.43%	5408	5408	100.00%	0	0.00%
ZO (WB, NER & JH)	43652	3293	7.54%	40359	40295	99.84%	64	0.16%
All INDIA	522543	79308	15.18%	443235	440749	99.44%	2486	0.56%

योजना के अंतर्गत अंतरण दावों का निपटान (अछूत प्राप्त क्षेत्र)

क्षेत्र	कार्यभार	लौटाए गए / निरस्त	लौटाए गए / निरस्त किए गए दावों का अनुपात	निबल कार्यभार	निपटाए गए दावे	निबल कार्यभार दावों के निपटान का अनुपात	लंबित दावे 31.03.2015 को	निबल कार्यभार पर लंबित दावों का अनुपात
देहरादून	10358	1743	16.83%	8615	8593	99.74%	22	0.26%
दिल्ली (उत्तर)	23002	3703	16.10%	19299	19297	99.99%	2	0.01%
दिल्ली (दक्षिण)	28188	5104	18.11%	23084	22959	99.46%	125	0.54%
आं.का. (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	61548	10550	17.14%	50998	50849	99.71%	149	0.29%
चंडीगढ़	17304	2245	12.97%	15059	15027	99.79%	32	0.21%
लुधियाना	10271	1192	11.61%	9079	9056	99.75%	23	0.25%
शिमला	5005	786	15.70%	4219	4173	98.91%	46	1.09%
आं.का. (पंजाब एवं हि. प्रदेश)	32580	4223	12.96%	28357	28256	99.64%	101	0.36%
कानपुर	14428	1908	13.22%	12520	12505	99.88%	15	0.12%
मेरठ	21632	2863	13.24%	18769	18727	99.78%	42	0.22%
पटना	4180	722	17.27%	3458	3455	99.91%	3	0.09%
आं.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	40240	5493	13.65%	34747	34687	99.83%	60	0.17%
फरीदाबाद	12969	2115	16.31%	10854	10851	99.97%	3	0.03%
गुडगांव	32324	5959	18.44%	26365	25469	96.60%	896	3.40%
जयपुर	24045	3865	16.07%	20180	20140	99.80%	40	0.20%
आं.का. (हरियाणा एवं राजस्थान)	69338	11939	17.22%	57399	56460	98.36%	939	1.64%
अहमदाबाद	29261	4291	14.66%	24970	24957	99.95%	13	0.05%
बड़ौदा	10945	2027	18.52%	8918	8490	95.20%	428	4.80%
इंदौर	15476	2683	17.34%	12793	12793	100.00%	0	0.00%
सुरत	11933	1296	10.86%	10637	10612	99.76%	25	0.24%
आं.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	67615	10297	15.23%	57318	56852	99.19%	466	0.81%
कांदिवली	69908	12159	17.39%	57749	56775	98.31%	974	1.69%
मुंबई-I बांद्रा	109110	26386	24.18%	82724	79906	96.59%	2818	3.41%
मुंबई-II थाणे	36948	7328	19.83%	29620	29549	99.76%	71	0.24%
नागपुर	9124	1667	18.27%	7457	7423	99.54%	34	0.46%
पुणे	48709	8366	17.18%	40343	39936	98.99%	407	1.01%
रायपुर	5904	919	15.57%	4985	4928	98.86%	57	1.14%
आं.का. (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	279703	56825	20.32%	222878	218517	98.04%	4361	1.96%
बंगलूर	40303	9046	22.44%	31257	31231	99.92%	26	0.08%
गुलबर्गा	13075	2305	17.63%	10770	10730	99.63%	40	0.37%
मंगलूर	13816	1760	12.74%	12056	11982	99.39%	74	0.61%
पणजी	3151	674	21.39%	2477	2463	99.43%	14	0.57%
पीणया	70833	12726	17.97%	58107	58040	99.88%	67	0.12%
आं.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	141178	26511	18.78%	114667	114446	99.81%	221	0.19%
भुवनेश्वर	16800	5892	35.07%	10908	10865	99.61%	43	0.39%
गुन्टूर	36760	5837	15.88%	30923	30690	99.25%	233	0.75%
हैदराबाद	71182	11614	16.32%	59568	59207	99.39%	361	0.61%
निजामाबाद	4731	842	17.80%	3889	3889	100.00%	0	0.00%
आं.का. (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	129473	24185	18.68%	105288	104651	99.39%	637	0.61%
चेन्नै	55903	11015	19.70%	44888	43536	96.99%	1352	3.01%
कोयम्बतूर	39411	6583	16.70%	32828	32757	99.78%	71	0.22%
मदुरै	19075	2085	10.93%	16990	16961	99.83%	29	0.17%
तांवरम	18122	3894	21.49%	14228	14193	99.75%	35	0.25%
तिरुवनंतपुरम	25078	3926	15.66%	21152	20906	98.84%	246	1.16%
आं.का. (तमिलनाडु एवं केरल)	157589	27503	17.45%	130086	128353	98.67%	1733	1.33%
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	2166	492	22.71%	1674	1667	99.58%	7	0.42%
जलपाईगुड़ी	903	174	19.27%	729	727	99.73%	2	0.27%
कोलकाता	17864	3242	18.15%	14622	14614	99.95%	8	0.05%
रांची	3831	638	16.65%	3193	3184	99.72%	9	0.28%
आ.का. (प.बं., पू.क्ष. एवं झारखंड)	24764	4546	18.36%	20218	20192	99.87%	26	0.13%
अखिल भारतीय	1004028	182072	18.13%	821956	813263	98.94%	8693	1.06%

Settlement of Transfer Cases under Scheme (Unexempted Sector)								
Region	Workload	Returned/ Rejected	Returned/ Rejected Ratio	Net Workload	Claims Settled	Settlement Ratio on Net Workload	Claims Pending as on 31.03.2015	Pendency Ratio on Net Workload
Dehradun	10358	1743	16.83%	8615	8593	99.74%	22	0.26%
Delhi (North)	23002	3703	16.10%	19299	19297	99.99%	2	0.01%
Delhi (South)	28188	5104	18.11%	23084	22959	99.46%	125	0.54%
ZO (DL & UK)	61548	10550	17.14%	50998	50849	99.71%	149	0.29%
Chandigarh	17304	2245	12.97%	15059	15027	99.79%	32	0.21%
Ludhiana	10271	1192	11.61%	9079	9056	99.75%	23	0.25%
Shimla	5005	786	15.70%	4219	4173	98.91%	46	1.09%
ZO (PN & HP)	32580	4223	12.96%	28357	28256	99.64%	101	0.36%
Kanpur	14428	1908	13.22%	12520	12505	99.88%	15	0.12%
Meerut	21632	2863	13.24%	18769	18727	99.78%	42	0.22%
Patna	4180	722	17.27%	3458	3455	99.91%	3	0.09%
ZO (UP & BR)	40240	5493	13.65%	34747	34687	99.83%	60	0.17%
Faridabad	12969	2115	16.31%	10854	10851	99.97%	3	0.03%
Gurgaon	32324	5959	18.44%	26365	25469	96.60%	896	3.40%
Jaipur	24045	3865	16.07%	20180	20140	99.80%	40	0.20%
ZO (HR & RJ)	69338	11939	17.22%	57399	56460	98.36%	939	1.64%
Ahmedabad	29261	4291	14.66%	24970	24957	99.95%	13	0.05%
Baroda	10945	2027	18.52%	8918	8490	95.20%	428	4.80%
Indore	15476	2683	17.34%	12793	12793	100.00%	0	0.00%
Surat	11933	1296	10.86%	10637	10612	99.76%	25	0.24%
ZO (GJ & MP)	67615	10297	15.23%	57318	56852	99.19%	466	0.81%
Kandivili	69908	12159	17.39%	57749	56775	98.31%	974	1.69%
Mumbai-I Bandra	109110	26386	24.18%	82724	79906	96.59%	2818	3.41%
Mumbai-II Thane	36948	7328	19.83%	29620	29549	99.76%	71	0.24%
Nagpur	9124	1667	18.27%	7457	7423	99.54%	34	0.46%
Pune	48709	8366	17.18%	40343	39936	98.99%	407	1.01%
Raipur	5904	919	15.57%	4985	4928	98.86%	57	1.14%
ZO (MH & CG)	279703	56825	20.32%	222878	218517	98.04%	4361	1.96%
Bangalore	40303	9046	22.44%	31257	31231	99.92%	26	0.08%
Gulbarga	13075	2305	17.63%	10770	10730	99.63%	40	0.37%
Mangalore	13816	1760	12.74%	12056	11982	99.39%	74	0.61%
Panaji	3151	674	21.39%	2477	2463	99.43%	14	0.57%
Peenya	70833	12726	17.97%	58107	58040	99.88%	67	0.12%
ZO (KN & Goa)	141178	26511	18.78%	114667	114446	99.81%	221	0.19%
Bhubaneswar	16800	5892	35.07%	10908	10865	99.61%	43	0.39%
Guntur	36760	5837	15.88%	30923	30690	99.25%	233	0.75%
Hyderabad	71182	11614	16.32%	59568	59207	99.39%	361	0.61%
Nizamabad	4731	842	17.80%	3889	3889	100.00%	0	0.00%
ZO (AP & OR)	129473	24185	18.68%	105288	104651	99.39%	637	0.61%
Chennai	55903	11015	19.70%	44888	43536	96.99%	1352	3.01%
Coimbatore	39411	6583	16.70%	32828	32757	99.78%	71	0.22%
Madurai	19075	2085	10.93%	16990	16961	99.83%	29	0.17%
Tambaram	18122	3894	21.49%	14228	14193	99.75%	35	0.25%
Thiruvananthapuram	25078	3926	15.66%	21152	20906	98.84%	246	1.16%
ZO (TN & KR)	157589	27503	17.45%	130086	128353	98.67%	1733	1.33%
Guwahati (NER)	2166	492	22.71%	1674	1667	99.58%	7	0.42%
Jalpaiguri	903	174	19.27%	729	727	99.73%	2	0.27%
Kolkata	17864	3242	18.15%	14622	14614	99.95%	8	0.05%
Ranchi	3831	638	16.65%	3193	3184	99.72%	9	0.28%
ZO (WB, NER & JH)	24764	4546	18.36%	20218	20192	99.87%	26	0.13%
All INDIA	1004028	182072	18.13%	821956	813263	98.94%	8693	1.06%

कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत मासिक पेंशन दावों का निपटान (अछूट प्राप्त क्षेत्र)

क्षेत्र	कार्यभार	लौटाए गए / निरस्त	लौटाए गए / निरस्त किए गए दावों का अनुपात	निबल कार्यभार	निपटाए गए दावे	निबल कार्यभार दावों के निपटान का अनुपात	लंबित दावे 31.03.2015 को	निबल कार्यभार पर लंबित दावों का अनुपात
देहरादून	5993	1505	25.11%	4488	4269	95.12%	219	4.88%
दिल्ली (उत्तर)	13977	2709	19.38%	11268	11268	100.00%	0	0.00%
दिल्ली (दक्षिण)	5842	2002	34.27%	3840	3798	98.91%	42	1.09%
आं.का. (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	25812	6216	24.08%	19596	19335	98.67%	261	1.33%
चंडीगढ़	6296	1512	24.02%	4784	4784	100.00%	0	0.00%
लुधियाना	5585	1002	17.94%	4583	4549	99.26%	34	0.74%
शिमला	2263	986	43.57%	1277	1267	99.22%	10	0.78%
आं.का. (पंजाब एवं हि. प्रदेश)	14144	3500	24.75%	10644	10600	99.59%	44	0.41%
कानपुर	21407	3311	15.47%	18096	17946	99.17%	150	0.83%
मेरठ	12373	3679	29.73%	8694	8474	97.47%	220	2.53%
पटना	6206	1053	16.97%	5153	5131	99.57%	22	0.43%
आं.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	39986	8043	20.11%	31943	31551	98.77%	392	1.23%
फरीदाबाद	8525	1889	22.16%	6636	6635	99.98%	1	0.02%
गुडगांव	4289	1276	29.75%	3013	2861	94.96%	152	5.04%
जयपुर	15613	6562	42.03%	9051	8791	97.13%	260	2.87%
आं.का. (हरियाणा एवं राजस्थान)	28427	9727	34.22%	18700	18287	97.79%	413	2.21%
अहमदाबाद	19029	4938	25.95%	14091	14072	99.87%	19	0.13%
वडोदा	5421	1765	32.56%	3656	3499	95.71%	157	4.29%
इंदौर	14597	4062	27.83%	10535	10532	99.97%	3	0.03%
सुरत	5297	832	15.71%	4465	4460	99.89%	5	0.11%
आं.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	44344	11597	26.15%	32747	32563	99.44%	184	0.56%
कांठिवली	20860	8779	42.09%	12081	11510	95.27%	571	4.73%
मुंबई-I बांद्रा	35077	10906	31.09%	24171	21358	88.36%	2813	11.64%
मुंबई-II धाणे	15175	7307	48.15%	7868	7766	98.70%	102	1.30%
नागपुर	13713	2566	18.71%	11147	11007	98.74%	140	1.26%
पुणे	22265	6292	28.26%	15973	15867	99.34%	106	0.66%
रायपुर	6024	1313	21.80%	4711	4707	99.92%	4	0.08%
आं.का. (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	113114	37163	32.85%	75951	72215	95.08%	3736	4.92%
बंगलूर	12311	5558	45.15%	6753	6659	98.61%	94	1.39%
गुलबर्गा	8902	2810	31.57%	6092	6010	98.65%	82	1.35%
मंगलूर	17680	4917	27.81%	12763	12718	99.65%	45	0.35%
पणजी	2157	623	28.88%	1534	1479	96.41%	55	3.59%
पीप्या	7991	3456	43.25%	4535	4476	98.70%	59	1.30%
आं.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	49041	17364	35.41%	31677	31342	98.94%	335	1.06%
भुवनेश्वर	16008	6177	38.59%	9831	9764	99.32%	67	0.68%
गुन्डूर	18953	6562	34.62%	12391	12298	99.25%	93	0.75%
हैदराबाद	22128	7563	34.18%	14565	14504	99.58%	61	0.42%
निजामाबाद	15162	3161	20.85%	12001	12001	100.00%	0	0.00%
आं.का. (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	72251	23463	32.47%	48788	48567	99.55%	221	0.45%
चेन्नै	19393	7552	38.94%	11841	9481	80.07%	2360	19.93%
कोयम्बतूर	23767	10365	43.61%	13402	13328	99.45%	74	0.55%
मदुरै	16176	3854	23.83%	12322	12233	99.28%	89	0.72%
तांवरम	8961	3016	33.66%	5945	5902	99.28%	43	0.72%
तिरुवनंतपुरम	29754	8670	29.14%	21084	20194	95.78%	890	4.22%
आं.का. (तमिलनाडु एवं केरल)	98051	33457	34.12%	64594	61138	94.65%	3456	5.35%
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	4579	1262	27.56%	3317	3163	95.36%	154	4.64%
जलपाईगुड़ी	16664	3906	23.44%	12758	12587	98.66%	171	1.34%
कोलकाता	37797	4974	13.16%	32823	32736	99.73%	87	0.27%
रांची	9441	1719	18.21%	7722	7617	98.64%	105	1.36%
आ.का. (प.बं., पू.ओ. एवं झारखंड)	68481	11861	17.32%	56620	56103	99.09%	517	0.91%
अखिल भारतीय	553651	162391	29.33%	391260	381701	97.56%	9559	2.44%

APPENDIX A-4 (iv)

Settlement of Monthly Pension Claims under Pension Scheme (Unexempted Sector)								
Region	Workload	Returned/ Rejected	Returned/ Rejected Ratio	Net Workload	Claims Settled	Settlement Ratio on Net Workload	Claims Pending as on 31.03.2015	Pendency Ratio on Net Workload
Dehradun	5993	1505	25.11%	4488	4269	95.12%	219	4.88%
Delhi (North)	13977	2709	19.38%	11268	11268	100.00%	0	0.00%
Delhi (South)	5842	2002	34.27%	3840	3798	98.91%	42	1.09%
ZO (DL & UK)	25812	6216	24.08%	19596	19335	98.67%	261	1.33%
Chandigarh	6296	1512	24.02%	4784	4784	100.00%	0	0.00%
Ludhiana	5585	1002	17.94%	4583	4549	99.26%	34	0.74%
Shimla	2263	986	43.57%	1277	1267	99.22%	10	0.78%
ZO (PN & HP)	14144	3500	24.75%	10644	10600	99.59%	44	0.41%
Kanpur	21407	3311	15.47%	18096	17946	99.17%	150	0.83%
Meerut	12373	3679	29.73%	8694	8474	97.47%	220	2.53%
Patna	6206	1053	16.97%	5153	5131	99.57%	22	0.43%
ZO (UP & BR)	39986	8043	20.11%	31943	31551	98.77%	392	1.23%
Faridabad	8525	1889	22.16%	6636	6635	99.98%	1	0.02%
Gurgaon	4289	1276	29.75%	3013	2861	94.96%	152	5.04%
Jaipur	15613	6562	42.03%	9051	8791	97.13%	260	2.87%
ZO (HR & RJ)	28427	9727	34.22%	18700	18287	97.79%	413	2.21%
Ahmedabad	19029	4938	25.95%	14091	14072	99.87%	19	0.13%
Baroda	5421	1765	32.56%	3656	3499	95.71%	157	4.29%
Indore	14597	4062	27.83%	10535	10532	99.97%	3	0.03%
Surat	5297	832	15.71%	4465	4460	99.89%	5	0.11%
ZO (GJ & MP)	44344	11597	26.15%	32747	32563	99.44%	184	0.56%
Kandivili	20860	8779	42.09%	12081	11510	95.27%	571	4.73%
Mumbai-I Bandra	35077	10906	31.09%	24171	21358	88.36%	2813	11.64%
Mumbai-II Thane	15175	7307	48.15%	7868	7766	98.70%	102	1.30%
Nagpur	13713	2566	18.71%	11147	11007	98.74%	140	1.26%
Pune	22265	6292	28.26%	15973	15867	99.34%	106	0.66%
Raipur	6024	1313	21.80%	4711	4707	99.92%	4	0.08%
ZO (MH & CG)	113114	37163	32.85%	75951	72215	95.08%	3736	4.92%
Bangalore	12311	5558	45.15%	6753	6659	98.61%	94	1.39%
Gulbarga	8902	2810	31.57%	6092	6010	98.65%	82	1.35%
Mangalore	17680	4917	27.81%	12763	12718	99.65%	45	0.35%
Panaji	2157	623	28.88%	1534	1479	96.41%	55	3.59%
Peenya	7991	3456	43.25%	4535	4476	98.70%	59	1.30%
ZO (KN & Goa)	49041	17364	35.41%	31677	31342	98.94%	335	1.06%
Bhubaneshwar	16008	6177	38.59%	9831	9764	99.32%	67	0.68%
Guntur	18953	6562	34.62%	12391	12298	99.25%	93	0.75%
Hyderabad	22128	7563	34.18%	14565	14504	99.58%	61	0.42%
Nizamabad	15162	3161	20.85%	12001	12001	100.00%	0	0.00%
ZO (AP & OR)	72251	23463	32.47%	48788	48567	99.55%	221	0.45%
Chennai	19393	7552	38.94%	11841	9481	80.07%	2360	19.93%
Coimbatore	23767	10365	43.61%	13402	13328	99.45%	74	0.55%
Madurai	16176	3854	23.83%	12322	12233	99.28%	89	0.72%
Tambaram	8961	3016	33.66%	5945	5902	99.28%	43	0.72%
Thiruvananthapuram	29754	8670	29.14%	21084	20194	95.78%	890	4.22%
ZO (TN & KR)	98051	33457	34.12%	64594	61138	94.65%	3456	5.35%
Guwahati (NER)	4579	1262	27.56%	3317	3163	95.36%	154	4.64%
Jalpaiguri	16664	3906	23.44%	12758	12587	98.66%	171	1.34%
Kolkata	37797	4974	13.16%	32823	32736	99.73%	87	0.27%
Ranchi	9441	1719	18.21%	7722	7617	98.64%	105	1.36%
ZO (WB, NER & JH)	68481	11861	17.32%	56620	56103	99.09%	517	0.91%
All INDIA	553651	162391	29.33%	391260	381701	97.56%	9559	2.44%

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत सभी दावे (मासिक पेंशन दावों को छोड़कर)

(अछूट प्राप्त)

क्षेत्र	कार्यभार	लौटाए गए / निरस्त	लौटाए गए / निरस्त किए गए दावों का अनुपात	निबल कार्यभार	निपटाए गए दावे	निबल कार्यभार दावों के निपटान का अनुपात	लंबित दावे 31.03.2015 को	निबल कार्यभार पर लंबित दावों का अनुपात
देहरादून	82453	13841	16.79%	68612	68607	99.99%	5	0.01%
दिल्ली (उत्तर)	200256	16781	8.38%	183475	183471	100.00%	4	0.00%
दिल्ली (दक्षिण)	205429	31986	15.57%	173443	173374	99.96%	69	0.04%
आं.का. (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	488138	62608	12.83%	425530	425452	99.98%	78	0.02%
चंडीगढ़	115189	15787	13.71%	99402	99399	100.00%	3	0.00%
लुधियाना	101590	9170	9.03%	92420	92395	99.97%	25	0.03%
शिमला	57551	11456	19.91%	46095	45579	98.88%	516	1.12%
आं.का. (पंजाब एवं हि. प्रदेश)	274330	36413	13.27%	237917	237373	99.77%	544	0.23%
कानपुर	74918	8085	10.79%	66833	66831	100.00%	2	0.00%
मेरठ	155596	25535	16.41%	130061	130054	99.99%	7	0.01%
पटना	24087	2606	10.82%	21481	21434	99.78%	47	0.22%
आं.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	254601	36226	14.23%	218375	218319	99.97%	56	0.03%
फरीदाबाद	165283	32416	19.61%	132867	132863	100.00%	4	0.00%
गुडगांव	286220	62601	21.87%	223619	216707	96.91%	6912	3.09%
जयपुर	136665	23250	17.01%	113415	113409	99.99%	6	0.01%
आं.का. (हरियाणा एवं राजस्थान)	588168	118267	20.11%	469901	462979	98.53%	6922	1.47%
अहमदाबाद	199136	33464	16.80%	165672	165506	99.90%	166	0.10%
वडोदा	70569	12724	18.03%	57845	54843	94.81%	3002	5.19%
इंदौर	132317	18153	13.72%	114164	114164	100.00%	0	0.00%
सुरत	129852	13584	10.46%	116268	116263	100.00%	5	0.00%
आं.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	531874	77925	14.65%	453949	450776	99.30%	3173	0.70%
कांदिवाली	254945	51016	20.01%	203929	200404	98.27%	3525	1.73%
मुंबई-I बांद्रा	383029	64155	16.75%	318874	314324	98.57%	4550	1.43%
मुंबई-II थाणे	225263	36247	16.09%	189016	188878	99.93%	138	0.07%
नागपुर	90968	7106	7.81%	83862	83858	100.00%	4	0.00%
पुणे	324867	51445	15.84%	273422	270630	98.98%	2792	1.02%
रायपुर	46104	9420	20.43%	36684	36671	99.96%	13	0.04%
आं.का. (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	1325176	219389	16.56%	1105787	1094765	99.00%	11022	1.00%
बंगलूर	287139	48060	16.74%	239079	239068	100.00%	11	0.00%
गुलबर्गा	52290	7562	14.46%	44728	44610	99.74%	118	0.26%
मंगलूर	98071	14208	14.49%	83863	83756	99.87%	107	0.13%
पणजी	38981	6320	16.21%	32661	32433	99.30%	228	0.70%
पीण्चा	449209	73392	16.34%	375817	375807	100.00%	10	0.00%
आं.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	925690	149542	16.15%	776148	775674	99.94%	474	0.06%
भुवनेश्वर	103330	20110	19.46%	83220	83195	99.97%	25	0.03%
गुन्डूर	142553	20787	14.58%	121766	121315	99.63%	451	0.37%
हैदराबाद	327002	57321	17.53%	269681	269042	99.76%	639	0.24%
निजामाबाद	29168	3684	12.63%	25484	25484	100.00%	0	0.00%
आं.का. (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	602053	101902	16.93%	500151	499036	99.78%	1115	0.22%
चेन्नै	373989	73770	19.73%	300219	288021	95.94%	12198	4.06%
कोयम्बतूर	202396	37814	18.68%	164582	163944	99.61%	638	0.39%
मद्रास	144640	17335	11.98%	127305	127255	99.96%	50	0.04%
तांवरम	130958	21792	16.64%	109166	108860	99.72%	306	0.28%
तिरुवनंतपुरम	128246	22268	17.36%	105978	104917	99.00%	1061	1.00%
आं.का. (तमिलनाडु एवं केरल)	980229	172979	17.65%	807250	792997	98.23%	14253	1.77%
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	29462	3895	13.22%	25567	25491	99.70%	76	0.30%
जलपाईगुड़ी	118162	16198	13.71%	101964	101963	100.00%	1	0.00%
कोलकाता	155871	15764	10.11%	140107	140103	100.00%	4	0.00%
रांची	66225	7704	11.63%	58521	58514	99.99%	7	0.01%
आ.का. (प.बं., पू.के. एवं झारखंड)	369720	43561	11.78%	326159	326071	99.97%	88	0.03%
जम्मू भारतीय	6339979	1018812	16.07%	5321167	5283442	99.29%	37725	0.71%

**Settlement of All Claims (Other than Monthly Pension Claims) under E.P. Scheme, 1995
(Unexempted Sector)**

Region	Workload	Returned/ Rejected	Returned/ Rejected Ratio	Net Workload	Claims Settled	Settlement Ratio on Net Workload	Claims Pending as on 31.03.2015	Pendency Ratio on Net Workload
Dehradun	82453	13841	16.79%	68612	68607	99.99%	5	0.01%
Delhi (North)	200256	16781	8.38%	183475	183471	100.00%	4	0.00%
Delhi (South)	205429	31986	15.57%	173443	173374	99.96%	69	0.04%
ZO (DL & UK)	488138	62608	12.83%	425530	425452	99.98%	78	0.02%
Chandigarh	115189	15787	13.71%	99402	99399	100.00%	3	0.00%
Ludhiana	101590	9170	9.03%	92420	92395	99.97%	25	0.03%
Shimla	57551	11456	19.91%	46095	45579	98.88%	516	1.12%
ZO (PN & HP)	274330	36413	13.27%	237917	237373	99.77%	544	0.23%
Kanpur	74918	8085	10.79%	66833	66831	100.00%	2	0.00%
Meerut	155596	25535	16.41%	130061	130054	99.99%	7	0.01%
Patna	24087	2606	10.82%	21481	21434	99.78%	47	0.22%
ZO (UP & BR)	254601	36226	14.23%	218375	218319	99.97%	56	0.03%
Faridabad	165283	32416	19.61%	132867	132863	100.00%	4	0.00%
Gurgaon	286220	62601	21.87%	223619	216707	96.91%	6912	3.09%
Jaipur	136665	23250	17.01%	113415	113409	99.99%	6	0.01%
ZO (HR & RJ)	588168	118267	20.11%	469901	462979	98.53%	6922	1.47%
Ahmedabad	199136	33464	16.80%	165672	165506	99.90%	166	0.10%
Baroda	70569	12724	18.03%	57845	54843	94.81%	3002	5.19%
Indore	132317	18153	13.72%	114164	114164	100.00%	0	0.00%
Surat	129852	13584	10.46%	116268	116263	100.00%	5	0.00%
ZO (GJ & MP)	531874	77925	14.65%	453949	450776	99.30%	3173	0.70%
Kandivili	254945	51016	20.01%	203929	200404	98.27%	3525	1.73%
Mumbai-I Bandra	383029	64155	16.75%	318874	314324	98.57%	4550	1.43%
Mumbai-II Thane	225263	36247	16.09%	189016	188878	99.93%	138	0.07%
Nagpur	90968	7106	7.81%	83862	83858	100.00%	4	0.00%
Pune	324867	51445	15.84%	273422	270630	98.98%	2792	1.02%
Raipur	46104	9420	20.43%	36684	36671	99.96%	13	0.04%
ZO (MH & CG)	1325176	219389	16.56%	1105787	1094765	99.00%	11022	1.00%
Bangalore	287139	48060	16.74%	239079	239068	100.00%	11	0.00%
Gulbarga	52290	7562	14.46%	44728	44610	99.74%	118	0.26%
Mangalore	98071	14208	14.49%	83863	83756	99.87%	107	0.13%
Panaji	38981	6320	16.21%	32661	32433	99.30%	228	0.70%
Peenya	449209	73392	16.34%	375817	375807	100.00%	10	0.00%
ZO (KN & Goa)	925690	149542	16.15%	776148	775674	99.94%	474	0.06%
Bhubaneswar	103330	20110	19.46%	83220	83195	99.97%	25	0.03%
Guntur	142553	20787	14.58%	121766	121315	99.63%	451	0.37%
Hyderabad	327002	57321	17.53%	269681	269042	99.76%	639	0.24%
Nizamabad	29168	3684	12.63%	25484	25484	100.00%	0	0.00%
ZO (AP & OR)	602053	101902	16.93%	500151	499036	99.78%	1115	0.22%
Chennai	373989	73770	19.73%	300219	288021	95.94%	12198	4.06%
Coimbatore	202396	37814	18.68%	164582	163944	99.61%	638	0.39%
Madurai	144640	17335	11.98%	127305	127255	99.96%	50	0.04%
Tambaram	130958	21792	16.64%	109166	108860	99.72%	306	0.28%
Thiruvananthapuram	128246	22268	17.36%	105978	104917	99.00%	1061	1.00%
ZO (TN & KR)	980229	172979	17.65%	807250	792997	98.23%	14253	1.77%
Guwahati (NER)	29462	3895	13.22%	25567	25491	99.70%	76	0.30%
Jalpaiguri	118162	16198	13.71%	101964	101963	100.00%	1	0.00%
Kolkata	155871	15764	10.11%	140107	140103	100.00%	4	0.00%
Ranchi	66225	7704	11.63%	58521	58514	99.99%	7	0.01%
ZO (WB, NER & JH)	369720	43561	11.78%	326159	326071	99.97%	88	0.03%
All INDIA	6339979	1018812	16.07%	5321167	5283442	99.29%	37725	0.71%

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के दावों का निपटान (अछूत प्राप्त)

क्षेत्र	कार्यभार	लौटाए गए / निरस्त	लौटाए गए / निरस्त किए गए दावों का अनुपात	निवल कार्यभार	निपटाए गए दावे	निवल कार्यभार दावों के निपटान का अनुपात	लंबित दावे 31.03.2015 को	निवल कार्यभार पर लंबित दावों का अनुपात
देहरादून	610	199	32.62%	411	411	100.00%	0	0.00%
दिल्ली (उत्तर)	1195	379	31.72%	816	816	100.00%	0	0.00%
दिल्ली (दक्षिण)	839	314	37.43%	525	523	99.62%	2	0.38%
आं.का. (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	2644	892	33.74%	1752	1750	99.89%	2	0.11%
चंडीगढ़	709	240	33.85%	469	469	100.00%	0	0.00%
लुधियाना	673	132	19.61%	541	540	99.82%	1	0.18%
शिमला	529	279	52.74%	250	247	98.80%	3	1.20%
आं.का. (पंजाब एवं हि. प्रदेश)	1911	651	34.07%	1260	1256	99.68%	4	0.32%
कानपुर	1423	357	25.09%	1066	1065	99.91%	1	0.09%
मेरठ	1314	601	45.74%	713	712	99.86%	1	0.14%
पटना	738	181	24.53%	557	557	100.00%	0	0.00%
आं.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	3475	1139	32.78%	2336	2334	99.91%	2	0.09%
फरीदाबाद	700	286	40.86%	414	414	100.00%	0	0.00%
गुडगांव	658	268	40.73%	390	385	98.72%	5	1.28%
जयपुर	1042	464	44.53%	578	578	100.00%	0	0.00%
आं.का. (हरियाणा एवं राजस्थान)	2400	1018	42.42%	1382	1377	99.64%	5	0.36%
अहमदाबाद	1221	433	35.46%	788	788	100.00%	0	0.00%
वडोदा	416	111	26.68%	305	288	94.43%	17	5.57%
इंदौर	1199	413	34.45%	786	786	100.00%	0	0.00%
सुरत	525	59	11.24%	466	466	100.00%	0	0.00%
आं.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	3361	1016	30.23%	2345	2328	99.28%	17	0.72%
कांठिवली	1954	973	49.80%	981	971	98.98%	10	1.02%
मुंबई-I बांद्रा	2137	920	43.05%	1217	1173	96.38%	44	3.62%
मुंबई-II थाणे	1575	713	45.27%	862	859	99.65%	3	0.35%
नागपुर	966	206	21.33%	760	760	100.00%	0	0.00%
पुणे	2322	900	38.76%	1422	1410	99.16%	12	0.84%
रायपुर	542	183	33.76%	359	359	100.00%	0	0.00%
आं.का. (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	9496	3895	41.02%	5601	5532	98.77%	69	1.23%
बंगलूर	1172	508	43.34%	664	664	100.00%	0	0.00%
गुलबर्गा	857	369	43.06%	488	487	99.80%	1	0.20%
मंगलूर	1247	512	41.06%	735	734	99.86%	1	0.14%
पणजी	272	119	43.75%	153	153	100.00%	0	0.00%
पीण्या	959	314	32.74%	645	645	100.00%	0	0.00%
आं.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	4507	1822	40.43%	2685	2683	99.93%	2	0.07%
भुवनेश्वर	1724	1141	66.18%	583	583	100.00%	0	0.00%
गुन्डूर	2612	1105	42.30%	1507	1496	99.27%	11	0.73%
हैदराबाद	2440	1209	49.55%	1231	1230	99.92%	1	0.08%
निजामाबाद	1073	371	34.58%	702	702	100.00%	0	0.00%
आं.का. (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	7849	3826	48.75%	4023	4011	99.70%	12	0.30%
चेन्नै	2439	1155	47.36%	1284	1181	91.98%	103	8.02%
कोयम्बतूर	2276	1162	51.05%	1114	1114	100.00%	0	0.00%
मदुरै	1333	454	34.06%	879	879	100.00%	0	0.00%
तांवरम	906	329	36.31%	577	574	99.48%	3	0.52%
तिरुवनंतपुरम	2285	1114	48.75%	1171	1138	97.18%	33	2.82%
आं.का. (तमिलनाडु एवं केरल)	9239	4214	45.61%	5025	4886	97.23%	139	2.77%
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	620	213	34.35%	407	403	99.02%	4	0.98%
जलपाईगुड़ी	1994	784	39.32%	1210	1210	100.00%	0	0.00%
कोलकाता	2920	806	27.60%	2114	2114	100.00%	0	0.00%
रांची	474	140	29.54%	334	334	100.00%	0	0.00%
आ.का. (प.बं. प्र.क्षेत्र एवं झारखंड)	6008	1943	32.34%	4065	4061	99.90%	4	0.10%
वर्षागत भारतीय	50890	20416	40.12%	30474	30218	99.16%	256	0.84%

APPENDIX A-4 (vi)

Settlement of Employees' Deposit Linked Insurance Claims (Unexempted Sector)								
Region	Workload	Returned/ Rejected	Returned/ Rejected Ratio	Net Workload	Claims Settled	Settlement Ratio on Net Workload	Claims Pending as on 31.03.2015	Pendency Ratio on Net Workload
Dehradun	610	199	32.62%	411	411	100.00%	0	0.00%
Delhi (North)	1195	379	31.72%	816	816	100.00%	0	0.00%
Delhi (South)	839	314	37.43%	525	523	99.62%	2	0.38%
ZO (DL & UK)	2644	892	33.74%	1752	1750	99.89%	2	0.11%
Chandigarh	709	240	33.85%	469	469	100.00%	0	0.00%
Ludhiana	673	132	19.61%	541	540	99.82%	1	0.18%
Shimla	529	279	52.74%	250	247	98.80%	3	1.20%
ZO (PN & HP)	1911	651	34.07%	1260	1256	99.68%	4	0.32%
Kanpur	1423	357	25.09%	1066	1065	99.91%	1	0.09%
Meerut	1314	601	45.74%	713	712	99.86%	1	0.14%
Patna	738	181	24.53%	557	557	100.00%	0	0.00%
ZO (UP & BR)	3475	1139	32.78%	2336	2334	99.91%	2	0.09%
Faridabad	700	286	40.86%	414	414	100.00%	0	0.00%
Gurgaon	658	268	40.73%	390	385	98.72%	5	1.28%
Jaipur	1042	464	44.53%	578	578	100.00%	0	0.00%
ZO (HR & RJ)	2400	1018	42.42%	1382	1377	99.64%	5	0.36%
Ahmedabad	1221	433	35.46%	788	788	100.00%	0	0.00%
Baroda	416	111	26.68%	305	288	94.43%	17	5.57%
Indore	1199	413	34.45%	786	786	100.00%	0	0.00%
Surat	525	59	11.24%	466	466	100.00%	0	0.00%
ZO (GJ & MP)	3361	1016	30.23%	2345	2328	99.28%	17	0.72%
Kandivili	1954	973	49.80%	981	971	98.98%	10	1.02%
Mumbai-I Bandra	2137	920	43.05%	1217	1173	96.38%	44	3.62%
Mumbai-II Thane	1575	713	45.27%	862	859	99.65%	3	0.35%
Nagpur	966	206	21.33%	760	760	100.00%	0	0.00%
Pune	2322	900	38.76%	1422	1410	99.16%	12	0.84%
Raipur	542	183	33.76%	359	359	100.00%	0	0.00%
ZO (MH & CG)	9496	3895	41.02%	5601	5532	98.77%	69	1.23%
Bangalore	1172	508	43.34%	664	664	100.00%	0	0.00%
Gulbarga	857	369	43.06%	488	487	99.80%	1	0.20%
Mangalore	1247	512	41.06%	735	734	99.86%	1	0.14%
Panaji	272	119	43.75%	153	153	100.00%	0	0.00%
Peenya	959	314	32.74%	645	645	100.00%	0	0.00%
ZO (KN & Goa)	4507	1822	40.43%	2685	2683	99.93%	2	0.07%
Bhubaneswar	1724	1141	66.18%	583	583	100.00%	0	0.00%
Guntur	2612	1105	42.30%	1507	1496	99.27%	11	0.73%
Hyderabad	2440	1209	49.55%	1231	1230	99.92%	1	0.08%
Nizamabad	1073	371	34.58%	702	702	100.00%	0	0.00%
ZO (AP & OR)	7849	3826	48.75%	4023	4011	99.70%	12	0.30%
Chennai	2439	1155	47.36%	1284	1181	91.98%	103	8.02%
Coimbatore	2276	1162	51.05%	1114	1114	100.00%	0	0.00%
Madurai	1333	454	34.06%	879	879	100.00%	0	0.00%
Tambaram	906	329	36.31%	577	574	99.48%	3	0.52%
Thiruvananthapuram	2285	1114	48.75%	1171	1138	97.18%	33	2.82%
ZO (TN & KR)	9239	4214	45.61%	5025	4886	97.23%	139	2.77%
Guwahati (NER)	620	213	34.35%	407	403	99.02%	4	0.98%
Jalpaiguri	1994	784	39.32%	1210	1210	100.00%	0	0.00%
Kolkata	2920	806	27.60%	2114	2114	100.00%	0	0.00%
Ranchi	474	140	29.54%	334	334	100.00%	0	0.00%
ZO (WB, NER & JH)	6008	1943	32.34%	4065	4061	99.90%	4	0.10%
All INDIA	50890	20416	40.12%	30474	30218	99.16%	256	0.84%

31.03.2015 को सभी दावों के निपटान की स्थिति

क्षेत्र	कार्यभार	लौटाए गए / निरस्त	निबल कार्यभार	दावों का निपटान				31.03.2015 को अंत शेष
				30 दिनों के भीतर	कुल निपटाए गए दावों पर 30 दिन के भीतर निपटान का प्रतिशत	30 दिनों के बाद	कुल निपटाए गए दावे	
देहरादून	200499	28542	171957	171684	99.99%	24	171708	249
दिल्ली (उत्तर)	468862	36348	432514	432474	99.99%	30	432504	10
दिल्ली (दक्षिण)	459952	63972	395980	394498	99.69%	1231	395729	251
आं.का. (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	1129313	128862	1000451	998656	99.87%	1285	999941	510
चंडीगढ़	281287	33531	247756	246793	99.63%	925	247718	38
लुधियाना	243609	19272	224337	224213	100.00%	1	224214	123
शिमला	130994	22427	108567	107023	99.65%	374	107397	1170
आं.का. (पंजाब एवं हि. प्रदेश)	655890	75230	580660	578029	99.78%	1300	579329	1331
कानपुर	224499	21848	202651	202247	99.90%	206	202453	198
मेरठ	399161	52568	346593	345502	99.76%	818	346320	273
पटना	71849	7409	64440	64069	99.80%	127	64196	244
आं.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	695509	81825	613684	611818	99.81%	1151	612969	715
फरीदाबाद	405432	64506	340926	340854	99.98%	64	340918	8
गुड़गांव	655783	121964	533819	508797	98.20%	9309	518106	15713
जयपुर	339447	52358	287089	286509	99.91%	268	286777	312
आं.का. (हरियाणा एवं राजस्थान)	1400662	238828	1161834	1136160	99.16%	9641	1145801	16033
अहमदाबाद	478115	70637	407478	406944	99.97%	137	407081	397
वडोदा	170661	28173	142488	135489	99.92%	114	135603	6885
इंदौर	349169	43044	306125	306062	99.98%	59	306121	4
सुरत	305754	25673	280081	280019	99.99%	27	280046	35
आं.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	1303699	167527	1136172	1128514	99.97%	337	1128851	7321
कांठिबली	632143	113182	518961	503379	98.67%	6788	510167	8794
मुंबई-I बांद्रा	880029	147287	732742	565803	78.76%	152575	718378	14364
मुंबई-II थाणे	523159	81204	441955	439545	99.56%	1946	441491	464
नागपुर	249890	18587	231303	231096	99.99%	16	231112	191
पुणे	776362	104345	672017	664922	99.89%	709	665631	6386
रायपुर	112131	20008	92123	91960	99.97%	32	91992	131
आं.का. (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	3173714	484613	2689101	2496705	93.90%	162066	2658771	30330
बंगलूर	608847	96119	512728	502564	98.05%	10008	512572	156
गुलबर्गा	140906	19677	121229	120019	99.32%	826	120845	384
मंगलूर	252405	31885	220520	220083	99.97%	66	220149	371
पणजी	87962	12458	75504	74474	99.34%	493	74967	537
पीप्या	952541	142738	809803	807166	99.69%	2498	809664	139
आं.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	2042661	302877	1739784	1724306	99.20%	13891	1738197	1587
भुवनेश्वर	283966	55184	228782	224898	98.36%	3749	228647	135
गुन्डूर	387545	54495	333050	322176	97.13%	9533	331709	1341
हैदराबाद	786055	127083	658972	630812	96.00%	26311	657123	1849
निजामाबाद	99500	11945	87555	87384	99.80%	171	87555	0
आं.का. (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	1557066	248707	1308359	1265270	96.95%	39764	1305034	3325
चेन्नै	852936	152674	700262	636316	94.55%	36690	673006	27256
कोयम्बतूर	519857	88493	431364	429527	99.92%	327	429854	1510
मद्रास	347424	36770	310654	308888	99.49%	1586	310474	180
तांवरम	315435	46605	268830	267963	99.97%	87	268050	780
तिरुवनंतपुरम	394961	58713	336248	329214	99.10%	2977	332191	4057
आं.का. (तमिलनाडु एवं केरल)	2430613	383255	2047358	1971908	97.93%	41667	2013575	33783
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	81544	9985	71559	70272	98.73%	907	71179	380
जलपाईगुड़ी	289649	38393	251256	248537	98.99%	2545	251082	174
कोलकाता	410700	38528	372172	370783	99.65%	1287	372070	102
रांची	161058	16672	144386	142508	98.78%	1757	144265	121
आ.का. (प.बं., पू.से. एवं झारखंड)	942951	103578	839373	832100	99.23%	6496	838596	777
अखिल भारतीय	15332078	2215302	13116776	12743466	97.87%	277598	13021064	95712

APPENDIX A-4 (vii)

Settlement of all Claims as on 31.03.2015

Region	Workload	Returned/ Rejected	Net Workload	Claims Settlement				Closing Balance as on 31.03.2015
				Within 30 days	% within 30 days on Total claims settled	Beyond 30 days	Total Claims Settled	
Dehradun	200499	28542	171957	171684	99.99%	24	171708	249
Delhi (North)	468862	36348	432514	432474	99.99%	30	432504	10
Delhi (South)	459952	63972	395980	394498	99.69%	1231	395729	251
ZO (DL & UK)	1129313	128862	1000451	998656	99.87%	1285	999941	510
Chandigarh	281287	33531	247756	246793	99.63%	925	247718	38
Ludhiana	243609	19272	224337	224213	100.00%	1	224214	123
Shimla	130994	22427	108567	107023	99.65%	374	107397	1170
ZO (PN & HP)	655890	75230	580660	578029	99.78%	1300	579329	1331
Kanpur	224499	21848	202651	202247	99.90%	206	202453	198
Meerut	399161	52568	346593	345502	99.76%	818	346320	273
Patna	71849	7409	64440	64069	99.80%	127	64196	244
ZO (UP & BR)	695509	81825	613684	611818	99.81%	1151	612969	715
Faridabad	405432	64506	340926	340854	99.98%	64	340918	8
Gurgaon	655783	121964	533819	508797	98.20%	9309	518106	15713
Jaipur	339447	52358	287089	286509	99.91%	268	286777	312
ZO (HR & RJ)	1400662	238828	1161834	1136160	99.16%	9641	1145801	16033
Ahmedabad	478115	70637	407478	406944	99.97%	137	407081	397
Baroda	170661	28173	142488	135489	99.92%	114	135603	6885
Indore	349169	43044	306125	306062	99.98%	59	306121	4
Surat	305754	25673	280081	280019	99.99%	27	280046	35
ZO (GJ & MP)	1303699	167527	1136172	1128514	99.97%	337	1128851	7321
Kandivili	632143	113182	518961	503379	98.67%	6788	510167	8794
Mumbai-I Bandra	880029	147287	732742	565803	78.76%	152575	718378	14364
Mumbai-II Thane	523159	81204	441955	439545	99.56%	1946	441491	464
Nagpur	249890	18587	231303	231096	99.99%	16	231112	191
Pune	776362	104345	672017	664922	99.89%	709	665631	6386
Raipur	112131	20008	92123	91960	99.97%	32	91992	131
ZO (MH & CG)	3173714	484613	2689101	2496705	93.90%	162066	2658771	30330
Bangalore	608847	96119	512728	502564	98.05%	10008	512572	156
Gulbarga	140906	19677	121229	120019	99.32%	826	120845	384
Mangalore	252405	31885	220520	220083	99.97%	66	220149	371
Panaji	87962	12458	75504	74474	99.34%	493	74967	537
Peenya	952541	142738	809803	807166	99.69%	2498	809664	139
ZO (KN & Goa)	2042661	302877	1739784	1724306	99.20%	13891	1738197	1587
Bhubaneshwar	283966	55184	228782	224898	98.36%	3749	228647	135
Guntur	387545	54495	333050	322176	97.13%	9533	331709	1341
Hyderabad	786055	127083	658972	630812	96.00%	26311	657123	1849
Nizamabad	99500	11945	87555	87384	99.80%	171	87555	0
ZO (AP & OR)	1557066	248707	1308359	1265270	96.95%	39764	1305034	3325
Chennai	852936	152674	700262	636316	94.55%	36690	673006	27256
Coimbatore	519857	88493	431364	429527	99.92%	327	429854	1510
Madurai	347424	36770	310654	308888	99.49%	1586	310474	180
Tambaram	315435	46605	268830	267963	99.97%	87	268050	780
Thiruvananthapuram	394961	58713	336248	329214	99.10%	2977	332191	4057
ZO (TN & KR)	2430613	383255	2047358	1971908	97.93%	41667	2013575	33783
Guwahati (NER)	81544	9985	71559	70272	98.73%	907	71179	380
Jalpaiguri	289649	38393	251256	248537	98.99%	2545	251082	174
Kolkata	410700	38528	372172	370783	99.65%	1287	372070	102
Ranchi	161058	16672	144386	142508	98.78%	1757	144265	121
ZO (WB, NER & JH)	942951	103578	839373	832100	99.23%	6496	838596	777
All INDIA	15332078	2215302	13116776	12743466	97.87%	277598	13021064	95712

परिशिष्ट ए -5 (i)

विस्तार की तिथि	31.03.2015 तक उद्योगवार स्थापनाएं एवं सदस्य							
	क्र.सं.	उद्योग / स्थापनाओं के वर्ग	स्थापनाएं		योग	सदस्य		योग
			अछूट प्राप्त	छूट प्राप्त		अछूट प्राप्त	छूट प्राप्त	
1 नवम्बर, 1952 (1 to 6ए)	1	सीमेंट	1734	61	1795	534209	80644	614853
	2	सिगरेट	104	4	108	23396	13873	37269
	3	ई.एम. और जी.ई.	82635	482	83117	16040707	948505	16989212
	4	लोहा एवं इस्पात	10018	80	10098	1626237	246308	1872545
	5	कागज	1595	23	1618	227713	34637	262350
	6	वस्त्र	27123	156	27279	5451679	120150	5571829
	6A	जूट	233	127	360	99785	224290	324075
31 जुलाई, 1956 (7 से 19)	7	खाद्य तेल एवं वसा	3762	32	3794	282092	7167	289259
	8	चीनी	3048	66	3114	557857	46815	604672
	9	रबड़ तथा रबड़ उत्पाद	4298	29	4327	1121186	11086	1132272
	10	विद्युत	4844	252	5096	672589	296991	969580
	11	चाय	1194	40	1234	573674	10836	584510
	12	मुद्रण	6697	41	6738	429954	3190	433144
	13	स्टोन वेयर पाइप्स	465	4	469	39822	963	40785
	14	सेनिटरी का सामान	589	3	592	75881	1012	76893
	15	बिजली के पॉर्सिलेन विद्युत्प्ररोधक	594	5	599	78283	896	79179
	16	उच्चताप	708	11	719	94415	32603	127018
	17	टाईलें	2760	6	2766	199778	2254	202032
	18	दियासलाई	1679	3	1682	253898	315	254213
	19	कांच	1385	12	1397	314203	18300	332503
30 सितम्बर, 1956 (20 से 23)	20	भारी परिष्कृत रसायन	14802	261	15063	3555639	204957	3760596
	21	नील	80	0	80	23738	0	23738
	22	लाख शलक सहित	81	1	82	3936	1065	5001
	23	अखाद्य वनस्पति तथा पशुओं की वसा एवं तेल	468	2	470	36640	0	36640
31 दिसम्बर, 1956	24	समाचार स्थापनाएं	957	21	978	164374	18711	183085
31 जनवरी, 1957	25	खनिज तेल	242	5	247	66700	2902	69602
30 अप्रैल, 1957 (26 से 30ए)	26	चाय बागान	1067	10	1077	355355	1023	356378
	27	काँफी बागान	2892	6	2898	124595	1665	126260
	28	रबड़ बागान	552	2	554	57455	27	57482
	29	इलायची बागान	414	0	414	9226	0	9226
	30	काली मिर्च बागान	50	1	51	3483	31	3514
	30A	मिश्रित बागान	77	0	77	6787	0	6787
30 नवम्बर, 1957 (31 से 37)	31	लौह अयस्क की खानें	477	24	501	91867	15954	107821
	32	मैंगनीज़ की खानें	269	16	285	49146	7251	56397
	33	चूने की खानें	682	3	685	82592	746	83338
	34	सोने की खानें	41	3	44	3658	4668	8326
	35	औद्योगिक एवं पावर एल्कोहॉल	92	1	93	14039	1	14040
	36	एस्बेस्टस सीमेंट की चादरें	144	2	146	34366	151	34517
	37	काँफी संसाधन स्थापनाएं	166	2	168	24417	235	24652
30 अप्रैल, 1958	38	बिस्कुट उद्योग	1365	4	1369	253237	1924	255161
30 अप्रैल, 1959	39	मोटर परिवहन स्थापनाएं	8454	209	8663	1011235	523128	1534363

APPENDIX A-5 (i)

Date of Extension	Industry wise Establishment & Members as on 31.03.2015						
	Sl. No.	Industries/Classes of Estt.	ESTABLISHMENTS		TOTAL	MEMBERS	
			UNEX	EX		UNEX	EX
1st November, 1952 (1 to 6A)	1	Cement	1734	61	1795	534209	80644
	2	Cigarettes	104	4	108	23396	13873
	3	E M or GE	82635	482	83117	16040707	948505
	4	Irons and Steel	10018	80	10098	1626237	246308
	5	Paper	1595	23	1618	227713	34637
	6	Textiles	27123	156	27279	5451679	120150
	6A	Jute	233	127	360	99785	224290
31st July, 1956 (7 to 19)	7	Edible Oils and Fats	3762	32	3794	282092	7167
	8	Sugar	3048	66	3114	557857	46815
	9	Rubber and Rubber Products	4298	29	4327	1121186	11086
	10	Electricity	4844	252	5096	672589	296991
	11	Tea	1194	40	1234	573674	10836
	12	Printing	6697	41	6738	429954	3190
	13	Stone-ware pipes	465	4	469	39822	963
	14	Sanitary Wares	589	3	592	75881	1012
	15	Electrical porcelain Insulators	594	5	599	78283	896
	16	Refractories	708	11	719	94415	32603
	17	Tiles	2760	6	2766	199778	2254
	18	Matches	1679	3	1682	253898	315
	19	Glass	1385	12	1397	314203	18300
30th September, 1956 (20 to 23)	20	Heavy and Fine Chemicals	14802	261	15063	3555639	204957
	21	Indigo	80	0	80	23738	0
	22	Lac including shellac	81	1	82	3936	1065
	23	Non-edible Veg. & Animal Oils & Fats	468	2	470	36640	0
31st Dec., 1956	24	Newspaper establishment	957	21	978	164374	18711
31st Jan., 1957	25	Mineral Oil	242	5	247	66700	2902
30th April, 1957 (26 to 30A)	26	Tea Plantations	1067	10	1077	355355	1023
	27	Coffee Plantations	2892	6	2898	124595	1665
	28	Rubber Plantations	552	2	554	57455	27
	29	Cardamom Plantations	414	0	414	9226	0
	30	Pepper Plantations	50	1	51	3483	31
	30A	Mixed Plantations	77	0	77	6787	0
30th Nov., 1957 (31 to 37)	31	Iron Ore Mines	477	24	501	91867	15954
	32	Manganese Mines	269	16	285	49146	7251
	33	Limestone Mines	682	3	685	82592	746
	34	Gold Mines	41	3	44	3658	4668
	35	Industrial and Power Alcohol	92	1	93	14039	1
	36	Asbestos Cement Sheets	144	2	146	34366	151
	37	Coffee curing estt.	166	2	168	24417	235
30th April, 1958	38	Biscuit making Industry	1365	4	1369	253237	1924
30th April, 1959	39	Road Motor Transport estt.	8454	209	8663	1011235	523128

विस्तार की तिथि	31.03.2015 तक उद्योगवार स्थापनाएं एवं सदस्य							
	क्र.सं.	उद्योग / स्थापनाओं के वर्ग	स्थापनाएं		योग	सदस्य		योग
			अछूट प्राप्त	छूट प्राप्त		अछूट प्राप्त	छूट प्राप्त	
31 मई, 1960 (40 से 41 तक)	40	अन्नक उद्योग	321	2	323	22560	358	22918
	41	अन्नक की खाने	242	2	244	9851	3214	13065
30 जून, 1960 (42 से 43 तक)	42	प्लाईवुड	2196	9	2205	198600	127	198727
	43	मोटर सरम्मत एवं सर्विसिंग	5328	32	5360	765273	67740	833013
31 दिसम्बर, 1960 (44 से 46 तक)	44	चावल मिलें	13859	2	13861	370158	2492	372650
	45	दाल मिलें	937	0	937	35039	0	35039
	46	आटा मिलें	1416	6	1422	120960	385	121345
31 मई, 1961	47	स्टार्च	148	3	151	22868	1281	24149
30 जून, 1961 (48 से 52 तक)	48	होटल	16710	29	16739	1801978	18161	1820139
	49	रेस्तरां	9295	1	9296	903204	12	903216
	50	वे स्थापनाएं जो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के भंडारण या लाने, ले जाने, वितरण का कार्य करती है।	1660	7	1667	92086	5481	97567
	51	पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	875	41	916	87674	75731	163405
	52	पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का शोधन	512	26	538	135090	32557	167647
31 जुलाई, 1961 (53 से 57 तक)	53	सिनेमा (पूर्वदर्शन थिएटर सहित)	9796	9	9805	151840	43	151883
	54	फिल्म निर्माण	356	7	363	37134	0	37134
	55	फिल्म स्टुडियो	241	0	241	35931	0	35931
	56	प्रदर्शित फिल्म संबंधी लेनदेन	132	2	134	4978	0	4978
	57	फिल्म प्रोसेसिंग प्रयोगशाला	379	0	379	28022	0	28022
31 अगस्त, 1961	58	चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	5690	15	5705	876438	9017	885455
30 नवम्बर, 1961 (59 से 60 तक)	59	पत्थर के जार	55	0	55	7314	0	7314
	60	क्रॉकरी	555	1	556	54394	0	54394
30 नवम्बर 1960 एवं 31 दिसम्बर, 1961	61	केन फार्म	207	5	212	10647	368	11015
30 अप्रैल, 1962	62	व्यापार एवं वाणिज्यिक स्थापनाएं	78190	303	78493	10593253	421013	11014266
30 जून, 1962	63	फल एवं सब्जियों का परिरक्षण	1932	4	1936	160522	109	160631
30 सितम्बर, 1962	64	काजू	2514	0	2514	517351	0	517351
31 अक्टूबर, 1962 (65 से 69 तक)	65	लकड़ी उत्पाद के संसाधन या उपचार में लगी स्थापनाएं	483	1	484	41782	80	41862
	66	आरा मशीन	1194	1	1195	36897	1	36898
	67	लकड़ी सुखाने वाले भट्टे	89	0	89	8132	0	8132
	68	लकड़ी परिरक्षण संयंत्र	205	1	206	135712	2644	138356
	69	लकड़ी के कारखाने	2407	3	2410	146699	0	146699
31 दिसम्बर, 1962	70	बॉक्साइट की खाने	112	9	121	6106	15918	22024
31 मार्च, 1963	71	कन्फैक्शनरी	1414	4	1418	194015	825	194840
30 अप्रैल, 1963 (72 से 76 तक)	72	लॉड्री एवं लॉड्री सेवाएं	475	0	475	36097	0	36097
	73	बटन	146	0	146	12383	0	12383
	74	ब्रुश	111	0	111	6660	0	6660
	75	प्लास्टिक एवं प्लास्टिक का सामान	10168	14	10182	1184993	4803	1189796
	76	लेखन सामग्री	877	1	878	107110	140	107250
31 मई, 1963 (77 से 79 तक)	77	थिएटर	1413	1	1414	31277	0	31277
	78	सोसायटी, क्लब या संघ	3846	22	3868	231234	2839	234073
	79	कंपनी, सोसायटी, संघ, क्लब एवं मनोरंजन कंपनियां	1620	23	1643	134229	3279	137508

Date of Extension	Industry wise Establishment & Members as on 31.03.2015							
	Sl.No.	Industries/Classes of Estt.	ESTABLISHMENTS		TOTAL	MEMBERS		TOTAL
			UNEX	EX		UNEX	EX	
31st May, 1960 (40 to 41)	40	Mica Industry	321	2	323	22560	358	22918
	41	Mica Mines	242	2	244	9851	3214	13065
30th June, 1960 (42 to 43)	42	Plywood	2196	9	2205	198600	127	198727
	43	Automobile repair. and servicing	5328	32	5360	765273	67740	833013
31st Dec., 1960 (44 to 46)	44	Rice Milling	13859	2	13861	370158	2492	372650
	45	Dal Milling	937	0	937	35039	0	35039
	46	Flour Milling	1416	6	1422	120960	385	121345
31st May, 1961	47	Starch	148	3	151	22868	1281	24149
30th June, 1961 (48 to 52)	48	Hotels	16710	29	16739	1801978	18161	1820139
	49	Restaurants	9295	1	9296	903204	12	903216
	50	Storage/ transport or distribution of petroleum or Natural Gas	1660	7	1667	92086	5481	97567
	51	Petroleum or Natural Gas	875	41	916	87674	75731	163405
	52	Petroleum or Natural Gas Refining	512	26	538	135090	32557	167647
31st July, 1961 (53 to 57)	53	Cinemas (including Preview theaters)	9796	9	9805	151840	43	151883
	54	Film production	356	7	363	37134	0	37134
	55	Film studios	241	0	241	35931	0	35931
	56	Distribution concerns dealing with exposed films	132	2	134	4978	0	4978
	57	Film processing Laboratories	379	0	379	28022	0	28022
31st August, 1961	58	Leather and Leather Products	5690	15	5705	876438	9017	885455
30th November, 1961 (59 to 60)	59	Stone-ware Jars	55	0	55	7314	0	7314
	60	Crockery	555	1	556	54394	0	54394
30th Nov. 1960 & 31st Dec., 1961	61	Cane Farm	207	5	212	10647	368	11015
30th April, 1962	62	Trading and commercial estt.	78190	303	78493	10593253	421013	11014266
30th June, 1962	63	Fruit and Vegetable Preservation	1932	4	1936	160522	109	160631
30 th Sept., 1962	64	Cashewnuts	2514	0	2514	517351	0	517351
31st October, 1962 (65 to 69)	65	Processing or treatment of Wood Products	483	1	484	41782	80	41862
	66	Saw Mills	1194	1	1195	36897	1	36898
	67	Wood seasoning kilns	89	0	89	8132	0	8132
	68	Wood preservation plants	205	1	206	135712	2644	138356
	69	Wood workshop	2407	3	2410	146699	0	146699
31 st Dece., 1962	70	Bauxite Mines	112	9	121	6106	15918	22024
31st March, 1963	71	Confectionery	1414	4	1418	194015	825	194840
30th April, 1963 (72 to 76)	72	Laundry and Laundry services	475	0	475	36097	0	36097
	73	Buttons	146	0	146	12383	0	12383
	74	Brushes	111	0	111	6660	0	6660
	75	Plastic and Plastic Products	10168	14	10182	1184993	4803	1189796
	76	Stationery Products	877	1	878	107110	140	107250
31st May, 1963 (77 to 79)	77	Theaters	1413	1	1414	31277	0	31277
	78	Societies, clubs or Associations	3846	22	3868	231234	2839	234073
	79	Companies, Societies, Associations, Clubs or Troupes which give any form of Entertainment	1620	23	1643	134229	3279	137508

विस्तार की तिथि	31.03.2015 तक उद्योगवार स्थापनाएं एवं सदस्य							
	क्र.सं.	उद्योग / स्थापनाओं के वर्ग	स्थापनाएं		योग	सदस्य		योग
			अछूट प्राप्त	छूट प्राप्त		अछूट प्राप्त	छूट प्राप्त	
31 अगस्त, 1963 (80 से 81 तक)	80	कैन्टीन	2984	4	2988	254859	685	255544
	81	सोडा वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक या कार्बोनेटिड पानी	668	1	669	118161	3	118164
31 अक्टूबर, 1963	82	स्पिरिट का आसवन और परिशोधन	548	13	561	140846	7669	148515
31 जनवरी, 1964 (83 से 84 तक)	83	पेंट और वार्निश	1015	23	1038	108597	16709	125306
	84	अस्थिवूर्ण	147	0	147	6206	0	6206
30 जून, 1964 (85 से 86 तक)	85	अचार	104	0	104	11666	0	11666
	86	चीनी मिट्टी की खानें	129	0	129	9558	0	9558
31 अक्टूबर, 1964 (87 से 92 तक)	87	एडवॉकेट एक्ट 1965 में परिभाषित अधिवक्ता	85	2	87	3648	58	3706
	88	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट	449	4	453	45541	7780	53321
	89	लागत एवं कार्य एकाउन्टेन्ट्स, लागत की परिभाषा के अंतर्गत	60	0	60	3748	0	3748
	90	इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग का कार्य करने वाले ठेकेदार	68145	107	68252	8108352	285350	8393702
	91	वास्तुविद	765	1	766	55557	100	55657
	92	चिकित्सा विशेषज्ञ	1300	6	1306	388205	982	389187
31 दिसम्बर, 1964	93	दूध एवं दूध उत्पाद	2439	34	2473	353945	21696	375641
31 जन., 1965 (94 से 96 तक)	94	यात्रा एजेंसियां	4226	21	4247	372969	39146	412115
	95	अग्रेषण एजेंसियां	3404	8	3412	463420	48832	512252
	96	मिलियों के आकार में अलौह एवं मिश्रित धातु	1001	11	1012	126908	18641	145549
31 मार्च, 1965	97	ब्रैड	622	9	631	68415	440	68855
30 जून, 1965	98	तम्बाकू के पत्तों को भाप देना पुनः सुखाना, संभालना, अलग-अलग छांटना तथा पैक करना	69	0	69	4241	0	4241
31 जुलाई, 1965	99	अगरबत्ती (धूप एवं धूपबत्ती सहित)	396	0	396	35079	0	35079
31 अगस्त, 1965	100	मैग्नेसाइट की खानें	90	4	94	40662	768	41430
30 सितम्बर, 1965	101	काँयर (स्पिनिंग सेक्टर रहित)	687	2	689	53036	0	53036
31 दिसम्बर, 1965	102	छत, फर्श की स्लैब एवं मौजिक चिप्स का उत्पादन करने वाली पत्थर की खदान	1797	2	1799	103118	11828	114946
31 जनवरी, 1966	103	बैंक	3834	94	3928	538115	273179	811294
30 जून, 1966	104	तम्बाकू उद्योग	1669	6	1675	201520	218	201738
31 जुलाई, 1966	105	कागज के उत्पाद	4539	21	4560	402210	25703	427913
30 सितम्बर, 1966	106	लाइसेंसी नमक	539	4	543	62423	334	62757
30 अप्रैल, 1967 (107 से 108 तक)	107	लिनोलियम	10	1	11	1226	0	1226
	108	इंडोलियम	2144	148	2292	170539	18026	188565
31 जुलाई, 1967	109	विस्फोटक	169	5	174	25206	11017	36223
31 अगस्त, 1967	110	पटसन की गठि बनाना व दबाना	9	0	9	327	0	327
31 अक्टूबर, 1967	111	आतिशबाजी और दगाऊ टोपी का कार्य	1092	1	1093	242245	1030	243275
30 नवम्बर, 1967	112	टेंट बनाना	111	2	113	7554	440	7994
31 अगस्त, 1968 (113 से 119 तक)	113	ब्रेडाइट्स की खानें	12	1	13	2543	0	2543
	114	डोलोमाइट की खानें	10	0	10	9882	0	9882
	115	फायरक्ले की खानें	13	0	13	3462	0	3462
	116	जिप्सम की खानें	5	0	5	73	0	73
	117	क्यानाईट की खानें	9	0	9	347	0	347
	118	सिल्लमानाइट की खानें	2	0	2	80	0	80
	119	स्टैटाइट की खानें	209	0	209	11190	0	11190
31 दिसम्बर, 1968	120	सिन्कोना बागान	22	0	22	11475	0	11475

Date of Extension	Industry wise Establishment & Members as on 31.03.2015							
	Sl. No.	Industries/Classes of Estt.	ESTABLISHMENTS		TOTAL	MEMBERS		TOTAL
			UNEX	EX		UNEX	EX	
31st August, 1963 (80 to 81)	80	Canteens	2984	4	2988	254859	685	255544
	81	Aerated water, soft drinks or carbonated water	668	1	669	118161	3	118164
31 st October, 1963	82	Distilling and rectifying of spirits	548	13	561	140846	7669	148515
31st Jan., 1964 (83 to 84)	83	Paint and Varnish	1015	23	1038	108597	16709	125306
	84	Bone crushing	147	0	147	6206	0	6206
30th June, 1964 (85 to 86)	85	Pickers	104	0	104	11666	0	11666
	86	China Clay Mines	129	0	129	9558	0	9558
31st October, 1964 (87 to 92)	87	Attorneys as defined in the Advocates Act, 1965	85	2	87	3648	58	3706
	88	Chartered Accountants	449	4	453	45541	7780	53321
	89	Cost and Works Accountants within the meaning of the cost	60	0	60	3748	0	3748
	90	Engineers and Engineering Contractors	68145	107	68252	8108352	285350	8393702
	91	Architects	765	1	766	55557	100	55657
	92	Medical Specialists	1300	6	1306	388205	982	389187
31 st Dec, 1964	93	Milk and milk products	2439	34	2473	353945	21696	375641
31st January, 1965 (94 to 96)	94	Travel Agencies	4226	21	4247	372969	39146	412115
	95	Forwarding Agencies	3404	8	3412	463420	48832	512252
	96	Non-ferrous metals and alloys in the form of ingots	1001	11	1012	126908	18641	145549
31st March, 1965	97	Bread	622	9	631	68415	440	68855
30th June, 1965	98	Steaming, redrying, handling, sorting, grading or packing of	69	0	69	4241	0	4241
31st July, 1965	99	Agarbatte (including dhoop and dhoopbatte)	396	0	396	35079	0	35079
31st August, 1965	100	Magnesite Mines	90	4	94	40662	768	41430
30th September, 1965	101	Coir (excluding the spinning sector)	687	2	689	53036	0	53036
31 st Dec, 1965	102	Stone quarries producing roof & floor slabs, dimension stones and mosaic chips;	1797	2	1799	103118	11828	114946
31 st Jan., 1966	103	Bank	3834	94	3928	538115	273179	811294
30th June, 1966	104	Tobacco Industry that is to say any industry engaged in the	1669	6	1675	201520	218	201738
31st July, 1966	105	Paper Products	4539	21	4560	402210	25703	427913
30th Sept., 1966	106	Licensed salt	539	4	543	62423	334	62757
30th April, 1967 (107 to 108)	107	Linoleum	10	1	11	1226	0	1226
	108	Indoleum	2144	148	2292	170539	18026	188565
31st July, 1967	109	Explosives	169	5	174	25206	11017	36223
31st August, 1967	110	Jute bailing or pressing	9	0	9	327	0	327
31st October, 1967	111	Fireworks and percussion cap work	1092	1	1093	242245	1030	243275
30th Nov., 1967	112	Tent making	111	2	113	7554	440	7994
31st August, 1968 (113 to 119)	113	Barytes Mines	12	1	13	2543	0	2543
	114	Dolomite Mines	10	0	10	9882	0	9882
	115	Fireclay Mines	13	0	13	3462	0	3462
	116	Gypsum Mines	5	0	5	73	0	73
	117	Kyanite Mines	9	0	9	347	0	347
	118	Siliminite Mines	2	0	2	80	0	80
	119	Steatite Mines	209	0	209	11190	0	11190
31 st Dec., 1968	120	Chinchona Plantations	22	0	22	11475	0	11475

विस्तार की तिथि	31.03.2015 तक उद्योगवार स्थापनाएं एवं सदस्य							
	क्र.सं.	उद्योग / स्थापनाओं के वर्ग	स्थापनाएं		योग	सदस्य		योग
			अछूट प्राप्त	छूट प्राप्त		अछूट प्राप्त	छूट प्राप्त	
30 अप्रैल, 1969	121	फैरो मैग्रीज़	127	4	131	27571	240	27811
30 जून, 1969 (122 से 123 तक)	122	बर्फ या आईस क्रीम	526	1	527	57262	3050	60312
	123	हीरे की खाने	41	1	42	3469	145	3614
31 जनवरी, 1970	124	सामान्य बीमा व्यापार	182	10	192	386053	71626	457679
31 मार्च, 1971	125	विशेषज्ञ सेवाएं देने वाली स्थापनाएं	162830	256	163086	47726902	1928468	49655370
30 नवम्बर, 1971	126	धाग बटने और अटेरने का काम करने वाली फैक्ट्रियाँ	369	5	374	91655	5506	97161
31 मार्च, 1972	127	रेलवे बुकिंग एजेंसी	47	0	47	3256	0	3256
30 सितम्बर, 1972	128	रूई की छंटाई, गांठें बांधना और दबाना	6173	31	6204	501973	15840	517813
31 मार्च, 1973	129	सैनिक मैस को छोड़कर अन्य सभी भोजनालय	395	0	395	48103	0	48103
31 मई, 1973	130	कत्था बनाना	124	3	127	36748	1075	37823
31 अगस्त, 1973	131	अस्पताल	12310	49	12359	1674985	44630	1719615
30 अप्रैल, 1974	132	वीयर बनाना	210	6	216	67946	8151	76097
30 सितम्बर, 1974	133	कच्चे सूत की छंटाई, सफाई और धुलाई	178	0	178	52005	0	52005
30 नवम्बर, 1974 (134 से 135 तक)	134	सोसाइटी क्लब एवं संघ	3475	22	3497	221512	5767	227279
	135	गारमेंट फैक्ट्रियां	16380	11	16391	8308064	6455	8314519
31 दिसम्बर, 1974	136	कृषि फार्म	2412	14	2426	226734	12572	239306
30 जून, 1975	137	सेल खड़ी की खानें	346	3	349	67714	650	68364
31 जुलाई, 1974 (138 से 150 तक)	138	एपेटाइट की खानें	18	0	18	1430	0	1430
	139	एसबेस्टस की खानें	45	0	45	5669	0	5669
	140	केलसाइट की खानें	57	0	57	10211	0	10211
	141	बालकले की खानें	75	0	75	8908	0	8908
	142	कुरुंड की खानें	49	0	49	6690	0	6690
	143	पन्ने की खानें	24	0	24	5284	0	5284
	144	फेल्सपार की खानें	40	1	41	3887	2688	6575
	145	सिलिका (रेत की खानें)	224	3	227	17802	1212	19014
	146	क्वार्टज की खानें	155	0	155	113060	0	113060
	147	गेरू की खानें	99	1	100	9656	0	9656
	148	क्रोमाइट की खानें	72	1	73	34451	597	35048
	149	ग्रेफाईट की खानें	76	0	76	4480	0	4480
28 जनवरी, 1977 (151 से 153 तक)	150	फलोराइट की खानें	21	0	21	1626	0	1626
	151	ग्लू एवं जिलेटिन	46	0	46	4406	0	4406
	152	पत्थर की खानें (स्टोन चिप्स, स्टोन सेटस एवं स्टोन बोल्डर स्टोन ब्लास्ट)	877	1	878	39841	0	39841
	153	मछली संसाधन	859	2	861	110657	42	110699
31 मई, 1977	154	बीड़ी बनाने में लगी स्थापनाएं	7875	0	7875	3898803	0	3898803
31 दिसम्बर, 1978	155	बैंकों को छोड़कर वित्तीय स्थापनाएं	6343	63	6406	1214379	45854	1260233
6 जनवरी 1979	156	लिग्नाइट की खानें	28	2	30	9972	17122	27094
31 जुलाई, 1979	157	फैरो क्रोम	227	1	228	77560	273	77833
31 मई, 1980 (158 से 160 तक)	158	हीरे की कटाई	2669	2	2671	222336	157	222493
	159	क्वार्साइट की खाने	32		32	3278		3278
	160	आंतरिक जल परिवहन स्थापनाएं	337	6	343	29157	9242	38399

Date of Extension	Industry wise Establishment & Members as on 31.03.2015							
	Sl.No.	Industries/Classes Of Estt.	ESTABLISHMENTS		TOTAL	MEMBERS		TOTAL
			UNEX	EX		UNEX	EX	
30th April, 1969	121	Ferro Manganese	127	4	131	27571	240	27811
30th June, 1969 (122 to 123)	122	Ice or ice-cream.	526	1	527	57262	3050	60312
	123	Diamond Mines	41	1	42	3469	145	3614
31st January, 1970	124	General Insurance Business	182	10	192	386053	71626	457679
31st March, 1971	125	Establishment rendering Expert Services	162830	256	163086	47726902	1928468	49655370
30th November, 1971	126	Factories engaged in winding of thread and yard reeling	369	5	374	91655	5506	97161
31st March, 1972	127	Railway booking Agencies	47	0	47	3256	0	3256
30th September, 1972	128	Cotton ginning, bailing and pressing	6173	31	6204	501973	15840	517813
31st March, 1973	129	Every mess, not being a military mess	395	0	395	48103	0	48103
31st May, 1973	130	Katha making	124	3	127	36748	1075	37823
31st August, 1973	131	Hospitals	12310	49	12359	1674985	44630	1719615
30th April, 1974	132	Beer manufacturing	210	6	216	67946	8151	76097
30th September, 1974	133	Sorting, cleaning and testing of cotton waste.	178	0	178	52005	0	52005
30th November, 1974 (134 to 135)	134	Societies, Clubs and associations	3475	22	3497	221512	5767	227279
	135	Garments making factories	16380	11	16391	8308064	6455	8314519
31st December, 1974	136	Agricultural farms	2412	14	2426	226734	12572	239306
30th June, 1975	137	Soap-stone mines	346	3	349	67714	650	68364
31st July, 1974 (138 to 150)	138	Apatite Mines	18	0	18	1430	0	1430
	139	Asbestos Mines	45	0	45	5669	0	5669
	140	Calcite Mines	57	0	57	10211	0	10211
	141	Ball-clay Mines	75	0	75	8908	0	8908
	142	Corundum Mines	49	0	49	6690	0	6690
	143	Emerald Mines	24	0	24	5284	0	5284
	144	Feldspar Mines	40	1	41	3887	2688	6575
	145	Silica (sand mines)	224	3	227	17802	1212	19014
	146	Quartz Mines	155	0	155	113060	0	113060
	147	Ochre Mines	99	1	100	9656	0	9656
	148	Chromite Mines	72	1	73	34451	597	35048
	149	Graphite Mines	76	0	76	4480	0	4480
	150	Flourite Mines	21	0	21	1626	0	1626
28th January, 1977 (151 to 153)	151	Glue and gelatine.	46	0	46	4406	0	4406
	152	Stone quarries producing stone chips, stone sets, stone boulders and ballasts;	877	1	878	39841	0	39841
	153	Fish processing	859	2	861	110657	42	110699
31st May, 1977	154	Manufacture of Beedi	7875	0	7875	3898803	0	3898803
31st December, 1978	155	Financing establishment other than banks	6343	63	6406	1214379	45854	1260233
6th January 1979	156	Lignite Mines	28	2	30	9972	17122	27094
31st July, 1979	157	Ferro Chrome	227	1	228	77560	273	77833
31st May, 1980 (158 to 160)	158	Diamond cutting	2669	2	2671	222336	157	222493
	159	Quarsite Mines	32		32	3278		3278
	160	Inland water transport establishment	337	6	343	29157	9242	38399

विस्तार की तिथि	31.03.2015 तक उद्योगवार स्थापनाएं एवं सदस्य							
	क्र.सं.	उद्योग / स्थापनाओं के वर्ग	स्थापनाएं		योग	सदस्य		योग
			अछूट प्राप्त	छूट प्राप्त		अछूट प्राप्त	छूट प्राप्त	
31 अक्तूबर, 1980 (161 से 162 तक)	161	भवन और निर्माण	42109	43	42152	7990391	59326	8049717
	162	हरड मिश्रित चूर्ण बनाना	35	0	35	1410	0	1410
30 नवम्बर, 1980	163	ईंटें	17021	4	17025	311883	0	311883
23 नवम्बर, 1981	164	ऐसी स्थापनाएं जो जहाजों में माल चढ़ाने-उतारने के कार्य में लगी हुई है	410	2	412	66688	10523	77211
7 दिसम्बर, 1981 (165 से 166 तक)	165	सुर्गी पालने में लगी स्थापनाएं	950	2	952	124353	6	124359
	166	पशु चारा उद्योग	450	1	451	65449	240	65689
19 फरवरी, 1982	167	कोई भी विश्वविद्यालय	309	0	309	14729	0	14729
	168	कोई भी कॉलेज	1686	4	1690	104326	320	104646
	169	कोई भी स्कूल	10881	102	10983	616828	16217	633045
	170	कोई भी वैज्ञानिक संस्थान	142	2	144	50086	335	50421
	171	अनुसंधान संस्थान	316	1	317	38837	0	38837
	172	ज्ञान एवं प्रशिक्षण संस्थान	742	2	744	44415	920	45335
1 जनवरी, 1984	173	एसबैस्टस स्थापनाएं	96	2	98	14304	1617	15921
16 सितम्बर, 1989	174	लोह अयस्क छरे	323	3	326	50778	956	51734
25 मार्च, 1992	175	गौर गम फैक्टरी	79	1	80	5932	0	5932
1 अप्रैल, 1992	176	संगमरमर की खानें	183	0	183	11969		11969
	177	हीरा काटने वाली मिलें	46	1	47	2467	0	2467
1 अप्रैल, 2001 (178 से 180 तक)	178	कूरियर सेवाएं	390	1	391	54060	11255	65315
	179	एयरक्राफ्ट अथवा एयरक्राफ्ट संपर्क	121	5	126	21054	18712	39766
	180	साफ सफाई सेवाएं देने वाली संस्थाएं	3463	0	3463	605632	0	605632
10 नवम्बर, 2005	181	केन्द्र या राज्य सरकार या उनके द्वारा नियंत्रित रेल स्थापनाओं को छोड़कर रेलवे	175	0	175	17759	0	17759
27 जुलाई, 2006	182	कम्प्यूटर	7772	34	7806	2029948	632696	2662644
8 दिसम्बर, 2007 (183 से 187 तक)	183	भारतीय जीवन बीमा के अतिरिक्त जीवन बीमा,वार्षिकी आदि प्रदान करने वाली अन्य कंपनियां	49	0	49	54821	0	54821
	184	निजी एयरपोर्ट तथा संयुक्त उपक्रम वाले एयरपोर्ट	21	0	21	6463	0	6463
	185	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंपनियां	678	6	684	148179	5812	153991
	186	आवास गृह, सह-स्वामित्व तथा सेवा अपार्टमेंट	316	1	317	24097	0	24097
8 जनवरी, 2011	187	नगर परिषद तथा नगर निगम	1164	0	1164	101509	0	101509
		योग	788771	3847	792618	144507350	7284823	151792173
		अन्य	67615	890	68505	6378236	300028	6678264
		कुल योग	856386	4737	861123	150885586	7584851	158470437

Date of Extension	Industry wise Establishment & Members as on 31.03.2015							
	Sl.No.	Industries/Classes of Estt.	ESTABLISHMENTS		TOTAL	MEMBERS		TOTAL
			UNEX	EX		UNEX	EX	
31st October, 1980 (161 to 162)	161	Building and Construction	42109	43	42152	7990391	59326	8049717
	162	Manufacture of Myrobalan	35	0	35	1410	0	1410
30th November, 1980	163	Brick	17021	4	17025	311883	0	311883
23rd November, 1981	164	Stevedoring loading and unloading of ships.	410	2	412	66688	10523	77211
7th December, 1981 (165 to 166)	165	Engaged in Poultry farming	950	2	952	124353	6	124359
	166	Cattle feed Industry.	450	1	451	65449	240	65689
19th February, 1982	167	Any University	309	0	309	14729	0	14729
	168	Any Collage	1686	4	1690	104326	320	104646
	169	Any School	10881	102	10983	616828	16217	633045
	170	Any Scientific Institution	142	2	144	50086	335	50421
	171	Research Institute	316	1	317	38837	0	38837
	172	Knowlwledge or training Institution	742	2	744	44415	920	45335
1st January, 1984	173	Asbestos Industries	96	2	98	14304	1617	15921
16th September, 1989	174	Iron ore pellets	323	3	326	50778	956	51734
25th March, 1992	175	Guar Gum Factories	79	1	80	5932	0	5932
1st April, 1992	176	Marble Mines	183	0	183	11969		11969
	177	Diamond Saw Mills	46	1	47	2467	0	2467
1st April, 2001 (178 to 180)	178	Couriers Service	390	1	391	54060	11255	65315
	179	Aircraft or Aircraft liasion	121	5	126	21054	18712	39766
	180	Cleaning & Sweeping	3463	0	3463	605632	0	605632
10th November, 2005	181	Railways other than owned and controlled by central & state govt.	175	0	175	17759	0	17759
27th July, 2006	182	Computers	7772	34	7806	2029948	632696	2662644
8th December, 2007 (183 to 187)	183	Companies offering life insurance, Annuities etc. other than life insurance	49	0	49	54821	0	54821
	184	Private Airports & Joint Venture Airports	21	0	21	6463	0	6463
	185	Electronic Media Companies	678	6	684	148179	5812	153991
	186	Lodging Housing, Service Apartment & Condominiums	316	1	317	24097	0	24097
8th January, 2011	187	Municipal Councils/Corporations	1164	0	1164	101509	0	101509
		Total	788771	3847	792618	144507350	7284823	151792173
		Others	67615	890	68505	6378236	300028	6678264
		Grand Total	856386	4737	861123	150885586	7584851	158470437

परिशिष्ट ए -5 (ii)

अंचलवार (क्षेत्रवार) सदस्यों एवं स्थापनाओं का संकेन्द्रण - 31.03.2015 की स्थिति								
क्षेत्र	स्थापनाएं			संपूर्ण भारत के योग का %	सदस्य			संपूर्ण भारत के योग का %
	अछूट प्राप्त	छूट प्राप्त	कुल		अछूट प्राप्त	छूट प्राप्त	कुल	
देहरादून	7628	52	7680	0.89%	1951514	78747	2030261	1.28%
दिल्ली (उत्तर)	29646	134	29780	3.46%	5809484	246379	6055863	3.82%
दिल्ली (दक्षिण)	24073	97	24170	2.81%	6301011	300579	6601590	4.17%
आं.का. (दिल्ली एवं उ.खंड)	61347	283	61630	7.16%	14062009	625705	14687714	9.27%
चंडीगढ़	19582	66	19648	2.28%	2707091	17193	2724284	1.72%
लुधियाना	20474	46	20520	2.38%	2668581	51183	2719764	1.72%
शिमला	8807	89	8896	1.03%	1073331	29832	1103163	0.70%
आं.का. (पंजाब एवं हि.प्रदेश)	48863	201	49064	5.70%	6449003	98208	6547211	4.13%
कानपुर	29101	150	29251	3.40%	2309114	136342	2445456	1.54%
मेरठ	30085	120	30205	3.51%	4106122	118902	4225024	2.67%
पटना	10207	153	10360	1.20%	923980	23572	947552	0.60%
आं.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	69393	423	69816	8.11%	7339216	278816	7618032	4.81%
फरीदाबाद	22847	80	22927	2.66%	4086022	44017	4130039	2.61%
गुडगांव	18416	93	18509	2.15%	6901096	240097	7141193	4.51%
जयपुर	30075	239	30314	3.52%	3833594	157943	3991537	2.52%
आं.का. (हरि. एवं राजस्थान)	71338	412	71750	8.33%	14820712	442057	15262769	9.63%
अहमदाबाद	43257	187	43444	5.05%	5943736	171936	6115672	3.86%
बड़ोदा	9282	30	9312	1.08%	1820791	54770	1875561	1.18%
इंदौर	27514	74	27588	3.20%	3501203	68390	3569593	2.25%
सुरत	23979	36	24015	2.79%	4388574	33992	4422566	2.79%
आं.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	104032	327	104359	12.12%	15654304	329088	15983392	10.09%
कांदिवाली	26678	78	26756	3.11%	5662631	158209	5820840	3.67%
मुंबई-I बांद्रा	24262	635	24897	2.89%	7909505	1182671	9092176	5.74%
मुंबई-II थाणे	27743	130	27873	3.24%	5360485	286694	5647179	3.56%
नागपुर	20542	57	20599	2.39%	3041330	75410	3116740	1.97%
पुणे	32485	92	32577	3.78%	7463131	238933	7702064	4.86%
रायपुर	11189	50	11239	1.31%	1180439	52145	1232584	0.78%
आं.का. (महारा. एवं छत्तीसगढ़)	142899	1042	143941	16.72%	30617521	1994062	32611583	20.58%
बंगलूर	14612	68	14680	1.70%	5370753	538866	5909619	3.73%
गुलबर्गा	14645	42	14687	1.71%	1208263	100709	1308972	0.83%
मंगलूर	13894	34	13928	1.62%	1922553	61148	1983701	1.25%
पणजी	4238	14	4252	0.49%	1108809	11464	1120273	0.71%
पीणया	16996	53	17049	1.98%	7944145	1181232	9125377	5.76%
आं.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	64385	211	64596	7.50%	17554523	1893419	19447942	12.27%
भुवनेश्वर	20343	110	20453	2.38%	2416485	82320	2498805	1.58%
गुन्टूर	35133	51	35184	4.09%	3075569	76935	3152504	1.99%
हैदराबाद	31085	82	31167	3.62%	7103272	396791	7500063	4.73%
निजामाबाद	8426	11	8437	0.98%	1254433	1742	1256175	0.79%
आं.का. (आंध्र. एवं उड़ीसा)	94987	254	95241	11.06%	13849759	557788	14407547	9.09%
चेन्नै	29131	202	29333	3.41%	7554370	329124	7883494	4.97%
कोयम्बतूर	34030	83	34113	3.96%	5071336	94995	5166331	3.26%
मद्रास	20498	64	20562	2.39%	2861755	51934	2913689	1.84%
तांवरम	15478	35	15513	1.80%	3630484	38671	3669155	2.32%
तिरुवनंतपुरम	24525	83	24608	2.86%	2555631	37798	2593429	1.64%
आं.का. (त.नाडु एवं केरल)	123662	467	124129	14.41%	21673576	552522	22226098	14.03%
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	11818	43	11861	1.38%	728275	26023	754298	0.48%
जलपाईगुड़ी	8919	18	8937	1.04%	1672269	5168	1677437	1.06%
कोलकाता	39208	879	40087	4.66%	4969732	576367	5546099	3.50%
रांची	15535	177	15712	1.82%	1494687	205628	1700315	1.07%
आ.का. (प.बं., पू.खे. एवं झारखंड)	75480	1117	76597	8.90%	8864963	813186	9678149	6.11%
अखिल भारतीय	856386	4737	861123	100.00%	150885586	7584851	158470437	100.00%

APPENDIX A-5 (ii)

Zone-wise (Region-wise) position and concentration of Establishments & Members as on 31.03.2015

Region	ESTABLISHMENTS			% of all India total	MEMBERS			% of all India total
	Unexempted	Exempted	Total		Unexempted	Exempted	Total	
Dehradun	7628	52	7680	0.89%	1951514	78747	2030261	1.28%
Delhi (North)	29646	134	29780	3.46%	5809484	246379	6055863	3.82%
Delhi (South)	24073	97	24170	2.81%	6301011	300579	6601590	4.17%
ZO (DL & UK)	61347	283	61630	7.16%	14062009	625705	14687714	9.27%
Chandigarh	19582	66	19648	2.28%	2707091	17193	2724284	1.72%
Ludhiana	20474	46	20520	2.38%	2668581	51183	2719764	1.72%
Shimla	8807	89	8896	1.03%	1073331	29832	1103163	0.70%
ZO (PN & HP)	48863	201	49064	5.70%	6449003	98208	6547211	4.13%
Kanpur	29101	150	29251	3.40%	2309114	136342	2445456	1.54%
Meerut	30085	120	30205	3.51%	4106122	118902	4225024	2.67%
Patna	10207	153	10360	1.20%	923980	23572	947552	0.60%
ZO (UP & BR)	69393	423	69816	8.11%	7339216	278816	7618032	4.81%
Faridabad	22847	80	22927	2.66%	4086022	44017	4130039	2.61%
Gurgaon	18416	93	18509	2.15%	6901096	240097	7141193	4.51%
Jaipur	30075	239	30314	3.52%	3833594	157943	3991537	2.52%
ZO (HR & RJ)	71338	412	71750	8.33%	14820712	442057	15262769	9.63%
Ahmedabad	43257	187	43444	5.05%	5943736	171936	6115672	3.86%
Baroda	9282	30	9312	1.08%	1820791	54770	1875561	1.18%
Indore	27514	74	27588	3.20%	3501203	68390	3569593	2.25%
Surat	23979	36	24015	2.79%	4388574	33992	4422566	2.79%
ZO (GJ & MP)	104032	327	104359	12.12%	15654304	329088	15983392	10.09%
Kandivili	26678	78	26756	3.11%	5662631	158209	5820840	3.67%
Mumbai-I Bandra	24262	635	24897	2.89%	7909505	1182671	9092176	5.74%
Mumbai-II Thane	27743	130	27873	3.24%	5360485	286694	5647179	3.56%
Nagpur	20542	57	20599	2.39%	3041330	75410	3116740	1.97%
Pune	32485	92	32577	3.78%	7463131	238933	7702064	4.86%
Raipur	11189	50	11239	1.31%	1180439	52145	1232584	0.78%
ZO (MH & CG)	142899	1042	143941	16.72%	30617521	1994062	32611583	20.58%
Bangalore	14612	68	14680	1.70%	5370753	538866	5909619	3.73%
Gulbarga	14645	42	14687	1.71%	1208263	100709	1308972	0.83%
Mangalore	13894	34	13928	1.62%	1922553	61148	1983701	1.25%
Panaji	4238	14	4252	0.49%	1108809	11464	1120273	0.71%
Peenya	16996	53	17049	1.98%	7944145	1181232	9125377	5.76%
ZO (KN & Goa)	64385	211	64596	7.50%	17554523	1893419	19447942	12.27%
Bhubaneshwar	20343	110	20453	2.38%	2416485	82320	2498805	1.58%
Guntur	35133	51	35184	4.09%	3075569	76935	3152504	1.99%
Hyderabad	31085	82	31167	3.62%	7103272	396791	7500063	4.73%
Nizamabad	8426	11	8437	0.98%	1254433	1742	1256175	0.79%
ZO (AP & OR)	94987	254	95241	11.06%	13849759	557788	14407547	9.09%
Chennai	29131	202	29333	3.41%	7554370	329124	7883494	4.97%
Coimbatore	34030	83	34113	3.96%	5071336	94995	5166331	3.26%
Madurai	20498	64	20562	2.39%	2861755	51934	2913689	1.84%
Tambaram	15478	35	15513	1.80%	3630484	38671	3669155	2.32%
Thiruvananthapuram	24525	83	24608	2.86%	2555631	37798	2593429	1.64%
ZO (TN & KR)	123662	467	124129	14.41%	21673576	552522	22226098	14.03%
Guwahati (NER)	11818	43	11861	1.38%	728275	26023	754298	0.48%
Jalpaiguri	8919	18	8937	1.04%	1672269	5168	1677437	1.06%
Kolkata	39208	879	40087	4.66%	4969732	576367	5546099	3.50%
Ranchi	15535	177	15712	1.82%	1494687	205628	1700315	1.07%
ZO (WB,NER & JH)	75480	1117	76597	8.90%	8864963	813186	9678149	6.11%
All India	856386	4737	861123	100.00%	150885586	7584851	158470437	100.00%

परिशिष्ट ए -5(iii)

स्थापनाओं एवं सदस्यों का संकेन्द्रण (राज्यवार) - 31.03.2015 की स्थिति								
राज्य	स्थापनाएं			संपूर्ण भारत के योग का %	सदस्य			संपूर्ण भारत के योग का %
	अछूट प्राप्त	छूट प्राप्त	कुल		अछूट प्राप्त	छूट प्राप्त	कुल	
महाराष्ट्र	131710	992	132702	15.41%	29437082	1941917	31378999	19.80%
तमिलनाडु	99137	384	99521	11.56%	19117945	514724	19632669	12.39%
कर्नाटक	60147	197	60344	7.01%	16445714	1881955	18327669	11.57%
गुजरात	76518	253	76771	8.92%	12153101	260698	12413799	7.83%
दिल्ली	53719	231	53950	6.27%	12110495	546958	12657453	7.99%
आंध्र प्रदेश	74644	144	74788	8.68%	11433274	475468	11908742	7.51%
हरियाणा	41263	173	41436	4.81%	10987118	284114	11271232	7.11%
पश्चिम बंगाल	48127	897	49024	5.69%	6642001	581535	7223536	4.56%
उत्तर प्रदेश	59186	270	59456	6.90%	6415236	255244	6670480	4.21%
पंजाब	40056	112	40168	4.66%	5375672	68376	5444048	3.44%
राजस्थान	30075	239	30314	3.52%	3833594	157943	3991537	2.52%
मध्य प्रदेश	27514	74	27588	3.20%	3501203	68390	3569593	2.25%
केरल	24525	83	24608	2.86%	2555631	37798	2593429	1.64%
ओड़ीशा	20343	110	20453	2.38%	2416485	82320	2498805	1.58%
उत्तराखंड	7628	52	7680	0.89%	1951514	78747	2030261	1.28%
झारखंड	15535	177	15712	1.82%	1494687	205628	1700315	1.07%
छत्तीसगढ़	11189	50	11239	1.31%	1180439	52145	1232584	0.78%
गोवा	4238	14	4252	0.49%	1108809	11464	1120273	0.71%
हिमाचल प्रदेश	8807	89	8896	1.03%	1073331	29832	1103163	0.70%
बिहार	10207	153	10360	1.20%	923980	23572	947552	0.60%
पूर्वोत्तर क्षेत्र	11818	43	11861	1.38%	728275	26023	754298	0.48%
कुल	856386	4737	861123	100.00%	150885586	7584851	158470437	100.00%

APPENDIX A -5(iii)

Concentration of Establishment & Members (State-wise) as on 31.03.2015								
State	ESTABLISHMENTS			% of all India total	MEMBERS			% of all India total
	Unexempted	Exempted	Total		Unexempted	Exempted	Total	
Maharashtra	131710	992	132702	15.41%	29437082	1941917	31378999	19.80%
Tamil Nadu	99137	384	99521	11.56%	19117945	514724	19632669	12.39%
Karnataka	60147	197	60344	7.01%	16445714	1881955	18327669	11.57%
Delhi	53719	231	53950	6.27%	12110495	546958	12657453	7.99%
Gujarat	76518	253	76771	8.92%	12153101	260698	12413799	7.83%
Andhra Pradesh	74644	144	74788	8.68%	11433274	475468	11908742	7.51%
Haryana	41263	173	41436	4.81%	10987118	284114	11271232	7.11%
West Bengal	48127	897	49024	5.69%	6642001	581535	7223536	4.56%
Uttar Pradesh	59186	270	59456	6.90%	6415236	255244	6670480	4.21%
Punjab	40056	112	40168	4.66%	5375672	68376	5444048	3.44%
Rajasthan	30075	239	30314	3.52%	3833594	157943	3991537	2.52%
Madhya Pradesh	27514	74	27588	3.20%	3501203	68390	3569593	2.25%
Kerala	24525	83	24608	2.86%	2555631	37798	2593429	1.64%
Orissa	20343	110	20453	2.38%	2416485	82320	2498805	1.58%
Uttrakhand	7628	52	7680	0.89%	1951514	78747	2030261	1.28%
Jharkhand	15535	177	15712	1.82%	1494687	205628	1700315	1.07%
Chhattisgarh	11189	50	11239	1.31%	1180439	52145	1232584	0.78%
Goa	4238	14	4252	0.49%	1108809	11464	1120273	0.71%
Himachal Pradesh	8807	89	8896	1.03%	1073331	29832	1103163	0.70%
Bihar	10207	153	10360	1.20%	923980	23572	947552	0.60%
North East Region	11818	43	11861	1.38%	728275	26023	754298	0.48%
TOTAL	856386	4737	861123	100.00%	150885586	7584851	158470437	100.00%

परिशिष्ट ए -5 (iv)

सदस्यों का उद्योगवार संकेन्द्रण - 31.03.2015					
क्र.सं.	उद्योग / स्थापनाओं की श्रेणी	स्थापनाएं		सदस्य	
		कुल	%	कुल	%
1	विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने वाली स्थापनाएं	1,63,086	18.94%	4,96,55,370	31.33%
2	इलैक्ट्रिकल, मेकेनिकल अथवा सामान्य इंजीनियरिंग	83,117	9.65%	1,69,89,212	10.72%
3	ट्रेडिंग एवं कमर्शियल स्थापनाएं	78,493	9.12%	1,10,14,266	6.95%
4	इंजीनियर एवं इंजीनियरिंग ठेकेदार	68,252	7.93%	83,93,702	5.30%
5	वस्त्र निर्माण फैक्ट्रियां	16,391	1.90%	83,14,519	5.25%
6	भवन एवं निर्माण	42,152	4.90%	80,49,717	5.08%
7	कपड़ा	27,279	3.17%	55,71,829	3.52%
8	विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल आदि	68,968	8.01%	46,01,995	2.90%
9	बीड़ी निर्माण	7,875	0.91%	38,98,803	2.46%
10	भारी एवं परिष्कृत रसायन	15,063	1.75%	37,60,596	2.37%
11	कम्प्यूटर	7,806	0.91%	26,62,644	1.68%
12	लोहा तथा इस्पात	10,098	1.17%	18,72,545	1.18%
13	होटल	16,739	1.94%	18,20,139	1.15%
14	अस्पताल	12,359	1.44%	17,19,615	1.09%
15	सड़क मोटर परिवहन स्थापनाएं	8,663	1.01%	15,34,363	0.97%
16	बैंक के अतिरिक्त वित्तीय संस्थाएं	6,406	0.74%	12,60,233	0.80%
17	प्लास्टिक एवं प्लास्टिक उत्पाद	10,182	1.18%	11,89,796	0.75%
18	रबर एवं रबर उत्पाद	4,327	0.50%	11,32,272	0.71%
19	बिजली	5,096	0.59%	9,69,580	0.61%
20	रेस्तरां	9,296	1.08%	9,03,216	0.57%
21	चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	5,705	0.66%	8,85,455	0.56%
22	ऑटोमोबाइल रिपेयर एवं सर्विसिंग	5,360	0.62%	8,33,013	0.53%
23	बैंक	3,928	0.46%	8,11,294	0.51%
24	सीमेंट	1,795	0.21%	6,14,853	0.39%
25	साफ-सफाई	3,463	0.40%	6,05,632	0.38%
शीर्ष 25 प्रकार के उद्योगों की कवरेज		6,81,899	79.19%	13,90,64,659	87.75%
शेष उद्योग		179224	20.81%	19405778	12.25%
सभी उद्योगों की कवरेज		8,61,123	100.00%	15,84,70,437	100.00%

APPENDIX A-5 (iv)

Concentration of Members Industry-wise as on 31.03.2015

SI No.	Industries/ Classes of Establishment	Establishments		Members	
		Total	%	Total	%
1	Establishment rendering expert services	1,63,086	18.94%	4,96,55,370	31.33%
2	E M or GE	83,117	9.65%	1,69,89,212	10.72%
3	Trading and commercial estt.	78,493	9.12%	1,10,14,266	6.95%
4	Engineers and Engineering Contractors	68,252	7.93%	83,93,702	5.30%
5	Garments making factories	16,391	1.90%	83,14,519	5.25%
6	Building and Construction	42,152	4.90%	80,49,717	5.08%
7	Textiles	27,279	3.17%	55,71,829	3.52%
8	University, College, School, etc.	68,968	8.01%	46,01,995	2.90%
9	Manufacture of Beedi.	7,875	0.91%	38,98,803	2.46%
10	Heavy and Fine Chemicals	15,063	1.75%	37,60,596	2.37%
11	Computers	7,806	0.91%	26,62,644	1.68%
12	Irons and Steel	10,098	1.17%	18,72,545	1.18%
13	Hotels	16,739	1.94%	18,20,139	1.15%
14	Hospitals	12,359	1.44%	17,19,615	1.09%
15	Road Motor Transport estt.	8,663	1.01%	15,34,363	0.97%
16	Financing establishment other than banks	6,406	0.74%	12,60,233	0.80%
17	Plastic and Plastic Products	10,182	1.18%	11,89,796	0.75%
18	Rubber and Rubber Products	4,327	0.50%	11,32,272	0.71%
19	Electricity	5,096	0.59%	9,69,580	0.61%
20	Restaurants	9,296	1.08%	9,03,216	0.57%
21	Leather and Leather Products	5,705	0.66%	8,85,455	0.56%
22	Automobile repair and servicing	5,360	0.62%	8,33,013	0.53%
23	Bank	3,928	0.46%	8,11,294	0.51%
24	Cement	1,795	0.21%	6,14,853	0.39%
25	Cleaning & Sweeping	3,463	0.40%	6,05,632	0.38%
Coverage of Top 25 Industries		6,81,899	79.19%	13,90,64,659	87.75%
Rest of Industries		179224	20.81%	19405778	12.25%
Total Coverage in all Industries		8,61,123	100.00%	15,84,70,437	100.00%

अंचलवार (क्षेत्रवार) स्थिति एवं संकेन्द्रण – छूट प्राप्त स्थापनाएं				
क्षेत्र	स्थापनाएं		सदस्य	
	छूट प्राप्त	सम्पूर्ण भारत के योग का %	छूट प्राप्त	सम्पूर्ण भारत के योग का %
देहरादून	52	1.10%	78747	1.04%
दिल्ली (उत्तर)	134	2.83%	246379	3.25%
दिल्ली (दक्षिण)	97	2.05%	300579	3.96%
आ.का. (दिल्ली एवं उ.खंड)	283	5.97%	625705	8.25%
चंडीगढ़	66	1.39%	17193	0.23%
लुधियाना	46	0.97%	51183	0.67%
शिमला	89	1.88%	29832	0.39%
आ.का. (पंजाब एवं हि.प्रदेश)	201	4.24%	98208	1.29%
कानपुर	150	3.17%	136342	1.80%
मेरठ	120	2.53%	118902	1.57%
पटना	153	3.23%	23572	0.31%
आ.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	423	8.93%	278816	3.68%
फरीदाबाद	80	1.69%	44017	0.58%
गुडगांव	93	1.96%	240097	3.17%
जयपुर	239	5.05%	157943	2.08%
आ.का. (हरि. एवं राजस्थान)	412	8.70%	442057	5.83%
अहमदाबाद	187	3.95%	171936	2.27%
बडौदा	30	0.63%	54770	0.72%
इंदौर	74	1.56%	68390	0.90%
सुरत	36	0.76%	33992	0.45%
आ.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	327	6.90%	329088	4.34%
कांदिवली	78	1.65%	158209	2.09%
मुंबई-I वांद्रा	635	13.41%	1182671	15.59%
मुंबई-II थाणे	130	2.74%	286694	3.78%
नागपुर	57	1.20%	75410	0.99%
पुणे	92	1.94%	238933	3.15%
रायपुर	50	1.06%	52145	0.69%
आ.का. (महारा. एवं छत्तीसगढ़)	1042	22.00%	1994062	26.29%
बंगलूर	68	1.44%	538866	7.10%
गुलबर्गा	42	0.89%	100709	1.33%
मंगलूर	34	0.72%	61148	0.81%
पणजी	14	0.30%	11464	0.15%
पीण्य	53	1.12%	1181232	15.57%
आ.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	211	4.45%	1893419	24.96%
भुवनेश्वर	110	2.32%	82320	1.09%
गुनूर	51	1.08%	76935	1.01%
हैदराबाद	82	1.73%	396791	5.23%
निजामाबाद	11	0.23%	1742	0.02%
आ.का. (आंध्र. एवं उड़ीसा)	254	5.36%	557788	7.35%
चेन्नै	202	4.26%	329124	4.34%
कोयम्बतूर	83	1.75%	94995	1.25%
मद्रास	64	1.35%	51934	0.68%
तांवरम	35	0.74%	38671	0.51%
तिरुवनंतपुरम	83	1.75%	37798	0.50%
आ.का. (त.नाडु एवं केरल)	467	9.86%	552522	7.28%
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	43	0.91%	26023	0.34%
जलपाईगुड़ी	18	0.38%	5168	0.07%
कोलकाता	879	18.56%	576367	7.60%
रांची	177	3.74%	205628	2.71%
आ.का. (प.बं., पू.ओ. एवं झारखंड)	1117	23.58%	813186	10.72%
अखिल भारतीय	4737	100.00%	7584851	100.00%

Zone wise (Region wise) position and concentration - Exempted Establishment as on 31.03.2015				
Region	ESTABLISHMENTS		MEMBERS	
	Exempted	% of all India Total	Exempted	% of all India Total
Dehradun	52	1.10%	78747	1.04%
Delhi (North)	134	2.83%	246379	3.25%
Delhi (South)	97	2.05%	300579	3.96%
ZO (DL & UK)	283	5.97%	625705	8.25%
Chandigarh	66	1.39%	17193	0.23%
Ludhiana	46	0.97%	51183	0.67%
Shimla	89	1.88%	29832	0.39%
ZO (PN & HP)	201	4.24%	98208	1.29%
Kanpur	150	3.17%	136342	1.80%
Meerut	120	2.53%	118902	1.57%
Patna	153	3.23%	23572	0.31%
ZO (UP & BR)	423	8.93%	278816	3.68%
Faridabad	80	1.69%	44017	0.58%
Gurgaon	93	1.96%	240097	3.17%
Jaipur	239	5.05%	157943	2.08%
ZO (HR & RJ)	412	8.70%	442057	5.83%
Ahmedabad	187	3.95%	171936	2.27%
Baroda	30	0.63%	54770	0.72%
Indore	74	1.56%	68390	0.90%
Surat	36	0.76%	33992	0.45%
ZO(GJ & MP)	327	6.90%	329088	4.34%
Kandivili	78	1.65%	158209	2.09%
Mumbai-I Bandra	635	13.41%	1182671	15.59%
Mumbai-II Thane	130	2.74%	286694	3.78%
Nagpur	57	1.20%	75410	0.99%
Pune	92	1.94%	238933	3.15%
Raipur	50	1.06%	52145	0.69%
ZO (MH & CG)	1042	22.00%	1994062	26.29%
Bangalore	68	1.44%	538866	7.10%
Gulbarga	42	0.89%	100709	1.33%
Mangalore	34	0.72%	61148	0.81%
Panaji	14	0.30%	11464	0.15%
Peenya	53	1.12%	1181232	15.57%
ZO(KN & Goa)	211	4.45%	1893419	24.96%
Bhubaneswar	110	2.32%	82320	1.09%
Guntur	51	1.08%	76935	1.01%
Hyderabad	82	1.73%	396791	5.23%
Nizamabad	11	0.23%	1742	0.02%
ZO(AP & OR)	254	5.36%	557788	7.35%
Chennai	202	4.26%	329124	4.34%
Coimbatore	83	1.75%	94995	1.25%
Madurai	64	1.35%	51934	0.68%
Tambaram	35	0.74%	38671	0.51%
Thiruvananthapuram	83	1.75%	37798	0.50%
ZO (TN & KR)	467	9.86%	552522	7.28%
Guwahati (NER)	43	0.91%	26023	0.34%
Jalpaiguri	18	0.38%	5168	0.07%
Kolkata	879	18.56%	576367	7.60%
Ranchi	177	3.74%	205628	2.71%
ZO (WB, NER & JH)	1117	23.58%	813186	10.72%
ALL INDIA	4737	100.00%	7584851	100.00%

स्थापनाओं एवं सदस्यों का छूट प्राप्त क्षेत्र में संकेन्द्रण - 31.03.2015					
क्र.सं.	राज्य	स्थापनाएं		सदस्य	
		छूट प्राप्त	कुल का %	छूट प्राप्त	कुल का %
1	महाराष्ट्र	992	20.94%	1941917	25.60%
2	कर्नाटक	197	4.15%	1881955	24.81%
3	पश्चिम बंगाल	897	18.94%	581535	7.67%
4	दिल्ली	231	4.88%	546958	7.21%
5	तमिलनाडु	384	8.11%	514724	6.79%
उप – योग		2701	57.02%	5467089	72.08%
शेष राज्य		2036	42.98%	2117762	27.92%
21 राज्यों की कुल संख्या		4737	100%	7584851	100%

APPENDIX A– 5 (vi)

Concentration of Establishment & Members in Exempted Sector as on 31.03.2015					
Sl. No.	State	ESTABLISHMENTS		MEMBERS	
		Exempted	% of Total	Exempted	% of Total
1	Maharashtra	992	20.94%	1941917	25.60%
2	Karnataka	197	4.15%	1881955	24.81%
3	West Bengal	897	18.94%	581535	7.67%
4	Delhi	231	4.88%	546958	7.21%
5	Tamil Nadu	384	8.11%	514724	6.79%
Sub- Total		2701	57.02%	5467089	72.08%
Rest of the States		2036	42.98%	2117762	27.92%
Total Strength of 21 States		4737	100%	7584851	100%

अछूत प्राप्त क्षेत्र में क.भ.नि. योजना के अंतर्गत निर्धारित बकाया - 31.03.2015 की स्थिति (₹ करोड़ों में)

क्षेत्र	कार्यभार			एकत्रित राशि			अंत शेष		
	क.भ.नि देय	क.भ.नि. प्रशासकीय एवं निरीक्षण प्रभार	कुल	क.भ.नि देय	क.भ.नि. प्रशासकीय एवं निरीक्षण प्रभार	कुल	क.भ.नि देय	क.भ.नि. प्रशासकीय एवं निरीक्षण प्रभार	कुल
देहरादून	43.17	2.10	45.27	19.31	1.12	20.43	23.86	0.98	24.84
दिल्ली (उत्तर)	212.81	14.94	227.75	33.19	2.33	35.52	179.62	12.61	192.23
दिल्ली (दक्षिण)	133.46	10.62	144.09	18.20	1.44	19.63	115.27	9.19	124.46
आं.का. (दिल्ली एवं उ.खंड)	389.45	27.66	417.11	70.69	4.89	75.58	318.75	22.77	341.53
चंडीगढ़	66.40	6.37	72.77	12.32	1.13	13.45	54.08	5.24	59.32
लुधियाना	29.33	1.71	31.05	11.74	0.82	12.56	17.59	0.89	18.48
शिमला	19.16	1.41	20.58	7.79	0.55	8.34	11.37	0.87	12.24
आं.का. (पंजाब एवं हि.प्रदेश)	114.90	9.49	124.39	31.85	2.49	34.35	83.05	6.99	90.04
कानपुर	161.00	11.30	172.30	42.76	3.00	45.77	118.23	8.30	126.53
मेरठ	43.03	2.74	45.76	16.47	0.99	17.46	26.56	1.74	28.30
पटना	26.35	1.94	28.29	6.45	0.45	6.91	19.90	1.49	21.39
आं.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	230.37	15.98	246.35	65.68	4.45	70.13	164.69	11.53	176.22
फरीदाबाद	36.61	3.50	40.12	10.40	0.78	11.18	26.21	2.72	28.93
गुडगांव	40.13	2.82	42.95	25.22	1.77	26.99	14.91	1.05	15.96
जयपुर	94.19	6.51	100.69	72.25	3.94	76.19	21.94	2.57	24.51
आं.का. (हरि. एवं राजस्थान)	170.94	12.82	183.76	107.88	6.49	114.36	63.06	6.34	69.40
अहमदाबाद	52.55	6.85	59.40	28.22	2.32	30.54	24.34	4.53	28.86
वडोदा	11.18	1.08	12.26	4.42	0.53	4.95	6.76	0.55	7.31
इंदौर	225.02	16.25	241.28	50.22	3.57	53.79	174.80	12.68	187.48
सुरत	45.13	2.89	48.01	12.90	0.91	13.81	32.22	1.98	34.20
आं.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	333.88	27.07	360.95	95.77	7.33	103.10	238.12	19.74	257.85
कांदिवली	101.34	15.82	117.16	17.29	1.33	18.62	84.05	14.49	98.54
मुंबई-I बांद्रा	101.12	13.51	114.63	2.79	0.13	2.92	98.33	13.38	111.71
मुंबई-II थाणे	70.31	3.38	73.69	22.40	1.17	23.58	47.91	2.21	50.12
नागपुर	114.90	9.00	123.90	21.93	1.46	23.39	92.97	7.54	100.51
पुणे	76.29	5.35	81.64	17.79	1.48	19.27	58.49	3.88	62.37
रायपुर	42.55	2.45	45.00	20.16	1.01	21.16	22.39	1.44	23.84
आं.का. (महा.एवं छत्तीसगढ़)	506.50	49.51	556.02	102.36	6.58	108.94	404.14	42.93	447.07
बंगलूर	107.91	12.15	120.06	46.19	3.58	49.77	61.71	8.57	70.29
गुलबर्गा	42.38	3.62	46.00	16.90	1.40	18.30	25.48	2.22	27.70
मंगलूर	51.10	3.45	54.55	13.92	1.07	14.99	37.18	2.38	39.56
पणजी	12.11	1.07	13.19	7.11	0.49	7.61	5.00	0.58	5.58
पीण्या	79.55	5.81	85.35	47.47	3.42	50.90	32.07	2.38	34.46
आं.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	293.04	26.10	319.15	131.60	9.96	141.56	161.44	16.14	177.59
भुवनेश्वर	440.46	32.00	472.46	41.07	2.88	43.96	399.39	29.12	428.51
गुन्दूर	83.46	6.08	89.54	29.85	2.15	32.01	53.61	3.93	57.53
हैदराबाद	200.09	14.85	214.94	89.93	5.56	95.49	110.16	9.28	119.45
निजामाबाद	26.94	2.05	28.99	15.82	1.13	16.95	11.11	0.92	12.04
आं.का. (आंध्र. एवं उड़ीसा)	750.95	54.98	805.93	176.68	11.73	188.41	574.27	43.25	617.52
चेन्नै	178.26	11.64	189.91	95.84	5.80	101.64	82.42	5.85	88.27
कोयम्बतूर	145.19	12.19	157.37	57.56	4.46	62.02	87.63	7.73	95.36
मद्रै	67.89	4.99	72.89	26.04	1.97	28.01	41.86	3.02	44.88
तांबरम	92.79	7.71	100.50	37.03	2.89	39.92	55.76	4.82	60.58
तिरुवनंतपुरम	242.08	15.61	257.68	50.16	4.30	54.46	191.91	11.31	203.22
आं.का. (त.नाडु एवं केरल)	726.21	52.15	778.35	266.63	19.42	286.05	459.58	32.73	492.31
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	41.20	3.28	44.48	18.19	1.14	19.33	23.01	2.14	25.15
जलपाईगुड़ी	96.31	9.36	105.67	37.96	2.51	40.47	58.35	6.84	65.20
कोलकाता	199.21	10.23	209.44	55.63	3.73	59.35	143.58	6.50	150.09
रांची	17.42	1.68	19.10	7.86	0.59	8.45	9.56	1.09	10.64
आ.का. (प.बं., पू.क्ष. एवं झारखंड)	354.14	24.55	378.69	119.64	7.97	127.61	234.51	16.57	251.08
अखिल भारतीय	3870.39	300.31	4170.70	1168.78	81.31	1250.09	2701.61	219.00	2920.61

APPENDIX A-6 (i)

Assessed Arrears under EPF Scheme in Unexempted Sector as on 31.03.2015 (₹ in cr.)									
Region	Workload			Collection made			Closing balance		
	EPF Dues	EPF Admn. & Insp Charges	Total	EPF Dues	EPF Admn. & Insp Charges	Total	EPF Dues	EPF Admn. & Insp Charges	Total
Dehradun	43.17	2.10	45.27	19.31	1.12	20.43	23.86	0.98	24.84
Delhi (North)	212.81	14.94	227.75	33.19	2.33	35.52	179.62	12.61	192.23
Delhi (South)	133.46	10.62	144.09	18.20	1.44	19.63	115.27	9.19	124.46
ZO (DL & UK)	389.45	27.66	417.11	70.69	4.89	75.58	318.75	22.77	341.53
Chandigarh	66.40	6.37	72.77	12.32	1.13	13.45	54.08	5.24	59.32
Ludhiana	29.33	1.71	31.05	11.74	0.82	12.56	17.59	0.89	18.48
Shimla	19.16	1.41	20.58	7.79	0.55	8.34	11.37	0.87	12.24
ZO (PN & HP)	114.90	9.49	124.39	31.85	2.49	34.35	83.05	6.99	90.04
Kanpur	161.00	11.30	172.30	42.76	3.00	45.77	118.23	8.30	126.53
Meerut	43.03	2.74	45.76	16.47	0.99	17.46	26.56	1.74	28.30
Patna	26.35	1.94	28.29	6.45	0.45	6.91	19.90	1.49	21.39
ZO (UP & BR)	230.37	15.98	246.35	65.68	4.45	70.13	164.69	11.53	176.22
Faridabad	36.61	3.50	40.12	10.40	0.78	11.18	26.21	2.72	28.93
Gurgaon	40.13	2.82	42.95	25.22	1.77	26.99	14.91	1.05	15.96
Jaipur	94.19	6.51	100.69	72.25	3.94	76.19	21.94	2.57	24.51
ZO (HR & RJ)	170.94	12.82	183.76	107.88	6.49	114.36	63.06	6.34	69.40
Ahmedabad	52.55	6.85	59.40	28.22	2.32	30.54	24.34	4.53	28.86
Baroda	11.18	1.08	12.26	4.42	0.53	4.95	6.76	0.55	7.31
Indore	225.02	16.25	241.28	50.22	3.57	53.79	174.80	12.68	187.48
Surat	45.13	2.89	48.01	12.90	0.91	13.81	32.22	1.98	34.20
ZO (GJ & MP)	333.88	27.07	360.95	95.77	7.33	103.10	238.12	19.74	257.85
Kandivili	101.34	15.82	117.16	17.29	1.33	18.62	84.05	14.49	98.54
Mumbai-I Bandra	101.12	13.51	114.63	2.79	0.13	2.92	98.33	13.38	111.71
Mumbai-II Thane	70.31	3.38	73.69	22.40	1.17	23.58	47.91	2.21	50.12
Nagpur	114.90	9.00	123.90	21.93	1.46	23.39	92.97	7.54	100.51
Pune	76.29	5.35	81.64	17.79	1.48	19.27	58.49	3.88	62.37
Raipur	42.55	2.45	45.00	20.16	1.01	21.16	22.39	1.44	23.84
ZO (MH & CG)	506.50	49.51	556.02	102.36	6.58	108.94	404.14	42.93	447.07
Bangalore	107.91	12.15	120.06	46.19	3.58	49.77	61.71	8.57	70.29
Gulbarga	42.38	3.62	46.00	16.90	1.40	18.30	25.48	2.22	27.70
Mangalore	51.10	3.45	54.55	13.92	1.07	14.99	37.18	2.38	39.56
Panaji	12.11	1.07	13.19	7.11	0.49	7.61	5.00	0.58	5.58
Peenya	79.55	5.81	85.35	47.47	3.42	50.90	32.07	2.38	34.46
ZO (KN & Goa)	293.04	26.10	319.15	131.60	9.96	141.56	161.44	16.14	177.59
Bhubaneswar	440.46	32.00	472.46	41.07	2.88	43.96	399.39	29.12	428.51
Guntur	83.46	6.08	89.54	29.85	2.15	32.01	53.61	3.93	57.53
Hyderabad	200.09	14.85	214.94	89.93	5.56	95.49	110.16	9.28	119.45
Nizamabad	26.94	2.05	28.99	15.82	1.13	16.95	11.11	0.92	12.04
ZO (AP & OR)	750.95	54.98	805.93	176.68	11.73	188.41	574.27	43.25	617.52
Chennai	178.26	11.64	189.91	95.84	5.80	101.64	82.42	5.85	88.27
Coimbatore	145.19	12.19	157.37	57.56	4.46	62.02	87.63	7.73	95.36
Madurai	67.89	4.99	72.89	26.04	1.97	28.01	41.86	3.02	44.88
Tambaram	92.79	7.71	100.50	37.03	2.89	39.92	55.76	4.82	60.58
Thiruvananthapuram	242.08	15.61	257.68	50.16	4.30	54.46	191.91	11.31	203.22
ZO (TN & KR)	726.21	52.15	778.35	266.63	19.42	286.05	459.58	32.73	492.31
Guwahati (NER)	41.20	3.28	44.48	18.19	1.14	19.33	23.01	2.14	25.15
Jalpaiguri	96.31	9.36	105.67	37.96	2.51	40.47	58.35	6.84	65.20
Kolkata	199.21	10.23	209.44	55.63	3.73	59.35	143.58	6.50	150.09
Ranchi	17.42	1.68	19.10	7.86	0.59	8.45	9.56	1.09	10.64
ZO (WB, NER & JH)	354.14	24.55	378.69	119.64	7.97	127.61	234.51	16.57	251.08
All INDIA	3870.39	300.31	4170.70	1168.78	81.31	1250.09	2701.61	219.00	2920.61

अछूत प्राप्त क्षेत्र में क.पे. योजना'95 के अंतर्गत निर्धारित बकाया - 31.03.2015 की स्थिति (₹ करोड़ों में)			
क्षेत्र	कार्यभार	एकत्रित राशि	अंत शेष
देहरादून	18.19	6.92	11.27
दिल्ली (उत्तर)	113.12	17.64	95.47
दिल्ली (दक्षिण)	78.48	7.48	71.00
आं.का. (दिल्ली एवं उ.खंड)	209.78	32.05	177.74
चंडीगढ़	31.72	6.41	25.31
लुधियाना	15.44	5.08	10.36
शिमला	10.54	3.77	6.77
आं.का. (पंजाब एवं हि.प्रदेश)	57.70	15.26	42.44
कानपुर	85.51	22.73	62.78
मेरठ	21.18	6.49	14.69
पटना	17.24	3.34	13.91
आं.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	123.93	32.56	91.37
फरीदाबाद	25.53	5.26	20.27
गुड़गांव	21.33	13.41	7.93
जयपुर	27.38	15.50	11.88
आं.का. (हरि. एवं राजस्थान)	74.24	34.16	40.08
अहमदाबाद	39.90	12.59	27.31
बड़ौदा	5.72	2.02	3.70
इंदौर	133.29	24.92	108.37
सुरत	19.80	4.74	15.05
आं.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	198.70	44.27	154.43
कांदिवली	44.46	8.78	35.68
मुंबई-I वांद्रा	44.21	0.99	43.22
मुंबई-II धाणे	37.40	9.02	28.39
नागपुर	59.93	10.31	49.62
पुणे	38.71	8.04	30.67
रायपुर	21.39	6.93	14.47
आं.का. (महा.एवं छत्तीसगढ़)	246.11	44.06	202.05
बंगलूर	56.77	23.05	33.72
गुलबर्गा	22.86	9.44	13.42
मंगलूर	21.51	6.92	14.58
पणजी	5.53	2.35	3.18
पीप्या	47.07	25.66	21.41
आं.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	153.73	67.41	86.32
भुवनेश्वर	240.10	21.83	218.26
गुन्डूर	45.66	14.96	30.71
हैदराबाद	105.70	32.30	73.41
निजामाबाद	13.93	8.45	5.48
आं.का. (आं.प्र. एवं उड़ीसा)	405.40	77.54	327.86
चेन्नै	80.64	40.95	39.68
कोयम्बतूर	83.09	29.33	53.76
मडुरै	40.50	11.54	28.97
तांबरम	44.21	16.69	27.52
तिरुवनंतपुरम	111.53	18.96	92.57
आं.का. (त.नाडु एवं केरल)	359.97	117.46	242.51
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	20.59	7.54	13.05
जलपाईगुड़ी	76.88	20.52	56.36
कोलकाता	70.26	22.22	48.04
रांची	17.52	3.36	14.16
आ.का. (प.बं., पू.क्ष. एवं झारखंड)	185.25	53.64	131.62
अखिल भारतीय	2014.82	518.42	1496.40

APPENDIX A-6 (ii)

Assessed arrears under EPS'95 in Unexempted sector as on 31.03.2015 (₹ in cr.)			
Region	Workload	Collection made	Closing balance
Dehradun	18.19	6.92	11.27
Delhi (North)	113.12	17.64	95.47
Delhi (South)	78.48	7.48	71.00
ZO (DL & UK)	209.78	32.05	177.74
Chandigarh	31.72	6.41	25.31
Ludhiana	15.44	5.08	10.36
Shimla	10.54	3.77	6.77
ZO (PN & HP)	57.70	15.26	42.44
Kanpur	85.51	22.73	62.78
Meerut	21.18	6.49	14.69
Patna	17.24	3.34	13.91
ZO (UP & BR)	123.93	32.56	91.37
Faridabad	25.53	5.26	20.27
Gurgaon	21.33	13.41	7.93
Jaipur	27.38	15.50	11.88
ZO (HR & RJ)	74.24	34.16	40.08
Ahmedabad*	39.90	12.59	27.31
Baroda	5.72	2.02	3.70
Indore	133.29	24.92	108.37
Surat	19.80	4.74	15.05
ZO (GJ & MP)	198.70	44.27	154.43
Kandivili	44.46	8.78	35.68
Mumbai-I Bandra	44.21	0.99	43.22
Mumbai-II Thane	37.40	9.02	28.39
Nagpur	59.93	10.31	49.62
Pune	38.71	8.04	30.67
Raipur	21.39	6.93	14.47
ZO (MH & CG)	246.11	44.06	202.05
Bangalore	56.77	23.05	33.72
Gulbarga	22.86	9.44	13.42
Mangalore	21.51	6.92	14.58
Panaji	5.53	2.35	3.18
Peenya	47.07	25.66	21.41
ZO (KN & Goa)	153.73	67.41	86.32
Bhubaneshwar	240.10	21.83	218.26
Guntur	45.66	14.96	30.71
Hyderabad	105.70	32.30	73.41
Nizamabad	13.93	8.45	5.48
ZO (AP & OR)	405.40	77.54	327.86
Chennai	80.64	40.95	39.68
Coimbatore	83.09	29.33	53.76
Madurai	40.50	11.54	28.97
Tambaram	44.21	16.69	27.52
Thiruvananthapuram	111.53	18.96	92.57
ZO (TN & KR)	359.97	117.46	242.51
Guwahati (NER)	20.59	7.54	13.05
Jalpaiguri	76.88	20.52	56.36
Kolkata	70.26	22.22	48.04
Ranchi	17.52	3.36	14.16
ZO (WB, NER & JH)	185.25	53.64	131.62
ALL INDIA	2014.82	518.42	1496.40

अछूत प्राप्त क्षेत्र में क.नि.स.बी. योजना के अंतर्गत निर्धारित बकाया 31.03.2015 की स्थिति (₹ करोड़ों में)									
क्षेत्र	कार्यभार			एकत्रित राशि			अंत शेष		
	क.नि.स.बी. देय	क.नि.स.बी. प्रशासकीय एवं निरीक्षण प्रभार	कुल	क.नि.स.बी. देय	क.नि.स.बी. प्रशासकीय एवं निरीक्षण प्रभार	कुल	क.नि.स.बी. देय	क.नि.स.बी. प्रशासकीय एवं निरीक्षण प्रभार	कुल
देहरादून	2.20	0.11	2.31	0.42	0.01	0.44	1.78	0.10	1.87
दिल्ली (उत्तर)	6.79	0.14	6.93	1.06	0.02	1.08	5.73	0.11	5.85
दिल्ली (दक्षिण)	1.95	0.27	2.22	0.52	0.05	0.57	1.43	0.22	1.65
आं.का. (दिल्ली एवं उ.खंड)	10.94	0.51	11.45	2.01	0.08	2.09	8.94	0.43	9.37
चंडीगढ़	4.55	0.09	4.64	0.52	0.02	0.54	4.03	0.08	4.10
चुधियाना	1.79	0.06	1.85	0.24	0.01	0.25	1.55	0.05	1.60
शिमला	0.54	0.02	0.56	0.24	0.00	0.25	0.30	0.01	0.31
आं.का. (पंजाब एवं हि.प्रदेश)	6.88	0.17	7.05	1.00	0.03	1.03	5.87	0.14	6.01
कानपुर	5.14	0.10	5.24	1.36	0.03	1.39	3.77	0.08	3.85
मेरठ	1.47	0.08	1.55	0.45	0.02	0.47	1.02	0.05	1.08
पटना	1.10	0.11	1.21	0.23	0.01	0.23	0.87	0.10	0.98
आं.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	7.71	0.29	8.00	2.04	0.06	2.10	5.67	0.23	5.90
फरीदाबाद	2.58	0.06	2.64	0.46	0.01	0.47	2.12	0.05	2.17
गुडगांव	1.28	0.03	1.31	0.80	0.02	0.82	0.48	0.01	0.49
जयपुर	1.13	0.09	1.22	0.46	0.05	0.51	0.67	0.04	0.71
आं.का. (हरि. एवं राजस्थान)	4.99	0.18	5.17	1.72	0.07	1.80	3.27	0.11	3.37
अहमदाबाद	2.29	0.16	2.45	0.91	0.03	0.94	1.38	0.12	1.51
बड़ोदा	0.54	0.11	0.65	0.24	0.06	0.30	0.30	0.05	0.35
इंदौर	8.71	0.27	8.98	1.57	0.04	1.61	7.14	0.23	7.37
मुरत	5.34	0.05	5.38	2.55	0.01	2.56	2.79	0.04	2.82
आं.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	16.88	0.58	17.46	5.27	0.14	5.41	11.61	0.44	12.05
काठिवाली	4.68	0.07	4.75	0.77	0.02	0.80	3.91	0.05	3.96
मुंबई-I बांद्रा	2.23	0.07	2.30	0.09	0.00	0.09	2.15	0.06	2.21
मुंबई-II वाणें	3.37	0.04	3.41	0.87	0.01	0.88	2.50	0.02	2.53
नागपुर	3.85	0.08	3.94	0.65	0.01	0.66	3.20	0.07	3.27
पुणे	7.19	0.25	7.44	1.05	0.02	1.07	6.14	0.23	6.37
रायपुर	1.83	0.05	1.87	0.46	0.01	0.47	1.37	0.03	1.40
आं.का. (महारा. एवं छत्तीसगढ़)	23.15	0.55	23.71	3.89	0.08	3.97	19.27	0.47	19.74
बंगलौर	3.98	0.64	4.62	1.10	0.03	1.12	2.88	0.62	3.50
मुलबर्गा	1.45	0.04	1.50	0.51	0.01	0.53	0.94	0.03	0.97
मंगलौर	1.67	0.04	1.71	0.45	0.01	0.46	1.22	0.03	1.25
पणजी	0.35	0.02	0.38	0.15	0.00	0.15	0.21	0.02	0.23
पीप्या	2.46	0.17	2.63	1.48	0.03	1.51	0.98	0.14	1.12
आं.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	9.91	0.92	10.83	3.68	0.09	3.77	6.23	0.83	7.06
भुवनेश्वर	15.34	0.29	15.63	1.31	0.03	1.34	14.03	0.27	14.29
गुन्डूर	2.67	0.07	2.73	0.88	0.02	0.89	1.79	0.05	1.84
हैदराबाद	4.43	0.28	4.71	1.67	0.07	1.74	2.76	0.20	2.96
निजामाबाद	0.87	0.03	0.91	0.52	0.01	0.53	0.36	0.02	0.38
आं.का. (आंध्र. एवं उड़ीसा)	23.31	0.67	23.98	4.37	0.13	4.50	18.94	0.54	19.47
चेन्नै	18.27	0.66	18.93	9.94	0.06	10.00	8.33	0.60	8.93
कोयम्बतूर	5.04	0.12	5.16	1.59	0.04	1.63	3.45	0.08	3.53
मद्रै	2.01	0.04	2.05	0.76	0.01	0.77	1.25	0.03	1.28
तांवरम	3.03	0.11	3.13	1.38	0.03	1.41	1.64	0.08	1.72
तिरुवनंतपुरम	7.72	0.26	7.98	1.79	0.04	1.83	5.93	0.22	6.15
आं.का. (त.नाडु एवं केरल)	36.06	1.19	37.25	15.46	0.18	15.64	20.60	1.01	21.61
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	2.40	0.06	2.45	0.54	0.01	0.55	1.86	0.04	1.90
जलपाईगुड़ी	4.60	0.10	4.70	1.15	0.03	1.17	3.45	0.07	3.53
कोलकाता	5.53	0.26	5.79	1.54	0.08	1.62	4.00	0.18	4.17
रांची	1.30	0.15	1.44	0.25	0.01	0.25	1.05	0.14	1.19
आ.का. (प.बं., पू.के. एवं झारखंड)	13.83	0.56	14.39	3.47	0.13	3.60	10.36	0.43	10.79
अखिल भारतीय	153.67	5.61	159.28	42.92	0.98	43.90	110.75	4.63	115.38

APPENDIX A-6 (iii)

Assessed arrears under EDLI Scheme in Unexempted sector as on 31.03.2015 (₹ in cr.)									
Region	Workload			Collection made			Closing balance		
	EDLI Dues	EDLI Admn. & Insp Charges	Total	EDLI Dues	EDLI Admn. & Insp Charges	Total	EDLI Dues	EDLI Admn. & Insp Charges	Total
Dehradun	2.20	0.11	2.31	0.42	0.01	0.44	1.78	0.10	1.87
Delhi (North)	6.79	0.14	6.93	1.06	0.02	1.08	5.73	0.11	5.85
Delhi (South)	1.95	0.27	2.22	0.52	0.05	0.57	1.43	0.22	1.65
ZO (DL & UK)	10.94	0.51	11.45	2.01	0.08	2.09	8.94	0.43	9.37
Chandigarh	4.55	0.09	4.64	0.52	0.02	0.54	4.03	0.08	4.10
Ludhiana	1.79	0.06	1.85	0.24	0.01	0.25	1.55	0.05	1.60
Shimla	0.54	0.02	0.56	0.24	0.00	0.25	0.30	0.01	0.31
ZO (PN & HP)	6.88	0.17	7.05	1.00	0.03	1.03	5.87	0.14	6.01
Kanpur	5.14	0.10	5.24	1.36	0.03	1.39	3.77	0.08	3.85
Meerut	1.47	0.08	1.55	0.45	0.02	0.47	1.02	0.05	1.08
Patna	1.10	0.11	1.21	0.23	0.01	0.23	0.87	0.10	0.98
ZO (UP & BR)	7.71	0.29	8.00	2.04	0.06	2.10	5.67	0.23	5.90
Faridabad	2.58	0.06	2.64	0.46	0.01	0.47	2.12	0.05	2.17
Gurgaon	1.28	0.03	1.31	0.80	0.02	0.82	0.48	0.01	0.49
Jaipur	1.13	0.09	1.22	0.46	0.05	0.51	0.67	0.04	0.71
ZO (HR & RJ)	4.99	0.18	5.17	1.72	0.07	1.80	3.27	0.11	3.37
Ahmedabad	2.29	0.16	2.45	0.91	0.03	0.94	1.38	0.12	1.51
Baroda	0.54	0.11	0.65	0.24	0.06	0.30	0.30	0.05	0.35
Indore	8.71	0.27	8.98	1.57	0.04	1.61	7.14	0.23	7.37
Surat	5.34	0.05	5.38	2.55	0.01	2.56	2.79	0.04	2.82
ZO(GJ & MP)	16.88	0.58	17.46	5.27	0.14	5.41	11.61	0.44	12.05
Kandivili	4.68	0.07	4.75	0.77	0.02	0.80	3.91	0.05	3.96
Mumbai-I Bandra	2.23	0.07	2.30	0.09	0.00	0.09	2.15	0.06	2.21
Mumbai-II Thane	3.37	0.04	3.41	0.87	0.01	0.88	2.50	0.02	2.53
Nagpur	3.85	0.08	3.94	0.65	0.01	0.66	3.20	0.07	3.27
Pune	7.19	0.25	7.44	1.05	0.02	1.07	6.14	0.23	6.37
Raipur	1.83	0.05	1.87	0.46	0.01	0.47	1.37	0.03	1.40
ZO (MH & CG)	23.15	0.55	23.71	3.89	0.08	3.97	19.27	0.47	19.74
Bangalore	3.98	0.64	4.62	1.10	0.03	1.12	2.88	0.62	3.50
Gulbarga	1.45	0.04	1.50	0.51	0.01	0.53	0.94	0.03	0.97
Mangalore	1.67	0.04	1.71	0.45	0.01	0.46	1.22	0.03	1.25
Panaji	0.35	0.02	0.38	0.15	0.00	0.15	0.21	0.02	0.23
Peenya	2.46	0.17	2.63	1.48	0.03	1.51	0.98	0.14	1.12
ZO(KN & Goa)	9.91	0.92	10.83	3.68	0.09	3.77	6.23	0.83	7.06
Bhubaneshwar	15.34	0.29	15.63	1.31	0.03	1.34	14.03	0.27	14.29
Guntur	2.67	0.07	2.73	0.88	0.02	0.89	1.79	0.05	1.84
Hyderabad	4.43	0.28	4.71	1.67	0.07	1.74	2.76	0.20	2.96
Nizamabad	0.87	0.03	0.91	0.52	0.01	0.53	0.36	0.02	0.38
ZO(AP & OR)	23.31	0.67	23.98	4.37	0.13	4.50	18.94	0.54	19.47
Chennai	18.27	0.66	18.93	9.94	0.06	10.00	8.33	0.60	8.93
Coimbatore	5.04	0.12	5.16	1.59	0.04	1.63	3.45	0.08	3.53
Madurai	2.01	0.04	2.05	0.76	0.01	0.77	1.25	0.03	1.28
Tambaram	3.03	0.11	3.13	1.38	0.03	1.41	1.64	0.08	1.72
Thiruvananthapuram	7.72	0.26	7.98	1.79	0.04	1.83	5.93	0.22	6.15
ZO (TN & KR)	36.06	1.19	37.25	15.46	0.18	15.64	20.60	1.01	21.61
Guwahati (NER)	2.40	0.06	2.45	0.54	0.01	0.55	1.86	0.04	1.90
Jalpaiguri	4.60	0.10	4.70	1.15	0.03	1.17	3.45	0.07	3.53
Kolkata	5.53	0.26	5.79	1.54	0.08	1.62	4.00	0.18	4.17
Ranchi	1.30	0.15	1.44	0.25	0.01	0.25	1.05	0.14	1.19
ZO (WB, NER & JH)	13.83	0.56	14.39	3.47	0.13	3.60	10.36	0.43	10.79
All INDIA	153.67	5.61	159.28	42.92	0.98	43.90	110.75	4.63	115.38

सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्र में मांग का विभाजन(अछूट प्राप्त) (सभी योजनाएं) 31.03.2015 की स्थिति (₹ करोड़ों में)				
क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	सहकारी क्षेत्र	कुल मांग
देहरादून	25.67	12.31	0.00	37.98
दिल्ली (उत्तर)	0.00	293.55	0.00	293.55
दिल्ली (दक्षिण)	0.00	197.10	0.00	197.10
आं.का. (दिल्ली एवं उ.खंड)	25.67	502.96	0.00	528.63
चंडीगढ़	38.76	49.77	0.21	88.74
लुधियाना	3.36	27.08	0.00	30.44
शिमला	1.24	17.99	0.08	19.31
आं.का. (पंजाब एवं हि.प्रदेश)	43.36	94.84	0.29	138.50
कानपुर	51.47	129.24	12.44	193.16
मेरठ	5.62	38.45	0.00	44.07
पटना	9.25	26.66	0.37	36.27
आं.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	66.33	194.35	12.81	273.49
फरीदाबाद	0.00	49.23	2.15	51.38
गुडगांव	0.00	24.37	0.00	24.37
जयपुर	0.89	35.78	0.43	37.10
आं.का. (हरि. एवं राजस्थान)	0.89	109.38	2.58	112.85
अहमदाबाद	7.54	50.14	0.00	57.68
बड़ौदा	0.00	11.35	0.00	11.35
इंदौर	188.96	114.22	0.05	303.22
सुरत	0.00	52.08	0.00	52.08
आं.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	196.49	227.78	0.05	424.33
काठिवाली	0.79	117.45	19.94	138.18
मुंबई-I वांद्रा	100.02	57.13	0.00	157.14
मुंबई-II थाणे	0.00	81.03	0.00	81.03
नागपुर	29.18	81.57	42.65	153.40
पुणे	0.00	88.89	10.52	99.41
रायपुर	15.06	24.12	0.53	39.70
आं.का. (महारा. एवं छत्तीसगढ़)	145.05	450.18	73.64	668.86
बंगलौर	1.29	106.21	0.00	107.50
मुलबर्गा	1.56	40.21	0.32	42.09
मंगलौर	17.06	38.23	0.11	55.40
पणजी	0.00	8.98	0.00	8.99
पीण्या	0.24	56.54	0.20	56.98
आं.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	20.15	250.18	0.63	270.96
भुवनेश्वर	598.70	34.26	28.11	661.07
गुंटूर	11.40	77.90	0.78	90.08
हैदराबाद	11.24	184.57	0.00	195.82
निजामाबाद	2.37	15.41	0.11	17.89
आं.का. (आंध्र. एवं उड़ीसा)	623.71	312.14	29.00	964.86
चेन्नै	0.33	136.55	0.00	136.88
कोयम्बतूर	27.35	116.43	8.87	152.65
मडुरै	5.67	62.93	6.52	75.13
तांवरम	25.01	53.47	11.34	89.82
तिरुवनंतपुरम	24.87	247.66	29.41	301.94
आं.का. (त.नाडु एवं केरल)	83.23	617.05	56.14	756.42
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	26.55	12.39	1.17	40.11
जलपाईगुड़ी	6.40	118.57	0.11	125.08
कोलकाता	25.20	176.82	0.28	202.30
रांची	0.00	25.54	0.46	26.00
आ.का. (प.बं., पू.के. एवं झारखंड)	58.15	333.32	2.02	393.49
अखिल भारतीय	1263.03	3092.20	177.16	4532.39

APPENDIX A-6 (iv)

Bifurcation of demand in Public, Private and Cooperative sector (Unexempted) as on 31.03.2015				
(all schemes)				
(₹ in cr.)				
Region	Public Sector	Private Sector	Cooperative Sector	Total Demand
Dehradun	25.67	12.31	0.00	37.98
Delhi (North)	0.00	293.55	0.00	293.55
Delhi (South)	0.00	197.10	0.00	197.10
ZO (DL & UK)	25.67	502.96	0.00	528.63
Chandigarh	38.76	49.77	0.21	88.74
Ludhiana	3.36	27.08	0.00	30.44
Shimla	1.24	17.99	0.08	19.31
ZO (PN & HP)	43.36	94.84	0.29	138.50
Kanpur	51.47	129.24	12.44	193.16
Meerut	5.62	38.45	0.00	44.07
Patna	9.25	26.66	0.37	36.27
ZO (UP & BR)	66.33	194.35	12.81	273.49
Faridabad	0.00	49.23	2.15	51.38
Gurgaon	0.00	24.37	0.00	24.37
Jaipur	0.89	35.78	0.43	37.10
ZO (HR & RJ)	0.89	109.38	2.58	112.85
Ahmedabad	7.54	50.14	0.00	57.68
Baroda	0.00	11.35	0.00	11.35
Indore	188.96	114.22	0.05	303.22
Surat	0.00	52.08	0.00	52.08
ZO (GJ & MP)	196.49	227.78	0.05	424.33
Kandivili	0.79	117.45	19.94	138.18
Mumbai-I Bandra	100.02	57.13	0.00	157.14
Mumbai-II Thane	0.00	81.03	0.00	81.03
Nagpur	29.18	81.57	42.65	153.40
Pune	0.00	88.89	10.52	99.41
Raipur	15.06	24.12	0.53	39.70
ZO (MH & CG)	145.05	450.18	73.64	668.86
Bangalore	1.29	106.21	0.00	107.50
Gulbarga	1.56	40.21	0.32	42.09
Mangalore	17.06	38.23	0.11	55.40
Panaji	0.00	8.98	0.00	8.99
Peenya	0.24	56.54	0.20	56.98
ZO (KN & Goa)	20.15	250.18	0.63	270.96
Bhubaneswar	598.70	34.26	28.11	661.07
Guntur	11.40	77.90	0.78	90.08
Hyderabad	11.24	184.57	0.00	195.82
Nizamabad	2.37	15.41	0.11	17.89
ZO (AP & OR)	623.71	312.14	29.00	964.86
Chennai	0.33	136.55	0.00	136.88
Coimbatore	27.35	116.43	8.87	152.65
Madurai	5.67	62.93	6.52	75.13
Tambaram	25.01	53.47	11.34	89.82
Thiruvananthapuram	24.87	247.66	29.41	301.94
ZO (TN & KR)	83.23	617.05	56.14	756.42
Guwahati (NER)	26.55	12.39	1.17	40.11
Jalpaiguri	6.40	118.57	0.11	125.08
Kolkata	25.20	176.82	0.28	202.30
Ranchi	0.00	25.54	0.46	26.00
ZO (WB, NER & JH)	58.15	333.32	2.02	393.49
All INDIA	1263.03	3092.20	177.16	4532.39

₹ 50 लाख या इससे अधिक वाली चूककर्ता स्थापनाओं का विवरण (अछूट प्राप्त क्षेत्र) - 31.03.2015		
क्षेत्र	चूककर्ता स्थापनाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ों में)
देहरादून	7	29.21
दिल्ली (उत्तर)	10	263.04
दिल्ली (दक्षिण)	23	148.00
आं.का. (दिल्ली एवं उ.खंड)	40	440.25
चंडीगढ़	15	68.76
लुधियाना	7	11.93
शिमला	2	1.10
आं.का. (पंजाब एवं हि.प्रदेश)	24	81.79
कानपुर	43	138.69
मेरठ	16	16.97
पटना	7	9.99
आं.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	66	165.65
फरीदाबाद	19	48.37
गुडगांव	3	5.97
जयपुर	11	14.18
आं.का. (हरि. एवं राजस्थान)	33	68.52
अहमदाबाद	22	33.39
बड़ौदा	6	6.08
इंदौर	24	96.40
सूरत	14	30.52
आं.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	66	166.39
कांदिवली	27	102.18
मुंबई-I बांद्रा	37	183.24
मुंबई-II थाणे	11	18.95
नागपुर	43	92.40
पुणे	30	102.36
रायपुर	9	22.31
आं.का. (महा.एवं छत्तीसगढ़)	157	521.44
बंगलौर	22	89.44
गुलबर्गा	5	15.86
मंगलौर	8	36.51
पणजी	1	0.60
पीण्पा	18	17.85
आं.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	54	160.26
भुवनेश्वर	28	94.71
गुन्टूर	12	42.48
हैदराबाद	56	188.25
निजामाबाद	3	3.00
आं.का. (आं.प्र. एवं उड़ीसा)	99	328.44
चेन्नै	38	76.54
कोयम्बतूर	51	80.04
मदुरै	22	34.54
तांबरम	29	52.84
तिरुवनंतपुरम	65	171.25
आं.का. (त.नाडु एवं केरल)	205	415.21
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	17	31.53
जलपाईगुड़ी	45	69.24
कोलकाता	43	129.95
रांची	7	13.01
आ.का. (प.बं., पू.ओ. एवं झारखंड)	112	243.73
अखिल भारतीय	856	2591.68

APPENDIX A-7 (i)

Summary of Defaulting Establishments - ₹ 50 lac and above (Unexempted) as on 31.03.2015		
Region	No. of Defaulting Establishments	Amount involved (₹ in cr.)
Dehradun	7	29.21
Delhi (North)	10	263.04
Delhi (South)	23	148.00
ZO (DL & UK)	40	440.25
Chandigarh	15	68.76
Ludhiana	7	11.93
Shimla	2	1.10
ZO (PN & HP)	24	81.79
Kanpur	43	138.69
Meerut	16	16.97
Patna	7	9.99
ZO (UP & BR)	66	165.65
Faridabad	19	48.37
Gurgaon	3	5.97
Jaipur	11	14.18
ZO (HR & RJ)	33	68.52
Ahmedabad	22	33.39
Baroda	6	6.08
Indore	24	96.40
Surat	14	30.52
ZO (GJ & MP)	66	166.39
Kandivili	27	102.18
Mumbai-I Bandra	37	183.24
Mumbai-II Thane	11	18.95
Nagpur	43	92.40
Pune	30	102.36
Raipur	9	22.31
ZO (MH & CG)	157	521.44
Bangalore	22	89.44
Gulbarga	5	15.86
Mangalore	8	36.51
Panaji	1	0.60
Peenya	18	17.85
ZO (KN & Goa)	54	160.26
Bhubaneshwar	28	94.71
Guntur	12	42.48
Hyderabad	56	188.25
Nizamabad	3	3.00
ZO (AP & OR)	99	328.44
Chennai	38	76.54
Coimbatore	51	80.04
Madurai	22	34.54
Tambaram	29	52.84
Thiruvananthapuram	65	171.25
ZO (TN & KR)	205	415.21
Guwahati (NER)	17	31.53
Jalpaiguri	45	69.24
Kolkata	43	129.95
Ranchi	7	13.01
ZO (WB, NER & JH)	112	243.73
All INDIA	856	2591.68

₹ एक करोड़ तथा अधिक की चूककर्ता स्थापनाओं की सूची (अछूट प्राप्त क्षेत्र) - 31.03.2015					
क्र.सं.	क्षेत्र कोड	कोड संख्या	चूककर्ता स्थापना का नाम	कूल चूक (₹ करोड़ों में)	कूल चूक (₹ करोड़ों में)
देहरादून					
1	यूए	14072	एच.एम.टी. बॉच फैक्ट्री	23.69	
2	यूए	458	के.एम.ओ.यू. काठगोदाम	1.50	
3	यूए	1281	उत्तरांचल परिवहन निगम	1.19	
4	यूए	16927	क्रिस्टल क्रेडिट नैनीताल	1.01	
क्षेत्र का कुल					27.39
दिल्ली उत्तर					
1	डीएल	36478	मैसर्स एयरपोर्ट अथॉरिटी	192.06	
2	डीएल	7718	मैसर्स आहलुवालिया कॉन्ट्रेक्ट्स इंडिया लिमिटेड	54.57	
3	डीएल	35351	मैसर्स लक्ष्मी वाटिका	3.85	
4	डीएल	978	मैसर्स यूएनआई	3.81	
5	डीएल	1015	मैसर्स दिल्ली जिमखाना क्लब लि.	2.17	
6	डीएल	4831	मैसर्स सेवा इंटरनेशनल फैशन	1.51	
7	डीएल	744	मैसर्स विन्नास वियर लिमिटेड	1.40	
8	डीएल	23025	ऐरो क्लब	1.33	
9	डीएल	10148	मैसर्स एल्बी सर्विसिज़ प्रा.लि.	1.29	
10	डीएल	1	मैसर्स अयोध्या टेक्सटाइल मिल्स	1.04	
क्षेत्र का कुल					263.04
दिल्ली दक्षिण					
1	डीएल	10439	रांगी एक्सपोर्ट (प्रा.) लि.	108.67	
2	डीएल	12438	ग्रुप 4 सिक्योरिटी	10.06	
3	डीएल	15284	मैसर्स ऐरा कंस्ट्रक्शन इंडिया प्रा.लि.	3.33	
4	डीएल	13413	मैसर्स इनफोकॉम डिजिटल प्रा.लि.	3.17	
5	डीएल	14294	सिनेटिक टेक.प्रोडक्ट	3.10	

APPENDIX A-7 (ii)**List of Defaulting Establishments above ₹ 1 cr. (Unexempted sector) as on 31.03.2015**

Sl.No	Region Code	Code No	Name of the Defaulting Establishment	Amount Default (₹ in cr.)	Amount Default ((₹ in cr.)
Dehradun					
1	UA	14072	HMT Watch factory	23.69	
2	UA	458	KMOU KATHGODAM	1.50	
3	UA	1281	Uttranchal transport corporation	1.19	
4	UA	16927	Crystal Credit Nanital	1.01	
Total of the Region					27.39
Delhi North					
1	DL	36478	M/s Airport Authority	192.06	
2	DL	7718	M/s Aluwalia Contracts India Limited	54.57	
3	DL	35351	M/s Laxmi Vatika	3.85	
4	DL	978	M/s UNI	3.81	
5	DL	1015	M/s Delhi Gymkhana Club Ltd	2.17	
6	DL	4831	M/s Sewa International Fashions	1.51	
7	DL	744	M/s wings wears ltd	1.40	
8	DL	23025	M/s Aero Club	1.33	
9	DL	10148	M/s Elbee Services Private Limited	1.29	
10	DL	1	M/s Ayodhya Textile Mills	1.04	
Total of the Region					263.04
Delhi South					
1	DL	10439	RANGI EXPORTS (P) LTD	108.67	
2	DL	12438	Group 4 Security	10.06	

6	डीएल	14560	मैसर्स एशियन कन्सोलिडेटेड लिमिटेड	3.08	
7	डीएल	14761	मैसर्स सरना इंडिया	2.67	
8	डीएल	15021	मैसर्स बेकमैन्स इंडस्ट्रीज प्रा. लि.	1.78	
9	डीएल	15646	डेटामेशन कंसलटेंट	1.23	
10	डी एल	16108	मैसर्स विज कंस्ट्रक्शन प्रा.लि.	1.17	
11	डी एल	17209	मैसर्स पानेक्स ओवरसीज	1.01	
क्षेत्र का कुल					139.28
चंडीगढ़					
1	पीएन	13882	मैसर्स गोल्डन फॉरेस्ट (आई) लि., लारू पटियाला	16.04	
2	पीएन	29375	मैसर्स वोडाफोन साउथ, लि., मोहाली	15.07	
3	पीएन	37193	मैसर्स बी.एस.एन.एल., चंडीगढ़	8.43	
4	पीएन	13796	एक्सईएन आनंदपुर साहिब हायडल, गंगुवाल	6.53	
5	पीएन	14072	मै. जी-4 सिक्योर सॉल्यूशन, मोहाली	6.37	
6	पीएन	21402	मैसर्स बी.एस.एन.एल., पटियाला	5.28	
7	पीएन	4715	पुनवायर लि., मोहाली	4.14	
8	पीएन	37194	मैसर्स बी.एस.एन.एल., पटियाला	3.36	
9	पीएन	12686	जे.सी.टी. इलेक्ट्रॉनिक्स लि.; फेस VIII, मोहाली	2.46	
10	पीएन	21272	मैसर्स बी.एस.एन.एल., चंडीगढ़	2.03	
11	पीएन	13467	मैसर्स मार्कफेड, बागापुराना	1.39	
12	पीएन	24126	एस.एल. बजाज कॉन्ट्रेक्टर, फाजिल्का	1.13	
13	पीएन	36610	इस्लामिया गर्ल सीनियर सेकेंड्री स्कूल मालेरकोटा	1.02	
क्षेत्र का कुल					73.25
लुधियाना					
1	पीएन	15106	बाबा शूज, गोइंदवाल साहिब, अमृतसर	5.83	
2	पीएन	14307	ओसवाल पेपर एवं एलाइड इंडस्ट्रीज, जालंधर	1.97	
3	पीएन	92	न्यू इगरटन धारीवाल, अमृतसर	1.75	

3	DL	15284	M/s Era Construction India Pvt Ltd	3.33	
4	DL	13413	M/s Infocom Digital P.ltd	3.17	
5	DL	14294	SYNETICS TECH. PRODUCTS	3.10	
6	DL	14560	M/s Asian Consolidated Ltd	3.08	
7	DL	14761	M/s Sarna India	2.67	
8	DL	15021	M/s Bakemans Industries Pvt. Ltd.	1.78	
9	DL	15646	Datamation Consultant	1.23	
10	DL	16108	M/s Vij Construction Pvt. Ltd.	1.17	
11	DL	17209	M/s Panex Overseas	1.01	
Total of the Region					139.28
Chandigarh					
1	PN	13882	M/s Golden Forest (I) Ltd., Laru, Patiala	16.04	
2	PN	29375	M/S Vodafone South ,Ltd, Mohali	15.07	
3	PN	37193	M/S BSNL, Chd	8.43	
4	PN	13796	Xen Anandpur Sahib Hydol, Ganguwal	6.53	
5	PN	14072	M/S G-4 Secure Solutions, Mohali	6.37	
6	PN	21402	M/S BSNL,Patiala	5.28	
7	PN	4715	PUNWIRE Ltd; Mohali	4.14	
8	PN	37194	M/S BSNL Patiala	3.36	
9	PN	12686	JCT Electronics Ltd; Ph.VIII, Mohali	2.46	
10	PN	21272	M/S BSNL Chd	2.03	
11	PN	13467	mMarkfed, Baghapurana	1.39	
12	PN	24126	S. L. Bajaj Contractor, Fazilka	1.13	
13	PN	39601	Islamia Girls Sr. Sec. School, Malerkotla	1.02	

4	पीएन	9901	मुकेरिया पेपर मिल, जालंधर	1.64	
5	पीएन	34431	क्षेत्रीय गांधी आश्रम, अमृतसर	1.04	
क्षेत्र का कुल					12.23
शिमला					
कानपुर					
1	यूपी	12149	मउ ऐमा सहकारी कताई मिल्स, इलाहाबाद (यूपी /12149)	18.48	
2	यूपी	5115	यूपी स्टेट हैंडलूम कार्पो., कानपुर	18.22	
3	यूपी	13510	मैसर्स आटीआई मनकापुर गोडा	14.67	
4	यूपी	1189	यूपीआईसीए, कानपुर (यूपी /1189)	6.90	
5	यूपी	15285	सहकारी कताई मिल्स लि., फतेहपुर (यूपी /15285)	6.78	
6	यूपी	14197	यूपी कोपरेटिव स्पीनिंग मिल्स, बहरी, बरेली (यूपी /14197)	6.66	
7	यूपी	4572	काशी सहकारी चीनी मिल	5.88	
8	यूपी	31572	बीएसएनएल	5.30	
9	यूपी	14436	यूपी कोपरेटिव स्पीनिंग मिल्स, जे पी नगर, (यूपी /14436)	5.23	
10	यूपी	338	मैसर्स इलाहाबाद पत्रिका (प्राईवेट) लिमिटेड	4.65	
11	यूपी	6918	यूपीएसआरटीसी, झांसी (यूपी /6918)	4.59	
12	यूपी	332	आई टी आर ,बरेली	2.78	
13	यूपी	13852	मैसर्स बेतवा रीवर बोर्ड, ललितपुर झांसी (यूपी /13852)	2.74	
14	यूपी	28043	कमालपुर शुगर इंडस्ट्रीज (यूपी /28043)	2.54	
15	यूपी	13833	मैसर्स एलएमएल, कानपुर	2.29	
16	यूपी	29087	मैसर्स एस.डी. कंट्रोल इलैक्ट्रिक	2.21	
17	यूपी	995	तानेरी & फुटबियर कारपोरेशन ऑफ इंडिया	2.01	
18	यूपी	39	लाल इमली मिल्स, कानपुर	1.91	
19	यूपी	14132	राजेन्द्रा स्टील्स लि., कानपुर देहात	1.77	
20	यूपी	26326	मै. जे.एच.बी. शुगर मिल्स लि.	1.64	
21	यूपी	9775	मैसर्स संत कबीर सहकारी कताई मिल्स	1.55	

Total of the Region					73.25
Ludhiana					
1	PN	15106	Bawa Shoes,Goindwal Sahib,ASR	5.83	
2	PN	14307	Oswal Paper & Allied Indus, JAL	1.97	
3	PN	92	New Egerton Dhariwal,ASR	1.75	
4	PN	9901	Mukerian Paper Mill,JAL	1.64	
5	PN	34431	Kshetriya Gandhi Ashram, ASR	1.04	
Total of the Region					12.23
Shimla					
Total of the Region					
Kanpur					
1	UP	12149	Mau Aima Sahakari Katai Mills,Allahabad (UP/12149)	18.48	
2	UP	5115	UP Sate HandloomCorp. Knp.	18.22	
3	UP	13510	M/S ITI Mankapur Gonda	14.67	
4	UP	1189	UPICA, Kanpur (UP/1189)	6.90	
5	UP	15285	Sahkari Katai Mills Ltd., Fatehpur (UP/15285)	6.78	
6	UP	14197	U.P. Coop Spining Mill Behri, Bareilly (UP/14197)	6.66	
7	UP	4572	Kashi sahkari chini mill	5.88	
8	UP	31572	BSNL	5.30	
9	UP	14436	U.P. Coop Spining Mill J.P. Nagar, (UP/14436)	5.23	
10	UP	338	M/S Alld. Patrika (pvt.)ltd	4.65	
11	UP	6918	UPSRTC, Jhansi (UP/6918)	4.59	
12	UP	332	I.T.R.BLY	2.78	
13	UP	13852	M/s Betwa River Board, Lalitpur, Jhansi (UP/13852)	2.74	

22	यूपी	2870	यू. पी. कॉ.-ऑपरेटिव स्पनिंग मिल्स, इटावा (यूपी/2870)	1.34	
23	यूपी	1151	एस&केमिकल बीएलवाई	1.33	
24	यूपी	25168	मोतीवाला इंडस्ट्रीज लि. वाराणसी (यूपी/25168)	1.24	
25	यूपी	204	वेव इंडस्ट्रीज	1.22	
26	यूपी	495	सीतापुर प्लाईवुड (यूपी /495)	1.16	
27	यूपी	938	नेशनल वार्डनडर	1.14	
28	यूपी	4805	यूपीएसआरटीसी, कानपुर	1.05	
29	यूपी	176	यू. पी. स्टेट शुगर कॉपरेटिव, हरदोई (यूपी /176)	1.04	
क्षेत्र का कुल				128.31	
मेरठ					
1	यूपी	23373	क्रि एटिव होम फैशन	3.14	
2	यूपी	3618	रीज टेलबोर्स लि.	1.87	
3	यूपी	13623	एटीवी प्रोजेक्ट , मथुरा	1.74	
4	यूपी	6860	यूपी स्टेट बस्त्र मिल	1.58	
क्षेत्र का कुल				8.33	
पटना					
1	बीआर	3	मैसर्स एनजेएमसी, कटिहार	2.51	
2	बीआर	3256	अशोक पेपर मिल	1.74	
3	बीआर	1557	मैसर्स एनटीसीबीसीडब्ल्यू स्पीनिंग मिल, मोकामा	1.31	
क्षेत्र का कुल				5.55	
फरीदाबाद					
1	एचआर	286	मैसर्स झालानी टूल्स,	12.14	
2	एचआर	3528	मैसर्स लखानी इंडिया लि. प्लॉट न. 265, सेक्टर 24, फरीदाबाद	8.31	
3	एचआर	10938	मैसर्स लकानी इंडिया लि., सेक्टर 24, फरीदाबाद	4.30	
4	एचआर	1152	मैसर्स झालानी टूल्स, सोनीपत	4.30	
5	एचआर	1137	मैसर्स क्लच आटो लि., मथुरा रोड, फरीदाबाद	4.15	
6	एचआर	19137	मैसर्स दि सोनीपत को-ऑपरेटिव बैंक लि.	2.15	

14	UP	28043	Kamlapur Suger Industries (UP/28043)	2.54	
15	UP	13833	M/S LML Knp	2.29	
16	UP	29087	M/SD. Control Electric	2.21	
17	UP	995	Tannery&footwear corp. of India	2.01	
18	UP	39	LAL IMLI MILLS KANPUR	1.91	
19	UP	14182	Rajendra Steel Ltd., Kanpur Dehat	1.77	
20	UP	26326	M/S J.H.V. sugar mills Ltd.	1.64	
21	UP	9775	M/S sant kabir Sahakari Katai Mills	1.55	
22	UP	2870	U.P. Co-operative Spg. Mills, Etawah (UP/2870)	1.34	
23	UP	1151	S&Chemicals Bly	1.33	
24	UP	25168	Motiwalla Industries Ltd. Varanasi (UP/25168)	1.24	
25	UP	204	Wave industries	1.22	
26	UP	495	Sitapur Plywood (UP/495)	1.16	
27	UP	938	NATIONAL WINDER	1.14	
28	UP	4805	UPSRTC, kanpur	1.05	
29	UP	176	U.P. State Suger Cop. Hardoi (UP/176)	1.04	
Total of the Region					128.31
Meerut					
1	UP	23373	CREATIVE HOME FASHION	3.14	
2	UP	3618	REINZ TALBORS LTD	1.87	
3	UP	13623	ATV PROJECT, MATHURA	1.74	
4	UP	6860	UP STATE BASTRA MILL	1.58	
Total of the Region					8.33
Patna					
1	BR	3	M/s NJMC Katihar	2.51	
2	BR	3256	Ashok Paper Mill	1.74	

7	एचआर	2058	मैसर्स हरियाणा शीट ग्लास, सोनीपत	1.91	
8	एचआर	65	मैसर्स इलैक्ट्रोनिक्स लि.	1.77	
9	एचआर	2291	मैसर्स लखानी रबर उद्योग, सेक्टर-24, फरीदाबाद	1.47	
10	एचआर	534	मैसर्स वरपूल ऑफ इंडिया लि.	1.28	
क्षेत्र का कुल					41.78
गुडगांव					
जयपुर					
1	आरजे	5	मैसर्स जयपुर मैटल्स, जयपुर	2.86	
2	आरजे	3675	नागौर सेंट्रल कोपरेटिव बैंक	2.47	
3	आरजे	3673	जोधपुर सेंट्रल कोपरेटिव बैंक	1.85	
4	आरजे	4235	मैसर्स पारसरामपुरिया सिंथेटिक्स, अलवर	1.58	
5	आरजे	1606	मैसर्स भरतपुर बी वी बैंक	1.22	
6	आरजे	8909	मैसर्स भावल सिंथेटिक्स (I) लि., उदयपुर	1.12	
क्षेत्र का कुल					11.10
अहमदाबाद					
1	जीजे	51200	गुजरात स्टेट लैंड डवलपमेंट कॉर्पो.लि., गांधीनगर	10.94	
2	जीजे	295	राजनगर टेक्सटाईल मिल्स, अहमदाबाद	2.61	
3	जीजे	5227	मैसर्स कृष्ण केशव	2.04	
4	जीजे	4471	मैसर्स एस.एल.एम मानेकलाल	1.93	
5	जीजे	1003	पीपीडब्ल्यू लि., सुरेन्द्र नगर	1.89	
6	जीजे	353	महेन्द्रा मिल, गांधीनगर	1.84	
7	जीजे	19961	मैसर्स ओएनजीसी, महसाना	1.66	
8	जीजे	4514	मैसर्स टी.मानेकलाल	1.22	
9	जीजे	60747	मैसर्स सर्वोदय सहकारी बैंक लि.	1.18	
क्षेत्र का कुल					25.32

3	BR	1557	M/s NTCBCW spg Mill Mokamah	1.31	
Total					5.55
of the Region					
Faridabad					
1	HR	286	M/s. Jhallani tools,	12.14	
2	HR	3528	M/s Lakhani India Ltd. Plot No. 265, Sec-24, Faridabad.	8.31	
3	HR	10938	M/s Lakhani India Ltd, Sector-24, Faridabad.	4.30	
4	HR	1152	M/s. Jhallani tools, Sonapat	4.30	
5	HR	1137	M/s Clutch Auto Ltd, Mathura road Faridabad.	4.15	
6	HR	19137	M/s The Sonapat Co-operative Bank Ltd.	2.15	
7	HR	2058	M/s Haryana Sheet Glass, Sonapat.	1.91	
8	HR	65	M/s. Electronics Ltd.	1.77	
9	HR	2291	M/s Lakhani Rubber Udyog, Sector-24, Faridabad.	1.47	
10	HR	534	M/s. Whirpool of India Ltd.	1.28	
Total of the Region					41.78
Gurgaon					
Total of the Region					
Jaipur					
1	RJ	5	M/s.Jaipur Metals,Jaipur	2.86	
2	RJ	3675	Nagour Central Co-op Bank	2.47	
3	RJ	3673	Jodhpur Central Co-op Bank	1.85	
4	RJ	4235	M/s Parasrampuriah Synthetics, Alwar	1.58	
5	RJ	1606	M/s Bharatpur B.V. Bank	1.22	
6	RJ	8909	M/s.Bhawal Synthetic (I) Ltd.,Udaipur	1.12	

वडोदरा					
1	जीजे	65258	फ्रोहबर्ग बिल्डर लि. (एच सी)	1.82	
2	जीजे	4578	एपीएस स्टार लि.	1.13	
3	जीजे	14658	न्यूटन इंजी.(ई.पी.एफ.एटी)	1.03	
क्षेत्र का कुल					3.98
इंदौर					
1	एमपी	2070	श्री सिंथेटिक्स , उज्जैन	35.49	
2	एमपी	3992	जेएनएयू, जबलपुर	33.41	
3	एमपी	225	एम.पी.एस.आर.टी.सी., ग्वालियर	22.29	
4	एमपी	1267	मैसर्स एम.पी.एस.आर.टी.सी.	18.05	
5	एमपी	264	एम.पी.एस.आर.टी.सी., जबलपुर	16.98	
6	एमपी	4646	मैसर्स एम.पी. ऑयल फेड	15.11	
7	एमपी	4046	एम.पी.एस.आर.टी.सी., रीवा	13.44	
8	एमपी	4044	मैसर्स एम.पी.एस.आर.टी.सी., उज्जैन	13.01	
9	एमपी	4045	मैसर्स एम.पी.एस.आर.टी.सी., सागर	7.04	
10	एमपी	5417	एम.पी.एस.आर.टी.सी., सिओनी	6.42	
11	एमपी	11	बिनोद मिल्स क.लि.	6.00	
12	एमपी	229	एम.पी.एस.आर.टी.सी., ग्वालियर	5.68	
13	एमपी	1378	मैसर्स एम.पी.एस.आर.टी.सी.	5.40	
14	एम पी	7529	सिद्धार्थ ट्यूब्स लि. राजगढ़	3.95	
15	एमपी	19976	एम.पी.आर.डब्ल्यू एन, खंडवा	3.02	
16	एमपी	28635	म्यूनिसिपल कार्पोरेशन बुरहानपुर	2.95	
17	एमपी	1143	एम.पी.एस.आर.टी.सी., इंदौर	2.68	
18	एमपी	3839	आई .डी. ए., इंदौर	2.13	
19	एमपी	4246	सिंधिया स्कूल	1.95	

Total of the Region					11.10
Ahmedabad					
1	GJ	51200	Gujarat State Land Development Cor.Ltd. GNR	10.94	
2	GJ	295	Rajnagar Textile mills, Ahmedabad	2.61	
3	GJ	5227	M/s. Krishna Keshav	2.04	
4	GJ	4471	M/s SLM Maneklal	1.93	
5	GJ	1003	M/s. PPW Ltd., Surendranagar	1.89	
6	GJ	353	Mahendra Mill, Gandhinagar	1.84	
7	GJ	19961	M/s. ONGC, Mehsana	1.66	
8	GJ	4514	M/s. T. MANEKLAL	1.22	
9	GJ	60747	M/s Sarvoday Sahkati Bank Ltd.	1.18	
Total of the Region					25.32
Vadodara					
1	GJ	65258	Frohberg Builders Ltd. (H.C)	1.82	
2	GJ	4578	APS Star (Liq.)	1.13	
3	GJ	14658	Newton Engg. (EPF AT)	1.03	
Total of the Region					3.98
Indore					
1	MP	2070	Shree Synthetics, Ujjain	35.49	
2	MP	3992	JNAU Jabalpur	33.41	
3	MP	225	MPSRTC, Gwl	22.29	
4	MP	1267	MPRTC	18.05	
5	MP	264	MPSRTC, Jabalpur	16.98	
6	MP	4646	MP Oil Fed	15.11	

20	एमपी	16106	ड्राइटिक प्रो छिन्दवाड़ा	1.90	
21	एम पी	11 ए	विमल मिल्स उज्जैन	1.81	
22	एमपी	4	राजकुमार मिल्स	1.75	
23	एमपी	15378	किट्टीज हायर सेकेण्ड्री स्कूल, ग्वालियर	1.55	
24	एमपी	82	भोपाल शूगर इंडस्ट्री	1.45	
25	एमपी	3985	विक्रम यूनिवर्सिटी, उज्जैन	1.38	
26	एमपी	15251	हर्षित टेक्सटाईल्स लि., ग्वालियर	1.35	
27	एम पी	23609	म्युनिसिपल कार्पोरेशन इंदौर	1.33	
28	एमपी	1	हुकमचंद मिल्स	1.24	
29	एमपी	21390	जी.ई.टी. पावर लि.	1.08	
30	एमपी	2	इंदौर मालवा मिल्स	1.07	
31	एमपी	10815	हॉटलाईन सीपीटी लि., भिंड	1.04	
क्षेत्र का कुल					231.95
सूरत					
1	जीजे	46739	के.एस.एल. रिएलिटी	9.04	
2	जीजे	46818	फेज़ श्री लि.	7.74	
3	जीजे	46526	अमर रेमेडिज़	4.58	
4	जीजे	19246	कृष्णा लाइफ स्टाइल	1.12	
5	जीजे	1383	बडौदा रेयान कॉर्पो. लि. सूरत	1.12	
6	जीजे	4521	एच.एम.पी. इंजीनियरिंग लि., सूरत	1.03	
क्षेत्र का कुल					24.62
कांदिवली					
1	एमएच	93233	जे. कुमार इंफ्रास्ट्रक्चर	43.28	
2	एमएच	1492-A	नेवीनोन लि. (आई डीआई लि.)	13.93	
3	एम एच	47808	आई प्रोसेस	7.40	
4	एमएच	1880	मैसर्स बाबूरॉव तानपुरे एस एस के लि.	6.83	

7	MP	4046	MPSRTC, Rewa	13.44	
8	MP	4044	MPSRTC, Ujjain	13.01	
9	MP	4045	M/s M.P.S.R.T.C., Sagar	7.04	
10	MP	5417	MPSRTC, Seoni	6.42	
11	MP	11	Binod Mills Co.Ltd.	6.00	
12	MP	229	MPSRTC, Gwl	5.68	
13	MP	1378	MPRTC	5.40	
14	MP	7529	Sidharth Tubes Ltd. Rajgarh	3.95	
15	MP	19976	MPRVVN khandwa	3.02	
16	MP	28635	Municipal Corporation Burhanpur	2.95	
17	MP	1143	M.P.R.T.C. Indore	2.68	
18	MP	3839	I.D.A. Indore	2.13	
19	MP	4246	Scindia School	1.95	
20	MP	16106	Drytech Pro. Chhindwara	1.90	
21	MP	11A	Vimal Mills Ujjain	1.81	
22	MP	4	Rajkumar Mills	1.75	
23	MP	15378	Kiddies Hr. Sch Gwl	1.55	
24	MP	82	Bhopal Sugar Industries	1.45	
25	MP	3985	Vikram University, Ujjain	1.38	
26	MP	15251	Harshit textile ltd Gwalior	1.35	
27	MP	23609	Municipal Corporation Indore	1.33	
28	MP	1	Hukumchand Mills	1.24	
29	MP	21390	GEI Power Ltd.	1.08	
30	MP	2	Indore Malwa Mills	1.07	
31	MP	10815	Hot line C.P.T. Ltd Bhind	1.04	
Total of the Region					231.95

5	एमएच	802	मैसर्स पाद वी वी के पाटिल एस एस के लि.	5.32	
6	एमएच	20375	मैसर्स नासिक एस एस के लि.	3.40	
7	एमएच	19247	मैसर्स बेलगांव एस एस के लि.	3.34	
8	एमएच	20096	गरवारे नाइलोन, अहमदनगर	1.90	
9	एमएच	22479	स्काईपाक सर्विसिज़ स्पैक लि.	1.78	
10	एमएच	7594	निफेड एस एस के लि.	1.74	
11	एमएच	13350	मैसर्स श्री पंजाराखान एस एस के लि.	1.69	
12	एमएच	210037	रेडिएंट हास्पिटेलिटी	1.63	
13	एमएच	51380	मैसर्स प्रियदर्शनी सह सूत गिरनी लि.	1.46	
14	एमएच	15480	सतपुडा एस.एस. लि.	1.44	
15	एमएच	997	मैसर्स रावलगांव एस एस के लि.	1.40	
16	एमएच	1505	उषा ओफसेट	1.19	
17	एम एच	51547	पुष्पादंतेश्वर एस एस के लि.	1.15	
क्षेत्र का कुल				98.89	
बान्द्रा					
1	एमएच	45327	एच वी एल ग्लोबल	64.48	
2	एमएच	21385	एम.एच.ए.डी.ए.	48.57	
3	एमएच	121	इंडिया यूनाईटेड मिल्स नं. 1	5.71	
4	एमएच	640	आई यू एम 3	5.09	
5	एमएच	120	आई यू एम 4	4.75	
6	एमएच	169	मुम्बई टेक्स्टाईल्स लि.	3.53	
7	एमएच	183	टाटा मिल्स	3.32	
8	एमएच	101	हिंदुस्तान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स	3.07	
9	एमएच	1204	द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लि.	2.94	
10	एमएच	41299	बजीर सरफेस प्रोटेक्शन प्रा.लि.	2.71	

Surat					
1	GJ	46739	KSL Reality	9.04	
2	GJ	46818	FAZE THREE LTD.	7.74	
3	GJ	46526	Amar Remedies	4.58	
4	GJ	19246	Krishna Life style	1.12	
5	GJ	1383	The Baroda Rayon Corporation Ltd., Surat	1.12	
6	GJ	4521	H.M.P. Engineering Ltd., Surat	1.03	
Total of the Region					24.62
Kandivili					
1	MH	93233	J.Kumar Infrastructure	43.28	
2	MH	1492-A	Navinon Ltd (IDI Ltd)	13.93	
3	MH	47808	I Process	7.40	
4	MH	1880	BB Tanpure SSK Ltd	6.83	
5	MH	802	M/s Pad VVK Patil SSK Ltd.	5.32	
6	MH	20375	M/s Nasik SSK Ltd.	3.40	
7	MH	19247	M/s Belgaon SSK Ltd.	3.34	
8	MH	20096	Garware Nylone, Ahmednagar	1.90	
9	MH	22479	Skypak Services Spec Ltd	1.78	
10	MH	7594	Niphad SSK Ltd	1.74	
11	MH	13350	M/s Shri Panzarakhan SSK Ltd	1.69	
12	MH	210037	Radiant Hospitality	1.63	
13	MH	51380	M/s Priyadarshani Sah. Soot Girni Ltd.	1.46	
14	MH	15480	Satpuda S.S.K.Ltd	1.44	
15	MH	997	M/s Ravalgaon SSK Ltd.	1.40	
16	MH	1505	Usha Offset	1.19	
17	MH	51547	Pushpadanteshwar SSK Ltd	1.15	

11	एमएच	119	आई यू एम 2	2.58	
12	एमएच	401	दिग्विजय स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स को लि.	2.57	
13	एमएच	113	जुपिटर मिल	2.52	
14	एमएच	124	जाम मैनुफैक्चरिंग मिल्स लि.	2.49	
15	एमएच	9264	करोना लि.	2.44	
16	एमएच	132	कोहीनूर मिल्स न. 1 एंड 2	2.43	
17	एमएच	8865	न्यू हिंद टेक्सटाईल्स मिल्स	2.19	
18	एमएच	118	आई यू एम 5	2.12	
19	एमएच	139	न्यूसिटी ऑफ बोम्बे मैनुफैक्चरिंग कं. लि.	1.92	
20	एमएच	82	अपोलो मिल्स लि.	1.71	
21	एमएच	106	भारत टेक्सटाईल	1.38	
22	एमएच	158	पोद्दार मिल्स	1.29	
23	एमएच	110	गोल्ड मोहर मिल्स	1.26	
24	एमएच	38968-A	फोर्टिज (रेलीग्री) सिक्कुरिटी	1.25	
25	एमएच	415 & 4566	सीताराम मिल्स	1.25	
26	एमएच	122	आई यू एम 6	1.25	
27	एमएच	420	मधुसूदन मिल्स लि.	1.22	
28	एमएच	109	फिनले मिल्स	1.15	
29	एमएच	389	पीरामल स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स	1.13	
क्षेत्र का कुल				178.33	
थाणे					
1	एमएच	8743	मैसर्स प्रशीसन फास्टनर	3.48	
2	एमएच	99311	मैसर्स ई- एनएक्सटी फाईनैशियल प्रा. लि.	3.31	
3	एमएच	686	पोयशा इंडस्ट्रीज	2.45	

Total of the Region					98.89
Bandra					
1	MH	45327	HBL Global	64.48	
2	MH	21385	M. H. A. D. A.	48.57	
3	MH	121	India United Mills No. 1	5.71	
4	MH	640	IUM 3	5.09	
5	MH	120	IUM 4	4.75	
6	MH	169	Mumbai Textile Ltd	3.53	
7	MH	183	Tata Mills	3.32	
8	MH	101	Hindustan Spg & Wvg Mills	3.07	
9	MH	1204	The Press Trust of India Ltd.	2.94	
10	MH	41299	Vazir Surface Protection P. Ltd.	2.71	
11	MH	119	IUM 2	2.58	
12	MH	401	Digvijay Spg. & Wvg. Mills Co. Ltd	2.57	
13	MH	113	Jupitor Mill	2.52	
14	MH	124	Jam Manufacturing Ltd.	2.49	
15	MH	9264	Carona LTD.	2.44	
16	MH	132	Kohinoor Mills No. 1 & 2	2.43	
17	MH	8865	New Hind Textile Mills	2.19	
18	MH	118	IUM 5	2.12	
19	MH	139	New City of Bombay MFG. CO. Ltd	1.92	
20	MH	82	Apollo Mills Ltd	1.71	
21	MH	106	Bharat Textile	1.38	
22	MH	158	Podar Mills	1.29	
23	MH	110	Gold Mohur Mills	1.26	
24	MH	38968-A	Fortiis (Relegary) Security	1.25	

4	एमएच	98188	जुवेनटस हेल्थकेयर लि.	1.98	
5	एमएच	23851	मैसर्स गोदरेज हाउस होल्ड प्रोडक्ट, सरली लि.	1.93	
6	एमएच	220993	मैसर्स जनार्दन भगत शिक्षण	1.29	
7	एमएच	117273	मैसर्स ठाकुर इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्रा.लि.	1.21	
क्षेत्र का कुल				15.65	
नागपुर					
1	एमएच	16971	मैसर्स एफडीसीएम वेस्ट चंदा	9.00	
2	एमएच	16972	मैसर्स एफडीसीएम बल्लारशाह, बल्लारशाह, चंद्रपुर	6.87	
3	एमएच	16974	मैसर्स एफडीसीएम मरकंडा, चंद्रपुर	6.46	
4	एमएच	16706-C	मैसर्स एफडीसीएम ब्रह्मापुरी, चंद्रपुर	6.26	
5	एमएच	16975	मैसर्स एफ डी सी एम, चंद्रपुर	5.47	
6	एमएच	22565	मैसर्स गोदावरी दूधना एस एस के लि., परभनी	5.12	
7	एमएच	21949	गोदावरी मनार एस एस के लि. नांदेड	4.54	
8	एमएच	80393	मैसर्स मराठवाड़ा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी	4.18	
9	एमएच	18274	मैसर्स विनायक एसएसके लि.	3.90	
10	एमएच	16549	मैसर्स झालानी टूल्स प्रा.लि., औरंगाबाद	2.96	
11	एमएच	36194	मैसर्स जालना एस एस के लि., रामनगर जालना	2.86	
12	एमएच	60200	मैसर्स महात्मा सह. शक्कर कारखाना, वर्धा	2.76	
13	एमएच	81862	मैसर्स जालना विधग सह.सूत गिरनी	1.90	
14	एमएच	16979	मैसर्स एफडीसीएम बल्लारशाह, डी.ई.पी.ओ., चंद्रपुर	1.73	
15	एमएच	80683	मैसर्स पाटिल कंस्ट्रक्शन जालना रोड, औरंगाबाद	1.66	
16	एमएच	12354	मैसर्स कालम्बर विधग एस.एस. के लि.	1.55	
17	एम एच	67749	मैसर्स गवर्नमेंट मिल्क स्कीम, सेमीनरी हिल्स नागपुर	1.48	
18	एमएच	80807	जमनलाल गोयनका डेंटल कॉलेज, अकोला	1.43	
19	एमएच	19443	झालानी टूल्स प्रा.लि., जालना	1.31	

25	MH	415 & 4566	Sitaram Mill	1.25	
26	MH	122	IUM 6	1.25	
27	MH	420	Madhusudan Mills Ltd	1.22	
28	MH	109	Finlay Mills	1.15	
29	MH	389	Piramal SPG. & WVG. Mills	1.13	
Total of the Region					178.33
Thane					
1	MH	8743	M/s Precision Fastner	3.48	
2	MH	99311	M/s. E-Nxt Financial Pvt. Ltd.,	3.31	
3	MH	686	Poysha Inds	2.45	
4	MH	98188	Zuventus Healthcare Ltd	1.98	
5	MH	23851	M/s. Godrej Household Product, Saralee Ltd.	1.93	
6	MH	220993	M/S. JANARDHAN BHAGAT SHIKSHAN	1.29	
7	MH	117273	M/S. THAKUR INFRAPROJECTS PVT. LTD.,	1.21	
Total of the Region					15.65
Nagpur					
1	MH	16971	M/s. F.D.C.M. West Chanda	9.00	
2	MH	16972	M/s FDCM, Ballarshah, Ballarpur Chandrapur	6.87	
3	MH	16974	M/s FDCM, Markanda, Chandrapur	6.46	
4	MH	16706-C	M/s FDCM, Bramhapuri, Chandrapur	6.26	
5	MH	16975	M/s F D C M Chandrapur	5.47	
6	MH	22565	M/s. Godavari Dudhna SSK Ltd. Parbhani	5.12	
7	MH	21949	Godavari Manar SSK Ltd. Nanded	4.54	
8	MH	80393	M/s. Marathwada Agricultural Univercity.	4.18	
9	MH	18274	M/s. Vinayak SSK Ltd.,	3.90	
10	MH	16549	M/s. Jhalani Tools Pvt. Ltd., A'Bad.	2.96	

20	एमएच	3516	मैसर्स आर.बी.वंशीलाल स्पिनिंग एंड वीविंग मिल, वर्धा	1.31	
21	एमएच	62521	मैसर्स अश्वमेध इंजीनियरिंग & कंसल्टेंट को.सोसाइटी, नागपुर	1.29	
22	एमएच	65854	मैसर्स संतोष कंस्ट्रक्शन	1.29	
23	एमएच	80394	मैसर्स तख्त सचखंड श्रीहजूर अबचालनगर, नांदेड	1.28	
24	एमएच	3515	मैसर्स अकोला ऑयल इंडस्ट्रीज अकोला	1.25	
25	एमएच	66073	मैसर्स जय भारत टेक्सटाइल, पुलगांव	1.20	
26	एमएच	18860	मैसर्स वर्धा नगरी सहकारी अधिक्श	1.13	
27	एमएच	65058	मैसर्स बेलीजा इंडिया प्रा. लि., नागपुर	1.12	
28	एमएच	17362	मैसर्स कोवेन्ट्री स्पिनिंग एंड इंजी. प्रा.लि., एम.आई.डी.सी., नागपुर	1.02	
29	एमएच	12689-A	मैसर्स पथेजा फोर्जिंग एंड ऑटो पार्ट्स मैनयुफैक्चरिंग लि., वेलुज, औरंगाबाद	1.00	
क्षेत्र का कुल					83.32
पुणे					
1	एमएच	3746	बसंत दादा एस एस के लि.	24.37	
2	एमएच	11718	कोल्हापुर जिला वी एस एस गिरनी लि.	17.25	
3	एमएच	5468	गरवारे नाईलोन	9.53	
4	एमएच	1869	श्रीराम एस एस के लि.	9.46	
5	एमएच	29122	मानगंगा एस एस के लि.	7.85	
6	एमएच	11557	टेरना एस एस के लि.	4.59	
7	एमएच	121982	एस.डी लाहने	4.02	
8	एमएच	15379	कोसमोस कॉ.ऑप.बैंक	3.97	
9	एमएच	34419	टॉप्स डिटेक्टीव और सोसाइटी सर्विसिज लि.	2.33	
10	एमएच	37877	तुलजाभवानी एस एस के लि.	2.21	
11	एमएच	100105	गणेश कॉ.ओ. स्पिनिंग मिल्स	1.64	
12	एमएच	121163	रिवाचंद भोवानी	1.37	

11	MH	36194	M/s. Jalna SSK Ltd., Ramnagar, Jalna.	2.86	
12	MH	60200	M/s. Mahtma Sah. Sakhar Karkhana, Wardha.	2.76	
13	MH	81862	M/s. Jalna Vighag Sah Soot Girni.	1.90	
14	MH	16979	M/s FDCM, Ballarshaha DEPO Chandrapur	1.73	
15	MH	80683	M/s. Patil Construction, Jalana Road, A'bad.	1.66	
16	MH	12354	M/s. Kalambar Vighag S.S.K. Ltd.	1.55	
17	MH	67749	M/s Govt. Milk Scheme, Seminary Hills Nagpur	1.48	
18	MH	60807	M/s Jamanlal Goenka Dental College, Akola	1.43	
19	MH	19443	Jhalani Tools (I) Ltd. Jalna	1.31	
20	MH	3516	M/s. R. B. Bansilal Spg. & Wvg. Mill, Wardha.	1.31	
21	MH	62521	M/s Ashwamedh Engg. & Consultants co-op Soc Nagpur	1.29	
22	MH	65854	M/s Santosh Construction	1.29	
23	MH	80394	M/s. Takhat Sachhand Sri Hazur Abchalnagar, Nanded	1.28	
24	MH	3515	M/s. Akola Oil Industries, Akola	1.25	
25	MH	66073	M/s Jai Bharat Tetile, Pulgaon	1.20	
26	MH	18860	M/s. Wardha Nagri Sahakari Adhikosh,	1.13	
27	MH	65058	M/s Bellezza India Pvt. Ltd., Nagpur	1.12	
28	MH	17362	M/s. Coventry Spring & Engg. Pvt. Ltd., MIDC, Nagpur	1.02	
29	MH	12689-A	M/s. Patheja Forgings & Auto Parts Manufacturing Ltd. Waluj, A'bad	1.00	
Total of the Region					83.32
Pune					
1	MH	3746	Vasantdada SSK Ltd.	24.37	

13	एमएच	5559	डेकन कॉ.ओ. स्पिनिंग मिल्स लि.	1.32	
14	एमएच	21026	ट्वीलाईट लिटका फार्मा लि.	1.18	
15	एमएच	16464-ए	एरिया एजू.इक्यूपमेंट्स प्रा.लि.	1.18	
क्षेत्र का कुल				92.27	
रायपुर					
1	सीजी	1249	सी आई डी सी रायपुर	9.46	
2	सीजी	4047	सी आई डी सी ,बिलासपुर	6.71	
3	सीजी	6482	केडिया डिस्टिलरीज़	1.59	
4	सीजी	18128	भोरामदेव सहकारी शक्कर समिति	1.21	
क्षेत्र का कुल				18.98	
बंगलौर					
1	केएन	14766	मैसर्स जी 4 एस सिक्थोर सॉल्यूशन इं.प्रा.लि.	41.41	
2	केएन	25075	मैसर्स एम सोर्स इंडिया लि.	31.03	
3	केएन	23372	मैसर्स आई स्मार्ट ग्लोबल प्रा.लि.	2.17	
4	केएन	19633	एसेशियल सर्विसिज	1.29	
5	केएन	11043	स्कोर्पियन सिक्थोरिटी सर्विस	1.21	
6	केएन	44568	अशद प्रोटीज एंड इनवेस्टमेंट प्रा.लि.	1.02	
क्षेत्र का कुल				78.13	
गुलबर्गा					
1	केएन	27544	मैसर्स अशोक आयरन वर्क्स प्रा.लि, बेलगांव	10.15	
2	केएन	50946	मैसर्स एचडीएमसी, हुबली	2.95	
3	केएन	7504	मैसर्स रायबाग सहकारी शक्कर कारखाना नियमित, रायबाग	1.12	
4	केएन	98	इंडिया शूगर, होसपेट	1.04	
क्षेत्र का कुल				15.26	
मंगलौर					
1	केएन	2260	आईडियल जावा (प्रा.लि.)	10.69	
2	केएन	37450	मैसर्स पी.डब्ल्यू.डी. चिकमंगलूर	10.14	

2	MH	11718	Kolhapur Zilha V.S.S. Girani Ltd.	17.25	
3	MH	5468	Garware Nylon	9.53	
4	MH	1869	Shriam SSK Ltd	9.46	
5	MH	29122	Manganga SSK Ltd.	7.85	
6	MH	11557	Tern SSK Ltd	4.59	
7	MH	121982	S D Lahane	4.02	
8	MH	15379	The Cosmos Co-op. Bank	3.97	
9	MH	34419	Tops Detectives and Security services ltd	2.33	
10	MH	37877	Tuljabhavani SSK Ltd.	2.21	
11	MH	100105	Ganesh Co-op. Spining Mills	1.64	
12	MH	121163	Rewachand Bhaowani	1.37	
13	MH	5559	Deccan Co-op. Spg. Mills Ltd.	1.32	
14	MH	21026	Twilight litaka pharma ltd	1.18	
15	MH	16464-A	ARE Edu. Equipments P. Ltd.	1.18	
Total of the Region					92.27
Raipur					
1	CG	1249	CIDC Raipur	9.46	
2	CG	4047	CIDC, Bilaspur	6.71	
3	CG	6482	Kedia Distelliries	1.59	
4	CG	18128	Bhoramdev Sahkari Sakkar Samiti	1.21	
Total of the Region					18.98
Bangalore					
1	KN	14766	M/s G4S Secure Solutions India Pvt.Ltd	41.41	
2	KN	25075	M/s Msource India Pvt.Ltd	31.03	
3	KN	23372	M/s I Smart Global Pvt Ltd.,	2.17	
4	KN	19633	Essential Services	1.29	

3	केएन	37451	मैसर्स पी.डब्ल्यू.डी. हासन	6.86	
4	केएन	58025	मैसर्स एस.के.ई.एंड सी.के.सी.टी.	4.15	
5	केएन	58070	मैसर्स एसकेडीआर प्रोजेक्ट	1.69	
6	के एन	49585	मध्य इन.ऑफ मेड साईन्स	1.66	
क्षेत्र का कुल				35.19	
गोवा					
पीण्या					
1	केएन	29864	मैसर्स इंडस फीला लि.	3.93	
2	केएन	13718	मैसर्स इलेक्ट्रक्स इंडिया लि.	1.65	
3	केएन	29005	मैसर्स कोनेगा इंटरनेशनल प्रा. लि.	1.51	
4	केएन	25809	मास मार्केटिंग	1.38	
5	केएन	29005	मैसर्स सोनल गारमेन्ट इं.प्रा. लि.	1.07	
क्षेत्र का कुल				9.55	
भुवनेश्वर					
1	ओआर	1683	उडीसा लिफ्ट इरिगेशन, भुवनेश्वर	17.93	
2	ओआर	1	उडीसा टेक्सटाईल मिल्स	10.25	
3	ओआर	8636	बी.आई.एस.डब्ल्यू.ए.	10.20	
4	ओआर	2734	अरबन को.ऑप. बैंक	8.78	
5	ओआर	1690	बी.डी.ए., बी.बी.एस.आर.	5.55	
6	ओआर	1833	कलिंग वीवर्स कॉ.स्पिनिंग मिल्स लि. गोविन्दपुर	4.86	
7	ओआर	655	बी.टी.एम. झरसूगुडा	4.59	
8	ओआर	917	ओ.डब्ल्यू.सी एस मिल	3.90	
9	ओआर	439	उडीसा इंडस्ट्रीज लि.	3.54	
10	ओआर	87	ओएसआरटीसी , ब्रह्मपुर	3.47	
11	ओआर	261	के.आई.डब्ल्यू., के.जे.आर.	2.84	
12	ओआर	347	हीराकुंड इंडस्ट्रीयल वर्क्स	2.68	
13	ओआर	3789	दयालाल मेघाजी एंड कं.	1.84	

5	KN	11043	Scorpion Security Services	1.21	
6	KN	44568	Ashed Properties & Investments Pvt Ltd	1.02	
Total of the Region					78.13
Gulbarga					
1	KN	27544	M/s.Ashok Iron Works Pvt Ltd., Belgaum	10.15	
2	KN	50946	M/s HDMC, Hubballi	2.95	
3	KN	7504	M/s Raibag Sahakari Sakkare Kharkhane Niyamit, Raibag	1.12	
4	KN	98	India Sugars, Hospet	1.04	
Total of the Region					15.26
Mangalore					
1	KN	2260	Ideal Jawa (P) Ltd.	10.69	
2	KN	37450	M/S.PWD Chikmagalur	10.14	
3	KN	37451	M/S. PWD Hassan	6.86	
4	KN	58025	M/S. SKE &C-KCT	4.15	
5	KN	58070	M/s.SKDR Project	1.69	
6	KN	49585	Mandya Inst. Of Med Science	1.66	
Total of the Region					35.19
Goa					
Total of the Region					
Peenya					
1	KN	29864	M/s Indus Fila Ltd,	3.93	
2	KN	13718	M/s Electrex India Ltd,	1.65	
3	KN	29005	M/S Konega International Pvt Ltd.,	1.51	
4	KN	25809	Mass Marketing,	1.38	
5	KN	29005	M/s Sonal Garments (India) Pvt LTd,	1.07	

14	ओआर	51	बी.एस.एल.	1.58	
15	ओआर	4880	वेस्टर्न उडीसा शुगर लि. कालाहांडी	1.55	
16	ओआर	3464	जी.सी.शाह	1.47	
17	ओआर	3251	जगन्नाथ डब्ल्यू सी एस लि., नवपटना सीटीसी	1.45	
18	ओआर	1949	ब्रह्मपुर ग्रुप.	1.13	
19	ओआर	2743	उडीसा ड्रम्स एंड केमिकल्स	1.10	
20	ओआर	3520	श्री सरला वीवर्स कॉ.स्पिनिंग मिल्स लि.	1.09	
21	ओआर	10200	साउथ कॉ., वाम	1.02	
क्षेत्र का कुल				90.82	
गुंटूर					
1	एपी	370	सरवारया टेक्सटाईल्स	10.18	
2	एपी	2	नेलीमारला जूट मिल्स	9.30	
3	एपी	2814	सरवारया टेक्सटाईल्स	4.31	
4	एपी	19888	मैसर्स पार्किंस टेक्सटाईल्स लि., नगरी, चित्तूर	2.45	
5	एपी	1184	मैसर्स पनयाम सीमेंट एंड मिनरल इंडस्ट्रीज लि. सीमेंट नगर, कुर्नूल	2.39	
6	एपी	23	मैसर्स रायलसीमा मिल्स अडोनी, कुर्नूल	1.71	
7	एपी	2813	मैसर्स येमीगन्नूर स्पीनिंग लि. येमीगन्नूर	1.58	
8	एपी	62828	मैसर्स म्युनिसिपल कार्पोरेशन, आरजेवाई	1.54	
9	एपी	20445	मैसर्स गोदावरी मिल्क प्रोड्यूसर लि.	1.20	
10	एपी	294	मैसर्स जी.एन. प्रोडैक्ट लि., अडोनी, कुर्नूल	1.17	
क्षेत्र का कुल				35.89	
हैदराबाद					
1	एपी	13681	मैसर्स एनसीसी लि.	59.23	
2	एपी	32039	राम इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.	39.15	
3	एपी	16338	स्यु इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.	13.05	
4	एपी	25409	ग्रुप 4 सिक्वोरिटीज गार्डिंग प्रा.लि.	5.98	
5	एपी	63441	रंगार्या कंस्ट्रक्शन (प्रा.) लि.	5.87	

Total of the Region					9.55
Bhubaneswar					
1	OR	1683	Odisha Lift Irigation, Bhubaneswar	17.93	
2	OR	1	Orissa Textile Mills	10.25	
3	OR	8636	BISWA	10.20	
4	OR	2734	Urban Coop.Bank	8.78	
5	OR	1690	BDA,BBSR	5.55	
6	OR	1833	Kalinga Weavers Coop Spinning Mills Ltd, Govindpur	4.86	
7	OR	655	B.T.M., Jharsuguda	4.59	
8	OR	917	O.W.C.S. Mill	3.90	
9	OR	439	Orissa Industries Ltd	3.54	
10	OR	87	OSRTC, Berhampur	3.47	
11	OR	261	KIW, Kjr	2.84	
12	OR	347	Hirakud Industrial Works	2.68	
13	OR	3789	Dayalal Meghaji & Co.	1.84	
14	OR	51	BSL	1.58	
15	OR	4880	Western Orissa Sugar Ltd. ,Kalahandi	1.55	
16	OR	3464	G.C. Shah	1.47	
17	OR	3251	Jagannath WCS Ltd, Nuapatna, CTC	1.45	
18	OR	1949	Berhampur Univ	1.13	
19	OR	2743	Orissa Drugs & chemicals	1.10	
20	OR	3520	Shree Sarala Weavers Coop Spinning Mills Ltd	1.09	
21	OR	10200	SouthCo, Bam	1.02	
Total of the Region					90.82
Guntur					

6	एपी	61839	जी.एच.एम.सी.-हेल्थ – सेनेटेरी, नॉर्थ जॉन	5.36	
7	एपी	37742	मैसर्स डीक्यू एंटरटेनमेंट	5.24	
8	एपी	63635	मैसर्स राधा रियलटर्स	3.87	
9	एपी	19841	हारटेक्स रबर लि.	2.75	
10	एपी	28034	मैसर्स इनफोटेक इंटरप्राइजेस	2.57	
11	एपी	26304	मैसर्स आलविन वाचिज	2.31	
12	एपी	61851	एसिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर (हेल्थ & सेनिटरी जी.एच. एम.सी)	2.12	
13	एपी	1722	डिवीजनल एकाउंट्स ऑफिसर (वाटर)	2.08	
14	एपी	39593	पृथ्वी इनफोरमेशन सॉल्यूशन लि.	1.92	
15	एपी	37694	मैसर्स आईसीएसए (इडिया) लि.	1.70	
16	एपी	32054	सोमा इंटरप्राइजेस लि.	1.60	
17	एपी	42126	ज्योति कंप्यूटर्स	1.29	
18	एपी	47753	मैसर्स बीम टेलीकॉम प्रा.लि.	1.25	
19	एपी	56934	आर.टी.एस.एस. मैन पावर सॉल्यूशन	1.22	
20	एपी	22361	संधी पोलिस्टर लि.	1.19	
21	एपी	61854	एसिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर(हेल्थ एंड सेनिटेशन) जीएचएमसी	1.14	
22	एपी	22349	एमआरएफ लि.	1.10	
23	एपी	5238	गलादा पावर –टेलीकॉमम्यूनीकेशन लि.	1.09	
24	एपी	1722-ए	एक्ज्यूकेटिव इंजीनियर	1.08	
25	एपी	34921	मैसर्स राजोज हाई स्कूल	1.07	
क्षेत्र का कुल					165.24
निजामाबाद					
1	एपी	11962	काकतिया यूनिवर्सिटी, वारंगल	1.66	
क्षेत्र का कुल					1.66
चेन्नै					
1	टीएन	60639	टीवीएस लॉजिस्टिक्स लि.	12.49	
2	टीएन	26280	होटल सर्वना भवन	9.69	

1	AP	370	M/s. Sarvaraya Textiles	10.23	
2	AP	2	M/s Nellimarla Jute Mills	9.30	
3	AP	2814	M/s Sarvaraya Textiles	4.31	
4	AP	19888	M/s. Parkins Textiles Ltd, Nagari, Chittoor.	2.45	
5	AP	1184	M/s.Panyam Cements & Mineral Industries Ltd, Cement Nagar, Kurnool.	2.39	
6	AP	23	M/s. Rayalaseema Mills ,Adoni, Kurnool.	1.71	
7	AP	2813	M/s. Yemmiganur Spinning Mills Ltd, Yemmiganur	1.58	
8	AP	62828	M/s. Municipal Corporation, Rjy	1.54	
9	AP	20445	M/s. Godavari Milk Producers Ltd.	1.20	
10	AP	294	M/s. G.N.Products Ltd, Adoni, Kurnool.	1.17	
Total of the Region					35.89
Hyderabad					
1	AP	13681	M/s. NCC Ltd	59.23	
2	AP	32039	Ram Infrastructure Ltd.	39.15	
3	AP	16338	Sew Infrastructure Ltd.	13.05	
4	AP	25409	M/s. Group 4 Securities Guarding P Ltd	5.98	
5	AP	63441	Rangaraya Constructuion (P) Ltd	5.87	
6	AP	61839	G.H.M.C – Health – Sanitary, North Zone	5.36	
7	AP	37742	M/s. DQ Entertainment	5.24	
8	AP	63635	M/s. Radha Realtors	3.87	
9	AP	19841	Hartex Rubber Ltd	2.75	
10	AP	28034	M/s. Infotech Enterprises	2.57	
11	AP	26304	M/s Allwyn Watches	2.31	
12	AP	61851	Asst. Medical officer (Health & Sanitary G.H.M.C)	2.12	

3	टीएन	7868	मैसर्स मद्रास पेट्रोकेमिकल लि.	7.17	
4	टीएन	54904	जी.वी.के. इमरजेन्सी	3.99	
5	टीएन	17277	हॉफिन्कोन्स इन्फोटेक एंड इस्ट्रीयल सर्विसज लि.	3.22	
6	टीएन	49572	केवीनकेयर प्रा.लि.	3.12	
7	टीएन	1445	चोला बिजनेस सर्विसज सीएच-1	3.12	
8	टीएन	49094	जाइलॉग सिस्टम (प्रा.) लि.	2.97	
9	टीएन	54058	बी.एन.पी. परिबा सुंदरम ग्लोबल सिक्योरिटीज़ ऑपरेशन	2.81	
10	टीएन	50353	मेट्रीमोनी डोट कम	1.63	
11	टीएन	26553	इंटिग्रेटेड इंटरप्राइजेस (प्रा.) लि.	1.60	
12	टीएन	52226	मैसर्स पिरामिड साइमीरा थिएटर लि. चेन्नै	1.50	
13	टीएन	48704	कम्पास	1.47	
14	टीएन	65986	मैसर्स पोलिस्टर इनोवेशन्स इंडिया प्रा. लि.	1.43	
15	टीएन	49158	एक्सल आई टी रिसोर्सेस चेन्नै -29	1.41	
16	टीएन	53197	नीलमेटल फनल्का, चेन्नै -14	1.35	
17	टीएन	53112	इक्विटास माईक्रो फाईनेन्स चेन्नै -35	1.31	
18	टीएन	22600	ब्रिलिएंट टूटोरियल प्रा.लि.	1.20	
19	टीएन	48461	लाइफस्टाइल इंटरनेशनल (प्रा.) लि.	1.08	
20	टीएन	48617	मैसर्स आदित्य बिरला मनी लि. चेन्नै - 6	1.05	
21	टीएन	4257	मैसर्स मार्शल सन्स एंड कम्पनी लि.	1.02	
क्षेत्र का कुल				64.65	
कोयंबतूर					
1	टीएन	96059	टी एन ई वी इलैक्ट्रीसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सर्कल, मैदूर डैम	7.78	
2	टीएन	16681	उमा माहेश्वरी	7.55	
3	टीएन	153	उमा परमेश्वरी मिल्स	5.19	
4	टीएन	96061	टी.एन.ई.वी. इलैक्ट्रीसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सर्कल, सेलम	4.75	
5	टीएन	6517	सेलम टेक्सटाईल्स	3.58	
6	टीएन	1038	सीबीई पाइनीयर मिल्स	2.21	

13	AP	1722	Divisional Accounts officer (Water)	2.08	
14	AP	39593	Prithvi Information Solutions Ltd	1.92	
15	AP	37694	M/s ICSA (India) Ltd	1.70	
16	AP	32054	Soma Enterprises Ltd.	1.60	
17	AP	42126	Jyothi Computers.	1.29	
18	AP	47753	M/s. Beam telecom private Ltd.	1.25	
19	AP	56934	RTSS Man Power Solutions.	1.22	
20	AP	22361	Sanghi Polyesters Ltd.	1.19	
21	AP	61854	Asst. Medical officer (Health & Sanitation) GHMC	1.14	
22	AP	22349	MRF Ltd	1.10	
23	AP	5238	Galada Power-Telecom munication Ltd.	1.09	
24	AP	1722-A	Executive Engineer.	1.08	
25	AP	34921	M/s Rao's High School	1.07	
Total of the Region					165.24
Nizamabad					
1	AP	11962	Kakatiya University, Warangal	1.66	
Total of the Region					1.66
Chennai					
1	TN	60639	TVS Logistics Ltd	12.49	
2	TN	26280	Hotel Saravana Bhavan	9.69	
3	TN	7868	M/s.Madras Petrochem Ltd.	7.17	
4	TN	54904	GVK Emergency	3.99	
5	TN	17277	Hofincons Infotech & Industrial Services Ltd	3.22	
6	TN	49572	Cavincare Pvt Ltd	3.12	
7	TN	1445	Chola Business Services, Ch-1	3.12	
8	TN	49094	Zylog Systems (P) Ltd	2.97	

7	टीएन	131	जवाहर मिल्स	2.17	
8	टीएन	21411	द कृष्णगिरी डीटी. कॉ. स्पिनिंग मिल्स	2.05	
9	टीएन	21118	शक्ति ऐश्वर्या स्पिनिंग मिल्स प्रा.लि.	1.74	
10	टीएन	17496	एशियन बेरिंग	1.59	
11	टीएन	55	सीबीई पाइनीयर मिल्स	1.38	
12	टीएन	21038	लेकना कॉटन मिल्स	1.33	
13	टीएन	25464	शुगरकेन ब्रीडिंग इंडस्ट्रीट्यूट	1.31	
14	टीएन	8400	कोन्ग्रार स्पिनर्स	1.25	
15	टीएन	1160	मैतूर स्पिनिंग मिल्स	1.18	
16	टीएन	10661	सिल्वारानी स्पिनिंग मिल्स	1.18	
17	टीएन	56074	जीटीएन इंटरप्राइजेस	1.17	
18	टीएन	77038	पीजीसी टेक्सटाईल्स प्रा.लि.	1.16	
19	टीएन	3169	शेषशायी इंडस्ट्रीज लि., वडलूर	1.14	
					49.72
क्षेत्र का कुल					
मदुरै					
1	टीएन	6357	स्वामीजी मिल्स लि.	5.55	
2	टीएन	1707	श्री शीला रानी टेक्सटाईल्स मदुरै	3.37	
3	टीएन	55649	मैसर्स टीएनईबी, नागरकोईल	3.31	
4	टीएन	20905	विश्वभारती टेक्सटाईल्स (प्रा.) लि.	2.33	
5	टीएन	55651	मैसर्स टीएनईबी, तूतीकोरिन	2.29	
6	टीएन	2133	साउथ इंडिया कॉ. स्पिनिंग मिल्स लि.	2.24	
7	टीएन	55650	मैसर्स टीएनईबी, तिरुनेलवेली	1.93	
8	टीएन	7130	सेयादु वीड्री कम्पनी	1.84	
9	टीएन	157	मदुरा कोट्स प्रा.लि.	1.64	
					24.50
क्षेत्र का कुल					
तांबरम					
1	टीएन	20	मैसर्स एंग्लो फ्रेन्च टेक्सटाईल्स	14.06	

9	TN	54058	BNP Paribas Sundaram Global Securities Operations	2.81	
10	TN	50353	Matrimony dot com	1.63	
11	TN	26553	Integrated Enterprises India Ltd.	1.60	
12	TN	52226	M/s.Pyramid Saimira Theatre Ltd. Chennai - 35	1.50	
13	TN	48704	Compass	1.47	
14	TN	65986	M/s.Polycrest Innovations India (P) Ltd.	1.43	
15	TN	49158	Accel IT Resouces, Ch-29	1.41	
16	TN	53197	Neelmetal Fanalca, Ch-14	1.35	
17	TN	53112	Equitas Micro Finance, Ch-35	1.31	
18	TN	22600	Brilliant Tutorials Pvt Ltd.	1.20	
19	TN	48461	Lifestyle International (P) Ltd.	1.08	
20	TN	48617	M/s.Aditya Birla Money Ltd., Chennai - 6	1.05	
21	TN	4257	M/s.Marshall Sons & Company Ltd.	1.02	
Total of the Region					64.65
Coimbatore					
1	TN	96060	TNEB, Electricity Distribution Circle, Mettur Dam	7.78	
2	TN	16681	Uma Maheswari	7.55	
3	TN	153	Uma parameswari Mills	5.19	
4	TN	96061	TN/96061TNEB, Electricity Distribution Circle, salem	4.75	
5	TN	6517	Salem Textiles	3.58	
6	TN	1038	Cbe Pioneer Mills	2.21	
7	TN	131	Jawahar Mills	2.17	
8	TN	21411	The Krishnagiri Dt. Coop Spg Mills	2.05	
9	TN	21118	Sakthi Aiswarya Spinnig Mills P Ltd.,	1.74	
10	TN	17496	Asian Bearings	1.59	

2	टीएन	286	पांडिचेरी को.ऑप. शूगर मिल्स	4.25	
3	टीएन	2121	जिम्पर पुदुचेरी	3.35	
4	टीएन	10860	फारवर्ड लैदर कंपनी	2.92	
5	टीएन	50125	ट्रिम्फ इंटरनेशनल इंडिया प्रा.लि.	2.43	
6	टीएन	40754	जेबीएम ऑटो सिस्टम प्रा.लि.	2.34	
7	टीएन	4981	सरस्वती मिल्स	2.07	
8	टीएन	7832	प्रेसीडेन्सी किड लेदर (प्रा.) लि.	2.01	
9	टीएन	62010	फारवर्ड शूज इंडिया (प्रा.) लि.	1.92	
10	टीएन	582	एस.पी.आई. टेक्नोलॉजिस इंडिया प्रा.लि.	1.76	
11	टीएन	19698	जी.एम.एम.सी.ओ. लि.	1.53	
12	टीएन	2	श्री भारती मिल्स	1.25	
13	टीएन	30001	मैसर्स पेन्टाफोर प्रोडक्ट्स लि.	1.14	
14	टीएन	19937	अब्दुल अजीज साहिब एंड सन्स	1.10	
15	टीएन	60577	शमसुद्दीन एक्सपोर्ट	1.09	
16	टीएन	19706	मैसर्स पोयशा इंडस्ट्रीयल कं.लि.	1.08	
क्षेत्र का कुल					44.28
केरल					
1	केआर	1912	एर्णाकुलम डी.सी.बी. लि.	30.98	
2	केआर	1900	अलप्पुप्पा डी.सी.बी. लि.	29.09	
3	केआर	16159	मुथूट कंसलटेसी, टी वी एम	24.94	
4	केआर	2722	मलप्पुरम डिस्ट कॉ.ऑप. बैंक	12.75	
5	केआर	16	ट्रावनकोर रेयॉन्स	4.15	
6	केआर	10416	बीवरेज कार्पोरेशन, टी वी एम	3.67	
7	केआर	18103	रबको, के एन आर	3.27	
8	केआर	16672	लक्ष्मी इन्टरप्राइजेस , केएलएम	2.66	
9	केआर	16539	जी 4 एस सिक्युरिटीज, टी वी एम	2.45	

11	TN	55	Cbe Pioneer Mills	1.38	
12	TN	21038	Lakhna Cotton Mills	1.33	
13	TN	25464	Sugarcane Breeding Institute	1.31	
14	TN	8400	Kongarar Spinners	1.25	
15	TN	1160	Mettur Spinning Mills	1.18	
16	TN	10661	Selvarani Spg. Mills	1.18	
17	TN	56074	GTN Enterprises	1.17	
18	TN	77038	PGC Textiles P Ltd.,	1.16	
19	TN	3169	Seshasayee Industries Ltd., Vadalur	1.14	
Total of the Region					49.72
Madurai					
1	TN	6357	Swamiji Mills Limited	5.55	
2	TN	1707	Sri Sheela Rani Textiles, Madurai	3.37	
3	TN	55649	M/s TNEB, Nagercoil	3.31	
4	TN	20905	Viswabharathi Textiles (P) Ltd.,	2.33	
5	TN	55651	M/s TNEB, Tuticorin	2.29	
6	TN	2133	South India Cooperative Spinning Mills Limited	2.24	
7	TN	55650	M/s TNEB, Tirunelveli	1.93	
8	TN	7130	Seyadu Beedi Company	1.84	
9	TN	157	Madura Coats Private Limited	1.64	
Total of the Region					24.50
Tambaram					
1	TN	20	Anglo French Textiles	14.06	
2	TN	286	Pondicherry Co-Op Sugar Mills	4.25	
3	TN	2121	Jipmer Puducherry	3.35	

10	केआर	68	मंजूमलै एस्टेट केटीएम	2.27	
11	केआर	19743	जी 4 एस सिक्योरिटीज , ई के एम	2.07	
12	केआर	396	कुडुकरनम एस्टेट, केटीएम	1.97	
13	केआर	2356	कॉंपरेटिव शुगर के.के.डी.	1.85	
14	केआर	267	पंबानार एस्टेट, केटीएम	1.83	
15	केआर	3237	पुष्पागिरी अस्पताल	1.82	
16	केआर	12344	केलट्रान इक्यूप कॉम्प्लेक्स, टीवीएम	1.76	
17	केआर	71	मलयाला मनोरमा	1.62	
18	केआर	16436	मै. एसेन्सिया टेक्नॉलॉजिस टेक्नोपार्क	1.59	
19	केआर	10160	ऑटोकास्ट, इकेएम	1.56	
20	केआर	270	तुंगमली स्टेट ,केटीएम	1.52	
21	केआर	4409	केरला स्टे.सिविल सप्लाइ कापॉरेशन, ई के एम	1.50	
22	केआर	24261	मुथुट सिक्योरिटीज़ लि.	1.31	
23	केआर	10813	केरला ऑटोमोबाइल, टी वी एम	1.30	
24	केआर	266	थेंगाकल एस्टेट, केटीएम	1.26	
25	केआर	19155	एमजीसएफ मोटर्स, इकेएम	1.23	
26	केआर	2638	थिरुवेपथ्थी मिल्स केएनआर	1.21	
27	केआर	26500	मैसर्स डिस्ट्रीक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग, टीवीएम	1.18	
28	केआर	19536	लेकशोर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर	1.16	
29	केआर	67	कोलीकनम एस्टेट, केटीएम	1.15	
30	केआर	570	केरला सोप्स , के के डी	1.13	
31	केआर	12387	इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डवलपमेन्ट	1.04	
32	केआर	10010	वैशाली फार्माक्यूटिक, ईकेएम	1.01	
क्षेत्र का कुल					148.30
पूर्वांतर					
1	एन.ई.आर	219	मैसर्स आसाम को.ऑपरेटिव शुगर मिल्स लि.	5.57	
2	एन.ई.आर	314	असम स्पन सिल्क मिल	5.56	

4	TN	10860	Forward Leather Co	2.92	
5	TN	50125	Triumph International India P.Ltd	2.43	
6	TN	40754	Jbm auto system pvt. Ltd,	2.34	
7	TN	4981	Saraswati Mills	2.07	
8	TN	7832	Presidency Kid Leather (P) Ltd	2.01	
9	TN	62010	Forward Shoes India Pvt Ltd	1.92	
10	TN	582	Spi Technologies India Pvt Ltd	1.76	
11	TN	19698	GMMCO Limited	1.53	
12	TN	2	Shri Bharathi Mills	1.25	
13	TN	30001	M/S. Pentafour Products Ltd	1.14	
14	TN	19937	Abdul Azeez Sahib & Sons	1.10	
15	TN	60577	Shamshuddin Exports	1.09	
16	TN	19706	M/s Poysha Industrial Co Ltd	1.08	
Total of the Region					44.28
Kerala					
1	KR	1912	Ernakulam DCB Ltd	30.98	
2	KR	1900	Alappuzha DCB Ltd	29.09	
3	KR	16159	Muthoot consultancy, TVM	24.94	
4	KR	2722	Malappuram dist. Co. Op. Bank	12.75	
5	KR	16	Travancore Rayons	4.15	
6	KR	10416	Beverages corpn, TVM	3.67	
7	KR	18103	Rubco, KNR	3.27	
8	KR	16672	Lekshmi enterprises, KLM	2.66	
9	KR	16539	G 4 S securities, TVM	2.45	
10	KR	68	Manjumalai estate, KTM	2.27	
11	KR	19743	G 4 S securities, EKM	2.07	

3	एन.ई.आर	1268	से. एन्थनी कॉलेज	2.86	
4	एन.ई.आर	707	नागालैण्ड पल्प एंड पेपर कं. लि.	2.71	
5	एन.ई.आर	861	कच्चार शूगर मिल्स कं. लि.	2.37	
6	एन.ई.आर	1026	एम.एच.एच.डी.सी. लि.	2.11	
7	एन.ई.आर	6442	मैसर्स ऑयल इंडिया लि.	1.90	
8	एन.ई.आर	2144	मैसर्स स्वाहिद कुशल सम्बे सुताकोल लि.	1.57	
9	एन.ई.आर	3996	मैसर्स बी.एस.एन.एल., सिल्चर	1.30	
क्षेत्र का कुल				25.96	
जलपाईगुडी					
1	डब्ल्यू.बी.	32794	इटालियन थायी देव (प्रा.) लि.	6.78	
2	डब्ल्यू.बी.	889	मधु टी.ई.	4.62	
3	डब्ल्यू.बी.	799	बंदापानी टी.ई.	2.91	
4	डब्ल्यू.बी.	824	टोटापारा टी.ई.	2.83	
5	डब्ल्यू.बी.	1011	कोहीनूर टी.ई.	2.44	
6	डब्ल्यू.बी.	981	लंकपारा टी.ई.	2.35	
7	डब्ल्यू.बी.	1092	ग्राममोर टी.ई.	2.34	
8	डब्ल्यू.बी.	970	शिकारपुर टी.ई.	2.34	
9	डब्ल्यू.बी.	853	दुमचीपारा टी.ई.	2.17	
10	डब्ल्यू.बी.	851	तस्ती टी.ई.	2.12	
11	डब्ल्यू.बी.	843	बीरपारा टी.ई.	2.10	
12	डब्ल्यू.बी.	665	कुमाली टी.ई.	2.07	
13	डब्ल्यू.बी.	1492	मुगलकता टी.ई.	1.96	
14	डब्ल्यू.बी.	1401	बीच टी.जी.	1.92	
15	डब्ल्यू.बी.	1595	हन्तपारा टी.जी.	1.75	
16	डब्ल्यू.बी.	852	मुजनाई टी.ई.	1.71	
17	डब्ल्यू.बी.	698	गंगाराम टी.ई.	1.55	
18	डब्ल्यू.बी.	858	गरगंडा टी.ई.	1.51	

12	KR	396	Kuduakarnam estate, KTM	1.97	
13	KR	2356	Co operative sugars, KKD	1.85	
14	KR	267	Pambanar estate, KTM	1.83	
15	KR	3237	Pushpagiri Hospital	1.82	
16	KR	12344	Keltron Equip complex.TVM	1.76	
17	KR	71	Malayala Manorama	1.62	
18	KR	16436	M/s Accentia Technologies, Technopark	1.59	
19	KR	10160	Autocast, EKM	1.56	
20	KR	270	Thungamallay estate, KTM	1.52	
21	KR	4409	Ker. Sta.Civil Supplies Corpn, EKM	1.50	
22	KR	24261	Muthoot Securites Ltd.	1.31	
23	KR	10813	Kerala Automobiles, Tvm	1.30	
24	KR	266	Thengakkal estate, KTM	1.26	
25	KR	19155	MGF Motors, EKM	1.23	
26	KR	2638	Thiruveppathy mills, KNR	1.21	
27	KR	26500	M/s Distict Institute of Educational Training, TVM	1.18	
28	KR	19536	Lakeshore Hospital and reser. Cen.	1.16	
29	KR	67	Kolikanam estate, KTM	1.15	
30	KR	570	Kerala soaps, KKD	1.13	
31	KR	12387	Institute of Human resources devp	1.04	
32	KR	10010	Vysali Pharmaceutic, EKM	1.01	
Total of the Region					148.30
NER					
1	NER	219	M/S Assam Co.Operative Sugar Mills Ltd	5.57	
2	NER	314	Assam Spun Silk Mill	5.56	
3	NER	1268	St.Anthony.College	2.86	

19	डब्ल्यू.बी.	651	न्यू डोर्स टी.ई.	1.39	
20	डब्ल्यू.बी.	1465	करबला टी.ई.	1.36	
21	डब्ल्यू.बी.	982	किलकोट टी इस्टेट	1.35	
22	डब्ल्यू.बी.	1576	पानीघटा टी.ई.	1.30	
23	डब्ल्यू.बी.	836	नागासुरी टी.ई.	1.18	
24	डब्ल्यू.बी.	1357	पुबोंग टी.ई.	1.08	
25	डब्ल्यू.बी.	999	बागराकोट टी.ई.	1.04	
26	डब्ल्यू.बी.	952	रायपुर टी.ई.	1.04	
क्षेत्र का कुल					55.22
कोलकाता					
1	डब्ल्यू.बी.	36&47	मैसर्स नूडिया मिल को. लि.	32.92	
2	डब्ल्यू.बी.	1651	मैसर्स एच.सी.एल.	18.45	
3	डब्ल्यू.बी.	16364	मैसर्स आरामबाग हटचेरीज प्रा. लि.	9.21	
4	डब्ल्यू.बी.	16165	मैसर्स फेवरेट स्मॉल इन्वेस्टमेंट लि.	7.92	
5	डब्ल्यू.बी.	2,27 & 40	मैसर्स बारानगर जूट (पी.एल.सी.)	6.48	
6	डब्ल्यू.बी.	7 & 25	मैसर्स गोरीपोर कॉ. लि.	5.48	
7	डब्ल्यू.बी.	542	मैसर्स सेन्ट्रल कॉटन मिल	4.56	
8	डब्ल्यू.बी.	113	मैसर्स रामपुरिया कॉटन मिल	4.07	
9	डब्ल्यू.बी.	9608	मैसर्स साईमोन कार्वस	3.55	
10	डब्ल्यू.बी.	26	मैसर्स द एम्पायर जूट कं.	2.68	
11	डब्ल्यू.बी.	44950	मैसर्स एक्स सर्विसमैन रिसेटलमेंट सोसाईटी	2.36	
12	डब्ल्यू.बी.	112	मैसर्स बंगाल लक्ष्मी कॉटन मिल्स	2.29	
13	डब्ल्यू.बी.	48582	भारत संचार	2.00	
14	डब्ल्यू.बी.	350	मैसर्स बंगाल फाईन स्पिनिंग	1.99	
15	डब्ल्यू.बी.	12781	मैसर्स स्टेट फिशरीज डी.बी.एल. कॉरपोरेशन	1.93	
16	डब्ल्यू.बी.	246	मैसर्स बी.ई.एस.सी.ओ.	1.85	
17	डब्ल्यू.बी.	12201	मैसर्स इंडो जापान स्टील्स लि.	1.70	

4	NER	707	Nagaland Pulp & Papers Co. Ltd	2.71	
5	NER	861	Cachar Sugar Mills Co. Ltd	2.37	
6	NER	1026	MHHDC LTD	2.11	
7	NER	6442	M/S Oil India Ltd	1.90	
8	NER	2144	M/S Swahid Kushal Samabay Sutakol Ltd.	1.57	
9	NER	3996	M/S BSNL,Silchar	1.30	
Total of the Region					25.96
Jalpaiguri					
1	WB	32794	Italian Thai Dev. (P) Ltd.	6.78	
2	WB	889	Madhu T.E.	4.62	
3	WB	799	Bundapani T.E.	2.91	
4	WB	824	Totapara T.E	2.83	
5	WB	1011	Kohinoor T.E	2.44	
6	WB	981	Lankapara T E	2.35	
7	WB	1092	Grassmore T. E	2.34	
8	WB	970	Shikarpur T.E.	2.34	
9	WB	853	Dumchipara T.E	2.17	
10	WB	851	Tasati T.E.	2.12	
11	WB	843	Birpara T. E	2.10	
12	WB	665	Kumlai T. E.	2.07	
13	WB	1492	Mugalkata T.E	1.96	
14	WB	1401	Beech T. G.	1.92	
15	WB	1595	Hantapara T.G.	1.75	
16	WB	852	Mujnai T. E.	1.71	
17	WB	698	Gungaram T.E.	1.55	
18	WB	858	Garganda T.E	1.51	
19	WB	651	New Dooars T.E.	1.39	
20	WB	1465	Karbala T.E	1.36	
21	WB	982	Killkot Tea Estate	1.35	
22	WB	1576	Panighata TE	1.30	
23	WB	836	Nagaisuri T.E	1.18	
24	WB	1357	Poobong TE	1.08	
25	WB	999	Bagrakote T.E	1.04	

18	डब्ल्यू.बी.	29503	मैसर्स ब्रानवेयर	1.68	
19	डब्ल्यू.बी.	593	द स्माल टूल्स	1.60	
20	डब्ल्यू.बी.	11692	मैसर्स ट्राई कार्पोरेश इंडिया लि.	1.46	
21	डब्ल्यू.बी.	12317	मैसर्स ईस्टएंड पेपर (प्रा.) लि.	1.04	
क्षेत्र का कुल					115.23
झारखंड					
1	जे.एच.	2316	बोकारो स्टील प्लांट	6.68	
2	जे.एच.	5355	बेलाल बीरी	1.66	
3	जे.एच.	11184	डायरेक्टर ऑफ सॉइल कन्जर्वेशन	1.46	
4	जे.एच.	10521	महिला कल्याण एवं मानवोत्थान	1.16	
क्षेत्र का कुल					10.95
अखिल भारतीय कुल योग					2454.14

26	WB	952	Raipur T.E	1.04	
Total of the Region					55.22
Kolkatta					
1	WB	36&47	M/s Nuddea Mill Co. Ltd.	32.92	
2	WB	1651	M/s HCL	18.45	
3	WB	16364	M/s Arambagh Hatcherries Pvt. Ltd.	9.21	
4	WB	16165	M/s. Favourite Small Investment Ltd.	7.92	
5	WB	2,27 & 40	M/s Baranagar Jute(PLC)	6.48	
6	WB	7 & 25,	M/s Gouripore Co. Ltd.	5.48	
7	WB	542	M/s Central Cotton Mill,	4.56	
8	WB	113	M/s Rampooria Cotton Mill,	4.07	
9	WB	9608,	M/s. Simon Carves	3.55	
10	WB	26	M/s The EMPIRE JUTE Co.	2.68	
11	WB	44950	M/s Ex-serviceman Resettlement Socity	2.36	
12	WB	112	M/s. Bengal Laxmi Cotton Mills,	2.29	
13	WB	48582	Bhart Sanchor	2.00	
14	WB	350	M/s Bengal Fine Spng.,	1.99	
15	WB	12781	M/s State Fisheries DVL Corporation	1.93	
16	WB	246	m/s BESCO	1.85	
17	WB	12201	M/s INDO JAPAN STEELS LTD,	1.70	
18	WB	29503	M/s Brainware	1.68	
19	WB	593	The Small tools	1.60	
20	WB	11692	M/s. Tyre Corpn. India Ltd.	1.46	
21	WB	12317	M/s Eastend Paper (P) Ltd.	1.04	
Total of the Region					115.23
Jharkhand					
1	JH	2316	Bokaro Steel Plant	6.68	
2	JH	5355	Belal Biri	1.66	
3	JH	11184	Director of Soil Conservation	1.46	
4	JH	10521	Mahila Kalayan Evam Manaothan	1.16	
Total of the Region					10.95
ALL INDIA GRAND TOTAL					2454.14

वर्ष 2014-15 के दौरान अधिनियम की धारा 7ए के अंतर्गत निर्धारण मामलों का प्रारंभ एवं निपटान

क्षेत्र	01.04.2014 को निपटान के लिए बकाया मामले	वर्ष के दौरान प्रारंभ किए गए मामले	कुल कार्यभार	अंतिम आदेश द्वारा निपटाए गए मामले	निपटान का %	31.03.2015 को लंबित मामले
देहरादून	223	130	353	122	34.56%	231
दिल्ली (उत्तर)	232	128	360	164	45.56%	196
दिल्ली (दक्षिण)	382	160	542	279	51.48%	263
आ.का. (दिल्ली एवं उ.खंड)	837	418	1255	565	45.02%	690
चंडीगढ़	513	199	712	290	40.73%	422
लुधियाना	523	251	774	342	44.19%	432
शिमला	178	117	295	115	38.98%	180
आ.का. (पंजाब एवं हि.प्रदेश)	1214	567	1781	747	41.94%	1034
कानपुर	951	374	1325	288	21.74%	1037
मेरठ	473	272	745	224	30.07%	521
पटना	774	45	819	29	3.54%	790
आ.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	2198	691	2889	541	18.73%	2348
फरीदाबाद	303	247	550	205	37.27%	345
गुडगांव	387	253	640	441	68.91%	199
जयपुर	445	154	599	223	37.23%	376
आ.का. (हरि. एवं राजस्थान)	1135	654	1789	869	48.57%	920
अहमदाबाद	727	260	987	311	31.51%	676
वडोदा	32	41	73	31	42.47%	42
इंदौर	739	316	1055	487	46.16%	568
सुरत	314	195	509	272	53.44%	237
आ.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	1812	812	2624	1101	41.96%	1523
काठिवाली	478	26	504	214	42.46%	290
मुंबई-1 बांद्रा	263	78	341	110	32.26%	231
मुंबई-11 थाणे	534	158	692	440	63.58%	252
नागपुर	841	1100	1941	550	28.34%	1391
पुणे	725	189	914	253	27.68%	661
रायपुर	152	483	635	326	51.34%	309
आ.का. (महारा. एवं छत्तीसगढ़)	2993	2034	5027	1893	37.66%	3134
बंगलौर	149	147	296	190	64.19%	106
गुलबर्गा	251	117	368	298	80.98%	70
मंगलौर	233	385	618	234	37.86%	384
पणजी	112	91	203	85	41.87%	118
पीण्या	532	217	749	400	53.40%	349
आ.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	1277	957	2234	1207	54.03%	1027
भुवनेश्वर	461	138	599	198	33.06%	401
गुन्डूर	686	290	976	477	48.87%	499
हैदराबाद	877	790	1667	746	44.75%	921
निजामाबाद	232	207	439	244	55.58%	195
आ.का. (आंध्र. एवं उड़ीसा)	2256	1425	3681	1665	45.23%	2016
चेन्नै	331	814	1145	650	56.77%	495
कोयम्बतूर	420	1423	1843	1033	56.05%	810
मद्रै	472	1409	1881	1504	79.96%	377
तांवरम	355	458	813	475	58.43%	338
तिरुवनंतपुरम	354	1325	1679	932	55.51%	747
आ.का. (त.नाडु एवं केरल)	1932	5429	7361	4594	62.41%	2767
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	470	124	594	332	55.89%	262
जलपाईगुड़ी	277	285	562	335	59.61%	227
कोलकाता	676	229	905	510	56.35%	395
रांची	281	462	743	266	35.80%	477
आ.का. (प.बं., पू.क्ष. एवं झारखंड)	1704	1100	2804	1443	51.46%	1361
अखिल भारतीय	17358	14087	31445	14625	46.51%	16820

APPENDIX A-8 (i)

Initiation and disposal of Assessment Cases under section 7A of the Act during 2014-15						
Region	Cases for disposal as on 01.04.2014	Cases initiated during the year	Total Workload	Cases disposed by issue of final orders	Disposal in terms of %	Cases pending as on 31.03.2015
Dehradun	223	130	353	122	34.56%	231
Delhi (North)	232	128	360	164	45.56%	196
Delhi (South)	382	160	542	279	51.48%	263
ZO (DL & UK)	837	418	1255	565	45.02%	690
Chandigarh	513	199	712	290	40.73%	422
Ludhiana	523	251	774	342	44.19%	432
Shimla	178	117	295	115	38.98%	180
ZO (PN & HP)	1214	567	1781	747	41.94%	1034
Kanpur	951	374	1325	288	21.74%	1037
Meerut	473	272	745	224	30.07%	521
Patna	774	45	819	29	3.54%	790
ZO (UP & BR)	2198	691	2889	541	18.73%	2348
Faridabad	303	247	550	205	37.27%	345
Gurgaon	387	253	640	441	68.91%	199
Jaipur	445	154	599	223	37.23%	376
ZO (HR & RJ)	1135	654	1789	869	48.57%	920
Ahmedabad*	727	260	987	311	31.51%	676
Baroda	32	41	73	31	42.47%	42
Indore	739	316	1055	487	46.16%	568
Surat	314	195	509	272	53.44%	237
ZO (GJ & MP)	1812	812	2624	1101	41.96%	1523
Kandivili	478	26	504	214	42.46%	290
Mumbai-I Bandra	263	78	341	110	32.26%	231
Mumbai-II Thane	534	158	692	440	63.58%	252
Nagpur	841	1100	1941	550	28.34%	1391
Pune	725	189	914	253	27.68%	661
Raipur	152	483	635	326	51.34%	309
ZO (MH & CG)	2993	2034	5027	1893	37.66%	3134
Bangalore	149	147	296	190	64.19%	106
Gulbarga	251	117	368	298	80.98%	70
Mangalore	233	385	618	234	37.86%	384
Panaji	112	91	203	85	41.87%	118
Peenya	532	217	749	400	53.40%	349
ZO (KN & Goa)	1277	957	2234	1207	54.03%	1027
Bhubaneshwar	461	138	599	198	33.06%	401
Guntur	686	290	976	477	48.87%	499
Hyderabad	877	790	1667	746	44.75%	921
Nizamabad	232	207	439	244	55.58%	195
ZO (AP & OR)	2256	1425	3681	1665	45.23%	2016
Chennai	331	814	1145	650	56.77%	495
Coimbatore	420	1423	1843	1033	56.05%	810
Madurai	472	1409	1881	1504	79.96%	377
Tambaram	355	458	813	475	58.43%	338
Thiruvananthapuram	354	1325	1679	932	55.51%	747
ZO (TN & KR)	1932	5429	7361	4594	62.41%	2767
Guwahati (NER)	470	124	594	332	55.89%	262
Jalpaiguri	277	285	562	335	59.61%	227
Kolkata	676	229	905	510	56.35%	395
Ranchi	281	462	743	266	35.80%	477
ZO (WB, NER & JH)	1704	1100	2804	1443	51.46%	1361
All INDIA	17358	14087	31445	14625	46.51%	16820

लंबित 7ए मामलों की आवधिकता		
आवधिकता	2014-15	2013-14
छ: महीने से कम	5661	6,248
छ: महीने से एक वर्ष	3492	3,366
एक वर्ष से तीन वर्ष	5058	4,860
तीन वर्ष से ज्यादा	2609	2,664
कुल	16820	17,138

APPENDIX A-8 (ii)

Periodicity of the Pending 7A Cases		
Periodicity	2014-15	2013-14
Less than Six Months	5661	6,248
Six Months to One Year	3492	3,366
One Year to Three years	5058	4,860
Over Three Years	2609	2,664
Total	16820	17,138

अधिनियम की धारा 7 क्यू के अंतर्गत देयों पर अर्जित ब्याज - 31.03.2015 की स्थिति (₹ करोड़ों में)				
क्षेत्र	कुल कार्यभार	वर्ष के दौरान किया गया संग्रहण	संग्रहण का %	31.03.2015 को अंतशेष
देहरादून	11.18	6.51	58.24%	4.67
दिल्ली (उत्तर)	29.51	20.84	70.63%	8.67
दिल्ली (दक्षिण)	67.80	9.48	13.98%	58.32
आ.का. (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	108.49	36.84	33.95%	71.65
चंडीगढ़	8.65	5.60	64.77%	3.05
लुधियाना	9.57	3.06	31.92%	6.52
शिमला	6.55	3.11	47.47%	3.44
आ.का. (पंजाब एवं हि. प्रदेश)	24.77	11.77	47.50%	13.00
कानपुर	48.55	14.06	28.96%	34.49
मेरठ	13.24	4.47	33.76%	8.77
पटना	12.17	3.79	31.17%	8.38
आ.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	73.96	22.32	30.18%	51.63
फरीदाबाद	14.33	4.56	31.83%	9.77
गुडगांव	11.68	8.46	72.42%	3.22
जयपुर	12.03	6.66	55.35%	5.37
आ.का. (हरियाणा एवं राजस्थान)	38.04	19.68	51.73%	18.36
अहमदाबाद	21.11	7.46	35.33%	13.65
बड़ौदा	2.83	2.47	87.29%	0.36
इंदौर	68.69	14.01	20.39%	54.68
सूरत	13.99	4.50	32.20%	9.48
आ.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	106.62	28.44	26.67%	78.18
काठिवली	26.92	8.67	32.23%	18.24
मुंबई-I बांद्रा	25.64	0.78	3.03%	24.87
मुंबई-II थाणे	19.97	9.75	48.85%	10.21
नागपुर	24.51	7.50	30.62%	17.00
पुणे	10.84	6.71	61.92%	4.13
रायपुर	15.98	7.72	48.31%	8.26
आ.का. (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	123.85	41.14	33.22%	82.71
बंगलौर	9.37	4.91	52.36%	4.47
गुलबर्गा	9.25	4.39	47.42%	4.86
मंगलौर	11.40	5.45	47.78%	5.95
पणजी	4.01	2.73	68.00%	1.28
पीण्या	20.31	10.93	53.82%	9.38
आ.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	54.34	28.40	52.26%	25.94
भुवनेश्वर	326.79	10.98	3.36%	315.81
गुड्डूर	27.68	8.54	30.84%	19.14
हैदराबाद	29.47	11.19	37.98%	18.28
निजामाबाद	7.31	3.74	51.19%	3.57
आ.का. (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	391.26	34.46	8.81%	356.80
चेन्नै	34.25	17.30	50.50%	16.95
कोयम्बतूर	37.12	14.30	38.53%	22.82
मद्रै	13.32	5.33	40.03%	7.99
तांवरम	15.84	7.02	44.34%	8.81
तिरुवनंतपुरम	27.00	9.52	35.26%	17.48
आ.का. (तमिलनाडु एवं केरल)	127.52	53.47	41.93%	74.05
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	13.59	5.67	41.71%	7.92
जलपाईगुड़ी	48.54	10.92	22.49%	37.62
कोलकाता	39.17	13.52	34.50%	25.66
रांची	9.73	3.92	40.31%	5.81
आ.का. (प.बं., पू.बं. एवं झारखंड)	111.03	34.02	30.64%	77.01
अखिल भारतीय	1159.88	310.53	26.77%	849.34

APPENDIX A-9

Interest accrued on dues under section 7Q of the Act as on 31.03.2015				(₹ in cr.)
Region	Total Workload	Collection made during the year	% of Collection made	Closing Balance as on 31.03.2015
Dehradun	11.18	6.51	58.24%	4.67
Delhi (North)	29.51	20.84	70.63%	8.67
Delhi (South)	67.80	9.48	13.98%	58.32
ZO (DL & UK)	108.49	36.84	33.95%	71.65
Chandigarh	8.65	5.60	64.77%	3.05
Ludhiana	9.57	3.06	31.92%	6.52
Shimla	6.55	3.11	47.47%	3.44
ZO (PN & HP)	24.77	11.77	47.50%	13.00
Kanpur	48.55	14.06	28.96%	34.49
Meerut	13.24	4.47	33.76%	8.77
Patna	12.17	3.79	31.17%	8.38
ZO (UP & BR)	73.96	22.32	30.18%	51.63
Faridabad	14.33	4.56	31.83%	9.77
Gurgaon	11.68	8.46	72.42%	3.22
Jaipur	12.03	6.66	55.35%	5.37
ZO (HR & RJ)	38.04	19.68	51.73%	18.36
Ahmedabad*	21.11	7.46	35.33%	13.65
Baroda	2.83	2.47	87.29%	0.36
Indore	68.69	14.01	20.39%	54.68
Surat	13.99	4.50	32.20%	9.48
ZO (GJ & MP)	106.62	28.44	26.67%	78.18
Kandivili	26.92	8.67	32.23%	18.24
Mumbai-I Bandra	25.64	0.78	3.03%	24.87
Mumbai-II Thane	19.97	9.75	48.85%	10.21
Nagpur	24.51	7.50	30.62%	17.00
Pune	10.84	6.71	61.92%	4.13
Raipur	15.98	7.72	48.31%	8.26
ZO (MH & CG)	123.85	41.14	33.22%	82.71
Bangalore	9.37	4.91	52.36%	4.47
Gulbarga	9.25	4.39	47.42%	4.86
Mangalore	11.40	5.45	47.78%	5.95
Panaji	4.01	2.73	68.00%	1.28
Peenya	20.31	10.93	53.82%	9.38
ZO (KN & Goa)	54.34	28.40	52.26%	25.94
Bhubaneswar	326.79	10.98	3.36%	315.81
Guntur	27.68	8.54	30.84%	19.14
Hyderabad	29.47	11.19	37.98%	18.28
Nizamabad	7.31	3.74	51.19%	3.57
ZO (AP & OR)	391.26	34.46	8.81%	356.80
Chennai	34.25	17.30	50.50%	16.95
Coimbatore	37.12	14.30	38.53%	22.82
Madurai	13.32	5.33	40.03%	7.99
Tambaram	15.84	7.02	44.34%	8.81
Thiruvananthapuram	27.00	9.52	35.26%	17.48
ZO (TN & KR)	127.52	53.47	41.93%	74.05
Guwahati (NER)	13.59	5.67	41.71%	7.92
Jalpaiguri	48.54	10.92	22.49%	37.62
Kolkata	39.17	13.52	34.50%	25.66
Ranchi	9.73	3.92	40.31%	5.81
ZO (WB, NER & JH)	111.03	34.02	30.64%	77.01
ALL INDIA	1159.88	310.53	26.77%	849.34

धारा 14 बी के अंतर्गत तीनों योजनाओं में लगाई गई नुकसानी (अछूट प्राप्त) 31.03.2015 की स्थिति (₹ करोड़ों में)				
क्षेत्र	कुल कार्यभार	वर्ष के दौरान किया गया संग्रहण	संग्रहण का %	31.03.2015 को अंतशेष
देहरादून	25.60	9.93	38.80%	15.67
दिल्ली (उत्तर)	233.64	23.35	9.99%	210.30
दिल्ली (दक्षिण)	24.24	11.78	48.61%	12.46
आ.का. (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	283.48	45.06	15.90%	238.42
चंडीगढ़	14.93	7.36	49.33%	7.56
लुधियाना	15.73	3.92	24.94%	11.81
शिमला	10.97	4.43	40.40%	6.54
आ.का. (पंजाब एवं हि. प्रदेश)	41.63	15.72	37.76%	25.91
कानपुर	92.49	35.84	38.76%	56.64
मेरठ	20.34	2.43	11.93%	17.91
पटना	18.45	3.87	21.00%	14.58
आ.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	131.27	42.14	32.10%	89.13
फरीदाबाद	29.73	5.94	19.98%	23.79
गुडगांव	19.51	11.94	61.20%	7.57
जयपुर	28.45	9.15	32.15%	19.31
आ.का. (हरियाणा एवं राजस्थान)	77.69	27.03	34.79%	50.67
अहमदाबाद	36.20	9.85	27.21%	26.35
बड़ौदा	3.88	1.79	46.09%	2.09
इंदौर	166.53	19.15	11.50%	147.38
सुरत	16.81	6.22	36.98%	10.60
आ.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	223.42	37.01	16.56%	186.41
काठिवाली	42.88	9.98	23.28%	32.89
मुंबई-I बांद्रा	62.60	1.10	1.75%	61.50
मुंबई-II थाणे	33.82	10.48	31.00%	23.34
नागपुर	49.99	11.04	22.07%	38.96
पुणे	20.92	10.91	52.15%	10.01
रायपुर	30.34	8.07	26.61%	22.27
आ.का. (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	240.55	51.58	21.44%	188.97
बंगलौर	16.76	6.20	36.99%	10.56
गुलबर्गा	18.63	6.94	37.26%	11.69
मंगलौर	22.37	7.05	31.53%	15.32
पणजी	6.36	3.48	54.71%	2.88
पीण्या	38.51	12.83	33.33%	25.67
आ.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	102.63	36.51	35.57%	66.12
भुवनेश्वर	42.34	14.62	34.54%	27.71
गुन्टूर	58.41	12.79	21.89%	45.62
हैदराबाद	55.83	16.97	30.40%	38.86
निजामाबाद	12.07	5.73	47.47%	6.34
आ.का. (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	168.64	50.11	29.71%	118.53
चेन्नै	52.85	21.81	41.27%	31.04
कोयम्बतूर	83.67	24.68	29.50%	58.98
मद्रास	40.96	8.66	21.15%	32.30
ताबरम	37.59	10.05	26.72%	27.55
तिरुवनंतपुरम	80.22	14.26	17.78%	65.96
आ.का. (तमिलनाडु एवं केरल)	295.29	79.47	26.91%	215.82
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	30.65	11.90	38.81%	18.75
जलपाईगुड़ी	39.11	5.39	13.78%	33.72
कोलकाता	88.92	12.86	14.46%	76.06
रांची	8.24	4.52	54.89%	3.72
आ.का. (प.बं., पू.से. एवं झारखंड)	166.92	34.67	20.77%	132.26
बखिल भारतीय	1731.53	419.29	24.22%	1312.24

APPENDIX A-10

Levy of damages U/s 14 B in respect of all three Schemes (Unexempted Sector) as on 31.03.2015 (₹ in cr.)				
Region	Total Workload	Collection made during the year	% of Collection made	Closing Balance as on 31.03.2015
Dehradun	25.60	9.93	38.80%	15.67
Delhi (North)	233.64	23.35	9.99%	210.30
Delhi (South)	24.24	11.78	48.61%	12.46
ZO (DL & UK)	283.48	45.06	15.90%	238.42
Chandigarh	14.93	7.36	49.33%	7.56
Ludhiana	15.73	3.92	24.94%	11.81
Shimla	10.97	4.43	40.40%	6.54
ZO (PN & HP)	41.63	15.72	37.76%	25.91
Kanpur	92.49	35.84	38.76%	56.64
Meerut	20.34	2.43	11.93%	17.91
Patna	18.45	3.87	21.00%	14.58
ZO (UP & BR)	131.27	42.14	32.10%	89.13
Faridabad	29.73	5.94	19.98%	23.79
Gurgaon	19.51	11.94	61.20%	7.57
Jaipur	28.45	9.15	32.15%	19.31
ZO (HR & RJ)	77.69	27.03	34.79%	50.67
Ahmedabad	36.20	9.85	27.21%	26.35
Baroda	3.88	1.79	46.09%	2.09
Indore	166.53	19.15	11.50%	147.38
Surat	16.81	6.22	36.98%	10.60
ZO (GJ & MP)	223.42	37.01	16.56%	186.41
Kandivili	42.88	9.98	23.28%	32.89
Mumbai-I Bandra	62.60	1.10	1.75%	61.50
Mumbai-II Thane	33.82	10.48	31.00%	23.34
Nagpur	49.99	11.04	22.07%	38.96
Pune	20.92	10.91	52.15%	10.01
Raipur	30.34	8.07	26.61%	22.27
ZO (MH & CG)	240.55	51.58	21.44%	188.97
Bangalore	16.76	6.20	36.99%	10.56
Gulbarga	18.63	6.94	37.26%	11.69
Mangalore	22.37	7.05	31.53%	15.32
Panaji	6.36	3.48	54.71%	2.88
Peenya	38.51	12.83	33.33%	25.67
ZO (KN & Goa)	102.63	36.51	35.57%	66.12
Bhubaneshwar	42.34	14.62	34.54%	27.71
Guntur	58.41	12.79	21.89%	45.62
Hyderabad	55.83	16.97	30.40%	38.86
Nizamabad	12.07	5.73	47.47%	6.34
ZO (AP & OR)	168.64	50.11	29.71%	118.53
Chennai	52.85	21.81	41.27%	31.04
Coimbatore	83.67	24.68	29.50%	58.98
Madurai	40.96	8.66	21.15%	32.30
Tambaram	37.59	10.05	26.72%	27.55
Thiruvananthapuram	80.22	14.26	17.78%	65.96
ZO (TN & KR)	295.29	79.47	26.91%	215.82
Guwahati (NER)	30.65	11.90	38.81%	18.75
Jalpaiguri	39.11	5.39	13.78%	33.72
Kolkata	88.92	12.86	14.46%	76.06
Ranchi	8.24	4.52	54.89%	3.72
ZO (WB, NER & JH)	166.92	34.67	20.77%	132.26
All INDIA	1731.53	419.29	24.22%	1312.24

परिशिष्ट ए -11(i)

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अंतर्गत क.भ.नि.देयों हेतु (खाता संख्या 1) राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (अछूट प्राप्त) 31.03.2015 की स्थिति (₹ करोड़ों में)

क्षेत्र	कार्यभार		वसूली		अंतशेष	
	आर.आर.सी की संख्या	राशि	आर.आर.सी की संख्या	राशि	आर.आर.सी की संख्या	राशि
देहरादून	258	20.50	53	2.78	205	17.72
दिल्ली (उत्तर)	556	166.75	200	1.81	356	164.94
दिल्ली (दक्षिण)	316	112.36	82	2.61	234	109.75
आं.का. (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	1130	299.61	335	7.20	795	292.41
चंडीगढ़	3711	53.24	681	2.01	3030	51.23
पुडुचेरी	1689	15.81	270	1.40	1419	14.41
शिमला	144	1.44	34	0.26	110	1.19
आं.का. (पंजाब एवं हि. प्रदेश)	5544	70.49	985	3.67	4559	66.82
कानपुर	2641	140.94	388	30.61	2253	110.32
मेरठ	3372	24.26	100	2.95	3272	21.32
पटना	1355	16.23	39	0.37	1316	15.86
आं.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	7368	181.43	527	33.93	6841	147.50
फरीदाबाद	1148	25.04	112	0.64	1036	24.39
गुडगांव	866	13.33	119	3.78	747	9.55
जयपुर	1334	81.53	314	0.94	1020	80.59
आं.का. (हरियाणा एवं राज.)	3348	119.90	545	5.37	2803	114.54
अहमदाबाद	776	24.18	236	1.81	540	22.38
वडोदा	133	7.84	21	1.41	112	6.43
इंदौर	1621	177.10	387	8.39	1234	168.71
सुरत	1035	28.39	252	1.02	783	27.37
आं.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	3565	237.51	896	12.63	2669	224.88
काठिवली	1234	77.99	428	4.50	806	73.49
मुंबई-I बांद्रा	811	97.23	57	1.13	754	96.10
मुंबई-II थाणे	211	18.90	40	0.55	171	18.35
नागपुर	1440	81.54	176	5.97	1264	75.57
पुणे	1398	55.92	127	3.94	1271	51.98
रायपुर	687	21.32	232	3.49	455	17.84
आं.का. (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	5781	352.91	1060	19.58	4721	333.33
बंगलूर	595	56.95	97	3.48	498	53.47
गुलबर्गा	864	19.99	319	2.81	545	17.18
मंगलूर	987	34.80	437	2.08	550	32.72
पणजी	212	3.38	36	0.88	176	2.50
पीण्या	892	70.77	199	14.12	693	56.65
आं.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	3550	185.89	1088	23.37	2462	162.52
भुवनेश्वर	2009	63.22	190	3.59	1819	59.63
गुडूर	5395	49.82	579	4.20	4816	45.62
हैदराबाद	3299	73.39	278	5.24	3021	68.15
निजामाबाद	1909	10.61	342	1.71	1567	8.90
आं.का. (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	12612	197.04	1389	14.74	11223	182.30
चेन्नै	7432	50.88	1459	3.21	5973	47.68
कोयम्बतूर	3450	74.79	501	9.58	2949	65.21
मडुरै	2503	34.36	1033	5.26	1470	29.10
तांवरम	1823	42.06	572	5.76	1251	36.30
तिरुवनंतपुरम	5008	153.89	1536	16.25	3472	137.65
आं.का. (तमिलनाडु एवं केरल)	20216	355.98	5101	40.05	15115	315.93
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	431	20.67	108	5.56	323	15.12
जलपाईगुड़ी	417	42.59	75	12.06	342	30.53
कोलकाता	1520	204.10	294	7.84	1226	196.26
रांची	488	123.93	35	1.50	453	122.43
आ.का. (प.चं., पू.के. एवं झारखंड)	2856	391.29	512	26.95	2344	364.34
अखिल भारतीय	65970	2392.07	12438	187.50	53532	2204.57

परिशिष्ट ए -11 (ii)

APPENDIX A-11(i)
**Recovery Certificates in respect of (A/c No.1) under Employees' Provident Fund Scheme, 1952
(Unexempted Sector) as on 31.03.2015**
(₹ in cr.)

Region	Workload		Realised		Closing Balance	
	No.of RRC	Amount	No.of RRC	Amount	No.of RRC	Amount
Dehradun	258	20.50	53	2.78	205	17.72
Delhi (North)	556	166.75	200	1.81	356	164.94
Delhi (South)	316	112.36	82	2.61	234	109.75
ZO (DL & UK)	1130	299.61	335	7.20	795	292.41
Chandigarh	3711	53.24	681	2.01	3030	51.23
Ludhiana	1689	15.81	270	1.40	1419	14.41
Shimla	144	1.44	34	0.26	110	1.19
ZO (PN & HP)	5544	70.49	985	3.67	4559	66.82
Kanpur	2641	140.94	388	30.61	2253	110.32
Meerut	3372	24.26	100	2.95	3272	21.32
Patna	1355	16.23	39	0.37	1316	15.86
ZO (UP & BR)	7368	181.43	527	33.93	6841	147.50
Faridabad	1148	25.04	112	0.64	1036	24.39
Gurgaon	866	13.33	119	3.78	747	9.55
Jaipur	1334	81.53	314	0.94	1020	80.59
ZO (HR & RJ)	3348	119.90	545	5.37	2803	114.54
Ahmedabad	776	24.18	236	1.81	540	22.38
Baroda	133	7.84	21	1.41	112	6.43
Indore	1621	177.10	387	8.39	1234	168.71
Surat	1035	28.39	252	1.02	783	27.37
ZO (GJ & MP)	3565	237.51	896	12.63	2669	224.88
Kandivili	1234	77.99	428	4.50	806	73.49
Mumbai-I Bandra	811	97.23	57	1.13	754	96.10
Mumbai-II Thane	211	18.90	40	0.55	171	18.35
Nagpur	1440	81.54	176	5.97	1264	75.57
Pune	1398	55.92	127	3.94	1271	51.98
Raipur	687	21.32	232	3.49	455	17.84
ZO (MH & CG)	5781	352.91	1060	19.58	4721	333.33
Bangalore	595	56.95	97	3.48	498	53.47
Gulbarga	864	19.99	319	2.81	545	17.18
Mangalore	987	34.80	437	2.08	550	32.72
Panaji	212	3.38	36	0.88	176	2.50
Peenya	892	70.77	199	14.12	693	56.65
ZO (KN & Goa)	3550	185.89	1088	23.37	2462	162.52
Bhubaneshwar	2009	63.22	190	3.59	1819	59.63
Guntur	5395	49.82	579	4.20	4816	45.62
Hyderabad	3299	73.39	278	5.24	3021	68.15
Nizamabad	1909	10.61	342	1.71	1567	8.90
ZO (AP & OR)	12612	197.04	1389	14.74	11223	182.30
Chennai	7432	50.88	1459	3.21	5973	47.68
Coimbatore	3450	74.79	501	9.58	2949	65.21
Madurai	2503	34.36	1033	5.26	1470	29.10
Tambaram	1823	42.06	572	5.76	1251	36.30
Thiruvananthapuram	5008	153.89	1536	16.25	3472	137.65
ZO (TN & KR)	20216	355.98	5101	40.05	15115	315.93
Guwahati (NER)	431	20.67	108	5.56	323	15.12
Jalpaiguri	417	42.59	75	12.06	342	30.53
Kolkata	1520	204.10	294	7.84	1226	196.26
Ranchi	488	123.93	35	1.50	453	122.43
ZO (WB, NER & JH)	2856	391.29	512	26.95	2344	364.34
All INDIA	65970	2392.07	12438	187.50	53532	2204.57

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत (खाता संख्या 10) राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (अच्छूट प्राप्त) 31.03.2015 की स्थिति

(₹ करोड़ों में.)

क्षेत्र	कार्यभार		वसूली		अंतशेष	
	आर.आर.सी की संख्या	राशि	आर.आर.सी की संख्या	राशि	आर.आर.सी की संख्या	राशि
देहरादून	263	13.73	57	3.23	206	10.50
दिल्ली (उत्तर)	0	88.64	0	0.96	0	87.68
दिल्ली (दक्षिण)	0	67.23	0	0.34	0	66.89
आ.का. (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	263	169.61	57	4.54	206	165.07
चंडीगढ़	3595	24.96	673	1.00	2922	23.96
लुधियाना	1834	8.53	239	0.79	1595	7.75
शिमला	143	2.18	34	0.15	109	2.03
आ.का. (पंजाब एवं हि. प्रदेश)	5572	35.67	946	1.93	4626	33.73
कानपुर	0	74.92	0	16.27	0	58.65
मेरठ	0	13.08	0	0.89	0	12.18
पटना	0	12.26	0	0.18	0	12.08
आ.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	0	100.26	0	17.35	0	82.91
फरीदाबाद	0	18.35	0	0.27	0	18.07
गुडगांव	0	7.09	0	2.01	0	5.08
जयपुर	1300	10.17	305	0.60	995	9.57
आ.का. (हरियाणा एवं राज.)	1300	35.60	305	2.88	995	32.72
अहमदाबाद	809	24.78	181	0.83	628	23.95
वडोदा	0	3.43	0	0.53	0	2.90
इंदौर	1669	108.16	385	5.57	1284	102.59
सुरत	0	15.75	0	0.56	0	15.19
आ.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	2478	152.11	566	7.49	1912	144.62
कांदिवाली	0	33.73	0	2.41	0	31.32
मुंबई-I वांद्रा	0	42.64	0	0.46	0	42.18
मुंबई-II वाणे	215	12.95	40	2.29	175	10.66
नागपुर	0	43.16	0	3.61	0	39.55
पुणे	0	32.19	0	2.52	0	29.67
रायपुर	0	11.27	0	1.76	0	9.51
आ.का. (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	215	175.94	40	13.04	175	162.90
बंगलौर	0	34.59	0	2.27	0	32.33
गुलबर्गा	687	11.62	319	2.86	368	8.75
मंगलौर	0	13.65	0	1.05	0	12.60
पणजी	212	1.90	30	0.39	182	1.52
पीण्या	893	26.82	197	5.46	696	21.36
आ.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	1792	88.58	546	12.02	1246	76.56
भुवनेश्वर	2023	48.29	190	1.91	1833	46.38
गुडूर	0	29.28	0	2.25	0	27.03
हैदराबाद	3317	34.44	264	2.66	3053	31.78
निजामाबाद	1909	5.39	342	0.96	1567	4.44
आ.का. (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	7249	117.40	796	7.77	6453	109.63
चेन्नै	0	29.40	0	1.36	0	28.04
कोयम्बतूर	0	48.12	0	5.52	0	42.60
मद्रै	2585	21.98	1022	3.64	1563	18.34
तांवरम	1842	21.90	624	2.73	1218	19.17
तिरुवनंतपुरम	5059	77.63	1601	5.55	3458	72.08
आ.का. (तमिलनाडु एवं केरल)	9486	199.03	3247	18.81	6239	180.23
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	431	9.35	108	2.57	323	6.78
जलपाईगुड़ी	410	46.18	75	8.67	335	37.52
कोलकाता	1091	53.23	216	3.67	875	49.56
रांची	479	16.00	37	0.29	442	15.72
आ.का. (प.बं., पू.के. एवं झारखंड)	2411	124.77	436	15.19	1975	109.57
अखिल भारतीय	30766	1198.97	6939	101.01	23827	1097.96

APPENDIX A-11 (ii)

**Recovery Certificates in respect of (A/c No.10) under Employees' Pension Scheme, 1995
(Unexempted Sector) as on 31.03.2015
(₹ in cr.)**

Region	Workload		Realised		Closing Balance	
	No.of RRC	Amount	No.of RRC	Amount	No.of RRC	Amount
Dehradun	263	13.73	57	3.23	206	10.50
Delhi (North)	0	88.64	0	0.96	0	87.68
Delhi (South)	0	67.23	0	0.34	0	66.89
ZO (DL & UK)	263	169.61	57	4.54	206	165.07
Chandigarh	3595	24.96	673	1.00	2922	23.96
Ludhiana	1834	8.53	239	0.79	1595	7.75
Shimla	143	2.18	34	0.15	109	2.03
ZO (PN & HP)	5572	35.67	946	1.93	4626	33.73
Kanpur	0	74.92	0	16.27	0	58.65
Meerut	0	13.08	0	0.89	0	12.18
Patna	0	12.26	0	0.18	0	12.08
ZO (UP & BR)	0	100.26	0	17.35	0	82.91
Faridabad	0	18.35	0	0.27	0	18.07
Gurgaon	0	7.09	0	2.01	0	5.08
Jaipur	1300	10.17	305	0.60	995	9.57
ZO (HR & RJ)	1300	35.60	305	2.88	995	32.72
Ahmedabad	809	24.78	181	0.83	628	23.95
Baroda	0	3.43	0	0.53	0	2.90
Indore	1669	108.16	385	5.57	1284	102.59
Surat	0	15.75	0	0.56	0	15.19
ZO (GJ & MP)	2478	152.11	566	7.49	1912	144.62
Kandivili	0	33.73	0	2.41	0	31.32
Mumbai-I Bandra	0	42.64	0	0.46	0	42.18
Mumbai-II Thane	215	12.95	40	2.29	175	10.66
Nagpur	0	43.16	0	3.61	0	39.55
Pune	0	32.19	0	2.52	0	29.67
Raipur	0	11.27	0	1.76	0	9.51
ZO (MH & CG)	215	175.94	40	13.04	175	162.90
Bangalore	0	34.59	0	2.27	0	32.33
Gulbarga	687	11.62	319	2.86	368	8.75
Mangalore	0	13.65	0	1.05	0	12.60
Panaji	212	1.90	30	0.39	182	1.52
Peenya	893	26.82	197	5.46	696	21.36
ZO (KN & Goa)	1792	88.58	546	12.02	1246	76.56
Bhubaneshwar	2023	48.29	190	1.91	1833	46.38
Guntur	0	29.28	0	2.25	0	27.03
Hyderabad	3317	34.44	264	2.66	3053	31.78
Nizamabad	1909	5.39	342	0.96	1567	4.44
ZO (AP & OR)	7249	117.40	796	7.77	6453	109.63
Chennai	0	29.40	0	1.36	0	28.04
Coimbatore	0	48.12	0	5.52	0	42.60
Madurai	2585	21.98	1022	3.64	1563	18.34
Tambaram	1842	21.90	624	2.73	1218	19.17
Thiruvananthapuram	5059	77.63	1601	5.55	3458	72.08
ZO (TN & KR)	9486	199.03	3247	18.81	6239	180.23
Guwahati (NER)	431	9.35	108	2.57	323	6.78
Jalpaiguri	410	46.18	75	8.67	335	37.52
Kolkata	1091	53.23	216	3.67	875	49.56
Ranchi	479	16.00	37	0.29	442	15.72
ZO (WB, NER & JH)	2411	124.77	436	15.19	1975	109.57
All INDIA	30766	1198.97	6939	101.01	23827	1097.96

परिशिष्ट ए -11 (iii)

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 के अंतर्गत (खाता संख्या 21) राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (अछूट प्राप्त) 31.03.2015 की स्थिति
(₹ करोड़ों में.)

क्षेत्र	कार्यभार		वसूली		अंतशेष	
	आर.आर.सी की संख्या	राशि	आर.आर.सी की संख्या	राशि	आर.आर.सी की संख्या	राशि
देहरादून	259	1.46	52	0.08	207	1.38
दिल्ली (उत्तर)	0	5.32	0	0.06	0	5.26
दिल्ली (दक्षिण)	0	0.98	0	0.02	0	0.96
आं.का. (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	259	7.76	52	0.16	207	7.60
चंडीगढ़	3190	5.60	658	0.07	2532	4.99
लुधियाना	1718	0.47	227	0.09	1491	0.38
शिमला	143	0.07	34	0.01	109	0.06
आं.का. (पंजाब एवं हि. प्रदेश)	5051	5.60	919	0.17	4132	5.43
कानपुर	0	4.50	0	0.98	0	3.52
मेरठ	0	0.91	0	0.08	0	0.83
पटना	0	0.61	0	0.01	0	0.60
आं.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	0	6.02	0	1.07	0	4.94
फरीदाबाद	0	1.48	0	0.04	0	1.43
गुडगांव	0	0.43	0	0.12	0	0.30
जयपुर	1123	0.57	298	0.03	825	0.54
आं.का. (हरियाणा एवं राज.)	1123	2.47	298	0.20	825	2.28
अहमदाबाद	787	1.50	170	0.20	617	1.30
बड़ौदा	0	0.52	0	0.18	0	0.34
इंदौर	1522	6.95	352	0.30	1170	6.65
सुरत	0	1.97	0	0.20	0	1.77
आं.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	2309	10.95	522	0.89	1787	10.06
कांदिवाली	0	13.40	0	0.21	0	13.19
मुंबई-I बांद्रा	0	2.11	0	0.03	0	2.08
मुंबई-II धाणे	237	0.95	40	0.47	197	0.48
नागपुर	0	5.91	0	0.38	0	5.17
पुणे	0	1.46	0	0.18	0	1.28
रायपुर	0	1.35	0	0.11	0	1.24
आं.का. (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	237	25.18	40	1.39	197	23.43
बंगलूर	0	2.64	0	0.09	0	2.55
गुलबर्गा	769	0.81	319	0.08	450	0.73
मंगलूर	0	1.06	0	0.07	0	0.99
पणजी	152	0.13	28	0.02	124	0.10
पीण्या	889	0.85	197	0.22	692	0.63
आं.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	1810	5.49	544	0.49	1266	5.00
भुवनेश्वर	1977	3.31	190	0.11	1787	3.20
गुन्डूर	0	1.99	0	0.18	0	1.82
हैदराबाद	3361	2.62	264	0.15	3097	2.47
निजामाबाद	2003	0.39	342	0.06	1661	0.32
आं.का. (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	7341	8.31	796	0.51	6545	7.81
चेन्नै	0	1.52	0	0.08	0	1.43
कोयम्बतूर	0	3.55	0	0.29	0	3.25
मद्रै	2542	1.08	1019	0.10	1523	0.99
तांवरम	1809	2.56	564	0.14	1245	2.41
तिरुवनंतपुरम	4991	4.77	1654	0.57	3337	4.20
आं.का. (तमिलनाडु एवं केरल)	9342	13.47	3237	1.18	6105	12.29
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	431	1.65	108	0.16	323	1.49
जलपाईगुड़ी	414	3.62	76	0.44	338	3.18
कोलकाता	966	4.01	191	0.29	775	3.72
रांची	479	1.10	35	0.06	444	1.04
आ.का. (प.बं., पू.से. एवं झारखंड)	2290	10.38	410	0.96	1880	9.43
अखिल भारतीय	29762	95.64	6818	7.02	22944	88.62

APPENDIX A-11 (iii)

Recovery Certificates in respect of (A/c No.21) under Employees Deposit Linked Insurance Scheme-1976 (Unexempted Sector) as on 31.03.2015						
Region	Workload		Realised		Closing Balance	
	No.of RRC	Amount	No.of RRC	Amount	No.of RRC	Amount
Dehradun	259	1.46	52	0.08	207	1.38
Delhi (North)	0	5.32	0	0.06	0	5.26
Delhi (South)	0	0.98	0	0.02	0	0.96
ZO (DL & UK)	259	7.76	52	0.16	207	7.60
Chandigarh	3190	5.06	658	0.07	2532	4.99
Ludhiana	1718	0.47	227	0.09	1491	0.38
Shimla	143	0.07	34	0.01	109	0.06
ZO (PN & HP)	5051	5.60	919	0.17	4132	5.43
Kanpur	0	4.50	0	0.98	0	3.52
Meerut	0	0.91	0	0.08	0	0.83
Patna	0	0.61	0	0.01	0	0.60
ZO (UP & BR)	0	6.02	0	1.07	0	4.94
Faridabad	0	1.48	0	0.04	0	1.43
Gurgaon	0	0.43	0	0.12	0	0.30
Jaipur	1123	0.57	298	0.03	825	0.54
ZO (HR & RJ)	1123	2.47	298	0.20	825	2.28
Ahmedabad	787	1.50	170	0.20	617	1.30
Baroda	0	0.52	0	0.18	0	0.34
Indore	1522	6.95	352	0.30	1170	6.65
Surat	0	1.97	0	0.20	0	1.77
ZO (GJ & MP)	2309	10.95	522	0.89	1787	10.06
Kandivili	0	13.40	0	0.21	0	13.19
Mumbai-I Bandra	0	2.11	0	0.03	0	2.08
Mumbai-II Thane	237	0.95	40	0.47	197	0.48
Nagpur	0	5.91	0	0.38	0	5.53
Pune	0	1.46	0	0.18	0	1.28
Raipur	0	1.35	0	0.11	0	1.24
ZO (MH & CG)	237	25.18	40	1.39	197	23.79
Bangalore	0	2.64	0	0.09	0	2.55
Gulbarga	769	0.81	319	0.08	450	0.73
Mangalore	0	1.06	0	0.07	0	0.99
Panaji	152	0.13	28	0.02	124	0.10
Peenya	889	0.85	197	0.22	692	0.63
ZO (KN & Goa)	1810	5.49	544	0.49	1266	5.00
Bhubaneswar	1977	3.31	190	0.11	1787	3.20
Guntur	0	1.99	0	0.18	0	1.82
Hyderabad	3361	2.62	264	0.15	3097	2.47
Nizamabad	2003	0.39	342	0.06	1661	0.32
ZO (AP & OR)	7341	8.31	796	0.51	6545	7.81
Chennai	0	1.52	0	0.08	0	1.43
Coimbatore	0	3.55	0	0.29	0	3.25
Madurai	2542	1.08	1019	0.10	1523	0.99
Tambaram	1809	2.56	564	0.14	1245	2.41
Thiruvananthapuram	4991	4.77	1654	0.57	3337	4.20
ZO (TN & KR)	9342	13.47	3237	1.18	6105	12.29
Guwahati (NER)	431	1.65	108	0.16	323	1.49
Jalpaiguri	414	3.62	76	0.44	338	3.18
Kolkata	966	4.01	191	0.29	775	3.72
Ranchi	479	1.10	35	0.06	444	1.04
ZO (WB, NER & JH)	2290	10.38	410	0.96	1880	9.43
All INDIA	29762	95.64	6818	7.02	22944	88.62

अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत अभियोजन मामले (अछूत प्राप्त क्षेत्र) - 31.03.2015 की स्थिति (क.भ.नि. योजना)

क्षेत्र	निपटान हेतु कार्यभार	निर्णीत मामले						वर्ष के अंत में लंबित मामले
		दोषसिद्ध	दोषमुक्त	बर्खास्त	चेतावनी	वापिस लिए गए	कुल निर्णीत मामले	
देहरादून	6	0	0	0	0	0	0	6
दिल्ली (उत्तर)	508	0	0	0	0	0	0	508
दिल्ली (दक्षिण)	412	0	53	0	0	0	53	359
आं.का. (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	926	0	53	0	0	0	53	873
चंडीगढ़	521	14	2	0	0	0	16	505
लुधियाना	483	157	0	10	0	1	168	315
शिमला	73	0	0	0	0	0	0	73
आं.का. (पंजाब एवं हि. प्रदेश)	1077	171	2	10	0	1	184	893
कानपुर	420	0	0	0	0	0	0	420
मेरठ	55	0	0	0	0	0	0	55
पटना	1230	0	0	0	0	0	0	1230
आं.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	1705	0	0	0	0	0	0	1705
फरीदाबाद	310	0	0	0	0	0	0	310
गुडगांव	292	0	0	6	0	0	6	286
जयपुर	157	13	0	0	0	0	13	144
आं.का. (हरियाणा एवं राज.)	759	13	0	6	0	0	19	740
अहमदाबाद	1388	0	0	0	0	0	0	1388
बड़ौदा	371	0	0	0	0	0	0	371
इंदौर	1458	0	0	0	0	0	0	1458
सूरत	481	0	0	0	0	0	0	481
आं.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	3698	0	0	0	0	0	0	3698
कांदिवली	526	0	57	6	0	0	63	463
मुंबई-I वांदा	1232	0	0	6	0	2	8	1224
मुंबई-II थाणे	664	0	0	0	0	0	0	664
नागपुर	294	0	0	0	0	0	0	294
पुणे	3172	0	0	0	0	0	0	3172
रायपुर	526	0	0	0	0	0	0	526
आं.का. (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	6414	0	57	12	0	2	71	6343
बंगलौर	559	14	0	0	0	0	14	545
गुलबर्गा	574	0	0	0	0	0	0	574
मंगलौर	826	244	0	11	0	0	255	571
पणजी	99	24	0	0	0	0	24	75
पीप्या	329	35	0	0	0	0	35	294
आं.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	2387	317	0	11	0	0	328	2059
भुवनेश्वर	1073	0	0	0	0	0	0	1073
गुन्टूर	577	19	0	20	0	62	101	476
हैदराबाद	2568	0	0	0	0	0	0	2568
निजामाबाद	280	0	0	0	0	0	0	280
आं.का. (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	4498	19	0	20	0	62	101	4397
चेन्नै	284	0	0	0	0	0	0	284
कोयम्बतूर	364	0	0	0	0	0	0	364
मद्रै	496	0	0	0	0	0	0	496
तांवरम	253	14	0	0	0	0	14	239
तिरुवनंतपुरम	1296	375	5	0	0	54	434	862
आं.का. (तमिलनाडु एवं केरल)	2693	389	5	0	0	54	448	2245
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	703	0	0	25	0	0	25	678
जलपाईगुड़ी	760	3	0	0	0	0	3	757
कोलकाता	2103	0	0	0	0	0	0	2103
रांची	823	0	0	0	0	0	0	823
आ.का. (प.बं., पू.से. एवं झारखंड)	4389	3	0	25	0	0	28	4361
अखिल भारतीय	28546	912	117	84	0	119	1232	27314

APPENDIX A-12 (i)

Prosecution Cases under section 14 of the Act (Unexempted Sector) as on 31.03.2015 (EPF Scheme)								
Region	Workload for disposal	Cases Decided						Total pendency
		Convicted	Acquitted	Discharged	Admonished	Withdrawn	Total cases decided	
Dehradun	6	0	0	0	0	0	0	6
Delhi (North)	508	0	0	0	0	0	0	508
Delhi (South)	412	0	53	0	0	0	53	359
ZO (DL & UK)	926	0	53	0	0	0	53	873
Chandigarh	521	14	2	0	0	0	16	505
Ludhiana	483	157	0	10	0	1	168	315
Shimla	73	0	0	0	0	0	0	73
ZO (PN & HP)	1077	171	2	10	0	1	184	893
Kanpur	420	0	0	0	0	0	0	420
Meerut	55	0	0	0	0	0	0	55
Patna	1230	0	0	0	0	0	0	1230
ZO (UP & BR)	1705	0	0	0	0	0	0	1705
Faridabad	310	0	0	0	0	0	0	310
Gurgaon	292	0	0	6	0	0	6	286
Jaipur	157	13	0	0	0	0	13	144
ZO (HR & RJ)	759	13	0	6	0	0	19	740
Ahmedabad	1388	0	0	0	0	0	0	1388
Baroda	371	0	0	0	0	0	0	371
Indore	1458	0	0	0	0	0	0	1458
Surat	481	0	0	0	0	0	0	481
ZO (GJ & MP)	3698	0	0	0	0	0	0	3698
Kandivili	526	0	57	6	0	0	63	463
Mumbai-I Bandra	1232	0	0	6	0	2	8	1224
Mumbai-II Thane	664	0	0	0	0	0	0	664
Nagpur	294	0	0	0	0	0	0	294
Pune	3172	0	0	0	0	0	0	3172
Raipur	526	0	0	0	0	0	0	526
ZO (MH & CG)	6414	0	57	12	0	2	71	6343
Bangalore	559	14	0	0	0	0	14	545
Gulbarga	574	0	0	0	0	0	0	574
Mangalore	826	244	0	11	0	0	255	571
Panaji	99	24	0	0	0	0	24	75
Peenya	329	35	0	0	0	0	35	294
ZO (KN & Goa)	2387	317	0	11	0	0	328	2059
Bhubaneshwar	1073	0	0	0	0	0	0	1073
Guntur	577	19	0	20	0	62	101	476
Hyderabad	2568	0	0	0	0	0	0	2568
Nizamabad	280	0	0	0	0	0	0	280
ZO (AP & OR)	4498	19	0	20	0	62	101	4397
Chennai	284	0	0	0	0	0	0	284
Coimbatore	364	0	0	0	0	0	0	364
Madurai	496	0	0	0	0	0	0	496
Tambaram	253	14	0	0	0	0	14	239
Thiruvananthapuram	1296	375	5	0	0	54	434	862
ZO (TN & KR)	2693	389	5	0	0	54	448	2245
Guwahati (NER)	703	0	0	25	0	0	25	678
Jalpaiguri	760	3	0	0	0	0	3	757
Kolkata	2103	0	0	0	0	0	0	2103
Ranchi	823	0	0	0	0	0	0	823
ZO (WB, NER & JH)	4389	3	0	25	0	0	28	4361
All INDIA	28546	912	117	84	0	119	1232	27314

अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत अभियोजन मामले (अछूट प्राप्त क्षेत्र) - 31.03.2015 की स्थिति (पेंशन योजना)								
क्षेत्र	निपटान हेतु कार्यभार	निर्णीत मामले						वर्ष के अंत में लंबित मामले
		दोषसिद्ध	दोषमुक्त	बर्खास्त	चेतावनी	वापिस लिए गए	कुल निर्णीत मामले	
देहरादून	6	0	0	0	0	0	0	6
दिल्ली (उत्तर)	360	0	0	0	0	0	0	360
दिल्ली (दक्षिण)	217	0	0	0	0	0	0	217
आ.का. (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	583	0	0	0	0	0	0	583
चंडीगढ़	323	8	0	0	0	0	8	315
लुधियाना	114	46	0	9	0	1	56	58
शिमला	68	0	0	0	0	0	0	68
आ.का. (पंजाब एवं हि. प्रदेश)	505	54	0	9	0	1	64	441
कानपुर	48	0	0	0	0	0	0	48
मेरठ	55	0	0	0	0	0	0	55
पटना	988	0	0	0	0	0	0	988
आ.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	1091	0	0	0	0	0	0	1091
फरीदाबाद	275	0	0	0	0	0	0	275
गुडगांव	231	0	0	6	0	0	6	225
जयपुर	83	0	0	0	0	0	0	83
आ.का.(हरियाणा एवं राज.)	589	0	0	6	0	0	6	583
अहमदाबाद	248	0	0	0	0	0	0	248
बड़ौदा	190	0	0	0	0	0	0	190
इंदौर	1073	0	0	0	0	0	0	1073
सुरत	171	0	0	0	0	0	0	171
आ.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	1682	0	0	0	0	0	0	1682
कांदिवली	77	0	0	0	0	0	0	77
मुंबई-I वांछा	311	0	0	1	0	2	3	308
मुंबई-II थाणे	664	0	0	0	0	0	0	664
नागपुर	171	0	0	0	0	0	0	171
पुणे	3173	0	0	0	0	0	0	3173
रायपुर	286	0	0	0	0	0	0	286
आ.का. (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	4682	0	0	1	0	2	3	4679
बंगलूर	496	11	0	0	0	0	11	485
गुलबर्गा	387	0	0	0	0	0	0	387
मंगलूर	358	179	0	2	0	0	181	177
पणजी	141	26	0	0	0	0	26	115
पीणया	312	35	0	0	0	0	35	277
आ.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	1694	251	0	2	0	0	253	1441
भुवनेश्वर	519	0	0	0	0	0	0	519
गुन्डूर	487	18	0	19	0	51	88	399
हैदराबाद	2342	0	0	0	0	0	0	2342
निजामाबाद	257	0	0	0	0	0	0	257
आ.का. (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	3605	18	0	19	0	51	88	3517
चेन्नै	247	0	0	0	0	0	0	247
कोयंबतूर	33	0	0	0	0	0	0	33
मदुरै	340	0	0	0	0	0	0	340
तांवरम	240	13	0	0	0	0	13	227
तिरुवनंतपुरम	839	109	5	0	0	54	168	671
आ.का. (तमिलनाडु एवं केरल)	1699	122	5	0	0	54	181	1518
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	528	0	0	25	0	0	25	503
जलपाईगुड़ी	760	3	0	0	0	0	3	757
कोलकाता	841	0	0	0	0	0	0	841
रांची	821	0	0	0	0	0	0	821
आ.का.(प.बं., पू.से. एवं झारखंड)	2950	3	0	25	0	0	28	2922
अखिल भारतीय	19080	448	5	62	0	108	623	18457

APPENDIX A-12 (ii)

Prosecution Cases under section 14 of the Act (Unexempted Sector) as on 31.03.2015 (Pension Scheme)								
Region	Workload for disposal	Cases Decided						Total pendency
		Convicted	Acquitted	Discharged	Admonished	Withdrawn	Total cases decided	
Dehradun	6	0	0	0	0	0	0	6
Delhi (North)	360	0	0	0	0	0	0	360
Delhi (South)	217	0	0	0	0	0	0	217
ZO (DL & UK)	583	0	0	0	0	0	0	583
Chandigarh	323	8	0	0	0	0	8	315
Ludhiana	114	46	0	9	0	1	56	58
Shimla	68	0	0	0	0	0	0	68
ZO (PN & HP)	505	54	0	9	0	1	64	441
Kanpur	48	0	0	0	0	0	0	48
Meerut	55	0	0	0	0	0	0	55
Patna	988	0	0	0	0	0	0	988
ZO (UP & BR)	1091	0	0	0	0	0	0	1091
Faridabad	275	0	0	0	0	0	0	275
Gurgaon	231	0	0	6	0	0	6	225
Jaipur	83	0	0	0	0	0	0	83
ZO (HR & RJ)	589	0	0	6	0	0	6	583
Ahmedabad	248	0	0	0	0	0	0	248
Baroda	190	0	0	0	0	0	0	190
Indore	1073	0	0	0	0	0	0	1073
Surat	171	0	0	0	0	0	0	171
ZO (GJ & MP)	1682	0	0	0	0	0	0	1682
Kandivili	77	0	0	0	0	0	0	77
Mumbai-I Bandra	311	0	0	1	0	2	3	308
Mumbai-II Thane	664	0	0	0	0	0	0	664
Nagpur	171	0	0	0	0	0	0	171
Pune	3173	0	0	0	0	0	0	3173
Raipur	286	0	0	0	0	0	0	286
ZO (MH & CG)	4682	0	0	1	0	2	3	4679
Bangalore	496	11	0	0	0	0	11	485
Gulbarga	387	0	0	0	0	0	0	387
Mangalore	358	179	0	2	0	0	181	177
Panaji	141	26	0	0	0	0	26	115
Peenya	312	35	0	0	0	0	35	277
ZO (KN & Goa)	1694	251	0	2	0	0	253	1441
Bhubaneswar	519	0	0	0	0	0	0	519
Guntur	487	18	0	19	0	51	88	399
Hyderabad	2342	0	0	0	0	0	0	2342
Nizamabad	257	0	0	0	0	0	0	257
ZO (AP & OR)	3605	18	0	19	0	51	88	3517
Chennai	247	0	0	0	0	0	0	247
Coimbatore	33	0	0	0	0	0	0	33
Madurai	340	0	0	0	0	0	0	340
Tambaram	240	13	0	0	0	0	13	227
Thiruvananthapuram	839	109	5	0	0	54	168	671
ZO (TN & KR)	1699	122	5	0	0	54	181	1518
Guwahati (NER)	528	0	0	25	0	0	25	503
Jalpaiguri	760	3	0	0	0	0	3	757
Kolkata	841	0	0	0	0	0	0	841
Ranchi	821	0	0	0	0	0	0	821
ZO (WB, NER & JH)	2950	3	0	25	0	0	28	2922
All INDIA	19080	448	5	62	0	108	623	18457

अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत अभियोजन मामले (अछूट प्राप्त क्षेत्र) - 31.03.2015 की स्थिति (क.नि.स.बी.यो.)

क्षेत्र	निपटान हेतु कार्यभार	निर्णीत मामले						वर्ष के अंत में लंबित मामले
		दोषसिद्ध	दोषमुक्त	बर्खास्त	चेतावनी	वापिस लिए गए	कुल निर्णीत मामले	
देहरादून	6	0	0	0	0	0	0	6
दिल्ली (उत्तर)	260	0	0	0	0	0	0	260
दिल्ली (दक्षिण)	268	0	0	0	0	0	0	268
आं.का. (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	534	0	0	0	0	0	0	534
बंड़ीगढ़	383	6	0	0	0	0	6	377
बुधियाणा	164	92	0	13	0	1	106	58
शिमला	69	0	0	0	0	0	0	69
आं.का. (पंजाब एवं हि. प्रदेश)	616	98	0	13	0	1	112	504
कानपुर	43	0	0	0	0	0	0	43
मेरठ	55	0	0	0	0	0	0	55
पटना	988	0	0	0	0	0	0	988
आं.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	1086	0	0	0	0	0	0	1086
फरीदाबाद	267	0	0	0	0	0	0	267
गुडगांव	212	0	0	4	0	0	4	208
जयपुर	43	0	0	0	0	0	0	43
आं.का. (हरियाणा एवं राज.)	522	0	0	4	0	0	4	518
अहमदाबाद	239	0	0	0	0	0	0	239
बड़ौदा	270	0	0	0	0	0	0	270
इंदौर	1441	0	0	0	0	0	0	1441
मुरत	177	0	0	0	0	0	0	177
आं.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	2127	0	0	0	0	0	0	2127
कांदिवली	76	0	0	0	0	0	0	76
मुंबई-I बांद्रा	351	0	0	1	0	2	3	348
मुंबई-II थाणे	656	0	0	0	0	0	0	656
नागपुर	78	0	0	0	0	0	0	78
पुणे	3172	0	0	0	0	0	0	3172
रायपुर	359	0	0	0	0	0	0	359
आं.का. (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	4692	0	0	1	0	2	3	4689
बंगलौर	462	12	0	0	0	0	12	450
गुलबर्गा	370	0	0	0	0	0	0	370
मंगलौर	369	190	0	2	0	0	192	177
पणजी	90	22	0	0	0	0	22	68
पीण्या	287	35	0	0	0	0	35	252
आं.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	1578	259	0	2	0	0	261	1317
भुवनेश्वर	659	0	0	0	0	0	0	659
गुन्डर	473	17	0	19	0	51	87	386
हैदराबाद	1902	0	0	0	0	0	0	1902
निजामाबाद	247	0	0	0	0	0	0	247
आं.का. (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	3281	17	0	19	0	51	87	3194
चेन्नै	264	0	0	0	0	0	0	264
कोयम्बतूर	41	0	0	0	0	0	0	41
मदुरै	229	0	0	0	0	0	0	229
तांवरम	261	27	0	0	0	0	27	234
तिरुवनंतपुरम	699	79	5	0	0	54	138	561
आं.का. (तमिलनाडु एवं केरल)	1494	106	5	0	0	54	165	1329
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	620	0	0	25	0	0	25	595
जलपाईगुड़ी	760	3	0	0	0	0	3	757
कोलकाता	841	0	0	0	0	0	0	841
रांची	728	0	0	0	0	0	0	728
आ.का. (प.बं., पू.के. एवं झारखंड)	2949	3	0	25	0	0	28	2921
अखिल भारतीय	18879	483	5	64	0	108	660	18219

APPENDIX A-12 (iii)

Prosecution Cases under section 14 of the Act (Unexempted Sector) as on 31.03.2015 (EDLI Scheme)								
Region	Workload for disposal	Cases Decided						Total pendency
		Convicted	Acquitted	Discharged	Admonished	Withdrawn	Total cases decided	
Dehradun	6	0	0	0	0	0	0	6
Delhi (North)	260	0	0	0	0	0	0	260
Delhi (South)	268	0	0	0	0	0	0	268
ZO (DL & UK)	534	0	0	0	0	0	0	534
Chandigarh	383	6	0	0	0	0	6	377
Ludhiana	164	92	0	13	0	1	106	58
Shimla	69	0	0	0	0	0	0	69
ZO (PN & HP)	616	98	0	13	0	1	112	504
Kanpur	43	0	0	0	0	0	0	43
Meerut	55	0	0	0	0	0	0	55
Patna	988	0	0	0	0	0	0	988
ZO (UP & BR)	1086	0	0	0	0	0	0	1086
Faridabad	267	0	0	0	0	0	0	267
Gurgaon	212	0	0	4	0	0	4	208
Jaipur	43	0	0	0	0	0	0	43
ZO (HR & RJ)	522	0	0	4	0	0	4	518
Ahmedabad*	239	0	0	0	0	0	0	239
Baroda	270	0	0	0	0	0	0	270
Indore	1441	0	0	0	0	0	0	1441
Surat	177	0	0	0	0	0	0	177
ZO (GJ & MP)	2127	0	0	0	0	0	0	2127
Kandivili	76	0	0	0	0	0	0	76
Mumbai-I Bandra	351	0	0	1	0	2	3	348
Mumbai-II Thane	656	0	0	0	0	0	0	656
Nagpur	78	0	0	0	0	0	0	78
Pune	3172	0	0	0	0	0	0	3172
Raipur	359	0	0	0	0	0	0	359
ZO (MH & CG)	4692	0	0	1	0	2	3	4689
Bangalore	462	12	0	0	0	0	12	450
Gulbarga	370	0	0	0	0	0	0	370
Mangalore	369	190	0	2	0	0	192	177
Panaji	90	22	0	0	0	0	22	68
Peenya	287	35	0	0	0	0	35	252
ZO (KN & Goa)	1578	259	0	2	0	0	261	1317
Bhubaneswar	659	0	0	0	0	0	0	659
Guntur	473	17	0	19	0	51	87	386
Hyderabad	1902	0	0	0	0	0	0	1902
Nizamabad	247	0	0	0	0	0	0	247
ZO (AP & OR)	3281	17	0	19	0	51	87	3194
Chennai	264	0	0	0	0	0	0	264
Coimbatore	41	0	0	0	0	0	0	41
Madurai	229	0	0	0	0	0	0	229
Tambaram	261	27	0	0	0	0	27	234
Thiruvananthapuram	699	79	5	0	0	54	138	561
ZO (TN & KR)	1494	106	5	0	0	54	165	1329
Guwahati (NER)	620	0	0	25	0	0	25	595
Jalpaiguri	760	3	0	0	0	0	3	757
Kolkata	841	0	0	0	0	0	0	841
Ranchi	728	0	0	0	0	0	0	728
ZO (WB, NER & JH)	2949	3	0	25	0	0	28	2921
All INDIA	18879	483	5	64	0	108	660	18219

परिशिष्ट ए -13 (i)

भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत पुलिस प्राधिकारियों के समक्ष मामले (अछूट प्राप्त)				
- 31.03.2015 की स्थिति				
क्षेत्र	कार्यभार	पुलिस द्वारा समाप्त किए गए मामले	पुलिस द्वारा न्यायालय में फाईल किए गए चालान	वर्ष की समाप्ति पर पुलिस के समक्ष लंबित एफ.आई.आर.
देहरादून	5	0	0	5
दिल्ली (उत्तर)	39	0	0	39
दिल्ली (दक्षिण)	55	0	0	55
आ.का. (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	99	0	0	99
चंडीगढ़	48	0	0	48
लुधियाना	9	6	0	3
शिमला	20	0	0	20
आ.का. (पंजाब एवं हि. प्रदेश)	77	6	0	71
कानपुर	4	0	0	4
मेरठ	7	0	0	7
पटना	32	0	0	32
आ.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	43	0	0	43
फरीदाबाद	6	0	0	6
गुडगांव	4	0	0	4
जयपुर	13	0	0	13
आ.का. (हरियाणा एवं राज.)	23	0	0	23
अहमदाबाद	170	0	0	170
वडोदा	131	0	0	131
इंदौर	88	0	0	88
सुरत	102	1	0	101
आ.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	491	1	0	490
कांठिवली	48	0	0	48
मुंबई-I वांद्रा	216	0	0	216
मुंबई-II थाणे	33	0	0	33
नागपुर	49	0	0	49
पुणे	186	0	0	186
रायपुर	0	0	0	0
आ.का. (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	532	0	0	532
बंगलौर	27	0	0	27
गुलबर्गा	148	0	0	148
मंगलौर	25	15	2	8
पणजी	95	20	1	74
पीण्ग्या	498	306	0	192
आ.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	793	341	3	449
भुवनेश्वर	107	0	0	107
गुन्टूर	90	0	0	90
हैदराबाद	166	0	0	166
निजामाबाद	1	0	0	1
आ.का. (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	364	0	0	364
चेन्नै	649	0	0	649
कोयम्बतूर	318	0	0	318
मद्रै	96	0	0	96
तांवरम	665	48	0	617
तिरुवनंतपुरम	682	30	0	652
आ.का. (तमिलनाडु एवं केरल)	2410	78	0	2332
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	35	1	0	34
जलपाईगुडी	321	0	0	321
कोलकाता	1119	0	0	1119
रांची	8	0	0	8
आ.का. (प.बं., पू.से. एवं झारखंड)	1483	1	0	1482
अखिल भारतीय	6315	427	3	5885

APPENDIX A-13 (i)

Cases before the Police Authorities under section 406/409 of IPC (Unexempted Sector) as on 31.03.2015				
Region	Workload	Cases dropped by police	Challanc Filed by police in Court	FIRs pending with police at the end of the year
Dehradun	5	0	0	5
Delhi (North)	39	0	0	39
Delhi (South)	55	0	0	55
ZO (DL & UK)	99	0	0	99
Chandigarh	48	0	0	48
Ludhiana	9	6	0	3
Shimla	20	0	0	20
ZO (PN & HP)	77	6	0	71
Kanpur	4	0	0	4
Meerut	7	0	0	7
Patna	32	0	0	32
ZO (UP & BR)	43	0	0	43
Faridabad	6	0	0	6
Gurgaon	4	0	0	4
Jaipur	13	0	0	13
ZO (HR & RJ)	23	0	0	23
Ahmedabad	170	0	0	170
Baroda	131	0	0	131
Indore	88	0	0	88
Surat	102	1	0	101
ZO (GJ & MP)	491	1	0	490
Kandivili	48	0	0	48
Mumbai-I Bandra	216	0	0	216
Mumbai-II Thane	33	0	0	33
Nagpur	49	0	0	49
Pune	186	0	0	186
Raipur	0	0	0	0
ZO (MH & CG)	532	0	0	532
Bangalore	27	0	0	27
Gulbarga	148	0	0	148
Mangalore	25	15	2	8
Panaji	95	20	1	74
Peenya	498	306	0	192
ZO (KN & Goa)	793	341	3	449
Bhubaneshwar	107	0	0	107
Guntur	90	0	0	90
Hyderabad	166	0	0	166
Nizamabad	1	0	0	1
ZO (AP & OR)	364	0	0	364
Chennai	649	0	0	649
Coimbatore	318	0	0	318
Madurai	96	0	0	96
Tambaram	665	48	0	617
Thiruvananthapuram	682	30	0	652
ZO (TN & KR)	2410	78	0	2332
Guwahati (NER)	35	1	0	34
Jalpaiguri	321	0	0	321
Kolkata	1119	0	0	1119
Ranchi	8	0	0	8
ZO (WB, NER & JH)	1483	1	0	1482
ALL INDIA	6315	427	3	5885

भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत विभिन्न न्यायालयों के समक्ष मामले (अछूट प्राप्त) - 31.03.2015 की स्थिति						
क्षेत्र	कार्यभार	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले				न्यायालय में कुल लंबित मामले
		दोषसिद्ध	दोषमुक्त	खारिज / मुक्त किए गए	कुल निर्णीत मामले	
देहरादून	3	0	0	0	0	3
दिल्ली (उत्तर)	0	0	0	0	0	0
दिल्ली (दक्षिण)	0	0	0	0	0	0
आं.का. (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	3	0	0	0	0	3
बंड़ीगढ़	11	0	0	0	0	11
लुधियाना	4	0	0	0	0	4
शिमला	0	0	0	0	0	0
आं.का. (पंजाब एवं हि. प्रदेश)	15	0	0	0	0	15
कानपुर	0	0	0	0	0	0
मेरठ	0	0	0	0	0	0
पटना	6	0	0	0	0	6
आं.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	6	0	0	0	0	6
फरीदाबाद	0	0	0	0	0	0
गुडगांव	0	0	0	0	0	0
जयपुर	58	0	0	0	0	58
आं.का. (हरियाणा एवं राज.)	58	0	0	0	0	58
अहमदाबाद	664	0	0	0	0	664
बड़ौदा	0	0	0	0	0	0
इंदौर	6	0	0	0	0	6
सुरत	101	0	0	0	0	101
आं.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	771	0	0	0	0	771
कांदिवली	0	0	0	0	0	0
मुंबई-I वांद्रा	655	0	3	4	7	648
मुंबई-II धाणे	0	0	0	0	0	0
नागपुर	40	0	0	0	0	40
पुणे	20	0	0	0	0	20
रायपुर	0	0	0	0	0	0
आं.का. (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	715	0	3	4	7	708
बंगलौर	1	0	0	0	0	1
मुलबर्गा	6	0	0	0	0	6
मंगलौर	0	0	0	0	0	0
पणजी	85	9	1	5	15	70
पीपया	0	0	0	0	0	0
आं.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	92	9	1	5	15	77
सुवनेखर	49	0	0	0	0	49
गुन्डूर	67	0	0	0	0	67
हैदराबाद	0	0	0	0	0	0
निजामाबाद	1	0	0	0	0	1
आं.का. (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	117	0	0	0	0	117
चेन्नै	0	0	0	0	0	0
कोयम्बतूर	0	0	0	0	0	0
मदुरै	0	0	0	0	0	0
तांबरम	0	0	0	0	0	0
तिरुवनंतपुरम	7	0	0	0	0	7
आं.का. (तमिलनाडु एवं केरल)	7	0	0	0	0	7
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	33	6	0	0	6	27
जलपाईगुड़ी	0	0	0	0	0	0
कोलकाता	4	0	0	0	0	4
रांची	26	0	0	0	0	26
आ.का.(प.बं.,पू.के. एवं झारखंड)	63	6	0	0	6	57
जखिल भारतीय	1847	15	4	9	28	1819

APPENDIX A-13 (ii)

Cases before various Courts under section 406/409 of IPC (Unexempted Sector) as on 31.03.2015						
Region	Workload for	Cases disposed during the year				Total pendency in Courts
		Convicted	Acquitted	Dismissed/ Discharged	Total Cases Decided	
Dehradun	3	0	0	0	0	3
Delhi (North)	0	0	0	0	0	0
Delhi (South)	0	0	0	0	0	0
ZO (DL & UK)	3	0	0	0	0	3
Chandigarh	11	0	0	0	0	11
Ludhiana	4	0	0	0	0	4
Shimla	0	0	0	0	0	0
ZO (PN & HP)	15	0	0	0	0	15
Kanpur	0	0	0	0	0	0
Meerut	0	0	0	0	0	0
Patna	6	0	0	0	0	6
ZO (UP & BR)	6	0	0	0	0	6
Faridabad	0	0	0	0	0	0
Gurgaon	0	0	0	0	0	0
Jaipur	58	0	0	0	0	58
ZO (HR & RJ)	58	0	0	0	0	58
Ahmedabad	664	0	0	0	0	664
Baroda	0	0	0	0	0	0
Indore	6	0	0	0	0	6
Surat	101	0	0	0	0	101
ZO (GJ & MP)	771	0	0	0	0	771
Kandivili	0	0	0	0	0	0
Mumbai-I Bandra	655	0	3	4	7	648
Mumbai-II Thane	0	0	0	0	0	0
Nagpur	40	0	0	0	0	40
Pune	20	0	0	0	0	20
Raipur	0	0	0	0	0	0
ZO (MH & CG)	715	0	3	4	7	708
Bangalore	1	0	0	0	0	1
Gulbarga	6	0	0	0	0	6
Mangalore	0	0	0	0	0	0
Panaji	85	9	1	5	15	70
Peenya	0	0	0	0	0	0
ZO (KN & Goa)	92	9	1	5	15	77
Bhubaneswar	49	0	0	0	0	49
Guntur	67	0	0	0	0	67
Hyderabad	0	0	0	0	0	0
Nizamabad	1	0	0	0	0	1
ZO (AP & OR)	117	0	0	0	0	117
Chennai	0	0	0	0	0	0
Coimbatore	0	0	0	0	0	0
Madurai	0	0	0	0	0	0
Tambaram	0	0	0	0	0	0
Thiruvananthapuram	7	0	0	0	0	7
ZO (TN & KR)	7	0	0	0	0	7
Guwahati (NER)	33	6	0	0	6	27
Jalpaiguri	0	0	0	0	0	0
Kolkata	4	0	0	0	0	4
Ranchi	26	0	0	0	0	26
ZO (WB, NER & JH)	63	6	0	0	6	57
All INDIA	1847	15	4	9	28	1819

संपत्ति का अटैचमेंट / चूकदारों की गिरफ्तारी की स्थिति – अछूट प्राप्त क्षेत्र 31.03.2015 की स्थिति (₹ करोड़ों में)			
क्र.सं.	कार्रवाई का प्रकार	मामलों की संख्या	वसूल की गई राशि
1	बैंक खातों का अटैचमेंट	20160	213.85
2	चल संपत्ति का अटैचमेंट	89	0.59
3	अचल संपत्ति का अटैचमेंट	107	3.49
4	चूककर्ताओं की गिरफ्तारी	64	1.30
5	सार्वजनिक नीलामी :		
	(i) चल संपत्ति	4	0.05
	(ii) अचल संपत्ति	1	0.23
कुल		20425	219.51

APPENDIX A-14

Status of Attachment of Property/ Arrest of Defaulters-Unexempted Sector as on 31.03.2015			
(₹in cr.)			
Sl.No	Mode of Actions	No. of Cases	Amount Recovered
1	Bank Accounts Attached	20160	213.85
2	Movable Property Attached	89	0.59
3	Immovable Property Attached	107	3.49
4	Arrest of Defaulters	64	1.30
5	Public Auctions made of:		
	(i) Movable Property	4	0.05
	(ii) Immovable Property	1	0.23
TOTAL		20425	219.51

परिशिष्ट ए -15 (i)

छूट प्राप्त क्षेत्र में कुल बकाया - 31.03.2015 की स्थिति			(₹ करोड़ों में)
क्षेत्र	कार्यभार	वर्ष के दौरान वसूली	अंतशेष
देहरादून	25.79	1.33	24.46
दिल्ली (उत्तर)	3.59	1.61	1.99
दिल्ली (दक्षिण)	4.44	1.32	3.12
आ.का. (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	33.82	4.25	29.57
चंडीगढ़	1.55	0.00	1.55
लुधियाना	0.77	0.01	0.76
शिमला	0.00	0.00	0.00
आ.का. (पंजाब एवं हि. प्रदेश)	2.32	0.01	2.32
कानपुर	48.36	10.31	38.05
मेरठ	3.25	0.56	2.68
पटना	4.72	0.27	4.45
आ.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	56.32	11.15	45.18
फरीदाबाद	11.15	5.97	5.19
गुडगांव	0.00	0.00	0.00
जयपुर	129.12	46.08	83.04
आ.का. (हरियाणा एवं राज.)	140.27	52.05	88.22
अहमदाबाद	2.89	0.00	2.89
बड़ौदा	0.10	0.00	0.10
इंदौर	9.50	4.38	5.13
सूरत	4.41	0.00	4.41
आ.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	16.91	4.38	12.54
काठिवाली	1.83	0.11	1.72
मुंबई-I बांद्रा	16.16	0.00	16.16
मुंबई-II थाणे	1.41	0.57	0.83
नागपुर	11.97	0.16	11.81
पुणे	29.54	0.34	29.21
रायपुर	0.37	0.03	0.34
आ.का. (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	61.28	1.22	60.06
बंगलौर	8.82	0.00	8.82
गुलबर्गा	0.28	0.00	0.28
मंगलौर	1.59	0.00	1.59
पणजी	0.00	0.00	0.00
पीण्या	55.70	8.77	46.93
आ.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	66.40	8.77	57.62
भुवनेश्वर	1.02	0.00	1.02
गुंटूर	14.72	0.09	14.63
हैदराबाद	1092.55	1018.35	74.19
निजामाबाद	0.00	0.00	0.00
आ.का. (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	1108.28	1018.44	89.84
चेन्नै	14.45	0.00	14.45
कोयम्बतूर	1.17	0.01	1.16
मद्रै	0.00	0.00	0.00
तांवरम	2.29	0.04	2.25
तिरुवनंतपुरम	7.90	5.79	2.11
आ.का. (तमिलनाडु एवं केरल)	25.82	5.84	19.98
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	0.07	0.07	0.00
जलपाईगुड़ी	7.92	3.09	4.84
कोलकाता	173.96	21.58	152.38
रांची	117.67	1.37	116.30
आ.का. (प.ब., पू.क्ष. एवं झारखंड)	299.62	26.11	273.52
अखिल भारतीय	1811.04	1132.20	678.84

APPENDIX A-15 (i)

Total Arrears in Exempted Sector as on 31.03.2015			(₹ in cr.)
Region	Total Workload	Realised during the Year	Closing Balance
Dehradun	25.79	1.33	24.46
Delhi (North)	3.59	1.61	1.99
Delhi (South)	4.44	1.32	3.12
ZO (DL & UK)	33.82	4.25	29.57
Chandigarh	1.55	0.00	1.55
Ludhiana	0.77	0.01	0.76
Shimla	0.00	0.00	0.00
ZO (PN & HP)	2.32	0.01	2.32
Kanpur	48.36	10.31	38.05
Meerut	3.25	0.56	2.68
Patna	4.72	0.27	4.45
ZO (UP & BR)	56.32	11.15	45.18
Faridabad	11.15	5.97	5.19
Gurgaon	0.00	0.00	0.00
Jaipur	129.12	46.08	83.04
ZO (HR & RJ)	140.27	52.05	88.22
Ahmedabad	2.89	0.00	2.89
Baroda	0.10	0.00	0.10
Indore	9.50	4.38	5.13
Surat	4.41	0.00	4.41
ZO(GJ & MP)	16.91	4.38	12.54
Kandivili	1.83	0.11	1.72
Mumbai-I Bandra	16.16	0.00	16.16
Mumbai-II Thane	1.41	0.57	0.83
Nagpur	11.97	0.16	11.81
Pune	29.54	0.34	29.21
Raipur	0.37	0.03	0.34
ZO (MH & CG)	61.28	1.22	60.06
Bangalore	8.82	0.00	8.82
Gulbarga	0.28	0.00	0.28
Mangalore	1.59	0.00	1.59
Panaji	0.00	0.00	0.00
Peenya	55.70	8.77	46.93
ZO(KN & Goa)	66.40	8.77	57.62
Bhubaneshwar	1.02	0.00	1.02
Guntur	14.72	0.09	14.63
Hyderabad	1092.55	1018.35	74.19
Nizamabad	0.00	0.00	0.00
ZO(AP & OR)	1108.28	1018.44	89.84
Chennai	14.45	0.00	14.45
Coimbatore	1.17	0.01	1.16
Madurai	0.00	0.00	0.00
Tambaram	2.29	0.04	2.25
Thiruvananthapuram	7.90	5.79	2.11
ZO (TN & KR)	25.82	5.84	19.98
Guwahati (NER)	0.07	0.07	0.00
Jalpaiguri	7.92	3.09	4.84
Kolkata	173.96	21.58	152.38
Ranchi	117.67	1.37	116.30
ZO (WB, NER & JH)	299.62	26.11	273.52
All INDIA	1811.04	1132.20	678.84

परिशिष्ट ए -15 (ii)

छूट प्राप्त क्षेत्र में कुल बकाया - 31.03.2015 की स्थिति				(₹ करोड़ों में)
क्षेत्र	कुल कार्यभार	वर्ष के दौरान वसूली	अंतशेष	कुल का प्रतिशत
पश्चिम बंगाल	181.88	24.67	157.21	23.16%
झारखंड	117.67	1.37	116.30	17.13%
आंध्र प्रदेश	1107.26	1018.44	88.82	13.09%
राजस्थान	129.12	46.08	83.04	12.23%
महाराष्ट्र	60.91	1.19	59.72	8.80%
उप-योग	1596.84	1091.75	505.09	74.40%
शेष राज्य	214.21	40.46	173.75	25.60%
अखिल भारतीय (कुल बकाया)	1811.05	1132.21	678.84	100.00%

APPENDIX A-15 (ii)

Major portion of Arrears in Exempted Sector as on 31.03.2015 (₹ in cr.)				
Region	Total Workload	Realised during the Year	Closing Balance	Percentage of Total
West Bengal	181.88	24.67	157.21	23.16%
Jharkhand	117.67	1.37	116.30	17.13%
Andhra Pradesh	1107.26	1018.44	88.82	13.08%
Rajasthan	129.12	46.08	83.04	12.23%
Maharashtra	60.91	1.19	59.72	8.80%
Sub-Total	1596.84	1091.75	505.09	74.40%
Rest of the States	214.21	40.46	173.75	25.60%
All India (Total Arrears)	1811.05	1132.21	678.84	100.00%

सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में बकाया का विभाजन - 31.03.2015 की स्थिति

क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र		निजी क्षेत्र		कुल	
	चूकदार स्थापनाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ों में)	चूकदार स्थापनाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ों में)	चूकदार स्थापनाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ों में)
देहरादून	5	24.41	4	0.05	9	24.46
दिल्ली (उत्तर)	0	0.00	20	1.99	20	1.99
दिल्ली (दक्षिण)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
आ.का. (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	5	24.41	24	2.04	29	26.45
चंडीगढ़	1	1.19	1	0.36	2	1.55
लुधियाना	0	0.00	1	0.76	1	0.76
शिमला	0	0.00	0	0.00	0	0.00
आ.का. (पंजाब एवं हि. प्रदेश)	1	1.19	2	1.12	3	2.32
कानपुर	6	13.81	25	24.23	31	38.05
मेरठ	7	2.63	1	0.05	8	2.68
पटना	6	2.37	5	1.37	11	3.75
आ.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	19	18.82	31	25.66	50	44.48
फरीदाबाद	5	4.88	1	0.31	6	5.19
गुड़गांव	0	0.00	0	0.00	0	0.00
जयपुर	5	82.03	1	0.01	6	82.04
आ.का. (हरियाणा एवं राज.)	10	86.91	2	0.31	12	87.22
अहमदाबाद	0	0.00	12	2.89	12	2.89
बड़ौदा	1	0.10	1	0.01	2	0.10
इंदौर	9	1.76	3	3.37	12	5.13
सूरत	0	0.00	4	4.41	4	4.41
आ.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	10	1.86	20	10.68	30	12.54
कांठिली	0	0.00	5	1.72	5	1.72
मुंबई-I वांछा	2	11.96	12	4.20	14	16.16
मुंबई-II थाणे	0	0.00	1	0.79	1	0.79
नागपुर	0	0.00	9	11.81	9	11.81
पुणे	3	28.85	3	0.31	6	29.16
रायपुर	1	0.27	1	0.07	2	0.34
आ.का. (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	6	41.09	31	18.89	37	59.97
बंगलूर	1	3.68	3	5.14	4	8.82
गुलबर्गा	0	0.00	2	0.28	2	0.28
मंगलूर	1	0.00	5	1.59	6	1.59
पणजी	0	0.00	0	0.00	0	0.00
पीप्या	3	46.93	0	0.00	3	46.93
आ.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	5	50.62	10	7.01	15	57.62
मुंबनेश्वर	1	0.13	3	0.89	4	1.02
गुन्डूर	4	14.33	3	0.30	7	14.63
हैदराबाद	6	71.77	6	2.42	12	74.19
निजामाबाद	0	0.00	0	0.00	0	0.00
आ.का. (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	11	86.23	12	3.61	23	89.84
चेन्नै	3	12.76	17	1.69	20	14.45
कोयम्बतूर	1	0.54	7	0.62	8	1.16
मद्रास	0	0.00	0	0.00	0	0.00
तांवरम	1	0.02	1	2.22	2	2.24
तिरुवनंतपुरम	13	1.95	5	0.16	18	2.11
आ.का. (तमिलनाडु एवं केरल)	18	15.28	30	4.69	48	19.97
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
जलपाईगुडी	0	0.00	4	4.84	4	4.84
कोलकाता	23	31.55	180	120.83	203	152.38
रांची	6	11.41	2	2.14	8	13.55
आ.का. (प.ब., पू.से. एवं झारखंड)	29	42.96	186	127.81	215	170.77
अखिल भारतीय	114	369.36	348	201.82	462	571.18

APPENDIX A-16
Bifurcation of Arrears in Public and Private Sector (Exempted)as on 31.03.2015

Region	Public Sector		Private Sector		Total	
	No. of Defaulting Estt	Amount (₹ in cr.)	No. of Defaulting Estt	Amount (₹ in cr.)	No. of Defaulting Estt	Amount (₹ in cr.)
Dehradun	5	24.41	4	0.05	9	24.46
Delhi (North)	0	0.00	20	1.99	20	1.99
Delhi (South)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ZO(DL & UK)	5	24.41	24	2.04	29	26.45
Chandigarh	1	1.19	1	0.36	2	1.55
Ludhiana	0	0.00	1	0.76	1	0.76
Shimla	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ZO (PN & HP)	1	1.19	2	1.12	3	2.32
Kanpur	6	13.81	25	24.23	31	38.05
Meerut	7	2.63	1	0.05	8	2.68
Patna	6	2.37	5	1.37	11	3.75
ZO (UP & BR)	19	18.82	31	25.66	50	44.48
Faridabad	5	4.88	1	0.31	6	5.19
Gurgaon	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Jaipur	5	82.03	1	0.01	6	82.04
ZO(HR & RJ)	10	86.91	2	0.31	12	87.22
Ahmedabad	0	0.00	12	2.89	12	2.89
Baroda	1	0.10	1	0.01	2	0.10
Indore	9	1.76	3	3.37	12	5.13
Surat	0	0.00	4	4.41	4	4.41
ZO (GJ & MP)	10	1.86	20	10.68	30	12.54
Kandivili	0	0.00	5	1.72	5	1.72
Mumbai-I Bandra	2	11.96	12	4.20	14	16.16
Mumbai-II Thane	0	0.00	1	0.79	1	0.79
Nagpur	0	0.00	9	11.81	9	11.81
Pune	3	28.85	3	0.31	6	29.16
Raipur	1	0.27	1	0.07	2	0.34
ZO (MH & CG)	6	41.09	31	18.89	37	59.97
Bangalore	1	3.68	3	5.14	4	8.82
Gulbarga	0	0.00	2	0.28	2	0.28
Mangalore	1	0.00	5	1.59	6	1.59
Panaji	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Peenya	3	46.93	0	0.00	3	46.93
ZO(KN & Goa)	5	50.62	10	7.01	15	57.62
Bhubaneshwar	1	0.13	3	0.89	4	1.02
Guntur	4	14.33	3	0.30	7	14.63
Hyderabad	6	71.77	6	2.42	12	74.19
Nizamabad	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ZO(AP & OR)	11	86.23	12	3.61	23	89.84
Chennai	3	12.76	17	1.69	20	14.45
Coimbatore	1	0.54	7	0.62	8	1.16
Madurai	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Tambaram	1	0.02	1	2.22	2	2.24
Thiruvananthapuram	13	1.95	5	0.16	18	2.11
ZO (TN & KR)	18	15.28	30	4.69	48	19.97
Guwahati (NER)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Jalpaiguri	0	0.00	4	4.84	4	4.84
Kolkata	23	31.55	180	120.83	203	152.38
Ranchi	6	11.41	2	2.14	8	13.55
ZO(WB, NER & JH)	29	42.96	186	127.81	215	170.77
ALL INDIA	114	369.36	348	201.82	462	571.18

परिशिष्ट ए -17 (i)

चूकदार स्थापनाओं का विवरण - ₹ 50 लाख या उससे अधिक - 31.03.2015 की स्थिति		
क्षेत्र	चूकदार स्थापनाओं की संख्या	संलिप्त राशि (₹ करोड़ों में)
देहरादून	2	24.15
दिल्ली (उत्तर)	0	0.00
दिल्ली (दक्षिण)	2	2.65
आ.का. (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	4	26.80
चंडीगढ़	1	1.19
लुधियाना	1	0.76
शिमला	0	0.00
आ.का. (पंजाब एवं हि. प्रदेश)	2	1.95
कानपुर	2	2.27
मेरठ	1	1.68
पटना	2	3.08
आ.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	5	7.03
फरीदाबाद	2	4.72
गुड़गांव	0	0.00
जयपुर	2	82.59
आ.का.(हरियाणा एवं राज.)	4	87.31
अहमदाबाद	1	0.53
बड़ौदा	0	0.00
इंदौर	3	4.72
सुरत	3	4.48
आ.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	7	9.73
कांदिवली	2	1.21
मुंबई-I वांद्रा	4	53.73
मुंबई-II थाणे	1	0.80
नागपुर	2	14.27
पुणे	1	2.94
रायपुर	0	0.00
आ.का. (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	10	72.95
बंगलूर	2	8.55
गुलबर्गा	0	0.00
मंगलूर	1	1.54
पणजी	0	0.00
पीण्या	3	42.00
आ.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	6	52.09
मुबनेखर	0	0.00
गुन्डूर	1	14.33
हैदराबाद	5	122.78
निजामाबाद	0	0.00
आ.का. (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	6	137.11
चेन्नै	3	13.79
कोयम्बतूर	1	0.51
मद्रै	0	0.00
तांवरम	1	2.22
तिरुवनंतपुरम	2	5.61
आ.का. (तमिलनाडु एवं केरल)	7	22.13
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	0	0.00
जलपाईगुड़ी	2	3.94
कोलकाता	34	120.39
रांची	3	115.99
आ.का.(प.बं., पू.से. एवं झारखंड)	39	240.32
अखिल भारतीय	90	657.42

APPENDIX A-17 (i)

Summary of Defaulting Establishments - ₹ 50 lac and above (Exempted) as on 31.03.2015		
Region	No. of Defaulting Establishment	Amount involved (₹ in cr.)
Dehradun	2	24.15
Delhi (North)	0	0.00
Delhi (South)	2	2.65
ZO (DL & UK)	4	26.80
Chandigarh	1	1.19
Ludhiana	1	0.76
Shimla	0	0.00
ZO (PN & HP)	2	1.95
Kanpur	2	2.27
Meerut	1	1.68
Patna	2	3.08
ZO (UP & BR)	5	7.03
Faridabad	2	4.72
Gurgaon	0	0.00
Jaipur	2	82.59
ZO (HR & RJ)	4	87.31
Ahmedabad	1	0.53
Baroda	0	0.00
Indore	3	4.72
Surat	3	4.48
ZO (GJ & MP)	7	9.73
Kandivili	2	1.21
Mumbai-I Bandra	4	53.73
Mumbai-II Thane	1	0.80
Nagpur	2	14.27
Pune	1	2.94
Raipur	0	0.00
ZO (MH & CG)	10	72.95
Bangalore	2	8.55
Gulbarga	0	0.00
Mangalore	1	1.54
Panaji	0	0.00
Peenya	3	42.00
ZO (KN & Goa)	6	52.09
Bhubaneswar	0	0.00
Guntur	1	14.33
Hyderabad	5	122.78
Nizamabad	0	0.00
ZO (AP & OR)	6	137.11
Chennai	3	13.79
Coimbatore	1	0.51
Madurai	0	0.00
Tambaram	1	2.22
Thiruvananthapuram	2	5.61
ZO (TN & KR)	7	22.13
Guwahati (NER)	0	0.00
Jalpaiguri	2	3.94
Kolkata	34	120.39
Ranchi	3	115.99
ZO (WB, NER & JH)	39	240.32
ALL INDIA	90	657.42

₹ एक करोड़ तथा अधिक की चूककर्ता स्थापनाओं की सूची (छूट प्राप्त क्षेत्र) - 31.03.2015 की स्थिति					
क्र.सं.	क्षेत्र कोड	कोड संख्या	चूकदार स्थापनाओं का नाम	चूक की राशि (₹ करोड़ों में)	चूक की कुल राशि (₹ करोड़ों में)
देहरादून					
1	यू.ए.	32503	मैसर्स टी.एच.डी.सी.	23.53	
				क्षेत्र का कुल	23.53
उत्तरी दिल्ली					
1	डी.एल.	1015	मैसर्स दिल्ली जिमखाना क्लब लि.	1.30	
				क्षेत्र का कुल	1.30
दक्षिणी दिल्ली					
1	डी.एल.	4360	मैसर्स मदर डेरी	2.13	
				क्षेत्र का कुल	2.13
चंडीगढ़					
1	पी.एन.	386	मैसर्स पी.आर.टी.सी. पटियाला	1.19	
				क्षेत्र का कुल	1.19
लुधियाना					
शून्य					
शिमला					
शून्य					
कानपुर					
1	यू.पी.	7493	भेल झांसी	1.20	
2	यू.पी.	22	जे.के. जूट मिल कंपनी लि. कानपुर	1.07	
				क्षेत्र का कुल	2.27
मेरठ					
1	यू.पी.	196	मोदी शुगर	1.68	
				क्षेत्र का कुल	1.68
पटना					
1	बी.आर.	188	मोतीहारी चीनी मिल्स, मोतीहारी	2.22	
				क्षेत्र का कुल	2.22
फरीदाबाद					
1	एच.आर.	1061	मैसर्स एच.एम.टी., पिन्जौर	4.18	
				क्षेत्र का कुल	4.18
गुड़गांव					
शून्य					
जयपुर					
1	आर.जे.	1139	मैसर्स आई.एल.लि. कोटा	81.39	
2	आर.जे.	2993	मैसर्स राज. स्टेट रोड. डेवलपमेंट एंड कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन जयपुर	1.20	
				क्षेत्र का कुल	82.59
अहमदाबाद					
शून्य					
वडोदरा					
शून्य					
इंदौर					
1	एम.पी.	40	ग्वालियर शुगर कंपनी, डाबरा	3.37	
				क्षेत्र का कुल	3.37

APPENDIX A-17 (ii)

List of Defaulting Establishments above ₹ one cr. (Exempted Sector) as on 31.03.2015					
Sl. No.	Region Code	Code No	Name of the Defaulting Establishment	Amount Default (₹ in cr.)	Amount Default (₹ in cr.)
Dehradun					
1	UA	32503	M/s THDC	23.53	
Total of the Region					23.53
Delhi North					
1	DL	1015	M/s Delhi Gymkhana club ltd	1.30	
Total of the Region					1.30
Delhi South					
1	DL	4360	M/s Mother Dairy	2.13	
Total of the Region					2.13
Chandigarh					
1	PN	386	M/s PRTC, Patiala	1.19	
Total of the Region					1.19
Ludhiana					
NIL					
Shimla					
NIL					
Kanpur					
1	UP	7493	BHEL Jhansi	1.20	
2	UP	22	J.K.Jute mill co.ltd.knp.	1.07	
Total of the Region					2.27
Meerut					
1	UP	196	Modi Sugar	1.68	
Total of the Region					1.68
Patna					
1	BR	188	MOTIHARI CHINI MILLS,MOTIHARI	2.22	
Total of the Region					2.22
Faridabad					
1	HR	1061	M/s HMT, Pinjore	4.18	
Total of the Region					4.18
Gurgaon					
NIL					
Jaipur					
1	RJ	1139	M/s IL. Ltd/Kota.	81.39	
2	RJ	2993	Raj.St.Road Dev.&Cons.Corp.n.Jaipur	1.20	
Total of the Region					82.59
Ahmedabad					
NIL					
Vadodra					

सूरत					
1	जे.जी.	324	नवसारी कॉटन सिल्क मिल्स लि.	2.78	
क्षेत्र का कुल					2.78
बांद्रा					
1	एम.एच	1255	एम.एस.आर.टी.सी.	16.96	
क्षेत्र का कुल					16.96
थाणे					
शून्य					
कांदिवली					
शून्य					
पुणे					
1	एम.एच	एम.एच/1459	मैसर्स हिन्दुस्तान एंटीबायोटेक लि.	2.94	
क्षेत्र का कुल					2.94
नागपुर					
1	एम.एच	3502	मैसर्स मॉडल मिल्स, नागपुर	13.02	
2	एम.एच	3515	मैसर्स अकोला ओयल इंडस्ट्रीज, अकोला	1.25	
क्षेत्र का कुल					14.27
रायपुर					
शून्य					
बंगलौर					
1	के.एन.	25998-X	बी.जी. / बंगलौर	4.86	
2	के.एन.	873-E	बी.जी. / बंगलौर	3.68	
क्षेत्र का कुल					8.55
गोवा					
शून्य					
गुलबर्गा					
शून्य					
मंगलौर					
1	के.एन.	39	मैसूर किलॉस्कर	1.54	
क्षेत्र का कुल					1.54
पीण्या					
1	के.एन.	873	एच.एम.टी. लि. (एम.टी.डी.)	23.27	
2	के.एन.	873A	मैसर्स एच.एम.टी. लि. (डब्ल्यू.एफ.)	18.16	
क्षेत्र का कुल					41.42
भुवनेश्वर					
शून्य					
गुंटूर					
1	ए.पी.	13	मैसर्स हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि., वी.एस.पी.	14.33	
क्षेत्र का कुल					14.33
हैदराबाद					
1	ए.पी.	295	ए.पी.एस.आर.टी.सी.	103.17	
2	ए.पी.	144	मैसर्स प्राग टूल्स लि.	14.20	
3	ए.पी.	3071	मैसर्स एच.एम.टी. लि., (एम.टी. डिविजन)	2.36	
4	ए.पी.	3209	मैसर्स एलुमिनियम इंडस्ट्रीज़	1.91	
5	ए.पी.	17136	मैसर्स एच.एफ.एल.	1.13	
क्षेत्र का कुल					122.78
निजामाबाद					
शून्य					

NIL					
Indore					
1	MP	40	Gwalior Sugar Co., Dabra	3.37	
Total of the Region					3.37
Surat					
1	GJ	324	Navsari Cotton Silk Mills Ltd.	2.78	
Total of the Region					2.78
Bandra					
1	MH	1255	MSRTC	16.96	
Total of the Region					16.96
Thane					
NIL					
Kandivali					
NIL					
Pune					
1	MH	MH/1459	M/S. Hindustan antibiotic Ltd.	2.94	
Total of the Region					2.94
Nagpur					
1	MH	3502	M/s. Model Mills, Nagpur	13.02	
2	MH	3515	Akola Oil Industries, Akola.	1.25	
Total of the Region					14.27
Raipur					
NIL					
Bangalore					
1	KN	25998-X	BG/BNG	4.86	
2	KN	873-E	BG/BNG	3.68	
Total of the Region					8.55
Goa					
NIL					
Gulbarga					
NIL					
Mangalore					
1	KN	39	Mysore Kirloskar	1.54	
Total of the Region					1.54
Peenya					
1	KN	873	M/s HMT LTD(MTD)	23.27	
2	KN	873A	M/s HMT LTD(WF)	18.16	
Total of the Region					41.42
Bhubneshwar					
NIL					
Guntur					

चेन्नै					
3	टी.एन.	5887	तमिलनाडु इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड	11.88	
1	टी.एन.	19769	मैसर्स डनलप इंडिया लि.	1.02	
क्षेत्र का कुल					12.91
कोयम्बतूर					
शून्य					
मदुरै					
शून्य					
तांबरम					
1	टी.एन.	1570	अल्सटोम लि.	2.22	
क्षेत्र का कुल					2.22
केरल					
1	के.आर.	16	त्रावा. रायो	4.15	
2	के.आर.	15	एलुमिनियम इंडस्ट्रीज	1.45	
क्षेत्र का कुल					5.61
कोलकाता					
1	डब्ल्यू.बी.	डब्ल्यू.बी/49, 51,5529	मैसर्स न्यू सेन्ट्रल जूट मिल्स कॉ. लि..	16.18	
2	डब्ल्यू.बी..	डब्ल्यू.बी /97	कनोरिया जूट इंडस्ट्रीज	10.98	
3	डब्ल्यू.बी..	डब्ल्यू.बी/62 & 71	विक्टोरिया जूट कं. लि	10.94	
4	डब्ल्यू.बी..	डब्ल्यू.बी/338	टीटागढ़ जूट मिल नं. 2 (लूमटैक्स)	9.47	
5	डब्ल्यू.बी..	डब्ल्यू.बी /1267	मैसर्स अमृत बाजार पत्रिका लि.	9.27	
6	डब्ल्यू.बी..	डब्ल्यू.बी /64	द श्यामनगर जूट फैक्ट्री	8.18	
7	डब्ल्यू.बी..	डब्ल्यू.बी / 76,85 &86	हावड़ा मिल्स क.लि.	7.59	
8	डब्ल्यू.बी..	डब्ल्यू.बी/707	मैसर्स बाटा इंडिया लि.	5.68	
9	डब्ल्यू.बी..	डब्ल्यू.बी /63	अन्गुस जूट वर्क्स	5.52	
10	डब्ल्यू.बी..	डब्ल्यू.बी /48 & 55	मैसर्स एन.जे.एम.सी. लि. यूनिट केनिसन	4.25	
11	डब्ल्यू.बी..	डब्ल्यू.बी /11 & 43	मैसर्स एन.जे.एम.सी. लि. यूनिट खरडाह	2.99	
12	डब्ल्यू.बी..	डब्ल्यू.बी /35	मेघना जूट मिल्स (यूनिट गजानंद कमर्शियल्स)	2.97	
13	डब्ल्यू.बी..	डब्ल्यू.बी /79	मैसर्स डेल्टा इंटरनेशनल लि.	2.45	
14	डब्ल्यू.बी..	डब्ल्यू.बी /23	मैसर्स केल्विन जूट इंडस्ट्रीज लि.	2.33	
15	डब्ल्यू.बी..	डब्ल्यू.बी/716	मैसर्स डनलप (इ.) लि.	2.02	
16	डब्ल्यू.बी..	डब्ल्यू.बी /30	हुगली मिल्स कं. लि. (यूनिट: वेवरली)	1.98	
17	डब्ल्यू.बी..	डब्ल्यू.बी /17	मैसर्स कमारहट्टी कं. लि.	1.66	
18	डब्ल्यू.बी..	डब्ल्यू.बी /28	मैसर्स केलेडोनियन जूट एवं इंडस्ट्रीज लि.	1.54	
19	डब्ल्यू.बी..	डब्ल्यू.बी /89	ऑकलैंड इंटरनेशनल लि. (अम्बिका जूट मिल्स)	1.48	
20	डब्ल्यू.बी..	डब्ल्यू.बी /72	नॉर्थ ब्रूक जूट कं. लि.	1.25	
21	डब्ल्यू.बी..	डब्ल्यू.बी/664	बंगाल वॉटरप्रूफ	1.25	
22	डब्ल्यू.बी..	डब्ल्यू.बी/375	मैसर्स हुगली मिल्स (यूनिट: गोन्डल पारा)	1.22	
23	डब्ल्यू.बी..	डब्ल्यू.बी /4	मैसर्स हुगली मिल्स कं. लि.	1.13	

1	AP	13	M/s. Hindustan Shipyard Ltd., VSP	14.33	
Total of the Region					14.33
Hyderabad					
1	AP	295	APSRTC	103.17	
2	AP	144	M/s. Praga Tools Ltd	14.20	
3	AP	3071	M/s. HMT Ltd.(MT Divn.)	2.36	
4	AP	3209	M/s Alluminium Industries	1.91	
5	AP	17136	M/s. HFL	1.13	
Total of the Region					122.78
Nizamabad					
NIL					
Chennai					
3	TN	5887	Tamil Nadu Electricity Board	11.88	
1	TN	19769	M/s. Dunlop India Ltd.	1.02	
Total of the Region					12.91
Coimbatore					
NIL					
Madurai					
NIL					
Tambaram					
1	TN	1570	Alstom Ltd	2.22	
Total of the Region					2.22
Kerala					
1	KR	16	Trava.Rayo	4.15	
2	KR	15	Aluminium Industries	1.45	
Total of the Region					5.61
Kolkata					
1	WB	WB/49,51, 5529	M/s. New central Jute Mills Co. Ltd.	16.18	
2	WB	WB/97	Kanoria Jute Industries	10.98	
3	WB	WB/62 & 71	Victoria jute co. Ltd.	10.94	
4	WB	WB/338	Titagarh Jute Mill No. 2 (Loomtex)	9.47	
5	WB	WB/1267	M/s. Amrita Bazar Patrika Ltd.	9.27	
6	WB	WB/64	The Shyamnagar Jute Factory	8.18	
7	WB	WB/76,85 &86	Howrah Mills Co. Ltd.	7.59	
8	WB	WB/707	M/s. Bata India Ltd.	5.68	
9	WB	WB/63	Angus Jute Works	5.52	
10	WB	WB/48 & 55	M/S. NJMC LTD., Unit KENNISION	4.25	
11	WB	WB/11 & 43	M/S. NJMC LTD., Unit KHARDAH	2.99	

					क्षेत्र का कुल	112.34
जलपाईगुड़ी						
1	डब्ल्यू.बी	1083	सुभाषिनी टी.ई.		3.31	
					क्षेत्र का कुल	3.31
पूर्वोत्तर क्षेत्र						
शून्य						
रांची						
1	जे.एच.	1465	एच.ई.सी. लि.		95.22	
2	जे.एच.	2316	मैसर्स सेल, बोकारो		18.64	
3	जे.एच.	13022	मैसर्स टाटा क्यूमिन्स लि.		2.13	
					क्षेत्र का कुल	115.99
अखिल भारतीय कुल योग						602.42

12	WB	WB/35	Meghna Jute Mills (Unit:Gajanand Commercials)	2.97	
13	WB	WB/79	M/s. Delta International Ltd.	2.45	
14	WB	WB/23	M/s Kelvin Jute Industries Ltd.,	2.33	
15	WB	WB/716	M/s. Dunlop (I) Ltd.,	2.02	
16	WB	WB/30	Hooghly Mills Co Ltd (Unit : Wevarly)	1.98	
17	WB	WB/17	M/S. Kamarhatty co. Ltd.	1.66	
18	WB	WB/28	M/s. Caledonian Jute & Industries Ltd.	1.54	
19	WB	WB/89	Auckland International Ltd.(Ambika Jute Mills)	1.48	
20	WB	WB/72	North Brooke Jute Co. Ltd.	1.25	
21	WB	WB/664	Bengal Water Proof	1.25	
22	WB	WB/375	M/s. Hooghly Mills (Unit: Gondal Para)	1.22	
23	WB	WB/4	M/s. Hooghly Mills Co. Ltd.	1.13	
Total of the Region					112.34
Jalpaiguri					
1	WB	1083	Subhashini TE	3.31	
Total of the Region					3.31
North-East Region					
NIL					
Ranchi					
1	JH	1465	HEC Ltd	95.22	
2	JH	2316	M/s SAIL, Bokaro	18.64	
3	JH	13022	Tata Cummins Ltd.	2.13	
Total of the Region					115.99
ALL INDIA GRAND TOTAL					602.42

अनिवेशित राशि (छूट प्राप्त) - 31.03.2015 की स्थिति		
क्षेत्र	स्थापनाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ों में)
देहरादून	14	33.68
दिल्ली (उत्तर)	165	824.50
दिल्ली (दक्षिण)	24	86.75
आ.का. (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	203	944.94
चंडीगढ़	5	0.06
लुधियाना	10	1.14
शिमला	6	1.97
आ.का. (पंजाब एवं हि. प्रदेश)	21	3.18
कानपुर	9	1.68
मेरठ	0	0.00
पटना	1	0.44
आ.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	10	2.12
फरीदाबाद	1	0.85
गुडगांव	0	0.00
जयपुर	18	32.32
आ.का. (हरियाणा एवं राज.)	19	33.17
अहमदाबाद	37	16.96
वडोदा	31	8.30
इंदौर	5	2.97
सूरत	0	0.00
आ.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	73	28.23
काठिवाली	39	95.61
मुंबई-I वांद्रा	5	46.89
मुंबई-II थाणे	130	95.64
नागपुर	0	0.00
पुणे	33	32.72
रायपुर	5	46.89
आ.का. (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	212	317.75
बंगलूर	8	4.09
गुलबर्गा	6	6.19
मंगलूर	11	75.66
पणजी	9	4.57
पीण्चा	48	66.61
आ.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	82	157.12
भुवनेश्वर	0	0.00
गुन्टूर	10	31.90
हैदराबाद	24	28.79
निजामाबाद	0	0.00
आ.का. (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	34	60.69
चेन्नै	41	44.46
कोयम्बतूर	37	23.51
मद्रै	13	28.90
तावर्म	12	8.10
तिरुवनंतपुरम	11	17.53
आ.का. (तमिलनाडु एवं केरल)	114	122.50
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	4	26.40
जलपाईगुड़ी	0	0.95
कोलकाता	84	4233.31
रांची	119	248.11
आ.का. (प.बं., पू.क्ष. एवं झारखंड)	207	4508.76
अखिल भारतीय	975	6178.46

Amount remaining un-invested (Exempted Establishment) as on 31.03.2015		
Region	No. of Establishments	Amount (₹ in cr.)
Dehradun	14	33.68
Delhi (North)	165	824.50
Delhi (South)	24	86.75
ZO (DL & UK)	203	944.94
Chandigarh	5	0.06
Ludhiana	10	1.14
Shimla	6	1.97
ZO (PN & HP)	21	3.18
Kanpur	9	1.68
Meerut	0	0.00
Patna	1	0.44
ZO (UP & BR)	10	2.12
Faridabad	1	0.85
Gurgaon	0	0.00
Jaipur	18	32.32
ZO (HR & RJ)	19	33.17
Ahmedabad	37	16.96
Baroda	31	8.30
Indore	5	2.97
Surat	0	0.00
ZO (GJ & MP)	73	28.23
Kandivili	39	95.61
Mumbai-I Bandra	5	46.89
Mumbai-II Thane	130	95.64
Nagpur	0	0.00
Pune	33	32.72
Raipur	5	46.89
ZO (MH & CG)	212	317.75
Bangalore	8	4.09
Gulbarga	6	6.19
Mangalore	11	75.66
Panaji	9	4.57
Peenya	48	66.61
ZO (KN & Goa)	82	157.12
Bhubaneshwar	0	0.00
Guntur	10	31.90
Hyderabad	24	28.79
Nizamabad	0	0.00
ZO (AP & OR)	34	60.69
Chennai	41	44.46
Coimbatore	37	23.51
Madurai	13	28.90
Tambaram	12	8.10
Thiruvananthapuram	11	17.53
ZO (TN & KR)	114	122.50
Guwahati (NER)	4	26.40
Jalpaiguri	0	0.95
Kolkata	84	4233.31
Ranchi	119	248.11
ZO (WB, NER & JH)	207	4508.76
ALL INDIA	975	6178.46

सर्वोच्च न्यायालय के मामलों की स्थिति						
क्षेत्र	कुल कार्यभार	वर्ष के दौरान निर्णीत			वर्ष के दौरान कुल निर्णीत मामले	31.03.2015 को अंत शेष
		विरुद्ध	पक्ष में	वापिस लिए		
देहरादून	7	0	1	0	1	6
दिल्ली (उत्तर)	16	0	0	1	1	15
दिल्ली (दक्षिण)	1	0	1	0	1	0
आ.का. (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	24	0	2	1	3	21
चंडीगढ़	3	0	0	0	0	3
लुधियाना	4	0	1	0	1	3
शिमला	0	0	0	0	0	0
आ.का. (पंजाब एवं हि. प्रदेश)	7	0	1	0	1	6
कानपुर	6	0	1	0	1	5
मेरठ	1	0	0	0	0	1
पटना	9	5	1	0	6	3
आ.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	16	5	2	0	7	9
फरीदाबाद	1	0	1	0	1	0
गुडगांव	1	0	0	0	0	1
जयपुर	13	2	5	0	7	6
आ.का. (हरियाणा एवं राज.)	15	2	6	0	8	7
अहमदाबाद	4	0	0	1	1	3
बड़ौदा	4	1	0	0	1	3
इंदौर	18	0	0	0	0	18
सुरत	1	0	0	1	1	0
आ.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	27	1	0	2	3	24
कांदिबली	0	0	0	0	0	0
मुंबई-I बांद्रा	6	0	1	0	1	5
मुंबई-II थाणे	0	0	0	0	0	0
नागपुर	5	1	0	0	1	4
पुणे	3	0	1	0	1	2
रायपुर	0	0	0	0	0	0
आ.का. (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	14	1	2	0	3	11
बंगलौर	4	0	2	0	2	2
गुलबर्गा	19	0	0	0	0	19
मंगलौर	11	8	0	0	8	3
पणजी	2	0	1	0	1	1
पीण्या	4	0	0	0	0	4
आ.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	40	8	3	0	11	29
भुवनेश्वर	15	0	0	0	0	15
गुन्टूर	6	0	0	0	0	6
हैदराबाद	2	1	0	0	1	1
निजामाबाद	1	0	0	0	0	1
आ.का. (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	24	1	0	0	1	23
चेन्नै	4	0	0	0	0	4
कोयम्बतूर	2	0	1	0	1	1
मदुरै	1	1	0	0	1	0
तांवरम	1	0	0	0	0	1
तिरुवनंतपुरम	37	8	0	1	9	28
आ.का. (तमिलनाडु एवं केरल)	45	9	1	1	11	34
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	0	0	0	0	0	0
जलपाईगुड़ी	1	0	1	0	1	0
कोलकाता	7	0	0	0	0	7
रांची	0	0	0	0	0	0
आ.का. (प.ब., पू.के. एवं झारखंड)	8	0	1	0	1	7
अखिल भारतीय	220	27	18	4	49	171

APPENDIX A-19(i)

STATUS OF SUPREME COURT CASES						
Region	Total workload	Decided during the year			Total cases decided during the year	C.B as on 31.03.2015
		Against	In favour of	Remand back		
Dehradun	7	0	1	0	1	6
Delhi (North)	16	0	0	1	1	15
Delhi (South)	1	0	1	0	1	0
ZO (DL & UK)	24	0	2	1	3	21
Chandigarh	3	0	0	0	0	3
Ludhiana	4	0	1	0	1	3
Shimla	0	0	0	0	0	0
ZO (PN & HP)	7	0	1	0	1	6
Kanpur	6	0	1	0	1	5
Meerut	1	0	0	0	0	1
Patna	9	5	1	0	6	3
ZO (UP & BR)	16	5	2	0	7	9
Faridabad	1	0	1	0	1	0
Gurgaon	1	0	0	0	0	1
Jaipur	13	2	5	0	7	6
ZO (HR & RJ)	15	2	6	0	8	7
Ahmedabad	4	0	0	1	1	3
Baroda	4	1	0	0	1	3
Indore	18	0	0	0	0	18
Surat	1	0	0	1	1	0
ZO (GJ & MP)	27	1	0	2	3	24
Kandivili	0	0	0	0	0	0
Mumbai-I Bandra	6	0	1	0	1	5
Mumbai-II Thane	0	0	0	0	0	0
Nagpur	5	1	0	0	1	4
Pune	3	0	1	0	1	2
Raipur	0	0	0	0	0	0
ZO (MH & CG)	14	1	2	0	3	11
Bangalore	4	0	2	0	2	2
Gulbarga	19	0	0	0	0	19
Mangalore	11	8	0	0	8	3
Panaji	2	0	1	0	1	1
Peenya	4	0	0	0	0	4
ZO (KN & Goa)	40	8	3	0	11	29
Bhubaneshwar	15	0	0	0	0	15
Guntur	6	0	0	0	0	6
Hyderabad	2	1	0	0	1	1
Nizamabad	1	0	0	0	0	1
ZO (AP & OR)	24	1	0	0	1	23
Chennai	4	0	0	0	0	4
Coimbatore	2	0	1	0	1	1
Madurai	1	1	0	0	1	0
Tambaram	1	0	0	0	0	1
Thiruvananthapuram	37	8	0	1	9	28
ZO (TN & KR)	45	9	1	1	11	34
Guwahati (NER)	0	0	0	0	0	0
Jalpaiguri	1	0	1	0	1	0
Kolkata	7	0	0	0	0	7
Ranchi	0	0	0	0	0	0
ZO (WB, NER & JH)	8	0	1	0	1	7
All INDIA	220	27	18	4	49	171

उच्च न्यायालयों के मामलों की स्थिति						
क्षेत्र	कुल कार्यभार	वर्ष के दौरान निर्णीत			वर्ष के दौरान कुल निर्णीत मामले	31.03.2015 को अंत शेष
		विरुद्ध	पक्ष में	वापिस लिए		
देहरादून	132	2	16	0	18	114
दिल्ली (उत्तर)	470	9	64	88	161	309
दिल्ली (दक्षिण)	106	9	49	10	68	38
आ.का. (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	708	20	129	98	247	461
चंडीगढ़	212	3	25	6	34	178
लुधियाना	128	2	15	3	20	108
शिमला	31	0	2	0	2	29
आ.का. (पंजाब एवं हि. प्रदेश)	371	5	42	9	56	315
कानपुर	660	38	75	0	113	547
मेरठ	207	0	60	0	60	147
पटना	395	0	122	0	122	273
आ.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	1262	38	257	0	295	967
फरीदाबाद	142	0	9	3	12	130
गुडगांव	43	0	7	2	9	34
जयपुर	371	4	33	2	39	332
आ.का. (हरियाणा एवं राज.)	556	4	49	7	60	496
अहमदाबाद	354	2	41	1	44	310
वडोदा	49	1	1	0	2	47
इंदौर	815	3	237	9	249	566
सुरत	61	3	9	1	13	48
आ.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	1279	9	288	11	308	971
काठिवली	116	2	19	1	22	94
मुंबई-I बांद्रा	101	2	13	3	18	83
मुंबई-II थाणे	54	0	0	8	8	46
नागपुर	328	11	67	18	96	232
पुणे	121	5	36	7	48	73
रायपुर	130	15	1	0	16	114
आ.का. (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	850	35	136	37	208	642
बंगलौर	338	11	182	7	200	138
गुलबर्गा	107	3	17	1	21	86
मंगलौर	57	13	7	4	24	33
पणजी	35	1	5	1	7	28
पीण्या	64	1	8	1	10	54
आ.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	601	29	219	14	262	339
मुबनेश्वर	945	4	111	37	152	793
गुन्डूर	365	2	19	2	23	342
हैदराबाद	476	2	64	6	72	404
निजामाबाद	115	0	8	3	11	104
आ.का. (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	1901	8	202	48	258	1643
चेन्नै	233	0	13	2	15	218
कोयम्बतूर	245	4	34	3	41	204
मद्रास	389	4	43	2	49	340
तांवरम	150	2	13	3	18	132
तिरुवनंतपुरम	1242	84	126	112	322	920
आ.का. (तमिलनाडु एवं केरल)	2259	94	229	122	445	1814
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	101	0	31	0	31	70
जलपाईगुड़ी	105	10	4	1	15	90
कोलकाता	1287	3	556	2	561	726
रांची	266	3	28	2	33	233
आ.का. (प.ब., पू.क्ष. एवं झारखंड)	1759	16	619	5	640	1119
अखिल भारतीय	11546	258	2170	351	2779	8767

APPENDIX A-19(ii)

STATUS OF HIGH COURT CASES						
Region	Total workload	Decided during the year			Total cases decided during the year	C.B as on 31.03.2015
		Against	In favour of	Remand back		
Dehradun	132	2	16	0	18	114
Delhi (North)	470	9	64	88	161	309
Delhi (South)	106	9	49	10	68	38
ZO (DL & UK)	708	20	129	98	247	461
Chandigarh	212	3	25	6	34	178
Ludhiana	128	2	15	3	20	108
Shimla	31	0	2	0	2	29
ZO (PN & HP)	371	5	42	9	56	315
Kanpur	660	38	75	0	113	547
Meerut	207	0	60	0	60	147
Patna	395	0	122	0	122	273
ZO (UP & BR)	1262	38	257	0	295	967
Faridabad	142	0	9	3	12	130
Gurgaon	43	0	7	2	9	34
Jaipur	371	4	33	2	39	332
ZO (HR & RJ)	556	4	49	7	60	496
Ahmedabad	354	2	41	1	44	310
Baroda	49	1	1	0	2	47
Indore	815	3	237	9	249	566
Surat	61	3	9	1	13	48
ZO (GJ & MP)	1279	9	288	11	308	971
Kandivili	116	2	19	1	22	94
Mumbai-I Bandra	101	2	13	3	18	83
Mumbai-II Thane	54	0	0	8	8	46
Nagpur	328	11	67	18	96	232
Pune	121	5	36	7	48	73
Raipur	130	15	1	0	16	114
ZO (MH & CG)	850	35	136	37	208	642
Bangalore	338	11	182	7	200	138
Gulbarga	107	3	17	1	21	86
Mangalore	57	13	7	4	24	33
Panaji	35	1	5	1	7	28
Peenya	64	1	8	1	10	54
ZO (KN & Goa)	601	29	219	14	262	339
Bhubaneswar	945	4	111	37	152	793
Guntur	365	2	19	2	23	342
Hyderabad	476	2	64	6	72	404
Nizamabad	115	0	8	3	11	104
ZO (AP & OR)	1901	8	202	48	258	1643
Chennai	233	0	13	2	15	218
Coimbatore	245	4	34	3	41	204
Madurai	389	4	43	2	49	340
Tambaram	150	2	13	3	18	132
Thiruvananthapuram	1242	84	126	112	322	920
ZO (TN & KR)	2259	94	229	122	445	1814
Guwahati (NER)	101	0	31	0	31	70
Jalpaiguri	105	10	4	1	15	90
Kolkata	1287	3	556	2	561	726
Ranchi	266	3	28	2	33	233
ZO (WB, NER & JH)	1759	16	619	5	640	1119
All INDIA	11546	258	2170	351	2779	8767

जिला न्यायालयों के मामलों की स्थिति						
क्षेत्र	कुल कार्यभार	वर्ष के दौरान निर्णीत			वर्ष के दौरान कुल निर्णीत मामले	31.03.2015 को अंत शेष
		विरुद्ध	पक्ष में	वापिस लिए		
देहरादून	11	0	1	0	1	10
दिल्ली (उत्तर)	743	83	3	3	89	654
दिल्ली (दक्षिण)	60	0	5	0	5	55
आ.का. (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	814	83	9	3	95	719
चंडीगढ़	150	2	35	0	37	113
लुधियाना	439	0	323	0	323	116
शिमला	6	0	0	0	0	6
आ.का. (पंजाब एवं हि. प्रदेश)	595	2	358	0	360	235
कानपुर	89	2	8	0	10	79
मेरठ	26	0	8	0	8	18
पटना	258	0	17	0	17	241
आ.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	373	2	33	0	35	338
फरीदाबाद	171	2	84	0	86	85
गुडगांव	96	3	48	0	51	45
जयपुर	289	1	17	0	18	271
आ.का. (हरियाणा एवं राज.)	556	6	149	0	155	401
अहमदाबाद	263	0	1	0	1	262
वडोदा	831	0	0	0	0	831
इंदौर	1336	19	37	0	56	1280
सूरत	504	0	2	0	2	502
आ.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	2934	19	40	0	59	2875
कांदिवाली	59	0	2	0	2	57
मुंबई-I वांद्रा	2293	273	4	0	277	2016
मुंबई-II थाणे	675	8	0	0	8	667
नागपुर	57	0	18	0	18	39
पुणे	40	0	14	0	14	26
रायपुर	2	0	0	0	0	2
आ.का. (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	3126	281	38	0	319	2807
बंगलौर	157	0	42	31	73	84
गुलबर्गा	973	0	32	0	32	941
मंगलौर	1029	18	444	0	462	567
पणजी	24	5	2	0	7	17
पीण्या	20	0	2	0	2	18
आ.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	2203	23	522	31	576	1627
भुवनेश्वर	1191	0	0	0	0	1191
गुन्टूर	110	1	13	2	16	94
हैदराबाद	40	0	8	0	8	32
निजामाबाद	140	1	74	0	75	65
आ.का. (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	1481	2	95	2	99	1382
चेन्नै	18	0	2	0	2	16
कोयम्बतूर	75	1	11	0	12	63
मद्रास	77	3	5	0	8	69
तांवरम	41	0	1	0	1	40
तिरुवनंतपुरम	639	26	68	18	112	527
आ.का. (तमिलनाडु एवं केरल)	850	30	87	18	135	715
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	97	4	28	0	32	65
जलपाईगुडी	594	0	3	0	3	591
कोलकाता	4687	0	528	0	528	4159
रांची	220	0	1	0	1	219
आ.का. (प.बं., पू.के. एवं झारखंड)	5598	4	560	0	564	5034
अखिल भारतीय	18530	452	1891	54	2397	16133

STATUS OF DISTRICT COURT CASES						
Region	Total workload	Decided during the year			Total cases decided during the year	C.B as on 31.03.2015
		Against	In favour of	Remand back		
Dehradun	11	0	1	0	1	10
Delhi (North)	743	83	3	3	89	654
Delhi (South)	60	0	5	0	5	55
ZO (DL & UK)	814	83	9	3	95	719
Chandigarh	150	2	35	0	37	113
Ludhiana	439	0	323	0	323	116
Shimla	6	0	0	0	0	6
ZO (PN & HP)	595	2	358	0	360	235
Kanpur	89	2	8	0	10	79
Meerut	26	0	8	0	8	18
Patna	258	0	17	0	17	241
ZO (UP & BR)	373	2	33	0	35	338
Faridabad	171	2	84	0	86	85
Gurgaon	96	3	48	0	51	45
Jaipur	289	1	17	0	18	271
ZO (HR & RJ)	556	6	149	0	155	401
Ahmedabad	263	0	1	0	1	262
Baroda	831	0	0	0	0	831
Indore	1336	19	37	0	56	1280
Surat	504	0	2	0	2	502
ZO (GJ & MP)	2934	19	40	0	59	2875
Kandivili	59	0	2	0	2	57
Mumbai-I Bandra	2293	273	4	0	277	2016
Mumbai-II Thane	675	8	0	0	8	667
Nagpur	57	0	18	0	18	39
Pune	40	0	14	0	14	26
Raipur	2	0	0	0	0	2
ZO (MH & CG)	3126	281	38	0	319	2807
Bangalore	157	0	42	31	73	84
Gulbarga	973	0	32	0	32	941
Mangalore	1029	18	444	0	462	567
Panaji	24	5	2	0	7	17
Peenya	20	0	2	0	2	18
ZO (KN & Goa)	2203	23	522	31	576	1627
Bhubaneshwar	1191	0	0	0	0	1191
Guntur	110	1	13	2	16	94
Hyderabad	40	0	8	0	8	32
Nizamabad	140	1	74	0	75	65
ZO (AP & OR)	1481	2	95	2	99	1382
Chennai	18	0	2	0	2	16
Coimbatore	75	1	11	0	12	63
Madurai	77	3	5	0	8	69
Tambaram	41	0	1	0	1	40
Thiruvananthapuram	639	26	68	18	112	527
ZO (TN & KR)	850	30	87	18	135	715
Guwahati (NER)	97	4	28	0	32	65
Jalpaiguri	594	0	3	0	3	591
Kolkata	4687	0	528	0	528	4159
Ranchi	220	0	1	0	1	219
ZO (WB, NER & JH)	5598	4	560	0	564	5034
All INDIA	18530	452	1891	54	2397	16133

राष्ट्रीय आयोग के मामलों की स्थिति						
क्षेत्र	कुल कार्यभार	वर्ष के दौरान निर्णीत			वर्ष के दौरान कुल निर्णीत मामले	31.03.2015 को अंत शेष
		विरुद्ध	पक्ष में	वापिस लिए		
देहरादून	1	0	0	0	0	1
दिल्ली (उत्तर)	295	169	21	5	195	100
दिल्ली (दक्षिण)	2	0	0	0	0	2
आं.का. (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	298	169	21	5	195	103
चंडीगढ़	4	2	0	0	2	2
लुधियाना	0	0	0	0	0	0
शिमला	1	0	0	0	0	1
आं.का. (पंजाब एवं हि. प्रदेश)	5	2	0	0	2	3
कानपुर	8	3	0	0	3	5
मेरठ	0	0	0	0	0	0
पटना	4	4	0	0	4	0
आं.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	12	7	0	0	7	5
फरीदाबाद	14	1	11	0	12	2
गुडगांव	0	0	0	0	0	0
जयपुर	37	0	0	1	1	36
आं.का. (हरियाणा एवं राज.)	51	1	11	1	13	38
अहमदाबाद	6	1	1	0	2	4
बड़ौदा	0	0	0	0	0	0
इंदौर	10	1	6	0	7	3
सुरत	0	0	0	0	0	0
आं.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	16	2	7	0	9	7
काठिवली	1	0	0	0	0	1
मुंबई-I वांद्रा	1	0	1	0	1	0
मुंबई-II थाणे	0	0	0	0	0	0
नागपुर	3	0	1	0	1	2
पुणे	2	1	1	0	2	0
रायपुर	0	0	0	0	0	0
आं.का. (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	7	1	3	0	4	3
बंगलौर	2	0	1	0	1	1
गुलबर्गा	55	12	0	0	12	43
मंगलौर	43	43	0	0	43	0
पणजी	0	0	0	0	0	0
पीण्या	8	0	0	0	0	8
आं.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	108	55	1	0	56	52
भुवनेश्वर	2	0	1	1	2	0
गुन्दूर	14	12	0	0	12	2
हैदराबाद	0	0	0	0	0	0
निजामाबाद	0	0	0	0	0	0
आं.का. (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	16	12	1	1	14	2
चेन्नै	0	0	0	0	0	0
कोयम्बतूर	0	0	0	0	0	0
मद्रै	1	0	0	0	0	1
तांवरम	0	0	0	0	0	0
तिरुवनंतपुरम	29	14	3	0	17	12
आं.का. (तमिलनाडु एवं केरल)	30	14	3	0	17	13
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	0	0	0	0	0	0
जलपाईगुड़ी	0	0	0	0	0	0
कोलकाता	2	1	1	0	2	0
रांची	0	0	0	0	0	0
आ.का. (प.बं., पू.के. एवं झारखंड)	2	1	1	0	2	0
अखिल भारतीय	545	264	48	7	319	226

STATUS OF NATIONAL COMMISSION CASES						
Region	Total workload	Decided during the year			Total cases decided during the year	C.B as on 31.03.2015
		Against	In favour of	Remand back		
Dehradun	1	0	0	0	0	1
Delhi (North)	295	169	21	5	195	100
Delhi (South)	2	0	0	0	0	2
ZO (DL & UK)	298	169	21	5	195	103
Chandigarh	4	2	0	0	2	2
Ludhiana	0	0	0	0	0	0
Shimla	1	0	0	0	0	1
ZO (PN & HP)	5	2	0	0	2	3
Kanpur	8	3	0	0	3	5
Meerut	0	0	0	0	0	0
Patna	4	4	0	0	4	0
ZO (UP & BR)	12	7	0	0	7	5
Faridabad	14	1	11	0	12	2
Gurgaon	0	0	0	0	0	0
Jaipur	37	0	0	1	1	36
ZO (HR & RJ)	51	1	11	1	13	38
Ahmedabad	6	1	1	0	2	4
Baroda	0	0	0	0	0	0
Indore	10	1	6	0	7	3
Surat	0	0	0	0	0	0
ZO (GJ & MP)	16	2	7	0	9	7
Kandivili	1	0	0	0	0	1
Mumbai-I Bandra	1	0	1	0	1	0
Mumbai-II Thane	0	0	0	0	0	0
Nagpur	3	0	1	0	1	2
Pune	2	1	1	0	2	0
Raipur	0	0	0	0	0	0
ZO (MH & CG)	7	1	3	0	4	3
Bangalore	2	0	1	0	1	1
Gulbarga	55	12	0	0	12	43
Mangalore	43	43	0	0	43	0
Panaji	0	0	0	0	0	0
Peenya	8	0	0	0	0	8
ZO (KN & Goa)	108	55	1	0	56	52
Bhubaneswar	2	0	1	1	2	0
Guntur	14	12	0	0	12	2
Hyderabad	0	0	0	0	0	0
Nizamabad	0	0	0	0	0	0
ZO (AP & OR)	16	12	1	1	14	2
Chennai	0	0	0	0	0	0
Coimbatore	0	0	0	0	0	0
Madurai	1	0	0	0	0	1
Tambaram	0	0	0	0	0	0
Thiruvananthapuram	29	14	3	0	17	12
ZO (TN & KR)	30	14	3	0	17	13
Guwahati (NER)	0	0	0	0	0	0
Jalpaiguri	0	0	0	0	0	0
Kolkata	2	1	1	0	2	0
Ranchi	0	0	0	0	0	0
ZO (WB, NER & JH)	2	1	1	0	2	0
All INDIA	545	264	48	7	319	226

राज्य आयोग के मामलों की स्थिति						
क्षेत्र	कुल कार्यभार	वर्ष के दौरान निर्णीत			वर्ष के दौरान कुल निर्णीत मामले	31.03.2015 को अंत शेष
		विरुद्ध	पक्ष में	वापिस लिए		
देहरादून	6	0	0	0	0	6
दिल्ली (उत्तर)	18	0	1	0	1	17
दिल्ली (दक्षिण)	4	1	2	0	3	1
आ.का. (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	28	1	3	0	4	24
चंडीगढ़	58	2	3	0	5	53
लुधियाना	8	2	4	0	6	2
शिमला	3	0	2	0	2	1
आ.का. (पंजाब एवं हि. प्रदेश)	69	4	9	0	13	56
कानपुर	144	19	9	0	28	116
मेरठ	26	0	6	0	6	20
पटना	45	0	2	0	2	43
आ.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	215	19	17	0	36	179
फरीदाबाद	3	1	0	0	1	2
गुडगांव	2	0	1	0	1	1
जयपुर	45	2	9	0	11	34
आ.का. (हरियाणा एवं राज.)	50	3	10	0	13	37
अहमदाबाद	141	1	31	0	32	109
बड़ौदा	5	0	0	0	0	5
इंदौर	49	0	2	1	3	46
सुरत	1	0	0	0	0	1
आ.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	196	1	33	1	35	161
काठिवाली	7	0	1	0	1	6
मुंबई-I बांद्रा	7	2	1	0	3	4
मुंबई-II वाणे	4	0	0	0	0	4
नागपुर	36	3	11	0	14	22
पुणे	11	0	8	0	8	3
रायपुर	2	0	1	0	1	1
आ.का. (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	67	5	22	0	27	40
बंगलौर	14	9	0	0	9	5
गुलबर्गा	568	155	8	0	163	405
मंगलौर	141	96	3	0	99	42
पणजी	0	0	0	0	0	0
पीण्या	8	0	0	0	0	8
आ.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	731	260	11	0	271	460
भुवनेश्वर	109	0	13	0	13	96
गुडूर	10	0	3	0	3	7
हैदराबाद	3	3	0	0	3	0
निजामाबाद	1	0	1	0	1	0
आ.का. (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	123	3	17	0	20	103
चेन्नै	7	0	0	0	0	7
कोयम्बतूर	6	0	1	0	1	5
मद्रै	4	0	2	0	2	2
तांवरम	0	0	0	0	0	0
तिरुवनंतपुरम	33	7	9	0	16	17
आ.का. (तमिलनाडु एवं केरल)	50	7	12	0	19	31
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	2	0	1	1	2	0
जलपाईगुड़ी	0	0	0	0	0	0
कोलकाता	9	0	3	1	4	5
रांची	6	0	1	0	1	5
आ.का. (प.ब., पू.के. एवं झारखंड)	17	0	5	2	7	10
अखिल भारतीय	1546	303	139	3	445	1101

STATUS OF STATE COMMISSION CASES						
Region	Total workload	Decided during the year			Total cases decided during the year	C.B as on 31.03.2015
		Against	In favour of	Remand back		
Dehradun	6	0	0	0	0	6
Delhi (North)	18	0	1	0	1	17
Delhi (South)	4	1	2	0	3	1
ZO (DL & UK)	28	1	3	0	4	24
Chandigarh	58	2	3	0	5	53
Ludhiana	8	2	4	0	6	2
Shimla	3	0	2	0	2	1
ZO (PN & HP)	69	4	9	0	13	56
Kanpur	144	19	9	0	28	116
Meerut	26	0	6	0	6	20
Patna	45	0	2	0	2	43
ZO (UP & BR)	215	19	17	0	36	179
Faridabad	3	1	0	0	1	2
Gurgaon	2	0	1	0	1	1
Jaipur	45	2	9	0	11	34
ZO (HR & RJ)	50	3	10	0	13	37
Ahmedabad	141	1	31	0	32	109
Baroda	5	0	0	0	0	5
Indore	49	0	2	1	3	46
Surat	1	0	0	0	0	1
ZO (GJ & MP)	196	1	33	1	35	161
Kandivili	7	0	1	0	1	6
Mumbai-I Bandra	7	2	1	0	3	4
Mumbai-II Thane	4	0	0	0	0	4
Nagpur	36	3	11	0	14	22
Pune	11	0	8	0	8	3
Raipur	2	0	1	0	1	1
ZO (MH & CG)	67	5	22	0	27	40
Bangalore	14	9	0	0	9	5
Gulbarga	568	155	8	0	163	405
Mangalore	141	96	3	0	99	42
Panaji	0	0	0	0	0	0
Peenya	8	0	0	0	0	8
ZO (KN & Goa)	731	260	11	0	271	460
Bhubaneshwar	109	0	13	0	13	96
Guntur	10	0	3	0	3	7
Hyderabad	3	3	0	0	3	0
Nizamabad	1	0	1	0	1	0
ZO (AP & OR)	123	3	17	0	20	103
Chennai	7	0	0	0	0	7
Coimbatore	6	0	1	0	1	5
Madurai	4	0	2	0	2	2
Tambaram	0	0	0	0	0	0
Thiruvananthapuram	33	7	9	0	16	17
ZO (TN & KR)	50	7	12	0	19	31
Guwahati (NER)	2	0	1	1	2	0
Jalpaiguri	0	0	0	0	0	0
Kolkata	9	0	3	1	4	5
Ranchi	6	0	1	0	1	5
ZO (WB, NER & JH)	17	0	5	2	7	10
All INDIA	1546	303	139	3	445	1101

जिला उपभोक्ता फोरम के मामलों की स्थिति						
क्षेत्र	कुल कार्यभार	वर्ष के दौरान निर्णीत			वर्ष के दौरान कुल निर्णीत मामले	31.03.2015 को अंत शेष
		विरुद्ध	पक्ष में	वापिस लिए		
देहरादून	25	0	2	0	2	23
दिल्ली (उत्तर)	173	3	19	0	22	151
दिल्ली (दक्षिण)	119	4	61	0	65	54
आ.का. (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	317	7	82	0	89	228
चंडीगढ़	96	48	16	0	64	32
लुधियाना	15	3	5	0	8	7
शिमला	40	1	11	0	12	28
आ.का. (पंजाब एवं हि. प्रदेश)	151	52	32	0	84	67
कानपुर	366	23	56	0	79	287
मेरठ	106	0	28	0	28	78
पटना	126	2	29	0	31	95
आ.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	598	25	113	0	138	460
फरीदाबाद	88	2	13	0	15	73
गुडगांव	66	2	35	0	37	29
जयपुर	221	5	59	0	64	157
आ.का. (हरियाणा एवं राज.)	375	9	107	0	116	259
अहमदाबाद	206	12	49	0	61	145
बड़ौदा	24	1	1	0	2	22
इंदौर	175	9	59	0	68	107
सुरत	67	1	31	0	32	35
आ.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	472	23	140	0	163	309
कांदिवाली	140	1	15	0	16	124
मुंबई-I वांद्रा	58	2	22	0	24	34
मुंबई-II धाणे	11	1	3	0	4	7
नागपुर	54	6	20	0	26	28
पुणे	65	5	21	0	26	39
रायपुर	25	6	0	0	6	19
आ.का. (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	353	21	81	0	102	251
बंगलौर	176	2	2	0	4	172
गुलबर्गा	441	146	33	0	179	262
मंगलौर	1949	112	30	0	142	1807
पणजी	2	0	0	0	0	2
पीण्या	57	0	3	0	3	54
आ.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	2625	260	68	0	328	2297
भुवनेश्वर	335	4	83	0	87	248
गुन्डूर	29	11	6	0	17	12
हैदराबाद	68	0	12	0	12	56
निजामाबाद	37	4	2	0	6	31
आ.का. (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	469	19	103	0	122	347
चेन्नै	34	2	2	0	4	30
कोयम्बतूर	61	1	11	0	12	49
मडुरै	16	0	2	0	2	14
तांवरम	37	0	23	0	23	14
तिरुवनंतपुरम	145	9	50	1	60	85
आ.का. (तमिलनाडु एवं केरल)	293	12	88	1	101	192
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	3	0	1	0	1	2
जलपाईगुड़ी	2	0	1	0	1	1
कोलकाता	72	2	8	0	10	62
रांची	36	0	5	0	5	31
आ.का. (प.बं., पू.के. एवं झारखंड)	113	2	15	0	17	96
अखिल भारतीय	5766	430	829	1	1260	4506

STATUS OF DISTRICT CONSUMER FORUM CASES						
Region	Total workload	Decided during the year			Total cases decided during the year	C.B as on 31.03.2015
		Against	In favour of	Remand back		
Dehradun	25	0	2	0	2	23
Delhi (North)	173	3	19	0	22	151
Delhi (South)	119	4	61	0	65	54
ZO (DL & UK)	317	7	82	0	89	228
Chandigarh	96	48	16	0	64	32
Ludhiana	15	3	5	0	8	7
Shimla	40	1	11	0	12	28
ZO (PN & HP)	151	52	32	0	84	67
Kanpur	366	23	56	0	79	287
Meerut	106	0	28	0	28	78
Patna	126	2	29	0	31	95
ZO (UP & BR)	598	25	113	0	138	460
Faridabad	88	2	13	0	15	73
Gurgaon	66	2	35	0	37	29
Jaipur	221	5	59	0	64	157
ZO (HR & RJ)	375	9	107	0	116	259
Ahmedabad	206	12	49	0	61	145
Baroda	24	1	1	0	2	22
Indore	175	9	59	0	68	107
Surat	67	1	31	0	32	35
ZO (GJ & MP)	472	23	140	0	163	309
Kandivili	140	1	15	0	16	124
Mumbai-I Bandra	58	2	22	0	24	34
Mumbai-II Thane	11	1	3	0	4	7
Nagpur	54	6	20	0	26	28
Pune	65	5	21	0	26	39
Raipur	25	6	0	0	6	19
ZO (MH & CG)	353	21	81	0	102	251
Bangalore	176	2	2	0	4	172
Gulbarga	441	146	33	0	179	262
Mangalore	1949	112	30	0	142	1807
Panaji	2	0	0	0	0	2
Peenya	57	0	3	0	3	54
ZO (KN & Goa)	2625	260	68	0	328	2297
Bhubaneswar	335	4	83	0	87	248
Guntur	29	11	6	0	17	12
Hyderabad	68	0	12	0	12	56
Nizamabad	37	4	2	0	6	31
ZO (AP & OR)	469	19	103	0	122	347
Chennai	34	2	2	0	4	30
Coimbatore	61	1	11	0	12	49
Madurai	16	0	2	0	2	14
Tambaram	37	0	23	0	23	14
Thiruvananthapuram	145	9	50	1	60	85
ZO (TN & KR)	293	12	88	1	101	192
Guwahati (NER)	3	0	1	0	1	2
Jalpaiguri	2	0	1	0	1	1
Kolkata	72	2	8	0	10	62
Ranchi	36	0	5	0	5	31
ZO (WB, NER & JH)	113	2	15	0	17	96
All INDIA	5766	430	829	1	1260	4506

कैट मामलों की स्थिति						
क्षेत्र	कुल कार्यभार	वर्ष के दौरान निर्णीत			वर्ष के दौरान कुल निर्णीत मामले	31.03.2015 को अंत शेष
		विरुद्ध	पक्ष में	वापिस लिए		
देहरादून	0	0	0	0	0	0
दिल्ली (उत्तर)	3	0	1	0	1	2
दिल्ली (दक्षिण)	2	0	0	0	0	2
आ.का. (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	5	0	1	0	1	4
चंडीगढ़	11	0	4	0	4	7
लुधियाना	0	0	0	0	0	0
शिमला	1	0	0	0	0	1
आ.का. (पंजाब एवं हि. प्रदेश)	12	0	4	0	4	8
कानपुर	17	0	0	1	1	16
मेरठ	1	0	0	0	0	1
पटना	13	2	2	2	6	7
आ.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	31	2	2	3	7	24
फरीदाबाद	2	0	1	0	1	1
गुडगांव	0	0	0	0	0	0
जयपुर	21	1	6	0	7	14
आ.का. (हरियाणा एवं राज.)	23	1	7	0	8	15
अहमदाबाद	11	3	4	0	7	4
बड़ौदा	1	0	0	0	0	1
इंदौर	14	1	1	1	3	11
सुरत	3	0	0	0	0	3
आ.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	29	4	5	1	10	19
कांदिबली	2	0	0	0	0	2
मुंबई-I वांद्रा	4	0	3	0	3	1
मुंबई-II थाणे	1	1	0	0	1	0
नागपुर	8	0	3	0	3	5
पुणे	0	0	0	0	0	0
रायपुर	3	0	0	0	0	3
आ.का. (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	18	1	6	0	7	11
बंगलूर	19	0	0	0	0	19
गुलबर्गा	4	0	0	0	0	4
मंगलूर	7	0	2	0	2	5
पणजी	11	0	0	0	0	11
पीण्या	2	0	1	0	1	1
आ.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	43	0	3	0	3	40
भुवनेश्वर	12	0	2	3	5	7
गुन्टूर	6	0	1	0	1	5
हैदराबाद	16	0	3	0	3	13
निजामाबाद	4	0	0	0	0	4
आ.का. (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	38	0	6	3	9	29
चेन्नै	17	3	2	0	5	12
कोयम्बतूर	1	0	0	0	0	1
मद्रास	10	0	3	0	3	7
तांवरम	3	0	0	0	0	3
तिरुवनंतपुरम	20	0	3	1	4	16
आ.का. (तमिलनाडु एवं केरल)	51	3	8	1	12	39
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	1	0	0	0	0	1
जलपाईगुड़ी	2	0	1	0	1	1
कोलकाता	7	1	0	1	2	5
रांची	5	1	0	0	1	4
आ.का. (प.ब., पू.के. एवं झारखंड)	15	2	1	1	4	11
अखिल भारतीय	265	13	43	9	65	200

STATUS OF CAT CASES						
Region	Total workload	Decided during the year			Total cases decided during the year	C.B as on 31.03.2015
		Against	In favour of	Remand back		
Dehradun	0	0	0	0	0	0
Delhi (North)	3	0	1	0	1	2
Delhi (South)	2	0	0	0	0	2
ZO (DL & UK)	5	0	1	0	1	4
Chandigarh	11	0	4	0	4	7
Ludhiana	0	0	0	0	0	0
Shimla	1	0	0	0	0	1
ZO (PN & HP)	12	0	4	0	4	8
Kanpur	17	0	0	1	1	16
Meerut	1	0	0	0	0	1
Patna	13	2	2	2	6	7
ZO (UP & BR)	31	2	2	3	7	24
Faridabad	2	0	1	0	1	1
Gurgaon	0	0	0	0	0	0
Jaipur	21	1	6	0	7	14
ZO (HR & RJ)	23	1	7	0	8	15
Ahmedabad	11	3	4	0	7	4
Baroda	1	0	0	0	0	1
Indore	14	1	1	1	3	11
Surat	3	0	0	0	0	3
ZO (GJ & MP)	29	4	5	1	10	19
Kandivili	2	0	0	0	0	2
Mumbai-I Bandra	4	0	3	0	3	1
Mumbai-II Thane	1	1	0	0	1	0
Nagpur	8	0	3	0	3	5
Pune	0	0	0	0	0	0
Raipur	3	0	0	0	0	3
ZO (MH & CG)	18	1	6	0	7	11
Bangalore	19	0	0	0	0	19
Gulbarga	4	0	0	0	0	4
Mangalore	7	0	2	0	2	5
Panaji	11	0	0	0	0	11
Peenya	2	0	1	0	1	1
ZO (KN & Goa)	43	0	3	0	3	40
Bhubaneswar	12	0	2	3	5	7
Guntur	6	0	1	0	1	5
Hyderabad	16	0	3	0	3	13
Nizamabad	4	0	0	0	0	4
ZO (AP & OR)	38	0	6	3	9	29
Chennai	17	3	2	0	5	12
Coimbatore	1	0	0	0	0	1
Madurai	10	0	3	0	3	7
Tambaram	3	0	0	0	0	3
Thiruvananthapuram	20	0	3	1	4	16
ZO (TN & KR)	51	3	8	1	12	39
Guwahati (NER)	1	0	0	0	0	1
Jalpaiguri	2	0	1	0	1	1
Kolkata	7	1	0	1	2	5
Ranchi	5	1	0	0	1	4
ZO (WB, NER & JH)	15	2	1	1	4	11
All INDIA	265	13	43	9	65	200

क.भ.नि.सं. अपीलीय अधिकरण मामलों की स्थिति						
क्षेत्र	कुल कार्यभार	वर्ष के दौरान निर्णीत			वर्ष के दौरान कुल निर्णीत मामले	31.03.2015 को अंत शेष
		विरुद्ध	पक्ष में	वापिस लिए		
देहरादून	52	1	0	0	1	51
दिल्ली (उत्तर)	108	3	2	1	6	102
दिल्ली (दक्षिण)	71	6	0	2	8	63
आ.का. (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	231	10	2	3	15	216
चंडीगढ़	104	9	14	0	23	81
लुधियाना	111	6	6	0	12	99
शिमला	19	3	2	0	5	14
आ.का. (पंजाब एवं हि. प्रदेश)	234	18	22	0	40	194
कानपुर	146	12	8	2	22	124
मेरठ	59	0	5	0	5	54
पटना	51	1	11	0	12	39
आ.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	256	13	24	2	39	217
फरीदाबाद	73	11	1	0	12	61
गुडगांव	46	4	0	0	4	42
जयपुर	92	7	4	1	12	80
आ.का. (हरियाणा एवं राज.)	211	22	5	1	28	183
अहमदाबाद	78	3	1	0	4	74
वडोदा	23	0	0	0	0	23
इंदौर	253	16	19	18	53	200
सुरत	45	0	0	0	0	45
आ.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	399	19	20	18	57	342
काठिवली	123	10	26	1	37	86
मुंबई-I बांद्रा	49	17	5	1	23	26
मुंबई-II थाणे	62	1	21	0	22	40
नागपुर	223	30	17	11	58	165
पुणे	97	15	18	2	35	62
रायपुर	40	3	2	0	5	35
आ.का. (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	594	76	89	15	180	414
बंगलौर	78	0	2	0	2	76
गुलबर्गा	56	5	6	0	11	45
मंगलौर	108	3	11	0	14	94
पणजी	20	3	4	0	7	13
पीण्या	95	2	0	0	2	93
आ.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	357	13	23	0	36	321
भुवनेश्वर	44	4	5	0	9	35
गुन्टूर	60	2	6	2	10	50
हैदराबाद	103	21	15	0	36	67
निजामाबाद	13	0	1	0	1	12
आ.का. (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	220	27	27	2	56	164
चेन्नै	115	0	3	1	4	111
कोयम्बतूर	301	167	34	4	205	96
मद्रास	162	0	8	0	8	154
तांवरम	129	17	7	2	26	103
तिरुवनंतपुरम	540	44	71	38	153	387
आ.का. (तमिलनाडु एवं केरल)	1247	228	123	45	396	851
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	7	0	0	0	0	7
जलपाईगुड़ी	47	23	1	1	25	22
कोलकाता	92	2	10	0	12	80
रांची	15	0	1	0	1	14
आ.का. (प.बं., पू.के. एवं झारखंड)	161	25	12	1	38	123
अखिल भारतीय	3910	451	347	87	885	3025

STATUS OF EPFO APPELLATE TRIBUNAL CASES						
Region	Total workload	Decided during the year			Total cases decided during the year	C.B as on 31.03.2015
		Against	In favour of	Remand back		
Dehradun	52	1	0	0	1	51
Delhi (North)	108	3	2	1	6	102
Delhi (South)	71	6	0	2	8	63
ZO (DL & UK)	231	10	2	3	15	216
Chandigarh	104	9	14	0	23	81
Ludhiana	111	6	6	0	12	99
Shimla	19	3	2	0	5	14
ZO (PN & HP)	234	18	22	0	40	194
Kanpur	146	12	8	2	22	124
Meerut	59	0	5	0	5	54
Patna	51	1	11	0	12	39
ZO (UP & BR)	256	13	24	2	39	217
Faridabad	73	11	1	0	12	61
Gurgaon	46	4	0	0	4	42
Jaipur	92	7	4	1	12	80
ZO (HR & RJ)	211	22	5	1	28	183
Ahmedabad	78	3	1	0	4	74
Baroda	23	0	0	0	0	23
Indore	253	16	19	18	53	200
Surat	45	0	0	0	0	45
ZO (GJ & MP)	399	19	20	18	57	342
Kandivili	123	10	26	1	37	86
Mumbai-I Bandra	49	17	5	1	23	26
Mumbai-II Thane	62	1	21	0	22	40
Nagpur	223	30	17	11	58	165
Pune	97	15	18	2	35	62
Raipur	40	3	2	0	5	35
ZO (MH & CG)	594	76	89	15	180	414
Bangalore	78	0	2	0	2	76
Gulbarga	56	5	6	0	11	45
Mangalore	108	3	11	0	14	94
Panaji	20	3	4	0	7	13
Peenya	95	2	0	0	2	93
ZO (KN & Goa)	357	13	23	0	36	321
Bhubaneswar	44	4	5	0	9	35
Guntur	60	2	6	2	10	50
Hyderabad	103	21	15	0	36	67
Nizamabad	13	0	1	0	1	12
ZO (AP & OR)	220	27	27	2	56	164
Chennai	115	0	3	1	4	111
Coimbatore	301	167	34	4	205	96
Madurai	162	0	8	0	8	154
Tambaram	129	17	7	2	26	103
Thiruvananthapuram	540	44	71	38	153	387
ZO (TN & KR)	1247	228	123	45	396	851
Guwahati (NER)	7	0	0	0	0	7
Jalpaiguri	47	23	1	1	25	22
Kolkata	92	2	10	0	12	80
Ranchi	15	0	1	0	1	14
ZO (WB, NER & JH)	161	25	12	1	38	123
All INDIA	3910	451	347	87	885	3025

तीनों योजनाओं में अंशदान एवं भुगतान (2014-15)					(₹ करोड़ों में)			
क्षेत्र	क.भ.नि.		क.पें.यो.		क.नि.स.बी.		कुल योग	
	कुल अंशदान	कुल भुगतान	कुल अंशदान	कुल भुगतान	कुल अंशदान	कुल भुगतान	कुल अंशदान	कुल भुगतान
देहरादून	510.81	294.36	261.43	111.86	12.21	2.75	784.44	408.97
दिल्ली (उत्तर)	2430.77	1480.86	910.33	352.48	33.58	6.17	3374.67	1839.50
दिल्ली (दक्षिण)	2384.26	1301.92	731.63	237.73	30.58	3.14	3146.47	1542.80
आं.का. (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	5325.83	3077.14	1903.39	702.07	76.36	12.06	7305.59	3791.27
चंडीगढ़	856.66	613.98	286.25	175.88	15.27	2.88	1158.18	792.74
लुधियाना	682.40	529.12	277.52	200.25	13.28	3.08	973.20	732.45
शिमला	389.30	229.63	140.15	86.04	6.58	1.17	536.03	316.85
आं.का. (पंजाब एवं हि. प्रदेश)	1928.36	1372.74	703.92	462.17	35.14	7.12	2667.42	1842.03
कानपुर	805.92	583.31	390.01	478.33	18.61	5.86	1214.55	1067.50
मेरठ	1447.51	838.93	551.79	256.15	25.39	4.05	2024.69	1099.14
पटना	305.86	214.98	138.91	217.23	8.93	1.88	453.70	434.09
आं.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	2559.29	1637.22	1080.71	951.72	52.93	11.79	3692.93	2600.73
फरीदाबाद	763.46	608.02	315.36	215.36	16.02	2.47	1094.84	825.85
गुडगांव	2603.48	1183.01	810.15	256.88	32.77	3.01	3446.40	1442.90
जयपुर	1142.99	722.15	452.59	282.57	18.15	3.03	1613.72	1007.75
आं.का. (हरियाणा एवं राज.)	4509.93	2513.18	1578.10	754.81	66.93	8.51	6154.96	3276.50
अहमदाबाद	1732.29	1052.73	728.18	453.65	27.85	4.55	2488.32	1510.94
बड़ौदा	546.47	325.67	210.07	126.32	9.32	1.68	765.85	453.66
इंदौर	1230.46	774.52	467.25	308.40	23.75	4.04	1721.46	1086.96
सुरत	913.69	604.68	371.84	189.12	18.78	2.83	1304.32	796.63
आं.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	4422.91	2757.60	1777.34	1077.49	79.69	13.10	6279.94	3848.19
काठिवाली	2444.28	1497.92	866.76	526.17	39.52	6.58	3350.57	2030.67
मुंबई-I बांद्रा	5806.44	2995.41	1899.78	558.76	60.00	7.71	7766.23	3561.88
मुंबई-II थाणे	2412.22	1353.32	790.21	424.72	37.32	6.83	3239.74	1784.87
नागपुर	853.90	608.29	361.00	362.41	18.15	5.50	1233.05	976.19
पुणे	3474.91	1781.03	1084.16	699.68	50.61	10.60	4609.69	2491.31
रायपुर	397.41	188.68	196.01	135.28	9.01	1.71	602.44	325.68
आं.का. (महाराष्ट्र एवं झारखण्ड)	15389.17	8424.64	5197.93	2707.02	214.61	38.93	20801.72	11170.59
बंगलूर	3087.41	1685.69	952.77	398.95	30.76	4.07	4070.94	2088.70
गुलबर्गा	493.31	330.17	247.40	200.98	10.02	2.40	750.74	533.55
मंगलूर	597.74	427.80	291.69	262.70	12.30	3.53	901.74	694.03
पणजी	279.30	205.46	95.53	59.35	4.08	0.95	378.91	265.76
पीण्या	4514.61	2165.53	1406.46	506.21	39.35	3.73	5960.42	2675.47
आं.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	8972.38	4814.64	2993.86	1428.20	96.52	14.67	12062.76	6257.51
भुवनेश्वर	812.47	578.06	348.97	247.10	16.72	2.70	1178.16	827.86
गुन्डूर	1129.03	758.25	465.60	455.03	26.21	8.96	1620.85	1222.24
हैदराबाद	3384.83	1799.35	1150.77	534.37	42.82	8.07	4578.42	2341.78
निजामाबाद	304.60	241.83	128.76	168.95	7.42	2.91	440.77	413.69
आं.का. (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	5630.93	3377.49	2094.10	1405.44	93.17	22.64	7818.20	4805.57
चेन्नै	3741.37	1905.40	1226.62	476.81	44.48	6.75	5012.47	2388.95
कोयम्बतूर	1372.57	972.57	617.53	437.62	27.95	5.27	2018.05	1415.46
मदुरै	635.21	496.10	293.25	293.77	15.35	4.42	943.81	794.29
तांवरम	1226.62	688.68	440.81	251.01	18.78	2.59	1686.22	942.28
तिरुवनंतपुरम	1581.75	1125.30	613.06	553.89	30.40	6.10	2225.21	1685.29
आं.का. (तमिलनाडु एवं केरल)	8557.52	5188.05	3191.28	2013.09	136.96	25.12	11885.77	7226.27
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	373.68	215.66	150.35	96.33	10.71	3.31	534.74	315.30
जलपाईगुड़ी	341.91	363.97	180.73	165.17	11.25	4.68	533.88	533.82
कोलकाता	1828.63	1249.95	872.49	608.37	52.15	14.00	2753.27	1872.32
रांची	361.60	244.24	227.50	229.07	9.68	1.91	598.79	475.22
आ.का.(प.बं., पू.से. एवं झारखंड)	2905.82	2073.81	1431.07	1098.94	83.79	23.90	4420.68	3196.66
अखिल भारतीय	60202.15	35236.51	21951.70	12600.96	936.12	177.85	83089.96	48015.32

Contribution and Payment of all three Schemes (2014-15)							(₹ in cr.)	
Region	EPF		EPS		EDLI		Grand Total	
	Total contribution	Total Payment	Total contribution	Total Payment	Total contribution	Total Payment	Total contribution	Total Payment
Dehradun	510.81	294.36	261.43	111.86	12.21	2.75	784.44	408.97
Delhi (North)	2430.77	1480.86	910.33	352.48	33.58	6.17	3374.67	1839.50
Delhi (South)	2384.26	1301.92	731.63	237.73	30.58	3.14	3146.47	1542.80
ZO (DL & UK)	5325.83	3077.14	1903.39	702.07	76.36	12.06	7305.59	3791.27
Chandigarh	856.66	613.98	286.25	175.88	15.27	2.88	1158.18	792.74
Ludhiana	682.40	529.12	277.52	200.25	13.28	3.08	973.20	732.45
Shimla	389.30	229.63	140.15	86.04	6.58	1.17	536.03	316.85
ZO (PN & HP)	1928.36	1372.74	703.92	462.17	35.14	7.12	2667.42	1842.03
Kanpur	805.92	583.31	390.01	478.33	18.61	5.86	1214.55	1067.50
Meerut	1447.51	838.93	551.79	256.15	25.39	4.05	2024.69	1099.14
Patna	305.86	214.98	138.91	217.23	8.93	1.88	453.70	434.09
ZO (UP & BR)	2559.29	1637.22	1080.71	951.72	52.93	11.79	3692.93	2600.73
Faridabad	763.46	608.02	315.36	215.36	16.02	2.47	1094.84	825.85
Gurgaon	2603.48	1183.01	810.15	256.88	32.77	3.01	3446.40	1442.90
Jaipur	1142.99	722.15	452.59	282.57	18.15	3.03	1613.72	1007.75
ZO (HR & RJ)	4509.93	2513.18	1578.10	754.81	66.93	8.51	6154.96	3276.50
Ahmedabad	1732.29	1052.73	728.18	453.65	27.85	4.55	2488.32	1510.94
Baroda	546.47	325.67	210.07	126.32	9.32	1.68	765.85	453.66
Indore	1230.46	774.52	467.25	308.40	23.75	4.04	1721.46	1086.96
Surat	913.69	604.68	371.84	189.12	18.78	2.83	1304.32	796.63
ZO (GJ & MP)	4422.91	2757.60	1777.34	1077.49	79.69	13.10	6279.94	3848.19
Kandivili	2444.28	1497.92	866.76	526.17	39.52	6.58	3350.57	2030.67
Mumbai-I Bandra	5806.44	2995.41	1899.78	558.76	60.00	7.71	7766.23	3561.88
Mumbai-II Thane	2412.22	1353.32	790.21	424.72	37.32	6.83	3239.74	1784.87
Nagpur	853.90	608.29	361.00	362.41	18.15	5.50	1233.05	976.19
Pune	3474.91	1781.03	1084.16	699.68	50.61	10.60	4609.69	2491.31
Raipur	397.41	188.68	196.01	135.28	9.01	1.71	602.44	325.68
ZO (MH & CG)	15389.17	8424.64	5197.93	2707.02	214.61	38.93	20801.72	11170.59
Bangalore	3087.41	1685.69	952.77	398.95	30.76	4.07	4070.94	2088.70
Gulbarga	493.31	330.17	247.40	200.98	10.02	2.40	750.74	533.55
Mangalore	597.74	427.80	291.69	262.70	12.30	3.53	901.74	694.03
Panaji	279.30	205.46	95.53	59.35	4.08	0.95	378.91	265.76
Peenya	4514.61	2165.53	1406.46	506.21	39.35	3.73	5960.42	2675.47
ZO (KN & Goa)	8972.38	4814.64	2993.86	1428.20	96.52	14.67	12062.76	6257.51
Bhubaneswar	812.47	578.06	348.97	247.10	16.72	2.70	1178.16	827.86
Guntur	1129.03	758.25	465.60	455.03	26.21	8.96	1620.85	1222.24
Hyderabad	3384.83	1799.35	1150.77	534.37	42.82	8.07	4578.42	2341.78
Nizamabad	304.60	241.83	128.76	168.95	7.42	2.91	440.77	413.69
ZO (AP & OR)	5630.93	3377.49	2094.10	1405.44	93.17	22.64	7818.20	4805.57
Chennai	3741.37	1905.40	1226.62	476.81	44.48	6.75	5012.47	2388.95
Coimbatore	1372.57	972.57	617.53	437.62	27.95	5.27	2018.05	1415.46
Madurai	635.21	496.10	293.25	293.77	15.35	4.42	943.81	794.29
Tambaram	1226.62	688.68	440.81	251.01	18.78	2.59	1686.22	942.28
Thiruvananthapura	1581.75	1125.30	613.06	553.89	30.40	6.10	2225.21	1685.29
ZO (TN & KR)	8557.52	5188.05	3191.28	2013.09	136.96	25.12	11885.77	7226.27
Guwahati (NER)	373.68	215.66	150.35	96.33	10.71	3.31	534.74	315.30
Jalpaiguri	341.91	363.97	180.73	165.17	11.25	4.68	533.88	533.82
Kolkata	1828.63	1249.95	872.49	608.37	52.15	14.00	2753.27	1872.32
Ranchi	361.60	244.24	227.50	229.07	9.68	1.91	598.79	475.22
ZO (WB, NER & AII INDIA)	2905.82	2073.81	1431.07	1098.94	83.79	23.90	4420.68	3196.66
All INDIA	60202.15	35236.51	21951.70	12600.96	936.12	177.85	83089.96	48015.32

तीनों योजनाओं में अंशदान एवं भुगतान (2013-14) (₹ करोड़ों में)								
क्षेत्र	क.भ.नि.		क.पें.यो.		क.नि.स.बी.		कुल योग	
	कुल अंशदान	कुल भुगतान	कुल अंशदान	कुल भुगतान	कुल अंशदान	कुल भुगतान	कुल अंशदान	कुल भुगतान
देहरादून	447.85	237.83	196.46	108.18	9.68	1.93	653.99	347.94
दिल्ली (उत्तर)	2282.30	1179.92	787.72	298.68	24.50	5.66	3094.52	1484.25
दिल्ली (दक्षिण)	2049.11	1096.90	514.06	230.30	21.96	2.35	2585.13	1329.55
आं.का. (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	4779.26	2514.65	1498.24	637.16	56.14	9.94	6333.64	3161.74
चंडीगढ़	735.46	593.82	216.50	146.13	12.03	2.51	963.99	742.45
गुजरात	592.11	460.10	222.11	167.06	10.31	2.57	824.53	629.73
शिमला	308.54	203.85	113.07	72.62	5.34	1.13	426.95	277.60
आं.का. (पंजाब एवं हि. प्रदेश)	1636.11	1257.77	551.68	385.81	27.68	6.21	2215.47	1649.78
कानपुर	647.93	482.10	304.91	403.99	13.88	5.42	966.72	891.51
मेरठ	1165.06	753.31	391.94	232.47	17.55	2.96	1574.55	988.74
पटना	247.83	729.50	113.62	201.49	4.82	1.33	366.27	932.32
आं.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	2060.82	1964.91	810.47	837.95	36.25	9.71	2907.54	2812.57
फरीदाबाद	662.63	620.32	250.51	186.19	12.93	2.41	926.08	808.92
गुडगांव	2474.10	1045.80	573.17	236.05	23.43	2.46	3070.70	1284.31
जयपुर	935.05	667.98	334.64	237.62	13.61	2.65	1283.30	908.25
आं.का. (हरियाणा एवं राज.)	4071.78	2334.10	1158.32	659.86	49.97	7.52	5280.08	3001.48
अहमदाबाद	1450.03	926.35	533.50	385.70	21.03	4.35	2004.55	1316.41
बड़ौदा	455.21	270.67	155.12	118.96	6.97	1.74	617.29	391.36
इंदौर	1011.58	693.86	357.91	259.13	18.26	3.66	1387.75	956.65
सुरत	798.64	519.75	290.98	156.05	14.34	2.44	1103.96	678.24
आं.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	3715.46	2410.63	1337.51	919.84	60.60	12.19	5113.55	3342.66
काठिवाली	2136.80	1385.92	646.57	445.23	29.64	5.59	2813.01	1836.74
मुंबई-I वांद्रा	5073.50	2572.68	1301.71	491.27	37.41	7.03	6412.62	3070.98
मुंबई-II थाणे	2030.93	1235.24	585.07	384.94	27.58	5.69	2643.59	1625.87
नागपुर	753.56	587.31	274.11	292.95	13.98	5.01	1041.65	885.27
पुणे	2956.57	1940.84	793.64	600.56	36.46	8.89	3786.68	2550.28
रायपुर	344.14	176.65	150.63	118.22	6.26	1.52	501.03	296.39
आं.का. (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	13295.50	7898.64	3751.73	2333.17	151.33	33.73	17198.58	10265.53
बंगलूर	2729.78	1315.12	681.11	328.29	22.27	3.39	3433.16	1646.80
गुलबर्गा	402.97	295.84	184.19	158.46	7.88	1.90	595.03	456.20
मंगलूर	508.14	372.54	224.11	206.14	9.69	3.19	741.94	581.86
पणजी	257.57	207.11	74.85	47.80	3.25	0.84	335.66	255.75
पीप्या	3898.30	1774.73	978.98	428.63	27.23	3.13	4904.51	2206.49
आं.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	7796.76	3965.34	2143.24	1169.32	70.32	12.45	10010.30	5147.10
भुवनेश्वर	701.52	492.56	269.22	194.72	14.83	2.58	985.57	689.86
गुन्डूर	933.21	624.37	369.28	342.91	20.79	6.64	1323.28	973.92
हैदराबाद	2991.44	1504.05	848.30	409.56	33.25	5.28	3872.99	1918.90
निजामाबाद	262.88	207.34	109.91	128.23	6.55	2.40	379.33	337.97
आं.का. (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	4889.05	2828.32	1596.71	1075.42	75.42	16.90	6561.17	3920.65
चेन्नै	3251.70	1675.92	889.80	762.08	33.55	4.56	4175.05	2442.56
कोयम्बतूर	1159.55	885.82	474.55	357.57	21.72	5.13	1655.82	1248.51
मदुरै	549.11	431.94	248.65	232.11	13.07	3.44	810.83	667.48
तांबरम	1062.11	640.43	329.08	200.51	14.52	2.09	1405.71	843.03
तिरुवनंतपुरम	1320.89	912.52	475.27	424.00	24.26	5.71	1820.42	1342.23
आं.का. (तमिलनाडु एवं केरल)	7343.36	4546.63	2417.35	1976.27	107.12	20.93	9867.83	6543.81
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	311.04	175.97	122.26	78.65	7.21	3.52	440.52	258.14
जलपाईगुड़ी	310.68	327.97	158.57	125.63	9.77	4.96	479.03	458.56
कोलकाता	1661.33	1101.00	696.24	517.12	37.90	13.05	2395.48	1631.17
रांची	308.35	189.08	175.44	184.12	8.05	1.52	491.84	374.72
आ.का.(प.बं., पू.के. एवं झारखंड)	2591.40	1794.02	1152.51	905.52	62.93	23.05	3806.87	2722.59
जम्मू और कश्मीर	52179.50	31515.01	16417.76	10900.32	697.76	152.63	69295.03	42567.91

APPENDIX A-20 (ii)

Contribution and Payment of all three Schemes (2013-14)							(₹ in cr.)	
Region	EPF		EPS		EDLI		Grand Total	
	Total contribution	Total Payment	Total contribution	Total Payment	Total contribution	Total Payment	Total contribution	Total Payment
Dehradun	447.85	237.83	196.46	108.18	9.68	1.93	653.99	347.94
Delhi (North)	2282.30	1179.92	787.72	298.68	24.50	5.66	3094.52	1484.25
Delhi (South)	2049.11	1096.90	514.06	230.30	21.96	2.35	2585.13	1329.55
ZO (DL & UK)	4779.26	2514.65	1498.24	637.16	56.14	9.94	6333.64	3161.74
Chandigarh	735.46	593.82	216.50	146.13	12.03	2.51	963.99	742.45
Ludhiana	592.11	460.10	222.11	167.06	10.31	2.57	824.53	629.73
Shimla	308.54	203.85	113.07	72.62	5.34	1.13	426.95	277.60
ZO (PN & HP)	1636.11	1257.77	551.68	385.81	27.68	6.21	2215.47	1649.78
Kanpur	647.93	482.10	304.91	403.99	13.88	5.42	966.72	891.51
Meerut	1165.06	753.31	391.94	232.47	17.55	2.96	1574.55	988.74
Patna	247.83	729.50	113.62	201.49	4.82	1.33	366.27	932.32
ZO (UP & BR)	2060.82	1964.91	810.47	837.95	36.25	9.71	2907.54	2812.57
Faridabad	662.63	620.32	250.51	186.19	12.93	2.41	926.08	808.92
Gurgaon	2474.10	1045.80	573.17	236.05	23.43	2.46	3070.70	1284.31
Jaipur	935.05	667.98	334.64	237.62	13.61	2.65	1283.30	908.25
ZO (HR & RJ)	4071.78	2334.10	1158.32	659.86	49.97	7.52	5280.08	3001.48
Ahmedabad	1450.03	926.35	533.50	385.70	21.03	4.35	2004.55	1316.41
Baroda	455.21	270.67	155.12	118.96	6.97	1.74	617.29	391.36
Indore	1011.58	693.86	357.91	259.13	18.26	3.66	1387.75	956.65
Surat	798.64	519.75	290.98	156.05	14.34	2.44	1103.96	678.24
ZO (GJ & MP)	3715.46	2410.63	1337.51	919.84	60.60	12.19	5113.55	3342.66
Kandivili	2136.80	1385.92	646.57	445.23	29.64	5.59	2813.01	1836.74
Mumbai-I Bandra	5073.50	2572.68	1301.71	491.27	37.41	7.03	6412.62	3070.98
Mumbai-II Thane	2030.93	1235.24	585.07	384.94	27.58	5.69	2643.59	1625.87
Nagpur	753.56	587.31	274.11	292.95	13.98	5.01	1041.65	885.27
Pune	2956.57	1940.84	793.64	600.56	36.46	8.89	3786.68	2550.28
Raipur	344.14	176.65	150.63	118.22	6.26	1.52	501.03	296.39
ZO (MH & CG)	13295.50	7898.64	3751.73	2333.17	151.33	33.73	17198.58	10265.53
Bangalore	2729.78	1315.12	681.11	328.29	22.27	3.39	3433.16	1646.80
Gulbarga	402.97	295.84	184.19	158.46	7.88	1.90	595.03	456.20
Mangalore	508.14	372.54	224.11	206.14	9.69	3.19	741.94	581.86
Panaji	257.57	207.11	74.85	47.80	3.25	0.84	335.66	255.75
Peenya	3898.30	1774.73	978.98	428.63	27.23	3.13	4904.51	2206.49
ZO (KN & Goa)	7796.76	3965.34	2143.24	1169.32	70.32	12.45	10010.30	5147.10
Bhubaneswar	701.52	492.56	269.22	194.72	14.83	2.58	985.57	689.86
Guntur	933.21	624.37	369.28	342.91	20.79	6.64	1323.28	973.92
Hyderabad	2991.44	1504.05	848.30	409.56	33.25	5.28	3872.99	1918.90
Nizamabad	262.88	207.34	109.91	128.23	6.55	2.40	379.33	337.97
ZO (AP & OR)	4889.05	2828.32	1596.71	1075.42	75.42	16.90	6561.17	3920.65
Chennai	3251.70	1675.92	889.80	762.08	33.55	4.56	4175.05	2442.56
Coimbatore	1159.55	885.82	474.55	357.57	21.72	5.13	1655.82	1248.51
Madurai	549.11	431.94	248.65	232.11	13.07	3.44	810.83	667.48
Tambaram	1062.11	640.43	329.08	200.51	14.52	2.09	1405.71	843.03
Thiruvananthapuram	1320.89	912.52	475.27	424.00	24.26	5.71	1820.42	1342.23
ZO (TN & KR)	7343.36	4546.63	2417.35	1976.27	107.12	20.93	9867.83	6543.81
Guwahati (NER)	311.04	175.97	122.26	78.65	7.21	3.52	440.52	258.14
Jalpaiguri	310.68	327.97	158.57	125.63	9.77	4.96	479.03	458.56
Kolkata	1661.33	1101.00	696.24	517.12	37.90	13.05	2395.48	1631.17
Ranchi	308.35	189.08	175.44	184.12	8.05	1.52	491.84	374.72
ZO (WB, NER & JH)	2591.40	1794.02	1152.51	905.52	62.93	23.05	3806.87	2722.59
All INDIA	52179.50	31515.01	16417.76	10900.32	697.76	152.63	69295.03	42567.91

तीनों योजनाओं में अंशदान एवं भुगतान (2012-13)

(₹ करोड़ों में)

क्षेत्र	क.म.नि.		क.पें.यो.		क.नि.स.बी.		कुल योग	
	कुल अंशदान	कुल भुगतान	कुल अंशदान	कुल भुगतान	कुल अंशदान	कुल भुगतान	कुल अंशदान	कुल भुगतान
देहरादून	348.79	191.69	169.53	84.81	8.2	2.02	526.52	278.52
दिल्ली (उत्तर)	1915.56	1088.44	625.7	256.22	22.48	4.63	2563.74	1349.29
दिल्ली (दक्षिण)	1984.57	1073.78	504.54	219.72	20.87	2.44	2509.98	1295.94
आं.का. (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	4248.92	2353.91	1299.77	560.75	51.55	9.09	5600.24	2923.75
चंडीगढ़	643.61	536.24	189.45	109.66	10.3	1.7	843.36	647.6
लुधियाना	505.78	415.9	197.98	143.51	9.1	2.44	712.86	561.85
शिमला	269.47	161.48	101.45	56.97	4.59	0.83	375.51	219.28
आं.का. (पंजाब एवं हि. प्रदेश)	1418.86	1113.62	488.88	310.14	23.99	4.97	1931.73	1428.73
कानपुर	628.92	434.75	265.11	365.51	12.3	4.14	906.33	804.4
मेरठ	967.56	615.1	357.42	195.59	16.67	2.22	1341.65	812.91
पटना	189.81	164.27	81.42	162.08	3.68	1.22	274.91	327.57
आं.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	1786.29	1214.12	703.95	723.18	32.65	7.58	2522.89	1944.88
फरीदाबाद	602.98	490.32	235.9	157.75	11.7	1.84	850.58	649.91
गुडगांव	1900.73	877.64	507.8	200.46	20.24	1.8	2428.77	1079.9
जयपुर	815.15	547.78	301.39	201.95	12.22	1.7	1128.76	751.43
आं.का. (हरियाणा एवं राज.)	3318.86	1915.74	1045.09	560.16	44.16	5.34	4408.11	2481.24
अहमदाबाद	1297.13	791.84	478.73	326.74	18.76	3.06	1794.62	1121.64
बड़ोदा	386.15	222.5	144.08	101.45	6.09	1.23	536.32	325.18
इंदौर	949.96	591.14	314.55	222.75	15.19	2.77	1279.7	816.66
सुरत	696.18	409.02	259.56	122.2	12.51	2.02	968.25	533.24
आं.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	3329.42	2014.5	1196.92	773.14	52.55	9.08	4578.89	2796.72
कांठिबली	1913.64	1264.41	588.65	416.29	27.01	5.07	2529.3	1685.77
मुंबई-I बांद्रा	4725.05	2438.16	1197.57	458.48	34.77	7.09	5957.39	2903.73
मुंबई-II थाणे	1787.71	1038.13	537.48	334.79	26.44	6.07	2351.63	1378.99
नागपुर	662.34	426.69	248.18	261.63	12.57	4.42	923.09	692.74
पुणे	2538.69	1415.5	714.25	495.64	33.18	7.01	3286.12	1918.15
रायपुर	289.71	141.06	134.1	96.07	5.2	1.11	429.01	238.24
आं.का. (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	11917.14	6723.95	3420.23	2062.9	139.17	30.77	15476.54	8817.62
बंगलूर	2313.75	1250.83	601.95	270.34	19.14	2.61	2934.84	1523.78
गुलबर्गा	348.02	225.38	165.2	134.74	6.85	1.59	520.07	361.71
मंगलूर	438.01	314.83	194.91	172.8	8.43	2.4	641.35	490.03
पणजी	229.16	143.06	69.18	36.89	2.85	0.36	301.19	180.31
पीणया	3437.11	1459.18	881.2	356.12	23.09	1.93	4341.4	1817.23
आं.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	6766.05	3393.28	1912.44	970.89	60.36	8.89	8738.85	4373.06
भुवनेश्वर	576.59	298.67	240.44	147.93	12.22	2.84	829.25	449.44
गुन्डूर	838.24	495.55	337.23	295.75	18.92	5.67	1194.39	796.97
हैदराबाद	2641.5	1288.09	789.3	341.63	28.67	3.99	3459.47	1633.71
निजामाबाद	234.14	176.21	101.36	110.42	6	1.64	341.5	288.27
आं.का. (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	4290.47	2258.52	1468.33	895.73	65.81	14.14	5824.61	3168.39
चेन्नै	2852.88	1303.17	795.03	378.42	30.32	2.9	3678.23	1684.49
कोयम्बतूर	994.25	665.26	414.26	295.93	18.25	3.55	1426.76	964.74
मदुरै	471.57	365.37	214.5	198.15	11	2.63	697.07	566.15
तांवरम	896.09	470.8	281.06	160.26	12.36	1.5	1189.51	632.56
तिरुवनंतपुरम	1149.53	721.37	438.83	365.38	21.93	4.36	1610.29	1091.11
आं.का. (तमिलनाडु एवं केरल)	6364.32	3525.97	2143.68	1398.14	93.86	14.94	8601.86	4939.05
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	254.77	129.76	105.02	69.1	6.18	2.58	365.97	201.44
जलपाईगुडी	288.69	270.89	142.97	100.57	9.29	5.68	440.95	377.14
कोलकाता	1541.28	885.51	637.26	451.2	33.43	9.67	2211.97	1346.38
रांची	273.3	156.63	159.48	162.64	7.12	1.16	439.9	320.43
आ.का.(प.बं.,प्र.क्ष. एवं झारखंड)	2358.04	1442.79	1044.73	783.51	56.02	19.09	3458.79	2245.39
अखिल भारतीय	45798.37	25956.40	14724.02	9038.54	620.12	123.89	61142.51	35118.83

APPENDIX A-20 (iii)

Contribution and Payment of all three Schemes (2012-13)								(₹ in cr.)
Region	EPF		EPS		EDLI		Grand Total	
	Total contribution	Total Payment	Total contribution	Total Payment	Total contribution	Total Payment	Total contribution	Total Payment
Dehradun	348.79	191.69	169.53	84.81	8.20	2.02	526.52	278.52
Delhi (North)	1915.56	1088.44	625.70	256.22	22.48	4.63	2563.74	1349.29
Delhi (South)	1984.57	1073.78	504.54	219.72	20.87	2.44	2509.98	1295.94
ZO (DL & UK)	4248.92	2353.91	1299.77	560.75	51.55	9.09	5600.24	2923.75
Chandigarh	643.61	536.24	189.45	109.66	10.30	1.70	843.36	647.60
Ludhiana	505.78	415.90	197.98	143.51	9.10	2.44	712.86	561.85
Shimla	269.47	161.48	101.45	56.97	4.59	0.83	375.51	219.28
ZO (PN & HP)	1418.86	1113.62	488.88	310.14	23.99	4.97	1931.73	1428.73
Kanpur	628.92	434.75	265.11	365.51	12.30	4.14	906.33	804.40
Meerut	967.56	615.10	357.42	195.59	16.67	2.22	1341.65	812.91
Patna	189.81	164.27	81.42	162.08	3.68	1.22	274.91	327.57
ZO (UP & BR)	1786.29	1214.12	703.95	723.18	32.65	7.58	2522.89	1944.88
Faridabad	602.98	490.32	235.90	157.75	11.70	1.84	850.58	649.91
Gurgaon	1900.73	877.64	507.80	200.46	20.24	1.80	2428.77	1079.90
Jaipur	815.15	547.78	301.39	201.95	12.22	1.70	1128.76	751.43
ZO (HR & RJ)	3318.86	1915.74	1045.09	560.16	44.16	5.34	4408.11	2481.24
Ahmedabad	1297.13	791.84	478.73	326.74	18.76	3.06	1794.62	1121.64
Baroda	386.15	222.50	144.08	101.45	6.09	1.23	536.32	325.18
Indore	949.96	591.14	314.55	222.75	15.19	2.77	1279.70	816.66
Surat	696.18	409.02	259.56	122.20	12.51	2.02	968.25	533.24
ZO (GJ & MP)	3329.42	2014.50	1196.92	773.14	52.55	9.08	4578.89	2796.72
Kandivili	1913.64	1264.41	588.65	416.29	27.01	5.07	2529.30	1685.77
Mumbai-I Bandra	4725.05	2438.16	1197.57	458.48	34.77	7.09	5957.39	2903.73
Mumbai-II Thane	1787.71	1038.13	537.48	334.79	26.44	6.07	2351.63	1378.99
Nagpur	662.34	426.69	248.18	261.63	12.57	4.42	923.09	692.74
Pune	2538.69	1415.50	714.25	495.64	33.18	7.01	3286.12	1918.15
Raipur	289.71	141.06	134.10	96.07	5.20	1.11	429.01	238.24
ZO (MH & CG)	11917.14	6723.95	3420.23	2062.90	139.17	30.77	15476.54	8817.62
Bangalore	2313.75	1250.83	601.95	270.34	19.14	2.61	2934.84	1523.78
Gulbarga	348.02	225.38	165.20	134.74	6.85	1.59	520.07	361.71
Mangalore	438.01	314.83	194.91	172.80	8.43	2.40	641.35	490.03
Panaji	229.16	143.06	69.18	36.89	2.85	0.36	301.19	180.31
Peenya	3437.11	1459.18	881.20	356.12	23.09	1.93	4341.40	1817.23
ZO (KN & Goa)	6766.05	3393.28	1912.44	970.89	60.36	8.89	8738.85	4373.06
Bhubaneshwar	576.59	298.67	240.44	147.93	12.22	2.84	829.25	449.44
Guntur	838.24	495.55	337.23	295.75	18.92	5.67	1194.39	796.97
Hyderabad	2641.50	1288.09	789.30	341.63	28.67	3.99	3459.47	1633.71
Nizamabad	234.14	176.21	101.36	110.42	6.00	1.64	341.50	288.27
ZO (AP & OR)	4290.47	2258.52	1468.33	895.73	65.81	14.14	5824.61	3168.39
Chennai	2852.88	1303.17	795.03	378.42	30.32	2.90	3678.23	1684.49
Coimbatore	994.25	665.26	414.26	295.93	18.25	3.55	1426.76	964.74
Madurai	471.57	365.37	214.50	198.15	11.00	2.63	697.07	566.15
Tambaram	896.09	470.80	281.06	160.26	12.36	1.50	1189.51	632.56
Thiruvananthapura	1149.53	721.37	438.83	365.38	21.93	4.36	1610.29	1091.11
ZO (TN & KR)	6364.32	3525.97	2143.68	1398.14	93.86	14.94	8601.86	4939.05
Guwahati (NER)	254.77	129.76	105.02	69.10	6.18	2.58	365.97	201.44
Jalpaiguri	288.69	270.89	142.97	100.57	9.29	5.68	440.95	377.14
Kolkata	1541.28	885.51	637.26	451.20	33.43	9.67	2211.97	1346.38
Ranchi	273.30	156.63	159.48	162.64	7.12	1.16	439.90	320.43
ZO (WB, NER & All INDIA)	2358.04	1442.79	1044.73	783.51	56.02	19.09	3458.79	2245.39
	45798.37	25956.40	14724.02	9038.54	620.12	123.89	61142.51	35118.83

वर्ष 1952 से क.भ.नि. मासिक चालू शेष पर ब्याज की दर

वर्ष	ब्याज की दर	वर्ष	ब्याज की दर
1952-53	3%	1984-85	9.90%
1953-54	3%	1985-86	10.15%
1954-55	3%	1986-87	11%
1955-56	3.50%	1987-88	11.50%
1956-57	3.50%	1988-89	11.80%
1957-58	3.75%	1989-90	12%
1958-59	3.75%	1990-91	12%
1959-60	3.75%	1991-92	12%
1960-61	3.75%	1992-93	12%
1961-62	3.75%	1993-94	12%*
1962-63	3.75%	1994-95	12%*
1963-64	4%	1995-96	12%*
1964-65	4.25%	1996-97	12%*
1965-66	4.50%	1997-98	12%*
1966-67	4.75%	1998-99	12%*
1967-68	5%	1999-00	12%*
1968-69	5.25%	2000-01	12 % 11% (*)
1969-70	5.50%	2001-02	9.50%
1970-71	5.70%	2002-03	9.50%
1971-72	5.80%	2003-04	9.50%
1972-73	6%	2004-05	9.5% @
1973-74	6%	2005-06	8.50%
1974-75	6.50%	2006-07	8.50%
1975-76	7%	2007-08	8.50%
1976-77	7.50%	2008-09	8.50%
1977-78	8%	2009-10	8.50%
1978-79	8.25%+0.5%बोनस***	2010-11	9.50%
1979-80	8.25%	2011-12	8.25%
1980-81	8.25%	2012-13	8.50%
1981-82	8.50%	2013-14	8.75%
1982-83	8.75%	2014-15	8.75%
1983-84	9.15%		

*** 1976-1977 व 1977-1978 के दौरान जिन्होंने अपनी भविष्य निधि से किसी राशि का प्रत्याहरण न किया हो।

(*)मासिक चालू शेष पर अप्रैल - जून 2001 पर 12% तथा जुलाई 2001 से 11% ,)

(@ 9% ब्याज तथा 0.5% स्वर्ण जयन्ती बोनस ब्याज

APPENDIX A-21

Rate of Interest on EPF balances on monthly running balance since 1952 onwards				
Year	Rate of Interest		Year	Rate of Interest
1952-53	3%		1984-85	9.90%
1953-54	3%		1985-86	10.15%
1954-55	3%		1986-87	11%
1955-56	3.50%		1987-88	11.50%
1956-57	3.50%		1988-89	11.80%
1957-58	3.75%		1989-90	12%
1958-59	3.75%		1990-91	12%
1959-60	3.75%		1991-92	12%
1960-61	3.75%		1992-93	12%
1961-62	3.75%		1993-94	12%*
1962-63	3.75%		1994-95	12%*
1963-64	4%		1995-96	12%*
1964-65	4.25%		1996-97	12%*
1965-66	4.50%		1997-98	12%*
1966-67	4.75%		1998-99	12%*
1967-68	5%		1999-00	12%*
1968-69	5.25%		2000-01	12 % 11% (*)
1969-70	5.50%		2001-02	9.50%
1970-71	5.70%		2002-03	9.50%
1971-72	5.80%		2003-04	9.50%
1972-73	6%		2004-05	9.5% @
1973-74	6%		2005-06	8.50%
1974-75	6.50%		2006-07	8.50%
1975-76	7%		2007-08	8.50%
1976-77	7.50%		2008-09	8.50%
1977-78	8%		2009-10	8.50%
1978-79	8.25%+0.5%bonus***		2010-11	9.50%
1979-80	8.25%		2011-12	8.25%
1980-81	8.25%		2012-13	8.50%
1981-82	8.50%		2013-14	8.75%
1982-83	8.75%		2014-15	8.75%
1983-84	9.15%			
***Who did not withdraw any amount from their PF during 1976-1977 & 1977-1978				
(*)12% (April-June,2001) and 11% July, 2001 onwards) on monthly running balance.				
(@ 9% Interest plus 0.5%) golden Jubilee bonus interest).				

**31.03.2015 को क्षेत्रीय कार्यालय, उप क्षेत्रीय कार्यालय, जिला कार्यालय तथा
सेवा केन्द्रों की सूची**

क्र.सं.	आंचलिक कार्यालय	राज्य / क्षेत्रीय कार्यालय	उप क्षेत्रीय कार्यालय	जिला कार्यालय	सेवा केन्द्र
1.	दिल्ली एवं उत्तराखंड (दिल्ली)	देहरादून (उत्तराखंड)	1. हल्द्वानी		1. हरिद्वार
		दिल्ली (उत्तरी) वजीरपुर			
		दिल्ली (दक्षिणी) द्वारका	1. लक्ष्मी नगर		
2.	पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश (चंडीगढ़)	चंडीगढ़ (पं.)	1. भटिंडा	1. पटियाला 2. मंडी गोविन्दगढ़ 3. मोगा 4. संगरूर	
		लुधियाना (पं.)	1. अमृतसर 2. जालंधर	1. बटाला 2. फगवाड़ा 3. होशियारपुर	
		शिमला (हि.प्र.)		1. परवानू 2. पोन्टा साहिब 3. पालमपुर 4. कुल्लु	
3.	उत्तर प्रदेश एवं बिहार (कानपुर)	कानपुर (उ.प्र.)	1. लखनऊ 2. वाराणसी 3. बरेली 4. गोरखपुर 5. इलाहाबाद	1. मुरादाबाद	1. गाजियाबाद
		मेरठ (उ.प्र.)	1. नोएडा 2. आगरा	1. मुजफ्फरनगर 2. सहारनपुर 3. अलीगढ़	
		पटना (बि.)	1. मुजफ्फरपुर 2. भागलपुर	1. गया 2. रोहतास 3. दरभंगा 4. कटिहार 5. मुन्गेर	
4.	हरियाणा एवं राजस्थान (फरीदाबाद)	फरीदाबाद (हरि.)	1. करनाल	1. यमुनानगर 2. अंबाला 3. सोनीपत 4. पानीपत	
		गुडगांव (हरि.)	1. रोहतक	1. हिसार	

APPENDIX A-22
**List of Regional Offices, Sub- Regional Offices, District Offices and Service Centres
as on 31.03.2015**

S.No	ZOS	State/RO	SRO	District Office	Service Centre
1.	Delhi & Uttarakhand (DELHI)	Dehradun (Utt.)	1. Haldwani		1. Haridwar
		Delhi (North) Wazirpur			
		Delhi (South) Dwarka	1. Laxmi Nagar		
2.	Punjab & Himachal Pradesh (CHANDIGARH)	Chandigarh (PN)	1. Bathinda	1. Patiala 2. Mandi Gobindgarh 3. Moga 4. Sangrur	
		Ludhiana (PN)	1. Amritsar 2. Jalandhar	1. Batala 2. Phagwara 3. Hoshiarpur	
		Shimla (HP)		1. Parwanoo 2. Paonta Sahib 3. Palampur 4. Kullu	
3.	Uttar Pradesh & Bihar (KANPUR)	Kanpur (UP)	1. Lucknow 2. Varanasi 3. Bareilly 4. Gorakhpur 5. Allahabad	1. Moradabad	1. Ghaziabad
		Meerut (UP)	1. Noida 2. Agra	1. Muzaffar Nagar 2. Saharanpur 3. Aligarh	
		Patna (BR)	1. Muzaffarpur 2. Bhagalpur	1. Gaya 2. Rohtas 3. Darbhanga 4. Katihar 5. Munger	
4.	Haryana & Rajasthan (FARIDABAD)	Faridabad (HR)	1. Karnal	1. Yamunanagar 2. Ambala 3. Sonapat 4. Panipat	
		Gurgaon (HR)	1. Rohtak	1. Hissar	

		जयपुर (राज.)	1. कोटा 2. उदयपुर 3. जोधपुर	1. अजमेर 2. अलवर 3. भरतपुर 4. झुंझुनु 5. भीलवाडा 6. बीकानेर 7. पाली 8. श्रीगंगानगर	
5.	गुजरात एवं मध्य प्रदेश (अहमदाबाद)	अहमदाबाद (गुज.)	1. राजकोट 2. नरौडा 3. वटवा	1. महसाना 2. भावनगर 3. नडिआड 4. जामनगर 5. जूनागढ़ 6. गांधीधाम 7. सुरेन्द्रनगर 8. हिम्मतनगर	
		वडोदरा (गुज.)			
		इंदौर (म.प्र.)	1. जबलपुर 2. भोपाल 3. उज्जैन 4. ग्वालियर 5. सागर	1. खंडवा 2. धार 3. सतना 4. छिन्दवाडा 5. इटारसी 6. रतलाम	
		सूरत (गुज.)	1. वापी 2. भरुच		
6.	महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ (मुंबई)	बान्द्रा (महा.)			
		मुंबई-II थाणे (महा.)	1. वाशी		
		कादिबली (महा.)	1. नासिक	1. जलगांव 2. अहमदनगर	
		नागपुर (महा.)	1. अकोला 2. औरंगाबाद	1. चंद्रपुर 2. अमरावती	
		पुणे (महा.)	1. कोल्हापुर 2. शोलापुर		
		रायपुर (छत्ती.)		1. बिलासपुर	

		Jaipur (RJ)	1. Kota 2. Udaipur 3. Jodhpur	1. Ajmer 2. Alwar 3. Bhartpur 4. Jhunjhunu 5. Bhilwara 6. Bikaner 7. Pali 8. Sriganganagar	
5.	Gujarat & Madhya Pradesh (AHMEDABAD)	Ahmedabad (GJ)	1. Rajkot 2. Narnoda 3. Vatwa	1. Mehsana 2. Bhavnagar 3. Nadiad 4. Jamnagar 5. Junagadh 6. Gandhidham 7. Surendranagar 8. Himmat Nagar	
		Vadodara (GJ)			
		Indore (MP)	1. Jabalpur 2. Bhopal 3. Ujjain 4. Gwalior 5. Sagar	1. Khandwa 2. Dhar 3. Satna 4. Chhindwara 5. Itarsi 6. Ratlam	
		Surat (GJ)	1. Vapi 2. Bharuch		
6.	Maharashtra & Chhattisgarh (MUMBAI)	Bandra (MH)			
		Mumbai-II Thane (MH)	1. Vashi		
		Kandivili (MH)	1. Nasik	1. Jalgaon 2. Ahmednagar	
		Nagpur (MH)	1. Akola 2. Aurangabad	1. Chandrapur 2. Amaravati	
		Pune (MH)	1. Kolhapur 2. Solapur		
		Raipur (CHH)		1. Bilaspur	

7.	कर्नाटक एवं गोवा (बंगलौर)	बंगलौर (कर्ना.)	1. राजाराजेश्वरी नगर 2. येलाहान्का		
		मंगलौर (कर्ना.)	1. मैसूर 2. चिकमंगलूर 3. शिमोगा 4. उडुपी	1. मदीकेरी 2. हसन 3. दावणगेरे 4. मांडया	
		गुलबर्गा (कर्ना.)	1. हुबली 2. बेल्लारी 3. रायचूर	1. बीजापुर 2. बागलकोट* 3. करवर	
		पणजी (गोवा)			1. मडगांव
		पीन्या (कर्ना.)	1. बोम्मसान्द्रा 2. के.आर. पुरम (व्हाईटफील्ड) 3. तुमकुर	1. कोलार	
8.	आंध्र प्रदेश एवं ओड़ीशा (हैदराबाद)	भुवनेश्वर (ओड़ी.)	1. राउरकेला 2. ब्रह्मपुर 3. क्योझर	1. कटक 2. बालासोर 3. सम्बलपुर 4. बरबिल 5. रायगढ़	
		हैदराबाद (आ.प्र.)	1. कुकटपल्ली 2. पट्टनचेरू 3. सिद्दीपेट		1. नलगौदा
		निजामाबाद (आ.प्र.)	1. करीमनगर 2. वारंगल	1. निर्मल (आदिलाबाद) 2. खम्माम	
		गुंटूर (आ.प्र.)	1. विशाखापट्टनम 2. राजामुंद्री 3. कडप्पा	1. विजयवाड़ा 2. ओंगोले 3. विजयनगरम 4. श्रीकाकुलम 5. काकीनाडा 6. भीमावरम 7. ऐलूरू 8. कुरनूल 9. नैल्लोर 10. तिरुपति 11. अनंतपुर	

7.	Karnataka & Goa (BANGALORE)	Bangalore (KN)	1.Rajarajeswari Nagar 2. Yealahanka		
		Mangalore(KN)	1. Mysore 2. Chikmangalur 3. Shimoga 4. Udupi	1. Madikeri 2. Hassan 3. Davanagere 4. Mandya	
		Gulbarga (KN)	1. Hubli 2. Bellary 3. Raichur	1. Bijapur 2. Bagalkot* 3. Karwar	
		Panaji (Goa)			1.Margao
		Peenya (KN)	1. Bommasandra 2. K.R.Puram (Whitefield) 3. Tumkur	1.Kolar	
8.	Andhra Pradesh & Orissa (HYDERABAD)	Bhubaneshwar (OR)	1. Rourkela 2. Berhampur 3. Keonjhar	1. Cuttack 2. Balasore 3. Sambalpur 4. Barbil 5. Rayagada	
		Hyderabad (AP)	1.Kukatpally 2.Patancheru 3. Siddipet		1.Nalgonda
		Nizamabad(AP)	1. Karimnagar 2. Warangal	1. Niramli (Adilabad) 2. Khammam	

9.	तमिलनाडु एवं केरल (चेन्नै)	चेन्नै (तमिलनाडु)	1. अंबातूर		
		कोयम्बतूर (तमिलनाडु)	1. त्रिची 2. सेलम	1. कूतूर 2. ऊटी 3. त्रिपूर 4. पोलाची 5. थंजावूर 6. कुम्बाकोणम 7. कुड्डालोर 8. करूर 9. इरोड 10. कृष्णागिरी	
		मदुरै (तमिलनाडु)	1. तिरुनेलवेली 2. नागरकोईल	1. डिंडीगुल 2. शिवाकाशी 3. तूतीकोरिन	
		तांबंरम (तमि.)	1. वेल्लूर 2. पुदुचेरी		
		तिरुवनंतपुरम (केरल)	1. कोट्टायम 2. एरणाकुलम 3. कोझीकोड 4. कन्नूर 5. कोल्लम	1. मून्नार 2. एलेप्पी 3. त्रिशूर 4. कलपेट्टा 5. पालक्काड	
10.	पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं झारखंड (कोलकाता)	गुवाहाटी (पूर्वो. क्षे.)	1. तिनसुकिया 2. अगरतला (त्रिपुरा) 3. शिलांग	1. सिलचर 2. तेजपुर 3. बोंगईगांव 4. दीमापुर 5. जोरहाट असम 6. धर्मनगर	1. इम्फाल (मणिपुर) 2. ईटानगर 3. एजवाल (मिजोरम)
		जलपाईगुडी (प.बं.)	1. दार्जिलिंग 2. जांगीपुर 3. सिलीगुडी	1. अलीपुरद्वार 2. मालबाजार	1. गंगटोक
		कोलकाता (प.बं.)	1. पार्क स्ट्रीट 2. हावड़ा 3. बैरकपुर 4. दुर्गापुर 5. अंडमान (पोर्टब्लेयर)	1. मिदनापुर 2. श्रीरामपुर	

		Guntur (AP)	1. Visakhapatnam 2. Rajahmundry 3. Kadapa	1. Vijaywada 2. Ongole 3. Vizianagaram 4. Srikakulam 5. Kakinada 6. Bhimavaram 7. Elluru 8. Kurnool 9. Nellore 10. Tirupathi 11. Ananthapur	
9.	Tamil Nadu & Kerala (CHENNAI)	Chennai(Tamil Nadu)	1. Ambattur		
		Coimbatore (Tamil Nadu)	1. Trichy 2. Salem	1. Coonoor 2. Ooty 3. Tirupur 4. Pollachi 5. Thanjavur 6. Kumbakonam 7. Cuddalore 8. Karur 9. Erode 10. Krishnagiri	
		Madurai (Tamil Nadu)	1. Tirunelveli 2. Nagercoil	1. Dindigul 2. Sivakasi 3. Tuticorin	
		Tambaram(TN)	1. Vellore 2. Puducherry		
		Thiruvanthapuram (KR)	1. Kottayam 2. Ernakulam 3. Kozhikode 4. Kannur 5. Kollam	1. Munnar 2. Alleppey 3. Trissur 4. Kalpetta 5. Palakkad	
10.	West Bengal, North East Region & Jharkhand (KOLKATA)	Guwahati (NER)	1. Tinsukia 2. Agartala (Tripura) 3. Shillong	1. Silchar 2. Tezpur 3. Bongaigaon 4. Dimapur 5. Jorhat Assam 6. Dharmanagar	1. Imphal (Manipur) 2. Itanagar 3. Aizwal (Mizoram)

		रांची (झा.)	1. जमशेदपुर	1 कोडरमा 2 बोकारो 3 गिरिडीह 4 धनबाद 5 देवघर 6 साहेबगंज 7 पश्चिम सिंहभूम (चैलबासा)	
--	--	-------------	-------------	--	--

* स्वीकृत पर अभी खुलता शेष है।

क्षेत्रीय कार्यालय	उप क्षेत्रीय कार्यालय	जिला कार्यालय	सेवा केन्द्र
40	82	113	8

		Jalpaiguri (WB)	1. Darjeeling 2. Jangipur 3. Silliguri	1. Alipurduar 2. Malbazar	1. Gangtok
		Kolkata (WB)	1. Park Street 2. Howrah 3. Barrackpore 4. Durgapur 5. Andaman (Port Blair)	1. Midnapur 2. Shrirampur	
		Ranchi (JHA)	1. Jamshedpur	1. Koderma 2. Bokaro 3. Giridih 4. Dhanbad 5. Deoghar 6. Sahebganj 7. West Singhbhum (Chaibasa)	

* sanctioned but yet to be opened.

RO	Sub-RO	Distt. Office	Service Centre
40	82	113	8

परिशिष्ट ए -23 (i)

क्र.सं.	नाटर्स द्वारा वर्ष 2014-2015 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या
क्रियात्मक एवं तकनीकी		
1	अनुपालन प्रबंधन एवं श्रम नियम	2
2	स्थापना एवं प्रशासन	2
3	जांच एवं प्रस्तुतिकरण अधिकारी	1
4	सामाजिक सुरक्षा तथा कर्मचारी पेंशन योजना, 1995	1
5	क.भ.नि.सं. में वित्तीय प्रबंधन	2
6	क.भ.नि. अधिनियम के अंतर्गत छूट	1
7	क.भ.नि. अधिनियम के अंतर्गत वसूली प्रबंधन	2
	कुल	11
सामान्य प्रबंधन तथा आत्म विकास		
8	सुरक्षित सेवानिवृत्ति	1
9	क.भ.नि. नेपाल हेतु सामान्य प्रबंधन एवं ग्राहक संबंध प्रबंधन	2
10	सुशासन	1
11	प्रशिक्षक विकास	1
12	राजभाषा कार्यान्वयन	1
13	लोक प्रशासन में नैतिकता और मूल्य	1
	कुल	7
प्रवेश / पुनर्प्रवेश पाठ्यक्रम		
14	सहायक भविष्य निधि आयुक्त (परिवीक्षणाधीन) के लिए प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम	3
	कुल	3
क.भ.नि. योजनाओं पर प्रशिक्षण		
15	नई निरीक्षण योजना	3
16	यूनिफाईड वेब पोर्टल पर मास्टर ट्रेनर्स	2
	कुल	5
राष्ट्रीय कार्यशालाएं		
17	सूचना का अधिकार अधिनियम पर कार्यशाला	1
18	जेंडर सेंसटाईजेशन पर कार्यशाला	1
	कुल	2
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रायोजित कार्यक्रम		
19	प्रत्यक्ष प्रशिक्षक दक्षता (DTS)	1
20	प्रशिक्षण का डिजाइन (DoT)	1
21	प्रयोगात्मक प्रशिक्षु उपकरण (ELT)	1
22	सुविधा दक्षता	1
23	परामर्श कौशल	1
24	प्रशिक्षण मूल्यांकन (EoT)	1
	कुल	6
	कुल योग	34

APPENDIX A-23 (i)

Sl. No.	Details of Training programmes conducted by National Academy during 2014-2015	No. of Programmes conducted
Functional & Technical		
1	<i>Compliance Management & Labour Laws</i>	2
2	<i>Establishment & Administration</i>	2
3	<i>Inquiry & Presenting Officer</i>	1
4	<i>Social Security & Employees' Pension Scheme, 1995</i>	1
5	<i>Financial Management in EPFO</i>	2
6	<i>Exemption Under EPF Act</i>	1
7	<i>Recovery Management under EPF Act</i>	2
	Total	11
GENERAL MANAGEMENT & SELF DEVELOPMENT		
8	<i>Coping with Retirement</i>	1
9	<i>General Management & Customer Relationship Management for the EPF Nepal</i>	2
10	<i>Good Governance</i>	1
11	<i>Faculty Development</i>	1
12	<i>Raj Bhasha Implementation</i>	1
13	<i>Ethics & Value in Public Governance</i>	1
	Total	7
14	<i>Induction programme for APFC (Probationers)</i>	3
	Total	3
TRAINING ON EPF SCHEMES		
15	<i>New Inspection Scheme</i>	3
16	<i>Master Trainers on Unified Web Portal</i>	2
	Total	5
NATIONAL WORKSHOPS		
17	<i>Workshop on Right to Information Act</i>	1
18	<i>Workshop on Gender Sensitization</i>	1
	Total	2
DoP&T SPONSORED PROGRAMMES		
19	<i>Direct Trainer Skills (DTS)</i>	1
20	<i>Design of Training (DoT)</i>	1
21	<i>Experiential Learning Tools (ELT)</i>	1
22	<i>Facilitation Skills</i>	1
23	<i>Mentoring Skills</i>	1
24	<i>Evaluation of Training(EoT)</i>	1
	Total	6
Sub Total		34

परिशिष्ट ए -23 (ii)

भाग-क	वर्ष 2014-15 के दौरान आंचलिक तथा उप आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण		
	आं.प्र.सं. / उप आं.प्र.सं.	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागी अधिकारियों /कर्मचारियों की संख्या
	उत्तरी अंचल	59	908
	पूर्वी अंचल	72	1195
	पश्चिमी अंचल	61	1251
	दक्षिणी अंचल	53	1321
	उप आं.प्र.सं., शिलांग	24	101
	कुल	269	4776

भाग-ख	पिछले तीन वर्षों में नाटर्स एवं आं.प्र.सं./ उप आं.प्र.सं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम		
		पाठ्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागी अधिकारियों /कर्मचारियों की संख्या
	2012-13	302	5289
	2013-14	322	6088
	2014-15	303	5782

Part - A	Detail of the Training programmes conducted by the ZTIs and sub-ZTI during 2014-15		
	ZTIs/sub- ZTI	Number of Programmes	Number of officials/officer trained
	North Zone	59	908
	East Zone	72	1195
	West Zone	61	1251
	South Zone	53	1321
	Sub-ZTI Shillong	24	101
	Total	269	4776

Part - B	Training programmes conducted by NATRSS & ZTIs / sub - ZTI during the last three years		
		Number of Courses	Number of officials/officers trained
	2012-13	302	5289
	2013-14	322	6088
	2014-15	303	5782

31.03.2015 को ग्रुप 'ए' अधिकारियों की स्वीकृत एवं वर्तमान संख्या

राज्य	स्वीकृत	वर्तमान स्थिति
आंध्र प्रदेश	83	63
बिहार	12	10
झारखंड	18	13
दिल्ली	50	44
गुजरात	64	45
हरियाणा	56	44
हिमाचल प्रदेश	08	05
कर्नाटक	90	65
केरल	34	22
मध्य प्रदेश	37	25
छत्तीसगढ़	13	08
महाराष्ट्र	118	95
गोवा	13	07
पूर्वोत्तर	18	15
ओड़ीशा	21	20
पंजाब	55	37
राजस्थान	25	23
तमिलनाडु	133	72
उत्तर प्रदेश	48	41
उत्तराखंड	11	10
पश्चिम बंगाल	73	59
मुख्यालय	152	95
कुल	1132	818

APPENDIX A-24 (i)

Sanctioned and In position Strength of Group A Officers as on 31.03.2015		
State	Sanctioned	In Position
Andhra Pradesh	83	63
Bihar	12	10
Jharkhand	18	13
Delhi	50	44
Gujarat	64	45
Haryana	56	44
Himachal Pradesh	08	05
Karnataka	90	65
Kerala	34	22
Madhya Pradesh	37	25
Chhattisgarh	13	08
Maharashtra	118	95
Goa	13	07
NER	18	15
Orissa	21	20
Punjab	55	37
Rajasthan	25	23
Tamil Nadu	133	72
Uttar Pradesh	48	41
Uttarakhand	11	10
West Bengal	73	59
Head Office	152	95
Total	1132	818

31.03.2015 को ग्रुप 'बी' अधिकारियों की स्वीकृत एवं वर्तमान संख्या

राज्य	स्वीकृत	वर्तमान स्थिति	पदों का विभाजन					वर्तमान स्थिति				
			एस.सी.	एस.टी.	ओ.बी.सी.	शा. विक.	भू.सै.	एस.सी.	एस.टी.	ओ.बी.सी.	शा.विक.	भू.सै.
आंध्र प्रदेश	451	349	63	32	20	0	0	46	26	24	19	2
बिहार	81	46	7	1	2	0	0	4	1	11	0	0
झारखंड	126	77	11	5	4	0	0	10	16	12	3	0
दिल्ली	279	229	16	8	7	4	0	24	10	6	1	0
गुजरात	392	325	56	29	17	10	7	49	26	13	8	0
हरियाणा	192	142	29	14	31	3	0	23	10	6	2	0
हिमाचल प्रदेश	44	26	2	1	1	0	0	4	2	0	0	0
कर्नाटक	489	338	60	27	17	10	0	40	22	7	13	0
केरल	287	180	29	7	9	0	0	18	7	5	0	0
मध्य प्रदेश	206	169	21	9	7	0	0	27	40	9	7	0
छत्तीसगढ़	35	29	0	0	0	0	0	3	13	4	0	0
महाराष्ट्र	923	566	127	61	46	27	91	81	62	31	8	0
गोवा	32	26	4	2	8	0	0	1	1	3	0	1
पूर्वोत्तर क्षेत्र	84	48	7	2	5	0	0	7	7	0	0	0
ओड़ीशा	160	126	0	0	0	0	0	5	1	2	0	0
पंजाब	306	227	36	15	9	2	0	49	6	4	4	1
राजस्थान	191	155	23	10	10	2	0	27	11	3	5	0
तमिलनाडु	787	485	57	28	103	56	188	51	19	10	5	1
उत्तर प्रदेश	358	244	45	20	13	6	0	49	2	32	3	0
उत्तराखंड	44	31	2	1	1	0	0	11	4	1	0	0
पश्चिम बंगाल	562	355	0	0	0	0	0	59	28	17	5	0
मुख्यालय	332	241	42	19	41	0	0	54	9	8	1	0
निजी सचिव तथा निजी सहायक संवर्ग में (15+30) 45 पदों का सृजन												
कुल	6361+45=6406	4414	637	291	351	120	286	642	323	208	84	5

APPENDIX A-24 (ii)

Sactioned and In Position Strength of Group B Officers as on 31.03.2015

State	Sanctioned	In Position	Due share					In Position				
			SC	ST	OBC	PH	EXSR	SC	ST	OBC	PH	EXSR
AP	451	349	63	32	20	0	0	46	26	24	19	2
Bihar	81	46	7	1	2	0	0	4	1	11	0	0
Jharkhand	126	77	11	5	4	0	0	10	16	12	3	0
Delhi	279	229	16	8	7	4	0	24	10	6	1	0
Gujarat	392	325	56	29	17	10	7	49	26	13	8	0
Haryana	192	142	29	14	31	3	0	23	10	6	2	0
Himachal Pradesh	44	26	2	1	1	0	0	4	2	0	0	0
Karnataka	489	338	60	27	17	10	0	40	22	7	13	0
Kerala	287	180	29	7	9	0	0	18	7	5	0	0
Madhya Pradesh	206	169	21	9	7	0	0	27	40	9	7	0
Chhattisgarh	35	29	0	0	0	0	0	3	13	4	0	0
Maharashtra	923	566	127	61	46	27	91	81	62	31	8	0
Goa	32	26	4	2	8	0	0	1	1	3	0	1
NE Region	84	48	7	2	5	0	0	7	7	0	0	0
Orissa	160	126	0	0	0	0	0	5	1	2	0	0
Punjab	306	227	36	15	9	2	0	49	6	4	4	1
Rajasthan	191	155	23	10	10	2	0	27	11	3	5	0
Tamil Nadu	787	485	57	28	103	56	188	51	19	10	5	1
Uttar Pradesh	358	244	45	20	13	6	0	49	2	32	3	0
Uttrakhand	44	31	2	1	1	0	0	11	4	1	0	0
West Bengal	562	355	0	0	0	0	0	59	28	17	5	0
Head Office	332	241	42	19	41	0	0	54	9	8	1	0
*Total	6361+ 45= 6406	4414	637	291	351	120	286	642	323	208	84	5

***Created 45 posts in PS & PA cadres as 15+30**

31.03.2015 को ग्रुप 'सी' एवं 'डी' कर्मचारियों की स्वीकृत एवं वर्तमान संख्या

राज्य	स्वीकृत	वर्तमान स्थिति	पदों का विभाजन					वर्तमान स्थिति				
			एस.सी.	एस.टी.	ओ.बी.सी.	शा. विक.	भू.वै.	एस.सी.	एस.टी.	ओ.बी.सी.	शा.विक.	भू.वै.
आंध्र प्रदेश	1415	1145	212	103	150	11	38	194	85	151	91	15
बिहार	212	164	27	13	49	0	0	25	8	59	0	0
झारखंड	296	243	29	61	28	6	20	28	33	66	4	1
दिल्ली	823	678	135	74	100	30	32	142	66	84	30	18
गुजरात	1226	900	181	91	274	34	109	169	103	313	38	14
हरियाणा	555	430	77	37	37	15	31	115	17	58	10	12
हिमाचल प्रदेश	99	78	15	6	23	2	3	14	9	16	1	2
कर्नाटक	1349	1096	199	97	158	37	44	215	69	164	40	22
केरल	820	613	134	50	102	16	17	113	23	133	20	14
मध्य प्रदेश	620	454	88	60	133	15	2	92	82	75	17	1
छत्तीसगढ़	111	93	0	0	0	0	0	9	17	25	2	2
महाराष्ट्र	2652	1988	383	188	241	79	263	343	186	266	44	40
गोवा	80	68	10	4	17	0	1	7	8	7	2	1
पूर्वोत्तर क्षेत्र	210	197	34	14	40	8	20	28	43	22	3	4
ओड़ीशा	436	347	0	0	0	0	0	51	52	33	13	3
पंजाब	780	618	243	3	88	32	27	237	1	85	35	12
राजस्थान	538	442	72	36	61	10	1	81	78	26	8	8
तमिलनाडु	2144	1591	503	26	715	79	265	473	22	360	68	109
उत्तर प्रदेश	931	637	152	57	37	20	0	153	26	107	6	2
उत्तराखंड	117	100	14	6	25	4	8	22	8	15	4	7
पश्चिम बंगाल	1574	1082	0	0	0	0	0	275	24	184	24	12
मुख्यालय	178	124	23	10	33	0	0	55	17	4	4	0
आशुलिपिक संवर्ग में 30 पदों का सृजन												
कुल	17166+30= 17196	13088	2531	936	2311	398	881	2841	977	2253	464	299

APPENDIX A-24 (iii)

Sanctioned and In Position Strength of Group C & D Official as on 31.03.2015

State	Sanctioned	In Position	Due share					In Position				
			SC	ST	OBC	PH	EXSR	SC	ST	OBC	PH	EXSR
AP	1415	1145	212	103	150	11	38	194	85	151	91	15
Bihar	212	164	27	13	49	0	0	25	8	59	0	0
Jharkhand	296	243	29	61	28	6	20	28	33	66	4	1
Delhi	823	678	135	74	100	30	32	142	66	84	30	18
Gujarat	1226	900	181	91	274	34	109	169	103	313	38	14
Haryana	555	430	77	37	37	15	31	115	17	58	10	12
Himachal Pradesh	99	78	15	6	23	2	3	14	9	16	1	2
Karnataka	1349	1096	199	97	158	37	44	215	69	164	40	22
Kerala	820	613	134	50	102	16	17	113	23	133	20	14
Madhya Pradesh	620	454	88	60	133	15	2	92	82	75	17	1
Chhattisgarh	111	93	0	0	0	0	0	9	17	25	2	2
Maharashtra	2652	1988	383	188	241	79	263	343	186	266	44	40
Goa	80	68	10	4	17	0	1	7	8	7	2	1
NE Region	210	197	34	14	40	8	20	28	43	22	3	4
Orissa	436	347	0	0	0	0	0	51	52	33	13	3
Punjab	780	618	243	3	88	32	27	237	1	85	35	12
Rajasthan	538	442	72	36	61	10	1	81	78	26	8	8
Tamil Nadu	2144	1591	503	26	715	79	265	473	22	360	68	109
Uttar Pradesh	931	637	152	57	37	20	0	153	26	107	6	2
Uttarakhand	117	100	14	6	25	4	8	22	8	15	4	7
West Bengal	1574	1082	0	0	0	0	0	275	24	184	24	12
Head Office	178	124	23	10	33	0	0	55	17	4	4	0
*Total	17166+30 = 17196	13088	2531	936	2311	398	881	2841	977	2253	464	299

***Created 30 posts in Stenographer cadres**

31.03.2015 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के स्टाफ पेंशनभोक्ताओं तथा परिवार पेंशनभोक्ताओं की संख्या

क्र.सं.	राज्य	पेंशनभोक्ताओं की संख्या	परिवार पेंशनभोक्ताओं की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	508	192
2.	बिहार	161	68
3.	झारखंड	35	14
4.	दिल्ली (उत्तर)	144	61
5.	दिल्ली (दक्षिण)	82	16
6.	सूरत	48	10
7.	वडोदरा	17	2
8.	अहमदाबाद	320	110
9.	फरीदाबाद (हरि.)	71	28
10.	गुडगांव	12	1
11.	हिमाचल प्रदेश	10	9
12.	कर्नाटक	403	175
13.	केरल	528	151
14.	मध्य प्रदेश	216	85
15.	छत्तीसगढ़	2	3
16.	बान्द्रा	765	201
17.	मुंबई-II (थाणे)	114	17
18.	मुंबई-III (मलाद)	79	15
19.	नागपुर	57	21
20.	पुणे	149	45
21.	गोवा	8	3
22.	पूर्वोत्तर	51	31
23.	ओडिशा	141	45
24.	पंजाब	274	71
25.	राजस्थान	119	58
26.	चेन्नै	539	181
27.	ताबंरम	121	42
28.	कोयंबतूर	243	55
29.	मद्रास	128	45
30.	कानपुर	131	46
31.	मेरठ	75	33
32.	लखनऊ	2	2
33.	बरेली	5	0
34.	वाराणसी	14	4
35.	गोरखपुर	2	1
36.	इलाहाबाद	7	2
37.	उत्तराखंड	12	8
38.	कोलकाता	952	227
39.	जलनाईगुडी	47	16
40.	मुख्यालय	175	63
	कुल	6767	2157

APPENDIX A-24 (iv)

Staff Pensioners and Family Pensioners of EPFO as on 31.03.2015			
S.No	Regions	No. of Pensioners	No. of Family Pensioners
1.	Andhra Pradesh	508	192
2.	Bihar	161	68
3.	Jharkhand	35	14
4.	Delhi (North)	144	61
5.	Delhi (South)	82	16
6.	Surat	48	10
7.	Vadodara	17	2
8.	Ahmedabad	320	110
9.	Faridabad (HR)	71	28
10.	Gurgaon	12	1
11.	Himachal Pradesh	10	9
12.	Karnataka	403	175
13.	Kerala	528	151
14.	Madhya Pradesh	216	85
15.	Chhattisgarh	2	3
16.	Bandra	765	201
17.	Mumbai –II (Thane)	114	17
18.	Mumbai-III (Malad)	79	15
19.	Nagpur	57	21
20.	Pune	149	45
21.	Goa	8	3
22.	NER	51	31
23.	Orissa	141	45
24.	Punjab	274	71
25.	Rajasthan	119	58
26.	Chennai	539	181
27.	Tambaram	121	42
28.	Coimbatore	243	55
29.	Madurai	128	45
30.	Kanpur	131	46
31.	Meerut	75	33
32.	Lucknow	2	2
33.	Bareilly	5	0
34.	Varanasi	14	4
35.	Gorakhpur	2	1
36.	Allahabad	7	2
37.	Uttarakhand	12	8
38.	Kolkata	952	227
39.	Jalpaiguri	47	16
40.	Head Office	175	63
	Total	6767	2157

परिशिष्ट ए -24 (v)

वर्ष 2014-15 के दौरान आयोजित परीक्षाएं/की गई अनुवर्ती कार्रवाई

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	परीक्षा की तिथि	परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या					परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या					परिणाम की तिथि	सफल घोषित अभ्यर्थियों की संख्या
			पेपर					पेपर						
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		
1	पहला स.भ.नि.आ. (परिबीक्षा परीक्षा)	28 जुलाई से 2 अगस्त, 2014	52	52	52	52	52	49	49	49	49	50	05.09.14	36
2	दूसरा स.भ.नि.आ. (परिबीक्षा परीक्षा)	22 से 26 सितंबर, 2014	75	74	70	74	76	70	71	65	68	69	02.12.14	45
3	तीसरा स.भ.नि.आ. (परिबीक्षा परीक्षा)	19 से 23 जनवरी, 2015	70	63	59	69	81	65	57	56	65	76	प्रक्रियाधीन	

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	रक्तियां	परीक्षा की तिथि	आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	परिणाम की तिथि	सफल घोषित अभ्यर्थियों की संख्या
1	हिन्दी अनुवादक (ग्रेड II) विभागीय प्रतियोगी परीक्षा	32	12 से 14 नवंबर, 2014	47	36	12.03.15	6
प्र.अ./ले.अ. सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2012 में शेष दो राज्यों महाराष्ट्र एवं पंजाब का परिणाम क्रमशः दिनांक 17.06.2014 एवं 08.07.2014 को घोषित कर दिया गया था जिसमें 37 रक्तियों के अंतर्गत परीक्षा में बैठने वाले 643 अभ्यर्थियों में से 37 को सफल घोषित गया ।							

APPENDIX A-24 (v)

EXAMS HELD/ FOLLOW – UP ACTION TAKEN DURING THE YEAR 2014-15

SI No.	Name of Exam	Date of Exam	No. of candidates due to appear					No. of candidates Appeared					Date of Result	No. of candidate declared successful
			PAPER					PAPER						
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		
			52	52	52	52	52	49	49	49	49	50	36	
			28 th July to 2 nd August ,2014											
			1 st APFC (Probationary Examination)											
2	2nd APFC (Probationary Examination)	22 nd to 26 th September,2014	75	74	70	74	76	70	71	65	68	69	02.12.14	45
3	3 rd APFC (Probationary Examination)	19 th to 23 rd January,2015	70	63	59	69	81	65	57	56	65	76	Under process	

Sl.No.	Name of Exam.	Vacancies	Date of Exam.	No. of Candidates Applied	No. of Candidates Appeared	Date of Result	No. of Candidates declared successful
1	Hindi Translator(Gr.II) Departmental Competitive Examination	32	12 th to 14 th November, 2014	47	36	12.03.15	6
The result of EO/AO Limited Departmental Competitive Examination, 2012 in respect of remaining two states of Maharashtra and Punjab were declared on 17.06.2014 and 08.07.2014 respectively wherein 37 candidates were declared successful out of 643 appeared candidates against 37 vacancies.							

31.03.2015 को ग्रुप - "ए" अधिकारी (क.भ.नि.सं.) के पदनाम

क्र.सं.	पदनाम	वेतनबैंड (में)	ग्रेड वेतन (में)	स्वीकृत	तैनात
1	केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त	80000 [नियत]		1	1
2	अपर के.भ.नि.आ. (मुख्या.)	37400 - 67000	10000	2	2
3	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी	37400 - 67000	10000	1	1
4	अपर के.भ.नि.आ. - I	37400 - 67000	8900	10	9
5	अपर के.भ.नि.आ. - II	37400 - 67000	8700	15	2
6	अपर के.भ.नि.आ. (सू.से.)	37400 - 67000	8700	1	0
7	मुख्य सतर्कता अधिकारी	37400 - 67000	8700	1	1
8	मुख्य अभियंता	37400 - 67000	8700	1	0
9	क्षे.भ.नि.आयुक्त, ग्रेड I	15600 - 39100	7600	59	41
10	क्षे.भ.नि.आयुक्त, ग्रेड II	15600 - 39100	6600	227	186
11	विधि अधिकारी	15600 - 39100	6600	1	0
12	सहायक भविष्य निधि आयुक्त	15600 - 39100	5400	540	475
13	निदेशक (राजभाषा)	15600 - 39100	7600	1	0
14	उप निदेशक (राजभाषा)	15600 - 39100	6600	4	2
15	सहायक निदेशक (राजभाषा)	15600 - 39100	5400	66	30
16	निदेशक (लेखापरीक्षा)	15600 - 39100	7600	1	0
17	उप निदेशक (लेखापरीक्षा)	15600 - 39100	6600	16	2
18	सहायक निदेशक (लेखापरीक्षा)	15600 - 39100	5400	30	4
19	निदेशक (सूचना सेवा)	15600 - 39100	7600	4	0
20	उप निदेशक (सूचना सेवा)	15600 - 39100	6600	18	4
21	सहायक निदेशक (सूचना सेवा)	15600 - 39100	5400	56	35
22	निदेशक (सतर्कता)	37400 - 67000	8700	1	0
23	उप निदेशक (सतर्कता)	15600 - 39100	6600	12	3
24	सहायक निदेशक (सतर्कता)	15600 - 39100	5400	40	13
25	कार्यकारी अभियंता (सिविल)	15600 - 39100	6600	2	0
26	कार्यकारी अभियंता (इलैक्ट्रीकल)	15600 - 39100	6600	2	0
27	सहायक अभियंता (सिविल)	15600 - 39100	5400	17	6
28	सहायक अभियंता (इलैक्ट्रीकल)	15600 - 39100	5400	3	1
	कुल			1132	818

Designation of Group - "A" Officer (EPFO) as on 31.03.2015

Sl.No.	Name of the Post	Pay Band (in)	Grade Pay (in)	Sanctioned	In position
1	Central Provident Fund Commissioner	80000 [FIXED]		1	1
2	Additional CPFC (Hqrs.)	37400 - 67000	10000	2	2
3	Financial Advisor & Chief Accounts Officer	37400 - 67000	10000	1	1
4	Additional CPFC - I	37400 - 67000	8900	10	9
5	Additional CPFC - II	37400 - 67000	8700	15	2
6	Additional CPFC (IS)	37400 - 67000	8700	1	0
7	Chief Vigilance Officer	37400 - 67000	8700	1	1
8	Chief Engineer	37400 - 67000	8700	1	0
9	Regional P.F. Commissioner, Grade I	15600 - 39100	7600	59	41
10	Regional P.F. Commissioner, Grade II	15600 - 39100	6600	227	186
11	Law Officer	15600 - 39100	6600	1	0
12	Assistant P.F. Commissioner	15600 - 39100	5400	540	475
13	Director (Official Language)	15600 - 39100	7600	1	0
14	Deputy Director (Official Language)	15600 - 39100	6600	4	2
15	Assistant Director (Official Language)	15600 - 39100	5400	66	30
16	Director (Audit)	15600 - 39100	7600	1	0
17	Deputy Director (Audit)	15600 - 39100	6600	16	2
18	Assistant Director (Audit)	15600 - 39100	5400	30	4
19	Director (Information Service)	15600 - 39100	7600	4	0
20	Deputy Director (Information Service)	15600 - 39100	6600	18	4
21	Assistant Director (Information Service)	15600 - 39100	5400	56	35
22	Director (Vigilance)	37400 - 67000	8700	1	0
23	Deputy Director (Vigilance)	15600 - 39100	6600	12	3
24	Assistant Director (Vigilance)	15600 - 39100	5400	40	13
25	Executive Engineer (Civil)	15600 - 39100	6600	2	0
26	Executive Engineer (Electrical)	15600 - 39100	6600	2	0
27	Assistant Engineer (Civil)	15600 - 39100	5400	17	6
28	Assistant Engineer (Electrical)	15600 - 39100	5400	3	1
	Total			1132	818

31.03.2015 को ग्रुप - "बी" अधिकारी (क.भ.नि.सं.) के पदनाम

क्र.सं.	पदनाम	वेतनबैंड (में)	ग्रेड वेतन (में)	स्वीकृत	तैनात
1	अनुभाग अधिकारी	9300 - 34800	4800	87	62
2	सहायक (मुख्यालय)	9300 - 34800	4600	151	133
3	लेखा परीक्षा अधिकारी (पी.एफ.डी.)	9300 - 34800	4800	1	0
4	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी	9300 - 34800	4600	37	3
5	लेखापरीक्षक	9300 - 34800	4200	57	1
6	निजी सचिव	9300 - 34800	4800	67	31
7	निजी सहायक	9300 - 34800	4600	133	71
8	प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी	9300 - 34800	4600	2333	1548
9	डाटा प्रविष्टि सहायक /डी.ई.ओ.*	9300 - 34800	4600	274 117*	336
10	सहायक प्रोग्रामर/प्रोग्रामर	9300 - 34800	4600/4800	145	9
11	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	9300 - 34800	4200	40	15
12	कनिष्ठ अभियंता (इलैक्ट्रीकल)	9300 - 34800	4200	13	2
13	सतर्कता सहायक	9300 - 34800	4200	40	4
14	पुस्तकाल सूचना सहायक	9300 - 34800	4200	1	1
15	अनुभाग पर्यवेक्षक	9300 - 34800	4200	2680	2146
16	हिन्दी अनुवादक -I (वरि.)	9300 - 34800	4600	27	7
17	हिन्दी अनुवादक -II (कनि.)	9300 - 34800	4200	227	110
18	कनिष्ठ विश्लेषक	9300 - 34800	4200	2	0
19	अनुसंधान सहायक /ए.आर.ओ.	9300 - 34800	4200	4	0
20	कल्याण अधिकारी	9300 - 34800	4200	1	0
21	विधि सहायक	9300 - 34800	4200	43	18
22	सांख्यिकीय सहायक	9300 - 34800	4200	38	20
23	स्टाफ कार चालक (विशेष ग्रेड)	9300 - 34800	4200	5	2
	कुल			6406	4414

- वेतन बैंड 5200-20200 + ग्रेड वेतन 2400/- में डी.ई.ओ. शामिल हैं क्योंकि अलग से कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

APPENDIX A-24 (vii)**Designation of Group - "B" Officer (EPFO) as on 31.03.2015**

Sl.No.	Name of the Post	Pay Band (in)	Grade Pay (in)	Sanctioned	In position
1	Section Officer	9300 - 34800	4800	87	62
2	Assistant (Headquarters)	9300 - 34800	4600	151	133
3	Audit Officer (PFD)	9300 - 34800	4800	1	0
4	Assistant Audit Officer	9300 - 34800	4600	37	3
5	Auditor	9300 - 34800	4200	57	1
6	Personal Secretary	9300 - 34800	4800	67	31
7	Personal Assistant	9300 - 34800	4600	133	71
8	Enforcement Officer/Accounts Officer	9300 - 34800	4600	2333	1548
9	Data Processing Assistant	9300 - 34800	4600	274	231
10	Assistant Programmer/Programmer	9300 - 34800	4600/4800	145	9
11	Junior Engineer (Civil)	9300 - 34800	4200	40	15
12	Junior Engineer (Electrical)	9300 - 34800	4200	13	2
13	Vigilance Assistant	9300 - 34800	4200	40	4
14	Library Information Assistant	9300 - 34800	4200	1	1
15	Section Supervisor	9300 - 34800	4200	2680	2146
16	Hindi Translator -I (Sr.)	9300 - 34800	4600	27	7
17	Hindi Translator -II (Jr.)	9300 - 34800	4200	227	110
18	Junior Analyst	9300 - 34800	4200	2	0
19	Research Assistant /ARO	9300 - 34800	4200	4	0
20	Welfare Officer	9300 - 34800	4200	1	0
21	Legal Assistant	9300 - 34800	4200	43	18
22	Statistical Assistant	9300 - 34800	4200	38	20
23	Staff Car Driver (Special Grade)	9300 - 34800	4200	5	2
	Total			6406	4414

परिशिष्ट ए -24 (viii)

31.03.2015 को ग्रुप - "सी" स्टाफ (क.भ.नि.सं.) के पदनाम					
क्र.सं.	पदनाम	वेतनबैंड (में)	ग्रेड वेतन (में)	स्वीकृत	तैनात
1	आशुलिपिक	5200 - 20200	2400	133	98
2	सामाजिक सुरक्षा सहायक	5200 - 20200	2400	13633	10489
3	उच्च श्रेणी लिपिक (मुख्यालय)	5200 - 20200	2400	16	16
4	डाटा प्रविष्टि प्रचालक *	5200 - 20200	2400	117	117
5	अवर श्रेणी लिपिक	5200 - 20200	1900	593	490
6	इलैक्ट्रीशियन	5200 - 20200	1900	28	16
7	गेस्टेटर ऑपरेटर (वरि.)	5200 - 20200	1900	3	2
8	पम्प ऑपरेटर	5200 - 20200	1900	14	8
9	प्लंबर	5200 - 20200	1900	20	9
10	लिफ्ट ऑपरेटर	5200 - 20200	1900	18	15
11	टेलेक्स ऑपरेटर	5200 - 20200	1900	2	0
12	कैंटीन कर्मचारी	5200 - 20200	1900	39	30
13	कैंटीन कर्मचारी	4440 - 7440	1300	128	85
14	स्टाफ कार चालक (सामान्य श्रेणी)	5200 - 20200	1900	32	85
15	स्टाफ कार चालक (ग्रेड-II)	5200 - 20200	2400	33	
16	स्टाफ कार चालक (ग्रेड -I)	5200 - 20200	2800	38	
17	बहु कार्य स्टाफ	5200 - 20200	1800	2349	1628
	कुल			17196	13088

- केवल दर्शाए गए हैं और योग में शामिल नहीं किए गए हैं क्योंकि ग्रुप 'बी' में डी.पी.ए. के साथ इन्हें शामिल किया गया है चूंकि अलग से कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

APPENDIX A-24 (viii)**Designation of Group - "C" Staff (EPFO) as on 31.03.2015**

Sl.No.	Name of the Post	Pay Band (in)	Grade Pay (in)	Sanctioned	In position
1	Stenographer	5200 - 20200	2400	133	98
2	Social Security Assistant	5200 - 20200	2400	13633	10489
3	Upper Division Clerk (Headquarters)	5200 - 20200	2400	16	16
4	Data Entry Operator	5200 - 20200	2400	117	117
5	Lower Division Clerk	5200 - 20200	1900	593	490
6	Electrician	5200 - 20200	1900	28	16
7	Gestetnor Operator (Sr.)	5200 - 20200	1900	3	2
8	Pump Operator	5200 - 20200	1900	14	8
9	Plumber	5200 - 20200	1900	20	9
10	Lift Operator	5200 - 20200	1900	18	15
11	Telex Operator	5200 - 20200	1900	2	0
12	Canteen Employees	5200 - 20200	1900	39	30
13	Canteen Employees	4440 - 7440	1300	128	85
14	Staff Car Driver (Ordinary Grade)	5200 - 20200	1900	32	85
15	Staff Car Driver (Grade-II)	5200 - 20200	2400	33	
16	Staff Car Driver (Grade-I)	5200 - 20200	2800	38	
17	Multi Tasking Staff	5200 - 20200	1800	2349	1628
	Total			17196	13088

वर्ष 2013-2014 के लिए उत्पादकता सहबद्ध बोनस

क्र.सं.	क्षेत्र	दिनों की संख्या	बोनस की कुल वितरित राशि
1	गुन्डूर	60	37,85,270.00
2	पटना	60	14,44,863.00
3	रायपुर	60	8,60,415.00
4	दिल्ली (उत्तर)	60	28,87,324.00
5	दिल्ली (दक्षिण)	60	28,07,861.00
6	पणजी	60	6,10,782.00
7	अहमदाबाद	60	50,28,441.00
8	बड़ौदा	60	11,50,758.00
9	सूरत	60	21,05,736.00
10	फरीदाबाद	60	23,58,484.00
11	गुडगांव	60	18,11,943.00
12	शिमला	60	6,55,681.00
13	रांची	60	22,48,083.00
14	बंगलौर	60	29,85,031.00
15	मंगलौर	60	26,75,147.00
16	गुलबर्गा	60	14,05,900.00
17	पीण्चा	60	29,23,533.00
18	तिरुवनंतपुरम	60	56,47,714.00
19	इंदौर	60	44,56,391.00
20	बान्द्रा	60	55,36,581.00
21	थाणे	60	31,62,219.00
22	कादिवली	60	29,15,673.00
23	नागपुर	60	26,88,336.00
24	पुणे	60	36,96,956.00
25	पूर्वोत्तर क्षेत्र	60	15,99,308.00
26	भुवनेश्वर	60	32,32,072.00
27	चंडीगढ़	60	29,07,328.00
28	लुधियाना	60	28,34,551.00
29	जयपुर	60	42,03,956.00
30	चेन्नै	60	49,31,449.00
31	कोयंबतूर	60	37,54,488.00
32	मद्रै	60	36,44,445.00
33	तांबरम	60	25,47,763.00
34	हैदराबाद	60	49,18,278.00
35	निजामाबाद	60	16,74,614.00
36	देहरादून	60	8,89,981.00
37	कानुपुर	60	40,95,294.00
38	मेरठ	60	20,67,423.00
39	कोलकाता	60	72,73,508.00
40	जलपाईगुड़ी	60	26,04,477.00
41	मुख्यालय एवं नाटर्स (नोशनल आधार)	60	23,65,748.00
	कुल		12,13,93,805.00

Productivity Linked Bonus for the year 2013-2014			
Sl. No.	Region	No. of days	Total Bonus Disbursed
1	GUNTUR	60	37,85,270.00
2	PATNA	60	14,44,863.00
3	RAIPUR	60	8,60,415.00
4	DELHI (NORTH)	60	28,87,324.00
5	DELHI (SOUTH)	60	28,07,861.00
6	PANAJI	60	6,10,782.00
7	AHMEDABAD	60	50,28,441.00
8	BARODA	60	11,50,758.00
9	SURAT	60	21,05,736.00
10	FARIDABAD	60	23,58,484.00
11	GURGAON	60	18,11,943.00
12	SHIMLA	60	6,55,681.00
13	RANCHI	60	22,48,083.00
14	BANGALORE	60	29,85,031.00
15	MANGALORE	60	26,75,147.00
16	GULBARGA	60	14,05,900.00
17	PEENYA	60	29,23,533.00
18	THIRUVANANTHAPURAM	60	56,47,714.00
19	INDORE	60	44,56,391.00
20	BANDRA	60	55,36,581.00
21	THANE	60	31,62,219.00
22	KANDIVILI	60	29,15,673.00
23	NAGPUR	60	26,88,336.00
24	PUNE	60	36,96,956.00
25	N.E. REGION	60	15,99,308.00
26	BHUBANESHWAR	60	32,32,072.00
27	CHANDIGARH	60	29,07,328.00
28	LUDHIANA	60	28,34,551.00
29	JAIPUR	60	42,03,956.00
30	CHENNAI	60	49,31,449.00
31	COIMBATORE	60	37,54,488.00
32	MADURAI	60	36,44,445.00
33	TAMBARAM	60	25,47,763.00
34	HYDARABAD	60	49,18,278.00
35	NIZAMABAD	60	16,74,614.00
36	DEHRADUN	60	8,89,981.00
37	KANPUR	60	40,95,294.00
38	MEERUT	60	20,67,423.00
39	KOLKATA	60	72,73,508.00
40	JALPAIGURI	60	26,04,477.00
41	HEAD OFFICE & NATRSS (Notional Basis)	60	23,65,748.00
	TOTAL		12,13,93,805.00

जन सूचना

2014 -15 में प्रगति

	01.04.2014 को आदर्श	वर्ष के दौरान प्राप्त (अन्य जन प्राधिकारी को स्थानांतरित मामलों सहित)	अन्य जन प्राधिकारी को स्थानांतरित मामलों की संख्या	निर्णय जिनमें अनुरोध / अपील किए गए	निर्णय जिनमें अनुरोध / अपील स्वीकार किए गए
अनुरोध	963	27352	3346	2015	22954
प्रथम अपील	107	2419	0	306	2220

अनुरोध रद्द करते हुए कितनी बार विभिन्न उपबन्धों को उपयोग में लाया गया													एकत्रित शुल्क की राशि (₹ में)					
धारा 8 (1)													अन्य धारा		इस अधिनियम का उपयोग करने के संबंध में किसी अधिकारी के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामलों की संख्या	पंजीकरण शुल्क	अतिरिक्त शुल्क एवं अन्य प्रभार	दंड राशि
													क	ख				
0	129	4	8	166	247	51	24	100	305	10	9	24	अन्य	247910	48576	0		

APPENDIX A-26

PUBLIC INFORMATION

Progress in 2014 -15

	Opening Balance as on 01.04.2014	Received during the year (including cases transferred to other Public Authority)	No. of cases transferred to other Public Authorities	Decision where requests/ appeals rejected	Decision where requests/ appeals accepted
Requests	963	27352	3346	2015	22954
First Appeals	107	2419	0	306	2220

Number of times various provisions were invoked while rejecting requests														Number of cases where disciplinary action was taken against any officer in respect of administration of the Act	Amount of Charges Collected (in ₹)		
Section 8 (1)															Registration Fee	Additional Fee & Any Other Charges	Penalties Amount
other sections																	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	9	11	24	Other	Nil	247910	48576	0
0	129	4	8	166	247	51	24	100	305	10	9	321	1496				

परिशिष्ट ए -27 (i)

आंतरिक लेखापरीक्षा दलों के लंबित पैरा का विवरण -31.03.2015 की स्थिति											
	01.04.2014 को कुल लंबित पैरा	01.04.2013 से पूर्व की अवधि से संबंधित लंबित पैरा	1.04.2013 के बाद की अवधि से संबंधित लंबित पैरा	31.03.2015 तक प्राप्त उत्तर	31.03.2015 को शेष	01.04.2013 से पूर्व की अवधि से संबंधित शेष	01.04.2013 के बाद की अवधि से संबंधित शेष	समिति सी' द्वारा हटाए गए पैरा		समिति बी' को संदर्भित	
								01.04.2013 से पूर्व की अवधि	01.04.2013 के बाद की अवधि		
अंचल									कुल		
दिल्ली एवं उत्तराखंड	213	134	79	212	01	01	00	48	84	132	76
राज. एवं हरि.	224	130	94	223	01	01	0	93	64	157	52
पंजाब एवं हि.प्र.	219	108	111	219	00	00	0	68	77	145	16
उ.प्र. एवं बिहार	944	739	205	903	41	38	03	396	135	531	59
आंध्र प्रदेश एवं ओडीशा	601	459	142	585	16	16	00	158	45	203	63
कर्ना. एवं गोवा	677	604	73	639	38	24	14	142	15	157	28
तमिलनाडु एवं केरल	927	694	233	834	93	81	12	192	122	314	36
पं.बंगाल, पूर्वोत्तर, झार.	1209	1112	97	1197	12	06	06	534	63	597	181
महा. एवं छत्ती.	1359	1265	94	1302	57	56	01	649	75	724	178
गुज. एवं म.प्र.	630	533	97	572	58	52	06	274	78	352	184
नाटूरस, मु., क.प्र.नि. अपीलीय अधिकरण	176	141	35	136	40	40	00	63	29	92	15
कुल	7179	5919	1260	6822	357	315	42	2617	787	3404	888

APPENDIX A-27 (i)

Outstanding Paras of Internal Audit parties as on 31.03.2015

Zone	Total Pendency as on 01.04.2014	Pendency relating to the period prior to 01.04.2013	Pendency relating to the period after to 1.04.2013	Reply received as on 31.03.2015	Balance as on 31.03.2015	Balance pertaining to the period prior to 01.04.2013	Balance pertaining to the period after to 01.04.2013	Para dropped by Committee 'C'			Referred to Committee 'B'
								period prior 01.04.2013	period after to 01.04.2013	TOTAL	
DL & UK	213	134	79	212	01	01	00	48	84	132	76
RJ & HR	224	130	94	223	01	01	0	93	64	157	52
PN & HP	219	108	111	219	00	00	0	68	77	145	16
UP & BR	944	739	205	903	41	38	03	396	135	531	59
AP & OR	601	459	142	585	16	16	00	158	45	203	63
KN & GOA	677	604	73	639	38	24	14	142	15	157	28
TN & KR	927	694	233	834	93	81	12	192	122	314	36
WB,NER, JH	1209	1112	97	1197	12	06	06	534	63	597	181
MH & CHH	1359	1265	94	1302	57	56	01	649	75	724	178
GJ & MP	630	533	97	572	58	52	06	274	78	352	184
NATRSS,HO, EPFAT	176	141	35	136	40	40	00	63	29	92	15
TOTAL	7179	5919	1260	6822	357	315	42	2617	787	3404	888

31.03.2015 को लेखा परीक्षकों (ए.जी.) के लंबित पैरा						
क्र.सं.	जोनल कार्यालय का नाम	01.04.2014 को आदि शेष	वर्ष के दौरान शामिल पैरा	कुल	निपटाए गए	31.03.2015 को अंतः शेष
1.	दिल्ली एवं उत्तराखंड	51	5	56	0	56
2.	राज. एवं हरि.	104	53	157	60	97
3.	पंजाब एवं हि.प्र.	120	23	143	35	108
4.	उ.प्र. एवं बिहार	145	0	145	93	52
5.	आंध्र प्रदेश एवं ओडीशा	352	74	426	104	322
6.	कर्ना. एवं गोवा	133	20	153	50	103
7.	तमिलनाडु एवं केरल	192	57	249	89	160
8.	पं.बंगाल, पूर्वोत्तर, झार.	150	55	205	52	153
9.	महा. एवं छत्ती.	138	25	163	22	141
10.	गुज. एवं म.प्र.	186	17	203	8	195
11	नाटारस, सु., क.भ.नि. अपीलीय अधिकरण	152	3	155	4	151
	कुल	1723	332	2055	517	1538

APPENDIX A-27 (ii)

Outstanding Paras of A.G as on 31.03.2015						
Sl.No.	ACC Zone	Opening Balance as on 01.04.2014	Added during the year	Total	Settled	Closing Balance as on 31.03.2015
1.	DL & UK	51	5	56	0	56
2.	RJ & HR	104	53	157	60	97
3.	PN & HP	120	23	143	35	108
4.	UP & BR	145	0	145	93	52
5.	AP & OR	352	74	426	104	322
6.	KN & GOA	133	20	153	50	103
7.	TN & KR	192	57	249	89	160
8.	WB,NER,JH	150	55	205	52	153
9.	MH & CHH	138	25	163	22	141
10.	GJ & MP	186	17	203	8	195
11	NATRSS, HO & EPFAT	152	3	155	4	151
	Total	1723	332	2055	517	1538

परिशिष्ट ए -28 (i)

31.03.2015 को निवेश के लिए अंकित मूल्य पर श्रेणीवार निवेश एवं व्याज अर्जन क.भ.नि. (कर्मचारी भविष्य निधि) लेखा संख्या - 5 [करोड़ों में]																
श्रेणी	<=6%	>6-6.5%	>6.5-7%	7-7.5%	7.5-8%	8-8.5%	8.5-9%	9-9.5%	9.5-10%	10-11%	11-12%	12-13%	13-14%	14-15%	विभिन्न दरों तथा अवधि के लिए टी.डी.आर.	कुल अंकित मूल्य (करोड़ों में)
सी.टी.जी.	1,182.81	1,682.18	3,872.72	9,591.00	8,341.96	56,721.86	7,353.75	4,500.66		3,204.51	280.10	1,043.82				9,775.37
पी.सी.यू.	977.38	0.25	6.86	1,840.53	3,867.08	5,708.26	35,973.18	23,076.75	12,468.23	4,921.10	59.72		1.26		22,695.35	1,11,595.94
पी.बी.टी.	0.34		2.00	17.51	175.80	64.30	6,746.34	8,704.37	3,002.65	2,012.72	643.09	0.13			4,217.87	25,587.12
एस.डी.एल.	2,063.10	239.41	628.84	1,709.83	5,125.85	24,478.36	22,366.28	15,298.18	5,794.13	269.38						77,973.36
एस.डी.एस.							52,845.36									52,845.36
एस.टी.जी.	4.50				992.77	154.50	5,277.89	4,215.26	2,488.28	535.62	2.71	3.05	6.77			13,681.35
सार्वजनिक लेखे																-
कुल	4,228.13	1,921.84	4,510.42	13,158.86	18,503.45	87,127.28	1,30,562.80	55,795.22	23,753.29	10,943.33	985.62	1,047.00	8.03	-	26,913.22	3,79,458.51

APPENDIX A-28 (i)

परिशिष्ट ए -28 (ii)

31.03.2015 को निवेश के लिए अंकित मूल्य पर श्रेणीवार निवेश एवं व्याज अर्जन क.पें.यो (कर्मचारी पेंशन योजना) लेखा संख्या - 11															[करोड़ों में]	
श्रेणी	<=6 %	>6-6.5%	>6.5-7%	7-7.5%	7.5-8%	8-8.5%	8.5-9%	9-9.5%	9.5-10%	10-11%	11-12%	12-13%	13-14%	14-15%	विभिन्न दरों तथा अवधि के लिए टी.डी.आर.	कुल अंकित मूल्य (करोड़ों में)
सी.टी.जी.	202.58	1,256.04	2,838.06	3,627.85	7,395.49	26,275.32	2,758.26	2,688.52		4,769.76	567.28	1,416.81				53,795.97
पी.सी.यू.	396.13			2,095.70	3,442.60	3,486.01	14,163.53	9,660.74	4,016.65	2,650.79	5.00				10,250.15	50,167.30
पी.बी.टी.				20.00		45.70	4,275.97	4,209.86	1,174.76	601.70	805.80				1,801.69	12,935.48
एस.डी.एल.	104.27	751.85	40.13	879.51	2,071.62	9,741.68	9,941.86	6,680.43	3,274.25	182.78						33,668.37
एस.डी.एस.							1,400.52									1,400.52
एस.टी.जी.					1,030.80	958.00	1,946.90	1,699.40	685.10	188.00		12.00	5.00			6,525.20
सार्वजनिक लेखे						80,038.99										80,038.99
कुल	702.98	2,007.89	2,878.19	6,623.06	13,940.51	1,20,545.70	34,487.04	24,938.95	9,150.76	8,393.03	1,378.08	1,428.81	5.00	-	12,051.84	2,38,531.84

APPENDIX A-28 (ii)

Category Wise Investment at Face Value & Interest Earnings EPS(Employees Pension Scheme) A/c -11- Holding as on 31.03.2015 [₹ in cr.]																
Category	<=6 %	>6- 6.5%	>6.5- 7%	7-7.5%	7.5-8%	8-8.5%	8.5-9%	9-9.5%	9.5- 10%	10-11%	11- 12%	12- 13%	13- 14%	14- 15%	TDR at different rates & period	Total Face Value(in crs.)
CTG	202.58	1,256.04	2,838.06	3,627.85	7,395.49	26,275.32	2,758.26	2,688.52		4,769.76	567.28	1,416.81				53,795.97
PSU	396.13			2,095.70	3,442.60	3,486.01	14,163.53	9,660.74	4,016.65	2,650.79	5.00				10,250.15	50,167.30
PVT				20.00		45.70	4,275.97	4,209.86	1,174.76	601.70	805.80				1,801.69	12,935.48
SDL	104.27	751.85	40.13	879.51	2,071.62	9,741.68	9,941.86	6,680.43	3,274.25	182.78						33,668.37
SDS							1,400.52									1,400.52
STG					1,030.80	958.00	1,946.90	1,699.40	685.10	188.00		12.00	5.00			6,525.20
Public A/c.						80,038.99										80,038.99
Total	702.98	2,007.89	2,878.19	6,623.06	13,940.51	1,20,545.70	34,487.04	24,938.95	9,150.76	8,393.03	1,378.08	1,428.81	5.00	-	12,051.84	2,38,531.84

परिशिष्ट ए -28 (iii)

31.03.2015 को निवेश के लिए अंकित मूल्य पर श्रेणीवार निवेश एवं ब्याज अर्जन (क.सह.नि.बी.यो.) लेखा संख्या - 25 [₹ करोड़ों में]																
श्रेणी	<=6%	>6-6.5%	>6.5-7%	7-7.5%	7.5-8%	8-8.5%	8.5-9%	9-9.5%	9.5-10%	10-11%	11-12%	12-13%	13-14%	14-15%	विभिन्न दरों तथा अवधि के लिए टी.डी.आर.	कुल अंकित मूल्य (करोड़ों में)
सी.टी.जी.	5.12	56.75	158.30	98.17	276.02	1,391.84	175.82	121.05		163.86	26.21	27.88				2,501.02
पी.सी.यू.				113.30	121.60	173.77	678.35	566.54	289.84	162.50	10.00				659.68	2,775.58
पी.बी.टी.							180.49	218.81	69.00	32.11	48.20				91.59	640.20
एस.डी.एल.	4.23	18.86		46.76	53.20	771.80	505.17	375.79	181.50	12.19						1,969.50
एस.डी.एस.							2.50									2.50
एस.टी.जी.					28.10	42.00	120.50	50.70	81.50							322.80
सार्वजनिक लेबे						7,511.39										7,511.39
कुल	9.35	75.61	158.30	258.23	478.92	9,890.80	1,662.83	1,332.89	621.84	370.66	84.41	27.88	-	-	751.27	15,722.99

Category Wise Investment at Face Value & Interest Earnings EDLI(Employees Deposit Linked Insurance Scheme) A/c.-25 - Holding as on 31.03.2015 [₹ in cr.]

Category	<=6%	>6-6.5%	>6.5-7%	7-7.5%	7.5-8%	8-8.5%	8.5-9%	9-9.5%	9.5-10%	10-11%	11-12%	12-13%	13-14 %	14-15 %	TDR at different rates & period	Total Face Value(in crs.)
CTG	5.12	56.75	158.30	98.17	276.02	1,391.84	175.82	121.05		163.86	26.21	27.88				2,501.02
PSU				113.30	121.60	173.77	678.35	566.54	289.84	162.50	10.00				659.68	2,775.58
PVT							180.49	218.81	69.00	32.11	48.20				91.59	640.20
SDL	4.23	18.86		46.76	53.20	771.80	505.17	375.79	181.50	12.19						1,969.50
SDS							2.50									2.50
STG					28.10	42.00	120.50	50.70	81.50							322.80
Public A/c.						7,511.39										7,511.39
Total	9.35	75.61	158.30	258.23	478.92	9,890.80	1,662.83	1,332.89	621.84	370.66	84.41	27.88	-	-	751.27	15,722.99



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees' Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

मुख्य कार्यालय : भविष्य निधि भवन
Head Office : Bhavishya Nidhi Bhawan

14, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066

वेबसाइट /Website : www.epfindia.gov.in